षोदश माला, खंड 9, अंक 20

मंगलवार, 22 अगस्त, 2000
31 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 20, मंगलवार, 22 अगस्त, 2000/31 श्रावण, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	403 404, 406 और 407	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	401, 402, 405 और 408 से 420	25-57
अतारांकित प्रश्न संख्या	4457 से 4686	57-313
सभा पटल पर रखे गए पत्र.		313-320
राज्य सभा से संदेश		321 व 546
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
विवरण		321
रेल अभिसमय समिति		
पहला प्रतिवेदन		322
याचिका समिति		
तीसरा प्रतिवेदन		322
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
चौथा प्रतिवेदन		322
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति		
दूसरा प्रतिवेदन		323
रक्षा संबंधी स्थायी समिति		
पांचवां प्रतिवेदन		323
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति		
चवालीसवां प्रतिवेदन		323
केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक के संबंध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव		323
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धानेरा, थारा, और दयोदर में टी०वी० ट्रांसमीटर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिभाई चौधरी	354
(दो)	गुजरात के बलसाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री मणिभाई रामजी भाई चौधरी	355

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(तीन) मध्य प्रदेश में बिलासपुर से विमान सेवा पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले 355

(चार) राजस्थान में अजमेर में हवाई अड्डे का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासा सिंह रावत 356

(पांच) हिन्दुस्तान बेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड को अर्थक्षम बनाए जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 357

(छह) शाहजहांपुर में कोलाघाट पर बाहगुल-रामगंगा नदी पर पुल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति किए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र प्रसाद 357

(सात) उत्तरी बंगाल के राजवंशी समुदाय के उत्थान के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 358

(आठ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को पुर्नजीवित किए जाने की आवश्यकता

श्री टी० गोविन्दन 358

(नौ) आन्ध्र प्रदेश में तेनालो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू 359

(दस) उत्तर प्रदेश में आगरा जिले की बाह तहसील में भारी उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजी लाल सुमन 360

(ग्यारह) रासीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को जोड़ने वाले तिरुचनगोड-सलेम-चिन्नामुदलीपट्टी सड़क मार्ग को चार लेनों वाला सड़क मार्ग बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

डा० वी० सरोजा 360

(बारह) कोल्हापुर में "पनहाला" के चहुंमुखी विकास के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक 361

जम्मू-कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या की घटना पर रोष और गहरी संवेदना व्यक्त करना तथा इस मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग की नियुक्ति की मांग किए जाने के बारे में प्रस्ताव

विचार करने के लिए प्रस्ताव 362

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 362

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 370

विषय कॉलम

संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 335 का संशोधन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव 380

श्रीमती वसुन्धरा राजे 380

सरदार बूटा सिंह 381

श्री धावर चन्द गेहलोत 386

श्री बाजू बन रियान 389

डा० मन्दा जगन्नाथ 390

कुमारी मायावती 392

डा० (श्रीमती) अनिता आर्य 395

श्री के०एच० मुनियप्पा 395

श्री आनन्द मोहन बिश्वास 397

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह 399

श्री राम विलास पासवान 403

श्री माणिकराव होडल्या गावित 407

श्रीमती जस कौर मीणा 409

डा० वी० सरोजा 410

श्री अमर राय प्रधान 412

श्री जी०एम० बनातवाला 414

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल 419

श्री रामदास आठवले 426

श्री पी०एच० पांडियन 428

श्रीमती संतोष कुमारी 430

श्री हरिभाऊ शंकर महाले 431

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 437

खण्ड 2 और 1 437

पारित करने के लिए प्रस्ताव 477

संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 343 ङ का संशोधन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव 477

श्री ए० राजा 477

खण्ड 2 और 1 477

पारित करने के लिए प्रस्ताव 517

विषय	कॉलम
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1997-98 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2000-2001	
श्री रमेश चेन्नितला	519
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	523
श्री बसुदेव आचार्य	527
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी	532
श्री रामजी लाल सुमन	535
डा० गिरिजा व्यास	537
श्री नवल किशोर राय	541
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे	544
श्री सुकदेव पासवान	546
श्री अरूण कुमार	548
श्री शीश राम ओला	550
श्रीमती जस कौर मीणा	552
श्री के० मलयसामी	554
श्री सुरेश रामराव जाधव	559
श्री आदि शंकर	561
श्री के०एच० मुनियप्पा	563
श्री प्रभात सामन्त राय	565
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	567
श्री चन्द्र विजय सिंह	570
श्री पवन सिंह घाटोवार	571
प्रो० ए०के० प्रेमाजम	572
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू	575
श्री रवि प्रकाश वर्मा	576
श्री प्रभुनाथ सिंह	577
श्री कोडीकुनील सुरेश	578
श्री पुन्नू लाल मोहले	580
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	581
श्री महेश्वर सिंह	582
श्री राम रघुनाथ चौधरी	584
श्री अनादि साहू	585

विषय	कॉलम
श्री वी०एस० शिवकुमार	588
श्री राजीव प्रताप रूडी	589
डा० वी० सरोजा	590
श्रीमती जयश्री बैनर्जी	591
कुमारी ममता बनर्जी	593-600
विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2000	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	601
कुमारी ममता बनर्जी	601
खण्ड 2, 3 और 1	602
पारित करने के लिए प्रस्ताव	602-603
विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2000	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	603
कुमारी ममता बनर्जी	603
खण्ड 2, 3 और 1	604
पारित करने के लिए प्रस्ताव	604

लोक सभा

मंगलवार, 22 अगस्त, 2000/31 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 401, श्री मुनियप्पा

—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 402, डा० सुधा यादव

—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 403, श्री रामदास आठवले

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग

*403. **श्री रामदास आठवले** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने वेश्यावृत्ति और बाल वेश्यावृत्ति समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में वेश्यावृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यह अपने देश की मानवता और मॉरैल्टी के लिये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये जब राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया तो हमने प्रश्न पूछा था कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिये कोई निर्णय लिया है? सरकार ने उत्तर दिया कि इस बारे में कोई सर्वे नहीं किया गया है। मेरा यह कहना है कि बढ़ती हुई वेश्यावृत्ति को रोकने के लिये सर्वे होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल महिला सदस्यों को इस संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, मैं आपत्ति करती हूं। पुरुषों को भी महिलाओं की समस्याओं में रुचि लेनी चाहिए। केवल महिलाओं को ही अनुमति क्यों दी जाएगी? हम महिला सदस्य भी इनके लिए बोलते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? इस बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग और सरकार को सोचने की आवश्यकता थी जिसे सोचा नहीं गया और न इस बारे में कोई सर्वे ही किया गया। यह बहुत बड़ी गंभीर बात है। हमारा देश मानवता और नीति को मानने वाला देश है। इसलिये मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिये कोई योजना विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस तरह की कोई योजना बनाने वाली है या नहीं?

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के लिये जो सिफारिशें की थीं, उन पर पुनर्विचार करने के लिये वापस ले ली गई हैं। अभी तक अंतिम रूप से उनकी सिफारिशें हमारे पास नहीं आई हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया है और कुछ बड़े शहरों में उन्होंने निरीक्षण भी किया है तथा अंदाजा भी लगाया है। लेकिन यह समस्या केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और इसका पूरे तौर पर पता लगाना आसान नहीं है। इन कामों में मुख्यत: केन्द्र सरकार अकेले सर्वेक्षण कराने में सक्षम नहीं है। इसमें राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठन जो इसमें काम करते हैं, उन्हें मदद करने की जरूरत है। क्योंकि अनेक स्थानों पर ऐसे छिपे ढंग से वेश्यावृत्ति होती है कि उसके बारे में आकलन करना या सही पता लगाना कठिन काम है। लेकिन हम इस बारे में बराबर जागरूक हैं और हमारी यह चेष्टा है कि इस वृत्ति को सीमित किया जाए। जब से समाज बना है तब से आज तक इसका पूरी तौर पर उन्मूलन करना संभव नहीं हो सका है। लेकिन यह रोग और न फैले और इसमें काम करने वाली महिलाएं चाहे वे स्वेच्छा से आई हों, धोखे से आई हों या फुसला कर लाई गई हों, उनका पुनर्वास करने की योजना सरकार बना रही है। इसे रोकने के लिए कानून बनाने का काम केवल हमारा नहीं है, अन्य मंत्रालयों का भी है। कुछ मामलों में हम सुझाव देते हैं।

एक कानून हम भी बनाते हैं और बहुत से गृह मंत्रालय को बनाने पड़ते हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय को भी उसमें देखना पड़ता है। इस दृष्टि से हम इस पर बराबर परिचर्चा करते रहते हैं, सम्पर्क करते रहते हैं और जितने साधन हैं, उन्हें हम मानीटर करते रहते हैं। हमारे मंत्रालय के पास कोई एजेन्सी नहीं है और इसलिए पूरा आकलन करना, पूरा ब्यौरा देना कि किस मौहल्ले, किस गांव और किस शहर में कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं, बहुत कठिन है। इस संबंध में हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिए सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही है, यह ठीक है, लेकिन केवल कानून बना देने से काम चलने वाला नहीं है। वेश्यावृत्ति क्यों बढ़ रही है? जो इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन्हें अपना पेट भरने के लिए यह सब करना पड़ता है। इसलिए उन्हें रोजगार देने के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1996 से हाउस में नहीं आई है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग को स्टाफ भी नहीं दिया गया है। इसलिए सबसे पहले आयोग को स्टाफ देना चाहिए और आयोग की रिपोर्ट इस हाउस में आनी चाहिए। जो इनके बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा देने की योजना भी सरकार को बनानी चाहिए। इसलिए सरकार द्वारा इसका सर्वे कराने की आवश्यकता है। चूंकि आज तक सरकार ने इसका सर्वे नहीं कराया है। दो साल से सरकार क्या कर रही है। आप दो साल से सत्ता में आये हैं और आपने इसका सर्वे भी नहीं कराया है। जबकि इसका सर्वे कराने की आवश्यकता है। इनके बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसके बारे में आप कानून बनाने पर भी विचार करें और इन्हें रोजगार देने की भी आपको कोई योजना बनानी चाहिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस वृत्ति में लगी हुई महिलाओं के बच्चों के पुनर्वास का सवाल है, उसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संस्थाएं चलाई जाती हैं, इसके लिए और अधिक संस्थाएं चलाने की जरूरत है, जितने साधन होंगे, उसके हिसाब से संस्थाएं चलती जायेंगी। लेकिन सरकार के पास उसमें स्कीम्स हैं। जहां तक इसके सर्वे का सवाल है, यदि पचास वर्ष में सर्वे नहीं हो पाया तो दो वर्ष की अवधि उसकी तुलना में बहुत कम है। जो समस्या हजारों वर्षों से है, दो वर्ष में उसका निराकरण और समाधान नहीं हो सकता। लेकिन हम इसके लिए फिर भी प्रयत्नशील हैं, इसके लिए बराबर चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए बैठकें कर रहे हैं। इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए आज राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक हो रही है। हम इस पर सतत जागरूक बने हुए हैं। जो आपके शेष प्रश्न हैं उनके बारे में आप अलग से नोटिस दें तो उचित रहेगा।

डा० गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए दोबारा खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर विचार कर रहा है। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर में जी नहीं, और प्रश्न नहीं उठता, जो शब्द और वाक्यों का प्रयोग किया गया है, इससे इस बात का संकेत मिलता है कि इस मामले में सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों संवेदनशील नहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि सरकार प्रश्नों का उत्तर देते समय संवेदनशीलता का परिचय दे, स्टीरियो टाइप उत्तर जो ऑफिसर्स दे देते हैं, मेहरबानी करके उन्हें सदन में न रखें।

मेरा इसके साथ दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इसमें सरकार और दूसरे विभाग भी सम्मिलित होने चाहिए। लेकिन क्या आप सदन को आश्वस्त कर सकते हैं कि आपका मंत्रालय नोडल एजेन्सी बनकर गृह मंत्रालय या दूसरे मंत्रालयों से बातचीत करके अगले सत्र तक क्या कोई कड़ा कानून यहां लेकर आयेगा? क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि किन राज्यों में बाल-वेश्यावृत्ति पिछले तीन वर्षों में अधिकता से बढ़ी है और उस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भी क्या सरकार ने कोई निर्देश दिये और क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिससे बाल-वेश्यावृत्ति का पूरी तरह से उन्मूलन हो जाए?

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न के उत्तर का हवाला दिया गया, अगर सम्माननीय सदस्य पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि पूरा प्रश्न यह है कि क्या कोई सिफारिशें की गईं और यदि की गई हैं तो उनका ब्यौरा क्या है? पहले प्रश्न का उत्तर है कि कोई सिफारिशें नहीं हैं, तो उनका ब्यौरा हम कहां से दे सकते हैं? प्रश्न के उत्तर से संवेदनशीलता अथवा असंवेदनशीलता को पढ़ने की कोशिश न की जाए। सरकार के पास एक ऐक्शन प्लान है जो 1998 में प्रसारित किया गया था और उसके अंतर्गत कई योजनाएं इस विषय से संबंधित, इसके उन्मूलन से संबंधित और इसको कम करने से संबंधित ली गई हैं जिस ऐक्शन प्लान में इम्मौरल ट्रैफिकिंग को रोकना जागरूकता पैदा करना और सामाजिक जागरण, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा एवं शिशु परिचर्या, आवास एवं जन सुविधाएं, महिलाओं का आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाना।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उनका अनुपूरक प्रश्न यह है। कुछ राज्यों में वेश्यावृत्ति बढ़ने के क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : यह भी बताऊंगा। उन्होंने योजनाएं पूछी हैं। उन्होंने दूसरे हिस्से में कानून में सुधार और कानून के लागू करने, वेश्यावृत्ति के जाल से छुड़ाने एवं उनके पुनर्वास, संस्थागत तन्त्र और संबंधित कार्यप्रणाली के बारे में पूछा था। जो जानकारी मेरे पास तत्काल है वह मैं दे रहा हूं। जहां तक इसका सवाल है कि किन राज्यों में बढ़ी है और किनमें नहीं बढ़ी है, इसके संबंध में पूरी जानकारी मैं आज नहीं दे सकता। आप अलग से जानकारी मांगें क्योंकि प्रश्न

उससे संबंधित नहीं है लेकिन सवाल यह है कि सरकार इस बारे में अपनी संस्थाओं के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बराबर इसके लिए सचेष्ट है कि इस वृत्ति पर अंकुश लगाया जाए और इसमें शामिल या इसमें फंसाई गई महिलाओं के लिए पुनर्वास की योजना और उनको आर्थिक दृष्टि से शक्ति प्रदान करने के कार्यक्रम चलाए जाएं।

[अनुवाद]

प्रो० ए०के० प्रेमाचम : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर बहुत ही साधारण और अस्पष्ट तरीके से दिया गया है। मैं उस पर इससे अधिक टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने वेश्यावृत्ति को एक उद्योग के रूप में और वेश्याओं को सैक्स-वर्कर के रूप में स्वीकार कर लिया है अथवा मान्यता प्रदान कर दी है।

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : हमने इस वृत्ति को किसी उद्योग के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

[अनुवाद]

प्रो० ए०के० प्रेमाचम : महोदय, इस संबंध में एक सबूत है। यह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा प्रकाशित भारत सरकार का प्रकाशन है जिसमें "सैक्स वर्कर" और "वेश्यावृत्ति उद्योग" शब्दों का उपयोग अनेक बार किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को भी इसमें जोड़ा गया है *(व्यवधान)*। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तब माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो और 12 दिसम्बर 1998 को दिया गया उनका भाषण इसमें है। यह साक्ष्य के रूप में यहां हैं। मैं इन्हें सभा-पटल पर रख सकता हूं। यह सरकार इस समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्हें "सैक्स वर्कर" माना जाता है। क्या भारत सरकार ने अपने नीतिगत निर्णय के तहत इसे स्वीकार कर लिया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सराकार ने इसे "वेश्यावृत्ति उद्योग" और वेश्याओं को "सैक्स वर्कर" के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। यह मुख्य प्रश्न है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है, हमने ऐसा कुछ स्वीकार नहीं किया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास कोई दस्तावेज है, तो आप उसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

प्रो० ए०के० प्रेमाचम : महोदय, मैं अभी इसे सभा-पटल पर रख रहा हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा० बीट्रिक्स डिसूजा के अनुपूरक प्रश्न के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) : यह वेश्याएं स्वयं को सैक्स वर्कर कहती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह एक उद्योग बन गया अथवा सरकार ने इसे उद्योग के रूप में मान्यता दे दी है। हालांकि सैक्स वर्करों पर लोगों को आकर्षित करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है जबकि पुरुष ग्राहक सजा से बच जाते हैं। क्या सरकार इस कानून पर विचार करेगी जो कि पुरुषों को भी महिलाओं के समान दोषी माने?

आजकल हमें समाचार-पत्रों में यह रिपोर्टें पढ़ने को मिलती हैं कि पुनर्वास गृह, महिलाओं की देख-रेख करने की बजाय उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं अथवा इन महिलाओं को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल देते हैं। मैं इस संबंध में सरकार का उत्तर जानना चाहूंगी।

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, ऐसे कानून की हम समीक्षा कर रहे हैं। यह प्रस्ताव हमारे सामने है कि इस मामले में पुरुषों को सजा उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसे किसी और की। इस बारे में कानून में सुधार करने की समीक्षा चल रही है। विभाग में समूचे "इम्मोरल ट्रैफिक इन विमैन" कानून पर पुनर्विचार चल रहा है। हम उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और उसकी अनेक धाराओं में संशोधन करेंगे, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगी कि वेश्यावृत्ति के लिए सीमा पार से लड़कियों की खरीद फरोख्त भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। यहां तक कि उन लड़कियों का पता लगा लिए जाने के बाद अथवा ढूंढ लिए जाने के बाद अथवा उन्हें छुड़ा लिए जाने के बाद, पड़ोसी देश उन्हें वापस नहीं लेते हैं जहां से उनको लाया गया था चूंकि उनसे एड्स के संक्रमण का खतरा होता है अथवा वे उन्हें वापस घर नहीं भेजना चाहते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इनमें से अनेक लड़कियां विभिन्न पुनर्वास गृहों में नैराश्य-जीवन व्यतीत कर रहीं हैं क्योंकि न ही नेपाल, न ही बंगलादेश और न ही अन्य पड़ोसी देश उन्हें वापस लेने को तैयार हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन लड़कियों जिनको छुड़ा लिया जाता है और जो वास्तव में उस देश से संबंध नहीं रखती हैं की समस्याओं पर विचार करने के लिए, एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया था।

मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ने सीमा पार से आने वाली विशेषकर बालिकाओं की वेश्यावृत्ति की समस्या से निपटने के लिए कोई योजना बनाई है।

इसके साथ, मैं यह कहूंगी कि इन छुड़ाई गई लड़कियों के पुनर्वास के लिए बनाए गए यह पुनर्वास गृह सरकारी अधिकारियों अथवा अन्यों, जो कि उन्हें छुड़ाने में सहायता करते हैं। द्वारा प्रायोजित चकलाघर बनते जा रहे हैं। परसों समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर एक लेख में उत्तर-प्रदेश, वाराणसी के एक पुनर्वास गृह के बारे में बताया गया था जहां छुड़ाई गई लड़कियों को रखा जाता है और सरकारी अधिकारी तथा प्रशासन उसे एक चकलाघर के रूप में चला रहे हैं जहां वे प्रतिदिन इन लड़कियों का शोषण करते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं और क्या इस संबंध में जांच करने के लिए तैयार हैं।

हम, महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने वाली समिति के अन्तर्गत वहां एक दल भेजने की योजना बना रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या महिला मंत्री हमें अपना सहयोग देंगी और यह जानने में हमारी सहायता करेंगी कि क्या यह तथ्य सही हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्रॉस बार्डर ट्रैफिकिंग का सवाल है, सार्क देशों की सम्मेलन में इसमें विचार हुआ और दस प्रश्न के कुछ बिन्दुओं में पूरी सहमति हो गई थी, एक-आध बिन्दु पर पड़ोसी देशों की तरफ से कुछ रिजर्वेशन्स थीं। अब वे रिजर्वेशन्स भी लगभग समाप्त हो गई हैं। जब भी सार्क देशों के हैड्स ऑफ स्टेट की बैठक होगी, उसमें उस मामले में व्यापक कानून बनाने के लिए और समझौते करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, हमें उसकी जानकारी हुई और उस पर तत्काल ही कार्यवाही की गई है, एफ०आई०आर० दाखिल हो गई है और संबंधित लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस मामले में लेडी मिनिस्टर ही क्यों, इस सरकार का हर आदमी इस वृत्ति को समाप्त करने के लिए और इस प्रकार के घटनाक्रम जहां कहीं होते हैं, उन को रोकने के लिए पूरा सहयोग करेगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी तरफ से भी इसमें पूरा सहयोग मिलेगा। यह हर राज्य और हर गांव में एक व्यापक समस्या है।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप इसकी जिम्मेदारी लें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल मंत्री महोदय के उत्तर को ही कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा। यह रोजाना का काम हो गया है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : यह सबकी जिम्मेदारी है। इसमें आप संस्कृति और राजनीति को न लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। यह एक व्यापक समस्या है और इसका निवारण करने के लिए सहयोग करें। अगर आप इसमें राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे तो मैं नहीं कह सकता। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

स्कूली शिक्षा में विदेशी निवेश

*404. **श्री सवशीभाई मकवाना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिये जिन प्रस्तावों पर विचार किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बारे में सामान्य नीति तैयार करने के लिये सरकार ने राज्य सरकारों और शिक्षा विशेषज्ञों के विचारों की जानकारी प्राप्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारत सरकार को 1983 से 1999 की अवधि के दौरान निम्नलिखित से दस प्रस्ताव प्राप्त हुए :-

(1) यूनाईटेड वर्ल्ड कालेज।

(2) कनाडियन स्कूल, दिल्ली।

(3) बार्की इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल।

(4) महर्षि हैवन आन अर्थ डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(5) कनाडियन स्कूल, चंडीगढ़।

(6) इन्टरनेशनल ग्रामर स्कूल, मद्रास।

(7) कनाडियन स्कूल, बंगलौर।

(8) श्री दिनेश चन्द्र कोठारी।

(9) इन्डो कनाडियन अकादमी कलकत्ता।

(10) नई दिल्ली इन्टरनेशनल स्कूल।

उपरोक्त दस प्रस्तावों में से सरकार ने कुछ शर्तों के आधार पर निम्नलिखित (1) यूनाईटेड वर्ल्ड कालेज, पुणे के पास, (महाराष्ट्र), (2) कनाडियन स्कूल, बंगलौर (3) महर्षि हैवन आन अर्थ डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (4) इन्डो-कनाडियन अकादमी, कलकत्ता और (5) वर्की इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, लोनावला (महाराष्ट्र) को अनुमोदन प्रदान किया। नई दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल से प्राप्त प्रस्ताव को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। प्रस्तुत किए गए बाकी के प्रस्ताव उपयुक्त नहीं पाए गए।

सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सामान्य नीति तैयार नहीं की है तथा इन प्रस्तावों के प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के अधार पर विचार किया जाता है।

श्री सवशीभाई मकवाना : अध्यक्ष महोदय, स्कूल की शिक्षा की जो बात है, हमारी सरकार प्राचीन संस्तुति की बात करती है और विदेशी संस्थाओं को मान्यता दी गई है। इस देश में पुरानी शिक्षा पद्धति है। गांधीवादी शिक्षा पद्धति बुनियादी शिक्षा है और इसे खत्म करने की बात है। यह ठीक नहीं है। आप स्वेदशी की बात करते हैं। गुजरात में ऐसी उच्च शिक्षा गांव, इलाकों, कस्बों, तहसीलों और डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं है। मेरा कहना है कि सब जगह पिछड़े वर्गों में, गांवों, इलाकों, तहसीलों में ऐसी शिक्षा मिले। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी सुविधा करने का इरादा रखती है या नहीं?

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि इन विदेशी संस्थाओं द्वारा या व्यक्तियों द्वारा चलाये गये जिन विद्यालयों के नाम मैंने लिये हैं, उन सब को संस्तुति दे दी गई है या हमने संस्तुत किया है, ऐसी स्थिति नहीं है। इसमें क्रमांक एक पर यूनाइटिड वर्ल्ड कालेज को केबिनेट एप्रूवल 1992 में दिया गया था। केनेडियन स्कूल, दिल्ली अभी तक एप्रूव्ड नहीं है। भारतीय इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को 1994 में एप्रूवल दिया गया था। महर्षि हैवन ऑन अर्थ डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० को बहुत अच्छी शर्तों के साथ इसकी अनुमति दी गई है। केनेडियन स्कूल चंडीगढ़ अभी तक एप्रूव्ड नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल, मद्रास, यह भी एप्रूव नहीं हुआ है। इंडिया केनेडियन एकेडमी, कलकत्ता को 1999 से दो साल के लिए एफ०आई०पी०बी० के द्वारा एप्रूवल मिला था, लेकिन अभी तक यह विद्यालय चला नहीं है। नई दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल का प्रस्ताव विचाराधीन है, इसलिए यह कहना है कि कुछ इस सरकार ने कर दिया है, यह सत्य नहीं है। जहां दूसरे प्रश्न का सवाल है, वह व्यापक शिक्षा नीति से सम्बन्धित आपका प्रश्न है, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। आप उसका अलग से नोटिस दीजिए। शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन होंगे, क्या होने चाहिए, उस पर जरूर बहस होनी चाहिए।

श्री सवशीभाई मकवाना : मैंने अन्त में जो सवाल पूछा है, उसका जवाब आपने सही तरीके से नहीं दिया। संस्कृति की बात करते हैं, गुजरात का मेरा अनुभव है, गुजरात में माध्यमिक शिक्षा के लिए कोई अनुमति दी ही नहीं जाती।

[अनुवाद]

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, यह अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न स्कूली शिक्षा में विदेशी निवेश से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री सवशीभाई मकवाना : विदेश की संस्थाओं को क्यों परमीशन दी जाती है, यह मेरा सवाल है। यह देश बड़ा विशाल है, यहां की भी अपनी संस्कृति है। यहां की संस्थाओं को मान्यता दी जानी चाहिए।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : मैंने आपसे निवेदन किया कि हमने अभी तक कोई अनुमोदन नहीं किया है। जो अनुमोदन हैं, वे 1992, 1994 और 1996 के हैं, वे मैंने आपके सामने रखे हैं। एक प्रस्ताव हमारे सामने आया, उस पर हम विचार कर रहे हैं। एफ०आई०पी०बी० ने डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट के नाते से यदि कोई अनुमोदन दिया होता है, तो शिक्षा मंत्रालय का उसमें अनुमोदन नहीं होता, इसलिए हमने कोई विदेशी शिक्षा देने वालों को यहां बुलाया है या उनको अनुमोदन दिया है, ऐसा नहीं है और भारतीय संस्कृति की बात तो सारा सदन करता है, केवल मैं ही नहीं करता।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सरकार की जो अपनी योजनाएं हैं, उनमें सरकार ने हमें अवगत कराया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो प्राइमरी विद्यालय हैं, वे या तो एकल चलाये जा रहे हैं, खाली एक शिक्षक से या वहां पर शिक्षक हैं ही नहीं, जबकि बिल्डिंग बनी हुई है। उच्चतर और माध्यमिक स्तर पर बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी है। विद्यालय ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस सम्बन्ध में इनकी क्या योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। अतः इसे पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न पूछने जा रहा हूं। हम एजुकेशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को यहां पर रजिस्टर्ड करने की बात कर रहे हैं। मैं तुर्की का उदाहरण दूंगा। यह एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है लेकिन इसकी साक्षरता दर भारत से अधिक है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को यहां पर लाने का क्वश्चन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ-साथ, मेरे पास कुछ ठोस जानकारी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण देंगे या सप्लीमेंटरी पूछेंगे? इसमें भाषण नहीं देना है।

[अनुवाद]

अन्यथा, मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछते हुए संक्षेप में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ-साथ एन० आर०आई० इंस्टीट्यूशंस भी आ रही हैं। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है। एक एन०आर०आई० इंस्टीट्यूशन है, जो अपना एस्टेब्लिशमेंट लखनऊ में करना चाहती है, लेकिन उस एन०आर०आई० इंस्टीट्यूशन का कोई भी रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं है।

अगर जो एजुकेशन पालिसी है, उसके अंतर्गत यह सवाल आता है या नहीं, क्योंकि यह पब्लिक एमिनिटी का सवाल है।

[अनुवाद]

यह जन-सुविधाओं का प्रश्न है। मेरे पास ठोस जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से अब यह पता चला है कि कुछ शर्तों पर दस प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मंजूरी देने की क्या शर्तें हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार किसी अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल की मंजूरी के संबंध में कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है अथवा बनाने का विचार है?

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, यूनाईटेड वर्ल्ड कालेज को अनुमति दी गई, उसका प्रपोजल 1992 में इस शर्त पर मंजूर किया गया था कि उसमें छात्र, अध्यापक और गैर-अध्यापक कर्मचारियों की अधिकांश संख्या, मेजोरिटी संख्या, भारतीयों की होगी। इस शर्त को मानने के बाद इस स्कूल को अनुमति दी गई। इसके बाद जिस स्कूल को अनुमति दी गई उसमें महर्षि हैवन ऑन अर्थ डेवलपमेंट कार्पोरेशन है। इस आधार पर अनुमति दी गई है—

[अनुवाद]

(क) अनिवासी भारतीय विद्यार्थियों की संख्या कुल संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) सभी विद्यालय केन्द्रीय सेकेन्डरी शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्ध होंगे और उनमें सह-शिक्षा प्रणाली होगी; और

(ग) कुछ जरूरतमंद और योग्य विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवायी जाएगी।

श्री लक्ष्मण सेठ : मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कोई नीति बना रही है। माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैजोरिटी आफ टीचर्स है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : आपने विदेशी प्रदत्त संस्थाओं के बारे में बताया है। क्या आपकी जानकारी में यह विषय है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बसे जिलों में बहुत सारे विद्यालय और उच्च स्तर शिक्षा के ऐसे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं जो बिना अनुमति के विदेशी सहायता से चलाए जा रहे हैं?

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उन विद्यालयों से सम्बन्धित है, जिन्हें सरकार ने अनुमति दी है। अगर माननीय सदस्य कोई ऐसी जानकारी देंगे कि किसी स्थान पर ऐसे विद्यालय चल रहे हैं, हम अवश्य उसकी जानकारी कराएंगे।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में भारत-सरकार ने गुजरात सरकार को एक परिपत्र भेजा है जिसमें उनसे इस तरह के संस्थानों के बारे में कुछ सूचना देने के लिए कहा गया है। मेरा मुद्दा यह है। यह परिपत्र विदेशी निवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देश-भर के विद्यालयों को क्यों नहीं भेजा गया— क्या यह कानूनी है अथवा गैरकानूनी? यह परिपत्र केवल गुजरात सरकार को ही क्यों भेजा गया था?

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : जहां से शिकायत आती है, उसके सम्बन्ध में जानकारी लेने के लिए हम राज्य सरकारों से पूछते हैं। यदि कोई ऐसा स्कूल या संस्था पाई जाए जो अनियमित है, जिसने

किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली है और विदेशी पैसे से चल रही है, उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। आपके पास और जानकारियां हैं तो हमें दें, हम उन राज्यों से पूछ लेंगे।

श्री माणिकराव होडल्या गावित : महाराष्ट्र में युनाइटेड वर्ल्ड कालेज को 1992 में मंजूरी दी है, लेकिन वर्की इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, लोनावाला को जो अनुमोदन प्रदान किया है, इस ट्रस्ट के मैनजमेंट में कौन हैं और वहां जो कार्यरत शिक्षक हैं, क्या वे भारतवासी हैं या बाहर से आकर शिक्षा दे रहे हैं?

डा० मुरली मनोहर जोशी : वर्की इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को अक्तूबर, 1997 में अनुमति दी गई थी और यह फॉरेन इन्वैस्टमेंट प्रमोशन 1530 लाख रुपए की इक्विटी रिपेट्रिएबल बेसेज पर दी थी। उसके प्रबंधन के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

शरणार्थी-समस्या

+

*406. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री डा० रमेश चंद तोमर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 2000 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "नो लॉ टू टैकल रिफ्यूजी प्रॉब्लम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इस समय देश में राज्य-वार शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी है और उनकी राष्ट्रीयता क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई कानून न होने के कारण सरकार को इस समस्या से निपटने में कठिनाई हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कानून बनाए जाने और उसे क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। शरणार्थियों की जनसंख्या विभिन्न कारणों से समयानुसार घटती-बढ़ती रहती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) शरणार्थियों से निपटने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है और वर्तमान कानून, कुल मिलाकर, पर्याप्त समझे गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

31.12.1999 की स्थिति के अनुसार भारत में शरण लेने वाले विदेशियों का राज्य और देश-वार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	तिब्बती	श्री-लंकाई	अफगानी	अन्य	कुल
1.	अण्डमान निकोबार	—	—	—	50	50
2.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	01	02	03
3.	अरूणाचल प्रदेश	7356	—	—	38212*	45574
4.	बिहार	18	—	01	02	21
5.	चंडीगढ़	—	—	—	03	03
6.	दिल्ली	57	—	52	275	384
7.	गोवा	—	—	01	—	01
8.	हरियाणा	39	—	1021	03	1063
9.	हिमाचल प्रदेश	17416	—	—	—	17416
10.	जम्मू तथा कश्मीर	6755	—	02	04	6761
11.	कर्नाटक	27113	242	01	07	27363
12.	मध्य प्रदेश	1337	—	05	01	1343
13.	महाराष्ट्र	1181	—	08	16	1205
14.	मेघालय	390	—	—	—	390
15.	उड़ीसा	3273	100	—	07	3380
16.	पांडिचेरी	—	30	—	—	30
17.	पंजाब	—	—	49	—	49
18.	राजस्थान	—	—	—	736	736
19.	सिक्किम	2524	—	—	—	2524
20.	तमिलनाडु	155	84500	—	—	84655
21.	उत्तर प्रदेश	6277	—	32	30	6339
22.	पश्चिम बंगाल	2339	—	02	75	2416
	कुल					201706

* मुख्यत: चकमा शरणार्थी।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, इस देश में हमारी जनसंख्या समस्या के कारण कई कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा, हमारे पड़ोसी देशों की सीमाओं से बड़ी संख्या में शरणार्थी आते जा रहे हैं। असम में यह समस्या विद्यमान है और पश्चिम बंगाल में भी यही समस्या है। जो आंकड़ा यहां दिया गया है वह 2,01,706 है जोकि एक मान्यता प्राप्त संख्या है। परन्तु यह एक संख्या मात्र नहीं है। अभिलेखों के अनुसार अभी तमिलनाडु सबसे ऊपर चल रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। या, फिर उन्य देशों से इन लोगों को वापस लेने के लिए कहा जाएगा? क्या ऐसा कोई समयबद्ध कार्यक्रम है जिसके द्वारा या तो इन्हें मान्यता दी जाएगी अथवा इन्हें वापस भेजा जाएगा? मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय का क्या जवाब है।

श्री सीएच० विद्यासागर राव : जहां तक श्रीलंका और तिब्बत से आने वाले शरणार्थियों का संबंध है, उन्हें शरणार्थी का दर्जा प्राप्त है। उनकी देखभाल भारत सरकार द्वारा की जा रही है। श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए, हालांकि उनकी संख्या विशाल है, बड़ी संख्या में केन्द्र बनाए गए हैं और उनका भरण-पोषण किया गया है। जहां तक तिब्बती शरणार्थियों का संबंध है, ऐसा किया जा रहा है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह शरणार्थियों को स्थाई नागरिकता दिए जाने के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री सीएच० विद्यासागर राव : जहां तक नागरिकता का संबंध है, शरणार्थियों को नागरिकता देने का कोई सवाल नहीं है। उन्हें बस शरणार्थी का दर्जा प्राप्त है।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : ऐसा है कि अधिकतर राज्यों में चुनावों के दौरान, बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता, जिनके नाम मतदाता सूची में मौजूद नहीं है, मतदान कर रहे हैं और इस प्रकार के परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं। ये शरणार्थी ऐसी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमें या तो उन्हें नागरिकता देनी होगी या फिर निष्पक्ष चुनावों के लिए इस स्थिति से निपटना होगा। मंत्री जी, आप इनको कैसे रोकेंगे? आप उन लोगों को नागरिकता देना नहीं चाहते हैं। आप उनको मतदान करने का अधिकार देना नहीं चाहते हैं। साथ ही, आप चाहते हैं कि वे हमारे देश में ही रहें। ऐसी स्थिति कब तक जारी रहेगी। आप चुनावों के समय उनको मत देने से कैसे रोकेंगे?

श्री सीएच० विद्यासागर राव : इन शरणार्थियों को परोक्ष मतदान करने से रोकना और ऐसी कई अन्य बातों का निपटारा इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। इन सब परिस्थितियों को देखना स्थानीय पुलिस और चुनाव आयोग का काम है।

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि 1947 से डेढ़ लाख के लगभग रिफ्यूजीज जम्मू-कश्मीर में आबाद हैं? आज 50-53 साल बीत जाने के बाद भी उनको शहरी हकूक नहीं मिले हैं और आज भी वे लोकल पार्टी के पंचायत के चुनावों में खड़े नहीं हो सकते।

[अनुवाद]

श्री सीएच० विद्यासागर राव : जम्मू और कश्मीर से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर के मामले में सरकार गंभीर नहीं है। कल से आज तक जम्मू-कश्मीर पर हम चर्चा कर रहे हैं। *(व्यवधान)* वहां रोज हत्याएं हो रही हैं और यह कश्मीर के बारे में स्पष्ट जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनवाद]

श्री सीएच० विद्यासागर राव : जम्मू-कश्मीर में जो युद्ध जैसी स्थिति है, उसकी वजह से काफी लोगों ने वहां से पलायन किया है। उन्हें शिविरों में स्थान दिया गया है। शरणार्थियों की सभी सूक्ष्म जानकारी सदस्य महोदय को भेजी जाएगी *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या शरणार्थी स्थानीय निकायों के चुनावों में लड़ सकते हैं या नहीं?

(व्यवधान)

श्री सीएच० विद्यासागर राव : जहां तक जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों का संबंध है, उन्हें शिविरों में रखा जाता है।

शरणार्थियों द्वारा स्थानीय निकायों के चुनावों में लड़ने के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यह राज्य का मामला है और राज्य सरकार इन सब बातों को देख रही है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष जी, आप शासन को आदेश दें कि वह गंभीरता से जवाब दे, जम्मू-कश्मीर का मामला है। उनका सीधी-सच्चा सवाल है और उसका जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं तो जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को आप क्या रोकेंगे?

अध्यक्ष महोदय : लोकल बॉडीज सलैक्शन का मामला है। राज्य सरकार को उन्हें मताधिकार देना होगा।

(व्यवधान)

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : लोकल बॉडीज के पंचायत के चुनाव में वे खड़े नहीं हो सकते। पचास साल में आज तक उन्हें शहरी हकूक नहीं मिल सके हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मंत्री महोदय को पूरी तरह से तैयार हो कर आना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय और सदस्यों को भी पूरी तरह से तैयार होकर आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक लगभग एक करोड़ लोग सीमा पार से पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं। यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन शरणार्थियों का पुनर्वास करे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने उन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार से समुचित सहायता एवं सहयोग प्राप्त करने से संबंधित एक संकल्प पारित किया है। परन्तु दुर्भाग्यवश केन्द्र सरकार ने शरणार्थी पुनर्वास विभाग को बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार और शरणार्थियों के संयुक्त संगठन ने उन शरणार्थियों के लिए जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में दीनहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, के पुनर्वास के लिए कम से कम दस करोड़ रुपए की मांग की है।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या सरकार पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों के लिए इस पुनर्वास पैकेज पर विचार करने के लिए तैयार है क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता है कि पंजाब की तरह संयुक्त बंगाल ने भी शानदार तरीके से योगदान किया है *(व्यवधान)* यदि हम अंडमान-निकोबार जाते हैं तो आप सेल्यूलर जेल देख सकते हैं। *(व्यवधान)* इस पर कैदियों के नाम लिखे हैं। *(व्यवधान)* ऐसा महसूस किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और बंगाल के इन शरणार्थियों की देखभाल नहीं कर रही है। यह केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है कि उनका पुनर्वास करे।

क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या उसके पास इन अभागे लोगों के पुनर्वास से संबंधित कोई योजना है?

श्री सीएच० विद्यासागर राव : विभाजन के बाद ज्यादातर लोगों ने बंगाल में प्रवेश किया है। उनके साथ विस्थापित व्यक्तियों सा व्यवहार किया जाता है शरणार्थियों सा नहीं। सरकार ने पुनर्वास विभाग को बंद नहीं किया है। काम को पूरा किया गया है। केवल बाकी कार्य चल रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चतुर्वेदी जी, अध्यक्षपीठ की अनुमति के बगैर अनुपूरक प्रश्न पूछने का यह तरीका उचित नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको अध्यक्षपीठ की अनुमति लेनी होगी।

(व्यवधान)

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : देश के अन्य हिस्सों की तुलना में तमिलनाडु में शरणार्थी अधिक संख्या में आये हैं। समूचे तमिलनाडु में लगभग 85,000 शरणार्थी हैं, और वे भी श्रीलंका से आए हुए शरणार्थी हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन शरणार्थियों को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने का अधिकार है। आपने जिस आकड़े को उद्धृत किया है, वह तमिलनाडु में व्याप्त स्थिति की तुलना में काफी कम है। मतदाता-सूची में लाखों शरणार्थियों के नाम शामिल किये गये हैं। मतदाता-सूची से इनका नाम हटाने के लिए सरकार कौन से उपाय करने वाली है? मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री सीएच० विद्यासागर राव : महोदय, उनको नागरिकता नहीं दी जा सकती है और उनका नाम मतदाता-सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार को इस बात की सावधानी रखनी होगी कि उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाए। *(व्यवधान)*

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या सरकार तमिलनाडु की मतदाता सूची में लाखों शरणार्थियों के नामों को शामिल किए जाने के संबंध में राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार करेगी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का जबाव दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री सीएच० विद्यासागर राव: माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है, हम उसे सुझाव के रूप में लेते हुए राज्य सरकारों को पत्र लिखेंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें एक गम्भीर असंगति पैदा हो गई है। प्रश्न है - क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 2000 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "नो ला टू टैकल रिफ्यूजी प्राबल्म" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है? देश में उन्होंने रिफ्यूजियों की संख्या के संबंध में पूछा है। उत्तर में जो मंत्री जी ने चार्ट दिया है, उसमें उन्होंने बतलाया है कि दिल्ली में मात्र 384 रिफ्यूजी हैं। सब जानते हैं कि देश में हजारों की संख्या में जम्मू-कश्मीर से शरणार्थी आए हैं, जो वर्षों से यहां पड़े हैं। उनका रिहैबिलिटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जवाब दिया जा रहा है कि कुल 384 रिफ्यूजी हैं। यह स्थिति अस्पष्ट है। सरकार ने इसको जानबूझकर छिपाया है और गलत जानकारी दी है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जम्मू-कश्मीर से कुल कितने रिफ्यूजी दिल्ली के अन्दर हैं और उनके पुनर्वास के बारे में सरकार क्या करने जा रही है? ये तथ्य चूंकि गलत दिए गए हैं, इस बारे में वे स्पष्टीकरण दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सीएच० विद्यासागर राव : दिल्ली और इसके आस-पास रह रहे जम्मू-कश्मीर के लोग विस्थापित लोग हैं। वे शरणार्थी नहीं हैं। इसलिए, यह अनुपूरक प्रश्न नहीं बनता। *(व्यवधान)* यह एक अलग प्रश्न है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। आप अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं और सभा में शोर भी कर रहे हैं। कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सीएच० विद्यासागर राव : मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो लोग जम्मू कश्मीर से पलायन कर गए हैं *(व्यवधान)* मुझे प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी जाए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सीएच० विद्यासागर राव : जम्मू-कश्मीर से पलायन करने वाले लोग शरणार्थी नहीं हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चतुर्वेदी जी, बहुत हो चुका। आप हमेशा ही बीच-बीच में व्यवधान पैदा करने लगते हैं।

(व्यवधान)

श्री सीएच० विद्यासागर राव : जम्मू-कश्मीर से आने वाले लोग केवल विस्थापित लोग हैं। उन्हें शरणार्थी नहीं कहा जा सकता *(व्यवधान)* वे भारत के नागरिक हैं। इन लोगों से संबंधित आंकड़े एवं कोण अलग हैं। इसकी एक अलग क्रियाविधि है। विस्थापित लोगों को शरणार्थियों से जोड़ना उचित नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

श्री सीएच० विद्यासागर राव : विस्थापित लोगों और शरणार्थियों में काफी फर्क है। *(व्यवधान)*

डा० नीतिश सेनगुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राज्य मंत्री जी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा कि यह कहने का, क्या तात्पर्य है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोग शरणार्थी नहीं, बल्कि विस्थापित लोग हैं? मैं जानता हूं कि नेहरू-लियाकत समझौते के द्वारा एक विभेद किया गया था, जिसके विरोध में डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने इस्तीफा दिया। यह एक मुद्दा था। परन्तु बात यह है कि उसके बाद उन लोगों के साथ काफी कुछ हुआ है जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया, जैसे कि 1965 के कुख्यात अध्यादेश जिसे तत्कालीन पाकिस्तान ने पारित किया था, के अनुसार हिन्दुओं की सभी संपत्तियों को शत्रु की संपत्ति माने जाने की घोषणा की गई थी। उन्हें आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि से पूरी तरह से वंचित रखा गया है। इसलिए, आज यह कहना कि वे शरणार्थी नहीं, बल्कि विस्थापित लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में यह स्वीकार्य नहीं है।

श्री सीएच० विद्यासागर राव : महोदय, शरणार्थियों की संख्या और उनके रहने के स्थानों इत्यादि के संबंध में विवरण स्पष्ट रूप से अनुबंध में दिया गया है। जहां तक इस अनुपूरक प्रश्न का संबंध है, शरणार्थियों को अपने देश वापस जाना होगा और विस्थापित लोगों को भारत में रहना है। हम शरणार्थियों को अवैध प्रवासियों से नहीं जोड़ सकते। हम केवल शरणार्थियों से संबंधित चर्चा कर रहे हैं और विभिन्न देशों के शरणार्थियों को स्पष्ट रूप से अनुबंध में दर्शाया गया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

ग्रामीण प्रौद्योगिकी

+

***407. श्री नवल किशोर राय :**
श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पचास वर्षों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी में से मात्र 15 प्रतिशत प्राद्योगिकी का ही उपयोग किया गया है जैसा कि 3 जून, 2000 के "बिजनेस स्टेडर्ड" में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) नये अनुसंधान को देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कापार्ट ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए कुछ प्रख्यात व्यक्तियों के एक महत्वपूर्ण समूह (कोर ग्रुप) का गठन किया था;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(च) उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए आज तक कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों के उपयोग का आकलन करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन आने वाले अनुसंधान संस्थानों द्वारा निर्मित प्रौद्योगिकियों को अनुकूल बनाने वाले परीरक्षणों और व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से मान्य और परिष्कृत बनाया जाता है। इसके पश्चात् ऐसी प्रौद्योगिकियों को राज्य विभाग के कार्यकारियों को सौंपा जाता है जो इन प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाते हैं। प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए व्यक्तिगत संपर्क, समूह बैठकों, किसानों/महिला किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन, समाचार और संचार माध्यम जैसी विभिन्न विस्तार निधियां विकसित की जाती हैं। राज्य के कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केन्द्र भी अपने प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अंतराल के लिए प्रशिक्षण/प्रदर्शन किसान मेलों और "फील्ड डेज" का आयोजन करते हैं। गैर-सरकारी सगंठन, किसानों के संगठन, सहकारी समितियों, इनपुट एजेंसियों और निजी विस्तार सेवा प्रदान करने वाले ऐसे प्रयासों में सहयोग देते हैं।

वर्ष 1999 में मै० कपार्ट ने अपने ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास स्कंध के लिए रणनीति और कार्य-योजना तैयार करने के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दल का गठन किया। इस दल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्योन्मुख अनुसंधान, प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के प्रसार और कृषक आधारित ग्रामीण प्रौद्योगियों के विकास में सहायता के लिए मै० कपार्ट के ग्रामीण प्रौद्योगिकी संबंधी क्रिया-कलापों और प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों के नेटवर्क के विस्तार की सिफारिश की। महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दल ने प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों को विशिष्ट कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए 3-5 वर्ष की अवधि के लिए सहायता दिए जाने का भी सुझाव दिया और इस बात पर बल दिया है कि स्थितियों की विशिष्टियों के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मै० कपार्ट को देश के वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों और समुदाय के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना चाहिए।

मै० कपार्ट ने सितम्बर, 1986 में अपनी स्थापना के समय से आज तक ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजनाओं के अंतर्गत लगभग 47 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 407 में मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं उससे असंतोष व्यक्त करता हूं। मैंने 3 जून, 2000 के बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार विभिन्न वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी के मात्र 15 प्रतिशत प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में पूछा था, उसका स्पष्ट उत्तर नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रौद्योगिकियों के उपयोग का आकलन करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन अभी तक नहीं कराने की बात की गई है। महोदय, आजादी के 50 वर्ष बीत चुके हैं और हम स्वर्ण जयंती वर्ष भी मना चुके हैं। हम यह चिन्ता प्रकट करते हैं कि जो प्रौद्योगिकी डेवलप की जा रही है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में गांव तक पहुंचा कर जो उपयोग होना चाहिए, वह नहीं हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने उत्तर में बताया है कि व्यक्तिगत संपर्क, समूह बैठकों, किसानों/महिला किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन, समाचार और संचार माध्यम जैसी विभिन्न विस्तार निधियों द्वारा जो उपाय बताए गए हैं, उसके क्या फलाफल हुए हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा प्रश्न है, आपको अच्छा सप्लीमेंट्री पूछना है।

श्री नवल किशोर राय : उसकी कोई मोनिटरिंग हुई है या नहीं और अगर हुई है तो उसका क्या फल निकला है? क्या आप कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराने वाले हैं अथवा नहीं?

[अनुवाद]

श्री ए० राजा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जवाब में यह बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के उपयोग का आकलन करने के लिए अभी तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। परन्तु मंत्रालय और कपार्ट द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि ग्रामीण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में थोड़ी ही सफलता प्राप्त की गई है। हमें ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करना चाहिए कि हमें इसमें सुधार करना है और हम प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र के माध्यम से इसमें सुधार कर रहे हैं। पूरे देश मे 15 प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र हैं और यदि वित्त मंत्री जी द्वारा बजटीय सहायता प्रदान की जाती है तो हम इसका विस्तार करने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : महोदय, वर्ष 1999 में कपार्ट ने जो प्रौद्योगिकी विकास स्कंध के माध्यम से सिफारिश दी, इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि कृषक आधारित ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास में सहायता के लिए कपार्ट के ग्रामीण प्रौद्योगिकी संबंधी क्रियाकलापों और प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों के नेटवर्क के विस्तार की सिफारिश की। इन 3-5 वर्ष की अवधि के लिए सहायता दिए जाने का भी सुझाव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इन सुझावों को कब से लागू करेंगे और उसमें कितनी धनराशि खर्च करना चाहते हैं?

श्री ए० राजा : महोदय, जहां तक कपार्ट का संबंध है, हमारे पास हमारी अपना प्रौद्योगिकी तंत्र है और हम उन दो संस्थानों पर आश्रित हैं जो कृषि मंत्रालय के अधीन हैं।

ये हैं – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये दो केन्द्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी में कपार्ट को सहायता पहुंचाने में सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं।

वस्तुत:, पिछले पचास साल में, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 3,000 से ज्यादा प्रौद्योगिकियों का विकास किया है और 2,000 प्रौद्योगिकियों को अनुज्ञप्ति दी हैं जिनका 6,000 ग्राहकों द्वारा व्यावसायिक रूप से लाभ उठाया गया है। इन दो संस्थानों के अलावा, हम प्रशिक्षण संसाधन केन्द्रों पर विशेष रूप से आश्रित हैं जिन्हें चेन्नई स्थित डा० एम०एस० स्वामीनाथन फाऊंडेशन सेन्टर और देश के अन्य केन्द्रों को सौंपा गया है। जैसा मैंने पहले कहा है, हम प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्र स्थापित कर इसका विस्तार करने के लिए तैयार हैं। हम भविष्य में प्रशिक्षण केन्द्रों पर भी विचार करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : यह बहुत ही अच्छा जवाब है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ा प्वाइंटिड क्वश्चन किया था लेकिन मंत्री महोदय ने उसका उत्तर नहीं दिया। केवल कागजों में ही काम हो रहा है। गांवों में कोई काम नहीं हो रहा है। हम इसमें आपका संरक्षण चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी आपके मैम्बर ने मिनिस्टर के रिप्लाई को एप्रिशिएट किया है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, कपार्ट एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कुछ कर सकती है। हमने अपने क्षेत्र में यह देखा है कि उसका बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है। वे संस्थाएं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया है, खास तौर से वे संस्थाएं जो कागज में बहुत मजबूत हैं लेकिन जमीन पर बिल्कुल जीरो हैं, उनको बार-बार अनुदान दिया जाता है। हमने कई दफा इसके बारे में शिकायत भी की लेकिन नीचे के ऑफिसर इस तरह से कार्रवाई करते हैं कि उसका कोई असर नहीं होता। यह सम्भव नहीं है कि एक जन प्रतिनिधि एक-एक केस लेकर उसकी शिकायत करे।

अध्यक्ष महोदय : समय ज्यादा नहीं है।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : हमारे क्षेत्र खास तौर से गोरखपुर मंडल, देवरिया संसदीय क्षेत्र में ऐसी संस्थाओं के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई की सूचना मंत्री जी को है तो हमें बताने की कृपा करें। इसमें जन प्रतिनिधि जो कुछ कहें, उसकी ठीक से सुनवाई हो। कापार्ट जब इन संस्थाओं को मदद देती है, क्या उसमें हम लोगों को सम्बद्ध किया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री ए० राजा : प्रश्न का संबंध ग्रामीण प्रौद्योगिकी से है। परन्तु माननीय सदस्य ने कुछ संगठनों की कुछ कमियों के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : वह भी सांसदों को शामिल करते हुए।

श्री ए० राजा : यदि लिखित रूप से कोई विशेष आरोप लगाया जाता है तो मैं उसपर गौर करूंगा। वस्तुत: 245 संगठनों को काली सूची में रखा गया है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है।

श्री रमेश चेन्नितला : वर्ष 1999 के दौरान, कपार्ट द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु एक कार्य योजना बनाने के लिए एक कोर ग्रुप गठित किया गया। उन्होंने कतिपय सुझाव भी दिए थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोर ग्रुप द्वारा अनुशंसित सुझावों को सरकार द्वारा स्वीकृत और कार्यान्वित किया गया है।

कपार्ट द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 47 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इस राशि को उचित रूप से उपयोग न किए जाने के आरोप लगे हैं। क्या मंत्री जी इसपर गौर करेंगे?

श्री ए० राजा : महोदय, अभी तक कपार्ट द्वारा 1068 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। यदि माननीय सदस्य द्वारा कोई विशिष्ट आरोप लगाया जाता है, तो मैं उसपर गौर करूंगा।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : प्रौद्योगिकी के निर्माण और विस्तार सेवाओं के संबंध में कई प्रकार की पारेषण हानियां हैं। यह एक स्थापित सत्य है। जहां तक मूल्यांकन अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। सरकार ने किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया है। चूंकि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी के उपलब्ध कराने के मामले में उन्होंने कुछ संस्थान स्थापित किए हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय प्रौद्योगिकी को सार्थक रूप से उपलब्ध कराने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत ऐसा कोई संस्थान स्थापित करने वाले हैं?

श्री ए० राजा : महोदय, हम भारतीय कृषि अनुसंधान के अन्तर्गत सीधे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह संस्थान कृषि मंत्रालय के अधिकार में आता है। परन्तु हम उस केन्द्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं और हम इसे प्रशिक्षण संसाधन के माध्यम से कार्यान्वित कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए भूमि

*401. श्री के०एच० मुनियप्पा :
श्री रमेश सी० जीगाजीनागी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 के दौरान डा० अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों से हथियाई गई भूमि/कृषि भूमि उन्हें वापस देने की एक योजना बनाने तथा इसके क्रियान्वयन की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) मंत्रालय द्वारा आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने और वितरित करने के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(घ) अन्य लोगों की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के पास कितनी भूमि है तथा देश की कुल कृषि भूमि का यह कितना प्रतिशत है; और

(ङ) नौवीं योजना के दौरान सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए भूमि/कृषि भूमि प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) बाबासाहेब डा० अम्बेडकर जन्मशती समारोह संबंधी स्थायी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की अपवर्तित भूमि को वापस दिलाने की भी सिफारिश की थी।

2. भूमि एक राज्य विषय है और बहुत से राज्यों ने अनुसूचित जातियों/अनुसचित जनजातियों के लोगों की भूमि के अपवर्तन को रोकने और अपवर्तित भूमि को वापस दिलाने के लिए कानून बनाए हैं। केन्द्रीय सरकार जनजाति की भूमि के अपवर्तन को रोकने और उसे वापस दिलाने सहित भूमि सुधार संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों पर निगरानी रखती है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्र द्वारा वित्तपोषित कोई कार्यक्रम नहीं है।

3. कृषि संबंधी गणना, 1990-91 से उपलब्ध हुए आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्यों के पास क्रमश: 325.43 लाख एकड़ (13.17 मिलियन हैक्टेयर), 442.56 लाख एकड़ (17.91 मिलियन हैक्टेयर) और 3321.52 लाख एकड़ (134.42 मिलियन हैक्टेयर) कृषि किया गया क्षेत्र होने की सूचना दी गई थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि इस कृषि किए गए क्षेत्र में से 12.84 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र अनुसूचित जातियों के स्वामित्व में था और 17.37 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व में था। 1990-91 के दौरान कृषि किए गए कुल क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्यों का भाग क्रमश: 8.0 प्रतिशत, 10.8 प्रतिशत और 81.2 प्रतिशत था। जनसंख्या संबंधी जनगणना, 1991 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) में से अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 16.48 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 8.08 प्रतिशत थी। विगत कृषि संबंधी गणना के आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि किए गए कुल क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कृषकों का भाग जो 1980-81 में 7 प्रतिशत था 1990-91 में बढ़कर 8.0 प्रतिशत हो गया था और अनुसूचित जनजाति के कृषकों का भाग उसी अवधि में 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 10.8 प्रतिशत हो गया था।

4. केन्द्रीय सरकार ने (जुलाई, 1972 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के आधार पर) मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटन में प्राथमिकता देने की व्यवस्था है। कृषि जोतों के संबंध में अधिकतम सीमा लागू करके राज्य सरकारों द्वारा अर्जित भूमि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों सहित ग्रामीण गरीबों को वितरित की जाती है। सरकारी बंजरभूमि और भूदान भूमि भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित ग्रामीण गरीबों को वितरित की जाती है। इस कार्यक्रम के शुरू करने की तारीख से लेकर दिसम्बर, 1999 तक अधिकतम सीमा से फालतू लगभग 52.87 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र और 147.74 लाख एकड़ सरकारी बंजरभूमि और 21.75 लाख एकड़ भूदान भूमि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित ग्रामीण गरीबों को वितरित की गई है। ग्रामीण गरीबों को वितरित अधिकतम सीमा से फालतू भूमि की लगभग 50 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को क्रमश: 36 प्रतिशत और 14 प्रतिशत के अनुपात में आबंटित की गई है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

*402. डा० (श्रीमती) सुधा यादव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सभी योजनाओं का नियंत्रण-महालेखापरीक्षक से लेखा-परीक्षा कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत समूह-बीमा-योजना में धोखाधड़ी का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें कितनी धनराशि संलिप्त है; और

(ङ) इस मामले में दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ और सिहोर जिलों में स्थित केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं में पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक जीवन बीमा योजना में धोखाधड़ी के मामलों का पता चला है। इन मामलों में शामिल राशि क्रमशः 26.08 लाख रुपये और 46.01 लाख रुपये है। केन्द्रीय सहकारी बैंक, राजगढ़ के सभी संबंधित चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सिहोर जिले में दो बैंक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, एक को पदावनत किया गया है, पांच को दंडित किया गया है और तीन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार की अर्थिक अपराध शाखा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471 और 120 बी के अंतर्गत मुकदमा संख्या 19/98 दर्ज किया गया है और सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया गया है। अब तक जीवन बीमा निगम के दो अधिकारियों तथा एक पंचायत निरीक्षक (सिहोर जिले से) सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

कालेजों में विद्यार्थियों को दाखिला

*405. **श्री पी०एस० गढ़वी :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई० सी०टी०ई०) ने वर्ष 2000-2001 में विद्यार्थियों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने और नए संस्थान खोलने और नए पाठ्यक्रम आरंभ करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ए०आई०सी०टी०ई० के इस निर्णय की समीक्षा की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास संबंधी एक उच्चाधिकार प्राप्त कृतिक बल गठित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी संरचना और विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आई०आई०टी०/इंजीनियरिंग कालेजों में विद्यार्थियों के लिए सीटों की संख्या दोगुनी करने तथा इन संस्थानों और इंजीनियरिंग कालेजों के वर्तमान ढांचे में सुधार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (छ) कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुसरण करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शैक्षिक वर्ष 2001-2002 से तकनीकी संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिये द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को आधार बनाने का निर्णय लिया। तद्नुसार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सितम्बर, 1999 में शैक्षिक वर्ष 2000-2001 से नए तकनीकी संस्थान खोलने और नए पाठ्यक्रम शुरू करने और/या पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में दाखिला क्षमता में परिवर्तन करने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये। नए तकनीकी संस्थान खोलने हेतु आवेदन करने के संबंध में यह कहा गया था कि शैक्षिक वर्ष 2000-2001 के लिये नए संस्थान स्थापित करने के संबंध में उन आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जो व्यावहार्यता-पत्र में उल्लिखित शर्तों को पूरी करते हों। इसके उत्तर में, वर्ष 2000-2001/2001-2002 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना संबंधी 1521 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। वर्ष 2000-2001 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अब तक डिग्री स्तरीय 41 इंजीनियरी कॉलेजों, डिप्लोमा स्तरीय 8 इंजीनियरी संस्थानों तथा एम सी ए के लिये 39 संस्थानों को मान्यता प्रदान की है। हालांकि आवेदन पत्र में नए पाठयक्रम शुरू करने और/या पाठयक्रमों या कार्यक्रमों में अनुमोदित दाखिला क्षमता में परिवर्तन करने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे बढ़ते अवसरों को ध्यान मे रखते हुए सरकार द्वारा जून 2000 में इस मामले की समीक्षा की गयी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सलाह दी गयी कि शैक्षिक वर्ष 2000-2001 से सूचना प्रौद्योगिकी में विद्यमान पाठ्यक्रमों तथा इससे संबंधित क्षेत्रों जैसे कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी, एम.सी.ए., दूरसंचार, इलैक्ट्रोनिकी तथा इलैक्ट्रोनिक्स व दूरसंचार में नए पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने/दाखिलों में वृद्धि करने पर विचार करे बशर्ते कि अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं तथा संकाय उपलब्ध हों। तद्नुसार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शैक्षिक वर्ष 2000-2001 से विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में दाखिलों में वृद्धि करने और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये। इन प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है और दाखिला क्षमता में वृद्धि तथा अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को शुरू करने के मामले में परिषद का निर्णय संस्थान को क्रमशः 15 सितम्बर, 2000 तथा 31 अक्तूबर, 2000 तक सूचित कर दिया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास संबंधी एक कार्यबल गठित किया है, जिसकी संरचना

तथा विहित विचारार्थ विषय विवरण के रूप में संलग्न हैं। कार्यबल के विचारार्थ विषयों में से एक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों, अन्य इंजीनियरी कॉलेजों तथा शैक्षिक संस्थानों में विद्यमान आधारभूत सुविधाओं का समुचित उपयोग करने संबंधी योजना तैयार करना ताकि सूचना प्रौद्योगिकी में छात्रों के दाखिले को अगले शैक्षिक वर्ष में दुगुना तथा अगले दो वर्षों में तिगुना किया जा सके।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर कार्यबल

संरचना

कार्यबल में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

1. मंत्री, मानव संसाधन विकास
2. वित्त मंत्री
3. मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी
4. मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश
5. मुख्य मंत्री, कर्नाटक
6. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
7. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
8. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग

निम्नलिखित अधिकारियों को स्थायी विशेष अतिथि के रूप में कार्यबल से सम्बद्ध किया जाएगा:

1. सचिव, विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
2. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
3. सचिव, दूरसंचार विभाग
4. सचिव, व्यय विभाग

कार्यबल, अध्यक्ष की अनुमति से जैसा भी वह उपयुक्त समझे अन्य ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित अथवा उन्हें आमंत्रित कर सकता है और वे विशेष अतिथि के रूप में इसकी किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं।

विचारार्थ विषय

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों एवं अन्य इंजीनियरी कालेजों और शैक्षिक संस्थाओं में विद्यमान बुनियादी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए योजना बनाना ताकि अगले वर्ष से सूचना प्रौद्योगिकी में उनके छात्रों की दाखिला क्षमता को दुगना तथा अगले दो वर्षों में इस संख्या को तिगुना किया जा सके।
2. औपचारिक सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी में शैक्षिक संस्थाओं के मध्य आपसी लाभप्रद सहयोग प्राप्त करने के लिए रूपात्मकताओं के संबंध में सिफारिशें करना।
3. यह सुनिश्चित करने के आवश्यक उपाय करना कि सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा केवल अमीर तथा अंग्रेजी शिक्षित वर्ग तक ही न रह पाए अपितु यह गरीब और ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के परिवारों के छात्रों को उपलब्ध हो।
4. सभी छात्रों के लिए कम्प्यूटर तथा इंटरनेट के प्रयोग द्वारा गैर सूचना प्रौद्योगिकी विषयों के शिक्षण को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देना।

[हिन्दी]

राजभाषा को बढ़ावा

*408. **श्री ब्रह्मानंद मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी भाषा को देश की राजभाषा घोषित किये जाने के बावजूद यह व्यापक प्रयोग में नहीं आ पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) राजभाषा घोषित किए जाने के बावजूद हिन्दी भाषा व्यापक प्रयोग में नहीं आ पाई है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। संघ की राजभाषा घोषित किए जाने के बाद से सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग व्यापक रूप से बढ़ा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। राजकीय संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा राजकीय कागज-पत्र, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र और निविदाएं सभी हिन्दी में जारी होते हैं। संसद में पेश किए गए विधेयक इत्यादि हिन्दी में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। फाइलों पर टिप्पणियां और मूल पत्राचार हिन्दी में हो रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं।

हां, यह स्वीकार करना होगा कि हिन्दी के प्रयोग में अभी भी उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी कि अपेक्षित है। सरकार इस विषय में पूरी तरह सचेत है और लगातार आवश्यक कार्यवाही कर रही है। प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना की नीति पर चलते हुए राजभाषा हिन्दी को लोकप्रिय बनाने और उसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार विभिन्न

प्रोत्साहन योजनाएं भी चला रही है। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार सभी उपलब्ध प्रचार माध्यमों का उपयोग कर रही है।

कार्मिकों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें हिन्दी भाषा, टंकण, आशुलिपि तथा अनुवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिए एक अभियान चल रहा है।

सरकार राजभाषा हिन्दी के विषय में अपने संवैधानिक दायित्वों की ओर पूर्णत: सचेत है और उनको निभाने के प्रति पूर्णत: कटिबद्ध है।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वच्छता/आवास/जल आपूर्ति योजनायें

*409. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण स्वच्छता, आवास और जल आपूर्ति योजनाओं में वर्षवार तथा राज्यवार कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को राज्य-वार और योजना-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) 1997-98 से 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी०आर०एस०पी०), इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०) तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का विवरण क्रमश: संलग्न विवरण I, II और III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

1997-98 से 1999-2000 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां तथा वास्तविक उपलब्धि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय रिलीज (लाख रुपए में)			वास्तविक उपलब्धि (निर्मित शौचालयों की संख्या)		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000*
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	1021.32	1148.93	1074.91	136552	137701	90121
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	40.48	216	216	163
असम	0.00	0.00	133.22	1961	1961	1813
बिहार	0.00	0.00	729.75	31	31	12719
गोवा	3.75	0.00	0.00	4827	4827	8130
गुजरात	215.00	200.00	484.10	26758	26958	1652
हरियाणा	52.42	0.00	0.00	48012	48012	2780
हिमाचल प्रदेश	50.54	70.77	42.13	16455	16526	15518
जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	3742	3742	0
कर्नाटक	1014.55	498.67	997.19	157504	158003	127637
केरल	531.47	731.37	253.03	26424	27155	21701
मध्य प्रदेश	506.86	525.48	438.11	46944	47469	30814
महाराष्ट्र	1285.38	575.28	1838.02	424787	425362	236317
मणिपुर	15.00	45.50	8.96	1311	1357	667

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय	15.91	35.00	0.00	1910	1945	1376
मिजोरम	4.68	21.00	1.89	529	550	236
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0	0	0
उड़ीसा	405.54	315.82	771.04	9421	9737	12586
पंजाब	0.00	53.35	0.00	10326	10379	0
राजस्थान	193.76	193.76	556.80	127324	127518	0
सिक्किम	23.13	28.00	25.43	1424	1452	450
तमिलनाडु	925.93	496.39	1052.49	50332	50828	124411
त्रिपुरा	48.67	24.00	0.00	1782	1806	3894
उत्तर प्रदेश	2641.99	1116.49	737.77	136218	137334	47651
पश्चिम बंगाल	304.21	304.21	0.00	147072	147376	231146
अं० व नि० द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	1968	1968	54
दा० व न० हवेली	0.00	0.00	0.00		0	0
दमन व दीव	0.00	3.50	0.00	31	35	3
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	105	105	0
लक्षद्वीप	2.50	3.50	0.00		4	0
पांडिचेरी	2.50	3.50	2.50	167	171	89
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	357	357	262
कुल	9265.11	6394.52	9187.82	1384490	1390885	972190

*अनंतिम।

विवरण-II

इंदिरा आवास योजना
1997-98 से 1999-2000 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां तथा वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय रिलीज (लाख रुपए में)			वास्तविक उपलब्धि (निर्मित आवासों की संख्या)		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	9603.38	9515.81	11095.40	104115	61430	89823
2.	अरूणाचल प्रदेश	103.21	118.47	841.47	932	470	3210

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	2931.07	5004.32	13820.00	17516	20937	20412
4.	बिहार	15130.72	23478.11	29527.20	103506	125082	165892
5.	गोवा	51.46	29.21	62.26	512	482	333
6.	गुजरात	3424.02	3503.67	3228.33	24439	21820	26351
7.	हरियाणा	758.55	2035.25	1447.92	4505	10043	9843
8.	हिमाचल प्रदेश	467.78	712.84	449.39	1843	3874	3711
9.	जम्मू व कश्मीर	607.12	1079.80	124.01	6172	5400	5830
10.	कर्नाटक	5820.36	5657.27	4337.38	43522	37369	36398
11.	केरल	2148.56	3210.84	3084.74	12834	9452	20716
12.	मध्य प्रदेश	11695.62	14391.74	9168.49	101549	102901	77886
13.	महाराष्ट्र	9968.74	13644.95	10435.37	60709	54532	70315
14.	मणिपुर	56.69	163.08	177.45	1096	1125	199
15.	मेघालय	46.73	159.16	651.49	316	734	356
16.	मिजोरम	54.47	85.75	297.05	302	519	1795
17.	नागालैंड	435.83	454.13	773.28	1933	2290	6346
18.	उड़ीसा	7443.57	10225.13	13154.96	50023	50671	53328
19.	पंजाब	478.32	950.27	678.66	3235	3831	4154
20.	राजस्थान	3888.40	5221.40	2705.87	34858	32955	37440
21.	सिक्किम	41.21	104.13	123.90	590	543	508
22.	तमिलनाडु	8708.09	8375.09	6236.91	55830	68207	54935
23.	त्रिपुरा	144.84	654.95	1455.28	1665	3235	11229
24.	उत्तर प्रदेश	22995.15	32561.68	21682.91	94535	181274	155248
25.	पश्चिम बंगाल	4547.01	6363.00	8209.33	43931	36246	47047
26.	अं० व नि० द्वीप समूह	47.27	0.00	0.00	6	12	6
27.	दा० व न० हवेली	11.63	30.66	34.50	100	6	52
28.	दमन व दीव	7.49	0.00	0.00	38	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	1.50	110	40	34
30.	पांडिचेरी	93.85	64.01	33.50	214	290	147
	कुल	111711.14	147794.72	143838.53	770936	835770	906547

*उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार।

विवरण-III

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
1997-98 से 1999-2000 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को
जारी की गई निधियां तथा वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय रिलीज (लाख रुपए में)			वास्तविक उपलब्धि (कवर की गई बसावटों की संख्या)		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	8711	9991	12534	2897	3400	3100
2.	अरूणाचल प्रदेश	2476	2164	1981	317	101	300
3.	असम	2377	6417	2090	1752	2707	3460
4.	बिहार	0	0	4690	11371	8485	864
5.	गोवा	197	0	0	18	20	26
6.	गुजरात	5540	6951	7442	1393	1806	1656
7.	हरियाणा	2269	2025	2407	650	733	383
8.	हिमाचल प्रदेश	1681	2913	3075	1407	1295	1643
9.	जम्मू व कश्मीर	4676	4659	3191	500	685	423
10.	कर्नाटक	9285	10071	11409	9507	8451	5626
11.	केरल	3565	4673	3446	530	522	392
12.	मध्य प्रदेश	8346	11061	12330	19427	16351	10579
13.	महाराष्ट्र	12087	16385	17302	6491	10348	4690
14.	मणिपुर	907	667	0	338	225	44
15.	मेघालय	743	1709	779	482	481	390

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	584	1018	696	185	190	210
17.	नागालैंड	211	797	579	27	62	19
18.	उड़ीसा	5038	4794	4848	7350	7318	4968
19.	पंजाब	1714	2205	2321	268	155	216
20.	राजस्थान	10738	11942	12003	5436	5540	6158
21.	सिक्किम	436	1401	1046	121	130	108
22.	तमिलनाडु	5834	10528	8958	4531	7974	6300
23.	त्रिपुरा	762	2129	1662	442	764	746
24.	उत्तर प्रदेश	15183	16297	14825	37288	28117	15572
25.	पश्चिम बंगाल	4411	6427	5606	4194	6916	6191
26.	अं० व नि० द्वीप समूह	0	0	0	11	15	15
27.	दा० व न० हवेली	0	0	0	45	63	70
28.	दमन व दीव	0	0	0	3	0	0
29.	दिल्ली	0	0	0	0	62	0
30.	लक्षद्वीप	0	0	0	3	3	2
31.	पांडिचेरी	10	0	0	10	14	7
	कुल	107780	137224	135222	116994	112933	74158

1999-2000 के आकंड़े अंनतिम हैं क्योंकि मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम तथा लक्षद्वीप से मार्च, 2000 की मासिक प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

आतंकवादी संगठन

*410. **योगी आदित्यनाथ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक आतंकवादी गंगठन देश में आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों, विशेषत: जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकवादी गुटों के बीच सांठ-गांठ होने की रिपोर्टें हैं। इस दिशा में पाकिस्तान की आई०एस०आई० द्वारा भी प्रयास किए जाने की रिपोर्टें हैं।

(ग) सरकार, आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों और संबंधित एजेन्सियों को नियमित रूप से सुग्राही बनाती आ रही है। आसूचना का आदान-प्रदान नियमित रूप से किया जाता है तथा केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती करेके, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देकर, अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति इत्यादि करके, मदद दी जाती है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को घाटा

*411. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री श्यामा सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक दशक के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को कुल कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में हुए घाटे के लिए सरकार ने किसी की जवाबदेही तय की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कंपनी के घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०सी०एल०) से प्राप्त पिछले एक दशक के दौरान वर्षवार घाटे का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	करोड़ रुपए में
1990-91	(–) 324.83
1991-92	(–) 326.38
1992-93	(–) 354.28
1993-94	(–) 477.97
1994-95	(–) 575.54
1995-96	(–) 391.21
1996-97	(–) 341.15
1997-98	(–) 541.89
1998-99	(–) 472.47
1999-2000 (अनंतिम)	(–) 646.69

ई०सी०एल० के 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की अभी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है। ई०सी०एल० में घाटे के निम्नलिखित कारण हैं:-

(i) छोटी भूमिगत खानों का बड़ी संख्या में होना, जिनमें से अधिकांश को राष्ट्रीयकरण के समय लिया गया था और उनमें उत्पादकता में कोई बड़ी वृद्धि की अब गुंजाइश नहीं है।

(ii) कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्तों में उत्तरोत्तर वृद्धियों की तुलना में भूमिगत खानों से कम उत्पादकता होना।

(iii) फालतू जनशक्ति का होना।

(iv) भू-खनन की परिस्थितियों का प्रतिकूल होना और कुछ बड़ी कोयला खान के स्थल से हटाए गए लोगों का पुनर्वास और भूमि अर्जन की समस्याएं जो उत्पादन को प्रभावित करती हैं।

ई०सी०एल० की 116 खानों में से 95 खानें भूमिगत खानें हैं।

(ख) भू-खनन की प्रतिकूल परिस्थितियां और फालतू जनशक्ति की समस्याएं पहले से चली आ रही हैं और भूमि का अर्जन करने और पुनर्वास करने की समस्याएं कंपनी के पूर्णत: नियंत्रण में नहीं हैं; इसलिए घाटे के लिए किसी एक अधिकारी पर जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कोल इंडिया लि० जो ई०सी०एल० की धारक कंपनी है, उसने ई०सी०एल० के पुनरुद्धार के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (आई०सी०आई०सी०आई) को कार्य सौंपा था। ई०सी०एल० के पुनरुद्धार के लिए आई०सी०आई०सी०आई० की रिपोर्ट कोयला मंत्रालय में प्राप्त हो चुकी है। लेकिन, सरकार से अनुमोदन लेने के लिए ई०सी०एल० के पुनरुद्धार के पैकेज को अभी कोई अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

कोयला-क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना

*412. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :**
श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में कोयला-क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना, जिसमें 20,000 करोड़ रु० से अधिक का ऋण-परिव्यय शामिल है, के द्वितीय चरण को समाप्त कर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप देश में कोयले के उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) नौवीं योजनावधि में उद्योग - क्षेत्र को कोयले की अनुमानित मांग का ब्यौरा क्या है;

(च) आगामी पांच वर्षों के लिए कोयले का उत्पादन कार्यक्रम क्या है;

(छ) उन कोयला कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण और पुनर्वास कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की है; और

(ज) उक्त अवधि के दौरान इन कोयला-कंपनियों को विश्व-बैंक से ऋण के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई और उसके उपयोग के संबंध में ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) जी, नहीं। कोल इंडिया लि० की कोयला आधुनिकीकरण परियोजना (कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना) का कुल आकार 20,000 करोड़ रु० का नहीं अपितु अमरीकी डालर 1695 मिलियन का है जिसमें से अमरीकी डालर 1030 मिलियन का वित्त पोषण विश्व बैंक (आई बी आर डी) और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कारपोरेशन द्वारा 50 : 50 के अनुपात में किया जाना था। विश्व बैंक ने इस ऋण को रद्द नहीं किया था अपितु कोल इंडिया लि० ने स्वयं ही विश्व बैंक और जे०बी०आई०सी० से विभिन्न परिचालन संबंधी कारणों से ऋण के अनर्पित भाग की शेष राशि को रद्द करने का निवेदन किया था।

घरेलू ब्याज दरों के नरम होने और अपने तुलन-पत्र की मजबूती के आधार पर घरेलू ऋण का सहारा लेने में अधिक सुविधा होने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सी०आई०एल० का यह स्पष्ट मत था कि विश्व बैंक/जे०बी०आई०सी० परियोजना वित्त का उपयोग ऋण के अप्रयुक्त भाग के लिए चालू करते रहना, उसके उत्तम वित्तीय हितों में नहीं है।

चूंकि अधिक सुविधा इसी में है कि विश्व बैंक जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कारपोरेशन (जे बी आई सी) के ऋण की अनर्पित सुविधा के शेष भाग को आपसी सहमति से रद्द कर दिया जाए। इसलिए कोयला मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके रद्द करने हेतु सी०आई०एल० ने यथोचित कदम उठाए हैं। सी०आई०एल० को यह भरोसा है कि जिन परियोजनाओं का ऋण द्वारा पूरा किया जा रहा है उनको अपने ही संसाधनों से पूरा किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के लिए कोयले की मूल मांग का योजना आयोग द्वारा 412.20 मिलियन टन लगाया गया था लेकिन मध्यावधि मूल्यांकन के समय योजना आयेग द्वारा 370.80 मिलियन टन का दोबारा अनुमान लगाया गया। नौवीं योजना के अंतिम वर्ष (2001-2002) के लिए कोयले के उत्पादन लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:-

कंपनी	उत्पादन (मिलियन टन में)
सी०आई०एल०	285.00
एस०सी०सी०एल०	34.00
टिस्को/इस्को/डी०वी०सी०	7.60
गृहीत	2.26
जोड़	328.86

10वीं योजना के पांच वर्षों के लिए योजना आयेग ने कोयले के उत्पादन के कोई लक्ष्य तय नहीं किए हैं, फिर भी सी०आई०एल० ने 10वीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 350 मिलियन टन कर रखा है।

(छ) कोल इंडिया लि० ने विश्व बैंक (आइ बी आर डी) जे०बी०आई०सी० से सी०एस०आर०पी० ऋण लिया था। कोल इंडिया लि० की पांच सहायक कंपनियां, जैसे सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (सी सी एल), महानदी कोलफील्ड्स लि० (एम सी एल), नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० (एन सी एल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ए ई सी एल) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (डब्ल्यू सी एल) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक ऋण की लाभार्थी थी।

(ज) कोल इंडिया लि० (सी आई एल) ने दिनांक 31.7.2000 की स्थिति के अनुसार कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक (आई बी आर डी) और जे०बी०आई०सी० से अमरीकी डालर 456.03 मिलियन की राशि प्राप्त की है। सी०आई०एल० की सहायक कंपनियों द्वारा 31.7.2000 तक इस्तेमाल की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

कंपनी	राशि अमरीकी डालर मिलियन में
सी सी एल	34.86
एम सी एल	44.21
एन सी एल	223.84
एस ई सी एल	101.78
डब्ल्यू सी एल	35.19
जोड़ :	439.88

अमरीकी डालर 16.15 मिलियन की शेष धनराशि न्यूयार्क और टोकियो स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं के विशेष खाते में रखी हुई है।

संगठित अपराध

*413. श्री अनादि साहू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित अपराध की प्रवृत्ति देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है;

(ख) यदि हां, तो देश में सक्रिय विभिन्न गिरोहों द्वारा किस प्रकार के संगठित अपराध किए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस संत्रास को रोकने के लिए कोई संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम बनाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन घटनाओं का समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए कोई समिति नियुक्त करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। उग्रवाद और आतंकवाद के साथ इसके बढ़ते हुए संबंधों के कारण संगठित अपराध देश में आन्तरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच-पड़ताल के दौरान निम्नलिखित प्रकार के संगठित अपराध ध्यान में आए है:

(i) आतंकवाद और स्वापक - आतंकवाद।

(ii) नशीली दवाओं का दुरुपयोग और नशीली दवाओं का अवैध व्यापार।

(iii) हथियारों का अवैध व्यापार।

(iv) तस्करी

(v) मनी लॉडरिंग और हवाला।

(vi) हत्या के लिए सुपारी देना।

(vii) फिरौती के लिए अपहरण

(viii) अवैध आप्रवासन

(ix) वैश्यावृत्ति

(x) जाली मुद्रा

(xi) दांव लगाना

(xii) शराब की तस्करी

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) अन्य बातों के साथ-साथ, नई सहस्राब्दि में भारतीय पुलिस को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उनकी जांच करने और उन्हें विनिर्दिष्ट करने के लिए पहले ही एक समिति गठित की जा चुकी है। यह समिति भारत में पुलिस व्यवस्था के समग्र परिप्रेक्ष्य की जांच कर रही है और इसके विचारार्थ विषयों में सम्मिलित है:- पुलिस बल को नया रूप देना, उसे संस्कृत, जन हितैषी और युद्ध-निपूर्ण बनाना है जो लोगों का विश्वास जीत सके और साथ ही साथ, संगठित अपराध, उग्रवाद और आतंकवाद की समस्याओं से कारगर ढंग से निपट सके।

उपचार संयंत्र का निर्माण

*414. श्री साहिब सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वजीराबाद बैराज पर सीवर/नालों के मुहाने पर एक उपचार संयंत्र का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) यमूना नदी के लिए पर्यावरण प्रबन्ध योजना पर अध्ययन का काम दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी व शोध संस्थान को सौंपा है। संस्थान की रिपोर्ट का पहला भाग (अथवा प्रथम चरण) दिल्ली विकास प्राधिकरण को मिल गया है, जिसमें नई दिल्ली रेलवे पुल और प्रस्तावित आई०एल० एण्ड एफ० एस० पुल के बीच यमुना नदी के विस्तार में विकास योजना हेतु प्रारम्भिक पर्यावरण मूल्यांकन का समावेश है। रिपोर्ट का दूसरा भाग (अथवा दूसरा चरण) इस प्रयोजन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच के बाद तैयार किया जाएगा।

(ख) अध्ययन रिपोर्ट के प्रथम चरण की मुख्य सिफारिशें विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

4.4 सिफारिशें

निम्नलिखित व्यापक किस्म की सिफारिशें सभी जलधानी क्षेत्रों (पाकेट) पर लागू होती हैं :-

- पारिस्थितिकी अनुकूल क्षेत्रों यथा सरकंडेदार दलदलीय जल क्षेत्र और तृणावृत जल क्षेत्र को यथावत बनाये रखना होगा।
- सभी जलधानी क्षेत्रों में हरित पट्टियां आवश्यक हैं ताकि वे इस बाबत तय दिशा-निर्देशों और भू-दृश्यावली के अनुरूप हों।
- भू-गर्भ जल संभरण क्षेत्रों को अक्षुण्ण रखा जाए, अर्थात् उसके ऊपर किसी प्रकार के निर्माण अथवा मलबा डलाव की अनुमति न दी जाए।
- जल धारा के दाहिने तट के सहारे रोक बांधों के निर्माण की दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जो योजना पहले सुझायी थी, उसे त्याग दिया जाए।
- सितम्बर 1995 की जल धारा के 300 मीटर के दायरे में हरित पट्टी के सिवाय सभी प्रकार की प्रस्तावित गतिविधियां बन्द की जाएं।
- प्रस्तावित आई०एल० एण्ड एफ० एस० ब्रिज - नोएडा लिंक रोड ब्रिज, नोएडा लिंक मारजीनल बन्ध रोड तथा रिंग रोड को जोड़ने वाले पैदल यात्रियों, साइकिल सवार और गैर-मोटर वाले वाहनों के लिए मार्गों का जाल बिछाया जाए।

निम्नलिखित सिफारिशें यमुना नदी तथा नये रेलवे पुल और प्रस्तावित आई०एल० एण्ड एफ०एस० ब्रिज के बीच 3 कि०मी विस्तार के बाढ़ क्षेत्र के दायरे में स्थितियों के प्रारम्भिक पर्यावरण मूल्यांकन तथा नदी के कायाकल्प एवं नदी जल विकास हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रस्तावों के आधार पर की जाती है।

भू-उपयोग

- भू-उपयोग योजना इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि नदी के बाढ़ विस्तार में चलायें एवं पर्यावरणीय कार्यों का और उसके साथ-साथ संलग्न क्षेत्र के पर्यावरण का संरक्षरण सुनिश्चित हो सके।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ठोस, कचरा एवं राख के डलाव द्वारा भू-भराव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राख डलाव की परिपाटी तत्काल बन्द की जानी चाहिए तथा बाढ़ के मौसम में राख के बहकर बाढ़ क्षेत्र में फैलने और वातावरण में उड़ने की रोकथाम के लिए मौजूदा राख ढेरों पर वनस्पति उगायी जानी चाहिए। मौजूदा राख ढेरों का जलधानी क्षेत्र-1 में यथा प्रस्तावित राख ईंटों के निर्माण संयंत्र में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- यमुना नदी क्षेत्र में विकास कार्य आरम्भ करने के लिए जो भी विस्तृत परियोजना रूपरेखा तैयार की जाए वह काफी व्यापक होनी चाहिए और उसमें भूस्थलाकृति, बिचलनों, बाढ़ प्रवण मैदानों और उनसे संलग्न क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था का समावेश होना चाहिए तथा वह विकास दिशानिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए।
- इस क्षेत्र को जोड़ने वाले 3 नालों की भी समय-समय पर गाद निकाली जानी चाहिए और उनका रख-रखाव इस प्रकार होना चाहिए कि कीचड़ बहकर उसमें वापिस न आए तथा उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में वनस्पतियों की बाढ़ न आए। लेकिन नालों की जल प्रवाह क्षमता में अवरोध खड़ा करने से वापिस जल प्रवाह जन्य बाढ़ नहीं आयेगी।

अपशिष्ट जल का प्रबन्धन

- डी०डी०ए० के भूउपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत नाला नं० 14 और बड़पुरा नाले के अपशिष्ट जल के लिए रीड बैड तकनालोजी अपनाकर जल शोधन संयंत्र लगाने के लिए जमीन आबंटित की जाए।

भूगर्भीय जल का पुनर्भरण

- भूगर्भीय जल के पुनर्भरण में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में पानी की रोकथाम और रख-रखाव में और वहां की स्थलाकृति में कोई बिगाड़ पैदा न हो इसके लिए जो भी हरित पट्टी, मनोरंजन क्षेत्र या केन्ट स्थल बनाए जाएं वे इस क्षेत्र की जमीन के साथ छेड़छाड़ न करें तथा वहां ऐसे पौधे न लगाए जाएं जिनसे अधिक मात्रा में वाष्पीकरण होता हो।

संरक्षण

- नदी क्षेत्र में, जो सरकंडायुक्त दलदल इलाका है अथवा वनस्पतियुक्त और त्रणावृत इलाका है, उसमें बाढ़ जल की 25 प्रतिशत मात्रा ही जाने दी जाए और विकास दिशानिर्देश तैयार करते समय इसे सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, इन पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में, जो भी गतिविधि की जाए वह निर्माण कार्यों की अपेक्षा के अनुसार संक्षिप्त अवधि के लिए की जाए और विकास परियोजना के सफलतापूर्वक संचालन के बाद उस गतिविधि को समाप्त कर दिया जाए।

वृक्षारोपण

– बाढ़ प्रवण मैदानी इलाकों में सफेदा (यूकेलिप्टस) के पेड़ लगाना बुद्धिमानीपूर्ण नहीं होता। क्योंकि इन पेड़ों से गिरने वाली सूखी पत्तियां और छाल का अन्य पर्यावरण सुखद वृक्षों में कोई उपयोग नहीं हो पाता है। अत: अब समय आ गया है कि ऐसे वृक्षों को लगाना बंद किया जाए और उसकी बजाए देशी किस्म के पेड़-पौधे लगाए जाएं। इन देशी पेड़-पौधों की पत्तियां गलकर फौरन चूरा हो जाती हैं और उनसे अन्य पौधे को खाद मिल जाती है। अत: सिफारिश की जाती है कि इन नाजुक क्षेत्रों के सहारे, जो भी पेड़-पौधे व वनस्पतियां लगाई जाएं, वे ऐसी होनी चाहिए कि बहकर मुख्य जल धारा में समा जाए और जलीय जीवों के लिए खुराक का काम करे। ऐसी स्वत: उत्पन्न वनस्पतियां यमुना के जल प्रभावित क्षेत्रों में लगाए जाने से आशा है कि नदी की मुख्य धारा में न केवल मछली की खेती की जा सकेगी अपितु इन मछलियों का खाद्यान्न के साथ उपयोग हो सकेगा। इससे प्रतिपल स्वरूप नदी के जैविक कार्यकल्प करने में मदद मिलेगी।

कोल इंडिया लि० का पुनर्गठन

*415. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोल इंडिया लि० का पुनर्गठन करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि० की कुछ अनुषंगी कंपनियों के उन्नयन और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोल इंडिया लि० के पुनर्गठन का सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) और (ख) सी०आई०एल० के पूंजी आधार की पुन: संरचना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जुलाई, 1996 में कुछ उपाय किए गए थे। जोकि इस प्रकार है - (i) ब्याज मुक्त गैर-योजना ऋण 432.64 करोड़ रु० की बकाया राशि (31.3.1992 को सरकार का सी०आई०एल० पर बकाया) के भुगतान का 1998-99 अधिस्थगन (ii) सी०आई०एल० द्वारा 31.3.1992 को देय ब्याज की बकाया राशि 891.75 करोड़ रु० और 1.4.1995 से 31.3.1996 तक सी.आई.एल. को सरकारी ऋण पर 138.48 करोड़ रु० के दण्ड ब्याज की छूट और (iii) सी०आई०एल० पर 31.3.1992 को 904.18 करोड़ रु० के बकाया योजना ऋण को गैर संचयी 10% अधिमान्य शेयरों में परिवर्तित करना, जिसका मोचन इसके लाभ में से 2003-04 में किया जाना है।

सी०आई०एल० की सहायक कंपनियों के पूंजी और ऋण स्वरूप की पुन: संरचना के लिए वर्ष 1998 में एक आंतरिक प्रयास किया गया था। पूंजी की आंतरिक पुन: संरचना के परिणामस्वरूप ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०सी०एल०) भारत कोकिंग कोल लि० (बी सी सी एल) की प्रदत्त हिस्सा पूंजी में, सी०आई०एल० के ऋण को हिस्सा पूंजी में परिवर्तित करने के कारण, क्रमश: 1179.45 करोड़ रु०, 996.00 करोड़ रु० तक बढ़ोतरी हो गई थी।

कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) की भौतिक संरचना पर सरकार द्वारा अनेक बार विचार किया जाता रहा है। सार्वजनिक उद्यम संबंधी समिति (कोपू) ने भी इस मामले का अध्ययन किया है। कोयला मंत्रालय ने सार्वजनिक उद्यम संबंधी समिति से यह निवेदन किया था कि सी०आई०एल० का धारक, सहायक ढांचा उपयुक्त है। सी०आई०एल० का वर्तमान ढांचा इस समय तब तक उचित है जब तक कोयला उद्योग के ढांचे में कोई परिवर्तन होता है।

(ग) और (घ) सी०आई०एल० की दो सहायक कंपनियां अर्थात् ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में घाटा होता रहा है। ई०सी०एल० और बी०सी०सी०एल० के पुनरुद्धार के लिए उपाय सुझाने हेतु सी०आई०एल० ने इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (आई.सी.आई.सी.आई.) को लगाया था। ई.सी.एल. के पुनरुद्धार संबंधी आई.सी.आई.सी.आई. की रिपोर्ट कोयला मंत्रालय में प्राप्त हो चुकी है। लेकिन ई.सी.एल. के पुनरुद्धार के पैकेज के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बी०सी०सी०एल० के पुनरुद्धार संबंधी रिपोर्ट कोयला मंत्रालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुई। लेकिन, उन्नयन और आधुनिकीकरण के प्रयोजन से सी०आई०एल० की सहायक कंपनियों के विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी की प्रचलन करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ङ) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नई परियोजनाओं का क्रियान्वयन

*416. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई कोयला परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्धारित समय-सूची के अनुसार इन परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब के परियोजना-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान नीति में संशोधन करके नई कोयला खानों संबंधी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब को कम करने और मुकदमेबाजी से बचने के लिए नई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो उन सुधारों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका है अथवा जो विचाराधीन है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) जी, हां। बड़ी कोयला परियोजनाओं अर्थात् 100 करोड़ रु० या इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा तिमाही आधार पर एक अन्तर मंत्रालय समिति द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) होते हैं और जिसमें योजना आयोग, व्यय विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के सदस्य होते हैं। कोयला परियोजनाओं से केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं जो 20 करोड़ रु० या इससे अधिक लागत वाली होती है उनकी भी समीक्षा सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की जाती है, जो संबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित होती है।

बड़ी कोयला परियोजनाओं की समीक्षा कोयला मंत्रालय में 18.7.2000 को की गई थी।

(ख) समीक्षा की गई बड़ी कोयला परियोजनाओं के ब्यौरे और मूल समय-सूची के अनुसार उनके कार्यान्वयन में विलंब के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भूमि के अधिग्रहण में होने वाले विलंबों को कम करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में कुछ संशोधनों का अध्ययन एक मंत्री समूह द्वारा किया जा रहा है। कोयला खनन परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण सी०बी०ए० अधिनियम, 1957 के अधीन किया जाता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में कोई संशोधन होने के पश्चात् कोयला मंत्रालय सी०बी०ए० अधिनियम, 1957 का संशोधन करने के बारे में सोच सकती है, जिससे कोयला खान परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण में तेजी लाने में सुविधा हो सके।

विवरण

निर्धारित समय से पीछे चल रही चालू परियोजनाओं (100 करोड़ और इससे ऊपर की लागत वाली) का विवरण

क्र० सं०	कंपनी	परियोजना	प्रकार	स्वीकृति की तारीख	क्षमता (मि०टन प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु०)	पूरा करने की तारीख: परियोजना पूरा करने की तारीख	पूरा करने की तारीख: प्रत्याशित	विलंब के मुख्य कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. कोल इंडिया लि०									
1.	बी सी सी एल	पुटकी बलिहारी	भू.ग.	दिसम्बर, 83	3.00	199.87	मार्च, 94	मार्च, 2001	प्रतिकूल भू-खनन दशाओं के कारण प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, वाइंडर को चालू करने में मेसर्स एच०ई०सी०, भेल द्वारा विलंब, हैड फ्रेम को चालू करने में ठेकेदार टीसीएल द्वारा विलंब।
2.	बी सी सी एल	मधुबन वाशरी		अक्तूबर, 93	2.50	194.18	मार्च, 95	अक्तू., 2000	टर्न-की ठेकेदार एम०ए०एम०सी० द्वारा मंद प्रगति।
3.	सी सी एल	पारेज ईस्ट	ओ.का.	मार्च, 93	1.75	116.19	मार्च, 98	मार्च, 2001	भूमि अर्जित करने में समस्या, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनः स्थापन और पुनर्वास विश्व बैंक ऋण स्वीकार होने में विलंब के कारण धन की कमी, हैम की खरीद में विलंब।
4.	ई सी एल	झांजरा (फैस-I)	भू.ग.	अगस्त, 95	2.00	403.96	मार्च, 98	मार्च, 2002	वन भूमि को अर्जित करने में विलंब सी०आई०एस० देशों से फालतू पुर्जों की पूर्ति में विलंब, उपकरणों का पुराना पड़ना, धन की कमी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	ई सी एल	सतग्राम	भू.ग.	सितम्बर, 90	1.20	148.26	मार्च, 95	मार्च, 2002	ठेकेदार (एक्स-कोपेक्स) के कामगारों द्वारा काम रोकना, रोजगार पाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा आन्दोलन करना, वाइंडर ब्रेक खराब होना। एम ए एम सी द्वारा पावर्ड सपोर्टस की पूर्ति में विलंब, धन की कमी।
6.	ई सी एल	कोटाडीह	(भू.ग. + ओ.का.)	जून, 89	2.48	267.52	मार्च, 98	मार्च, 2003	भूमि अर्जन में विलंब, पुनर्वास समस्या।
7.	ई सी एल	जाम्बाद	ओ.का.	अप्रैल, 97	0.80	136.98	मार्च, 98	मार्च, 2004	भूमि अर्जन में विलंब, पुनर्वास समस्या (आर-8) कोयला सीम में आग लगना। पी डब्ल्यू डी पश्चिम बंगाल द्वारा सड़क को मोड़ने में विलंब, धन की कमी।
8.	एन सी एल	दुधीचुआ विस्तार	ओ.का.	अगस्त, 92	10.00	868.93	मार्च, 98	मार्च, 2004	विश्व बैंक के ऋण को स्वीकार करने में विलंब।
ख.	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन०एल०सी०)								
9.	एन०एल०सी०	खान-I का विस्तार		मार्च, 97	6.5 से 10.5	1602.94	मई, 99	नवम्बर, 2002	हिस्सा पूंजी से धन जुटाने की बजाय बाजार से उधार लेकर ऋण अदा करने के लिए बजटीय समर्थन लेने की निति में बदलाव 1 सम्बद्ध विद्युत (टीपीएस-I)परियोजना की मंजूरी में विलंब, मैसर्स के०एफ०डब्ल्यू० के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर करने में विलंब।
10.	एन०एल०सी०	टीपीएस-I विस्तार		मार्च, 97	420	1520.99	अगस्त, 2000 (यूनिट-1) नवम्बर, 2001 फरवरी, 2001 (यूनिट-2) मई, 2002		इस परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी मैसर्स के०एफ० डब्ल्यू० द्वारा ऋण करार पर हस्ताक्षर करने में विलंब।
11.	एन एल सी	खान-I ए		फरवरी, 1998	3.00	1063.18	फरवरी, 2001	जुलाई, 2001	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा ई० एम०पी० अनुमति देने में विलंब।

अर्ध-सैनिक बलों की कमी

*417. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अर्ध-सैनिक बलों में कार्मिकों की संख्या में कमी आने के कारणों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बलों में कार्मिकों की संख्या में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) देश में अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की संख्या में कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कई केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों से उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए काम लिया जा रहा है जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी और प्रशिक्षण दिया गया था; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। इस प्रयोजनार्थ गठित किए गए अन्तः-मंत्रालयी ग्रुप द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) आन्तरिक सुरक्षा महौल की वर्तमान स्थिति के कारण सुरक्षा बलों की मांग बढ़ गई है। इसलिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कुछ बटालियनें आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात की गई हैं।

जन्म पंजीकरण

*418. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिसेफ के तत्वावधान में 24 मई, 2000 को आयोजित जन्म पंजीकरण संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन में ऐसे बच्चों जिनका जन्म पंजीकृत नहीं होता है, के समक्ष आने वाली विपरीत परिस्थितियां तथा मानवाधिकार संबंधी दुष्प्रभावों पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्मेलन में दिए गए मुख्य सुझाव और टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। प्लैन इंटरनेशनल और यूनीसेफ द्वारा संयुक्त रूप से भारत के महापंजीयक के कार्यालय के समर्थन से एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) और (ग) सम्मेलन में देश में जन्म पंजीकरण से संबंधित अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और इसमें सुधार के तरीकों के बारे में सिफारिशें की गईं। सम्मेलन में दिये गये मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं:-

1. समुदाय से जन्म पंजीकरण की मांग को बढ़ाने के लिए जागरूकता बढ़ायी जानी चाहिए।

2. निम्नलिखित के माध्यम से जन्म पंजीकरण एककों तक पहुंच को बढ़ाया जाना चाहिए :

   (क) दूर-दराज के क्षेत्रों, जैसे रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्रों, वन क्षेत्रों आदि में चल पंजीकरण एकक।

   (ख) ए एन एम, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पंचायतों आदि का अधिसूचकों के रूप में उपयोग करके सिविल पंजीकरण पद्धति तथा समुदाय के बीच सम्पर्क।

3. जन्म पंजीकरण तथा प्राथमिक टीकाकरण सारणी के बीच सम्पर्क पर विचार किया जाये और यदि आवश्यक हो तो जन्म पंजीकरण की अवधि को बच्चे के प्रथम टीकाकरण के साथ समायोजन किया जाये।

4. जन्म पंजीकरण प्रणाली की छवि में सुधार किया जाये, ताकि लोग अपने बच्चों के जन्म का पंजीकरण कराने के लिए आकर्षित हों। इसके लिए निम्नलिखित उपायों द्वारा ग्राहक सेवाओं में सुधार किया जाये :

   (क) पंजीकरण तथा प्रमाण-पत्र जारी करने में होने वाले विलम्ब को कम करना।

   (ख) रिकार्ड के रख-रखाव में सुधार करना, ताकि सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो।

   (ग) केन्द्रों में उपयुक्त बोर्ड लगाना।

सम्मेलन में दिये गए सुझावों का सामान्यतः नीति निरूपण हेतु निवेश के रूप में उपयोग किया जाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति की पुनरीक्षा

*419. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति की पुनरीक्षा करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विशेषज्ञों और राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) वैज्ञानिक नीति संकल्प, 1958 तथा प्रौद्योगिकी नीति विवरण, 1983 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सरकार की नीति की बुनियादी संरचना निहित है। तथापि, विश्व में हो रही तीव्र वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय उन्नतियों को देखते हुए तथा भारत की लघु अवधि, मध्यम अवधि एवं दीर्घावधि आवश्यकताओं के संबंध में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों

का कई प्रकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय हस्तक्षेपों के माध्यम से, लगातार सुधार एवं फेरबदल किया जाता है।

विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय निकाय जैसे अकादमी, व्यावसायिक संस्थान एवं वैज्ञानिक मंच तथा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद/संस्थान भी समय-समय पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के निरूपण के लिए जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। मंत्रिमण्डल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति तथा प्रख्यात वैज्ञानिकों का परामर्शी दल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सरकार के विभागों/एजेन्सियों के परामर्शी दल भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। इन मंचों के साथ निरंतर विचार विचार किया जा रहा है और इनकी जानकारी पर यथावत् विचार किया जाता है तथा इसे विद्यमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के ढांचे में समाविष्ट किया जाता है। एक औपचारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति दस्तावेज को तैयार करने की प्रक्रिया, जिसमें सभी उपर्युक्त संस्थानों/मंचों से प्राप्त जानकारी समाविष्ट है और भूमण्डलीय परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, शुरू की गई है।

पहचान पत्र

*420. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 15 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस प्रक्रिया के कब तक पूरी हो जाने की संम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) पहचान पत्रों की स्कीम के संबंध में एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन एक व्यावसायिक कंसलटेंसी फार्म द्वारा किया गया है जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच की जा रही है। प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बारे में सरकार द्वारा अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अनधिकृत निर्माणों को हटाना

4457. **श्री रघुनाथ झा** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जून, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "व्हेअर आर योर बुलडोजर्स, मिनिस्टर जगमोहन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अशोक रोड स्थित अनधिकृत और गैर-कानूनी निर्माण हटाने का है;

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक हटाया जाएगा; और

(ङ) "एल बी जेड" स्थित ऐसे सभी अवैध और अनधिकृत निर्माणों का ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में 11, अशोक रोड और 24, अकबर रोड, नयी दिल्ली परिसरों में अनधिकृत निर्माण के बारे में उल्लेख है। नयी दिल्ली नगर पालिका द्वारा इन परिसरों का सर्वे किया गया और दोनों ही बंगलों में अनधिकृत ढांचे पाये गये।

(ग) और (घ) दोनों बंगलों के आबंटियों को एक नियत अवधि के भीतर संस्थायी क्षेत्र में जाने को कहा गया है।

(ङ) ऐसे ढांचों के बारे में सर्वे किया जा रहा है और अनधिकृत परिवर्धनों/परिवर्तनों/निर्माणों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

अजमेर में केन्द्रीय विद्यालय

4458. **प्रो० रासासिंह रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर में केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और अन्य केन्द्रीय संस्थाओं की स्थान-वार संख्या क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विद्यालयों और संस्थाओं की नई इमारतों के निर्माण/रखरखाव/जीर्णोद्धार कार्य में कुल कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों की नई इमारत का उद्घाटन किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन विद्यालयों के परीक्षा-परिणामों की क्या स्थिति है;

(च) इन विद्यालयों में भर्ती किए गये विद्यार्थियों की संख्या और अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या क्या है; और

(छ) इन विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

बेसिक साइंस को बढ़ावा

4459. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने देश में बेसिक साइंस को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के समक्ष कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके अनुसार वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए सी० एस० आई० आर० द्वारा दी जाने वाली कनिष्ठ/वरिष्ठ शोधवृत्ति की राशि को बढ़ाया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) और (ख) सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों/अकादमिक संस्थानों/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विभिन्न अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों नामत: आर एंड डी परियोजनाओं के लिए निधिकरण, अध्येतावृत्तियों, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, स्वर्णजयन्ती अध्येतावृत्ति, युवा वैज्ञानिकों के लिए परियोजनाओं, अकादमिक संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मूलभूत सुविधाओं के लिए निधि आदि के माध्यम से मौलिक विज्ञान को सतत रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेस्टनाशियों के विकल्प

4460. श्री राशिद अलवी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने उष्णकटिबंधीय देशों में पेस्टनाशियों के विकल्पों संबंधी पुस्तक के लिए धन उपलब्ध कराया है;

(ख) क्या इस पुस्तक में इस संबंध में विश्वव्यापी स्थिति की समीक्षा की गई है और पेस्टनाशियों के समूल नाश हेतु सुरक्षित विकल्पों को सुझाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी विषयों में कर्मचारियों और छात्रों के प्रशिक्षण हेतु इस प्रकाशन का उपयोग करने और क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी, हां।

(ख) पुस्तक में धारणीय कृषि, एकीकृत कीट प्रबंधन, रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रौद्योगिकियों आदि के मुद्दों को परिभाषित किया गया है।

(ग) और (घ) पुस्तक को प्रशिक्षण मैनुअल के रूप में नहीं लिखा गया है, तथापि इसका उपयोग कृषि प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्रों में संदर्भ के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यद्यपि तत्काल इस पुस्तक को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने की कोई योजना नहीं है फिर भी इस सुझाव को नोट कर लिया गया है।

नागालैण्ड में पर्यटकों के लिए स्थान खोलना

4461. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री वाई०वी० राव :
श्री के० येरननायडू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागालैण्ड में विदेशी पर्यटकों के लिए तत्काल कुछ स्थान खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) राज्य में भ्रमण पर आए विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) राज्य में पर्यटन का संवर्धन करने के लक्ष्य और उद्देश्य से भारत सरकार ने 11.4.2000 को नागालैण्ड के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट जारी करने से संबंधित प्रक्रियाओं में आंशिक ढील दी है। विदेशी राष्ट्रिकों को अब घोषित, प्रवेश और निकास बिन्दुओं के माध्यम से प्रवेश करने तथा चार जिलों नामत: दीमापुर, कोहिमा, वोखा और मोकाकछुंग में विनिर्दिष्ट पर्यटन सरकिट क्षेत्रों में घुमने की अनुज्ञा दी जाती है।

(ग) भ्रमण करने वाले पर्यटकों को सुरक्षा, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

लापता पिस्तौलें

4462. **श्री ई० अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित प्रशिक्षण कॉलेज, झड़ौदाकलां के शस्त्रागार से बड़ी संख्या में पिस्तौलें लापाता पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिस्तौलों की कुल लागत कितनी है;

(ग) चुराए गए शस्त्रों को पाने हेतु अब तक की गई जांचों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कुल कितनी लापता पिस्तौलें पा ली गई हैं और इस संबध में कितने व्यक्तियों को निलंबित/गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। 61,929/- रु० की लागत की तीन पिस्तौलें लापता पाई गई थीं।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने इस मामले में औपचारिक रूप से एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। तथापि, लापता पिस्तौलें अभी तक बरामद नहीं हुई हैं। इसी बीच, चार पुलिस कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरूद्ध नियमित विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने शस्त्रागार की सुरक्षा कड़ी कर दी है।

[हिन्दी]

गरीबों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण

4463. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में गरीब व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) सर्वेक्षण के कब तक पूरा होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रारंभ में ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश पर गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना करती हैं। जनगणना में गांव के सभी परिवारों को शामिल किया जाता है। जनगणना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करना है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना का अंतिम कार्य नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रारंभ में किया गया था।

[अनुवाद]

कालेज और शिक्षण संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

4464. **श्री पवन कुमार बंसल** :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कालेजों और अन्य शिक्षण संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के विशिष्ठ केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चयन किए गए संस्थाओं का ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि की सहायता दी गई;

(ग) क्या सूचना प्रौद्योगिकी के नये संस्थानों को स्थापित करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने संस्थान स्थापित किए गए हैं और कितने विश्वविद्यालयों में इस संकाय की स्थापना की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सरकार सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजनार्थ, सूचना प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों में दाखिला क्षमता बढ़ाई जा रही है, सूचना प्रौद्योगिकी के नए पाठ्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं और सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने इसके सभी पहलुओं पर समग्र रूप से गौर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मानव संसाधन विकास के एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समय केन्द्र सरकार द्वारा देश में सूचना प्रौद्योगिकी के नए संस्थानों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दहेज अधिनियम में संशोधन

4465. **श्री जय प्रकाश** :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुल्हन के ससुराल पक्ष के विरुद्ध वर्तमान दहेज प्रतिरोध अधिनियम को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का प्राकृतिक न्याय के इस सिद्धांत को कि 'दोषी बच न सकें और निर्दोष को दण्ड न मिले' को ध्यान में रखते हुए इस कानून में आवश्यक संशोधन करने का विचार है; और

(घ) इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन कब तक किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम, 1961 दहेज की कुप्रथा को रोकने के विशिष्ट उद्देश्य से बनाया गया था। अधिनियम के अंतर्गत विवाह में दहेज का लेना अथवा देना निषिद्ध है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या बहुत कम होती है, जिससे यह पता चलता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए अधिक उपयोग नहीं किया जा रहा है। वर्तमान दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम का दुल्हन के ससुराल पक्ष के विरुद्ध दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके समर्थन में सरकार के पास कोई विश्वसनीय आंकड़े या कोई अनुसंधान अध्ययन अथवा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम की समीक्षा करने और उसमें संशोधन के सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग गैर-सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों आदि के साथ परामर्श बैठकें आयोजित कर रहा है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रस्तावों पर विचार करते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जायेगा। कानून की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से परामर्श करना होता है। अत:, दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम में संशोधनों के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

छोटे राज्यों की तर्ज पर बोडोलैण्ड

4466. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी क्षेत्रों में समग्र उत्थान और विकास हेतु बोडोलैंड राज्य के सृजन के विशेष संदर्भ मे छोटे राज्यों की अवधारणा को कार्यान्वित करने के लिए नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) नये राज्यों का सृजन करने हेतु सरकार केवल उन्हीं मामलों पर विचार करती है जिन पर संबंधित राज्य विधान मण्डलों द्वारा संकल्प पारित किए गए हों। भारत सरकार मौजूदा पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय अखण्डता सुनिश्चित करने के प्रति भी वचन-बद्ध है।

गैर-सरकारी संगठनों की समिति

4467. श्री जोवाकिम बखला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी योजनाओं के उचित समन्वय तथा सद्भावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास योजनाओं के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों की एक समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक गठित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु गैर-सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) के चयन हेतु निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात की खपत

4468. श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत चीन, जापान और अमरीका की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो भारत, चीन, जापान और अमरीका के बीच प्रति व्यक्ति खपत का कितना अंतर है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में इस्पात की खपत को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां,। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1997 के लिए भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमरीका में परिसज्जित इस्पात की प्रति व्यक्ति प्रत्यक्ष खपत का वर्तमान स्तर निम्नलिखित है:-

भारत	चीन	जापान	संयुक्त राज्य अमरीका
24 कि०ग्राम	87 कि०ग्राम	635 कि०ग्राम	422 कि०ग्राम

स्रोत : स्टेटिस्टिकल ईयर बुक, 98

(ग) देश में इस्पात की खपत में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- पिछले दो बजटों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए अधिक आबंटन करना।
- इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करना। इस अभियान से ग्रामीण और कृषि आधारित कृषि क्षेत्रों जैसे नए क्षेत्रों में इस्पात के प्रयोग को बढ़ाने के लिए भण्डारण टंकियों जैसा उच्च बाजार संभाव्यता वाले इस्पात से बने विशिष्ट उत्पाद अभिज्ञात हुए हैं।
- बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद-मिश्र को उन्मुखी करना और बाजार मांग में परिवर्तन के अनुरूप उत्पादन को समायोजित करना।
- ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन आपूर्ति व्यवस्था करके दीर्घकालीन ग्राहक संबंध विकसित और पल्लवित करना।
- इस्पात निर्माण की प्रौद्योगिकी में सुधार करने और भारतीय इस्पात गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की जांच करने और उनकी सहायता करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

बिहार में कपार्ट द्वारा पूरी की गई परियोजना

4469. श्री राजो सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) द्वारा कितनी परियोजनाएं पूरी की गई ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में पूरी की गयी/बंद की गयी 218 परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

वर्ष	पूरी की गयी/बंद की गयी परियोजनओं की सं०
1997-98	07
1998-99	22
1999-2000	189
कुल	218

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय प्रणाली में आरक्षण

4470. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पदों को आरक्षण की परिधि से छूट देने का सरकार से आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कम्प्यूटर शिक्षा

4471. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में हाई स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने हेतु 1254 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पहले के कुछ प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अब केन्द्र सरकार का विचार राज्य के हाई स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु मांगी गयी धनराशि को जारी करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (छ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से दिसम्बर, 1998 में स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने के लिए 12.54 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) योजना पर भारत सरकार द्वारा विचार किए जा रहे संशोधनों के संबंध में विधिवत् सूचित कर दिया गया था और इसलिए उनसे अनुरोध किया गया कि वे संशोधित क्लास योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तक प्रतीक्षा करें। संशोधित क्लास योजना की प्रक्रिया अन्तिम रूप दिए जाने के स्तर पर है। संशोधित क्लास योजना के अनुमोदित होते ही उसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अनुरोध की जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

पेयजल परियोजनाएं

4472. श्री पुष्प जैन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में पेयजल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान इन प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि आबंटित की गई तथा इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान से कोई परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सीआईएसएफ प्रशिक्षण केन्द्र

4473. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कौन-कौन से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण केन्द्र हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) पारादीप के प्रशिक्षण केन्द्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) ब्यौरे निम्नानुसार है :-

(i) राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी और अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।

(ii) भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र, अराकोणम, तमिलनाडु।

(iii) रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र, भिलाई, मध्य प्रदेश।

(iv) रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र, देवली, राजस्थान।

(v) रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र, पाराद्वीप, उड़ीसा।

(vi) रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र, सिद्धबाड़ी, पश्चिम बंगाल।

(ख) इस समय एक रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र अस्थायी रूप से पारादीप में कार्य कर रहा है। तथापि, इसे भुवनेश्वर से 25 किलोमीटर दूर मुण्डाली, जहां निमार्ण कार्य चल रहा है, में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

4474. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके तहत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करने की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया रही है। आठवीं योजना अवधि के दौरान, राज्यों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों तथा आवधिक निरीक्षणों तथा समीक्षा बैठकों के आधार पर भी समीक्षाएं की गयी थी। समीक्षाओं से यह पता चला है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों ने प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रमों नामत: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किट की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास, तथा दस लाख कुओं की योजना को लागू करने के लिए 31343.05 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गयी थी जबकि उनके पास 35918.42 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध थी। प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत

निधि के जारी करने तथा उपयोग की राज्य-वार स्थिति को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार के कुल 51290.65 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए थे। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2.62 लाख आवासों का निर्माण किया गया तथा सिट्रा के अंतर्गत 6.52 लाख कारीगरों को लाभ मिला। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 108.36 लाख परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ तथा डवाकरा के अंतर्गत 1.42 लाख ग्रुपों के गठन के जरिये 22.68 लाख महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ।

विवरण

वर्ष 1992-93 से लेकर वर्ष 1997-98 के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का उपयोग

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्ध अंश	व्यय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	298596.65	281125.97
2.	अरूणाचल प्रदेश	12322.29	9355.94
3.	असम	102063.52	78984.49
4.	बिहार	480205.60	390527.37
5.	गोवा	2862.96	2401.33
6.	गुजरात	123486.46	95588.16
7.	हरियाणा	38830.91	31139.13
8.	हिमाचल प्रदेश	13305.94	10512.63
9.	जम्मू व कश्मीर	43181.25	30345.31
10.	कर्नाटक	189428.69	172357.08
11.	केरल	66616.07	61445.73
12.	मध्य प्रदेश	384506.01	336341.92
13.	महाराष्ट्र	274091.23	231089.49
14.	मणिपुर	10640.34	7528.32
15.	मेघालय	9276.92	4646.61
16.	मिजोरम	14343.36	9184.86
17.	नागालैंड	15553.31	11554.00
18.	उड़ीसा	224524.54	201373.33
19.	पंजाब	16312.50	13002.34
20.	राजस्थान	180088.67	143750.70
21.	सिक्किम	3985.64	3707.65
22.	तमिलनाडु	229804.25	232309.28
23.	त्रिपुरा	16960.53	15666.36
24.	उत्तर प्रदेश	601394.75	544716.45
25.	पश्चिम बंगाल	230032.04	212362.56
26.	अं० व नि० द्वीप समूह	2257.96	940.67
27.	दा० व न० हवेली	888.05	531.33
28.	दमन व दीव	482.41	256.70
29.	लक्षद्वीप	1262.22	515.81
30.	पांडिचेरी	4537.44	1043.88
	अखिल भारत	3591842.47	3134305.39

टिप्पणी :- जारी की गई राशि तथा उनके उपयोग से संबंधित आकड़े जिनमें आई०आर०डी०पी०, टी आर वाई एस एम, डी डब्ल्यू, सी आर ए, सिट्रा, एम डब्ल्यू एस, ई०ए०एस० तथा जे० आर०वाई० कार्यक्रम शामिल है।

[हिन्दी]

अन्तर-राज्यीय परिषद

4475. **श्री तरूण गोगोई :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या गृह मंत्री 18 अप्रैल, 2000 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3803 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व परिषद को दी गई सहायता उपयुक्त शीर्षों के तहत इस्तेमाल की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी केन्द्र सरकार द्वारा जांच की जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निधियों का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रबंध किए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) स्कीमों की पूर्वोत्तर परिषद के सचिव द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह मॉनिटरिंग की जा रही है और निधि का समुचित इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए इन स्कीमों पर व्यय की मॉनिटरिंग इस मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

सुरक्षा बलों को शक्ति

4476. श्री राजेन गोहेन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों को विदेशियो की अवैध घुसपैठ रोकने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीमा पर अवैध घुसपैठियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सुरक्षा बल न्यायाधिकरण गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे घुसपैठियों से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को विदेशियों की अवैध घुसपैठ को रोकने हेतु पहले ही शक्तियां दी गई हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें बनाना, सीमा चौकियों के बीच के अन्तर को कम करना, भू और नदी तटीय सीमा, दोनों पर गश्त तेज करना, सीमा सड़क निर्माण और कंटीले तार की बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना, सीमा निगरानी बुर्जों की संख्या में वृद्धि करना तथा निगरानी रखने के उपकरणों को उपलब्ध कराना, इत्यादि शामिल हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (असम के मामले में आई० एम०डी०टी० अधिनियम, 1983) के प्रावधान को कड़ाई से लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जनसंख्या घनत्व

4477. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा अन्य महानगरों की जनसंख्या का प्रतिवर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है;

(ख) लंदन, टोक्यो तथा न्यूयार्क का प्रतिवर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है; और

(ग) इन महानगरों में विशेषकर दिल्ली में जनसंख्या घनत्व को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) महानगरों में आबादी का प्रतिवर्ग किलोमीटर घनत्व संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) लन्दन, टोक्यो और न्यूयार्क में आबादी का प्रतिवर्ग किलोमीटर घनत्व निम्नलिखित अनुसार है :-

शहर का नाम	घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर)
लन्दन	43700
टोक्यो	13075
न्यूयार्क	9140

(ग) बड़े शहरों में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न कार्यनीतियां अपनाई जा रही हैं। इनमें से एक कार्यनीति शहर की क्षेत्रीय योजना बनाना है। तेजी से बढ़ती आबादी को रोकने और बसाव पैटर्न के पुनर्गठन के जरिए रोजगार तथा क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क हेतु बड़े शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं। शहरी क्षेत्रों को लोगों के प्रवास को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी बल दिया जाता है। क्षेत्रीय योजनाएं क्षेत्र (काउंटर मेगनेट एरिया) से बाहर शहरी क्षेत्रों की उनकी स्थिति, आबादी और विकास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए पहचान भी करेंगी जो भावी प्रवास को रोकने के साथ-साथ अपनी स्थापना के क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे। छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास की एक केन्द्र परिवर्तित योजना वर्ष 1979-80 से चालू है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की क्षमता वाले चुनिंदा छोटे और मझौले कस्बों के विकास द्वारा बड़े शहरों की ओर प्रवास को धीमा करना

है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:- (1) अवस्थापना सुविधाओं में सुधार और स्थायी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन में मदद करना और (2) आर्थिक विकास और रोजगार अवसरों का विकेन्द्रीकरण करना और विक्रय (डिस्पर्स्ड) शहरीकरण को बढ़ावा देना।

दिल्ली में आबादी के दबाव को कम करने के लिए दिल्ली और उसके आस-पास के सीमावर्ती कस्बों (रिंगटाऊन) वाले बड़े क्षेत्र के विकास की अवधारणा का दिल्ली के पहले मास्टर प्लान, 1962 में विचार किया गया था। बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के अधिनियम से 30,242 वर्ग कि०मी० के एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसमें दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के समीपवर्ती क्षेत्रों के हिस्से शामिल थे, की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने और इस योजना के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) का गठन किया।

बोर्ड ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

1. बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार और अधिसूचित की है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत छः दिल्ली महानगर क्षेत्र कस्बों और आठ प्राथमिकता कस्बों तथा क्षेत्र की सीमाओं से बाहर स्थित पांच सुविधा सम्पन्न कस्बों (काऊंटर मैंगनेट टाऊन) के विकास की संकल्पना की गई है।

2. बोर्ड ने भागीदार राज्यों को अवस्थापना सृजन परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी है।

3. बोर्ड द्वारा शहरी सुविधाओं के उन्नयन हेतु अनेक व्यवहार्यता अध्ययन/कार्यात्मक योजनाएं तैयार की गई हैं।

विवरण

महानगरों में आबादी घनत्व (शहरी समूह), 1991

क्र. सं.	शहर	आबादी घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर)
1	2	3
1.	मुम्बई	12101
2.	कलकत्ता	12282
3.	दिल्ली	13486
4.	चेन्नई	8858
5.	हैदराबाद	17168
6.	बंगलौर	9263
7.	अहमदाबाद	15402
8.	पुणे	5890
9.	कानपुर	6789
10.	नागपुर	7272
11.	लखनऊ	4946
12.	सूरत	13483
13.	जयपुर	6956
14.	कोची	3056
15.	कोयम्बटूर	3470
16.	बदोदरा	9527
17.	इन्दौर	6715
18.	पटना	8550
19.	मदूरै	9403
20.	भोपाल	3730
21.	विशाखापटनम	3323
22.	वाराणसी	9835
23.	लुधियाना	7743

"सेल" द्वारा इस्पात की बिक्री

4478. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने सन् 2000 तक 15 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन प्राप्त करने हेतु एक योजना तैयार की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 1987 में एक योजना तैयार की थी जिसमें 15 एम०टी० विक्रेय इस्पात क्षमता को विकसित करने का उल्लेख था।

(ख) विद्यमान बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेल ने इस्पात उत्पादन के लिए नियोजित लक्ष्यों को संशोधित किया है जो निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	वर्ष	लक्ष्य (एम०टी)
1.	2000-01	10.21
2.	2001-02	10.26
3.	2002-03	10.60
4.	2003-04	10.75

सरकारी आवास को किराए पर देना

4479. श्री चन्द्र नाथ सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी आवासों को किराए पर दिए जाने के मामले की पहचान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकारी आवासों को किराए पर देने से अन्य पात्रता वाले कर्मचारियों को आवास नहीं मिल पाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कोई आचार संहिता बनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) संपदा निदेशालय के अधिकारियों की टीम द्वारा जन शक्ति की कठिनाइयों के होते हुए मौके पर जाकर निरीक्षण करके सरकारी वास में उप किराएदारी का पता लगाया जाता है। जहां कहीं भी उप किराएदारी के प्रथम दृष्टया मामले का संदेह होता है, संबंधित आबंटी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद इसकी पुष्टि की जाती है। कभी-कभी पर्याप्त कागजात और संगत सबूत के अभाव में उप किराएदारी को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करना कठिन हो जाता है।

(ख) और (ग) उपकिराएदारी से पात्र और जरूरतमंद सरकारी कर्मचारियों को सरकारी वास आबंटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपकिराएदारी की समस्या को रोकने के लिए आबंटन नियमों के अन्तर्गत निवारक दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, जो आबंटन रद्द करने के साथ-साथ आबंटी को उसकी सेवा की शेष अवधि के लिए और आबंटन चाहने से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों को भी संगत आचरण नियमों के अन्तर्गत दोषी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

पेंच तथा कन्हन कोयला क्षेत्र

4480. श्री सुबोध मोहिते : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के पेंच तथा कन्हन कोयला क्षेत्रों के निकट विस्फोटक पदार्थों को ट्रकों में रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन विस्फोटक पदार्थों की चोरी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) एक पोर्टेबल मैगजीन से विस्फोटकों की चोरी की एक घटना 23.10.1997 को हुई थी, जिसमें थेसगोरा खान की पोर्टेबल मैगजीन से कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने 627 डेटोनेटरों की चोरी कर ली थी और बाद में 25 डेटोनेटर पकड़े गए थे और उनको कस्टडी/चार्ज में ले लिया गया था।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रबंधकों ने आई०पी०सी० की धारा 360 के अधीन मुकदमा नं० 271/97 के जरिए थाना अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अलावा, सुरक्षा कर्मचारियों और ड्यूटी पर मैगजीन क्लर्क के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी।

पुलिस चौकी सिंगोडी ने प्रबंधक थेसगोरा कोलियरी और प्रबंधक मेथानी कोलियरी के विरुद्ध आई०पी०सी० 286 के साथ पठित विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 ख, 4, 5 के अंतर्गत मुकदमा सं० 273/97 दर्ज किया गया था, जो स्थानीय अदालत में विचाराधीन है।

बाल कुपोषण

4481. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय कुपोषण से कितने बच्चे पीड़ित हैं;

(ग) क्या सरकार ने 1993 में पोषाहार खाद्य नीति तैयार की थी जो विफल साबित हुई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस समस्या पर काबू पाने के लिए नई पोषाहार नीति तैयार की है; और

(च) यह नीति कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं। देश में कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पोषाहार नीति को अपनाया, जिसमें कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए बहु-क्षेत्रीय कार्यनीति का समर्थन किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में उठाए जाने वाले अनेक कदमों का अभिनिर्धारण किया गया। राष्ट्रीय पोषाहार नीति अपनाये जाने के पश्चात्, इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं और यह नीति असफल नहीं रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) लागू नहीं होता।

जेलेपाला दर्रा

4482. श्री एस०पी० लेपचा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार प्रयोजनार्थ जेलेपाला दर्रा मार्ग को फिर से खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक लागू हो जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रतिवेदन

4483. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 1998-99 का अपना वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को मार्च 1999 में सौंप दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसे आज तक सभा पटल पर न रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1998-99 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट 9.11.99 को गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) और (ग) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट, आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई के ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी होती है।

रिपोर्ट में निहित विभिन्न सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के साथ, शीघ्र ही संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी।

क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय

4484. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जैसी केन्द्र सरकार की कोई संस्था नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित किए जाते हैं। अत: क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज के स्थान निर्धारण संबंधी निर्णय राज्य सरकार को लेना होता है। आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में एक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज है। कोई नया क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंजीनियरिंग कालेज

4485. श्री एम० चिन्नासामी :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा० जसवंत सिंह यादव

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से सम्बद्ध कुछ इंजीनियरिंग कालेजों में सीटों की संख्या कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सभी इंजीनियरिंग कालेजों के संबंध में यही मानदण्ड लागू किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ कालेजों में इन सीटों को बहाल किया गया था; और

(ङ) बाकी कालेजों में कम की गई सीटों को बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की विशेषज्ञ समितियां निर्धारित मानदण्डों तथा मानकों के अनुसार बुनियादी सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं की जांच करने के लिए संस्थाओं का दौरा करती हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियां विशेषज्ञ समितियां द्वारा बताई गई कमियों पर विचार करती हैं तथा अपनी सिफारिशें केन्द्रीय टास्क फोर्स को भेजती हैं ताकि इस संबंध में उचित निर्णय लिया जा सके।

(ग) जी, हां।

(घ) संस्थानों द्वारा अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं का प्रमाण देने के पश्चात् ही सीटों को बहाल किया गया।

(ङ) कम की गई सीटों की बहाली, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संस्थानों को बताई गई कमियों के सन्दर्भ में उनकी अनुपालन रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

अवैध उत्प्रवास को रोकना

4486. श्री तूफानी सरोज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलियाई सरकार ने अवैध उत्प्रवास को रोकने तथा लोगों को अवैध रूप से बाहर भेजने से रोकने हेतु भारत सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने, अवैध आप्रवासन का पता लगाने और रोकने की आस्ट्रेलिया की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए आई०जी०आई० हवाई अड्डा, नई दिल्ली में आस्ट्रेलिया के आव्रजन विभाग के एक अधिकारी की तैनाती का प्रस्ताव किया था।

(ग) भारत सरकार इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है।

[अनुवाद]

परती भूमि

4487. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वनरोपण के अंतर्गत देश में कई मिलियन हैक्टेयर परती भूमि को लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितनी उपलब्धियां हासिल की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, बंजरभूमि के विकास के लिए तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत वाटरशेड विकास परियोजनाओं के जरिए कार्यान्वित कर रहा है। इन परियोजनाओं के तहत किए जाने वाले मुख्य कार्यकलापों में मृदा और नमी संरक्षण के उपायों सहित वनीकरण, भूमि अवक्रमण तथा सतह पर जल बहाव को रोकने, वर्षा के जल का संग्रहण करने, भू-जल की पुन:पूर्ति चरागाह विकास शामिल है। विगत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)
1	2	3	4
1997-98			
बजट अनुमान	74.50	115.00	70.00
संशोधित अनुमान	50.00	100.75	70.00
वास्तवित व्यय	53.95	100.75	70.00

1	2	3	4
1998-99			
बजट अनुमान	82.10	95.00	90.00
संशोधित अनुमान	62.10	73.00	80.00
वास्तवित व्यय	62.00	73.00	79.80
1999-2000			
बजट अनुमान	82.00	95.00	85.00
संशोधित अनुमान	82.00	95.00	85.00
वास्तवित व्यय	83.07	94.99	85.00

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा की व्यवस्था

4488. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई स्थानों पर अभी भी बारहवीं कक्षा और उससे आगे शिक्षा दिलाने हेतु कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, इन स्थानों का सर्वेक्षण कराने और इनमें, विशेषकर गुजरात में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) 12वीं कक्षा तक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के माध्यम से तथा उच्च शिक्षा के लिए कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन देश में केन्द्रीय विद्यालयों की आवश्यकता का जायजा लेने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं करता है क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय खोलने संबंधी अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्रीय विद्यालय उस स्थिति में खोले जाते हैं जब किसी स्थान विशेष पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए निर्धारित मानदंड पूरे होते हों और बजटीय संसाधन भी उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

सीमा क्षेत्र के ग्रामीणों का पुनर्वास

4489. श्री जी०एस० बसवराज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 2000 के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारी गोलाबारी किए जाने के कारण कुपवाड़ा जिले के ग्रामों से अनेक परिवार अपना घर छोड़कर भाग गये हैं;

(ख) क्या गत पांच वर्षों से करनाह और तंगधर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं जो इस वर्ष मई में और घमासान हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन लोगों को अब अन्य स्थानों पर ले जाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, माह अप्रैल/मई, 2000 में कारनाह उप-मण्डल में सीमा पार से भारी गोलीबारी के कारण चार व्यक्ति मारे गए और कुछ रिहाइशी मकानों को छति पहुंची। आतंक के कारण, लगभग 281 परिवार, जिसमें 1000 के लगभग व्यक्ति थे, कुपवाड़ा, श्रीनगर और बारामूला को पलायन कर गए। पलायन कर गए परिवारों के इन स्थान पर या तो उनकी अपनी रिहाइशी वैकल्पिक व्यवस्था थी अथवा वे अपने रिश्तेदारों के यहां अस्थायी रूप से रहने लगे थे। स्थिति के सामान्य हो जाने पर, बाद में, इन परिवारों को वापिस आने का परामर्श दिया गया था। बाद में, ये परिवार या तो वापिस चले गए या श्रीनगर में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं।

पूरे कारनाह उप-मण्डल में 6300 परिवार हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 के लगभग है और वे इस क्षेत्र को छोड़कर नहीं गए हैं और उन्होंने मांग रखी है कि उन्हें समुदायिक बंकर्स और उस क्षेत्र में रह रहे परिवारों के लिए बंकर्स उपलब्ध कराए जाएं। कारनाह क्षेत्र में 10 सामुदायिक बंकर्स के निमार्ण का कार्य चल रहा है।

वन और राजस्व भूमि

4490. श्री ए०सी० जोस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबर द्वीप-समूह में वन और राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में अनेक मामले चल रहे हैं;

(ख) क्या अंडामन और निकोबार द्वीप समूह में वन और राजस्व भूमि के अलग-अलग और उचित नक्शे सहित विभिन्न श्रेणियों में यथा वर्ष 1961 से पूर्व और 1978 से पूर्व तथा आज तक हुए अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अतिक्रमण किए गए क्षेत्र का ब्यौरा, श्रेणीवार क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन भूमियों को नियमित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) वन भूमि पर 1961 से पूर्व के अतिक्रमणों और राजस्व भूमि पर 1961 और 1978 से पूर्व के अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, वन भूमि पर 1978 से पूर्व के अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण चल रहा है।

2339.74 हैक्टेयर वन भूमि क्षेत्र पर 1978 से पूर्व किए गए अतिक्रमणों के कुल 1367 मामलों की पहचान की गई है। 2251.462 हैक्टेयर वन भूमि क्षेत्र पर 1978 के बाद किए गए अतिक्रमणों के 2073 मामलों को भी पहचान की गई है जिसमें से अतिक्रमण के 145 मामलों में 145.462 हैक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटा दिया गया है।

हालांकि, राजस्व भूमि पर 1978 से पूर्व के अतिक्रमणों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तथापि, 1987 में एक स्कीम बनायी गयी थी, जिसके अन्तर्गत 1978 से पूर्व किए गए अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त 15,966 आवेदन पत्रों में से 7212 मामलों में, जिनमें 1941.25 हैक्टेयर क्षेत्र कवर होता है, लाईसेंस जारी किए गए हैं। राजस्व भूमि पर 1978 से पूर्व किए गए 2400 अतिक्रमणों, की अब तक पहचान की गयी है, जिनके अन्तर्गत 2934 हैक्टेयर क्षेत्र कवर होता है, इनसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विभिन्न अवस्थाओं में है।

(घ) और (ङ) सरकार ने केवल 1978 से पूर्व के अतिक्रमणों को नियमित करने का निर्णय लिया है। 1978 से पूर्व वन भूमि पर किए गए अतिक्रमणों में 645 मामले और राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के 7212 मामले अभी तक नियमित किए जा चुके हैं।

वैज्ञानिक श्रम शक्ति राष्ट्रीय रजिस्टर

4491. डा० ए०डी०के० जयशीलन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक श्रम शक्ति रजिस्टर को पिछली बार कौन सी तारीख में अद्यतन किया गया था तथा इसे अगली बार कब अद्यतन किए जाने का विचार है; और

(ख) राष्ट्रीय रजिस्टर में वर्तमान में कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) विज्ञान की अर्हताएं प्राप्त व्यक्तियों के सूचीकरण पर आधारित वैज्ञानिक जनशक्ति संबंधी राष्ट्रीय रजिस्टर वर्ष 1981 तक रखा गया। तत्पश्चात् विज्ञान अर्हताएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की अत्यधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए इस रजिस्टर को अनुसंधान एवं विकास में रत व्यक्तियों के आंकड़ों के सांख्यिकीय संकलन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह संकलन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा किया जा रहा है। 1.4.1996 को मुख्यत: अनुसंधान एवं विकास स्थापनाओं में कार्यरत व्यक्तियों के पूर्णकालिक समकक्षों की कुल संख्या 1,27,226 थी।

वाहनों की पार्किंग

4492. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में विशेषरूप से सरकारी आवासीय कालोनियों में निकासी द्वार के सामने वाहनों को खड़ा करने की जानकारी है जिसके कारण वाहन और व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने के अवसर मिलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) ऐसे दृष्टांत हैं, जब सरकारी रिहायशी कालोनियों के निकासी गेटों के सामने वाहन, अनधिकृत रूप से पार्क किए, पाए गए हैं। ऐसे मामलों में, चूककर्ताओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों की नियुक्ति

4493. श्री अखिलेश यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों और गैर-अध्यापन स्टाफ विशेषकर समूह 'घ' कर्मचारियों की नियुक्तियां गैर-सरकारी तौर पर की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) मौजूदा कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क में वृद्धि की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से

(ग) जी नहीं। तथापि विद्यालयों को-गैर सरकारी एजेन्सियों से सुरक्षा, साफ-सफाई तथा बागवानी के लिये सेवायें किराये पर लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान कर्मचारियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि गैर-सरकारी एजेन्सियों को इन सेवाओं के लिये केवल विद्यमान रिक्तियों की जगह ही भाड़े पर रखा जायेगा।

(घ) और (ङ) परियोजना सेक्टर के केन्द्रीय विद्यालयों, जो प्रायोजक एजेन्सियों द्वारा वित्त पोषित हैं, के मामले के अतिरिक्त पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय विद्यालयों में ट्यूशन फीस में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। इस सेक्टर में केन्द्रीय विद्यालयों को 2000-2001 शैक्षिक सत्र से फीस की ऐसी दर, जो वे उपयुक्त समझें, निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। तथापि, सभी केन्द्रीय विद्यालयों पर लागू निर्णय के अनुसार 1.4.2000 से छात्र निधि, अनुरक्षण और विकास निधि तथा विज्ञान निधि को मिलाकर इसमें न्यूनतम वृद्धि करते हुए "विद्यालय विकास निधि" बनाई गई है। इससे प्रति माह प्रति छात्र वसूली जाने वाली राशि में नाममात्र की वृद्धि हुई है।

सीमा पर संयुक्त राष्ट्र की सेना

4494. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के 53 वर्ष बाद भी कश्मीर की सीमा पर संयुक्त राष्ट्र की सेना तैनात है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र का मिलिटरी ऑबसर्वर ग्रुप (यू०एन०एम० ओ०जी०आई०पी०) जम्मू और कश्मीर में बहुत थोड़ी सी संख्या में रहता है। यह ग्रुप नियंत्रण रेखा पर तैनात नहीं किया जाता है। इस ग्रुप को संयुक्त राष्ट्र की सेना नहीं कहा जा सकता है।

[अनुवाद]

लेह और कारगिल में नवोदय विद्यालय

4495. श्री हसन खान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेह और कारगिल में जवाहर नवोदय विद्यालय (जे०एन०वी०) के लिए भवनों का निर्माण न कराए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) शिक्षकों के पदस्थापन में नियमों का अनुसरण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन संस्थानों में स्थानीय शिक्षकों की भर्ती संबंधी नीति क्या है;

(घ) क्या इन संस्थानों में छात्रों के चयन का कोटा देश भर में निर्धारित कोटा से बहुत कम है;

(ङ) यदि हां, तो छात्रों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानान्तरण की नीति से वंचित करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार लद्दाख क्षेत्र के दो जवाहर नवोदय विद्यालयों (जे०एन०वी०) का उन्नयन करने का विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो कब तक इनका उन्नयन किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) लेह में जवाहर नवोदय विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य जम्मू-कश्मीर लोक कार्य विभाग को तथा तदनंतर बार्डर रोड टास्क फोर्स को आबंटित किया गया था। निर्माण एजेंसियों के अन्य सामरिक महत्व के कार्यों में लगे होने के कारण उन्होंने लेह जिले में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य नहीं लिया था यह कार्य अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया है तथा लेह जिले में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जवाहर नवोदय विद्यालय, कारगिल का निर्माण कार्य प्रारंभ में जम्मू कश्मीर लोक निर्माण विभाग को तथा तत्पश्चात् बार्डर रोड टास्क फोर्स को दिया गया था परन्तु सामरिक महत्व के कार्य होने के कारण एजेंसियों ने कार्य नहीं किया। जिला कारगिल में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया मूल स्थान सीधे गोलाबारी क्षेत्र में आता था अत: इसे स्थायी स्थान में परिवर्तन कर दिया गया तथा अक्तूबर, 1999 में समिति को वैकल्पिक भूमि आबंटित की गई थी। जम्मू-कश्मीर लोक निर्माण विभाग ने कारगिल जिला में विद्यालय भवन की चार दीवारी का कार्य आरंभ कर दिया है।

(ख) लेह व कारगिल सहित जवाहर नवोदय विद्यालयों में अध्यापन स्टाफ समिति के मानदण्डों के अनुसार तैनात किया जाता है।

(ग) इन संस्थानों में स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कोई अलग नीति नहीं है। वर्ष 1997 के दौरान स्थानीय उम्मीदवारों सहित लेह व कारगिल सहित कश्मीर घाटी में रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान आरंभ किया गया था।

(घ) आवास समस्याओं को देखते हुए इन विद्यालयों में प्रवेश क्षमता 40 तक सीमित है। छात्रों की वास्तविक चयन संख्या चयन परीक्षा में उनके निष्पादन पर निर्भर है।

(ङ) जवाहर नवोदय विद्यालय लेह के स्थानान्तरण संबंध मूलत: जवाहर नवोदय विद्यालय, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) और जवाहर नवोदय विद्यालय उना (हिमाचल प्रदेश) से किए गए थे। परन्तु मौसम भिन्नता के कारण बच्चों के समक्ष यहां समायोजित होने में आने वाली कठिनाई के कारण ये संबंध समाप्त कर दिया गया। अब जवाहर नवोदय विद्यालय,

लेह को जवाहर नवोदय विद्यालय जिला लाहौल व स्पीति (हिमाचल प्रदेश) से जोड़ दिया गया है।

(च) और (छ) नीति अनुसार, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा-VI स्तर से आरंभ किए जाते हैं तथा प्रति वर्ष एक कक्षा बढ़ा दी जाती है। जिला लेह व कारगिल में जवाहर नवोदय विद्यालयों सहित सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों को यथा समय प्रौन्नत कर दिया जाएगा।

सरकारी अप्रवास में घटिया सामग्री का इस्तेमाल

4496. श्री रामजी मांझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकेदार द्वारा सरकारी आवास में मरम्मत/निर्माण कार्य कराने हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी इन कार्यों का निरीक्षण नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के काम पर उचित नियंत्रण रखने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। मरम्मत कार्य करने के लिए ठेकेदार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है।

(ख) ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया।

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल के संगत प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के वस्त्रोद्योग

4497. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण भारत वस्त्रोद्योग के लिए कोई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण कपास उत्पादकों के कौशल को विकसित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) कपड़ा मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि देश में कपड़ा उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जा रही हैं :-

(i) टेक्नोलॉजी आपग्रेडेशन निधि योजना (टी यू एफ एस):-

टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन निधि योजना 1.4.1999 से लागू है। इसका उद्देश्य कपड़ा तथा जूट उद्योग का आधुनिकीकरण करना है। योजना में संबंधित नोडल एजेंसी (आई डी बी आई, एस आई डी बी आई तथा आई एफ सी आई) तथा सहयोजित एजेंसियों से निवेश के द्वारा लिए एक ऋण पर 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। सरकार नोडल एजेंसियों के 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति के संबंध में निधि उपलब्ध कराती है। 30 जून, 2000 को, कुल 612 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 424 आवेदनों पर 3084 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी तथा 247 आवेदनों पर 1002 करोड़ रुपए की ऋण राशि वितरित की गयी।

(ii) कपास से संबंधित टेक्नोलॉजी मिशन (टी एम सी):-

कपास से संबंधित टेक्नोलॉजी मिशन की शुरूआत वर्ष 1999-2000 में की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कपड़ा उद्योग को बेहतर कपास उपलब्ध कराने के लिए कपास की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में वृद्धि करना है तथा कपास उपजाने वाले कृषकों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। इसमें चार छोटे मिशन शामिल हैं अर्थात् एम एम-I, II, III, एवं IV कृषि मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एम एम-I, II लागू किए जा रहे हैं। एम एम-III, एवं IV कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारतीय कपास निगम के माध्यम से किए जा रहे हैं।

एम एम-III के अंतर्गत कपास में संदूषण को कम करने के लिए बाजार भण्डार में सुधार करना शामिल है जबकि एम एम-IV के अंतर्गत ओटाई एवं दबाई फैक्टरियों का आधुनिकीकरण करना है।

30 जून को कपास से संबंधित टेक्नोलनॉजी मिशन के अंतर्गत 28 बाजार भण्डार तथा 15 ओटाई एवं दबाई फैक्टरियों के आधुनिकीकरण की मंजूरी दे दी गयी है।

(iii) कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम—भारतीय कपास निगम वाणिज्यिक प्रचालन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अपने मुख्य कार्य के अलावा कतिपय विस्तारी कार्यकलापों की शुरुआत की है जैसे ग्रामों को अपनाना, अधिक उपज देने वाला प्रमाणित कपास बीज, कीटनाशक दवाइयों का वितरण, कपास फसलों की निगरानी जिसके अंतर्गत कपास कृषि पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कपास के ग्रामीण कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण कपास कृषकों की कौशलता के विकसित करने की कोई अलग योजना नहीं है। किन्तु, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित ग्रामीण कपास कृषकों को स्वरोजगार के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा सकता है—यदि उन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत चुना जाता है तथा सहायता दी जाती है।

मानवाधिकारों का उल्लंघन

4498. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री नारायण दत्त तिवारी :
श्री जितेन्द्र प्रसाद :
श्री तूफानी सरोज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1999-2000 के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में से 55 प्रतिशत उल्लंघन अकेले उत्तर प्रदेश में हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों, विशेषत: उत्तर प्रदेश सरकार को मानवाधिकार उल्लंघनों पर रोक लगाने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अपने यहां मानवाधिकार आयोगों के गठन से इंकार किया है;

(घ) यदि हां, तो विशेषत: उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को वर्ष 1999-2000 के दौरान उत्तर प्रदेश से मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की 28598 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें, वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त कुल शिकायतों के 55% से अधिक हैं। "पुलिस" और "लोक व्यवस्था", राज्य का विषय हैं जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में दिया गया है। तथापि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करती रही है कि मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के मामलों को गम्भीरता से लिया जाये और इनसे तत्परता और सख्ती से निपटा जाये।

(ग) से (ङ) गोवा, सिक्किम और हरियाणा राज्य सरकारों ने राज्य मानवाधिकार आयोग गठित न करने का निर्णय लिया है। जबकि गुजरात और सिक्किम सरकारों ने महसूस किया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने से राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सख्त निगरानी रखने के लिए राज्य में पहले से ही पर्याप्त तंत्र उपलब्ध है। तथापि, शेष राज्यों को, अपने-अपने राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने के लिए मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।

लौह अयस्क का उत्पादन/निर्यात

4499. श्री दिलीप संघाणी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना के अंतर्गत कितनी मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया तथा इससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई; और

(ग) इस लाभ में से कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गयी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में लौह अयस्क का परियोजना-वार उत्पादन निम्नानुसार है:-

(1)	बैलाडिला- 14 —	59.14 लाख नम मीट्रिक टन
(2)	बैलाडिला- 5 —	48.49 लाख नम मीट्रिक टन
	कुल :	107.63 लाख नम मीट्रिक टन

(ख) नेशनल मिनरल डेवलवमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पादित उच्च ग्रेड के लौह अयस्क का निर्यात धातु और खनिज व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। अत: वर्ष 1999-2000 के लिए एन० एम०डी०सी० द्वारा परियोजना-वार धातु और खनिज व्यापार निगम को निर्यात के लिए प्रेषित लौह अयस्क और उससे अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

परियोजना	मात्रा (लाख नम मीट्रिक टन)	निर्यात से राजस्व (लाख रुपए)
(1) बैलाडिला-14	18.53	13621.94
(2) बैलाडिला- 5	23.79	16829.60
कुल :	42.32	30451.54

(ग) लागू नहीं, क्योंकि एन०एम०डी०सी० की साम्या पूंजी में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की कोई शेयर धारिता नहीं है। तथापि, वर्ष 1999-2000 के दौरान निगम द्वारा राज्य सरकार को निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है :-

(लाख रुपए)

	बैलाडिला-14	बैलाडिला-5	योग
रायल्टी	1028.36	894.62	1922.98
परिसरीय विकास	25.00	48.13	73.13
खनन पट्टे का नवीकरण करने के लिए वर्ष के दौरान प्रतिपूरक वृक्षारोपण आदि के लिए किया गया भुगतान	2533.23	972.08	3505.31
योग :	3586.59	1914.83	5501.42

[हिन्दी]

भारत-रूस परमाणु समझौता

4500. **श्री सुरेश पासी :**
प्रो० रासासिंह रावत:
श्री राजेश वर्मा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने परमाणु-विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) भारत के परमाणु वैज्ञानिक और विशेषज्ञ रूस का और रूस के परमाणु वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भारत का दौरा करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते का कब तक निष्पादन किए जाने की सम्भावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा') : (क) और (ख) भारत और रूस ने परमाणु-विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा रूसी गणराज्य के रूसी अनुसंधान केन्द्र (कुर्चाटोव संस्थान) के बीच, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ) सहमति ज्ञापन में परमाणु वैज्ञानिकों के विनिमय के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार

4501. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं तथा भ्रष्टाचार के उन्मूलन के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मई, 2000 में नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सम्मेलन में की गई टिप्पणियों के आधार पर कोई कार्य-योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शहरों का विकास

4502. **श्री राम मोहन गाड्डे** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष और हडको की सहायता से छोटे और मध्यम आकार के शहरों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विकसित करने हेतु चयनित शहरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में विकास कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी नहीं। सांसद निर्वाचन क्षेत्र कोष की सहायता से देश में छोटे और मझोले कस्बों के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है। छोटे और मझोले कस्बों के विकास का काम छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आई डी एस एम टी) नामक चालू केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अंतर्गत किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सहायता के अलावा वित्त संस्थानों, जिसमें हडको भी शामिल है से ऋण भी लिया जा सकता है।

(ग) हडको ने 5 राज्यों में 5446.31 लाख रुपए की परियोजना लागत की 24 आई डी एस एम टी स्कीमें और 3639.13 लाख रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की है इसमें से 2020.49 लाख रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी गयी है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) इस समय किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

विवरण

हडको द्वारा वित्त पोषित आई डी एस एम टी परियोजनायें

क्र. सं.	कस्बे का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	जारी ऋण
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	चिराला	520.82	320.82	81.06
2.	पोन्नूर	644.58	444.58	276.81
3.	अदोनी	297.56	221.10	83.19
4.	अमुदलवलसा	124.26	70.64	56.79
5.	त्रिरूपति	282.12	196.35	10.00
6.	विजयनगरम	411.86	223.86	223.86
7.	कुडप्पा	214.15	160.61	142.23
8.	वनापारती	47.29	35.47	27.27
9.	गुड्डूर	31.75	20.75	18.49
10.	विकाराबाद	104.93	68.86	6.58
11.	राजामुंडी	326.41	221.83	135.84
12.	अमालापुरम	132.42	99.32	83.95
13.	काकीनाडा	263.14	197.36	124.19
14.	तूनी	117.50	71.91	32.36
15.	गुंटूर	404.00	289.11	142.14
16.	मिर्यालगडा	311.19	233.39	118.78
17.	चित्तर	309.80	232.35	192.06
केरल				
1.	कोल्लम (अदामुक्कम में भूमि अधिग्रहण और विकास)	166.25	124.00	124.00
2.	अलापुज्जा	174.52	109.29	32.76
3.	कोल्लम (अंदामुक्कम फेज-II में भूमि अधिग्रहण)	103.08	82.50	82.50
मध्य प्रदेश				
1.	खंडवा	164.19	109.93	25.64
पंजाब				
1.	तरन तारन	162.78	40.70	0.00
2.	सरहिन्द	112.37	50.00	0.00
प० बंगाल				
1.	मिरिक	19.34	14.40	0.00
	सकल योग	5446.31	3639.13	2020.49

[हिन्दी]

जनसंख्या परिदृश्य

4503. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जम्मू-कश्मीर सरकार लद्दाख तथा लेह में मुसलमानों को जबरदस्ती आबाद कर वहां की जनसंख्या परिदृश्य में परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे कार्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) लद्दाख और लेह में कोई जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाने की किसी भी प्रयास के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भूमि की खरीद

4504. डा० बलिराम : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आवासीय मकानों का निर्माण करने के लिए कर्मचारियों (सेवारत और सेवानिवृत्त) को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के अलावा भूमि खरीद हेतु केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण संगठन को सरकारी खजाने से बड़ी मात्रा में धन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों ने आवास सुविधा प्राप्त की; और

(ग) उक्त योजना/संगठन के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने कर्मचारियों (सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों) को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और कुल कर्मचारियों की तुलना में प्रतिशत कितना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) सरकार ने केन्द्र सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन को भूमि खरीदने एवं कामकाज शुरू करने के लिए अब तक 19 करोड़ रुपये की पूंजी अनुदान मुहैया कराया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने संगठन को अपनी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 13 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सहायता प्रदान की है। इसके अलावा सरकार अपने कर्मचारियों को उनके मकानों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए भवन निर्माण अग्रिम भी देती है।

(ख) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सी जी ई डब्ल्यू एच ओ) द्वारा आवासीय सुविधा का स्वामित्व पाने वाले कर्मचारियों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	स्थान	निर्मित/निर्माणाधीन आवासीय एककों की कुल संख्या
निर्मित		
1997	पंचकुला (फेज-I)	98
1997	कलकत्ता (फेज-I)	576
1997	नौएडा (फेज-I)	692
1998	खारधर, नवीं मुम्बई	1230
1998	नौएडा (फेज-II)	508
1999	गुड़गांव (फेज-I)	1088
निर्माणधीन		
2000	बंगलौर	603
2000	चंडीगढ़	305
	कुल	5100

(ग) अनुसूचित जाति के 172 कर्मचारियों एवं अनुसूचित जन जाति के 56 कर्मचारियों को संगठन द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है। केन्द्र सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने आवासीय एककों के आबंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण सन् 1999 से देना आरंभ किया है। केन्द्र सरकार कल्याण आवास संगठन द्वारा कुल कर्मचारियों को आबंटित मकानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत 3.4 प्रतिशत एवं 1.1 प्रतिशत बनता है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में मारे गए सुरक्षाकर्मी

4505. श्री बलीराम कश्यप : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में अपनी ड्यूटी के दौरान सी०आर० पी०एफ० और बी०एस०एफ० के कितने जवान और अधिकारी मारे गए और कितने स्थायी रूप से विकलांग हुए;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मियों की विधवाओं और आश्रितों को कोई सहायता उपलब्ध कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) उग्रवाद के शुरू होने से जम्मू व कश्मीर में अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के मारे गए और स्थायी रूप से विकलांग हो गए जवानों और अधिकारियों की संख्या निम्नप्रकार है :-

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

मारे गए	–	188
विकलांग हो गए	–	32

सीमा सुरक्षा बल

मारे गए	–	334
विकलांग हो गए	–	182

(ख) और (ग) सरकार, ड्यूटी का निर्वहन करते समय मर गए/मारे गए कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 7.5 लाख रु० की दर से अनुग्रह राहत प्रदान कर रही है। इसके अलावा, कार्रवाई के दौरान मारे गए जवानों की विधवाओं/आश्रितों को, मृतक कार्मिक की सेवा-निवृत्ति की आयु तक पेंशन के रूप में, अन्तिम वेतन की आहरित राशि के बराबर पेंशन प्रदान की जाती है। स्थाई रूप से विकलांग हो गए कार्मिकों को विकलांगता पेंशन प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, जम्मू कश्मीर में ड्यूटियों का निर्वहन करते समय मारे गए/स्थाई रूप से विकलांग हुए कार्मिकों व अधिकारियों और उनके परिवारों को मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक अर्ध-सैनिक बल में कल्याण कोष होता है।

(घ) उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

गरीब व्यक्तियों का पता लगाने के लिए मानदण्ड

4506. श्री नारायण दत्त तिवारी :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब व्यक्तियों का पता लगाने के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्डों में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सभी राज्यों में गरीब व्यक्तियों का पता लगाने के लिए मानदण्ड एक समान हैं;

(घ) यदि नहीं, तो विभिन्न राज्यों में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ङ) क्या राज्यों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए आय-सीमा को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए वर्तमान आय-सीमा क्या है; और

(ज) लक्षित गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत इस बात का पता लगाने के लिए कि कोई लाभार्थी गरीबी रेखा की सीमा को पार कर चुका है, क्या पद्धति अपनाई जाती हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए वार्षिक परिवारिक आय का मानदंड अपनाया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए बहुआयामी मानदंडों का प्रयोग किया जाता था जिनमें घरेलू व्यवसाय, आवास की स्थिति, अर्जकों की संख्या, संपत्ति की स्थिति (स्वामित्व वाली परिचालित भूमि, निजी पशुधन की संख्या, प्रयोग से लायी जाने वाली उपभोक्ता वस्तुएं आदि) शामिल थी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने का मानदंड सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक समान है।

(ङ) और (च) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान करने के लिए आय सीमा में वृद्धि करने का किसी भी राज्य का कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) गरीबी रेखा सुनिश्चित करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा निर्धारित आय सीमा विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं तथा यह प्रतिवर्ष 13,000 रुपए से लेकर 19,650 रुपए तक है।

(ज) कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन किया जाता है। किन्तु, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबी उन्मूलन स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगारी गरीबी रेखा को पार करें, डी आर डी ए/ब्लॉक अधिकारी तथा बैंकर इस पर निगरानी रखते हैं कि स्वरोजगारी अपनी परिसंपत्तियों का उचित रूप से प्रबंधन कर रहा है तथा इस महत्वपूर्ण कार्यकलाप की परियोजना रिपोर्ट में दर्शायी गयी आय को सृजित करने में समर्थ है। स्वरोजगारी के पास तथा ब्लाक मुख्यालय में रखी विकास पत्रिका को लगातार अद्यतन किया जाता है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्र

4507. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :
श्री जयप्रकाश :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी०एम०जी०वाई०) के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र के लिए योजना आयोग ने राज्यों को विशेषत: गुजरात और उत्तर प्रदेश को नियत की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा योजना-वार उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यक्रमों (ग्रामीण सड़क सम्पर्क को छोड़कर) के लिए किसी भी राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के कुल आबंटन का कम से कम 15% प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आबंटित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रत्येक क्षेत्र के लिए 15% के अनिवार्य आबंटन के अलावा प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के पांच क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के कुल आबंटन का 25% आबंटन करने का निर्णय ले सकते हैं। प्राथमिक

स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात और उत्तर प्रदेश को स्वीकृत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि क्रमश: 9.71 करोड़ रुपए तथा 52.33 करोड़ रुपए हैं।

(ख) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की पहली छिमाही किस्त जून-जुलाई, 2000 को ही जारी की गई थी तथा ऐसी स्थिति में निधियों के उपयोग का आकलन करना जल्दबाजी है।

स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा

4508. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुछेक कालेज विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों (प्रथम वर्ष) में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, कुछ कालेज विभिन्न उच्चतर माध्यमिक बोर्ड/विश्वविद्यालय में प्रचलित मौजूदा ग्रेडिन्ग पद्धति की विषमता तथा विभिन्न कालेजों की विशिष्ट पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की अलग-अलग मांग के कारण विशेष विषय (विषयों) के अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय इस मामले पर अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति प्रदान करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा स्तर बोर्ड

4509. **श्री कोलूर बसवनागौड** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा स्तर बोर्ड गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुरूप एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा सहित शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए अपने बोर्ड स्थापित करने के लिए राज्य सक्षम है।

(ख) कर्नाटक सरकार ने मान्यता प्राप्त करने के लिए सरकार से संपर्क नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खुली कोयला परियोजना के कोयला भंडार

4510. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में महानदी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत छेंदीपाड़ा (खुली कोयला परियोजना) के कोयला भंडारों का पता लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना में क्या प्रगति हुई है और उस पर कितना व्यय किया गया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) छेंदीपाड़ा खुली कोयला परियोजना (0.35 मि०ट० प्रतिवर्ष) में अन्वेषण का कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) 1995 से 3484.50 मीटर की कुल ड्रिलिंग के 25 बोर होल्स पूरे हो चुके हैं। मई, 2000 में भूगर्भीय रिपोर्ट तैयार हो गई थी।

(ग) इस परियोजना की प्रगति और उस पर हुए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(i) एम सी एल बोर्ड द्वारा 19.75 करोड़ रु० के पूंजी परिव्यय से 0.35 मि०ट० प्रतिवर्ष वार्षिक कोयला उत्पादन हेतु छेंदीपाड़ा ओ सी. पी को 28.4.1997 को मंजूरी दी गई थी। 36.44 हैक्टेयर का खनन पट्टा देने के लिए 28.2.1995 को उड़ीसा सरकार के इस्पात तथा खान विभाग को प्रार्थना-पत्र दिया गया था। इसकी खनन योजना भारत सरकार द्वारा 15.3.2000 को अनुमोदित कर दी गई है।

(ii) खनन पट्टा देने के लिए संगत जानकारी के साथ खान योजना उड़ीसा सरकार को 31.3.2000 को प्रस्तुत की गई है। खनन-पट्टा हासिल करने के लिए राज्य सरकार के साथ इस मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

(iii) इस परियोजना के लिए अंत: संरचना संबंधी सुविधाएं बनाने हेतु 13.1 हैक्टेयर में से वन रहित सरकारी भूमि में से 6.78 हैक्टेयर के क्षेत्र की सिफारिश तहसीलदार द्वारा कर दी गई है।

(iv) 24.30 हैक्टेयर वन भूमि को चरण-II वन अनुमति 24.5.2000 को दे दी गई है।

(v) ई एम पी अनुमति भी दिनांक 30.6.2000 को दी जा चुकी है।

(vi) प्रस्तावित खनन स्थल के ऊपर से गुजरने वाली 11 के०वी० की विद्युत लाइन का मार्ग बदलने के लिए (सेंट्रल इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी) सी ई एस सी ओ ढेकनाल, उड़ीसा को एक प्रार्थना-पत्र दिया जा चुका है और सी०ई०एस०सी०ओ० से इस परियोजना के लिए बिजली लेने के लिए भी आवेदन किया जा चुका है। पूंजीगत परिव्यय 19.75 करोड़ रु० में से 4.56 करोड़ रु० का पूंजी निवेश 30.6.2000 तक किया जा चुका है।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग कॉलेज

4511. श्री अरूण कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) बिहार सरकार से अगस्त, 2000 में पटना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार इस समय केन्द्रीय क्षेत्रक में कोई नया इंजीनियरी कालेज स्थापित करने पर विचार नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

मैट्रो रेल परियोजनाएं

4512. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार किन-किन स्थानों पर मेट्रो रेल परियोजनाओं का निर्माण और परिचालन प्रगति पर है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के मामले में अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई और परियोजना पूरी होने तक कितना व्यय किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) प्रत्येक मामले में निर्माण आरंभ होने की तारीख क्या है और कार्य पूरा किया जाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में क्रमशः मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में मेट्रोपोलिटन परिवहन परियोजनाओं का निर्माण और प्रचालन कार्य चल रहा है।

मैट्रो रेल परिवहन प्रणाली (एम आर टी एस) चरण-I दिल्ली में निर्माणाधीन है। इसके पूरा होने के बाद प्रचालन शुरू होगा।

(ख) और (ग) दिल्ली में एम आर टी एस चरण-I के बारे में ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई के बारे में ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

एम आर टी एस चरण-I दिल्ली

(ख) और (ग) दिल्ली एम आर टी एस चरण-I की पूर्ण होने की अनुमानित लागत (मौजूदा लागत) 8155 करोड़ रुपये है और इस परियोजना पर 30.06.2000 तक 558 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। दिल्ली एम आर टी एस के निर्माण कार्यकलाप अक्टूबर, 1998 में शुरू हुए। दिल्ली में एम आर टी एस चरण-I को 30.03.2000 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण-II

परियोजना का नाम	अनुमोदन/कार्य शुरू करने का वर्ष		अब अनुमानित लागत	मार्च, 2000 तक खर्च	2000-01 के लिए नियतन	कार्य पूरा करने हेतु शेष	चालू होने का अनु० लक्ष्य
1	2		3	4	5	6	7
मुम्बई (महाराष्ट्र)							
1. थाणे तुरभे नेरूलवाशी	1995-96	रेलवे	131.47	83.17	7.90	40.40	मार्च, 2001
कोरीडोर सं० 2,		सिडको	271.92	84.92	43.70		
नवी मुम्बई में		कुल	403.39	168.09	51.60		

1	2		3	4	5	6	7
2. बेलापुर पंवेल डबल लाइन सामग्री आधुनिकीकरण सहित	1996-97	रेलवे सिडको कुल	92.50 187.81 280.31	77.05 50.31 127.36	7.00 35.39 42.39	8.45	मार्च, 2001
3. सी वुड उरान वैद्युत लाइन	1996-97	रेलवे सिडको कुल	163.49 331.95 495.44	9.50 7.30 16.80	12.00 33.37 45.37	141.99	मार्च, 2004
4. कुर्ला थाणे, 5वीं व 6वीं लाइन चरण-I और भंधप तक	1995-96		95.00	47.82	14.00	33.18	मार्च, 2002
5. कुर्ला थाणे 5वीं व 6वीं लाइन चरण-II बंधप से थाणे	1997-98		56.79	15.50	10.00	31.29	मार्च, 2002
6 5वीं लाइन, सांताक्रूज बोरीवली के बीच	1995-96		82.42	61.46	12.00	8.96	दिसम्बर, 2000
7. क्वाईपलिंय आफ बोरीवली-विरार	1996-98		401.66	43.04	30.00	328.62	मार्च, 2004
चेन्नई (तमिलनाडु)							
8. चेन्नई बीच से लुज (अब थ्रीरूमलाई) चरण-I	1983-84		268.87	259.82	5.00	4.05	अब चालू अवशिष्ट कार्य चल रहा है
9. एम०आर०टी०एस० चरण-II थ्रीरूमलाई से वेलाचेरी	1996-97	रेलवे टी.एन.जी. कुल	228.11 456.21 684.32	98.65 130.58 239.23	35.00	94.46	मार्च, 2002
10. चेन्नई बीच तांब्रेम चेंगलपट्टी गाँज कंवर्जन	1998-99		227.62 227.62 455.22	10.80	20.00	196.82	मार्च, 2004
11. ड्मडम-गडिया डिजाइन एंड कंस्ट. ऑफ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम	1972-73		2169.79 231.90 2401.69	1699.00	150.00	470.79	मार्च, 2005
12. सर्कुलर रेलवे कलकत्ता (विस्तार सहित) डमडम एन एस सी बोस एयरपोर्ट और डमडम से प्रिंसेग घाट तक विद्युतीकरण	1984-85		192.90	48.94	45.00	98.96	मार्च, 2004

नोट— 1. क्रम सं० 1 से 3 की परियोजनाओं की लागत शहर और औद्योगिक विकास निगम (सिडको) और रेलवे के बीच क्रमशः 2/3: 1/3 अनुपात में वहन की जा रही है।

2. क्रम सं० 9 व 10 की परियोजनाओं की लागत तमिलनाडु राज्य सरकार और रेलवे के बीच क्रमशः 2/3: 1/3 और 50 : 50 अनुपात में वहन की जा रही है।

3. क्रम सं० 12 के अंतर्गत परियोजना की लागत प० बंगाल राज्य सरकार और रेलवे के बीच क्रमशः 1/3 : 2/3 अनुपात में वहन की जा रही है।

आदिवासियों की जनसंख्या

4513. **श्री जयभान सिंह पवैया** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली तीन जनगणनाओं में आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) पिछली तीनों जनगणना के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में गिरावट आई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वृद्धावस्था पेंशन

4514. **श्री उत्तमराव ढिकले :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय उपलब्ध वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय वृद्धावस्था पेंशन के राज्यवार कितने लाभार्थी हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए संख्यात्मक अधिकतम सीमा निर्धारित की हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में राज्यों में लाभार्थियों की संख्या के अधिकतम निर्धारित सीमा से पीछे रहने की स्थिति में उक्त सीमा की समीक्षा करने का है;

(च) क्या वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) उक्त सीमा की समीक्षा कब तक की जाएगी और इसे कब से कार्यान्वित किया जाएगा; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) केन्द्र सरकार वर्ष 1995 से देशभर में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का कार्यान्वयन कर रही है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के बेसहारा वृद्धों को पेंशन दी जाती है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का ही एक अंग है और इसका समग्र वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कुछ राज्य सरकारें भी अपने संसाधनों से वृद्धावस्था पेंशन दे रही हैं।

(ख) चालू वित्त वर्ष (2000-2001) के दौरान, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 447 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। इस आबंटन से लाभ प्राप्त करने वालों की तदनुरूपी संख्या 47,75,641 है। लाभार्थियों का राज्य-वार आबंटन का ब्यौरा (1999-2000) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने लक्ष्य जनसंख्या अर्थात् 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के निर्धन व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए संख्यात्मक सीमा निर्धारित की है। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं—जैसे संदर्भ वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमानित जनसंख्या, वर्ष 1993-94 के लिए विशेषज्ञ समूह की संशोधित रिपोर्ट के आधार पर कुल जनसंख्या में 65 वर्ष के आयु वर्ग का अनुपात। संख्यात्मक सीमा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वित्तीय हकदारी की ऊपरी सीमा के अनुरूप दीर्घावधिक लक्ष्य का द्योतक है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) और (झ) ऊपरी सीमा को हाल ही में संशोधित किया जा चुका है। फिलहाल इसमें और अधिक वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

वर्ष 1999-2000 के दौरान लाभार्थियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

योजना : राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

क्र० सं०	राज्य	आबंटन 1999-2000 रु० लाख में	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	वास्तविक उपलब्धि 99-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4098.12	437834	466000

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	53.67	5734	2347
3.	असम	777.00	83012	84967
4.	बिहार	6461.57	690338	715752
5.	गोआ	26.25	2805	2195
6.	गुजरात	527.66	56373	63862
7.	हरियाणा	503.41	53784	31359
8.	हिमाचल प्रदेश	222.25	23745	15176
9.	जम्मू व कश्मीर	298.08	31847	23413
10.	कर्नाटक	2780.74	297088	195235
11.	केरल	1311.91	140162	119507
12.	मध्य प्रदेश	4308.30	460289	586400
13.	महाराष्ट्र	3907.16	417431	70714
14.	मणिपुर	96.83	10345	5836
15.	मेघालय	104.41	11155	9102
16.	मिजोरम	35.18	3758	4094
17.	नागालैंड	75.83	8102	4614
18.	उड़ीसा	2932.00	313248	330272
19.	पंजाब	363.41	38826	32859
20.	राजस्थान	1385.41	148014	451325
21.	सिक्किम	28.00	2991	1085
22.	तमिलनाडु	3077.99	328845	430300
23.	त्रिपुरा	167.42	17887	15507
24.	उत्तर प्रदेश	7765.28	829624	940539
25.	पश्चिम बंगाल	3112.28	332509	350810
26.	अं० व नि० द्वीप समूह	16.33	1745	0
27.	चण्डीगढ़	12.83	1371	1763
28.	दा० व न० हवेली	11.09	1184	0
29.	दमन व दीव	2.33	249	262
30.	दिल्ली	234.49	25053	24156
31.	लक्षद्वीप	1.75	187	0
32.	पांडिचेरी	46.09	4924	1500
	कुल	44745.09	4780458	4980951

* अनंतिम

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में कल्याणकारी योजना

4515. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु कोई विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग से कोई कल्याणकारी योजना नहीं बनाई गई है। लेकिन भारत सरकार द्वारा बनाई गई कई विकास योजनाएं अर्थात् प्रधानमंत्री रोजगार योजना, खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, मार्जिन मनी स्कीम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, उत्पादन उन्मुख योजनाएं और क्षेत्र विकास योजनाएं, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, मध्यान्न दुग्ध योजना, सर्वशिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा-केन्द्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) पिछले कई वर्षों से राज्य को विशेष योजना सहायता और विशेष केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जा रही है ताकि उनका योजनेतर अंतराल पूरा हो सके और वे उपयुक्त योजना बना सकें। वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान राज्य को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता और विशेष योजना सहायता इस प्रकार है:

(करोड़ रु० में)

योजना	1997-98	1998-99	1999-2000
विशेष केन्द्रीय सहायता	850.00	850.00	850.00
विशेष योजना सहायता	200.00	250.00	300.00

लौह द्वार लगाया जाना

1546. **डा० एस० वेणुगोपाल :**
श्री राशिद अलवी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मॉडल टाऊन, टेगौर पार्क और मुखर्जीनगर जैसी अधिकांश आवासीय कालोनियों और अन्य क्षेत्रों में लौह द्वार खड़े किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमति ले ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कालोनियों में इन द्वारों को लगाकर सड़क रास्ता बंद कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि इन कालोनियों में कुछ सड़कों पर निगम की मंजूरी के बिना लोहे के गेट लगाए गए हैं।

(ख) से (ङ) अधिकतर गेट रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से लगवाए गए हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस बारे में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। जहां ऐसे गेटों के बारे में विशेष रूप से आपत्ति की जाती है और जो बिना मंजूरी के लगाए जाते हैं, वहां गेट लगाने वालों को उन्हें हटाने के लिए कहा जाता है।

दिल्ली वासियों हेतु सुरक्षित पेयजल

4517. **डा० विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली वासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्षा जल के भण्डारण हेतु जलाशयों के निर्माण के द्वारा दिल्ली में जल संग्रहण शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां, सरकार दिल्ली में छतों के बरसाती पानी को एकत्र करके बरसाती पानी के संग्रह को प्रोत्साहित कर रही है। भूगर्भीय जल के घटते हुए संस्तर को उठाने और अन्य प्रयोजनों के लिए बरसाती पानी के पुन: उपयोग के लिए रोक बांधों का निर्माण कर रही है और कूपकदार खंदकों का निर्माण कर रही है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यूनेस्को भवन

4518. **श्री चन्द्रकान्त खैरे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यूनेस्को भवन के निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निर्माण के वित्तपोषण के स्त्रोत के साथ इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण कार्य की समाप्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्माण कार्य को समय से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) यूनेस्को के महानिदेशक ने 4 फरवरी, 1999 को 1 सैन मार्टिन मार्ग, चाणक्यपुरी में यूनेस्को भवन का शिलान्यास किया था। भारत सरकार इस भवन के निर्माण के लिए निधियां प्रदान करेगी।

(ग) से (ङ) क्योंकि अभी इस भवन का डिजाइन तैयार किया जाना है इसलिए इसे पूरा करने की समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

4519. **श्री रामसिंह कस्वां** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान वर्ष 1998 से आज की तारीख तक मरे; और

(ख) उनमें से कितनों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गयी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालयों में उच्च कक्षाएं आरंभ करना

4520. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्रीमती जसकौर मीणा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय विद्यालयों से विशेषकर सवाई माधोपुर, राजस्थान से उनके विद्यालय में उच्च कक्षाएं आरंभ करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है तथा अनुरोध को कब तक स्वीकार किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों के स्तरोन्नयन संबंधी प्राप्त अनुरोधों का राज्यवार विवरण और इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	+2 स्तर का स्तरोन्नयन	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
	असम		
1.	ओ एन जी सी सिरीकोना	11 विज्ञान	संस्वीकृत
2.	तिनसुकिया	11 विज्ञान	संस्वीकृत नहीं। आवास उपलब्ध नहीं
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	सं. 2, एटानगर	11 विज्ञान 11 वाणिज्य	संस्वीकृत
	गुजरात		
1.	आरमी भुज	11 विज्ञान	संस्वीकृत
	गोवा		
1.	बाम्बोलीम कैम्प	11 मानविकी	संस्वीकृत
	हरियाणा		
1.	नारनौल	11 विज्ञान 11 मानविकी 11 वाणिज्य	संस्वीकृत नहीं। आवास पर्याप्त नहीं
	कर्नाटक		
1.	ए पी एस बिदर	11 मानविकी	संस्वीकृत
	केरल		
1.	केल्ट्रोन नगर	11 वाणिज्य	संस्वीकृत
2.	अदूर	11 विज्ञान	संस्वीकृत नहीं। आवास पर्याप्त नहीं
	मध्य प्रदेश		
1.	छतरपुर	11 विज्ञान	संस्वीकृत
2.	झाबुआ	11 विज्ञान	संस्वीकृत
3.	सतना	11 विज्ञान	संस्वीकृत नहीं। आवास की अनुपलब्धता।
4.	छिंदवाडा	11 विज्ञान	-वही-
	राजस्थान		
1.	सवाई माधोपुर	11वीं कक्षा	संस्वीकृत
2.	सं० 5 जयपुर	11 विज्ञान	संस्वीकृत
3.	सूरतगढ़ छावनी	11 विज्ञान	संस्वीकृत
	तमिलनाडु		
1.	सं० 2 त्रिचि	11 विज्ञान	संस्वीकृत
	त्रिपुरा		
1.	कैलाशहर	11 विज्ञान	संस्वीकृत
	उत्तर प्रदेश		
1.	मसूरी	11 विज्ञान	संस्वीकृत

1	2	3	4
2.	ऋषिकेश	11 विज्ञान	संस्वीकृत नहीं। बकाया की वसूली नहीं की गई।
		11 विज्ञान	
3.	पुरानी छावनी इलाहाबाद	11 मानविकी	संस्वीकृत
4.	बस्ती	11 विज्ञान	संस्वीकृत नहीं। अपर्याप्त आवास
		11 विज्ञान	
5.	सीतापुर	11 मानविकी	-वही-
6.	बलिया	11 विज्ञान	संस्वीकृत नहीं। आवास उपलब्ध नहीं।
7.	गाजीपुर	11 विज्ञान	-वही-
8.	तालबहट	11 विज्ञान	संस्वीकृत नहीं। बच्चों की अपर्याप्त संख्या।
	पश्चिम बंगाल		
1.	बर्दवान	11 विज्ञान	संस्वीकृत नहीं। आवास की कमी।

अत्यधिक खनन के कारण खतरा

4521. **प्रो० दुखा भगत :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अत्यधिक खनन से बिहार के झरिया/रानीगंज के आसपास के क्षेत्रों में बड़े दरार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) कोल इंडिया द्वारा यह सूचना दी गई है कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व तत्कालीन मालिकों द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से खनन करने और बिहार के झरिया/रानीगंज के साथ लगे क्षेत्रों और कोयला खानों में गैर कानूनी खनन करने के कारण कुछ स्थानों पर जमीन धंस गई है।

(ख) कुछ समय पहले तक जमीन धंसने की बड़ी घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) झरिया और रानीगंज के कोयला क्षेत्रों में भूमि धंसने और अग्नि कांड की समस्याओं का व्यापक तरीके से हल ढूंढ़ने की दृष्टि से सचिव कोयला की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन, इस उपर्युक्त समस्या पर ध्यान देने और उसे दूर करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए दिसम्बर, 1996 में किया गया था। उक्त समिति ने अनेक दीर्घकालीन उपाय सुझाए हैं जो कोयला कंपनियों, राज्य सरकारों और अन्य कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

विवरण

वर्ष	कोलियरी	भूमि धंसने की घटनाएं
1	2	3
1997-98	धसकपट्टी बी सी सी एल	14.8.1997 को भारी वर्षा के कारण गहरे छिद्र बन गए थे जिनमें एक लड़की के दब जाने की सूचना मिली थी। बी सी सी एल के 21 मकान और 60 गैर-कानूनी निर्माण गिरा दिए गए और लोगों को अन्यत्र पहुंचाया गया।
	कुस्टोरे, बी सी सी एल	धंसाव के कारण 30 महरान दार धोवरों में दरारें पड़ गई थीं, प्रभावित लोगों को अन्यत्र बसाया गया, धोवरों को धाराशाही कर दिया गया।
	श्यामपुर "ए" ई सी एल	पूर्वी रेलवे की ग्रांड कोर्ड रेलवे लाइन के दक्षिण की ओर लगभग 40 मीटर दूर नम्बर 5 सीम खुदाई के ऊपर 3 एम 3 एम 1.5 एम० (2 की संख्या में) के छिद्र जुलाई, 1997 में सिंगपुर बस्ती के निकट हो गए थे। पुरानी ओ सी पी जो अवैध ढंग से खोदी जा रही थी उसे भर दिया गया यह धंसाव भारी वर्षा के कारण हो सकती हैं। जन धन की किसी हानि की सूचना नहीं है।
1998-99	गोदपुर, बी सी सी एल	6.2.99 को रेवानी बस्ती के 36 मकानों में दरारें पड़ गई थी। इन 36 मकानों में से 24 मकान बी सी सी एल के हैं। प्रभावित परिवारों को अन्यत्र हटा दिया गया।

1	2	3
	बरारी, बी सी सी एल	1917 और 1924 में खोदी गई कोयला निष्कासित क्षेत्र सं० 15 और 14-ए की सीमों में लगे हुए पांच मकानों में 27.2.99 को दरारें पड़ गई थी। 50 मकानों के निवासियों को हटाने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है।
1990-00	कुजमा, बी सी सी एल	फुलारीबाद खंड में 25.4.99 को गहरे गढ्ढे पड़े थे जिसमें पुरानी खदान संख्या 15 और 14 की सीमों के कारण 6 मकानों पर प्रभाव पड़ा था। इनको खाली करा दिया गया था।
	सिमला बहाल, बी सी सी एल	धनबाद सिंदरी, डी-8 रोड पर इंदिरा चौक से सिंदरी की ओर लगभग 177 मीटर का भूमि धंसाव 21.7.1999 को हुआ था, जिसे बाद में रेत से भर दिया गया था।
	दामागोरिया, बी सी सी एल	बोरारी गांव के निकट 10.8.1999 को भूमि धंस गई थी जिसमें 6 रिहायशी मकानों पर प्रभाव पड़ा था जो लायकडीह और सालनपुर "सी" और "डी" सीमों की पुरानी खुदाई के कारण धंसी थी। प्रभावित मकानों को हटा दिया गया है।
	बदजना, ई सी एल	सिंगपुर सीम (छोड़ी गई) में अवैध खनन के कारण देवियाना गांव की संगपुर बस्ती में 28.7.1999 को भूमि का धंसाव हुआ था। जन-धन की कोई हानि नहीं हुई। इस जगह को भर दिया गया है।
	लोडना, बी सी सी एल	पुरानी खुदाई की 13-बी, 13, 12 और 11 को खदानों के कारण न्यू स्टैंडर्ड लोडना कोलियरी बस्ती की सीम 12 पर 14.1.2000 को छोटी सी भूमि धंसाव हुई थी जिसके कारण 23 मकानों में बहुत बारीक दरारें पड़ गई थीं। निवासियों को वहां से हटा दिया गया है।
	बदजना, बी सी सी एल	देवीयाना गांव के पूर्व की ओर 15.4.2000 को भूमि धंसाव हुई थी जिसके परिणामस्वरूप 20 मकानों में दरारें पड़ गई थीं। किसी को चोट नहीं लगी।
2000-01	मंडलपारा और सैंक्टोरिया गांव, ई सी एल	2.7.2000 को सैंक्टोरिया गांव के मंडलपारा में दरारें दिखाई पड़ी थी और कुल 8400 वर्ग मीटर का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। कोई घायल नहीं हुआ। ई सी एल परिवारों की दो मकान मालिकों और ई सी एल के अलावा अन्य 10 परिवारों को ई सी एल द्वारा वहीं या उसके आसपास के क्षेत्र में वैकल्पिक आश्रय प्रदान दिया गया है। स्थिरीकरण के लिए जे०के० रोपवेज ने ड्रिलिंग का कार्य शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

यमुना नदी तटों का विकास

4522. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यमुना नदी तटों के विकास का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में डी डी ए ने कोई परियोजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो सौन्दर्यीकरण के लिए कुल कितने क्षेत्र की पहचान की गई है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) डी डी ए केवल प्रस्ताव पर विचार कर रहा है लेकिन किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में अ०जा०/अ०ज०जा० को आरक्षण

4523. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री अरूण कुमार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहसा के केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और इनमें से कितने पद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग) शिक्षकों को भर्ती करने की कार्रवाई अन्तिम चरण में है। तथापि, ऐसी रिक्तियों के लिए ठेके अथवा अंश-कालिक आधार पर अल्पकालीन नियुक्तियां की जाती हैं, ताकि छात्रों के अध्ययन में कोई व्यवधान न पड़े।

[अनुवाद]

भद्रावती-विद्युत परियोजना के लिए कोयला

4524. श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने दीर्घकाल से लंबित भद्रावती विद्युत-परियोजना को पूरा करने के लिए कोयले की आपूर्ति संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस ईंधन-व्यवस्था संबंधी सौदे को अंतिम रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) से (ग) जी, नहीं। कोयले की पूर्ति के लिए ईंधन पूर्ति करार को अंतिम रूप देने हेतु भद्रावती विद्युत परियोजना की ओर से सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी लि० (सी आई पी सी ओ) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के बीच बातचीत चल रही है। भद्रावती परियोजना को कोयले की पूर्ति और परिवहन के लिए सम्बद्ध पक्षों के बीच होने वाले मसौदा करार में शामिल करने के लिए अनेक मुद्दों को देखते हुए लम्बी बातचीत चल रही है।

[हिन्दी]

कापार्ट

4525. श्री वृज भूषण शरण सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'कापार्ट' के नियामक निकाय में गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी नामित किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है और वे किन-किन क्षेत्रों से सम्बद्ध है;

(ग) क्या गत दस वर्षों के दौरान इसके शासी निकाय में उत्तर प्रदेश के किसी प्रतिनिधि को भी नामित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) कपार्ट में कोई शासी निकाय नहीं है। तथापि, कपार्ट की संस्था अन्तर्नियमावली और नियमों के अनुसार समिति का अध्यक्ष 100 लोगों को सदस्यों के रूप नामित कर सकता है। ये सदस्य समिति की आम सभा का गठन भी करते हैं। मुख्यतया समिति की सदस्यता निम्नलिखित अनुपात में होती है:-

सदस्यों की श्रेणी

(i) स्वैच्छिक एजेंसियों	40 प्रतिशत
(ii) अन्य संस्थाएं	25 प्रतिशत
(iii) पदेन	25 प्रतिशत
(iv) व्यक्ति	10 प्रतिशत

(ग) और (घ) पिछले 10 वर्षों के दौरान कपार्ट समिति के आम सभा में उत्तर प्रदेश के सदस्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

कपार्ट की आम सभा समिति में उत्तर प्रदेश के सदस्यों की सूची

क्र. सं.	नाम तथा पता	नामांकन की तारीख
1	2	3
1.	श्रीमती गीता चोपड़ा, निदेशक, ट्रीज फार लाइफ, 96/5, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद, उ० प्र०	16.07.1992
2.	श्री प्रेम भाई, निदेशक, बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुरा वाया मिर्जापुर, सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश	-वही-

1	2	3
3.	श्री रमेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष सर्वोदय आश्रम, 8, खगेश्वर पुरवा, हरदोई, उत्तर प्रदेश	16.07.1992
4.	श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली, सचिव, अशोक आश्रम, देहरादून, उ० प्रदेश	-वही-
5.	श्रीमती राधा भट्ट, सचिव, लक्ष्मी आश्रम, कौशानी, जिला-अल्मोड़ा, उ० प्रदेश	-वही-
6.	श्रीमती रागिनी प्रेम भाई, निदेशक, बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुरा, वाया मिर्जापुर, सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश	22.3.1996
7.	श्री रेमण्ड फुरताड़ो, एस०एम०टी०ए० ग्राम-सामोग, निकट-चकराता, जिला-देहरादून, उत्तर प्रदेश	-वही-
8.	श्री जगदीश नारायण शुक्ल, ग्रामीण किसान कांग्रेस, 19 ताशकन्त मार्ग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	31.3.1999
9.	श्री यादव राव देशमुख, 91/16, यदूनाथ सन्याल रोड, लखनऊ, उ० प्र०	-वही-
10.	श्रीमती रागिनी प्रेम भाई, निदेशक, बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुरा, वाया मिर्जापुर, सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश	-वही-
11.	श्री आशीष गौतम, दिव्या प्रेम सेवा मिशन, चन्डी घाट, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश	-वही-
12.	प्रो० डी०एस० चौहान, विद्युत इंजीनियरी विभाग, आई०टी०बी०एच०यू०, वाराणसी-221005, उत्तर प्रदेश	31.3.1999
13.	श्री धारा राम यादव, बाल कल्याण समिति, 374/368, वासुकीखुर्द, दारागंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	-वही-

[अनुवाद]

हुडको से सहायता

4526. श्री भर्तृहरि महताब : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा महाचक्रवात के उपरांत हुडको से सहायता हेतु प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत छः महीनों के दौरान प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत हुडको द्वारा जारी की गई सहायता राशि सहित स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा महाचक्रवात के उपरांत हुडको से सहायता हेतु और आवास एवं शहरी विकास निगम लि० (हुडको) द्वारा मंजूर परियोजनाओं का ब्यौरा जारी किए गए ऋण के ब्यौरे सहित संलग्न विवरण में दिया है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा चक्रवात सहायता से संबंधित कोई योजना मंजूरी हेतु हुडको के पास लंबित नहीं है।

विवरण

उड़ीसा के चक्रवाह संबंधित प्राप्त/स्वीकृत आवास योजनाओं का ब्यौरा

(लाख रु०)

क्र० सं०	एजेंसी	योजना का नाम	स्थान	स्वीकृत ऋण राशि	जारी ऋण राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	ओ आर एच डी सी	जलपुरा, किपाड़ा, जाजपुरा, कटक, खुर्द, पुरी, मायागढ़, बालासोर, भद्रक, कुंझार और धेनकनाल (फैस-I) जिलों में महाचक्रवात से	जगतसिंह पुर, केन्द्रपाड़ा, जाजपुर, कटक, खुर्द, पुरी, नयागढ़, बालासोर, भद्रक, कुंझार और धेनकनाल जिले (फैस-I)	10500.00	5148.00	योजना दो चरणों में प्राप्त/स्वीकृत

1	2	3	4	5	6	7
		प्रभावित क्षेत्रों में ई डब्ल्यू एस आर आवास योजना				
2.	ओ आर एच डी सी	जलपुर, किपाड़ा, जाजपुर, कटक, दुर्ग, पुरी, मायागढ़, बालासोर, भद्रक कुंझार, धेनकनाल (फेस-II) जिलों में महाचक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में ई डब्ल्यू एस (आर) आवास योजना	जगतसिंह पुर, केन्द्रपाड़ा, जाजपुर, कटक, खुर्द, पुरी, नयागढ़, बालासोर, भद्रक, कुंझार और धेनकनाल जिले (फेस-II)	7000.00	3430.00	2 चरणों में योजना प्राप्त/स्वीकृत
3.	ओ आर एच डी सी	गंजन और गजपति (फेस-I) जिलों के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में ई डब्ल्यू एस (आर) आवास योजना	गंजन और गजपति जिले (फेस-I)	5250.00	2574.00	2 चरणों में योजना प्राप्त/स्वीकृत
4.	ओ आर एच डी सी	गंजन और गजपति (फेस-II) जिलों के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में ई डब्ल्यू एस (आर) आवास योजना	-वही- (फेस-II)	3500.00	1715.00	2 चरणों में योजना प्राप्त/स्वीकृत
5.	ओ आर एच डी सी	जलपुरा, किपाड़ा, जाजपुरा, पुरी, कटक, मयूरभंज और अंगुल (फेस-III) के जिलों में महाचक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में ई डब्ल्यू एस (आर) आवास योजना	जगतसिंहपुर, नरेन्द्रपाड़ा, जाजपुर, पुरी, कटक, मयूरभंज और अंगुल (फेस-III)	4375.00	2144.00	
6.	(एच एण्ड यू डी) आवास और शहरी विकास विभाग	चक्रवात प्रभावित अन्य जिलों में ई डब्ल्यू एस (आर) आवास योजना	उड़ीसा के सभी चक्रवात प्रभावित जिले	30625.00	0.00	
7.	वित्त विभाग	राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए विशेष एच०बी०ए०	उड़ीसा के सभी चक्रवात प्रभावित जिले	50000.00	50000.00	2 चरणों में योजना प्राप्त/स्वीकृत
			कुल	1111250.00	65012.00	

* ओ आर एच डी सी उड़ीसा ग्रामीण आवास विकास निगम

[हिन्दी]

स्कूली शिक्षा पर उदारीकरण का प्रभाव

4527. **श्री सुकदेव पासवान :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 2000 के 'द हिन्दू' में "लिब्रलाइजेशन हैज हिट स्कूल एजुकेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में उदारीकरण की नीति की घोषणा किये जाने के पश्चात् स्कूली शिक्षा के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता में कमी आयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नब्बे के दशक के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय विशिष्ट रूप से बढ़ा है। सरकार शिक्षा पर व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के छः प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिकारिता समिति

4528. **श्री जी०जे० जावीया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थल का चयन करने, आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता और प्रचालनात्मक ढांचे जैसे विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए गठित अधिकारिता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला खानों के लिए भूमि का अधिग्रहण

4529. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली में कोयला खानों के लिए आम जनता से भूमि की खरीद/अधिग्रहण के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा पिछले दो दशकों में खरीदी गई या अधिगृहीत भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उन परिवारों को मुआवजा देने का विचार है जिनकी जमीन अधिगृहीत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नेवेली में विभिन्न खानों का कुल क्षेत्रफल क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष प्रत्येक खान का उत्पादन कितना था; और

(च) सरकार द्वारा भारत में लिग्नाइट के उत्पादन और उपयोगिता को बढ़ाने और देश में उपलब्ध लिग्नाइट संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले दो दशकों में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० (एन०एल०सी०) द्वारा 3438.31.0 हैक्टेयर भूमि अधिगृहीत कर ली गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा दिया जाता है। विभिन्न श्रेणियों की अध्यर्पित भूमि के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रभावित परिवारों को नकद मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा, एन०एल०सी० के पास एक अनुमोदित पुनर्वास कार्य योजना मौजूद है, जिसके अंतर्गत मकानों को छोड़ने वालों के लिए वास्तविक पुनर्वास पैकेज है और एक आर्थिक पुनर्वास का पैकेज भी है जिसमें स्वयं रोजगार का प्रशिक्षण अस्थाई रोजगार ठेके पर काम इत्यादि भूमि से हटाए जाने वाले लोगों के लिए मौजूद हैं।

(ङ) नेवेली में 1960 से 30.6.2000 तक विभिन्न खानों के लिए अधिगृहीत कुल भूमि का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

खान-I के अंतर्गत क्षेत्रफल	–	3229.11.0 हैक्टेयर
खान-II के अंतर्गत क्षेत्रफल	–	2997.30.0 हैक्टेयर
जोड़ :	–	6276.41.0 हैक्टेयर

पिछले तीन वर्षों में लिग्नाइट उत्पादन का ब्यौरा (लाख टनों में) निम्नलिखित है:-

वर्ष	खान-I	खान-II
1997-98	75.01	106.07
1998-99	75.42	106.26
1999-2000	69.01	106.50

(च) देश में एन०एल०सी० ऐसा प्रथम उद्यम है जिसमें लिग्नाइट का खनन किया और बिजली उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया। उत्पादन को 6.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 10.5 मिलियन टन करने के लिए एन०एल०सी० ने खान-I के विस्तार को हाथ में लिया है और इसको बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल करेगा। बिजली उत्पादन के लिए नेवेली में एन०एल०सी० तीन मिलियन टन की क्षमता वाली एक नई खान का विकास भी कर रहा है। इसके साथ-साथ खान-II की 4 मिलियन टन और बढ़ाने तथा 12 मिलियन टन क्षमता वाली एक नई खान को खोलने की योजना तैयार कर रहा है। राजस्थान और गुजरात में भी बिजली उत्पादन सहित अनेक कामों के लिए लिग्नाइट का खनन किया जा रहा है। इसके अलावा, विश्व में लिग्नाइट के दोहन के लिए समृद्ध भंडारों के बारे में व्यापक आंकड़ा आधार तैयार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार देश में लिग्नाइट के भंडार के अन्वेषण को बढ़ावा देती है। सरकार लिग्नाइट के ईष्टतम उपयोग और इसके संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है जो किसी नई खान को खोलने से पहले केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए पेश की गई खान संबंधित खान योजना की छानबीन द्वारा किए जाते हैं।

जनजातियों के लिए स्वरोजगार योजनाएं

4530. **श्री मणि शंकर अय्यर** : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** 18 अप्रैल, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3767 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सूचना के कब तक सदन के पटल पर रखे जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) कुछ राज्यों से सूचना की अभी प्रतीक्षा है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

सी०सी०एल० द्वारा कोयले की आपूर्ति

4531. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा कोयले की कुल कितनी आपूर्ति की गई;

(ख) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० कोयला खरीददारों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष से सी०सी०एल० की प्रत्येक खान में आज तक कितना कोयला है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० वणमुगम) : (क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (सी.सी.एल.) द्वारा 1997-98 से 1999-2000 तक भेजे गए कोयले की खेपों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

वर्ष		(मिलियन टन में)
1997-98	—	30.67
1998-99	—	29.50
1999-2000	—	30.33

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों की पूर्व आवश्यकता को पूरा करने के लिए सी०सी०एल० प्रयास कर रहा है। विभिन्न कारणों जैसे मांग में मौसमी उतार-चढ़ाव इत्यादि से, कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं की जरूरत इन गठबंधनों से 90 प्रतिशत तक पूरी की जा रही है। लेकिन उत्पादन के मुकाबले कोयले की मांग में उतार-चढ़ावों के रुख और गैर कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा उठाने की व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रत्येक तिमाही के अंत में कोयले की बुक की गई मात्रा बिना उठाए पड़ी रह जाती है और व्यर्थ हो जाती है।

कोयले की वर्तमान उपलब्धता और वर्तमान कोयला खरीददारों की मांग को पूरा करने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सी०सी०एल० ने गैर कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए नए गठबंधनों को फिलहाल रोक दिया है।

(घ) कोयले के खान-वार भंडारों का प्रतिवर्ष आकलन नहीं किया जाता है। सी०सी०एल० की खानों में इस समय अनुमानित कोयला भंडार लगभग 6733.9 मिलियन टन है।

केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय

4532. **श्री धर्मराज सिंह पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के अधीन विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में भारतीय मूल के बच्चों को दाखिला कर उन्हें हिन्दी पढ़ाये जाने का प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक कक्षाओं में कितने भारतीय मूल के बच्चों को दाखिला दिया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

पनधारा-योजना

4533. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

श्री जय प्रकाश :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान पनधारा विकास योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने गांवों को शामिल किया जाना है; और

(ख) उक्त योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को कितनी राशि आबंटित की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम को वाटरशेड विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत चालू परियोजनाएं की प्रगति और बंजरभूमि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के लिए वाटरशेड विकास परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। एक वाटरशेड विकास परियोजना में एक से अधिक गांवों का क्षेत्र अथवा उनके भाग शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार एक गांव में एक से अधिक वाटरशेड परियोजनाएं हो सकती हैं। अतः इन कार्यक्रमों के तहत शामिल किये जाने वाले गांवों की संख्या को बता पाना कठिन है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि ये कार्यक्रम मांग पर अधारित होते हैं।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा

4534. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि केन्द्रीय सहायता से चलाए जाने वाले पॉलीटेक्नीक संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों से वर्ष 1999-2000 के दौरान 23 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनाका विवरण संलग्न है।

(ग) 12 पालीटेक्नीकों का चयन किया गया है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1.	चंडीगढ़	01
2.	गोवा	01
3.	गुजरात	04
4.	मध्य प्रदेश	06
5.	कर्नाटक	06
6.	उत्तर प्रदेश	03
7.	तमिलनाडु	02
	कुल	23

हरियाणा को शिक्षा हेतु सहायता

4535. श्री रतन लाल कटारिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार और इसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु केन्द्र सरकार से सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों, जिनमें हरियाणा सरकार भी शामिल है, से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के प्रस्तावों पर इस विभाग द्वारा प्रशासित कार्यक्रमों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विचार किया जाता है और तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत हरियाणा राज्य सरकार को शिक्षक शिक्षा की पुनःसंरचना और पुनर्गठन, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आईईडीसी), व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा और शैक्षिक रूप से

पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम के वास्ते 2521.01 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1999-2000 के दौरान हरियाणा को प्राथमिक शिक्षा के पोषण सहायता सम्बंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) के तहत 53306 मीट्रिक टन खाद्यान्न आबंटित किया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत हरियाणा के छह जिलों के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1204 अतिरिक्त शिक्षक मंजूर किए गए थे।

[अनुवाद]

कोयले की मांग

4536. श्री विक्रम केशरी देव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात संयंत्रों द्वारा कोयले की कितनी मांग है;

(ख) क्या कोयले की स्थानीय मांग में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान बिजली, इस्पात और सीमेंट संयंत्रों के लिए बड़ी मात्रा में कोयले का आयात किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो कोयले का आयात किन-किन देशों से किया गया था और देशी कोयले के स्थान पर आयात किन-किन देशों से किया गया था और देशी कोयले के स्थान पर आयातित कोयले की प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) इस्पात क्षेत्र के द्वारा कोककर कोयला की वर्ष 2000-01 के लिए मांग 36.76 मिलियन टन है, जैसा कि योजना आयोग द्वारा आकलन किया गया है।

(ख) और (ग) सामान्य आर्थिक परिस्थितियों विशेषत: सीमेंट और इस्पात क्षेत्रों में और कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता स्थापित न होने के कारण कोयले की समग्र प्रक्षेपित मांग पिछले कुछ वर्षों में नहीं बढ़ सकी है। जिसके परिणामस्वरूप कोयला कंपनियों से कोयले का उठाव कम हो पाया है लेकिन परिस्थितियों में सुधार हो जाने पर पिछले वर्ष में कोयले के उठाव में अपेक्षाकृत अधिक सुधार हुआ है।

(घ) और (ङ) धातुकार्मिक प्रयोजनों के लिए इस्पात संयंत्रों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कोकिंग तथा बढ़िया ग्रेड के कोयले के देशीय उत्पादन और मांग में एक अंतराल है। स्टील प्लांट (i) अपनी आवश्यकता और अपेक्षित गुणवत्ता के कोकिंग कोल की देशीय उपलब्धता के बीच के अंतराल को पूरा करने और (ii) ब्लास्ट फर्नेस की निष्पादन क्षमता में सुधार करने हेतु तकनीकी कारणों से समग्र मिश्रण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोयले का आयात करते हैं।

समुद्रतटीय क्षेत्रों के निकट स्थापित कुछ ताप बिजलीघर और सीमेंट कारखाने केलौरी मान की प्रति यूनिट लागत को ध्यान में रखकर अकोककर कोयला का आयात कर रहे हैं जिन प्रमुख देशों से कोयले का आयात किया जा रहा है, वे आस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका हैं।

पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम में संशोधन

4537. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान अधिनियम में संशोधन हेतु आइजॉल में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद् के 40वें सम्मेलन के दौरान परिषद् के सदस्यों द्वारा लिए गए सभी निर्णयों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर परिषद की चालीसवीं बैठक में अपनाए गए संकल्पों पर सरकार द्वारा विचार किया गया तथा दिनांक 8.12.1998 को राज्य सभा में पूर्वोत्तर संशोधन विधेयक, 1998 प्रस्तुत किया गया। विधेयक के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 1998 की मुख्य-मुख्य बातें

(i) सिक्किम, परिषद का एक सदस्य होगा।

(ii) राज्यपाल, जोकि संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, इस परिषद के सदस्य नहीं होंगे।

(iii) राष्ट्रपति, परिषद के लिए तीन सदस्य नामित करेंगे।

(iv) परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करेंगी तथा इसके पास वे शक्तियां होंगी जो इसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त की जाएगी।

(v) क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करते समय, परिषद दो या उससे अधिक राज्यों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं और

परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। तथापि, परिषद, सिक्किम के लिए विशिष्ट परियोजनाएं और स्कीमें तैयार करेगी और उनके कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करेगी।

(vi) परिषद के समक्ष तब तक कोई योजना प्रस्तुत नहीं की जाएगी जब तक कि परिषद के सचिव को अध्यक्ष तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के योजना सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल करके बनाई गई एक संवीक्षा समिति द्वारा इसकी संस्तुति न की गई हो। यह प्रावधान यह सुनिश्चत करने के लिए है कि क्रियान्वयन हेतु परिषद द्वारा चुनी गई योजनाओं का क्षेत्रीय स्वरूप हो तथा परिषद के सदस्य राज्यों की आवश्यकताएं परिलक्षित होती हों।

महाविद्यालयों के शासी निकाय

4538. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाविद्यालयों के शासी-निकायों के प्रबंधन और संघटन पर चर्चा के संबंध में आयोजित किए गए सेमिनार की रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) सरकार को ऐसे किसी सेमिनार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

4539. श्री अनन्त नायक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा लोहे और इस्पात के निष्कर्षण और प्रसंस्करण के दौरान जो धातुमल/छीलन निकलती है, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग-वार कितनी मात्रा और मूल्य की धातुमल/लौह-छीलन निकली और इसका निपटान किन-किन पार्टियों को किया गया;

(ग) क्या 12 जून, 2000 के उड़िया दैनिक "संबाद" में प्रकाशित समाचार के अनुसार राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने गलक-भट्टी से धातुमल/छीलन प्राप्त करने की अपनी नीति में निजी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बदलाव किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किस प्रकार ऐसा किया गया है;

(ङ) क्या नीति में ऐसे बदलाव के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को राजस्व की भारी हानि हो रही है;

(च) क्या धातु-निष्कर्षण और प्रसंस्करण की पुरानी प्रणाली को फिर अपनाने का प्रस्ताव किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने बताया है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) प्रबंधन ने धमनभट्टी से निकलने वाले धातुमल/स्क्रैप से संबंधित अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निजी विश्वविद्यालय

4540. डा० अशोक पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विश्वविद्यालयों को कब तक और किन-किन स्थानों पर स्थापित करने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) स्ववित्तपोषी विश्वविद्यालयों की स्थापना और समावेशन के लिए सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना एवं विनियम) विधेयक, 1995 राज्य सभा में पेश किया था। लम्बित विधान के अधिनियमन के लिए नियत समय पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवस्था में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अ०जा०/ अ०ज०जा० की नियुक्ति

4541. श्री के०ए० सांगतम : क्या क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन बोर्ड/शासी-परिषदों तथा विभिन्न विभागों के स्वायत्त, वैधानिक, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों में प्रमुखों/मुख्य प्रबंध निदेशक तथा सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों के रूप

में अ०जा० और अ०ज०जा० वर्ग के लोगों की तैनाती/नियुक्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 की स्थितिनुसार ऐसे पदों पर अ०जा०/अ०ज०जा० वर्ग के कितने व्यक्ति काम कर रहे थे और कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना था?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित पद

4542. श्री अशोक प्रधान : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993 के दौरान डा० अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 1.1.1993 के अनुसार मंत्रालय और इसके स्वायत्त/सांविधिक/संबद्ध-कार्यालयों के अधीन (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित) I, II, III और IV श्रेणी की कितनी ऐसी रिक्तियां हैं जिन्हें भरा नहीं गया है;

(ङ) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) 29.8.1997 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित I, II, III और IV श्रेणी की कितनी रिक्तियां बकाया हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (च) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सामूहिक खेती

4543. डॉ० मन्दा जगन्नाथ : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के जशपुर जिले में सामूहिक खेती के द्वारा आदिवासियों की दशा में सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आदिवासियों की दशा में सुधार लाने हेतु देश के अन्य आदिवासी जिलों में इस खेती के विस्तार के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) इस मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल

4544. श्री खारवेल स्वाईं : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेयजल के संबंध में वातसान आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस कार्यक्रम में इस वर्ष कितने गांवों को शामिल किया गया है;

(घ) इस मिशन के अन्तर्गत समस्त गांवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) पीने और भण्डार योग्य जल प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौन सी तकनीकें अपनाए जाने की संभावना है तथा इसका ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) भारत सरकार ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत किसी वाटसन आयोग का गठन नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

फ्लैटों/बंगलों पर अनधिकृत कब्जा

4545. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी अधिक संख्या में सरकारी फ्लैट, बंगले इत्यादि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनधिकृत कब्जे में हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) इस समय 176 रिहायशी मकानों

को सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अनधिकृत रूप से रखा हुआ है। इन मामलों में आबंटन रद्द कर दिए गए हैं और सरकारी परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही शुरू की गई। कुछ मामले न्यायाधीन हैं।

इंजीनियरिंग कालेजों में सीटों का आरक्षण

4546. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में प्रति वर्ष विशेषकर इस शैक्षिक सत्र 2000-2001 में कुल कितनी इंजीनियरिंग (प्रथम वर्ष) सीट उपलब्ध हैं;

(ख) इस वर्ष राज्य में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में विकलांग छात्रों के लिए कितनी इंजीनियरिंग सीटें आरक्षित की गई हैं;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में आरक्षण संविधान (संशोधन अधिनियम, 1997) के अनुसार नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) शैक्षिक वर्ष 2000-2001 में कर्नाटक राज्य में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत डिग्री स्तर पर (प्रथम वर्ष) इंजीनियरी कालेजों में 31 जुलाई 2000 तक सीटों की कुल संख्या 26997 हैं

(ख) से (ङ) दाखिले के लिए सीटों का आरक्षण सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं के अतिरिक्त इंजीनियरी कालेजों में दाखिला; सम्बद्ध राज्य सरकार की केन्द्रीकृत प्रवेश समितियों के माध्यम से किया जाता है।

मकानों को खाली कराना

4547. श्री ए० नरेन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 7 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन०ए०ए० परिसर में रह रहे जे०एन०यू० के कर्मचारियों से मकानों को खाली कराए जाने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार को उक्त समस्त मकान कब तक सौंप दिए जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, टाइप-I के 20 तथा टाइप-II के 6 क्वार्टर सी०पी०डब्ल्यू०डी० को पहले ही सौंप दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अधिग्रहीत शेष मकानों को भी धीरे-धीरे सौंप दिया जाएगा।

भारत में लिंग समानता

4548. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लिंग समानता के बारे में संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं के विकास कोष द्वारा क्या टिप्पणी की गयी है और क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष (यूनिफेम) ने भारत में जुलाई, 2000 में अपनी रिपोर्ट 'विश्व की महिलाओं की प्रगति 2000' जारी की है, जो द्वैवार्षिक रिपोर्ट का प्रथम संस्करण है। इस रिपोर्ट में 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के अन्त तक की अवधि के दौरान विश्व की महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है और इसमें महिला-पुरुष समानता के आर्थिक आयामों तथा महिला शक्ति-सम्पन्नता पर बल दिया गया है और संसूचकों का उपयोग करते हुए महिलाओं की प्रगति का आकलन किया गया है। इसमें सरकार तथा निगमित क्षेत्र के दायित्व सम्बन्धी मामलों को भी उठाया गया है। इसकी भावी रूपरेखा में महिलाओं का वित्तीय बाजार (उदाहरणार्थ लघु-ऋण), वस्तुओं तथा सेवाओं के विपणन में प्रवेश तथा उसमें परिवर्तन तथा आर्थिक नीति निर्माण में परिवर्तन आदि शामिल है। रिपोर्ट में केवल भारत के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिए गए हैं। तथापि, विशिष्ट मामलों पर चर्चा करते समय, भारत में चल रहे अध्ययनों तथा प्रचलित परम्पराओं का उल्लेख किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी उन्मूलन के लिए धनराशि

4549. श्री महेश्वर सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त धनराशि के अभाव में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश से गरीबी उन्मूलन के लिए राज्यों, विशेषकर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को, पर्याप्त धनराशि आबंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार पूर्व निर्धारित मानदंड, जो मुख्यत: गरीबी अनुपात पर आधारित होता है, के अनुसार गरीबी उपशमन के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों, जिसमें बिहार भी शामिल है, को निधियां आबंटित करती है।

कोयले का अवैध धंधा करने वालों का गिरोह

4550. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 4 जुलाई, 2000 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार, "बर्दवान कोल रेकेट बस्टड" की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कोयले के अवैध धंधे, जिसमें करोड़ों रु० शामिल हैं, की किसी प्रकार की जांच के आदेश दिये हैं;

(ग) क्या ई०सी०एल० और बी०सी०सी०एल० के कुछ अधिकारी भी इस गिरोह में शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) कोयले के किसी अवैध धंधे के ईसीएल या बीसीसीएल के किसी अधिकारी के शामिल होने के बारे में कोल इंडिया लि०, भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के पास इस समय कोई रिपोर्ट नहीं है, उनलसे संबंधित मामलों के विभिन्न पहलुओं की जांच पश्चिम बंगाल सरकार और बिहार सरकार के पुलिस विभागों द्वारा की जा रही है। राज्य सरकारों से जब कभी ऐसी रिपोर्ट मिलेगी जिनमें राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों के किसी अधिकारी के शामिल होने का पता चलेगा, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

4551. श्री प्रबीण राष्ट्रपाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में मुख्य धारा के शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ पहले से ही समेकित किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उच्च प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और नए पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पाठ्यक्रमों को कब से शुरू किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचार करने के लिए इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

विश्वविद्यालयों, जिनमें अवर स्नातक सामान्य पाठ्यक्रमों अर्थात् कला-स्नातक/विज्ञान स्नातक/वाणिज्यक-स्नातक के साथ व्यावसायिक विषय समेकित किए गए हैं, की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य का नाम	विश्वविद्यालयों की संख्या	सामान्य पाठ्यक्रमों के साथ समेकित किए गए व्यावसायिक विषयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2	4
2.	दिल्ली	2	8
3.	गुजरात	2	10
4.	हरियाणा	1	5
5.	कर्नाटक	1	5
6.	मध्य प्रदेश	1	2
7.	महाराष्ट्र	1	5
8.	उड़ीसा	1	1
9.	पंजाब	2	6

1	2	3	4
10.	राजस्थान	2	6
11.	तमिलनाडु	2	6
12.	उत्तर प्रदेश	12	48
13.	पश्चिम बंगाल	2	3
	कुल	31	109

कोयला खानों के भूमि अधिकार

4552. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खानों के भूमि अधिकार निजी या सहायक कंपनियों को देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० वणमुगम) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) भाग (क) में दिए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास हेतु फिल्म

4553. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या गामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास से संबद्ध कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए मंत्रालय फिल्मों का निर्माण करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निजी फिल्म-निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी फिल्मों के निर्माण हेतु अनुबंध प्रदान करने के लिए निजी-फिल्म निर्माताओं के चयन हेतु कौन-कौन से मानदंडों का पालन किया जाता है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में अभी तक मंत्रालय ने निजी निर्माताओं के माध्यम से कोई फिल्म निर्माण नहीं कराया है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से निर्मित की गई लघु श्रव्य फिल्मों का विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	वर्ष	फिल्म का विषय	एजेंसी
1.	1997	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पर 45 सेकंड की स्पॉट फिल्म	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
2.	1997	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना पर 30 सेकंड की स्पॉट फिल्म	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
3.	1997	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना पर 30 सेकंड की स्पॉट फिल्म	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

इंदिरा आवास योजना

4554. श्री ब्रजमोहन राम :
श्री रामजी मांझी :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत बिहार में प्रतिवर्ष कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या सरकार को राज्य में इन्दिरा आवास योजना के मकानों के आबंटन में अनियमिताओं की शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या इन्दिरा आवास योजना के अधीन राज्य को आबंटित धनराशि का भी दुरुपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(च) इस हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व शिक्षा मंच का सम्मेलन

4555. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्नेगल में हुए दो दिवसीय विश्व शिक्षा मंच के सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन देशों की सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया था;

(ग) इस सम्मेलन में कौन-कौन से मुख्य मुद्दे उठाए गए और उन पर क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारत सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने 26 से 28 अप्रैल, 2000 तक डकर, स्नेगल में आयोजित विश्व शिक्षा मंच में भाग लिया था।

(ख) इस मंच में 181 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित कुल 1500 व्यक्तियों की सहभागिता रही।

(ग) इस मंच ने 1990 में जोमतियन (थाइलैण्ड) में आयोजित सभी के लिए शिक्षा संबंधी विश्व सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्यों और प्रारम्भिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्रौढ साक्षरता तथा सतत् शिक्षा के क्षेत्र में उभरती हुई चुनौतियों के संदर्भ में सभी के लिए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव दूर करने तथा संसाधन जुटाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। विश्व शिक्षा मंच ने 2015 तक सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डकर कार्रवाई संरचना को स्वीकार किया।

(घ) सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित) और डकर कार्रवाई संरचना में यथा उल्लिखित प्रारंभिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

कोयले की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था

4556. श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लि० के खनन क्षेत्रों का आबंटन करके कुछ परियोजनाओं के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) जी, हां। कोठागुडम थर्मल पॉवर स्टेशन स्टेज VI (2x250 एमडब्ल्यू) और विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज - IV (1x500 एम डब्ल्यू) की कोयला संबंधी जरूरत पूरी करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार/आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने दीर्घकालीन गठबन्धन के लिए निवेदन किया है। इसके विकल्प स्वरूप इन थर्मल पावर स्टेशनों के कोयले की सप्लाई के लिए कोयला खनन खण्डों को नियत करने के लिए भी निवेदन किया गया है।

(ग) महानदी कोलफील्ड लि० से प्रतिवर्ष 2.04 मिलियन टन के लिए दीर्घकालिक कोयला गठबन्धन इनमें से प्रत्येक थर्मल पावर स्टेशन को नवम्बर, 1998 में मंजूर कर दिया गया है।

[हिन्दी]

असम में गरीबी उन्मूलन

4557. श्री अनंत गुडे : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान और इसके पश्चात् असम में गरीबी उन्मूलन के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तब से गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे०जी०एस०वाई०), (पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई०ए०एस०), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) (पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम), इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन०एस०ए०पी०) ऐसे प्रमुख कार्यक्रम हैं जो असम राज्य सहित देश में ग्रामीण गरीबी उपशमन के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में इन योजनाओं को और अधिक

प्रभावी बनाने के लिए नौवीं योजना के दौरान इन्हें पुनर्गठित किया गया है। ये योजनाएं वर्ष दर वर्ष आधार पर निरंतर चलने वाली योजनाएं हैं। 1996-97 से अब तक असम में इन योजनाओं के लिए आबंटित निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :-

वर्ष	(करोड़ रुपये में)
1996-97	227.899
1997-98	211 50
1998-99	320.79
1999-2000	321.79
2000-2001	461.48

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बैठक

4558. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने ग्रामीण-निर्धनता, विविधीकरण और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में शहरों और नगरों का विकास

4559. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अपने शहरों और नगरों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए जम्मू-कश्मीर द्वारा भेजी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत/अस्वीकृत, लंबित योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले उन शहरों के क्या नाम हैं और तत्संबंधी अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित प्रस्तावों को कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :-

I. हडको से वित्त प्राप्त शहरी अवस्थापना योजनाएं

हडको ने बताया है कि 1998-99 के दौरान जम्मू में 2476.79 लाख रु० परियोजना लागत की सीवरेज योजना मंजूर की गई है जिसमें 1733.28 लाख रुपये ऋण शामिल है।

हडको ने यह भी सूचित किया है कि 1999-2000 के दौरान जम्मू कश्मीर ने 2791.59 लाख रु० की परियोजना लागत और 2237.88 लाख रु० की ऋण सहायता की पांच परियोजनाएं हडको को पेश की हैं। योजनाएं मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

II. छोटे व मझौले कस्बों का समेकित विकास (आई डी एस एम टी) की स्कीम

यह स्कीम 5 लाख तक की आबादी वाले कस्बों के विकास हेतु है।

शहर और ग्राम नियोजन संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने इस के तहत किसी नए कस्बे के लिए योजना प्रस्तुत नहीं की।

पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू परियोजनाओं के लिए जारी राशि इस प्रकार है :-

क्र.सं.	कस्बा	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	साम्बा	19.00	—	—
2.	जम्मू	—	70.00	—

वर्ष 1999-2000 के दौरान, राज्य सरकार ने सोपोर कस्बे के लिए केन्द्रीय सहायता की दूसरी किश्त जारी करने का एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें परियोजना की संघटकवार भौतिक व वित्तीय प्रगति नहीं दर्शायी गई थी। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए कहा गया है।

III. त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी)

ये योजना 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों में पेयजल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

मंत्रालय में उपलब्ध रिकार्ड से पता चलता है कि 1999-2000 के दौरान साम्बा कस्बे के लिए 305.70 लाख रु० की परियोजना लागत की एक जल आपूर्ति योजना मंजूर की गई थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के तहत जम्मू और कश्मीर को जारी राशि निम्नलिखित है :-

वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रुपये)
1997-98	41.61
1998-99	20.75
1999-2000	183.90

(घ) इस स्तर पर कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

विवरण

जम्मू और कश्मीर द्वारा 1999-2000 के दौरान हडको को प्रस्तुत योजनाओं का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं०	योजना का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि
1.	हुम-हुम्मा फेस-III में भूमि अधिग्रहण योजना	251.40	201.12
2.	भानपुल में नियोजित विकास	143.00	119.00
3.	डिल्ली कालू चक एवं सेवरा गांव में भूमि अधिग्रहण योजना	1013.38	810.71
4.	भलवाल में भूमि अधिग्रहण की योजना	980.00	784.00
5.	चदोरा में भूमि अधिग्रहण की योजना	403.81	323.05
	कुल	2791.59	2237.88

[अनुवाद]

रविवार को के०लो०नि०वि० का पूछताछ कार्यालय खोलना

4560. **डा० वी० सरोजा** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय को रविवार और अन्य छुट्टियों में खोलने तथा थोड़े से कर्मचारियों को सिविल कार्यों सहित आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए रखने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) कार्य-दिवसों में कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद रख कर अनुरक्षण कार्य संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है। वी आई पी क्षेत्र के पूछताछ कार्यालयों एवं अन्य क्षेत्रों में कुछ पूछताछ कार्यालयों, जिनमें से प्रत्येक कालोनियों के एक समूह की जरूरतों को पूरा करता है, को आपातकालीन शिकायतों पर काम करने के लिए थोड़े से स्टाफ के साथ रविवार एवं छुट्टी के दिनों में भी खुला रखा जाता है।

[हिन्दी]

कुटेश्वर इस्पात खानों को भूमि पट्टे पर देना

4561. **श्री रामानंद सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटेश्वर इस्पात खान ने मध्य प्रदेश में कटनी के किसानों से भूमि पट्टे पर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो भूमि खाली नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त भूमि को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) म०प्र० के कटनी जिले में कुटेश्वर स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया को चूनापत्थर खनिज हेतु दो खनिपट्टा की खदानें स्वीकृत हैं।

(i) ग्राम मंडवा, जारारोड़ा, गैरतलाई में रकबा 944.89 हैक्टर्स क्षेत्र पर अवधि 10.6.91 से 9.6.2001 तक।

(ii) ग्राम कुटेश्वर में रकबा 91.14 हैक्टर क्षेत्र पर अवधि 15.5.92 से 14.5.2002 तक।

ग्राम मंडवा, जारारोड़ा, गैरतलाई में स्वीकृत खनिपट्टा (लीज) क्षेत्र में सम्मिलित कृषकों की भूमि का ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है :-

ग्राम	रकबा
मंडवा	218.58 हेक्टर्स
जारारोड़ा	171.81 हेक्टर्स
गैरतलाई	264.63 हेक्टर्स

ग्राम कुटेश्वर में स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र रकबा 91.14 हेक्टर्स है जो कि बाणसागर डेम के डूब का क्षेत्र है, जो डूब में आ गया है। इसमें सम्मिलित कृषकों की भूमि को पूर्व में ही अधिग्रहित किया जा चुका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि खनिपट्टों (लीज) की अवधि समाप्त नहीं हुई हैं, इसलिये कृषकों की भूमि रिक्त कराये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(ङ) चूंकि खनिपट्टों (लीज) की अवधि समाप्त नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में शासन द्वारा कृषकों की भूमि रिक्त कराये जाने संबंधी कोई भी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

[अनुवाद]

राज्यों को हडको द्वारा ऋण देना

4562. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने खेलकूद और संस्कृति संबंधी बुनियादी सुविधाओं का अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप उन्नयन करने के लिए हडको से ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) हडको द्वारा इस सबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, हां। आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने 6 राज्यों अर्थात् कर्नाटक, केरल, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 39,106.13 लाख रु० की कुल ऋण सहायता वाली 11 खेल और सांस्कृतिक अवस्थापना योजनाएं मंजूर की हैं। हैदराबाद में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु आंध्र प्रदेश से परियोजना प्रारंभ करने के लिए धनराशि जुटाने की एक योजना 250 लाख रुपये की ऋण सहायता के लिए विचाराधीन है। हडको द्वारा जारी किए गए ऋण तथा वर्तमान स्थिति समेत मंजूर योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

विवरण

30.6.2000 को हडको द्वारा मंजूर की गई खेल और सांस्कृतिक अवस्थापना योजनाओं की सूची

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	योजना	राज्य	परियोजना लागत	ऋण राशि	जारी किया गया ऋण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोरामंगला बंगलौर में राष्ट्रीय खेलगांव	कर्नाटक	33401.30	27000.00	27000.00	पूर्ण हो गया
2.	क्षेत्रीय खेल केन्द्र कोचीन में इनडोर स्टेडियम का निर्माण	केरल	265.00	125.00	125.00	पूर्ण हो गया
3.	तेलीचेरी में शारदा कृष्ण अय्यर मेमोरियल टाउन बैंक ऑडिटोरियम का निर्माण	केरल	112.50	75.00	—	निर्माण कार्य चल रहा है
4.	इरनाकुलम में मौजूदा भवन के ऊपर आडिटोरियम का निर्माण	केरल	29.14	20.00	—	निर्माण कार्य चल रहा है

1	2	3	4	5	6	7
5.	कालीकट में कमर्शियल कम्पलेक्स सह स्टेडियम का निर्माण	केरल	2445.00	926.00	590.17	कार्यान्वयन चल रहा है
6.	त्रिचुर में टविन थियेटर सह शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण	केरल	470.36	255.00	255.00	पूर्ण हो गया
7.	खुमन लम्पक, इम्फाल में Vवें राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल काम्पलेक्स का विकास	मणिपुर	7790.98	3000.00	3000.00	पूर्ण हो गया
8.	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में सामुदायिक केन्द्र का विकास	राजस्थान	123.84	73.10	—	कार्यान्वयन चल रहा है
9.	मद्रास में फिल्म सिटी	तमिलनाडु	467.75	310.00	310.00	पूर्ण हो गया
10.	कोयमबेडू मद्रास में साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स विलेज	तमिलनाडु	7660.54	6894.50	6894.50	पूर्ण हो गया
11.	रुप कला केन्द्र और इंडो-इटालियन विडियो ट्रेनिंग-सह-प्रोडक्शन केन्द्र	पश्चिम बंगाल	1041.00	427.53	167.00	कार्यान्वयन चल रहा है
	कुल		53807.41	39106.13	38341.67	

विज्ञान हेतु धनराशि का आबंटन

4563. श्री सी०पी० राधाकृष्णन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों की तुलना में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु कम आबंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी, हां। विभिन्न देशों में अनुसंधान तथा विकास (आर एंड डी) पर व्यय के तुलनात्मक आंकड़ों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एन पी) की प्रतिशतता के रूप में अनुरक्षित किया जाता है। वर्ष 1996-97 के दौरान भारत की प्रतिशतता 0.66 है जो औद्योगिकीकृत राष्ट्रों के लिए 1 से 4% तक घटता-बढ़ता है। तथापि, देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) क्षेत्र में योजना आवंटनों में विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों के लिए तेजी से वृद्धि हो रही है। एस एंड डी क्षेत्र के लिए योजना आबंटन में सातवीं योजना में 8264 करोड़ रु० की तुलना में नौवीं योजना में 25,529 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है।

(ख) यूनेस्को स्टेटिस्टिकल ईयर बुक, 1999, जिसमें कुछ औद्योगिकीकृत देशों के लिए जी एन पी की प्रतिशतता के रूप में आर एंड डी व्यय पर आंकड़े समाविष्ट हैं, पर आधारित तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

देश	वर्ष	जी एन पी प्रतिशतता के रूप में आर एंड डी व्यय
1	2	3
स्वीडन	1995	3.76
जापान	1996	2.80
संयुक्त राज्य अमेरिका	1997	2.63

1	2	3
जर्मनी	1997	2.41
फ्रांस	1997	2.25
यू०के०	1996	1.95
आस्ट्रेलिया	1996	1.80
कनाडा	1997	1.66
भारत	1996	0.66

[हिन्दी]

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश

4564. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी स्कूलों/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश देने संबंधी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में ऐसे बच्चों, जिनके माता-पिता की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गयी है अथवा जिनकी हत्या कर दी गई है, को मानवीय आधार पर प्राथमिकता देकर प्रवेश दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) शिक्षा समवर्ती सूची में है और स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्य/संघ राज्य सरकारों का विषय है। यद्यपि भारत सरकार सुगमकर्ता/समन्वयक के रूप में कार्य करती है, फिर भी इसका वास्तविक कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य सरकारों में निहित है। स्कूलों में दाखिले सहित प्रशासन के दिन प्रतिदिन के प्रशासन से संबंधित दिशा-निर्देश निर्धारित करना राज्य/संघ राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

[अनुवाद]

पड़ोसी की गतिविधियों पर नजर रखने संबंधी समाचार

4565. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 2000 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में स्पाई ऑन नेबर, गेट रिवार्ड थ्रू सी वी सी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा; और

(घ) योजना कब से कार्यान्वित की जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 12 जुलाई, 2000 को 'बेनामी काला धन योजना' नामक एक योजना परिचालित की है जिसमें जनता से कहा गया है कि लोक सेवकों द्वारा काला धन या आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां रखने के बारे में उनके पास यदि कोई सूचना है तो वे मामले को आयोग को सूचित करें। इस प्रकार से प्राप्त सूचना की आयोग द्वारा जांच की जाएगी और यदि उसे व्यापक जांच कराने हेतु पर्याप्त समझा गया तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो/आय कर प्राधिकारियों को तद्नुसार सलाह दी जाएगी। उपयुक्त मामलों में आयोग, सम्बंधित प्राधिकारियों को, गलत तरीकों से प्राप्त किये गए धन को जब्त करने के लिए दाण्डिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के अधीन आवेदन करने की सलाह भी दे सकता है। जबकि आयोग गुमनाम या छद्मनाम से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करेगा, यदि सूचना देने वाले चाहें तो उनकी पहचान प्रकट नहीं की जाएगी। सूचना देने वाले, सीधे ही केन्द्रीय जांच ब्यूरों/आयकर विभाग की संबंधित योजनाओं जिनके तहत ऐसी सूचना देने वालों, जिससे काले धन और बेनामी परिसम्पत्तियों का सफलता पूर्वक पता चलता हो, को उचित पुरस्कार दिया जाता है, के अन्तर्गत उचित पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

इस योजना में जनता को इस बात के लिए भी सावधान किया गया है कि वे ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत न करें जिसके बारे में वे यह जानते या विश्वास करते हों कि यह झूठी है, क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 182 के अन्तर्गत यह एक दाण्डिक अपराध है।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

4566. डा० बी०बी० रमैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सुनिश्चित रोजगार के अंतर्गत धनराशि का कितना उपयोग किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत मानदंड के रूप में जिले की जनसंख्या के बजाय इसके पिछड़ेपन पर विचार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई और उनके द्वारा उपयोग में लाई गई निधि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत जिलों को केन्द्रीय निधि का आबंटन पिछड़ेपन सूचकांक अर्थात्—जिले में अ०जा०/अ०ज०जा० की जनसंख्या के अनुपात और प्रति कृषि श्रमिक कृषि उत्पादन के प्रति-लोम के आधार पर किया जाता है। इन दोनों सूचकों को समान महत्व दिया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के दौरान वित्तीय निष्पादन

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.97 की स्थिति के अनुसार खर्च न की गई तिथि	केन्द्र रिलीज	राज्य का मैचिंग अंश	योग (केन्द्र+राज्य)	कुल उपलब्ध निधि	वास्तविक खर्च	कुल उपलब्ध निधि की तुलना में 2% व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3	3288.64	16740.00	4185.00	20025.00	24213.64	28448.56	121.62
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	941.56	1890.00	472.50	2362.50	3304.06	2536.93	78.30
3.	असम	3	3452.75	8592.00	2148.00	10740.00	14192.75	12736.22	89.88
4.	बिहार	3	11190.00	18234.00	4558.50	22792.50	33883.10	20085.62	85.50
5.	गोवा	3	100.00	140.00	35.00	175.00	275.00	246.90	89.78
6.	गुजरात	3	6885.83	4320.00	1000.00	5400.00	10486.83	6886.27	63.01
7.	हरियाणा	3	2645.58	2670.00	667.50	3337.50	5883.08	2006.18	48.57
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1361.49	2550.00	637.50	3187.50	4548.99	2871.59	63.13
9.	जम्मू और कश्मीर	3	4235.98	4760.00	1190.00	5050.00	10185.99	9266.22	90.97
10.	कर्नाटक	3	4012.92	10880.00	2550.00	13259.00	18162.92	16828.38	91.55
11.	केरल	3	1934.58	3989.00	997.25	4026.25	6800.83	4371.43	83.44
12.	मध्य प्रदेश	3	11433.89	21587.85	5376.96	26884.31	38318.70	32326.96	84.36
13.	महाराष्ट्र	3	8082.48	11334.51	2833.63	14168.14	28250.82	14036.95	73.76
14.	मणिपुर	3	302.03	810.00	202.50	1012.52	1314.53	1047.91	79.65
15.	मेघालय	3	283.29	220.00	55.00	275.00	538.29	487.58	83.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मिजोरम	3	5.54	800.00	200.00	1000.00	1005.54	991.24	89.63
17.	नागालैंड	3	1082.05	2100.00	525.00	2625.00	3797.05	4516.95	121.85
18.	उड़ीसा	3	2505.63	14721.58	3680.40	18401.98	20997.61	18865.57	89.85
19.	पंजाब	3	97.43	1840.00	480.00	2300.00	2397.43	1056.11	44.01
20.	राजस्थान	3	7897.30	9265.00	2315.25	11581.25	19478.55	14435.71	74.37
21.	सिक्किम	3	5.02	220.00	55.00	275.00	280.02	552.96	197.47
22.	तमिलनाडु	3	2500.63	18720.00	4880.00	23400.00	25990.03	29383.46	113.37
23.	त्रिपुरा	3	704.92	1440.00	360.00	1809.00	2504.92	2904.92	115.07
24.	उत्तर प्रदेश	3	17465.02	31448.06	7882.82	39310.03	56775.18	40056.55	71.03
25.	प. बंगाल	3	6767.61	7790.00	1947.50	9737.50	16445.11	11467.13	89.73
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	3	9.60	80.00	0.00	80.00	89.00	13.64	15.22
27.	दा. व न. हवेली	3	10.55	30.00	0.00	30.00	40.55	62.52	154.18
28.	दमन और दीव	3	23.97	0.00	0.00	0.00	23.97	21.64	90.28
29.	लक्षद्वीप	3	116.47	0.00	0.00	0.00	116.47	78.98	67.81
30.	पांडिचेरी	3	0.00	60.00	0.00	80.00	120.00	7.71	6.43
	अखिल भारत		96484.37	196372.80	49175.50	246947.50	342531.87	290496.80	84.81

*सूचना उपलब्ध नहीं।

वर्ष 1998-99 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	आदिशेष 1.4.98 की स्थिति के अनुसार	31.3.99 की स्थिति के अनुसार केन्द्र द्वारा रिलीज निधि	राज्य का मैचिंग अंश	योग (केन्द्र+ राज्य)	कुल उपलब्ध निधि	खर्च	उपलब्ध निधि की तुलना में % व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3	6927.61	16740.00	4185.00	20925.00	26952.61	25245.32	93.67
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	823.27	2140.00	535.00	2675.00	3498.27	2327.96	56.55
3.	असम	3	4730.66	11018.00	2754.50	13772.50	18502.58	14522.95	78.40
4.	बिहार	3	13627.41	18506.00	4549.00	23245.00	36772.41	28460.20	77.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	गोवा	3	36.48	180.00	45.00	225.00	261.48	261.48	100.00
6.	गुजरात	3	3727.70	4410.00	1102.50	5512.50	9240.20	6613.24	71.57
7.	हरियाणा	3	2771.69	1668.00	415.00	2075.00	4848.69	2704.38	55.80
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1778.27	2050.00	512.50	2562.50	4340.77	3048.81	70.24
9.	जम्मू और कश्मीर	3	592.50	4760.00	1190.00	5950.00	6542.50	5163.92	78.93
10.	कर्नाटक	3	2514.24	10350.00	2587.50	12937.50	15451.74	13482.60	87.26
11.	केरल	3	2310.47	3861.00	985.25	4826.25	7136.72	5425.56	76.02
12.	मध्य प्रदेश	3	7171.06	22033.00	5508.25	27541.25	34712.31	32962.40	94.95
13.	महाराष्ट्र	3	4146.45	8167.17	2041.79	10208.96	14355.41	19979.33	76.48
14.	मणिपुर	3	554.29	890.00	222.50	1112.50	1666.79	1340.12	80.40
15.	मेघालय	3	356.38	616.00	152.50	762.50	1093.58	583.33	53.34
16.	मिजोरम	3	107.66	800.00	200.00	1000.00	1107.66	1161.29	104.84
17.	नागालैंड	1	8.75	2100.00	525.00	2825.00	2633.75	2123.65	80.63
18.	उड़ीसा	3	3294.81	12752.00	3188.00	15940.00	19234.81	17341.91	90.15
19.	पंजाब	3	2234.89	2720.00	680.00	3400.00	5634.89	2969.16	52.69
20.	राजस्थान	3	4992.85	8935.00	2233.75	11168.75	16161.60	15277.04	94.53
21.	सिक्किम	3	29.64	320.00	80.00	400.00	429.64	580.43	135.10
22.	तमिलनाडु	3	755.58	18720.00	4680.00	23400.00	24155.58	24449.56	101.22
23.	त्रिपुरा	3	201.08	1440.00	350.90	1800.00	2001.08	2181.08	109.00
24.	उत्तर प्रदेश	3	17089.02	35153.65	8788.41	43942.96	81031.08	58816.72	96.37
25.	प. बंगाल	3	7184.13	8270.00	2067.30	10337.50	17521.63	10031.17	57.25
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	3	75.87	40.00	0.00	40.00	75.87	35.04	46.18
27.	दा. व न. हवेली	11	9.73	30.00	0.00	30.00	39.73	9.47	23.84
28.	दमन और दीव	2	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79	1.14	63.69
29.	लक्षद्वीप	3	190.15	160.00	0.00	100.00	200.15	88.29	44.11
30.	पांडिचेरी	3	112.29	0.00	0.00	0.00	112.20	24.14	21.50
	अखिल भारत		87266.14	198845.82	49668.95	248514.78	335780.92	288218.49	85.84

*राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रयुक्त शेष।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान वित्तीय निष्पादन दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	आदिशेष 1.4.99 की स्थिति के अनुसार	केन्द्रीय आवंटन द्वारा निधि	राज्यों का मैचिंग अंश	कुल आबंटन	केन्द्रीय रिलीज निधियां	राज्यों का रिलीज अंश	कुल (केन्द्रीय+ राज्य)	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	कुल निधि की तुलना में खर्च का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3	3240.56	10288.76	3429.24	13718.00	10288.76	3429.24	13718.00	16958.56	14595.07	86.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	1225.72	226.21	75.40	301.61	719.27	239.73	959.00	2184.72	1360.57	62.27
3.	असम	3	3600.72	5877.72	1959.04	7836.76	4701.11	2000.00	6701.11	10301.83	9369.96	90.95
4.	बिहार	3	10894.88	33704.77	11233.80	44938.57	25388.02	8451.83	33840.55	44744.73	32467.49	72.56
5.	गोवा	3	22.95	23.72	7.91	31.63	55.00	18.33	73.33	98.28	102.07	106.01
6.	गुजरात	3	2395.67	3872.86	1290.82	5163.68	4301.49	1433.69	5735.18	8130.85	4652.86	57.22
7.	हरियाणा	3	2126.24	2278.48	759.42	3037.90	1981.53	660.44	2641.97	4768.21	3974.75	83.36
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1314.08	959.56	319.82	1279.38	945.06	314.99	1260.05	2574.13	2163.69	84.06
9.	जम्मू और कश्मीर	3	63.78	1187.58	395.82	1583.40	2755.00	918.24	3673.24	3737.02	2203.56	53.97
10.	कर्नाटक	3	2004.40	7769.46	2589.56	10350.02	6670.05	2223.13	8893.18	10897.58	10090.82	92.60
11.	केरल	3	1870.77	3486.13	1161.93	4648.06	3486.12	1236.37	4722.49	6593.20	4688.09	71.10
12.	मध्य प्रदेश	3	3588.09	17084.06	5694.12	22778.18	17464.11	5820.79	23234.90	26872.90	24019.00	89.38
13.	महाराष्ट्र	3	4068.86	15358.33	5118.93	20477.26	11002.98	3667.29	14570.27	18739.13	13258.20	70.75
14.	मणिपुर	3	426.95	394.04	131.33	525.37	307.87	102.61	410.48	837.43	766.44	91.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	मेघालय	12	460.57	441.47	147.14	588.61	220.74	73.57	294.31	754.88	465.47	61.66
16.	मिजोरम	3	24.35	102.16	34.05	136.21	402.16	234.70	636.86	661.21	354.90	53.67
17.	नागालैंड	3	330.96	302.82	100.93	403.75	276.09	156.53	432.62	763.58	748.31	98.00
18.	उड़ीसा	3	2299.23	11768.22	3922.35	15690.57	17621.12	5873.12	23494.24	25793.47	14028.60	54.39
19.	पंजाब	3	2342.49	1107.32	369.07	1476.39	813.98	672.47	1480.45	3828.94	2289.88	59.80
20.	राजस्थान	3	2266.54	5899.60	1965.34	7865.94	6888.13	2295.81	9183.94	11450.48	7300.22	63.75
21.	सिक्किम	10	15.02	113.10	37.70	150.80	313.10	104.36	417.46	432.48	132.06	30.54
22.	तमिलनाडु	3	249.12	9097.5	3032.20	12120.70	10597.49	3532.14	14129.63	14378.75	14164.47	93.51
23.	त्रिपुरा	3	0.00	711.47	237.13	948.60	711.46	490.00	1201.46	1201.46	1201.46	100.00
24.	उत्तर प्रदेश	3	5581.50	37092.40	12362.90	49455.30	36155.49	12050.62	48206.11	53787.61	40846.19	75.94
25.	प. बंगाल	3	7510.02	13078.02	4358.90	17436.92	9483.71	3160.92	12644.53	20154.65	12626.39	62.65
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	3	35.78	54.73		54.73	27.36	0.00	27.36	63.14	37.84	59.93
27.	दा. व न. हवेली	1	7.45	54.73		54.73	27.36	0.00	27.36	34.81	2.94	8.45
28.	दमन और दीव	3	0.61	1.82		1.82	0.91	0.00	0.91	1.52	0.91	59.87
29.	लक्षद्वीप	3	104.99	3.65		3.65	1.82	0.00	1.82	106.81	49.84	46.66
30.	पांडिचेरी	3	42.10	69.32		69.32	34.66	0.00	34.66	76.78	47.89	62.39
	अखिल भारत		58114.40	182410.01	60735.85	243145.86	173641.95	59170.94	232812.89	290927.28	218009.93	74.94

ग्राम सभा की भूमि का अतिक्रमण

4567. श्री राम सागर रावत : क्या **गृह मंत्री** दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के बारे में 1 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1440 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि महरौली पुलिस स्टेशन और विशेष कृत्तिक बल द्वारा वर्ष 1994 से लेकर अब तक नबसराय गांव की ग्राम सभा की भूमि का अतिक्रमण करने के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :-

वर्ष	स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या	महरौली पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या
1994	–	–
1995	–	–
1996	–	–
1997	1	–
1998	–	3
1999	–	–
2000 (15.8.2000 तक)	–	–

पूर्वोत्तर में आतंकवाद

4568. श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री राम जीवन सिंह :
डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला :
डा० मन्दा जगन्नाथ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अगस्त, 2000 के 'ऐशियन एज' में छपी असम की बहुराष्ट्रीय चाय कम्पनी द्वारा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड को भारी मात्रा में धन दिए जाने से संबंधित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र की चाय कम्पनियों और अन्य उद्योगों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) असम में नेशनल डैमोक्रटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड (एन०डी०एफ०बी०) सहित कुछ उग्रवादी गुटों द्वारा चाय बागानों से धन वसूली की कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। परन्तु सवूली की सही-सही राशि का पता नहीं है क्योंकि चाय बागानों के प्रबन्धक सरकार के साथ सूचना बांटने में हिचकिचाते हैं।

(ग) असम में अति संवेदनशील चाय बगानों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए असम चाय बागान सुरक्षा बल (ए०टी०पी०एस०एफ०) बनाया गया था। राज्य सरकार द्वारा चाय उद्योग को सलाह दी गई है कि वह असम की बैरक घाटी के चाय बागानों में असम चाय बागान सुरक्षा बल को लगाएं। राज्य सरकार को सुग्राही बनाया गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय बागानों और अन्य उद्योगों से धन ऐंठने में संलिप्त उग्रवादी गुटों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

छाया युद्ध

4569. श्री नागमणि : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी सेना और आई एस आई फिर से छाया युद्ध की तैयारी कर रही है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 2000 के 'दैनिक जागरण' में पाक द्वारा कश्मीर लिबरेशन आर्मी तैयार करने संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार स्थिति से निपटने के लिए क्या नीति अपना रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। पाकिस्तान, विभिन्न उग्रवादी ग्रुपों को कश्मीर लिबरेशन आर्मी (के०एल०ए०) के नाम से ज्ञात एक छत्र संगठन् के अधीन लाने का प्रयास करता रहा है। लेकिन अभी तक इस संगठन की कोई गतिविधि ध्यान में नहीं आई है।

(ग) और (घ) सीमा/नियंत्रण रेखा और अन्दरूनी क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है तथा राज्य में आतंकवाद पर अंकुश लगाने तथा भारत-विरोधी तत्वों के इरादों को विफल करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

लीजहोल्ड संपत्तियों के अंतरण के मामले

4570. मोहम्मद अनवारूल हक : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कई पंजीकृत खैराती संस्थाओं के पक्ष में वसीयत के द्वारा लीजहोल्ड संपत्तियों को अंतरित किए जाने के मामले आवश्यक कार्यवाही हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे कितने मामलों का निपटान किया गया है; और

(ग) इन मामलों का कब तक निपटान कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) डीडीए ने सूचित किया है कि लीजहोल्ड संपत्ति के दो मामले हैं जिनमें टेस्टेटर/पट्टेदार धर्मार्थ संस्थान के पक्ष में वसीयत (विल) करके दिवगंत हो गये। ये दो मामले हैं :- प्लाट सेक-2 पालम मार्ग, वसंत विहार और प्लाट नं० 2594, हडसन लाइन।

(ख) और (ग) आबंटियों द्वारा औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण पट्टे का हस्तांतरण लंबित है।

महाराष्ट्र में गैर-सरकारी सगंठनों को आबंटित धनराशि

4571. श्री चिंतामन वनगा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू की गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) इन गतिविधियों के अंतर्गत जनजातीय व्यक्तियों को उचित रूप से शामिल किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों को कुल आबंटित निधियां इस प्रकार हैं:-

वर्ष	राशि
1997-98	6218482
1998-99	6376292
1999-2000	1918509

(ख) यह संगठन अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के लिए परियोजनाएं अर्थात् शैक्षिक संस्थान चलता-फिरता औषधालय, शिशु गृह, बालवाड़ी, होस्टल, टंकण तथा आशुलिपि केन्द्र चला रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित अनुसूचित जनजातियों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1997-98	23406
1998-99	29508
1999-2000	29900

(घ) राज्य सरकारों से अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक विकास से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाता है जिनसे अपने-अपने राज्यों में उचित कवरेज सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है, द्वारा सिफारिश किए जाने पर ही राज्य सरकार इस मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्ताव भेजने से पूर्व संबंधित कलेक्टर से संगठन का निरीक्षण तथा उस क्षेत्र के लिए परियोजना की व्यवहार्यता प्राप्त करती है।

क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान

4572. प्रो० रासासिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर में क्षेत्रीय शिक्षण संस्थाओं और प्रदर्शन विद्यालयों के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन संस्थाओं और विद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं और विद्यालयों पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निरीक्षकों द्वारा कितने निरीक्षण किए गए;

(च) ऐसे निरीक्षणों के दौरान किन-किन कमियों/समस्याओं का पता चला;

(छ) इन संस्थाओं और विद्यालयों में किस पाठ्यचर्या का अनुसरण किया जा रहा है;

(ज) उक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं और विद्यालयों के परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या इन संस्थाओं और विद्यालयों की प्रबंधन समिति आदि में जन प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है; और

(ञ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) अजमेर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान उत्तरी राज्यों उदाहरणार्थ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर एवं चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) को खासकर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सहायता प्रदान करता है। यह सेवा-पूर्व पाठ्यक्रम भी चलाता है। प्रदर्शन विद्यालय इस संस्थान से संबद्ध है और प्रयोगशाला के रूप में तथा कक्षा 1 से 12 के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय के रूप में कार्य करता है।

(ख) और (ग) एन०सी०ई०आर०टी० की संक्षिप्त समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में इस संस्थान का पुनर्गठन किया गया। क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज का नाम बदलकर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान रखा

गया तथा इसे उत्तरी राज्यों के मामले में स्कूली शिक्षा के संपूर्ण आयाम को शामिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अजमेर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान तथा प्रदर्शन विद्यालय पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है :-

(रु० लाख में)

वर्ष	योजनागत	योजनेतर
1997-98	22.83	339.25
1998-99	20.66	496.79
1999-2000	56.08	468.85

(ङ) और (च) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान तथा प्रदर्शन विद्यालय के कार्यकलापों का एन०सी०ई०आर०टी० मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाता है। एन०सी०ई०आर०टी० को संस्थान तथा विद्यालय में कोई भी खामी/समस्या नजर नहीं आई है।

(छ) संस्थान महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से संबद्ध है तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के आधार पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रदान करता है :-

(1) चार वर्षीय समेकित बी०एस०सी० बी०एड० पाठ्यक्रम,

(2) दो वर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम,

(3) एक वर्षीय एम०एड० पाठ्यक्रम।

प्रदर्शन विद्यालय में सी०बी०एस०ई० द्वारा निर्धारित लागू है।

(ज) वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान संस्थान और विद्यालय के परीक्षाफल का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(झ) और (ञ) एन०सी०ई०आर०टी० के विनियमों तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय की शर्तों के अनुरूप संस्थान की प्रबंध समिति का गठन किया जाता है।

विवरण

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान

वर्ष	पाठ्यक्रम		प्रतिशतता
1	2		3
1998	बी०एस०सी० बी०एड०	प्रथम वर्ष	87.5
	बी०एस०सी० बी०एड०	द्वितीय वर्ष	100
	बी०एस०सी० बी०एड०	तृतीय वर्ष	100
	बी०एस०सी० बी०एड०	चतुर्थ वर्ष	100
	एम०एड०		100
1999	बी०एस०सी० बी०एड०	प्रथम वर्ष	92.50
	बी०एस०सी० बी०एड०	द्वितीय वर्ष	95.7
	बी०एस०सी० बी०एड०	तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष	100
	एम०एड० एक वर्षीय		100
2000	बी०एस०सी० बी०एड०	प्रथम वर्ष	86.07
	बी०एस०सी० बी०एड०	द्वितीय वर्ष	89.19
	बी०एस०सी० बी०एड०	तृतीय वर्ष	98.48
	बी०एस०सी० बी०एड०	चतुर्थ वर्ष	98.31
	एम०एड० (परीक्षा ली जानी है)		
	2 वर्षीय बी०एड० कोर्स प्रथम वर्ष		(परीक्षाफल का इंतजार है)

प्रदर्शन विद्यालय

1998	कक्षा 10	88.3
	वरिष्ठ माध्यमिक/कक्षा 12	95.3
1999	कक्षा 10	81
	वरिष्ठ माध्यमिक/कक्षा 12	81.72
2000	कक्षा 10	96
	वरिष्ठ माध्यमिक/कक्षा 12	100

[अनुवाद]

वाटर शेड डेवलपमेंट

4573. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) अब तक इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा राज्य में खत्म होते जल संसाधनों के संरक्षण की प्रक्रिया कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मानव संसाधन विकास के अंतर्गत निवेश

4574. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में और सिक्किम में "मानव संसाधन विकास" के अंतर्गत राज्यवार और परियोजनावार किए गए निवेश की मात्रा क्या है;

(ख) ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट में बोडोलैंड क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के अंतर्गत कितना निवेश किया गया और आज तक इस क्षेत्र में कितने तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए; और

(ग) बोडोलैंड क्षेत्र के युवकों को ऊंची, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण

4575. श्री टी० गोविन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास में शिक्षा तथा प्रशिक्षण हेतु कोई व्यवस्था की है;

(ख) क्या आम लोगों के बीच विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मिशन लाए जाने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं - आई०आई०टी०, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों समेत केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा संस्थाओं में सीटों का आरक्षण, प्रवेश के लिए अर्हता अंकों में छूट, आरक्षण नीति के समुचित कार्यान्वयन का सुनिश्चय करने के लिए विश्वविद्यालयों में विशेष प्रकोष्ठों का गठन, विभिन्न विषयों में छात्रों के शैक्षिक कौशल तथा भाषाई दक्षता में सुधार के लिए उपचारी और विशेष कोचिंग और संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में बहुत कम अंकों से असफल रह गए छात्रों के लिए आई०आई०टी० में तैयारी पाठ्यक्रम।

(ख) और (ग) आम जनता के बीच वैज्ञानिक रुझान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार वैज्ञानिक समुदाय की भागीदारी से विज्ञान मेलों, प्रदर्शनियों, फिल्मों, प्रकाशनों आदि का आयोजन करती है।

दिल्ली नगर निगम का विभाजन

4576. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम के विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली नगर निगम को कितने नगर निकायों में विभाजित किया जाएगा; और

(ग) नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकास परियोजनाओं में तेजी लाने में, यह प्रस्ताव किस प्रकार से प्रभावी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

झुग्गियों का हटाया जाना

4577. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष चंडीगढ़ में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा स्थान-वार कितनी झुग्गियां तोड़ी गई हैं;

(ख) इसके बाद कितने प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया गया है;

(ग) क्या झुग्गिवासियों को भूमि आबंटन से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई सूचना अनुसार अतिक्रमण को हटाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संपदा कार्यालय और चंडीगढ़ नगर पालिका निगम, चंडीगढ़ द्वारा की जाती है।

(ख) लाइसेंसिंग आफ टेनमेन्ट्स एण्ड साइट्स एण्ड सर्विसिज स्कीम, 1979 के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान 4537 पात्र परिवारों को खाली-स्थल (बेयरसाइट्स)/स्थल और सेवाएं अनुशंसित/आबंटित की गई है।

(ग) जी, हां। लाइसेंसिंग आफ टेनमेन्ट्स एण्ड साइट्स एण्ड सर्विसिज स्कीम, 1979 दिनांक 6 जनवरी, 2000 की अधिसूचना द्वारा संशोधित की गई है।

(घ) दिनंक 6.1.2000 के संशोधन द्वारा लोक हित में बहुमंजिले फ्लैटों के निर्माण का निर्णय किया गया है ताकि अधिकतम पात्र व्यक्तियों को फ्लैट मुहैया कराया जा सके और स्थलों के आबंटन के मामले में सब्सिडाइज्ड दरों पर आबंटित सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं हो पाए।

आंध्र प्रदेश के लिए और बटालियनें

4578. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने दो आई०आर० बटालियनों का गठन करने हेतु 1988 में केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत

किया था तथा इस प्रयोजन हेतु 197.90 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, 1992 के दौरान, राज्य सरकार ने 10.43 करोड़ रु० (आवृत्ति) और 10.83 करोड़ रुपए (अनावृत्ति) की अनुमानित लागत पर 4 इण्डिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था। यह 4 इण्डिया रिजर्व बटालियनें सरकार द्वारा क्रमशः वर्ष 1993 और 1994 में स्वीकृत की गई थी।

आठवीं योजनावधि के दौरान पेयजल संबंधी लक्ष्य

4579. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यवार विशेषकर बिहार में कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ कमी रह गई है;

(घ) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समान लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य वर्षवार निर्धारित किए जाते हैं न कि पूरी पंचवर्षीय योजना के लिए। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में राज्य सरकारों के परामर्श से इस अवधि में निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर ग्रामीण बसावटों को पेयजल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित राज्यवार लक्ष्य (बिहार सहित) और तदनुरूपी उपलब्धि को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सारे देश में आठवीं योजना के दौरान लक्ष्यों की समग्र उपलब्धि में कोई गिरावट नहीं आई है।

(घ) जैसा कि पहले कहा गया है, नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी लक्ष्यों को वर्षवार निर्धारित किया गया है।

(ङ) जलापूर्ति राज्यों का विषय है और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों से कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों में केवल सहायता करती है। व्यक्तिगत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना, स्वीकृति और कार्यान्वयन की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंप दी गई हैं। इस प्रकार राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण बसावटों को पेयजल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित राज्यवार लक्ष्य बताने वाला विवरण और तदनुरूपी उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (कवर की जाने वाली ग्रामीण बसावटों की संख्या)	उपलब्धि (कवर की गई ग्रामीण बसावटों की संख्या)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	10569	11073
2.	अरूणाचल प्रदेश	740	1034
3.	असम	5228	5169
4.	बिहार	56206	40441
5.	गोआ	309	305
6.	गुजरात	3936	3730
7.	हरियाणा	4183	3577
8.	हिमाचल प्रदेश	4244	4218
9.	जम्मू व कश्मीर	1401	1192
10.	कर्नाटक	35564	32433
11.	केरल	3287	3008
12.	मध्य प्रदेश	35350	54294
13.	महाराष्ट्र	16818	22086
14.	मणिपुर	1225	983
15.	मेघालय	2925	2672
16.	मिजोरम	928	885
17.	नागालैंड	540	264
18.	उड़ीसा	22645	29290
19.	पंजाब	2812	2215
20.	राजस्थान	16095	17047

1	2	3	4
21.	सिक्किम	499	432
22.	तमिलनाडु	14154	15872
23.	त्रिपुरा	3210	4260
24.	उत्तर प्रदेश	52994	62670
25.	पश्चिम बंगाल	19479	20045
26.	अं० व नि० द्वीप समूह	75	105
27.	चण्डीगढ़	0	0
28.	दा० व न० हवेली	60	212
29.	दमन व दीव	86	51
30.	दिल्ली	0	0
31.	लक्षद्वीप	18	17
32.	पांडिचेरी	134	125
	कुल	315714	339705

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में विकलांगों के लिए आरक्षण

4580. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं;

(ख) क्या इन व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद भरे जा चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेटेन्ट सुविधा

4581. श्री जय प्रकाश : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व व्यापार संगठन समझौते के पश्चात् स्थापित नई वैश्वीकरण प्रणाली के मद्देनजर 1995 से आज तक कितने पेटेन्ट सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और पेटेन्ट केन्द्रों को स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा') : (क) केन्द्रीय स्तर पर 6 पेटेण्ट सरलीकरण केन्द्र नामत:, पेटेण्ट सरलीकरण केन्द्र, डी एस टी, जैव प्रौद्योगिकी पेटेण्ट सरलीकरण केन्द्र, डी बी टी, आई पी आर सैल, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आई पी आर इकाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पेटेण्ट सैल, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एण्ड होमियोपैथी, आई पी आर सैल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद; और राज्य स्तर पर 7 पेटेण्ट सूचना केन्द्र, नामत: आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि और अधिक केन्द्रों के लिए तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी नए केन्द्रों का सृजन आवश्यकताओं के आकलन और विद्यमान केन्द्रों के प्रदर्शन एवं मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पांडुलिपियों का प्रकाशन

4582. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् ने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दो खंडों के प्रकाशन को रोकने का निर्णय किया है और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पांडुलिपियां वापिस करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में इस मामले की क्या स्थिति है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने प्रकाशक अर्थात् आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस से अनुरोध किया है कि वह प्रो० सुमित सरकार और प्रो० के०एन० पाणिक्कर द्वारा लिखित दोनों खण्डों के प्रकाशन को अस्थाई रूप से रोक दें। यह अनुरोध किया गया है कि इन खण्डों की टंकित प्रतियां अवलोकनार्थ ही जाए। परिषद ने यह बताया है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूर्व खण्ड में पाई गई त्रुटियों और कमियों की पुन: आवृति नहीं हो।

(ग) यह मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद

4583. श्री एस०पी० लेपचा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1988 में गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को संवैधानिक गारन्टी प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान इस परिषद को कितनी निधियां प्रदान की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) 1999-2000 में, दार्जिलिंग जिले नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों हेतु पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए 22.23 करोड़ रु० की धनराशि आबंटित की गई थी।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में योग विभाग की स्थापना

4584. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10 विश्वविद्यालयों में योग विभाग स्थापित करने में सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश के सभी विश्वविद्यालयों में योग विभाग शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जी, हां। विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग ने फिलहाल नौवीं योजना के दौरान योग विभागों की स्थापना/सुदृढीकरण करने के लिए चुने जाने वाले 10 विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को अधिकतम 10.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

ग्रामीण सड़कों में सड़कें

4585. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "द टाइम्स आफ इंडिया", दिनांक 5 अगस्त, 2000 में यथा प्रकाशित समाचार के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण संबंधी योजनाएं विभिन्न सरकारी विभागों के बीच खींचतान में फंस गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इनके शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि देश के सभी भागों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण का एक कार्यक्रम है, को शीघ्र शुरू करने संबंधी कार्रवाई चल रही है।

यत्र-तत्र रहने वाली जनजातियों के विकास में संलग्न संगठन

4586. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में यत्र-तत्र रहने वाली जनजातियों के विकास कार्य में संलग्न संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) जनजातियों के आर्थिक विकास के प्रस्तावों के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार की क्या व्यवस्था है; और

(ग) इस क्षेत्र में "ट्राइपेड" की क्या भूमिका है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) आदिवासी उप योजना दृष्टिकोण के अंतर्गत वर्णित राज्य आदिवासी उप-योजना क्षेत्र वाले राज्यों के पास बिखरी आदिवासी जनसंख्या है। 18 राज्यों के तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और दमन व दीव के पास आदिवासी उप योजना क्षेत्र हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आदिवासी विकास के प्रभारी विभाग आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए जिला प्रशासनों के माध्यम से कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं।

(ग) ट्राइपेड की स्थापना अनुसूचित जनजातियों को उनके लघु वन उत्पाद/अतिरिक्त कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा बिचौलियों के शोषण से उन्हें बचाने के लिए की गई थी।

ग्रामीण स्वच्छता पर बैठक

4587. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्वच्छता में सुधार करने के संबंध में उन्होंने राज्य सरकारों के साथ बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त संस्थानों के लिए अनुरोध किया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं के पूर्ण वित्तपोषण का आश्वासन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले वर्ष राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय बैठकें की थी। इन बैठकों का आयोजन मुख्यत: राज्यों को पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के घटकों के बारे में अवगत कराने और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने के काम को सरल बनाने के लिए किया गया था। कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में चयनित प्रायोगिक जिलों के अलावा, अधिक जिलों को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लेने का अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ) पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन आधारित कार्यक्रमों और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान दोनों के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए निधियों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थियों की भागीदारी होती हैं। तथापि, प्रारम्भिक सर्वेक्षणों, आरंभ में प्रचार आदि के लिए केन्द्रीय सरकार पूरी सहायता देती है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है और अब तक विभिन्न राज्यों में लगभग 504 करोड़ रु० की 46 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

समितियों/न्यासों को भूमि का आबंटन

4588. श्री साहिब सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समितियों/न्यासों के नाम क्या हैं जिन्हें डी०डी०ए० तथा एल० एण्ड डी०ओ० द्वारा भूमि आवंटित की गई तथा भूमि किन प्रयोजनों के लिए आबंटित की गई है;

(ख) क्या वे सभी समितियों/न्यासों द्वारा परिसरों का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है जिनके लिए भूमि आबंटित की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी समितियों/न्यासों का नाम क्या है जिन्होंने शर्तों का उल्लघंन किया है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भूमि और विकास कार्यालय द्वारा जिन सोसायटियों/ट्रस्टों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि आबंटित की गई है, उनके नाम संलग्न विवरण I और II में हैं।

(ख) डीडए द्वारा आबंटित भूमि के मामले में सोसायटियां/ट्रस्ट निर्माण कर पाने में असमर्थ रहीं हैं, अत: इन परिसरों के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, 1999 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 12 मामलों में दुरुपयोग/उल्लंघनों का पता चला था, जिनके लिए संलग्न विवरण-III के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और भूखण्ड रद्द किए गए हैं। जहां तक भूमि और विकास कार्यालय का संबंध है इन मामलों में, आबंटित भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिस प्रयोजन के लिए इसका आबंटन किया गया था और किसी भी ग्रस्त सोसायटी/ट्रस्ट के खिलाफ निबंधनों व शर्तों के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं मिली है।

विवरण-I

वर्ष 1997-2000 के दौरान धार्मिक प्रयोजनों के लिए आवंटित भूमि की सूची

क्र०सं०	वर्ष	सोसायटी का नाम	प्रयोजन
1	2		4
1.	1997-98	श्री कृष्ण दरबार माता नीलम देवी ट्रस्ट	मंदिर
2.	1997-98	ईवेन्जीटीकल चर्च	चर्च
3.	1997-98	श्री वर्धमान संस्थान वासी जैन संघ	मंदिर
4.	1997-98	सुभद्रा सेवा संस्थान	धार्मिक

1	2	3	4
5.	1997-98	वंसत कुंज काली मंदिर समिति	धार्मिक सामाजिक संस्कृति
6.	1997-98	जैन मिलन वंसत कुंज	धार्मिक
7.	1997-98	गीता देवी रिलीजीएस एजुकेशन सोसायटी	धार्मिक
8.	1997-98	श्री बालाजी महाराज विवेक विहार सेवा समिति	धार्मिक
9.	1997-98	श्री विमल नाथ जैन श्वेताम्बर टेंपल	मंदिर
10.	1998-99	श्री गुरू सिंह सभा जंगपुरा	गुरूद्वारा
11.	1998-99	द डीसीएम सोसायटी आफ चर्च आफ नार्थ इंडिया	चर्च
12.	1998-99	रोहिणी श्री हनुमान मंदिर कमेटी (आर)	मंदिर
13.	1998-99	गुरू नानक सत्संग सभा	गुरूद्वारा
14.	1998-99	श्री साइकलपाध्यातम संस्था	मंदिर
15.	1998-99	श्री साई गुरू संपरलय शांति निकेतन	धार्मिक
16.	1998-99	पश्चिम विहार बंगला एसोसिएशन	धार्मिक
17.	1998-99	प्रगति एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी	धार्मिक
18.	1998-99	गुरूद्वारा श्री गुरू सिंह सभा	गुरूद्वारा
19.	1998-99	आर्य समाज दिलशाद गार्डन	मंदिर
20.	1998-99	श्री दीगाम्बर जैन सभा	मंदिर
21.	1998-99	बंग्गा संस्कृति परिषद	धार्मिक
22.	1998-99	श्री दिगम्बर जैन मंदिर समिति	मंदिर
23.	1998-99	श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण समिति	धार्मिक
24.	1998-99	भगवान राम मंदिर कल्याण सभा	मंदिर
25.	1998-99	पूर्वांचल सोशल वेलफेयर सोयायटी	धर्मशाला
26.	1998-99	शालीमार बाग कला मंदिर समिति	मंदिर
27.	1998-99	कैथोलिक चर्च दिलशाद गार्डन	चर्च
28.	1998-99	राधा गोविन्द समिति	मंदिर
29.	1998-99	श्री गणेश मंदिर	मंदिर
30.	1998-99	श्री ईश्वर आश्रम ट्रस्ट	मंदिर

1	2	3	4
31.	1999-2000	हनुमान मंदिर समिति रोहिणी	मंदिर
32.	1999-2000	बाबा कोरी दास एजुकेशन सोसायटी	धर्मशाला
33.	1999-2000	भगवान महावरी जन सेवा समिति	मंदिर
34.	1999-2000	श्री पार्शवनाथ जैन धर्मार्थ समिति	धार्मिक
35.	1999-2000	दिल्ली कैथोलिक आर्क विशप	चर्च
36.	1999-2000	शिव मंदिर जीर्णोधार संस्थान सभा	मंदिर/धार्मिक
37.	1999-2000	गुरूद्वारा गुरू सिंह सभा सेक्टर 15 रोहिणी	गुरूद्वारा
38.	1999-2000	श्री मधुवन सनातन धर्म सभा	मंदिर
39.	1999-2000	शक्ति प्रदायनी संस्थान	मंदिर/धार्मिक
40.	1999-2000	श्री राम दीति दुआ मेम० सोसायटी	मंदिर
41.	1999-2000	मूलचन्द दुआ मेम० सोसायटी	मंदिर
42.	1999-2000	स्वामी सत्यादनंद सेवा संघ	मंदिर
43.	1999-2000	लाल सेन मंदिर कमेटी	मंदिर
44.	1999-2000	भक्त कैराली	मंदिर
45.	1999-2000	भगवान महावीर समाज सेवा संस्था	धार्मिक
46.	1999-2000	गैदा जन समाज	मंदिर
47.	1999-2000	काली बाड़ी समिति पीतमपुरा	मंदिर
48.	1999-2000	श्री साइकल्प अध्यात्मिक संस्थान	मंदिर
49.	1999-2000	आत्मज्ञान प्रकाश मंडल	सत्संग भवन
50.	1999-2000	ओम एन.के. पंडीत चे० ट्रस्ट	मंदिर
51.	1999-2000	श्रीमती सोना देवी राजाराम चे० ट्रस्ट	मंदिर/धार्मिक

वर्ष 1997-2000 के दौरान सामाजिक सांस्कृतिक प्रयोजनों हेतु आबंटित भूमि की सूची

क्र०सं०	वर्ष	सोसायटी का नाम	प्रयोजन
1	2	3	4
1	4/97 से 3/98	ऐविएशन इम्पलाई सी एच डी एस	कम्यूनिटी हाल
2	4/97 से 3/98	दिल्ली सिख गुरूद्वारा मैनेजमेंट कमेटी	पालीटेक इंस्टीटयूट

1	2	3	4
3	4/97 से 3/98	संगीतिका	म्यूजिक एंड डांस स्कूल
4	4/97 से 3/98	अग्रवाल विकास परिषद	कम्यूनिटी हाल
5	4/97 से 3/98	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन	आफिस बिल्डिंग
6	4/97 से 3/98	कॉमन कॉज	इंस्टीट्यूट
7	4/97 से 3/98	जगन्नाथ गुप्ता एजुकेशन सोसायटी	मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
8	4/97 से 3/98	रोटरी डिस्ट्रीक्ट 3010 सोशल वेलफेयर सोसायटी	वालिंटरी ब्लड बैंक
9	4/97 से 3/98	शालीमार पंजाबी सभा	कम्यूनिटी हाल
10	4/97 से 3/98	अग्रवाल सभा रोहिणी	-वही-
11	4/97 से 3/98	पंजाबी बिरादरी	-वही-
12	4/97 से 3/98	लाल मुनिराज मांगे राम चेरिटेबल ट्रस्ट	हास्पिटल
13	4/97 से 3/98	उरीबी विक्रम चे० ट्रस्ट	जुबेनलस के लिए सेंटर
14	4/97 से 3/98	अरोड़ा सोहन चे० ट्रस्ट	कम्यूनिटी हाल
15	4/97 से 3/98	श्री देवी मुकाम दी गई	टेम्पल, मेडीटेशन
16	4/97 से 3/98	दिलशाद गार्डन अयप्पा सेवा समिति	चेरिटेबल डिस्पेंसरी
17	4/97 से 3/98	लिट्टल पीपुल एजुकेशन सोसायटी	वोकेशनल ट्रेनिंग सोसायटी
18	4/97 से 3/98	सरिता विहार श्रमिक परिषद	सोशियो कल्चर सेंटर
19	4/97 से 3/98	नियंगमपा महाबुद्ध विहार	बुद्धिस्ट सेंटर
20	4/97 से 3/98	वालीया चे० ट्रस्ट	हास्पिटल
21	4/97 से 3/98	यूनिक हास्पिटल एंड रिसर्च इन्सीट्यूट	हास्पिटल
22	1998-99	अवध पब्लिक चे० ट्रस्ट	वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
23	1998-99	राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेसन	धार्मिक प्रयोजन
24	1998-99	वैश्य फाउंडेशन	कम्यूनिटी हाल
25	1998-99	बहावलपुर समाज दिल्ली	-वही-
26	1998-99	मनोचा योगिक शिक्षा आसाम सांस्कृतिक न्यास	-वही-
27	1998-99	मार्डन दिल्ली वेलफेयनर सोसायटी	-वही-
28	1998-99	सेठ पोखरमल एजुकेशन सोसायटी	मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
29	1998-99	हिम एजुकेशन सोसायटी	अनुसंधान केन्द्र
30	1998-99	नारी दृष्टि फार वूमेन	प्रशिक्षण संस्थान

1	2	3	4
31	1998-99	फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन	निर्यात भवन
32	1998-99	सोसायटी फार इम्पलाइमेंट एंड कैरियर काउंसलिंग	कोचिंग और हास्टल बिल्डिंग
33	1998-99	एस एस जैन सभा यमुना विहार	कम्यूनिटी हाल
34	1998-99	रोटरी डिस्ट्रक्ट 3010 सोशल वेलफेयर सोसायटी (अतिरिक्त भूमि)	वालिंटरी ब्लड बैंक
35	1998-99	पेरियास सोसायटी (अतिरिक्त भूमि)	बेघर बच्चों के लिए धर्मार्थ केन्द्र
36	1998-99	राधा गोविन्द समिति	कम्यूनिट हाल
37	1998-99	श्री श्री जगत गुरू शंकराचार्य महा संस्थान	अनुसंधान केन्द्र
38	1999-2000	सर्वोदय हेल्थ फाउंडेशन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
39	1999-2000	सेंटर फार मीडिया स्टडीज	मीडिया स्टडीज केन्द्र
40	1999-2000	रोटरी डिस्ट्रक्ट सेंटर चे० ट्रस्ट	विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र
41	1999-2000	शांति मेमोरियल सोसायटी	हास्पिटल
42	1999-2000	नेशलन काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज	आफिस बिल्डिंग
43	1999-2000	महा दुर्गा चे० ट्रस्ट	हास्पिटल
44	1999-2000	आई एस आई डी	इंस्टीट्यूट
45	1999-2000	वालिंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया	रिसर्च एंड डाकूमेंटेशन सेंटर
46	1999-2000	सुब्रोज एजुकेशनल सोसायटी	टाडलर्स और सलोचिन्ड्रन के लिए नर्सरी स्कूल
47	1999-2000	भारती विद्यापीठ	इंजीनियरिंग कालेज
48	1999-2000	राजयोग रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन	धार्मिक प्रयोजन
49	1999-2000	अग्रवाल सभा गोविन्द पुरी	कम्यूनिटी हाल
50	1999-2000	सेठ पोखरमल एजु० सोसायटी (अतिरिक्त भूमि)	मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
51	1999-2000	मानसी	महिला कल्याण केन्द्र
52	1999-2000	मधुकर मल्टी स्पेसलिटी हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	हास्पिटल
53	1999-2000	दिल्ली ई एंड टी हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	ई० एंड टी हास्पिटल और अनुसंधान केन्द्र
54	1999-2000	शालीमार सोशल कल्चर सोसायटी	कल्च

1	2	3	4
55	1999-2000	जनकपुरी कल्ब	कल्ब
56	1999-2000	दिल्ली भारत विकास फाउंडेशन	सेंटर फार फाउंडेशन
57	1999-2000	इस्ट एंड कल्ब	खेलकूद एवं मनोविनोद कल्ब
58	1999-2000	भारतीय ब्राहमण चे० सोसायटी	प्रबंधन संस्थान
59	1999-2000	दिल्ली प्रोडक्टिवीटी काउंसिल	आफिस बिल्डिंग
60	1999-2000	हैंडीकैप्ट वेलफेयर फेडरेशन	विकलांगों के लिए केन्द्र
61	1999-2000	हेल्थ एंड एजुकेशन सोसायटी	स्पोर्टस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड मैनजमेंट इंस्टीट्यूट
62	1999-2000	ग्रह देशिया भारत मंडल	कम्यूनिटी हाल
63	1999-2000	जनकपुरी बंगाली एसोसिएशन	कम्यूनिटी हाल
64	1999-2000	जग्गनाथ गुप्ता एजुकेशन सोसायटी	टेक्नीकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
65	1999-2000	त्रिवेणी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी	मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
66	1999-2000	स्टेज डोर	आडीटोरियम
67	1999-2000	गुजरात मिल्क मार्किटिंग प्रा० लि०	आफिस बिल्डिंग
68	1999-2000	एक्शन फार ओटिजम	आटिज्म के लिए राष्ट्रीय केन्द्र
69	1999-2000	होली क्रास सोशल सर्विस सेंटर	अनाथ और परितयक्त बच्चों के लिए घर
70	1999-2000	लेप्रा इंडिया ट्रस्ट	कुष्ठ रोग से ग्रसित युवा व्यक्तियों का पुनर्वास
71	1999-2000	जय जवंती	इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, डांस और परफोरमिंग आर्टस् के लिए स्कूल
72	1999-2000	कम्यूनिष्ट पार्टी आफ इंडिया (एमएल)	आफिस बिल्डिंग

वर्ष 1997-2000 के दौरान स्कूलों को आबंटित भूमि की सूची

क्र०सं०	वर्ष	सोसायटी का नाम	प्रयोजन
1	2	3	4
	1997-98		
1.		मयूर एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
2.		मोती बाग एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल

1	2	3	4
3.		सेंट शकुन्तलम एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
4.		गीता फाउंडेशन एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
5.		डिम्पल एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
6.		कैनवरी एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
7.		रवनत्रेया एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
8.		लवलीरोज एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
9.		शिवाली शिक्षा संस्थान	नर्सरी स्कूल
10.		भगत एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
	1998-99		
11.		भाहुबली एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
	1999-2000		
12.		बीना एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
13.		संकल्प एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
14.		प्रभाव एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसायटी	नर्सरी स्कूल
15.		हारवर्ड इंडिया सोसायटी	नर्सरी स्कूल
16.		वसूधा एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
17.		साई मैमोरियल एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
18.		ब्लूमफील्ड एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
19.		डीएवी कालेज ट्रस्ट मैनजमेंट	नर्सरी स्कूल
20.		सेठ पोखरमल एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
21.		जनजागृति एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
22.		गोल्डन हैरिटेज एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसायटी	नर्सरी स्कूल
23.		यमुना विहार किन्डरगार्टन एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
24.		सोदिक्शा एसोसिएट्स फॉर एजुकेशनल एडवैंचर एंड डिस.	नर्सरी स्कूल
25.		ब्लूमफील्ड एजुकेशनल सोसायटी	नर्सरी स्कूल
26.		एस०पी०एस० फूल चैरिटेबल ट्रस्ट	नर्सरी स्कूल

1	2	3	4
27.		कृष्ण धर्मार्थ समिति	नर्सरी स्कूल
	1997-98		
28.		दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी	सी०सै० स्कूल
29.		सैंट कबीर एजुकेशनल सोसायटी	मिडिल स्कूल
30.		डी पी एस	सी० से० स्कूल
31.		सार्वजनिक सर्वोदया	मिडिल स्कूल
32.		प्रगति एजुकेशन सोसायटी	सी० से० स्कूल
33.		सैंट लारेन्स एजुकेशन सोसायटी	सी० से० स्कूल
34.		गगन एजुकेशन सोसायटी	-वही-
35.		ग्रीगोरियन आरथोडेक्स चर्च सोसायटी	मिडिल स्कूल
	1998-99		
36.		इस्ट प्वाइंट एजुकेशन सोसायटी	सी० प्रे० स्कूल
37.		एम एल सेठी चेरिटेबल सोसायटी	वही
38.		जिन्दल चेरिटेबल सोसायटी	वही
39.		बोब्स नोरनोह मेमोरियल एजुकेशन सोसियल वेलफेयर सोसायटी	मिडिल स्कूल
40.		अरिहन्त सिविक सर्विसेज सोसायटी	सी० से० स्कूल
41.		रोहिणी एजुकेशन सोसायटी	वही
42.		तितीक्षा एकेडेमिक सोसायटी	वही
43.		लवली बाल शिक्षा परिषद	मिडिल स्कूल
44.		मॉर्डन चेरिटेबल फाउन्डेशन	सी० से० स्कूल
45.		न्यू विवेक एजुकेशन सोसायटी	मिडिल स्कूल
46.		गगन सोलंकी एजुकेशन सोसायटी	
47.		मॉर्डन चाईल्ड एजुकेशन सोसायटी	सी० से० स्कूल
48.		गुलशन एजुकेशन सोसायटी	सी० से० स्कूल
49.		न्यू स्टार एजुकेशन सोसायटी	प्राईमरी स्कूल
50.		लगन कला उपवन	सी० से० स्कूल

1	2	3	4
51.		जे के सरस्वती एजुकेशन सोसायटी	मिडिल स्कूल
52.		गगन एजुकेशन सोसायटी	सी० से० स्कूल
53.		अखिल भारतीय समिति	सी० से० स्कूल
54.		मोहन मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी	वही
55.		लखमी चन्द चेरिटेबल सोसायटी	वही
56.		मोहिनी चन्दानी चेरिटेबल सोसायटी	वही
57.		वासुदेव एजुकेशन सोसायटी	वही
58.		आदिचुनचानगिरी शिक्षा समिति	वही
59.		एस कृपाल एजुकेशन सोसायटी	
60.		रिसिंग स्टार एजुकेशन सोसायटी	मिडिल स्कूल
61.		लोर्ड कृष्णा एजुकेशन सोसायटी	सी० से० स्कूल
62.		साई मेमारियल एजुकेशन सोसायटी	मिडिल स्कूल
63.		जिन्दल चेरिटेबल सोसायटी	सी० से० स्कूल
64.		वेर्केटेश्वर एजुकेशन सोसायटी	वही
65.		दिल्ली सिख गुरूद्वारा कमेटी	वही
66.		शिशु नव निर्माण एजुकेशन सोसायटी	वही
67.		समर्थ शिक्षा समिति	वही
68.		आर्य समाज मॉडल टाउन	वही
69.		मांउट कार्नल एजुकेशन सोसायटी	वही
70.		नूतन विद्या एजुकेशन सोसायटी	मिडिल स्कूल
71.		भारती एजुकेशन सोसायटी	सी० से० स्कूल
72.		स्काय लैण्ड एजुकेशन सोसायटी	मिडिल स्कूल
73.		हेलन जारवुड एजुकेशन सोसायटी	सी० से० स्कूल
74.		डायमंड एजुकेशन सोसायटी	वही
75.		डी ए वी कॉलेज मेनेजमेंट कमेटी	वही
76.		दिल्ली सिख गुरूद्वारा कमेटी	वही
77.		वंदन शिक्षा समिति	मिडिल स्कूल

विवरण-II

भूमि और विकास कार्यालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भूमि आबंटन प्राप्त सोसायटियों/ट्रस्टों की सूची

क्र. सं.	सोसायटी/ट्रस्ट का नाम	प्रयोजन
1.	आन्ध्रा एजुकेशन सोसायटी, पुष्प विहार, नई दिल्ली	स्कूल
2.	स्वामी सत्यानन्द धर्मार्थ ट्रस्ट, लाजपत नगर, नई दिल्ली	सत्संग भवन
3.	वी एच पी हनुमान मन्दिर, आर०के० पुरम, नई दिल्ली	मन्दिर
4.	समर्थ शिक्षा समिति नेहरू नगर, नई दिल्ली	खेल मैदान
5.	समय शिक्षा समिति अमर कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली	स्कूल
6.	शिव शक्ति मन्दिर, आर०के० पुरम, नई दिल्ली	मन्दिर
7.	श्री गुरू सिंह सभा, एमबी रोड़, नई दिल्ली	गुरूद्वारा
8.	टैगोर एजुकेशन सोसायटी, आर०के० पुरम, नई दिल्ली	स्कूल
9.	तमन्ना स्पेशल स्कूल फॉर डिजेबल्ड चिल्डर्न, आर०के०पुरम, नई दिल्ली	स्कूल
10.	शिव निकेतन एजुकेशन सोसायटी, डी आई जैड एरिया, नई दिल्ली	स्कूल
11.	इन्द्रप्रस्थ गर्ल्स हायर सै० स्कूल, एमबी रोड़, नई दिल्ली	स्कूल
12.	डा० मुखर्जी स्मृति न्यास	एक स्मारक का निर्माण जिसमें म्यूजियम, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष और व्याख्यान कक्ष होंगे।
13.	नाट्य तरंगिनी	कुचीपुड़ी नृत्य का उन्नयन
14.	अखिल भारतीय बिशनोई महासभा	सांस्थानिक कार्य-कलापों के लिए।
15.	ओब्जरवर रिसर्चस् फाउंडेशन	अनुसंधान प्रयोजनार्थ

विवरण-III

उन मामलों की सूची, जिनमें "कारण बताओ नोटिस" जारी किये गये

क्र. सं.	सोसायटी का नाम	प्लाट नं०	एरिया
1.	इंस्टिट्यूट ऑफ सोसलिस्ट एजूकेशन	ए-1	आई.आई.टी. के दक्षिण
2.	फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया	ए-3	-वही-
3.	आल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिफ	ए-4	-वही-
4.	संजीवनी	ए-6	-वही-
5.	यूनाईटेड स्कूल ऑरगानाइजेशन	ए-13	-वही-
6.	फाउंडेशन फॉर ऑरगानाइजेशन	बी-18	-वही-
7.	भारतीय कस्तूरबा कलचरल सोसायटी	बी-18	होज खास
8.	होलीडे क्लब-	–	पंचशील एन्क्लेव
9.	साकेत कलचरल क्लब	–	साकेत

वे मामले, जिनमें पट्टा समाप्त किया गया

10.	गुरू नानक फाउंडेशन	ए-5	आई.आई.टी. के दक्षिण
11.	वैतालिक	ए-8	-वही-
12.	आई०एम०आई०	बी-10, 30 व 31	-वही-

[हिन्दी]

प्रशिक्षण संस्थान

4589. **श्री तूफानी सरोज** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 2000 के हिन्दी दैनिक "दैनिक जागरण" में "उपयोगी शिक्षा प्रदान करने की केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना दम तोड़ रही है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत 534 प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों को इन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु धनराशि आबंटित की है;

(ङ) यदि हां, तो धनराशि के प्रस्तावित आबंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने उक्त योजना के सन्दर्भ में पाठ्यक्रम को संशोधित किया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण (नई दिल्ली संस्करण) के दिनांक 7 जुलाई 2000 के अंक में "उपयोगी शिक्षा प्रदान करने की केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना दम तोड़ रही है" नामक शीर्षक से कोई समाचार नहीं प्रकाशित हुआ।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृतिक बल

4590. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आंतरिक-सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए किसी कृतिक-बल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही उक्त कृतिक-बल के निदेश-पद क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की जांच करने और सरकार के विचारार्थ विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने हेतु श्री एन०एन० वोहरा, भूतपूर्व केन्द्रीय गृह सचिव, की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

टास्क फोर्स के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आंतरिक सुरक्षा को राष्ट्रीय स्तर के खतरों का आकलन; केन्द्रीय और राज्य, दोनों स्तर पर, आंतरिक सुरक्षा मामलों के प्रबंधन का कार्य करने वाली मशीनरी के समुचित पुनर्गठन की सिफारिश करना; आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने में राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की कारगरता में सुधार लाने हेतु उपाय, स्थानीय समुदायों और नागरिकों को शामिल करने के उपाय तथा साइबर अपराधों इत्यादि से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

भवन एककों का निर्माण

4591. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष ने यह घोषणा की थी कि दि०वि०प्रा० अगले बारह माहों में 18000 भवन-एककों का निर्माण करेगा और यह संख्या बढ़कर 22000 आवासीय भवन-एकक तक पहुंच सकती है, यदि वह कुछ झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने में सफल रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह दि०वि०प्रा० अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिनांक 31.3.1999 को हुए संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने घोषणा की थी कि द्वारका, रोहिणी, नरेला, जसोला, कोण्डली घरोली, धीरपुर आदि जैसे इलाकों में वर्ष 1999-2000 में करीब 18,000 फ्लैटों को बनाने की योजना है।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान 7522 फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू किया जा सका है। शेष फ्लैटों का निर्माण कार्य विभिन्न कारणों से नहीं किया जा सका।

शहरों का विकास

4592. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :
डा० वी० सरोजा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में 5 लाख की जनसंख्या वाले छोटे और मध्यम शहरों के विकास का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान विकसित किए जाने वाले शहरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। छोटे मझौले कस्बों

के एकीकृत विकास की वर्तमान केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अन्तर्गत 5 लाख तक की आबादी वाले छोटे तथा मझौले कस्बों का विकास किया जाना है।

स्कीम के संक्षिप्त ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(i) 5 लाख तक की आबादी वाले कस्बों को शामिल किया जाता है।

(ii) कस्बों का चयन तथा प्राथमिकता राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(iii) 60 : 40 (क्रमश: केन्द्र तथा राज्य अंश) के अनुपात में अनुदान के रूप में धनराशि जारी की जाती है। स्कीम में सांस्थानिक वित्त का भी प्रावधान है।

(iv) आबादी के आधार पर कस्बों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है। स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता कस्बों की श्रेणी पर निर्भर करती है। ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(v) सहायता घटकों में मास्टर प्लान के अनुसार शहर/कस्बा विकास कार्यों को शामिल किया जाएगा, जिनकी शहर/कस्बावार महता है।

(ग) राज्य सरकार की प्राथमिकता तथा दिशानिर्देशानुसार सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर स्कीम के अन्तर्गत कस्बों को लिया जाता है। चालू कस्बों को धन जारी करने को प्राथमिकता दी जाती है। धन की उपलब्धता की शर्त पर नए कस्बों को स्कीम के अन्तर्गत लिया जाता है।

विवरण

आईडीएसएमटी स्कीम के अंतर्गत वित्त व्यवस्था पद्धति

(लाख रुपये में)

कस्बों की श्रेणी (आबादी)	परियोजना लागत	अधिकतम केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	राज्य अंश (अनुदान)	हडको/वित्तीय संस्थान ऋण/अन्य स्रोत
(क) (20000)	100	48	32	20(20%)
(ख) (20000-50000)	200	90	60	50(25%)
(ग) (50000-100000)	350	150	100	100(29%)
(घ) (1-3 लाख)	550	210	140	200(36%)
(ङ) (3-5 लाख)	750	270	180	300(40%)

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश धार्मिक स्थल विधेयक, 2000

4593. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश धार्मिक स्थल विधेयक विभिन्न मंत्रालयों के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वे कौन-से मंत्रालय हैं जिन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है;

(घ) क्या विभिन्न संगठनों ने उक्त विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु न भेजने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवन और स्थान विनियमन विधेयक, 2000 के उपबंधों की केन्द्र सरकार द्वारा, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालयों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है। कुछ टिप्पणियां स्पष्टीकरण के लिए 10 अगस्त, 2000 को राज्य सरकार को भेजी गयी हैं। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

(घ) और (ङ) कुछ संगठनों और राजनैतिक दलों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि विधेयक की मंजूरी रोक दी जाये, क्योंकि उनकी राय में, इससे, भारत के संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप होगा।

(च) सरकार, देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को संरक्षित रखने और इसे आगे और सुदृढ़ करने के प्रति वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

जनजातियों के रूप में मान्यता

4594. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने खालता और जौनपुरी के जनजातीय लोगों को अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के रूप में स्वीकार किए

जाने के सवाल पर उचित निर्णय लेने हेतु जुलाई, 1996 में केन्द्र सरकार को निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के मुताबिक विभिन्न राज्यों के जनजातीय लोग 1953 से इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए निर्धारित मानदंड और शर्तों को यह जनजातियां किस सीमा तक पूरा करती है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने हुक्म सिंह पंवार तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य मामले में अपने दिनांक 8 जुलाई, 1996 के आदेश में भारत सरकार को खालता तथा जौनपुरी समुदायों की मांग पर अनुसूचित जनजाति के रूप में उनके विनिर्देशन के लिए उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

(ग) इस मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत यथा अपेक्षित इन समुदायों के जनजातीय गुणों को निर्धारित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है।

[हिन्दी]

बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

4595. श्री नवल किशोर राय :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित और बंजरभूमि विकास कार्यक्रम देश में कुछ वर्ष पहले शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी और उस समय देश में कुल कितनी बंजर भूमि होने का अनुमान लगाया गया था; और

(ग) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (आई०डब्ल्यू०डी०पी०) स्कीम वर्ष 1989-90 में शुरू की गई थी। सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ बेस्टलैण्ड डिवेलपमेन्ट, नई दिल्ली, 1984 के द्वारा देश में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल 129.57 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अभी तक 415.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

4596. श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी राशि का आबंटन किया गया;

(ख) क्या धनराशि का दुरुपयोग होने के साथ-साथ दुर्विनियोग भी किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और राष्ट्रीय पेयजल मिशन के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का राज्य/संघ शासित राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित राज्यों को जारी की गयी कुल निधि तथा इस पर हुए व्यय की सूचना को दर्शाने वाली एक विवरणी नीचे दी गयी है:

(लाख रुपए)

1997-98		1998-99		1999-2000	
जारी निधि	व्यय	जारी निधि	व्यय	जारी निधि	व्यय
107779.81	107247.69	137223.70	153809.07	135221.84	154576.48

अनंतिम

यह देखा जा सकता है कि सम्पूर्ण देश के स्तर पर त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधि का किसी तरह का खराब उपयोग नहीं हुआ। गत तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधि के दुरुपयोग के संबंध में किसी तरह की सूचना सरकार के नोटिस में नहीं आयी है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गयी नवीनतम सूचना के अनुसार, तारीख 1.4.2000 को ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधाओं के कवरेज की स्थिति निम्नानुसार है:

कवरेज का स्वरूप	बसावटों की संख्या
कुल	1422664
पूर्ण रूप से कवर किए गए	1172728
आंशिक रूप से कवर किए गए	222493
कवर नहीं किए गए	27443

विवरण

1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के वर्षों के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का राज्यवार-आबंटन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7964.00	9991.36	12534.37
2.	अरूणाचल प्रदेश	1444.00	3623.00	2476.00
3.	असम	2438.00	6120.00	4180.00
4.	बिहार	9380.00	11768.50	9380.00
5.	गोआ	227.00	283.75	352.92
6.	गुजरात	4672.00	5860.51	8264.42
7.	हरियाणा	1746.00	2190.91	2582.63
8.	हिमाचल प्रदेश	1568.00	1967.07	3119.82
9.	जम्मू व कश्मीर	4395.00	5514.58	6381.44
10.	कर्नाटक	7325.00	9177.40	11518.53
11.	केरल	3724.00	4673.49	5905.62
12.	मध्य प्रदेश	8817.00	11063.07	12947.59
13.	महाराष्ट्र	10602.00	13301.46	18663.81
14.	मणिपुर	529.00	1330.00	907.00
15.	मेघालय	568.00	1425.00	2282.40
16.	मिजोरम	406.00	1018.00	1630.29
17.	नागालैंड	422.00	1058.00	724.00
18.	उड़ीसा	4173.00	5236.47	6645.97
19.	पंजाब	1330.00	1668.62	2358.80
20.	राजस्थान	8732.00	10954.54	17377.66
21.	सिक्किम	372.00	434.00	695.59
22.	तमिलनाडु	6314.00	7922.54	8958.28
23.	त्रिपुरा	503.00	1262.00	2021.55
24.	उत्तर प्रदेश	14775.00	18537.93	19800.17
25.	प० बंगाल	5704.00	7169.63	7008.15
26.	अं० व नि० द्वीप समूह	12.50	12.50	12.50
27.	दा० व न० हवेली	12.50	12.50	12.50
28.	दमन व दीव	12.50	12.50	12.50
29.	दिल्ली	5.00	5.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	12.50	12.50	12.50
31.	पांडिचेरी	5.00	5.00	5.00
	कुल	108190.00	143611.83	168772.00

एफ०सी०आर०ए० को पुनः तैयार किया जाना

4597. **श्री राशिद अलवी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई गैर-सरकारी संगठन एफ०सी०आर०ए० को समाप्त करने/नवीकरण किये जाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) इसी प्रकार के बहुत से पत्र, यह मांग करते हुए, विभिन्न संगठनों से प्राप्त हुए हैं कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए।

(ग) सरकार का अभी भी यह मत है कि देश में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अन्यों के साथ, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और इस्तेमाल के प्रबंधन हेतु एक कानून की आवश्यकता है।

तलाकशुदा महिलाओं के लिए भरण-पोषण भत्ता

4598. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या गृह मंत्री तलाकशुदा महिलाओं के लिए भरण-पोषण भत्ते के बारे में 15.5.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7491 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से तलाकशुदा महिलाओं के लिए भरण-पोषण भत्ते की अधिकतम सीमा बढ़ाने के बारे में विधि आयोग की सिफारिश की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब से प्रभावी होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994, जिसे अन्य संशोधनों के साथ, 9 मई, 1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था, भरण-पोषण भत्ते को 500 रु० प्रति माह से बढ़ाकर एक हजार पांच सौ रु० प्रति माह करके भुगतान की अधिकतम सीमा की व्यवस्था करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 को संशोधित करने के लिए है। भारत के विधि आयोग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 पर अपनी 154वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, भरण-पोषण भत्ते को बढ़ाकर पांच हजार रु० प्रति माह करने की सिफारिश की है। सरकार की, भरण पोषण भत्ते को बढ़ाकर पांच हजार रु० प्रतिमाह करने के लिए, जल्दी ही दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 में संशोधन करने के लिए राज्य सभा में एक संशोधन पेश करने का प्रस्ताव है।

नेहरू पार्क में मनन

4599. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन की प्रतिबंधित मनन समूह फालुंग गोंग के सदस्य प्रतिदिन सुबह के समय दिल्ली के नेहरू पार्क में चिन्तन की कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं;

(ख) क्या इसी समूह को चीन में मनन हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत में मनन कक्षाएं आयोजित करने के लिए इसी समूह को अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) बताया जाता है कि फा लुन गोंग पर चीनी प्राधिकारियों द्वारा जुलाई, 1999 में प्रतिबंध लगाया गया था।

(ग) ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि फा लुन गोंग, ग्रुप के सदस्य भारत में किन्हीं गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं।

बंजर भूमि के विकास के लिए संसाधन

4600. श्री सुबोध मोहिते : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंजर भूमि के विकास हेतु वित्तीय संस्थानों, निगमित निकायों और उपभोक्ता आयोगों के माध्यम से संसाधन जुटाने के अपने प्रोत्साहन प्रयासों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 1994-95 में शुरू की गई निवेश संवर्धन योजना के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निवेश संवर्धन योजना (आईपीएस) में पाई गई खामियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) यनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की निवेश संवर्धन योजना (आई०पी०एस०) बंजरभूमि को विकसित करने हेतु प्रयोक्ता उद्योगों तथा अन्य उद्यमियों सहित वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, निगमित निकायों से संसाधन जुटाने के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय संवर्धन अनुदान/आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था है। लाभार्थियों की कारगर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्तकों के अंशदान की परिकल्पना भी की गई है।

(ग) और (घ) योजना के कार्य-निष्पादन की 1996-98 के दौरान समीक्षा करने के पश्चात् इसकी पुनर्संरचना की गई थी। संशोधित योजना को अगस्त, 1998 में लागू किया गया था और इसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य को प्रमुखता देते हुए अधिक व्यापक आधार वाली योजना बनाया गया था। निवेश संवर्धन योजना के पुराने मार्गदर्शी सिद्धांतों की तुलना में नये मार्गदर्शी सिद्धांतों में किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) निवेश संवर्धन योजना में अभी तक कोई कमी ध्यान में नहीं आई है।

विवरण

वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की निवेश संवर्धन योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

पुराने मार्गदर्शी सिद्धांत	संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत
1	2
1. आर्थिक सहायता की मात्रा	
(क) छोटे और सीमांत किसानों सहित सामान्य श्रेणी	(क) सामान्य श्रेणी (अलग-अलग/समूह में)
– 25 लाख रुपये अथवा वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हों।	– फार्म पर किये जाने वाले विकास कार्यकलापों पर खर्च होने वाली राशि का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो कम हो।
	(ख) छोटे किसान (अलग-अलग/समूह में)
	– फार्म पर किए जाने वाले विकास कार्यकलापों पर खर्च होने वाली राशि का 30 प्रतिशत या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसान	(ग) सीमान्त किसान (अलग-अलग/समूह में)
– कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, तथापि प्रति परियोजना 50,000 रुपये की सीमा तक।	– फार्म पर किए जाने वाले विकास कार्यकलापों पर खर्च वाली राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो कम हो।
	(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए क्षेत्र की किसी सीमा के बिना (अलग-अलग/समूह में)
	– फार्म पर किए जाने वाले विकास कार्यकलापों पर खर्च वाली राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो कम हो।
2. प्रवर्तकों का अंशदान	
(क) छोटे और सीमान्त किसानों सहित सामान्य श्रेणी	(क) सामान्य क्षेणी (अलग-अलग/समूह में)

1	2
– वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार परियोजना लागत का 25 प्रतिशत	– परियोजना लागत का कम से कम 25 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसान	(ख) छोटे किसान (अलग-अलग/समूह में)
–शून्य–	– परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत
	(ग) सीमान्त किसान (अलग-अलग/समूह में)
	– शून्य, तथापि स्व-रोजगार देने और भागीदारी की सुनिश्चितता के लिए परियोजना कार्यान्वित करते समय इसमें परिवार के लोगों के श्रम को शामिल किया जाना चाहिए।
	(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जोत क्षेत्र की किसी सीमा के बिना (अलग-अलग/समूह में)
	– शून्य, तथापि, स्व-रोजगार देने और भागीदारी की सुनिश्चितता के लिए परियोजना कार्यान्वित करते समय इसमें परिवार के लोगों के श्रम को शामिल किया जाना चाहिए।
3. वित्तीय संस्थाएं/बैंक	
(क) केवल राष्ट्रीयकृत बैंक	(क) राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक
4. अन्य परिवर्तन	(ख) अगर कोई स्वतंत्र एजेंसी/संगठन/गैर-सरकारी संगठन, किसानों के समूह को संघटित करने और उन्हें संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से संबद्ध करने में सहायता करता है, तो उसे इस प्रयोजन के लिए परियोजना लागत की 3 प्रतिशत राशि अदा की जायेगी और यह राशि किसानों को अलग-अलग/समूह में स्वीकार्य, भूमि संसाधन विभाग की केन्द्रीय संवर्धन आर्थिक सहायता में से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा संबंधित एजेंसी/संगठन/गैर-सरकारी संगठन को अदा की जायेगी।
	(ग) फार्म पर विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए औसत परियोजना लागत को 20,000 रुपये प्रति हैक्टेयर तक सीमित रखा गया है।
	(घ) परियोजना की जीवनक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए पांच वर्षों की न्यूनतम परियोजना अवधि के साथ विकास के लिए कम से कम 4 हैक्टेयर क्षेत्र को लिया जाना चाहिए।
	(ङ) आर्थिक सहायता के रूप में सहायता केवल कृषि-वानिकी परियोजनाओं के लिए ही दी जाती है।

कृषि योग्य भूमि हेतु विदेशी तकनीकी सहायता

4601. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अधिकांश भू-भाग में फैली बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए इजराइल से कोई तकनीकी सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) राजस्थान के शुष्क तथा अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में जोजोबा की कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक पंजीकृत सोसाइटी नामत: एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जोजोबा प्लांटेसन एण्ड रिसर्च प्रोजेक्ट (ए०जे०ओ० आर०पी०), जयपुर जे जोजोबा कृषि के लिए कृषि-प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु इजराइल की हैगुड (एच०ए०आई०जी०यू०डी०) सोसाइटी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) ने राजस्थान के जयपुर जिले में ढांड और सीकर जिले में फतेहपुर में बंजरभूमि के सो हैक्टेयर क्षेत्र में इजराइल की हैगुड सोसाइटी के तकनीकी सहयोग के साथ जोजोबा कृषि के लिए दो मॉडल फार्म स्थापित करने हेतु एसोसिएशन आफ राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन एण्ड रिसर्च प्रोजेक्ट को एक प्रायोगिक परियोजना स्वीकृति की है। परियोजना का प्रथम चरण पूरा हो गया है। परियोजना के दूसरे चरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2000-2001 से आरंभ किया गया है।

स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति

4602. श्री के०पी० सिंह :
श्री बिक्रम केशरी देव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से स्वच्छ पेयजल परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस परियोजना से कितने गांवों और लोगों के प्रभावित होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) जल आपूर्ति राज्यों का विषय है और राज्य सरकार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त निधियों से ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए योजनाएं कार्यान्वित करती है। केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकार के प्रयासों में केवल सहायता करती है। ग्रामीण जल आपूर्ति के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण जल आपूर्ति की योजना बनाने, उसे मंजूर करने और कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। इसीलिए त्वरित ग्रामीण जलआपूर्ति के अन्तर्गत योजनाएं शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन के वास्ते कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने की राज्य सरकारों को आवश्यकता नहीं है।

लेकिन ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में सामूदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने की क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं को भारत सरकार अनुमोदित करती है। उड़ीसा सरकार ने क्षेत्र सुधार प्रयोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सुन्दरगढ़, गंजाम और बालासोर जिलों की पहचान की थी। भारत सरकार ने सुन्दरगढ़ के लिए 4000 लाख रुपए की कुल स्वीकृत परियोजना लागत की परियोजना को अनुमोदित किया है। परियोजना में 9000 बसावटों को शामिल कर लगभग 10 लाख की ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने की परिकल्पना की गई है।

चूंकि उड़ीसा सरकार द्वारा गंजाम और बालासोर के संबंध में प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की अवधारणा संतोषजनक नहीं थी इसलिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे उनमें संशोधन करें। गंजाम और बालासोर के संबंध में संशोधित परियोजना प्रस्ताव, जिसकी अनुमानित लागत क्रमश: 111.00 करोड़ रुपए और 87.00 करोड़ रुपए है, हाल में प्राप्त हुए हैं। बालासोर से संबंधित परियोजना प्रस्ताव में लगभग 6850 बसावटों को शामिल कर लगभग 18.50 लाख की ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। गंजाम जिले से संबंधित परियोजना प्रस्ताव में 2769 गांवों को शामिल कर लगभग 29 लाख की ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने की परिकल्पना की गई है।

कश्मीरी विस्थापितों की अचल सम्पत्ति

4603. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कश्मीर छोड़कर गए कश्मीरी पंडितों की अचल/चल-संपत्ति की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेन्ट इम्मावेबल प्रोपर्टी (प्रीजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड रेशट्रेन ऑन डिस्ट्रेस सैल्स) एक्ट, 1997 को लागू किया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का जम्मू और कश्मीर सरकार पर इस अधिनियम को लागू करने के लिए लिए जोर देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और विपत्ति में बिक्री पर रोक) अधिनियम, 1997 पारित किया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रवासियों की सम्पत्ति के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सभी सम्भव और आवश्यक कदम उठा रही है। उपयुक्तों से, प्रवासियों की सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्व, पुलिस और स्थानीय समुदाय को संयुक्त रूप से शामिल करने को कहा गया है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से ऐसे मामलों, जहां सम्पत्तियों पर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों द्वारा कब्जा किया हुआ है, का किराया तय करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने और जहां उग्रवाद संबंधी घटनाओं के कारण सम्पत्ति को क्षति पहुंची है, वहां मुआवजे का भुगतान करने का अनुरोध किया है घाटी में सुरक्षा बलों कब्जे वाले कुल 701 मकानों (प्रवासिसों से संबंधित) में से, संबंधित जिला प्रशासन द्वारा 387 मामलों में किराए का निर्धारण किया जा चुका है और 165 मामलों में स्वीकृति जारी की जा चुकी है। घाटी में विभिन्न व्यक्तियों के अवैध कब्जे में, प्रवासियों के कुल 635 मकानों में से, जिला प्रशासन ने 609 मामलों में इन मकानों को शीघ्र खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। अन्तिम रिकार्ड प्राप्त होने तक, राज्य सरकार ने अब तक 4691 क्षतिग्रस्त ढांचों के मामलों में 28.60 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।

•

जीन अन्तरण प्रौद्योगिकी

4604. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (नेशनल केमिकल्स लेबोरेटरी) ने जीन अन्तरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से कीट-रोधी कपास, 'चिकपी', 'पिजनपी' और काली मिर्च के विकास हेतु नमूने तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक क्षेत्र में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी नहीं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल) ने जीन अन्तरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से कीट-रोधी कपास, चिकपी, पिजनपी और काली मिर्च के विकास के लिए अभी तक कोई नमूने (प्रोटोटाइप) तैयार नहीं किए हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल) कीट-रोधी कपास और चिकपी विकसित करने संबंधी नेटवर्क कार्यक्रम में सहयोग करने वाले संस्थानों में से एक है। इन दो कार्यक्रमों में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का विशेष कार्य एंटीफीडेंट प्रोटीन्स को अभिज्ञात करना व सदृश जीनों का क्लोन तैयार करना है।

[हिन्दी]

महिलाओं के प्रति भेदभाव करने संबंधी सम्मेलन

4605. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "महिलाओं के प्रति भेदभाव करने संबंधी सभी मंचों का सम्मेलन" के करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) इस करार के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों के पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां। भारत ने "महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन" पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसकी भारत ने दो घोषणात्मक वक्तव्यों तथा एक प्रतिबन्ध के साथ अभिपुष्टि की है।

(ख) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और कार्यक्रमों का उद्देश्य देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता भी शामिल है, का उन्मूलन करना है।

[अनुवाद]

कोयले का आयात

4606. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश-वार कितनी मात्रा में पावर ग्रेड कोयला का आयात किया गया और प्रति टन लागत कितनी है और इस पर कितनी सीमा शुल्क लगी;

(ख) आयातित कोयले की विभिन्न श्रेणियों के समकक्ष भारतीय कोयले की कौन-कौन सी श्रेणियां हैं;

(ग) क्या सरकार को पावर ग्रेड कोयले का आयात न करने के लिए कोल इंडिया लि० अथवा किसी अन्य कोयला कंपनी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) और (ख) विभिन्न उष्मानों के अकोककर कोयले का आयात वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत उपभोक्ताओं व्यापारियों और आयातकों

द्वारा किया जाता है। कोयले के आयात की निगरानी कोयला मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती है। आयातित कोयले की प्रति मीट्रिक टन लागत संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन सामान्यत: विद्युत संयंत्रों, सीमेंट संयंत्रों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आयातित अकोककर कोयले वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	बुनियादी उत्पाद शुल्क	आयात की गई मात्रा (मिलियन टन में)
1997-98	10%	6.56
1998-99	10%	6.00
1999-2000	15%	7.50 (अनंतिम)

(ग) और (घ) आयातित कोयले की वजह से देशीय कोयले के सामने आई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कोल इंडिया लि० ने बराबरी का दर्जा प्रदान करने के लिए एक अभ्यावेदन दिया है। कुछ समुद्रतटीय क्षेत्रों में देशीय कोयला प्रति थर्म निम्न आयातित कोयले के मुकाबले महंगा पड़ता है जो लम्बी दूरी पर रेलवे के ऊंचे भाड़े और कोयले पर आयात शुल्क के कुछ कारणों से है।

सरकार ने अभी हाल में अकोककर कोयले पर बुनियादी आयात शुल्क 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया है कोयला मंत्रालय ने रेल भाड़े के ढांचे में असंतुलन को दूर करने के लिए रेल मंत्रालय को लिखा है जो घरेलू कोयले की वाणिज्यिक सामर्थ्य पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है।

[हिन्दी]

हिन्दी को बढ़ावा

4607. श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे संगठनों/संस्थाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजनार्थ इन संगठनों/संस्थाओं को कितनी धनराशि आबंटित की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) हिन्दी की प्रोन्नति के लिये स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले केन्द्रीय संगठन/संस्थाएं निम्नलिखित हैं :

(i) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय दिल्ली।

(ii) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा।

(iii) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, दिल्ली।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए संस्थाओं/संगठनों को योजनागत के अंतर्गत आबंटित की गई राशि (रु० लाखों में) :-

	1997-98	1998-99	1999-2000
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली	309.11	386.31	395.00
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा	192.00	150.00	200.00
वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, दिल्ली	40.00	55.00	70.00

[अनुवाद]

ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यम हेतु सहायता और विकास (टी०आर०ई०ए०डी०)

4608. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यम हेतु सहायता और विकास (टी०आर०ई०ए०डी०) के लिए पायलट परियोजना की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना किस वर्ष स्वीकृत की गई और इस परियोजना के अंतर्गत क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता दी गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) लघु उद्योग एवं कृषि ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित सूचना दी है:-

महिलाओं के लिए व्यवसाय से संबंधित उद्यमशीलता सहायता तथा विकास (टी०आर०ई०ए०डी०) योजना के अन्तर्गत एक प्रायोगिक परियोजना वर्ष 1996-97 में गुजरात के लिए स्वीकृत की गई थी। योजना के अन्तर्गत ऋण, अनुदान के रूप में सहायता, व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण, सूचना तथा उत्पाद एवं बाजार विकास से संबद्ध कार्यकलापों के विस्तार की सूचना गैर-सरकारी संगठनों के जरिए महिला उद्यमियों को उपलब्ध करायी जाती है। सरकारी अनुदान का हिस्सा परियोजना की कुल लागत का एक तिहाई तक होता है।

वर्ष 1996-97 में गुजरात राज्य के लिए प्रायोगिक परियोजना के लिए केवल 20 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके पश्चात् गुजरात सरकार के लिए इस योजना के अन्तर्गत और आगे अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय नागरिकता

4609. श्री योगी आदित्यनाथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान भारतीय नागरिकता चाहने वाले विदेशियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) आवेदक किन-किन देशों के हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को नागरिकता दी गई और उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन अस्वीकृत/लंबित पड़े हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा ऐसे ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं क्योंकि भारतीय नागरिकता प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिले के कलेक्टर (समहार्त्ता) को प्रस्तुत करने होते हैं।

(ग) इसी अवधि के दौरान, भारत सरकार ने 1267 व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने की तथा 55 आवेदन पत्र रद्द किए। 2359 मामलों में स्वीकृति की सूचना भेजी गई परन्तु आवेदक से विदेशी नागरिकता छोड़ने की सूचना प्राप्त न होने के कारण नागरिकता प्रमाण-पत्र अभी प्रदान किया जाना है।

[अनुवाद]

विद्युत उपकेन्द्र

4610. श्री अधीर चौधरी :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवरसाइड स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन क्लब के निकट मयूर विहार फेज-I एक्सटेंशन में प्रयोक्ताओं को अन्य सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु डी०डी०ए० की विद्युत उपकेन्द्र बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस उपकेन्द्र की स्थिति क्या है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान क्षेत्र कब तक दिल्ली विद्युत बोर्ड को सौंप दिया जाएगा; और

(ग) विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण विद्युत देने की समय-सीमा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) मयूर विहार में सामुदायिक सुविधाओं के विद्युतिकरण बाबत डीडीए के प्रस्ताव पर दिल्ली विद्युत बोर्ड ने डीडीए से विद्युतिकरण स्कीम के प्रतिपादन के लिए उपकेन्द्र स्थापित करने हेतु स्थल सौंपने का अनुरोध किया है।

(ग) दिल्ली विद्युत बोर्ड से मिली सूचना के अनुसार विद्युतिकरण स्कीम पूरी होने में करीब 6 माह का समय लगेगा।

समुद्री तट सीमा

4611. डॉ० ए०डी०के० जयशीलन : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत की समुद्री तट सीमा स्थापित की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय महाद्वीपीय शेल्फ की बाह्य सीमाओं के दावे जून, 2005 तक महाद्वीपीय शेल्फ सीमा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं।

आतंकवादी गतिविधियां

4612. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री बाबूभाई के० कटारा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 31 जुलाई, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी एक खबर के मुताबिक असम के कामरूप जिले में एक मालगाड़ी को बम से उड़ा दिया गया है,

(ख) इस घटना में हुई जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है,

(ग) इसमें लिप्त आतंकवादी गिरोहों के नाम क्या हैं

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करके इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) लगभग 150 मीटर लम्बी रेल पटरी को क्षति पहुंची और मालगाड़ी की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। कोई भी आदमी हताहत नहीं हुआ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस विस्फोट में प्रतिबन्धित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट आफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) के संलिप्त होने का सन्देह है।

(घ) ओर (ङ) जी हां, श्रीमान्। सरकार ने इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

अपने-अपने जिलों में प्रभावी रेल सुरक्षा उपायों की रूप रेखा तैयार करने के लिए उपायुक्तों को तुरन्त जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें बुलाने के निदेश दिए गए हैं। रेलवे ट्रैक्स पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। रेलवे गैंगमैन, होमगार्ड और जी आर पी कार्मिक संयुक्त रूप से रेलवे ट्रैक्स की गश्त पर तैनात किए गए हैं। स्टेटिक पुलिस और आर्मी गार्डों को राज्य में समस्त महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर ड्यूटी पर लगाया गया है। राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल कार्मिक तथा होमगार्डों को सभी यात्री/माल गाड़ियों में तैनात किया गया है। प्रमुख उग्रवादी गुटों को विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। राज्य और केन्द्र, दोनों स्तर पर, स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

4613. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक मंजूर किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) कुछ राज्य सरकारों ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के विशेष परियोजना घटक के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं :-

(ग) बकाया अस्वीकृत न किए गए प्रस्तावों की निकासी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजना विशेष से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने और अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने पर निर्भर होगी।

विवरण

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अब तक अनुमोदित विशेष परियोजनाओं की सूची

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	राज्य/संगठन जिससे परियोजना प्राप्त हुई	मंत्रालय के लिए परियोजना लागत का अंश	पहली किस्त के रूप में जारी राशि
1	2	3	4	5
1.	डिसेमिनेशन एण्ड ट्रांसफर आफ एप्रोप्रिएट टेक्नालॉजी, गुजरात सरकार	गुजरात	225.00	112.50
2.	गुजरात ग्राम हाट कम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग इन्टरवेंशन एण्ड सपोर्ट फार दि रूरल पुअर इन गुजरात	गुजरात	900.00	450.00
3.	सेटिंग अप आफ टेक्नालॉजी एण्ड ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेन्टर्स, आंध्र प्रदेश सरकार	आंध्र प्रदेश	1125.00	562.50
4.	सेटिंग अप आफ परमानेन्ट मार्केटिंग सेन्टर्स, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	975.00	487.50

1	2	3	4	5
5.	इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (इन्स्टालेशन आफ हाईड्रैम इन दि स्टेट आफ हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश	487.50	243.75
6.	वन्धन (फारेस्ट वेल्थ बस्तर जिला मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	562.50	281.25
7.	डेवलपमेंट आफ मुगा सिल्क इन असम	असम सरकार	510.99	255.50
8.	डेवलपमेंट आफ इरी सिल्क इन असम	असम सरकार	218.37	109.19
9.	इम्पलायमेंट जनरेशन थ्रू मुशरूम कल्टीवेशन	असम सरकार सिर्ड के जरिए कार्यान्वित (राज्य सरकार का संगठन)	359.55	179.78
10.	स्ट्रेथनिंग दि मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नोडल सेन्टर फार रूरल टेक्नालॉजी इन तमिलनाडु	तमिलनाडु	1098.00	549.00
11.	इकॉनामिक जैनरेशन थ्रू क्वायर प्रोडक्शन बाई वूमेन एस एच जी इन ईस्ट गोदावरी जिला	आंध्र प्रदेश	1081.50	540.75
12.	पावर्टी एलीविएशन थ्रू यूज आफ इम्प्रूव्ड टेक्नॉलाजी (कृषि संबंधी इजराइल टेक्नॉलाजी का विस्तार) स्पेशल प्रोजेक्ट अंडर एस जी एस वाई फार चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	1125.00	562.50
13.	खानखेडी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम जिला नीमच	मध्य प्रदेश	1125.00	562.50
14.	इस्टैबिलसमेंट आफ सरस मार्केटिंग सेन्टर्स एण्ड टेक० एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर्स इन यू०पी०	उत्तर प्रदेश	712.50	356.25
15.	मशरूम प्रोडक्शन, उ० प्रदेश	उत्तर प्रदेश	768.75	384.38
16.	ग्रीन बनाना प्लांटेशन, उ०प्र०	उत्तर प्रदेश	862.50	431.25
	कुल केन्द्रीय अंश		12137.16	6068.58

हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

4614. श्री जी०जे० चाविया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार निकट भविष्य में गुजरात में हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां इन केन्द्रों को स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) इस समय सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

4615. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु सरकार के विचाराधीन कोई नई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की यू०एन०डी०पी०, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई०एम०एफ०), विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्त प्रदान करने वाली एजेंसियों की वित्तीय सहायता से देश में ग्रामीण उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के विकास हेतु नई योजनाएं आरंभ करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी परियोजनाओं की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पावर्टी इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए 111 मिलियन अमरीकी डालर के आई डी ए ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर 2.5.2000 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं (i) सबसे निचले स्तर की स्व-प्रबंधित संस्थाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करना (ii) सुस्थापित स्थानीय संस्थाओं, विशेषकर आंध्र प्रदेश की ग्राम सभाओं/पंचायतों और सरकार के संबंधित विभागों की क्षमता का निर्माण करना जिससे वे गरीबी की आवश्यकताओं को सुलझाने में और अधिक सक्रिय रूप से कार्य कर सकें (iii) गरीबों के सबसे निचले स्तर की संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित उप-परियोजनाओं में निवेश का समर्थन करना ताकि वे सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों में तेजी मे भाग ले सकें और उनकी भागीदारी में विस्तार हो सकें और (iv) गरीब लोगों में बाल मजदूरी के चलन को कम करने के लिए बालिकाओं की शिक्षा में सुधार लाना।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट पावर्टी इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान के लिए 100 5 मिलियन अमरीकी डालर के आई डी ए ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ एक और समझौते पर 19.5.2000 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह परियोजना भारत में विश्व बैंक की नई उधार प्रक्रियाओं की श्रृंखलाओं का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित सहभागिता दृष्टिकोण और मांग आधारित निवेश निर्णयों के माध्यम से ग्रामीण निर्धनों की प्राथमिक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अवसरो में सुधार लाना है। विशेष रूप से, यह परियोजना निर्धनों को संगठित करेगी और उन्हें शक्ति प्रदान करेगी जिससे उन्हें सबसे निचले स्तर के संगठनों को विकसित करने में सहायता मिलेगी और वे लोकतांत्रिक और विकास की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 89.9 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का उपयोग 1997-2000 की अवधि में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम से क्षमता निर्माण, व्यष्टि वित्तीयन, सूचना प्रसार आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

वाणिज्यिक गतिविधियां

4616. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम, अतिथि गृह और बैंक खोलने संबंधी कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवासीय क्षेत्रों में स्थित बैंकों, अतिथि गृहों और नर्सिंग होम, आदि के नियमितीकरण के लिए अतिरिक्त लेवी लगाई जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नियमितीकरण प्रभारों में आयकर, सम्पत्तिकर भी शामिल हैं;

(च) यदि हां, तो क्या भवनों के मालिकों ने सरकार को प्रतिवर्ष लेवी प्रभारों में 10% की छूट देने का अभ्यावेदन किया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

(ङ) रिहायशी क्षेत्रों और प्लाटों में नर्सिंग होम, अतिथि गृह और बैंक से संबंधित कार्यकलाप चलाने के लिए अनुज्ञा शुल्क आयकर और सम्पत्ति कर से जुड़ा नहीं है। आयकर और सम्पत्ति कर संगत कानूनों के प्रावधानों के तहत देय होते हैं।

(च) और (छ) जी, हां। अनुज्ञा शुल्क के खिलाफ अभ्यावेदन मिले हैं। सरकार इस मसले पर पहले से विचार कर रही है।

विवरण

दिल्ली मास्टर प्लान को 7 मई, 1999 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके द्वारा न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी (विशेष क्षेत्रों में 9 मीटर और पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी० चौड़ी) सड़कों के सामने न्यूनतम 209 वर्ग मी० के रिहायशी प्लाटों में अतिथिगृह, छात्रावास, किरायावास, नर्सिंगहोम तथा बैंकों की निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति दी गई है :-

(i) उपर्युक्त कार्यकलापों की अनुमति देने के लिए ऊपर बताया गया न्यूनतम सड़क सम्मुखभाग (फ्रन्टेज) आवश्यक होगा। जो अतिथिगृह, बैंक और नर्सिंगहोम पहले से ही अस्तित्व में हैं, उनके मामले में ढील दी जा सकती है, बशर्ते उन्होंने अग्निशमन विभाग से सहमति प्राप्त की हो।

(ii) नर्सिंगहोम तथा बैंकों के लिए 250 वर्ग मीटर आकार के प्लाट हेतु अधिकतम दो तिहाई फर्सी क्षेत्र के परावर्तन की अनुमति दी जा सकती है। बड़े आकार के प्लाटों के प्रसंग में, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपयोग की अनुमति अधिकतम 2/3 एफ ए आर अथवा 600 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, की शर्त पर दी जा सकती है। अतिथिगृहों के मामलों में प्लाट का आकार कोई भी हो, किन्तु अधिकतम तीन चौथाई फर्सी क्षेत्र के परावर्तन की अनुमति होगी। एक अतिथिगृह में अधिकतम 15 अतिथि कक्षों की अनुमति होगी।

(iii) उपर्युक्त कार्यकलापों के प्लाट का अधिकतम आकार 1000 वर्ग मीटर होगा।

(iv) 250 वर्ग मीटर से बड़े आकार के प्लाट की सभी पार्किंग जरूरतों का प्रावधान प्लाट के भीतर ही करना होगा। छोटे प्लाटों के प्रसंग में इसके निकट भूमि तलाश कर साझा पार्किंग क्षेत्र विकसित करना होगा।

(v) नर्सिंग होमों को यह वाध्यकर होगा कि वे स्वास्थ्यकर निपटान सुनिश्चित करने के लिए अपने कचरे का निपटान भुगतान आधार पर दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को सौंपे।

(vi) सीरिंजों, सुइयों प्लास्टिक का पुन: उपयोग न होने देने के लिए नर्सिंग होमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके निपटान से पूर्व उन्हें नष्ट कर दिया गया है। इस संबंध में इस आशय का एक प्रमाण पत्र समय-समय पर स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

(vii) बैंकों के ब्रांच कार्यालयों को ही अपने आस पास बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की सुविधाएं दी जाएगी।

(viii) कैंटीन अथवा रेस्तरां के रूप में किसी वाणिज्यिक कार्य-कलाप की अनुमति नहीं होगी। भोजन प्रबंध की अनुमति केवल अतिथि गृहों/नर्सिंग होमों में रहने वालों के लिए ही होगी।

(ix) इस मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित प्रचलित व्यवसायिक दर और प्रचलित रिहायशी दर में अन्तर के 10 प्रतिशत सालाना की दर से अनुज्ञा शुल्क लिया जाएगा। शुल्क गैर रिहायशी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जा रहे वास्तविक फर्शी क्षेत्र पर आधारित होगा। अनुज्ञा शुल्क से प्राप्त राशि को संग्रहकर्ता संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा एक अलग निलम्ब खाते (एस्क्रो अकाउन्ट) में रखा जाएगा और उसका उपयोग क्षेत्र में और उसके आस पास मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

(x) जहां रिहायशी परिसरों को पहले से ऐसे गैर रिहायशी उपयोग में लाया जा रहा है वहां उस कार्यकलाप को उसे ऊपर पैरा (ix) के अनुसार अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने पर चालू वित्त वर्ष से नियमित कर दिया जाएगा।

(xi) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का प्रत्येक वित्त वर्ष के शुरू के छ माह के भीतर भुगतान हो गया है। इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन/चूक के मामले में पार्टी को नियतकालिक नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाएगी और उसका अनुपालन न करने पर, परिसर को बंद करके सील कर दी जाएगी तथा अनुज्ञा शुल्क की, 100 प्रतिशत दुरुपयोग राशि के साथ वसूली की जाएगी।

(xii) जहां कहीं ऐसे गैर रिहायशी किन्तु मान्य इस्तेमाल हेतु परिसर का उपयोग किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानीय निवासियों के लिए कोई विपत्ति अथवा कठिनाई खड़ी न हो।

2. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आधार पर स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें निहित सभी शर्तें पूरी करने के बाद छ महीने के अन्दर सभी विद्यमान परिसर नियमित कर दिए गए हैं। उन्हें माहवार स्थिति रिपोर्ट भी सरकार के पास भेजनी होगी। स्थानीय निकायों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन दिशानिर्देशों के जरिए दी जा रही मिश्रित भू उपयोग सुविधाओं का भली प्रकार कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि इन इलाकों का रिहायशी स्वरूप यथावत रखा जा सके।

[हिन्दी]

परीक्षा प्रणाली

4617. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी के स्थान पर शिक्षण और परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने संबंधी मान्यता देने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) मातृभाषा/भारतीय भाषाओं के शिक्षण माध्यम के रूप में प्रयोग के संबंध में समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में विहित किए गए के अनुसार प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 1988 में तैयार की गई मौजूदा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में यह उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अधिमानत: मातृभाषा होनी चाहिए। जिन छात्रों की मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा हो उनके मामले में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। जिन छात्रों की मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाओं से भिन्न हो उनके मामले में प्राथमिक शिक्षा के प्रथम दो वर्षों के दौरान मातृभाषा का प्रयोग शिक्षण माध्यम के रूप में किया जा सकता है तथा इसके बाद क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकार स्कूलों में अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रही है।

लेकटिन जीवाणु की खोज

4618. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पटियाला विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जीव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुउद्देशीय उपयोग हेतु लेकटिन नामक जीवाणु की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खोज को पेटेन्ट करने हेतु कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस खोज का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जा सकेगा और इससे क्या लाभ होंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ग) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में कार्यरत वैज्ञानिकों के एक दल ने सूक्ष्मजैविक प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़ में स्थित सूक्ष्मजैविक टाइप संवर्धन संग्रहालय से लेक्टिन सक्रिय दो जीवाण्विक प्रजातियों की पहचान की है। इन लेक्टिनों को दो जीवाण्विक प्रजातियों से विलगित किया गया और इनके गुणधर्मों का अध्ययन किया गया। पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला इसके पेटेंट को फाइल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। यह शोध-कार्य 1990-93 के दौरान पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला को सौंपे गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित एक अनुसंधान परियोजना में किया गया था। लेक्टिन जीवित जीवों से प्राप्त ग्लाइकोप्रोटीन है जो रक्त कोशिकाओं के समूहन के लिए सक्षम है। भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में पादपों से विभिन्न लेक्टिनों का विलगन किया गया है और उनकी संरचनाओं की व्याख्या की गई है। अभी तक पता लगाए गए अन्य लेक्टिनों के समान उपर्युक्त जीवाण्विक प्रजातियों से विलगित लेक्टिनों में रक्त-समूहन तथा माइटोजेनिक गुणधर्म विद्यामान हैं। ये लेक्टिन रोग निदान किटों के विकास, पादप रोगों से फसलों का बचाव और औषध-निर्माण उद्योग में अनुप्रयोग के लिए उपयोगी हैं।

[अनुवाद]

गरीबी उपशमन के लिए एनडीसी से धनराशि मुहैया कराना

4619. श्री रतन लाल कटारिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र प्रयोजित योजनाओं के अंतर्गत गरीबी उपशमन के लिए धन मुहैया करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) राष्ट्रीय विकास काउंसिल केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत गरीबी उपशमन के लिए निधियां प्रदान नहीं करती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का कोटा

4620. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों को विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम वार कितनी सीटें आबंटित की गई हैं;

(ख) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नई दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने हेतु कोई योजना शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की स्थिति क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) गृह मंत्रालय और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद ने निर्माण परियोजना के लिए अब तक 116 लाख रु० की धनराशि जारी की है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में आबंटित डिप्लोमा सीटें

पाठ्यक्रम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
वास्तुकला ई	16	14	14
कैमिकल ई/टी	9	9	9
सिविल ई	55	65	65
कम्प्यूटर एस एण्ड ई	5	5	5
कम्प्यूटर टी		7	7
इलैक्ट्रीकल ई	7	11	11
इलैक्ट्रिकल एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स	52	52	52
मुद्रण	7	7	7
मैकेनिकल	29	33	33
टैक्सटाइल प्रोसेस	6	4	4
फार्मेसी	39	15	15
आटोमोबाइल ई	15	16	15
इण्डस्ट्रियल इलैक्ट्रानिक्स	10	15	15
इन्स्ट्रयूमैन्टेशन		1	1
इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन	17	12	12
कामर्शियल प्रैक्टिस एण्ड आर्ट	13	14	14
ब्यूटी कल्चर	4	4	4
कास्मैटोलोजी	2	2	2
सिनेमेटोग्राफी	2	2	2
इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड टैलेकम	9	11	11
लाइब्रेरी साइंस	3	3	3
खनन ई	2	2	2
पोशाक डिजाइन एवं परिधान निर्माण	11	11	11
इलैक्ट्रोनिक्स टी०वी० (वीडियो)	2	2	2
आन्तरिक सज्जा	2	2	2
गृह विज्ञान	3	1	1
चर्म प्रौद्योगिकी	1	1	1
मानव निर्मित फाइबर टी०	2	2	2
मछली पालन टी	1	1	1
सी ए सी डी - डी एम	4	2	2
साउण्ड एण्ड टी०वी०	2	2	2
टैक्सटाइल टैक्नोलोजी ए० मैन्यूफैक्चरिंग	7	3	3

एस—साइंस
ई—इंजीनियरिंग
टी—टेक्नालोजी

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में आबंटित डिग्री सीटें

पाठ्यक्रम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
वास्तुकला ई	30	31	32
कैमिकल ई/टी	14	12	13
कम्प्यूटर एस/टी/ई	72	79	79
कम्प्यूटर एस एण्ड ई	29	22	27
कन्सट्रक्शन ई/टी	1	1	1
इलैक्ट्रीकल ई	67	67	67

1	2	3	4
इंडस्ट्रीयल इलैक्ट्रोनिक्स ई	2	2	2
पेंटिंग	1	1	1
मैकेनिकल ई	85	81	81
टैक्सटाइल टी	6	4	4
धातुकर्म/धातुकर्मीय ई	6	4	4
फार्मेसी	14	11	11
आटोमोबाइल ई	1	1	1
प्रोडक्शन ई/टी	5	5	5
इन्स्ट्रूमैंटल एण्ड कन्ट्रोल ई/टी	2	2	2
इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन	41	46	47
पोलिमर टी	1	1	1
सिविल ई	117	113	113
कम्प्यूटर टैक्नालाजी एण्ड इनफारमेशन	6	13	13
इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड टैली कम्यूनिकेशन	33	35	35
इन्फारिमेशन टैक्नालाजी	2	2	2
खनन ई	1	1	1
खाद्य टी	1	1	1
इलैक्ट्रिकल्स एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स	47	48	48
प्लास्टिक टी	1	1	1
रबर टी०	1	1	1
चर्म टी०	1	4	1
इलैक्ट्रिकल ई (इलैक्ट्रिकल एण्ड पावर)	2	2	2
इलैक्ट्रोनिक्स ई	49	54	54

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोयले की आवश्यकता

4621. **श्री बलिराम** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोयले की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न श्रेणी के कोयले की उत्तर प्रदेश और दिल्ली को कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई तथा इसका कितना-कितना मूल्य था; और

(ग) इन राज्यों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० बणमुगम) : (क) और (ख) कोयले की मांग का आकलन पूरे वित्त वर्ष के लिए क्षेत्रवार किया जाता है किंतु राज्यवार नहीं। सीआईएल से पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों के विभिन्न उपभोक्ताओं को भेजे गए कोयले की मात्रा का विवरण नीचे दिया गया है :-

(आंकड़े '000 टन में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
1997-98	45172	5436
1998-99	44469	4299
1999-2000 (अनंतिम)	49071	4834

कोयले की क्षेत्रवार, ग्रेडवार मात्रा और उसके मूल्य के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते, क्योंकि किसी विशेष राज्य को विभिन्न कंपनियों द्वारा अलग-अलग ग्रेडों में कोयला भेजा जाता है। लेकिन कोयले का एक बड़ा हिस्सा पावर हाउसों को भेजा जाता है अत: पिछले तीन वर्ष के दौरान दिल्ली विद्युत बोर्ड और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को भेजे गए कोयले का मूल्य नीचे दिया गया है :-

(आंकड़े करोड़ रु० में)

वर्ष	दिल्ली	उत्तर प्रदेश
1997-98	91.52	759.19
1998-99	101.28	948.83
1999-2000	131.86	1047.39

(ग) उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों के उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करने में यह कोयला कंपनियां पूरी तरह से सक्षम हैं। कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं जैसे बिजली सीमेंट और इस्पात को कोयला

भेजने में प्राथमिकता दी जाती है। विद्युत क्षेत्र को कोयले की पूर्ति पर अन्तर-मंत्रालयी समूह द्वारा निगरानी रखी जा रही है और जब कभी यह सुनिश्चित करना होता है कि विद्युत क्षेत्र को कोयले की पर्याप्त पूर्ति होती रहे तो इसके लिए यथोचित कार्रवाई की जाती है।

स्वतंत्रता सेनानी

4622. श्री पुष्प जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कुल कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं; और

(ख) इनमें से अब तक कितनों का निधन हो चुका है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) 31.7.2000 की स्थिति के अनुसार उन स्वतन्त्रता सेनानियों, जिन्हें "स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम" के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की गई थी, की संख्या 1,64,339 थी।

(ख) केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सुरक्षा बलों की मांग

4623. डा० अशोक पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों द्वारा बारम्बार सुरक्षा बलों की मांग किए जाने पर रोक लगाने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) इन बलों का समुचित उपयोग और तैनाती को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती के लिए, स्टेन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर (एस०ओ०पी०) के रूप में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि उन्हें उपलब्ध कराए गए संसाधन सामान्य ड्यूटियों पर ही नष्ट न कर दिए जाएं।

"इस्को" में लौह-अयस्क का भण्डार

4624. श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इस्को" के विभिन्न गृहीत खानों में लौह-अयस्क और कोयले के भण्डारों के कुल ज्ञात भण्डार कितने हैं; और

(ख) चालू बाजार-मूल्य निर्धारण के अनुसार इनका अलग-अलग अनुमानित मूल्य कितना होगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) की निजी खानों में लौह अयस्क और कोयला निक्षेपों का कुल अनुमानित भण्डार नीचे दिया गया है:-

	मद	खान	अनुमानित भण्डार (दस लाख टन)
1.	लौह अयस्क	गुआ अयस्क खान, गुआ	170.55
		मनोहरपुर अयस्क खान, चिरिया	2079.95
2.	कोयला	चासनाला	35.35
		तसरा	26.73
		जीतपुर	14.00
		रामनगर	75.50

(ख) विद्यमान मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

लीला सेठ आयोग की रिपोर्ट

4625. श्री राजो सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीला सेठ आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

25 जुलाई, 1995 को केन्द्रीय जेल तिहाड़ में हुई राजन पिल्लै की मृत्यु के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए गठित न्यायमूर्ति लीला सेठ जांच आयोग ने 25.2.97 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और अनेक सिफारिशें की थीं

न्यायमूर्ति लीला सेठ जांच आयोग की मुख्य सिफारिशें और उन पर की गयी कार्रवाई निम्न प्रकार से हैं :-

सिफारिशें		की गई कार्रवाई	
1		2	
(क)	यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यायालय से आई पूरी डाक को प्राप्ति रजिस्टर में उचित ढंग से दर्ज किया जाए तथा प्रेषितों को भेजा जाए। न्यायालयों से आए गोपनीय पत्रों के संबंध में विशेष सावधानी बरती जाने की आवश्यकता है। इस डाक को केवल प्रेषिती द्वारा ही खोला जाना चाहिए।	(क)	यह पद्धति पहले से चलन में है। फिर भी, इस मामले में सहायक अधीक्षक, जेल ने प्रक्रिया का उल्लंघन किया, उसकी इस लापरवाही के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।
(ख)	एम्बुलैंस और उसके उपकरणों के प्रबंधन/रख रखाव के लिए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए।	(ख)	गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बाहर के अस्पतालों में ले जाने के लिए प्रत्येक जेल में एक एम्बुलैंस उपलब्ध कराई गई है तथा किसी भी आपात चिकित्सा की स्थिति से निपटने के लिए जेल अस्पताल में अलग से दो एम्बुलैंस तैयार रहती हैं।
(ग)	इलाज कराने की प्रतीक्षा कर रहे बीमार कैदियों को बिठाने के लिए औषधालयों/केन्द्रीय जेल अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बैंच उपलब्ध कराए जाने चाहिए।	(ग) और (घ)	"मुलाहिजा/नवीन दाखिला पद्धति" के यौक्तिकरण के बाद, ड्योढ़ी पर एक कमरा निर्धारित किया गया है। जहां पर "मुलाहिजा" किया जाता है। कैदी मरीजों के आराम हेतु इस कमरे को पर्याप्त सुविधाओं से सज्जित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
(घ)	भर्ती किए गए कैदियों का "मुलाहिजा" करने के लिए सभी जेलों की ड्योढी में एक कमरा निर्धारित किया जाना चाहिए। इस कमरे में सभी समुचित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बीमार कैदियों को आराम मिले और उनकी चिकित्सा जांच उचित रूप से की जा सके।		
(ङ)	सभी परिस्थितियों में साक्षात्कार अथवा किसी अन्य कार्य की अपेक्षा बीमार कैदियों की चिकित्सा जांच को तरजीह दी जानी चाहिए।	(ङ)	इस प्रक्रिया की पुनरीक्षा कर इसे सुव्यवस्थित बनाया गया है। अब, यदि किसी कैदी को केन्द्रीय कारागार के अस्पताल, अथवा एम०आई० रूम अथवा डिस्पैन्सरी में भर्ती किया गया है तो उसे न्यायालय या कानूनी साक्षात्कार या रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जाने की इजाजत तभी दी जाती है जब संबंधित डाक्टर, कैदी के स्वास्थ्य को देखते हुए इसको अनुमति दे दे। इसके अलावा, ड्यूटी आफीसर को यह बताया गया है कि यदि कोई कैदी अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसके कानूनी साक्षात्कार अथवा मित्रों आदि के साथ मुलाकात हेतु जाने से पहले, उसकी चिकित्सा जांच की जानी चाहिए।
(च)	कैदी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में प्रोडक्शन वारंट में दर्ज न्यायालय की टिप्पणियों को संबंधित आर एम ओ/एस एम ओ को आवश्यक कार्रवाई हेतु शब्दशः सूचित किया जाना चाहिए।	(च)	जेल प्राधिकरण को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि डिटेंशन/प्रोडक्शन वारंट के बारे में न्यायालय के अनुदेशों को डाक्टर अथवा संबंधित अधिकारी को उसकी एक फोटोप्रति के द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

1	2
(छ) एस एम ओ की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह जेल अधीक्षक, उप-अधीक्षक को साथ लेकर जेल परिसर का दौरा करे और रहने की बैरकों, रसोई, जल सुविधा, इत्यादि का मुआयना करे ताकि स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित की जा सके।	(छ) इस सिफारिश पर जेल परिसर में पालन किया जा रहा है।
(ज) नशा मुक्ति केन्द्र को मजबूत करने और अधिक केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। मरीजों का इलाज करने के बाद उनका पुनर्वास करने की जरूरत है ताकि वे दोबारा नशे के आदी न हो जाएं। इस प्रयोजनार्थ, चिकित्सा-मनोविज्ञानी, चिकित्सा-सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, परामर्शदाताओं, आक्यूपेशनल थैरापिस्टों, और योगा अध्यापकों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।	(ज) जेल नं० 4 का नशा-मुक्ति केन्द्र जिसे अभी तक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा था, अब सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। इसके अलावा जेल नं० 5 में एक और नशामुक्ति केन्द्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है। तथापि जेल नं० 3 में एक नशा मुक्ति केन्द्र शुरू किए जाने की प्रक्रिया में है। कुछ अन्य गैर-सरकारी संगठनों ने भी कैदियों के हित के लिए, व्यावसायिकरण, परामर्श, ध्यान लगाने, शिक्षण, थियेटर, इत्यादि जैसे कदम उठाने में जेल प्रशासन की सहायता की है।
(झ) प्रत्येक जेल और केन्द्रीय जेल अस्पताल में कैदी-मरीजों की विभिन्न जांचों के लिए अलग-अलग से पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	(झ) केन्द्रीय जेल में चल रहे अस्पताल में अन्तरंग रोगों, केजुएलिटी, एक्स-रे और नेमो प्रयोगशाला जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अन्य सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञ नियमित रूप से जेल अस्पताल में आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जेल में पूर्ण विकसित औषधालय हैं जिसमें डाक्टर और परा० चिकित्सा कर्मचारी चौबीस घण्टे उपलब्ध रहते हैं।
(ञ) केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं रह रहा है। इसे सुधारने की आवश्यकता है।	(ञ) इस समय जेल परिसर में अनेक चिकित्सा अधिकारी रह रहे हैं। इनमें एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी और तीन मैडीकल अधिकारी सम्मिलित हैं।
(ट) जेल में एक उपयुक्त अन्त: संचार प्रणाली उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	(ट) संचार प्रणाली में सुधार लाने के लिए सभी जेलों में अंत: संचार नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक वार्ड में ड्यूटी अधिकारी, उपाधीक्षक और जेल अधीक्षक के बीच परस्पर सम्पर्क के लिए जेल के प्रत्येक वार्ड में टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वार्ड के अन्दर की किसी भी महत्वपूर्ण घटना से ड्यूटी पर तैनात पर्यवेक्षी स्टाफ को बिना समय बर्बाद किए सूचना दी जा सके।
(ठ) केन्द्रीय जेल हस्पताल और औषधालय में लंच के समय वार्ड की चाबियां ड्यूटी पर तैनात डाक्टर के पास उपलब्ध रहनी चाहिए न कि ड्योढी में जमा कराई जानी चाहिए।	(ठ) इस मद को क्रियान्वित किया गया है।
(ड) जेल में कम्प्यूटरीकरण को समुचित रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि कम्प्यूटर में मेडिकल डाटा भी डाला जा सके।	(ड) कार्य के कम्प्यूटीकरण के लिए जेल में एक कम्प्यूटर सिस्टम पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है।
(ढ) रजिस्टर सं० 1, जिसमें नये दाखिल किए गए कैदियों और रिहा किए गए कैदियों का विवरण दर्ज होता है के अलावा रजिस्टर सं० 1 (क) भी आरम्भ किया जाना चाहिए जिसका उपयोग ड्यूटी पर तैनात डाक्टर द्वारा नए दाखिल कैदियों के मुलाहिजे के लिए किया जाए। किसी भी संबंधित कैदी की बीमारी का इतिहास जानने के लिए भी इस रजिस्टर को प्रयोग में लाया जाए।	(ढ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी नए कैदी को बिना उचित चिकित्सा जांच के जेल में दाखिल न किया जाए, इस प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया है।

1	2
(ण) आबजर्वेशन वार्ड, जीवन रक्षा उपकरणों से उचित रूप से सुसज्जित होना चाहिए। उपकरणों, एम्बुलैन्स और स्टेचर आदि के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के नाम डयोढी के नोटिस बोर्ड पर लिखे जाने चाहिए।	(ण) इस सिफारिश का क्रियान्वित किया जा चुका है।
(त) सभी डाक्टरों को उनके द्वारा जांच किए गए मरीजों के रोग निदान का सुव्यवस्थित सार बनाने के लिए सुग्राही बनाया जाना चाहिए।	(त) जेल प्रशासन द्वारा इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वच्छता के लिए राजसहायता

4626. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री आर०एस० पाटिल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण-स्वच्छता के लिए राज्यवार कितनी राजसहायता उपलब्ध करायी गयी;

(ख) इस कार्यक्रम को लागू करने में पीछे रह गए राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस राजसहायता को जारी रखने की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान की गई राज्य-वार रिलीज संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) जहां तक कार्यक्रम के कार्यान्वयन का संबंध है, गोवा, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से कोई निधियां नहीं ली हैं। निधियों को न लेने का कारण यह है कि उपयोग प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षित लेखों आदि भेजने जैसी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थी।

(ग) भारत सरकार ने जिला आधार पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को पुनर्गठित किया है। तदनुसार, पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चुने हुए जिलों में धीरे-धीरे "राज्य-वार आबंटन" के सिद्धान्त से "मांग आधारित" दृष्टिकोण में बदल जाएगा। इस कार्यक्रम में अब समुदाय नेतृत्व और जनकेन्द्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता को एक प्रमुख घटक और प्रवेश बिन्दु के रूप में शुरू किया गया है ताकि स्वच्छता की धारणा को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए ग्रामीण जनता को प्रोत्साहित किया जा सके।

(घ) से (च) कुछ राज्य सरकारों से यह अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के लिए पुनर्गठित कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी पूर्ववर्ती स्तर तक बढ़ा दी जानी चाहिए। चूंकि केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1.4.1999 से ही पुनर्गठित किया गया था अत: विद्यमान दिशा-निर्देशों की पुनरीक्षा करना बहुत जल्दबाजी होगी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1021.32	1148.93	1074.91	1354.87
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	40.48	73.98
3.	असम	0.00	0.00	133.22	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	729.75	0.00
5.	गोआ	3.75	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	215.00	200.00	484.10	0.00

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	52.42	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	50.54	70.77	42.13	12.58
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	1014.55	498.67	997.19	82.25
11.	केरल	531.47	731.37	253.03	136.39
12.	मध्य प्रदेश	506.86	525.48	438.11	0.00
13.	महाराष्ट्र	1285.38	575.28	1838.02	143.55
14.	मणिपुर	15.00	45.50	8.96	0.00
15.	मेघालय	15.91	35.00	0.00	9.09
16.	मिजोरम	4.68	21.00	1.89	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	405.54	315.82	771.04	971.06
19.	पंजाब	0.00	53.35	0.00	0.00
20.	राजस्थान	193.76	193.76	556.80	0.00
21.	सिक्किम	23.13	28.00	25.43	2.82
22.	तमिलनाडु	925.93	496.39	1052.49	101.16
23.	त्रिपुरा	48.67	24.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	2641.99	1116.49	737.77	495.07
25.	पश्चिम बंगाल	304.21	304.21	0.00	0.00
26.	अं व नि० द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	दादरा व न० हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दमन व दीव	0.00	3.50	0.00	0.00
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	2.50	3.50	0.00	0.00
31.	पांडिचेरी	2.50	3.50	2.50	0.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	9265.11	6394.52	9187.82	3382.82

कोयला उत्पादन

4627. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश से देशवार कितनी मात्रा में कोयले का निर्यात किया गया;

(ख) क्या राज्य से बांग्लादेश को कोयले का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०, आंध्र प्रदेश से कोयले का कोई निर्यात नहीं किया गया।

(ख) और (ग) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०, आंध्र प्रदेश से बंग्लादेश को कोयले का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना

4628. **श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु इन्हें राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र नेटवर्क (निकनेट) सम्पर्क की सुविधा 14 राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को मुहैया करा दी गई है जैसा कि संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों की सूची

क्र० सं०	राज्य का नाम	राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों की सूची
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास अकादमी, आंध्र प्रदेश सरकार, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030
2.	अरूणाचल प्रदेश	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ओल्ड एम० एल०ए० हॉस्टल कॉम्पलेक्स, पो०ऑ० नाहरलागुन, इटानगर-791110
3.	असम	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जी-एस०रोड, खानपाड़ा, गुवाहाटी
4.	बिहार	बिहार ग्रामीण विकास संस्थान, हेहल, पो० ओ० रांची (बिहार)
5.	गोवा	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, गोवा सरकार, पणजी
6.	गुजरात	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, स्याहपा कैम्पस, अपोजिट इसरो सैटेलाइट रोड, अहमदाबाद (गुजरात)
7.	हरियाणा	हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, ई टी सी कॉम्पलेक्स, निलोखेरी, करनाल (हरियाणा)
8.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, फैटाप्लॉन्स, शिमला
9.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर प्रबंध, सार्वजनिक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान, एम०ए० रोड, पो०बा०न० 705, श्रीनगर
10.	कर्नाटक	अब्दुल नाजिर साब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ललिता महल रोड, ए०टी०आई० कैम्पस, मैसूर (कर्नाटक)
11.	केरल	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ई०टी०सी०, पो०ऑ० कोट्टारकारा, जिला-क्विलरेन (केरल)
12.	मध्य प्रदेश	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अधरताल, जबलपुर, (म०प्र०)
13.	मिजोरम	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान मिजोरम सरकार, ऐजोल
14.	महाराष्ट्र	यशवंत राव चवहाण विकास प्रशासन अकादमी, राजभवन कॉम्पलेक्स, बैनर रोड, पुणे, महाराष्ट्र
15.	मेघालय	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान नांगस्डेर, पो०ऑ० उमियम ख्वान, मेघालय
16.	मणिपुर	राज्य प्रशिक्षण अकादमी टकयेलपत, इम्फाल (मणिपुर)
17.	नागालैंड	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, एग्रीकल्चर कालोनी रोड, पो०बॉ०न० 205, कोहिमा, नागालैंड
18.	उड़ीसा	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, गोपबंधुनगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
19.	पंजाब	पं० जवाहर लाल नेहरू राज्य ग्रामीण विकास संस्थान लामा, पटियाला (पंजाब)
20.	राजस्थान	इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर मार्ग, जयपुर (राजस्थान)
21.	सिक्किम	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, सिक्किम सरकार, नया बाजार, कारफेक्टर, सिक्किम
22.	तमिलनाडु	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, तमिलनाडु सरकार, मरायमलाईनगर, जिला-चेन्गल अन्ना (तमिलनाडु)
23.	त्रिपुरा	राज्य सार्वजनिक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, अरुंधती नगर, अगरतल्ला (त्रिपुरा)
24.	उत्तर प्रदेश	दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, इन्दौराबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
25.	पश्चिम बंगाल	राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पो०ऑ० कल्याणी, जिला-नाडिया, प० बंगाल

विवरण-II

उन राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों की सूची जहां पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र नेटवर्क (निकनेट) संपर्क सुविधा उपलब्ध करा दी गई है

1. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार

2. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, गुजरात

3. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा

4. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हिमाचल प्रदेश

5. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, कर्नाटक

6. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, केरल

7. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, महाराष्ट्र

8. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, उड़ीसा

9. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पंजाब

10. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राजस्थान

11. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, तमिलनाडु

12. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, सिक्किम

13. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश

14. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, प० बंगाल

इस्पात संयंत्रों का लाभ/हानि

4629. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री अनंत गुडे :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में समेकित इस्पात संयंत्रों और छोटे इस्पात संयंत्रों को कितना लाभ/हानि हुई;

(ख) एकक-वार प्रचालन लाभ, सकल लाभ, निवल लाभ कितना हुआ तथा उक्त अवधि के दौरान लाभांश और विभिन्न करों के रूप में सरकार को कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार इन संयंत्रों का कार्य निष्पादन कितना रहा;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान परियोजना के उत्पादन में अचानक कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

आंतरिक सुरक्षा संबंधी सम्मेलन

4630. श्री नरेश पुगलिया :
श्री जी० पुट्टास्वामी :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा और इसमें संबंद्ध मुद्दों के विषय में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कोई नई संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी (न्यू फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेन्सी) के गठन का प्रस्ताव किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) देश की आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 5 अगस्त, 2000 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ग) से (छ) आतंकवाद विमान अपहरण, जासूसी, साइबर क्राईम, जाली मुद्रा आदि जैसे अनेक प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए केन्द्रीय कानून और एक केन्द्रीय प्रवर्तन एजेन्सी की आवश्यकता, कार्यसूची की चर्चा की गई मदों में से एक थी। इस विषय पर अधिकांश राज्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर विचार करने के पश्चात् इस प्रस्ताव को आगे न बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

निजी शिक्षा संस्थान

4631. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक निजी शैक्षिक संस्थान अपने नाम के पहले 'भारतीय संस्थान' अथवा 'राष्ट्रीय' शब्द जोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे शब्दों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई पहल/कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में अनेक प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं अपने नाम से पहले भारतीय संस्थान/राष्ट्रीय संस्थान शब्द जोड़ रहे हैं क्योंकि इससे केन्द्रीय सरकार का संरक्षण प्राप्त होने का आभास होता है। इसका प्रतीक चिन्ह एवं नाम (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम, 1950 के तहत निषेध किया गया है। इस अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकरण से संपर्क स्थापित किया गया है। उनसे कहा गया है कि वे कोई नयी सोसायटी अथवा कंपनी इन नामों से पंजीकृत न करें और पहले ही इन नामों मे पंजीकृत कंपनियों अथवा सोसायटियों को सलाह दें कि वे उन नामों को बदल दें। ऐसे नामों के अनुचित प्रयोग से बचने के लिए इस अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों का व्यापक प्रचार करने का भी निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

मजदूरों का प्रवास

4632. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** श्रमिकों के पलायन के बारे में 2.12.1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 664 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) पलामू और गढ़वा जिलों (बिहार) से श्रमिकों के लगातार पलायन की अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर निधियों का 30 प्रतिशत स्थानीय श्रमिक पलायन/दुर्गति द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए आरक्षित हैं।

[अनुवाद]

फ्लैटों का आबंटन

4633. श्री ई० अहमद : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** डी०डी०ए० फ्लैटों का निर्माण के बारे में 16, मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 जुलाई, 2000 तक एक भी आवेदक को फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है और न ही आवेदकों से अंतिम किश्त की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) सफल आवेदकों से अंतिम किश्त की मांग कब तक की जाएगी; और

(घ) इन्हें फ्लैटों का आबंटन कब तक कर दिया जाएगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 24.12.1999 को हुए कम्प्यूटीकृत ड्रा के जरिये स्कीम के लिए सूचिबद्ध आबंटियों को 200 फ्लैट आबंटित किए गए थे। डी०डी०ए० द्वारा पांचवां और अन्तिम मांग पत्र एक महीने के भीतर जारी किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

शालेय पोषण आहार योजना

4634. श्री दानवे रावसाहेब पाटिल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस समय समूचे देश में शालेय पोषण आहार योजना को लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में इस योजना को लागू करने का कार्य किसी भी एजेन्सी को नहीं सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम संबंधी केन्द्रीय प्रोयोजित योजना (जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है) को लक्षद्वीप को छोड़कर, जो अपना कार्यक्रम चला रहा है, महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों द्वारा विभिन्न एजेन्सियों को सौंपी गयी है जो वहां की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर होती है। महाराष्ट्र में स्कूलों को 3 किलोग्राम वाले चावल के पैकिटों की आपूर्ति खाद्य एवं जन आपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है जो पात्र छात्रों को वितरित कियो जाते हैं।

[अनुवाद]

विशेष साक्षरता कार्यक्रम

4635. श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में विशेष साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे राज्यों को विशेष सहायता दी है अथवा देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 2000 में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए "पढ़ना-बढ़ना" आन्दोलन नामक साक्षरता का एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया है।

मध्य प्रदेश राज्य ने संपूर्ण साक्षरता तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के लिए जारी की गई निधियों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के लिए किसी किस्म की वित्तीय सहायता की मांग नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष पुलिस अधिकारी

4636. **श्री अरुण कुमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में इस समय कितने विशेष पुलिस अधिकारी हैं;

(ख) क्या उन्हें आजीवन या एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है;

(ग) क्या उनके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो यह मूल्यांकन किस रूप में किया जाता है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी नई नियुक्तियां की गई हैं; और

(च) इनका चयन किस प्रकार किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) दिल्ली पुलिस में इस समय विशेष पुलिस अधिकारियों की संख्या 1163 है।

(ख) नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

(ग) और (घ) उनकी नियुक्ति के छः माह के पश्चात् उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर उनकी उपयुक्तता के संबंध में संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे यह निर्णय लेने के लिए जिला पुलिस उपायुक्त को प्रस्तुत किया जाता है कि वे आगे विशेष पुलिस अधिकारियों के पद पर बने रहेंगे या नहीं।

(ङ) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई :-

वर्ष	नियुक्त किए गए विशेष पुलिस अधिकारियों की संख्या
1997	179
1998	233
1999	159
2000	146

(च) विशेष पुलिस अधिकारियों का चयन जिला पुलिस उपायुक्त द्वारा, अड़ोस-पड़ोस से कम से कम 18 वर्ष तक के हृष्ट पुष्ट व्यक्तियों में से किया जाता है बशर्ते कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त न हों। उनका चुनाव अन्य बातों के साथ-साथ, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करने में उनकी क्षमता और अड़ोस-पड़ोस में उनकी सामाजिक हैसियत का आकलन करने के पश्चात् किया जाता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

4637. **श्री अखिलेश यादव** :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने प्राईमरी कक्षाओं के समय में परिवर्तन, बैंक में फीस जमा करवाने तथा स्कूल फीस में वृद्धि के बारे में आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन आदेशों का विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या इन आदेशों को वापस लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) अकादमियों पर पर्याप्त ध्यान देने और विशेष तौर पर प्राथमिक

कक्षाओं के छात्रों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए प्राथमिक कक्षाओं के समय को 5 बजकर 35 मिनट से 6 बजकर 10 मिनट कर दिया गया है। बैंकों में स्कूल शिक्षा शुल्क जमा कराने की व्यवस्था से रोकड़ को लाने तथा शिक्षाकर्मी इससे मुक्त होंगे और वे पढ़ाई पर ध्यान अधिक दे पाएंगे। परियोजना सेक्टर के केन्द्रीय विद्यालयों, जो प्रायोजक एजेन्सियों द्वारा वित्त पोषित हैं, के मामले के सिवाय पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय विद्यालयों में ट्यूशन फीस में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। इस सेक्टर में केन्द्रीय विद्यालयों को 2000-2001 शैक्षिक सत्र से फीस की ऐसी दर, जो वे उपयुक्त समझें, निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। तथापि, सभी केन्द्रीय विद्यालयों पर लागू निर्णय के अनुसार 1.4.2000 से छात्रों के लिये विभिन्न क्रिया-कलाप चलाये जाने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से छात्र निधि, अनुरक्षण और विकास निधि तथा विज्ञान निधि को मिलाकर ''विद्यालय विकास निधि'' बनाई गई है तथा इससे शिक्षा शुल्क की राशि में नामात्र की वृद्धि हुई है। उपरोक्त आदेशों को वापस लेने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

डी०आर०डी०ए०

4638. श्री रामजी मांझी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के निर्देशों के बावजूद डी०आर०डी०ए० दौसा तथा श्रीगंगानगर, राजस्थान ने ऐसे लाभार्थियों को 2.29 करोड़ रुपये की राजसहायता प्रदान की जो इसके पात्र नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) जब राजस्थान की दो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों अर्थात् दौसा (27.12 लाख रुपये) और श्रीगंगानगर (194.08 लाख रुपये) द्वारा अपात्र लाभार्थियों को दी गई सब्सिडी के बारे में अनियमितताओं के मामले (भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट अध्याय-10 –ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा जानकारी में आये) इस मंत्रालय की जानकारी में आये तो मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। राजस्थान सरकार ने प्रमाणित किया है कि विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अन्तर्गत तथाकथित अपात्र लाभार्थी, यद्यपि तकनीकी रूप से अपात्र, गरीबी रेखा से नीचे की सूची, 1992 में शामिल किए जाने के लिए योग्य मामले थे क्योंकि उनको सब्सिडी के भुगतान के समय उनकी वार्षिक आय प्रति परिवार 11,000 रुपये से कम थी; लेकिन कुछ प्रक्रियागत कमियों या गरीबी रेखा से नीचे के सर्वेक्षण के समय उन लाभार्थियों के उपलब्ध न होने के कारण उनके नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल नहीं किए जा सके। तथापि, पुरानी गरीबी रेखा से नीचे की सूची में उनके नाम अवश्य शामिल थे।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

बंधन समिति का गठन

4639. श्री बलीराम कश्यप : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधन योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर बंधन समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस योजना को क्रियान्वित किया गया है;

(ग) खरीदी जा रही मदों का ब्यौरा क्या है तथा मदों की कीमत कितनी है;

(घ) क्या ''ट्राइफेड'' एकाधिकार ढंग से जिला प्रशासन के सहयोग से बंधन समिति के जरिए मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कम दरों पर छोटे वन उत्पाद और कृषि उत्पाद खरीद रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

कुद्रेमुख इकाइयां

4640. श्री जोवाकिम बखला : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क इकाई अकेली ऐसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई है, जो पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी घाट के नाजुक पारिस्थितिकी में खनन कार्य हेतु दिये गये पट्टे संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल) एक

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई है और लौह अयस्क सान्द्रण और लौह आक्साइड पैलेटों का एक प्रमुख निर्यातक है। यह प्रतिवर्ष 1500 लाख अमरीकी डालर से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित करती है।

(ख) चिकमंगलूर ज़िले के कुद्रेमुख में 4605 हैक्टेयर क्षेत्र में मैसर्स एन एम डी सी को खनन पट्टा (एम एल) संख्या 909 कर्नाटक सरकार द्वारा जुलाई 1969 में 30 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था। यह पट्टा के आई ओ सी एल की स्थापना होने पर 1976 में इसको हस्तान्तरित कर दिया गया। 1969 में 30 वर्ष के लिए दिया गया खनन पट्टा जुलाई, 1999 में समाप्त हो गया। खनन पट्टा समाप्त होने पर भारत सरकार द्वारा 25.7.1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए 4605 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर खोदे गए 1452.74 हैक्टेयर क्षेत्र में अपना कार्य जारी रखने के लिए के आई ओ सी एल को कार्य करने की अस्थायी अनुमति दी गई। कार्य करने की अनुमति की अवधि 25.7.2000 से और एक वर्ष, के लिए कतिपय शर्तों पर बढ़ा दी गई है इन शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ 30.9.2000 तक कुद्रेमुख नेशनल पार्क बनाने की अंतिम अधिसूचना जारी करना और 6 माह के भीतर पर्यावरण प्रभाव आंकन अध्ययन कार्य पूरा करना शामिल है।

खनन क्षेत्र में और उसके आस-पास पर्यावरण की रक्षा करने के लिए के आई ओ सी एल सभी कदम उठा रहा है।

इस्पात का आयात

4641. श्री जी०एस० बसवराज : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खराब तथा दोयम दर्जे के इस्पात के आयात की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में उच्च गुणवत्ता वाली इस्पात और प्राइम ग्रेड वाली इस्पात अवैध रूप से आयात की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप प्राइम ग्रेड वाली इस्पात पर सीमा शुल्क के रूप में राजस्व का घाटा बहुत अधिक है;

(घ) उन देशों का ब्यौरा क्या है, जहां से यह आयात होता है;

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस प्रकार के आयात को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को बोनस

4642. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों का बोनस भुगतान संबंधी मांग पर विचार किया है; और

(ख) इन कर्मचारियों को बोनस के बकाए का भुगतान कब तक किए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। तथापि, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी पंजाब सरकार के कर्मचारियों की समतुल्य श्रेणियों की सेवा शर्तों और वेतनमानों द्वारा शासित किए जाते हैं, इसलिए वे उसी संगत अवधि के दौरान बोनस प्राप्त करने के पात्र होंगे, जब कभी पंजाब की राज्य सरकार यह लाभ अपने कर्मचारियों को देगी।

सिविल कार्य हेतु आबंटन

4643. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने केन्द्र सरकार से डी०पी०ई०पी० के अंतर्गत सिविल कार्यों हेतु आबंटन बढ़ाये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस मद के अन्तर्गत की गई बचत का उपयोग विस्तार संबंधी उद्देश्य हेतु किया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसे और लचीला बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। प्राथमिक स्कूल भवनों के आधारभूत अन्तराल तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्य घटकों के अन्तर्गत हुई बचतों का प्रभावी रूप से उपयोग करने को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए लगभग सभी राज्यों ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सिविल कार्यों

पर परियोजना लागत की विद्यमान 24 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(ग) से (च) इन अनुरोधों पर विचार किया गया तथा सिविल कार्यों पर 24 प्रतिशत की विद्यमान सीमा को 33 1/3 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव चल रहा है।

[हिन्दी]

विधान सभा का गठन

4644. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उन राज्यों, जहां विधान सभाएं हैं, में विधान परिषदों के गठन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों के संबंध में ऐसी मांगें लंबित हैं; और

(ग) उन राज्यों में विधान परिषदों का कब तक गठन किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) पंजाब, तमिलनाडु और असम राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों सहित राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त/पुनर्जीवित/सृजन के मामले को अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा विचार किए जाने हेतु विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा अन्तर्राज्यीय परिषद सचिवालय को भेजा गया है।

(ग) मामले में निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास हेतु धनराशि देना

4645. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी कम्पनियों द्वारा ग्रामीण विकास हेतु धनराशि दिए जाने के संबंध में उन्हें अनुमति देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान ग्रामीण विकास हेतु कितनी धनराशि एकत्रित की गई; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस नीति के तहत स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय के तारीख 10 फरवरी, 1984 के संकल्प सं० 82/1/4/83 मंत्रि. के द्वारा गठित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (एन एफ आर डी) के अंतर्गत व्यक्तियों, निगमित तथा गैर-निगमित निकायों से ग्रामीण विकास के लिए निधियां प्राप्त की जाती हैं।

(ख) वर्ष 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए क्रमशः 75.15 लाख रुपए तथा 66.10 लाख रुपए की निधियां एकत्र की गई हैं।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान, सम्मालेरा विकास संस्था, 69, पूर्वी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 द्वारा जिला मुजफ्फरनगर (उ० प्र०) के ग्राम सम्मालेरा में हरिजन स्कूल (नेताजी सुभाष विद्यालय) के बच्चों की "अतिरिक्त प्रदर्शन वाली कक्षाएं लेने के लिए चार शिक्षकों की परिलब्धियों का आनुषंगिक हिस्सा" नामक एकमात्र परियोजना को मंजूरी दी गयी है जिसकी लागत 26,100 रुपये है। यह योजना पहले ही पूरी हो गयी है।

जनजातीय कला/संस्कृति

4646. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजातीय कला/संस्कृति को संरक्षित करने हेतु राज्यवार क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) ऐसे विषयों पर विचार करने हेतु स्थापित संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संस्थानों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों को मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (घ) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50 : 50 के आधार पर 14 आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इन आदिवासी अनुसंधान संस्थानों के कार्यों में से एक कार्य आदिवासी कला और संस्कृति का संरक्षण तथा संवर्धन करना है। प्रत्येक संस्थान के पास इसके विंगों में से एक विंग के रूप में आदिवासी संग्रहालय है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कला तथा संस्कृति के संवर्धन सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए इन 14 आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को प्रत्येक के लिए राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय के तत्वावधीन में भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण ने आदिवासी संस्कृति का प्रलेखन के लिए आदिवासी

समूहों पर शैक्षिक स्वरूप का अध्ययन किया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों ने ही संग्रहालय स्थापित किए हैं जिसमें आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए आदिवासी कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय के क्षेत्रीय संस्कृति केन्द्र भी आदिवासी संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में सक्रिय रूप से सम्बद्ध हैं।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आ० प्रदेश	25.00	20.47	5.00	—
2.	असम	12.75	22.40	16.18	8.65
3.	बिहार	—	—	50.00	—
4.	गुजरात	—	8.90	—	12.90
5.	केरल	13.50	20.00	20.00	6.36
6.	मध्य प्रदेश	21.75	47.74	47.74	—
7.	महाराष्ट्र	22.70	49.45	29.13	16.35
8.	मणिपुर	9.82	9.00	—	27.00
9.	उड़ीसा	4.50	5.85	35.00	—
10.	राजस्थान	5.10	12.82	—	—
11.	तमिलनाडु	8.73	30.50	25.16	11.77
12.	त्रिपुरा	10.95	10.95	71.50	22.50
13.	उत्तर प्रदेश	4.27	—	3.14	—
14.	प० बंगाल	5.10	21.80	23.78	—
	कुल	144.17	259.88	326.63	105.53

स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या के परस्पर विरोधी आंकड़े

4647. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 2000 'द इंडियन एक्सप्रेस' में ''एजुकेशन एच०आर०डी० मिनिस्ट्री कन्ट्राडिक्स ऑन फिगर्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में 6 से 14 वर्ष आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों के आंकड़े मंत्रालय के एक सर्वेक्षण दल द्वारा दर्शाये गए आंकड़े से भिन्न हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं तथा उनके मंत्रालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में गलत आंकड़े दर्शाये जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आंकड़ों में कोई विरोधाभास नहीं है। अभी हाल के अधिकांश सर्वेक्षणों (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992-93 तथा 1998-99, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान सर्वेक्षण, परिषद, 1994, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 52वां दौर, 1995-96) से यह पता चलता है कि 6-14 वर्ष की आयु-वर्ग के 70 प्रतिशत से अधिक बच्चे स्कूल जा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 52वां दौर 1995-96 के आंकड़ों में प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 66 प्रतिशत दर्शाया गया है।

सहकारी आवास निर्माण समितियों के कार्य

4648. श्री साहिब सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पचास के दशक में और उसके बाद ग्रुप I, II, III और IV प्लाट वाली समितियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के लिए सहकारी आवास निर्माण समितियों को सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समितियों ने किस हद तक अपना कार्य किया है;

(ग) अनुमोदित योजनाओं के तहत कितने प्लाट खाली पड़े थे अथवा कितने प्लाटों पर कब्जा किया गया;

(घ) प्रत्येक समिति में कितने वास्तविक सदस्यों को अब तक प्लाट नहीं दिए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन वास्तविक सदस्यों को प्लाट आबंटित करने और अनधिकृत निर्माण को हटाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) सहकारी आवास निर्माण समितियों का मुख्य

कार्य भूमि अर्जित करना, उसका विकास करना, उसमें प्लाट बनाना एवं भवन-निर्माण के लिए सदस्यों को उसे आबंटित करना था। सन् 1970 के बाद भूमि के अभाव के कारण "प्लाट वार विकास" की बजाय "समूह आवास" पर जोर दिया जाने लगा है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 126 सहकारी आवास निर्माण समितियों, जिन्हें प्लाट विकसित करने के लिए दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भूमि आबंटित की गई थी, ने लगभग 29,400 प्लाटों का विकास किया है। इसके अतिरिक्त 821 सहकारी समूह आवास समितियों को अपने सदस्यों के लिए 1,09,843 आवासीय एककों के निर्माण के लिए दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भूमि आबंटित की गई है।

(ग) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, रा०रा०क्षे० दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि उनके रिकार्ड के अनुसार 23 सहकारी आवास निर्माण समितियों में मुकदमें/अतिक्रमण के कारण 19 प्लाटों सहित 125 प्लाट खाली पड़े हैं।

(घ) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि कुल 125 सदस्यों को प्लाट नहीं दिए गए हैं। ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) सदस्यों को प्लाट का आबंटन सहकारी सतितियों के रजिस्ट्रार रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सदस्यता के सत्यापन एवं संबंधित सोसायटी के पास प्लाट की उपलब्धता का सवाल है, भूमि की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संबंधित सोसायटी की है। तथापि, जब कभी सोसायटी डी०डी०ए० से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध करती है, यदि कोई हो, तो डी०डी०ए० अपनी नीति के अनुसार उसे हटाता है।

विवरण

क्र० सं०	सोसायटी का नाम	प्लाट की संख्या
1	2	3
1.	मियांवाली कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	17
2.	लो इनकम कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	3
3.	मौलाना आजाद कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	6
4.	राजधानी कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	3
5.	राजनगर कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	2
6.	दिल्ली युनियन कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	2
7.	डेरा गाजी खान कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	9
8.	उ०प्र० समाज कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	2
9.	रिहैबिलेशन मिनिस्ट्री कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	19
10.	एविएशन एम्प्लाइज कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	5
11.	न्यू अशोक कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	8
12.	न्यू राजधानी कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	4
13.	श्री ऋषभ जैन कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	3
14.	जागृति नगर कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	11
15.	मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स, हाउसिंग एंड सप्लाई कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	1
16.	दरियागंज जामा मस्जिद कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	1
17.	दयानंद कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	2
18.	डिफेंस हेडक्वार्टर सिविल पर्सनल कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	1
19.	दिल्ली हाऊसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	1
20.	दिल्ली नार्दर्न रेलवे एकाऊंटस इम्प्लाइज कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	4
21.	आई०स०आई० कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	8
22.	जैन कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	2
23.	भटनागर कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि०	11
	कुल	125

[हिन्दी]

कृषि योग्य भूमि

4649. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजी लाल सुमन :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कृषि योग्य भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में राज्य-वार कृषि योग्य भूमि में तेजी से कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बंजर भूमि की अपेक्षा कृषि योग्य भूमि अधिक है;

(ङ) कुल बंजर भूमि से कितनी भूमि को किस हद तक खेती योग्य बनाया जा सकता है;

(च) ऐसी भूमि राज्य-वार कितने एकड़ है और इस समय इन राज्यों में खेती योग्य भूमि कितनी है;

(छ) इस भूमि को विकसित करने में लगभग कितनी लागत आएगी;

(ज) क्या सरकार ने उक्त भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कुछ परीक्षण किए हैं; और

(झ) बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए नौ स्तरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण के अनुसार कृषि योग्य भूमि में पांच श्रेणियां नामत: बोया गया निवल क्षेत्र, वर्तमान खाली पड़ी भूमि, वर्तमान में खाली पड़ी परती भूमि के भिन्न परती भूमि, खेती योग्य बंजरभूमि और विविध वृक्ष फसलों तथा उपबनों के तहत भूमि शामिल है। वर्ष 1985-86 और वर्ष 1996-97 के लिए देश में कृषि योग्य/कृष्य भूमि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरे को देखने से पता चलता है, पिछले एक दशक में देश में कृषि योग्य भूमि में अधिक कमी नहीं हुई है और बंजरभूमि का क्षेत्र कृषि योग्य/कृष्य भूमि के क्षेत्र से कहीं कम है।

(ङ) से (झ) कृषि मंत्रालय के नौ स्तरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण के अनुसार ऊसर (बैरन) भूमि और कृषि के लिए अयोग्य भूमि को पर्वतीय भूमि, मरूभूमि आदि के रूप में पारिभाषित किया गया है। वह भूमि जिसे काफी अधिक लागत व्यय करने पर भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है, और जिसे कृषि के लिए अयोग्य भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की योजनाएं/कार्यक्रम है। ऊसर (बैरन) और अकृष्य भूमि का राज्य-वार क्षेत्रफल संलग्न विवरण-I में दिया गया है। भूमि अवक्रमण को रोककर और ऐसी भूमि को सतत रूप से उत्पादनकारी उपयोग योग्य बनाने हेतु बंजर भूमि को विकसित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के मुख्य कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है

विवरण-I

वर्ष 1985-86 और 1996-97 के दौरान कृषि योग्य भूमि/कृष्य भूमि और ऊसर (बैरन) तथा कृषि के लिए अयोग्य भूमि के राज्य-वार ब्यौरे को दिखाने वाला विवरण

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य	1985-86		1996-97	
		कृषि योग्य भूमि	ऊसर (बैरन) और कृषि के अयोग्य भूमि	कृषि योग्य भूमि	ऊसर (बैरन) कृषि के अयोग्य भूमि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	16206.3	2268.5	15793	2556
2.	अरूणाचल प्रदेश	291.0	54.6	293	48
3.	असम	3228.3	1540.7	3257	1448
4.	बिहार	11265.1	1014.0	10884	1010
5.	गोवा	221.4	13.4	197	—
6.	गुजरात	12336.1	2676.7	12361	2604
7.	हरियाणा	3806.4	155.9	3779	89
8.	हिमाचल प्रदेश	809.0	159.6	805	139
9.	जम्मू और कश्मीर	1061.4	258.6	1051	291
10.	कर्नाटक	12866.8	803.4	12903	799
11.	केरल	2438.1	83.1	2445	41
12.	मध्य प्रदेश	22817.6	2293.8	22776	1727

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	21190.3	1725.9	21167	1711
14.	मणिपुर	164.3	1418.6	164	1419
15.	मेघालय	1161.4	141.9	1082	139
16.	मिजोरम	583.8	201.0	446	65
17.	नागालैण्ड	614.6	—	614	—
18.	उड़ीसा	7912.0	367.0	7975	590
19.	पंजाब	4291.3	68.5	4250	89
20.	राजस्थान	25831.1	2816.5	25695	2647
21.	सिक्किम	113.8	173.2	114	173
22.	तमिलनाडु	8420.5	553.3	8314	481
23.	त्रिपुरा	311.7	—	310	—
24.	उत्तर प्रदेश	20842.5	1099.8	20832	978
25.	पश्चिम बंगाल	6117.2	186.9	5834	36
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समुह	80.0	1.9	70	2
27.	चंडीगढ़	2.7	0.3	3	—
28.	दादरा व नगर हवेली	25.1	0.1	24	—
29.	दमन व दीव	6.1	2.6	7	2
30.	दिल्ली	73.9	10.9	63	10
31.	लक्षद्वीप	2.4	—	3	—
32.	पांडीचेरी	35.0	0.1	34	—
33.	समग्र भारत	185127.2	20089.8	183545	19094

विवरण–II

अवक्रमित भूमि/बंजरभूमि के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की सूची को दिखाने वाला विवरण

1. **ग्रामीण विकास मंत्रालय**

   (i) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू० डी०पी०)

   (ii) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना (टी०डी० ई०टी०)

   (iii) निवेश संवर्धन योजना (आई०पी०एस०)

   (iv) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)

   (v) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०)

2. **कृषि मंत्रालय**

   (i) नदी घाटी परियोजनाओं के तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भू-संरक्षण।

   (ii) क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाना।

   (iii) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना।

   (iv) पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिए वाटरशेड विकास परियोजनाएं।

3. **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

   (i) समेकित वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास परियोजना।

   (ii) क्षेत्रोन्मुखी जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजनाएं।

   (iii) वनीकरण और वृक्षारोपण के लिए सहायता अनुदान योजना।

4. **योजना आयोग**

   (i) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

[अनुवाद]

पंचायती राज में परिवर्तन

4650. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि राज्य सरकारें पंचायती राज प्रणाली में अपनी सुविधानुसार परिवर्तन कर सकें;

(ख) क्या विधि मंत्रालय ने इसके अनुरूप विधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से भी इस प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) राज्य सभा में दिसम्बर, 1999 में संविधान (87वां संशोधन) विधेयक, 1999 पेश किया गया था।

(ख) से (ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से इस संबंध में अपनी राय प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था तथा अब तक 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उत्तरों के अभाव में अभी इस मामले पर आगे कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है।

भारतीय दंड संहिता और आपराधिक दंड संहिता में संशोधन

4651. **श्री निखिल कुमार चौधरी :**
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उसके द्वारा की गई अपीलों की सफलता दर बढ़ाने हेतु भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 जिसमें 49 खंड हैं और जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के विभिन्न उपबंधों को संशोधित करने के लिए है, 9 मई, 1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों को, कुछ कठनाइयों को दूर करके तथा इसके कार्यकरण में महसूस की गयी खामियों को दूर करके, अधिक प्रभावी बनाना है। विधेयक में निहित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 में निहित महत्वपूर्ण प्रस्ताव

(i) विधेयक का खंड 8, नई धारा 50क सम्मिलित करने के लिए हैं, जिसमें पुलिस से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और उसे कहां रखा जा रहा है इस के बारे में, अभियुक्त द्वारा नामित व्यक्ति को सूचना देना या भेजना अपेक्षित है।

(ii) विधेयक का खंड 10, एक नई धारा 53क सम्मिलित करने के लिए है जो बलात्कार के अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की विस्तृत चिकित्सा जांच करने के लिए है।

(iii) विधेयक का खंड 21, संहिता की धारा 176 को संशोधित करने के लिए है ताकि यह व्यवस्था हो सके कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या लापता हो जाने या महिला के साथ बलात्कार के मामले में, न्यायिक जांच अनिवार्य हो और मृत्यु के मामले में, शव-परीक्षा मृत्यु के 24 घंटो के भीतर की जानी चाहिए।

(iv) मामलों के त्वरित निपटान के हित में, विधेयक के खंड 26 में संहिता की धारा 223 के परन्तुक के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने की व्यवस्था है, जिससे सत्र न्यायालय भी संयुक्त विचारण करने में समर्थ होगा।

(v) विधेयक के खंड 27 में, सत्र न्यायाधीश को किसी मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित करने और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, के समक्ष अभियुक्त के पेश करने के लिए तारीख निश्चित करने का प्रावधान करना है ताकि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को समन जारी करने में नष्ट होने वाले समय को बचाया जा सके।

(vi) विधेयक के खंड 28 में, संहिता की धारा 260 की उपधारा (1) के तहत अपराधों के लिए अनिवार्य संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था हैं। इसमें ऐसे चोरी और अन्य सजातीय अपराधों, जिनमें अंतर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य दो हजार रु० से अधिक न हो, जिसकी वर्तमान सीमा दो सौ रु० हैं, के संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था भी है।

(vii) विधेयक का खंड 36, संहिता की धारा 377 को संशोधित करने के लिए है, ताकि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दण्ड की अपर्याप्तता के आधार पर उच्च न्यायालय के बजाय सत्र न्यायालय में अपील दायर करने की अनुमति दी जा सके। यह संशोधन, मजिस्ट्रेट द्वारा अनुचित रूप से कम सजा दिए जाने के खिलाफ अपील दायर करने के लिए प्रशासन के काम को सरल बनाने हेतु ही नहीं अपितु मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की सजा, जो बहुत अपर्याप्त हों, देने से रोकने के लिए भी हों।

(viii) विधेयक के खंड 40 में यह व्यवस्था है कि यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानतीय अपराध का अभियुक्त हैं और वह निर्धन है और प्रतिभूति नहीं दे सकता है तो न्यायालय उसे, बिना प्रतिभूतियों के व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ सकता है।

नागा समस्या

4652. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने जटिल नागा मुद्दे पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी जिसमें गृह मंत्री, सेना प्रमुख और अन्य लोग शामिल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में हुई बात-चीत का निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) की गई बातचीत के कारण एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के साथ 'युद्ध-विराम' को 1.8.2000 से एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। भारत तथा एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) ने भी शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि नागा समस्या का स्थाई राजनीतिक हल खोजा जा सके।

इस बात पर भी सहमति हुई थी कि 'एगरीड ग्राउंड रूल्स' को चालू युद्ध-विराम की अवधि के दौरान उसकी मूल भावना के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

संस्कृत महाविद्यालय

4653. श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संस्कृत महाविद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्कृत महाविद्यालयों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और संस्कृत महाविद्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, से आठ केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ तथा 21 आदर्श संस्कृत महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। उनका राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है :-

विद्यापीठ

राज्य	संख्या
उत्तर प्रदेश	2
उड़ीसा	1
जम्मू व कश्मीर	1
केरल	1
राजस्थान	1
कर्नाटक	1
हिमाचल प्रदेश	1
कुल	8

महाविद्यालय

राज्य	संख्या
बिहार	5
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	3
तमिलनाडु	1
कर्नाटक	1
महाराष्ट्र	2
हिमाचल प्रदेश	2
हरियाणा	2
केरल	1
कुल	21

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के माध्यम से इन संस्कृत संस्थाओं को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(रु० लाख में)

1997-98	1998-99	1999-2000
607.16	793.41	1425.96

(ग) और (घ) व्यय वित्त समिति ने 3.3.99 को आयोजित अपनी बैठक में पांच मौजूदा संस्थाओं के स्तरोन्नयन तथा विस्तार का अनुमोदन किया है। इनमें से दो संस्थाएं मुम्बई में हैं तथा एक-एक संस्था गार्ली (हिमाचल प्रदेश), मुजफ्फरपुर (बिहार) तथा भोपाल में हैं।

गांवों, अनधिकृत बस्तियों और झोपड़-पट्टियों में समस्याएं

4654. **श्री रामदास आठवले :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जून, 2000 के "जनसत्ता" में प्रकाशित गांवों, अनधिकृत बस्तियों और झोपड़-पट्टियों में समस्याओं से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ उसमें सूचित सुझाव और मांगें हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1898 में संशोधन जिसमें जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी पर्याप्त मुआवजे का भुगतान और अधिग्रहित भूमि के बदले में वैकल्पिक भूखंडों का आबंटन तथा ले आऊट प्लान के अनुसार विकसित क्षेत्रों में किसानों को भूमि को विकसित करने और उसके स्वयं निपटान की अनुमति देने तथा आबंटी द्वारा बेची गई अधिग्रहित भूमि/निर्मित क्षेत्र स्थल अर्जित वृद्धि में 50% अंश उन किसानों को दिया जाना जिनसे भूमि अधिग्रहित की गयी है, आदि का प्रावधान है। यह भी आरोप लगाया गया है कि डी०डी०ए० लोगों को पर्याप्त आवास मुहैया कराने में विफल रहा है और यह मांग की गयी है कि गत दो वर्षों के दौरान हटायी गयी मलिन बस्ती वालों को वैकल्पिक स्थल आबंटित किये जाएं।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में नियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण नीति के तहत भू-अधिग्रहण करता है। कानूनी अपेक्षाओं पर आधारित भू-अधिग्रहण का मुआवजा भू-अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है। अधिनियम में किसानों को अनर्जित वृद्धि का भुगतान की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि भू-मालिक भूमि की कीमत और मुआवजा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि की कीमतों में वृद्धि मुख्यत: डी०डी०ए०/स्थानीय निकायों द्वारा करायी गयी विकास की गतिविधियों के कारण होती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण आवास इकाइयां

4655. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :
श्री विलास मुत्तेमवार :
डा० जसवंत सिंह यादव :
श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री राममोहन गाड्डे :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों के लाभ हेतु प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी०एम० जी०वाई०) के अंतर्गत "ग्रामीण आवास योजना" शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य हेतु इस योजना में कितनी धनराशि निर्धारित है;

(घ) लाभभोगियों के चयन हेतु इस योजना में कितनी धनराशि निर्धारित है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवास कोटा कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है;

(च) इस योजना के अंतर्गत किन-किन व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(छ) क्या इस योजना के दिशानिर्देश को अंतिम रूप देकर इसे सभी राज्यों को परिचालित कर दिया गया है;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ञ) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ट) 2000-2001 के दौरान पी० एम० जी० वाई० के अंतर्गत राज्य-वार कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष से प्रधान

मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आवासों की कमी को घटाना है और यह इन क्षेत्रों में पर्यावास के ठोस विकास में भी सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के लिए लक्षित राज्यवार निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) से (च) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के पात्र परिवारों से, इस संख्या को आबंटित लक्ष्य तक सीमित रखते हुए, किया जाना है। इस योजना में उन लोगों को शामिल किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और अनु०जातियों/अनु०जनजातियों, मुक्त बंधुआ मजदूरों और गैर-अनु०जातियों/अनु० जनजाति श्रेणी से संबंधित हैं। आबंटित निधियों का कम से कम 60% अनु० जातियों/ अनु०जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण पर खर्च किया जाना है।

(छ) से (ञ) इस योजना के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और सभी राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं। कुछ राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनको प्रक्रिया में ले लिया गया है। तद्नुसार, वित्त मंत्रालय से इन राज्यों को आबंटित निधियों को पहली किस्त जारी करने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों को आबंटित निधियों का 50% तदर्थ आधार पर जारी कर दिया है। योजना पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ट) लाभार्थियों के लिए कोई भी राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। तथापि, वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए कुल 1.7 लाख मकानों के निर्माण की अपेक्षा है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	न्यूनतम आबंटन (रुपये लाख में)
1	2
आंध्र प्रदेश	2130.50
बिहार	4308.75
गोवा	11.70
गुजरात	971.85
हरियाणा	251.70
कर्नाटक	1126.95
केरल	1036.20
मध्य प्रदेश	1706.55
महाराष्ट्र	1486.95
उड़ीसा	1478.25
पंजाब	606.00
राजस्थान	1446.00
तमिलनाडु	1571.85
उत्तर प्रदेश	5233.65
पश्चिम बंगाल	2517.30
अरूणाचल प्रदेश	1022.55
असम	2693.55
हिमाचल प्रदेश	1059.15
जम्मू व कश्मीर	2573.70
मणिपुर	728.40
मेघालय	608.85
मिजोरम	606.15
नागालैण्ड	616.95
सिक्किम	421.65
त्रिपुरा	762.45
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	165.75
पांडिचेरी	71.55
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	154.05
चंडीगढ़	68.40
दादरा एवं नगर हवेली	19.80
लक्षद्वीप	26.55
दमन व दीव	15.90
कुल	37499.60

सरकारी कालोनियों में बारातघर

4656. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री आर०के० पुरम में बारातघर के बारे में 7 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1946 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुरू की गई कार्रवाई पूरी हो चुकी है;

(ख) निकट भविष्य में किन-किन सरकारी कालोनियों में बारातघर आदि सुविधा वाले सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) इनका निर्माण कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) अभी कोई समय सीमा नहीं बनाई जा सकती है।

विवरण

दिल्ली में सरकारी कालोनियों में समाज सदन/ समुदाय केन्द्रों का निर्माण

क्र० सं०	स्थान	बारातघर/बहुउद्देश्यीय हाल का प्रावधान	टिप्पणियां
1	2	3	4
क.	**रिक्वीजिशन स्टेज - प्लाट तय किया जाना है**		
1.	तिलक लेन	बारातघर	नया कार्य
2.	साऊथ मोती बाग	बारातघर	नया कार्य
ख.	**प्रारम्भिक नक्शा स्तर**		
3.	बसंत बिहार	बारातघर	नया कार्य
4.	एमबीरोड, सैक्टर-1	बारातघर	नया कार्य
5.	एमबीरोड सै०-4	बारातघर	नया कार्य
6.	लोधी रोड कंपाउंड	बारातघर	नया कार्य
7.	आर०के०पुरम सै०-5	बारातघर	नया कार्य
8.	आर०के०पुरम सै०-7	बारातघर	नया कार्य
9.	आर०के०पुरम सै०-1	बारातघर	परिवर्धन और परिवर्तन/ आधुनिकीकरण कार्य
10.	आर०के०पुरम सै०-4	बारातघर	परिवर्तन/आधुनिकी-करण कार्य
ग.	**प्रारम्भिक अनुमान स्तर**		
11.	मायापुरी	बारातघर	नया कार्य
12.	हरि नगर	बारातघर	नया कार्य
13.	आराम बाग	बारातघर	नया कार्य
14.	लक्ष्मी बाई नगर	बारातघर	परिवर्धन व परिवर्तन/ आधुनिकीकरण कार्य
घ.	**स्थानीय निकाय अनुमोदन स्तर**		
15.	मिंटो रोड	बारातघर	नया कार्य
16.	सादिक नगर	बारातघर	नया कार्य
17.	त्यागराज नगर	बारातघर	नया कार्य
18.	तिमारपुर	बारातघर	नया कार्य
19.	डी०आई०जैड० सै०-II	बारातघर	नया कार्य
20.	डी०आई०जैड० सै०-4	बारातघर	नया कार्य
ङ	**निर्माण स्तर**		
21.	आर०के०पुरम सै०-4	बहुउद्देश्यीय हाल	परिवर्धन व परिवर्तन/ आधुनिकीकरण कार्य
22.	एंड्रयूज गंज	बहुउद्देश्यीय हाल	परिवर्धन व परिवर्तन/ आधुनिकीकरण कार्य
23.	एंड्रयूज गंज विस्तार	बहुउद्देश्यीय हाल	परिवर्धन व परिवर्तन/ आधुनिकीकरण कार्य
24.	श्रीनिवास पुरी	बहुउद्देश्यीय हाल	परिवर्धन व परिवर्तन/ आधुनिकीकरण कार्य

भूमि की बिक्री/खरीद

4657. श्रीमती हेमा गमांग :
श्रीमती आभा महतो :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि अथवा संपत्ति की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि अथवा संपत्ति को बड़े पैमाने पर सरकार को कोई भी पंजीकरण अथवा इस सदृश शुल्क का भुगतान किए बिना लेख्य प्रमाणक या शपथ-आयुक्त के हस्ताक्षर तथा मुद्रा से; ''बिक्री करार'' की जगह ''बिक्री समझौता'' बनाकर ''पावर ऑफ अटार्नी'' के नाम से बेचा और खरीदा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति के कब्जे वाली भूमि/गृह/फ्लैट की पट्टाधारिता को मुक्तधारिता में बदलने की ऐसी ''पावर ऑफ अटार्नी'' देकर इस प्रकार की बिक्री/खरीद को विनियमित कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार के परिवर्तन को किस आधार पर अनुमति दी जा रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। भूखंडों के खरीदारों/आबंटियों के साथ निष्पादित पट्टा विलेख की शर्तों और निबंधनों के अनुसार भूखंड के पट्टेदार को, पट्टाकर्त्ता की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति का पट्टाधारणधिकार बेचने/अंतरित करने का हक नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) भारत सरकार शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय की दिनांक 14-2-1992 की अधिसूचना द्वारा रिहायशी निर्मित संपत्तियों के लीजहोल्ड अधिकार को फ्रीहोल्ड में परावर्त्तन की स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, आम मुख्तारनामा/विक्रय करार द्वारा लीजहोल्ड अधिकार के खरीदार को, परावर्त्तन प्रभारों के अतिरिक्त 33½% अंश के बराबर सरचार्ज देने पर वह सम्पत्ति अपने नाम में फ्रीहोल्ड कराने की अनुमति है।

(च) कालांतर में यह पाया गया था कि लीजहोल्ड प्रणाली, भूमि की कीमतों में वृद्धि को रोक पाने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पायी। इन बोझिल प्रक्रियाओं से जनता को भारी पेरशानी होती थी तथा लोग अनधिकृत बिक्री करने लगे थे क्योंकि ऐसा करने से वे अनर्जित वृद्धि को लाभ पट्टाकर्त्ता को देने से बच जाते थे तथा स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण प्रभार तथा निगमकर (कॉरपोरेशन टैक्स), क्रमश: स्टाम्प कलैक्टर तथा दिल्ली नगर निगम को देने से बच जाते थे। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर, भारत सरकार ने दिनांक 14.2.1992 के आदेश द्वारा दिल्ली में भूमि के लीजहोल्ड अधिकार को फ्रीहोल्ड में परावर्तन की स्कीम घोषित की, जिसमें आगे समय-समय पर उपांहरण होता रहा है।

[हिन्दी]

अवैध-निर्माण

4658. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री शिवाजी माने :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के डी०डी०ए० फ्लैट वाले आवासीय क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वी दिल्ली के जी०टी०बी० इन्कलेव और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों के एल०आई०जी० फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण करके और अनधिकृत रूप से चलने वाली पैथोलोजी जांच लैबों के कारण डी०डी०ए० फ्लैटों के निवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र से अनधिकृत निर्माण और अनधिकृत रूप से चलनेवाली पैथोलोजी जांच लैबों को हटाने के लिए कोई कदम उठाने/कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) कथित अनधिकृत निर्माण और अनधिकृत रूप से चलने वाली पैथोलोजी जांच लैबों को कब तक हटाए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसके प्रवर्तन विंग ने एल०आई०जी० फ्लैट जी०टी०वी० एन्क्लेव, दिल्ली में ऐसे चार मामलों का पता लगाया है।

(ग) जी, हां।

(घ) सभी को नोटिस जारी कर दिये गए हैं और दिल्ली विकास अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) दुरुपयोग के मामले में अभियोजन न्यायालय में किया जाना है। इसके आलोक में, कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

दानिक्स संवर्ग के अधिकारी

4659. श्री दह्याभाई बल्लभभाई पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन व दीव में दानिक्स संवर्ग के कितने अधिकारी तैनात हैं;

(ख) कितने दानिक्स अधिकारियों ने इस संघ राज्य क्षेत्र में अपनी तैनाती की वैध अवधि पूरी कर ली है; और

(ग) संघ शासित प्रदेश में निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक उनकी तैनाती के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली प्रशासनिक सेवा के, दमन और दीव प्रशासन में तैनात अधिकारियों की वर्तमान संख्या 10 है जिसमें निलंबित एक अधिकारी भी शामिल है।

(ख) और (ग) सेवा में भिन्न-भिन्न संघटव-खण्डों में तैनाती हेतु कोई विनिर्दिष्ट कार्य-काल निर्धारित नहीं है। मुख्यत: सेवा की आकस्मिकताओं को देखते हुए तैनाती की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा हेतु आबंटन

4660. श्री जय प्रकाश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को अनौपचारिक शिक्षा हेतु वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत राज्य बजट हेतु बजट आबंटन को वापिस ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासगर विकास मंत्री (डॉ० मुरलली मनोहर जोशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनौपचारिक शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश को जारी की गई अनुदान राशि निम्नवत है:

वर्ष	(रु० लाख में)
1997-98	4252.50
1998-99	4223.26
1999-2000	2196.39

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, इससे पूर्व जारी किए गए अनुदान संबंधी लेखाओं का निपटान न होने के कारण वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य क्षेत्र का अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है।

महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम

4661. श्री ब्रज मोहन राम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से राज्य में महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

4662. श्रीमती निवेदिता माने : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई और इन पर कितनी राशि व्यय हुई; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि रखी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) यह मंत्रालय उच्च शिक्षा के लिये विदेश जाने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान नहीं करता है। तथापि यह मंत्रालय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों तथा राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजना के अन्तर्गत कुछ देशों द्वारा छात्रवृत्तियों की पेशकश पर कार्रवाई करता है।

(ख) चयन सम्बन्धी मानदण्डों में शैक्षिक रिकार्ड, व्यावसायिक अनुभव, प्रस्तावित अध्ययन का स्वरूप, अनुसंधान प्रस्ताव इत्यादि शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों (1997-98 से 1999-2000 तक) के दौरान, 249 छात्रों को विदेशों द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियों के आधार

पर विदेश भेजा गया था। यह मंत्रालय केवल चीन में अध्ययन के लिये चयनित अध्येताओं पर होने वाले व्यय का कुछ हिस्सा वहन करता है। पिछले तीन वर्षों (1997-98 से 1999-2000 तक) के दौरान करीब 24.43 लाख रुपये की राशि इस प्रयोजनार्थ व्यय की गई थी।

(घ) वर्ष 2000-2001 के लिए कुल राशि 55 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें

4663. श्री अधीर चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में बी०काम० (ऑनर्स) बी०काम० (पास) बी०ए० (पास) जैसे विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश का कोटा पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं और इनमें से कितनी सीटें अभी भी रिक्त पड़ी हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय के कालेजों में आरक्षित सीटों के बकाया को विश्वविद्यालय द्वारा किस प्रकार भरने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार चालू सत्र में विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के दाखिले की प्रक्रिया अभी भी जारी है। दाखिला प्रक्रिया का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। बाकी सीटों, यदि कोई हों, को दूसरे तथा तीसरे चरण में अभ्यर्थियों को पंजीकृत करके भरा जाएगा।

राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति

4664. श्री वरकला राधाकृष्णन :
डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसकी घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) भारत सरकार राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति को अन्तिम रूप दे रही है। नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। नीत के बारे में सरकार के अन्तिम निर्णय के पश्चात् तत्काल इसकी घोषणा की जायेगी।

विवरण

प्रस्तावित राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं

भारत सरकार द्वारा विचाराधीन राष्ट्रीय नीति सभी स्तरों पर कार्रवाई का दिग्दर्शन करेगी और समस्त वृहत् और सूक्ष्म कार्यक्रमों में महिला मुद्दों तथा परिप्रेक्ष्यों को शामिल करेगी। नीति अनेक मुद्दों को हल करेगी और इसमें विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(i) भूमि, अन्य प्रकार की सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इत्यादि सहित अन्य उत्पादक संसाधनों पर पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिकारों, पहुंच तथा नियंत्रण में सैद्धान्तिक और वास्तविक समानता;

(ii) समस्त कानूनों, नीतियों, नियमों तथा विनियमों में महिलाओं के साथ भेदभाव वाले सभी उपबन्धों को हटाना;

(iii) जहां आवश्यक हो, आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई करके विधायी, कार्यकारी और न्यायिक संस्थाओं सहित सभी प्रकार के निर्णय निर्माण में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी;

(iv) राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में महिलाओं के योगदान की अभि-स्वीकृति और प्रचार;

(v) केन्द्र/राज्य सरकारों के सभी मन्त्रालयों/कार्यालयों द्वारा महिलाओं और पुरुषों के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन;

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों/विकलांगों, वृद्धों, विधवाओं अन्तर-राज्य प्रवासी महिलाओं आदि सहित विशेष रूप से कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की अनिवार्यता;

(vii) महिलाओं की शक्ति-सम्पन्नता के लिए उत्तरदायी कारकों, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ऋण, भूमि आदि पर महिलाओं के नियन्त्रण और उनकी समान पहुंच के माध्यम से विकास के लिए महिलाओं से संबंधित स्कीमों, कार्यक्रमों, सेवाओं को समग्र संकेन्द्रण;

(viii) प्रेरक, भागीदार और प्रापक के रूप में सभी विकास नीतियों और प्रक्रियाओं में महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल करना;

(ix) हिंसा के उन्मूलन के लिए उत्तरदायी तन्त्रों के कड़े प्रवर्तन और सुदृढ़ीकरण द्वारा महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन;

(x) प्रचार माध्यमों में महिलाओं की सकारात्मक छवि;

(xi) गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों सहित समाज के सभी वर्गों की भागीदारी;

(xii) बालिका के साथ भेदभाव और उनके अधिकारों के उल्लंघन का उन्मूलन;

(xiii) कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायी स्कन्धों सहित सरकार के सभी कर्मियों को महिला मुद्दों के बारे में सतत् और नियमित जानकारी देना;

(xiv) वृहत् आर्थिक नीतियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके उनके परिप्रेक्ष्यों को नीतियों में शामिल करना; और

(xv) पर्यावरण संरक्षण और पारि-प्रणालियों के प्रबन्धन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी।

2. नीति में विभिन्न नीति-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण कार्रवाइयां भी शामिल होंगी।

[हिन्दी]

सूखा-प्रवण क्षेत्र

4665. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखा-प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) जिन-जिन क्षेत्रों की अब तक पहचान की गई है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) सरकार, सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को वर्ष 1973-74 से कार्यान्वित कर रही है। जब कार्यक्रम शुरू किया गया था, उस समय 54 जिलों तथा इनसे लगे हुए अन्य 18 जिलों के भागों को सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत विकसित करने के लिए शामिल किया गया था। डा० एम०एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले कार्य दल (1982) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यक्रम की कवरेज को 1982 में 5.53 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 13 राज्यों के 96 जिलों के 627 खण्डों तक बढ़ाया गया था। इस कार्यक्रम की डा० सी०एच० हनुमंत राव की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति (1994) द्वारा पिछली बार व्यापक रूप से समीक्षा की गई थी। इसके परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम के तहत अब 13 राज्यों के 164 जिलों में 7.46 लाख वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र वाले 947 खण्ड शामिल हैं।

सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन तथा पशुधन तथा भूमि की उत्पादकता, जल तथा मानव संसाधनों पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है तथा अंतत: प्रभावित क्षेत्रों को सूखे की स्थिति से मुक्त कराना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम क्षेत्रों में निवास करने वाले संसाधनहीन गरीब लोगों तथा उपेक्षित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना तथा उनका समग्र आर्थिक विकास करना भी है।

(ग) सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के लिए अभिज्ञात किये गए क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्रम सं०	राज्य	जिलों की संख्या	खण्डों की संख्या	क्षेत्र:वर्ग किलोमीटर में
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11	94	99876
2.	बिहार	18	121	44394
3.	गुजरात	10	52	43938
4.	हिमाचल प्रदेश	3	9	3227
5.	जम्मू और कश्मीर	2	22	14740
6.	कर्नाटक	15	81	84332
7.	मध्य प्रदेश	25	134	110863
8.	महाराष्ट्र	22	148	194273
9.	उड़ीसा	8	47	26168
10.	राजस्थान	10	32	31769
11.	तमिलनाडु	16	80	29426
12.	उत्तर प्रदेश	20	91	51494
13.	पश्चिम बंगाल	4	36	11594
	योग	164	947	746104

महिलाओं और बच्चों के कल्याण संबंधी योजना

4666. योगी आदित्यनाथ :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारों ने उक्त धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए चलाई जा रही स्कीमों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) से (छ) सामान्यतया राज्य सरकारें उन्हें निर्मुक्त किए गए धन का उपयोग कर लेती हैं। तथापि, कुछ राज्यों में राशि का पूरा उपयोग नहीं हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसकी निरन्तर मानीटरिंग एवं समीक्षा की जाती है।

विवरण-I

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित स्कीमें

क्र०सं०	स्कीम/कार्यक्रम का नाम
1	2
1.	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु-गृह/दिवस देखभाल केन्द
2.	बाल देखभाल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय शिशु-गृह कोष
3.	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम
4.	आई०सी०डी०एस० कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण
5.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ई०सी०ई०)
6.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
7.	कामकाजी महिला होस्टल
8.	महिलाओं हेतु रोजगार एवं आयोत्पादन प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (नोराड)
9.	प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (स्टेप)
10.	अल्पावास गृह
11.	महिलाओं के साथ अत्याचारों की रोकथाम हेतु शैक्षिक कार्य
12.	राष्ट्रीय महिला ऋण कोष (राष्ट्रीय महिला कोष)
13.	महिला समृद्धि योजना
14.	महिला विकास तथा शक्तिसम्पन्नता हेतु दूरस्थ शिक्षा
15.	महिलाओं के लिए शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम
16.	सामाजार्थिक कार्यक्रम
17.	जन सहयोग में ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता विकास परियोजनाएं
18.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा बोर्ड के क्षेत्रीय संगठनों का सुदृढ़ीकरण
19.	समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०)
20.	इंदिरा महिला योजना
21.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई०सी०डी०एस० परियोजना
22.	ग्रामीण महिला विकास तथा शक्तिसम्पन्नता परियोजना
23.	बालिका समृद्धि योजना
24.	पोषाहार शिक्षा

विवरण-II

महिला एवं बाल विकास विभाग की स्कीमों के मूल्यांकन के लिए 1990 से किये गये मूल्यांकन अध्ययनों की सूची

वर्ष	संगठन का नाम	विषय
1	2	3
आई०सी०डी०एस०		
1990-91	निपसिड, नई दिल्ली	आई०सी०डी०एस० का राष्ट्रीय मूल्यांकन–एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण
1991-92	जे०पी० इंस्टीट्यूट आफ सोशल चेंज, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल के लिए)	स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया गया आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन
तदैव	सामाजिक कार्य विभाग, लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ०प्र० के लिए)	तदैव
तदैव	डा० बाबा साहिब अम्बेदकर सामाजिक विज्ञान संस्थान, इंदौर	तदैव
तदैव	रिसर्च इंस्टीट्यूट राजागिरि, कोचीन	केरल में आ०सी०डी०एस० खण्डों में बच्चों पर आई०सी०डी०एस० में विकास प्रबोधन का प्रभाव
तदैव	पोषाहार एकक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	राजस्थान में आई०सी०डी०एस० तथा गैर-आई०सी०डी०एस० खण्डों में बच्चों की पोषाहारीय स्थिति पर विकास प्रबोधन क्रियाकलापों तथा उसके प्रभाव का आकलन
1993-94	बी०एल० विकास अनुसंधान तथा कार्रवाई केन्द्र, लखनऊ	आई०सी०डी०एस० केन्द्र में पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम
1995-96	अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फार होम साइंस, तमिलनाडु	कोयम्बटूर जिला के आई०सी०डी०एस० एवं टी०आई०एन०पी० का शीघ्र मूल्यांकन 1975-88
1975-88	केन्द्रीय तकनीकी समिति	आई०सी०डी०एस० - मूल्यांकन तथा अनुसंधान 1975-88
1982	निपसिड	आई०सी०डी०एस० का राष्ट्रीय मूल्यांकन
1992	केन्द्रीय तकनीकी समिति तथा राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान	आई०सी०डी०एस० पर बहु-केन्द्रिक अध्ययन
इन्दिरा महिला योजना		
1997	योजना आयोग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से	इंदिरा महिला योजना
स्टेप		
1993-94	सन्टेक कन्सलटैन्ट्स प्रा०लि०, नई दिल्ली	राजस्थान राज्य में लाभार्थियों तथा गैर-लाभार्थियों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा डेयरी क्षेत्र में स्टेप स्कीम के आकलन हेतु मूल्यांकन

1	2	3
1996-97	सामाजार्थिक अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश में महिलाओं के डेयरी क्षेत्र की स्टेप स्कीम के आकलन का अध्ययन
2000-2001	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, प० बंगाल राज्य सरकार, प० बंगाल	स्टेप स्कीम के तहत प० बंगाल महिला डेयरी सहकारिता परियोजना का मूल्यांकन
नोराड		
1994-95	सन्टेक कन्सलटैन्ट्स प्रा०लि०, नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश में नोराड स्कीम के आकलन हेतु मूल्यांकन अध्ययन
1999-2000	समेकित प्रबन्धन समूह, लखनऊ	उत्तर प्रदेश, म०प्र०, राजस्थान, हरियाणा, हि०प्र०, पंजाब, दिल्ली एवं जम्मू व कश्मीर राज्यों में नोराड स्कीम का मूल्यांकन
होस्टल		
	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई	भारत में कामकाजी महिला होस्टलों का मूल्यांकन-बहु-केन्द्रिक अध्ययन
स्व-सहायता दल		
1997-98	कृषि वित्त निगम लि०, नई दिल्ली	सरकारी अभिकरणों द्वारा संवर्धित महिला स्व-सहायता दलों का मूल्यांकन
1995	केन्द्रीय तकनीकी समिति—समेकित माता एवं बाल विकास	आई०सी०डी०एस० के 20 वर्ष पूरा होने पर वार्षिक सर्वेक्षण का मूल्यांकन परिणाम
1975-95	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद्	पांच राज्यों अर्थात् गुजरात, हि०प्र०, कर्नाटक, उ०प्र० एवं प० बंगाल में आई०सी०डी०एस० स्कीम का राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन अध्ययन
1996	नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद	आई०सी०डी०एस० का आधार मूल्यांकन
1998	जे पी एस एशोसियेट्स	आई०सी०डी०एस०-II मध्य प्रदेश का आधार मूल्यांकन
1998	—	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई०सी०डी०एस०-III स्कीम के अन्तर्गत महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान एवं उ०प्र० में आधार मूल्यांकन जारी है
राष्ट्रीय महिला कोष		
1997	सनटेक कन्सलटैन्टस प्रा०लि०, नई दिल्ली (राजस्थान एवं उ०प्र० के लिए)	राष्ट्रीय महिला कोष
—	सेंटर ऑफ वीमेन्स स्टडीज, अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु (तमिलनाडु के लिए)	तदैव
—	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम्, तिरूपति (आर०ए०एस०एस० के लिए)	तदैव
—	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम्, तिरूपति (वाई०सी०ओ० के लिए)	तदैव
—	स्कूल ऑफ वीमेन्स स्टडीज, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता (प० बंगाल के लिए)	तदैव

1	2	3
1997	महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली (मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र हेतु)	राष्ट्रीय महिला कोष
	(नोट : महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली ने उक्त सभी रिपोर्टों का संश्लेषण किया था)	
अल्पावास गृह		
1999	योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	अल्पावास गृह
परिवार परामर्श केन्द्र		
1999	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई (उत्तरी क्षेत्र के लिए)	परिवार परामर्श केन्द्र
1989-90	अविनाशीलिंगम् कालेज होम साइंस, कोयम्बटूर (दक्षिणी क्षेत्र के लिए)	परिवार परामर्श केन्द्र
1995-96	सादु अशोम ग्राम्य पुथिभराल संस्थान, असम	परिवार परामर्श केन्द्र स्कीम का मूल्यांकन
संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण		
1986	एन०आई०ई०पी०ए०	संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण
प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा		
1990-91	आपरेशन्स रिसर्च ग्रुप, भुवनेश्वर	जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्कूलों में प्रवेश में सहायक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा केन्द्रों का मूल्यांकन
शिशु-गृह/दिवस देखभाल केन्द्र		
1990-91	पी०जी० कालेज ऑफ सोशल वर्क, हैदराबाद	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा भारतीय बाल कल्याण परिषद् द्वारा कामकाजी तथा बीमार माताओं के बच्चों के लिए चलाए जा रहे शिशु-गृहों/दिवस देखभाल केन्द्रों का मूल्यांकन
आंगनवाड़ी केन्द्र		
1991-92	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई	महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों का अध्ययन
1998-99	अनुप्रयुक्त सामाजार्थिक पद्धति संगठन, नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में 'किशोर बालिकाओं के लिए पोषाहार तथा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के आकलन' पर अध्ययन
	मोड रिसर्च प्रा०लि०, नई दिल्ली	तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा हरियाणा में 'अपनी बेटी अपना धन' पर अध्ययन
1996-97	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद	निपसिड का मूल्यांकन
महिला समृद्धि योजना		
1996-97	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग, नई दिल्ली	महिला समृद्धि योजना का मूल्यांकन

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसकी स्कीमों के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशि

क्र० सं०	राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों का नाम	सभी स्कीमें का जोड़
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	295.16
2.	अरूणाचल प्रदेश	19.61
3.	असम	81.88
4.	बिहार	229.99
5.	गोवा	8.33
6.	गुजरात	162.49
7.	हरियाणा	101.84
8.	हिमाचल प्रदेश	38.48
9.	जम्मू और कश्मीर	40.10
10.	कर्नाटक	169.08
11.	केरल	121.02
12.	मध्य प्रदेश	330.76
13.	महाराष्ट्र	238.32
14.	मणिपुर	27.41
15.	मेघालय	15.21
16.	मिजोरम	11.11
17.	नागालैण्ड	32.08
18.	उड़ीसा	27.27
19.	पंजाब	64.78
20.	राजस्थान	126.39
21.	सिक्किम	5.16
22.	तमिलनाडु	233.6
23.	त्रिपुरा	17.00
24.	उत्तर प्रदेश	290.15
25.	पश्चिम बंगाल	177.81
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3.65
27.	चंडीगढ़	2.86
28.	दिल्ली	35.26
29.	दादरा व नगर हवेली	0.88
30.	दमन व दीव	0.97
31.	लक्षद्वीप	0.62
32.	पांडिचेरी	5.26

[अनुवाद]

विस्थापित व्यक्तियों को सहायता दिया जाना

4667. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए विस्थापित व्यक्तियों को सहायता देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। सरकार द्वारा पाक-अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए ऐसे पात्र प्रत्येक परिवार को 25,000/- रुपये अनुग्रह पूर्वक अदायगी करने का निर्णय लिया गया है, जिनके मामले पहले निम्नलिखित आधार पर रद्द कर दिए गए थे।

(i) ऐसा परिवार जिसने सितम्बर, 1947 और दिसम्बर, 1950, की निर्णायक अवधि के दौरान प्रवास नहीं किया था, (ii) जो राज्य सरकार द्वारा लगाए गए शिविरों में नहीं ठहरे थे, (iii) ऐसे परिवार जिनके मुखिया ने परिवार समेत उस निर्णायक अवधि के दौरान प्रवास नहीं किया था, बशर्ते कि उपर्युक्त तीनों श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले ऐसे प्रत्येक परिवार की मासिक आय संगत समय पर 300/- प्रति माह से अधिक नहीं रही हो तथा ऐसे मामलों, जिनमें जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार द्वारा पहले ग्रामीण इलाकों में बस गए कुछ परिवारों को 1000/- के नकद अनुदान का भुगतान न किया गया हो लेकिन उन्हें केवल भूमि आबंटित की गई हो, ऐसे मामलों में नकद अनुदान की राशि अनुपातिक रूप में घटा कर 7000/- प्रति परिवार कर दी

जाएगी। सरकार ने आबंटित की गई कम भूमि के मुआवजे के रूप में प्रति कनाल 5000/- रु० उन विस्थापित व्यक्तियों को देने का निर्णय भी लिया है जिन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा आबंटन योग्य भूमि के पूर्ण यूनिटों का कोटा आबंटित नहीं किया जा सका हो बशर्ते कि ऐसे नकद मुआवजे की राशि प्रति परिवार 25000/- रु० से अधिक नहीं होगी। 5000/- रु० प्रति कनाल की दर से लैण्ड डैफिशियंसी की दर अधिकतम होगी तथा केवल उन्हीं परिवारों को अनुज्ञेय होगी जिनके क्षेत्र में भूमि की दर प्रति कनाल 5000/- या उससे से अधिक है। जहां भूमि का मूल्य 5000/- रु० प्रति कनाल से कम है, वहां प्रचलित वास्तविक दरों के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने शहरों में बस गए ऐसे व्यक्तियों को प्लाट आबंटित करने के लिए राज्य सरकार को 2 करोड़ रु० देने का भी निर्णय लिया है, जिन्हें पहले प्लाट आबंटित नहीं किए जा सके तथा वे जम्मू व कश्मीर राज्य में पहले ही बस चुके हैं, तथा ऐसी 46 नियमित कालोनियों, जहां विस्थापित हुए व्यक्ति बस गए थे, में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 25 लाख रुपये देने का भी फैसला किया है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला

4668. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न राज्यों में प्रयोगशालाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है/की जा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ग) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान/केन्द्र स्थापित करने के लिए आरंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं। बिहार राज्य के लिए प्रस्ताव को कुल 1.65 करोड़ रु० की कुल लागत पर अनुमोदित किया गया है। अन्य राज्यों के प्रस्ताव जांच के विभिन्न चरणों में हैं और आबंटनों को इस प्रकार की जांच के बाद निर्धारित किया जाएगा।

[अनुवाद]

विद्यालयों को मान्यता

4669. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये विद्यालयों तथा विशेषकर कवर्ड एरिया वाले विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत खास दिल्ली में तथा क्षेत्र के इर्द गिर्द ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के लिए कितने खुले क्षेत्र की आवश्यकता है;

(ख) क्या विभिन्न क्षेत्रों के विद्यालयों को मान्यता देने के संबंध में अपेक्षित 'कवर्ड' और खुले क्षेत्र में कोई अंतर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों को मान्यता प्रदान नहीं करता जबकि यह केवल बोर्ड के सम्बद्ध अधिनियमों में निर्धारित विभिन्न शर्तों को पूरा करने वाले स्कूलों को सम्बद्धता प्रदान करता है। सम्बद्धन के उद्देश्य के लिए, स्कूल के पास लगभग दो एकड़ भूमि होनी चाहिए और इस भूमि के एक भाग में निर्मित भवन और शेष भूमि पर उपयुक्त खेल के मैदान होने चाहिए। दिल्ली महानगर में स्थित स्कूलों के मामले मे उनके पास कम से कम एक एकड़ भूमि होनी चाहिए जिसमें छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित भवन में उपयुक्त स्थान होना चाहिए।

(ख) तथापि 25 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों में स्थित स्कूलों के लिए एक एकड़ भूमि अपेक्षित है, बाकी स्कूलों के लिए लगभग दो एकड़ भूमि अपेक्षित है। विभिन्न क्षेत्रों में कवर किए गए और खुले क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट निर्धारित अपेक्षाएं नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ट्राइफेड द्वारा निष्पादित कार्य

4670. श्री विक्रम केशरी देव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में ट्राइफेड द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है;

(ख) क्या आदिवासी अपने उत्पादों के लाभकारी मूल्य पाएं, इस दृष्टिकोण से लघु वन उत्पादों को खरीदने के लिए कोई संग्रह केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आदिवासियों को क्या सहायता दी गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य आदिवासी कृषकों द्वारा उपजाये गये एकत्रित किये गए उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। उड़ीसा में ट्राइफेड ने सुन्दरगढ़, कालाहांडी जयपोर, कोरापूट, क्योंझर में नीचले स्तर से अपने अधिप्राप्ति प्रचालन शुरू किये हैं। ये प्रचालन राज्य स्तर की एजेन्सियों जैसे उड़ीसा राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम के माध्यम से भी चलाए जाते हैं। ट्राइफेड की ओर से राज्य स्तरीय एजेन्सी (ओ एस टी डी सी सी) पर आर० उदयगिरी, बालीगुडा, क्योंझर, लहुनियापाड़ा, उदाल, सुन्दरगढ़ लायगडा, मुनिगुडा, भवानीपटना, काशीपुर, जयपोर, अपरकोट तथा बुन्डाबंडा में अर्जक अधिप्राप्ति केन्द्र खोले गए हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान ट्राइफेड ने उड़ीसा मे 196,44 लाख रुपए मूल्य के 3043-41 मी० टन लघु वन उत्पाद की अधिप्राप्ति किया है। ट्राइफेड ने लाख विकास के प्रशिक्षण पर सुन्दरगढ़ से आए 20 भाग लेने वालों को निःशुल्क कच्चे लाख का वितरण भी किया है। इसके अतिरिक्त, लघु वल उत्पादों के खुले व्यापार को प्रोत्साहन देने तथा आदिवासी किसानों को लाभकारिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से दिनांक 23.6.2000 को ट्राइफेड द्वारा भुवनेश्वर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था।

पनधारा परियोजनाएं

4671. श्री सुरेश चन्देल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील और वनरहित क्षेत्रों में वनरोपण के उद्देश्य से एकीकृत पनधारा विकास कार्यक्रम के तहत केन्द्र द्वारा प्रायोजित पनधारा परियोजनाएं तत्संबंधी मूल्यांकन में सफल नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने ऐसी योजनाओं को अधिक प्रभावी और सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं को उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निधियों के समुचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) (ख) जी, नहीं। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं का कार्यान्वयन संतोषजनक होने की सूचना दी गई है। इस कार्यक्रम को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में वनीकरण करना इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत वाटरशेड परियोजनाओं में शुरू किए गए विभिन्न कार्यकलापों में एक कार्यकलाप है।

(ग) से (ङ) सिक्किम राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान 6.32 करोड़ रुपये के लगभग निधियां जारी की गई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्ष्यों को कारगर रूप से प्राप्त किया जाए मार्गदर्शी सिद्धांतों में जिला स्तर पर वाटरशेड विकास सलाहकार समिति और राज्य स्तर पर वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समीक्षा समिति गठित करने के लिए व्यवस्था है। केन्द्रीय स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन पर सचिव (ग्रामीण विकास) द्वारा संबंधित राज्य सचिवों के साथ आवधिक तौर पर समीक्षा करके निगरानी रखी जाती है। कार्यक्रम के प्रभारी संयुक्त सचिव के द्वारा भी ऐसी ही समीक्षाएं की जाती है। कार्यक्रमों से संबंधित केन्द्रीय अधिकारियों तथा क्षेत्र अधिकारियों द्वारा परियोजना क्षेत्र का दौरा करने से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। जिला पंचायतों को परियोजनाओं के तहत वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाते हुए तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

पट्टे पर भूमि देना

4672. श्रीमती आभा महतो : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में सहकारी ग्रुप आवास समितियों को रियायती दरों पर उनके सदस्यों के लिए आवासों के निर्माण हेतु भूमि पट्टे पर देती है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सहकारी आवास समितियों द्वारा किन नियम और शर्तों का अनुसरण किया जायेगा;

(ग) क्या इन फ्लैटों के मालिक अपने आवास अत्यधिक महंगी दरों पर बेच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) डी०डी०ए० (नाजुल भूमि निपटान) नियमावली, 1981 के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण समय-समय पर सरकार द्वारा तय की गई पूर्व-निर्धारित दरों पर सहकारी समूह आवास समितियों को भूमि आबंटित करता है।

(ख) आबंटन सहकारी समूह आवास समिति एवं पट्टाकर्ता के बीच निष्पन्न पट्टा दस्तावेज में दी गई शर्तों के अधीन होता है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। आबंटन के शर्तों के अनुसार पट्टाकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना किसी फ्लैट का आबंटिति उस फ्लैट को न तो बेच सकता है और न ही हस्तांतरित कर सकता है।

तथापि, सम्पत्ति को पट्टा पर से फ्रीहोल्ड में बदलने की स्कीम के तहत जी०पी०ए०/बेचने का समझौता वाले धारकों को सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलवाने की अनुमति दी गई है बशर्ते वे अधिभार के रूप में परिवर्तन प्रभार के 33½% का अतिरिक्त भुगतान करें।

स्मारकों का निर्माण और प्रतिमा स्थापना

4673. **प्रो० रासासिंह रावत :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर महान ऐतिहासिक व्यक्तियों, राष्ट्रनायकों, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम-सेनानियों की प्रतिमाएं लगाने तथा स्मारक बनाने के जो प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हैं, उनका ब्यौरा क्या है; साथ ही इसके क्या कारण हैं;

(ख) उन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी;

(ग) राजधानी में पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन व्यक्तियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन सी भावी योजनाएं तैयार की गई हैं और इस उद्देश्य के लिए किन किन स्थानों की पहचान की गयी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) सरकारी खर्च पर प्रतिमाओं की स्थापना के निम्नलिखित प्रस्ताव कार्रवाई/विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(1) **इंडिया गेट के निकट महात्मा गांधी की प्रतिमा :-**

मामला न्यायाधीन होने से इस पर अन्तिम फैसला लिया जाना शेष है।

(2) **रविन्द्र नाथ टैगोर की प्रतिमा :-**

श्री टैगोर की प्रतिमा दिल्ली/नई दिल्ली में किसी उपयुक्त स्थान पर लगाने का पहले ही निर्णय लिया जा चुका है तथा प्रतिमा की स्थापना अर्थात् प्रतिमा के आकार व मुद्रा, मैकेट (मंच) सज्जा तथा शिल्पी के चयन इत्यादि को अन्तिम निर्णय हेतु एक संकल्पना समिति बनाई गई है। समिति की रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा है।

(3) **जगजीवन राम की प्रतिमा :-**

सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(4) **पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमाएं :-**

इन प्रतिमाओं की स्थापना हेतु अभी स्थल का चयन होना है।

(5) **श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा :-**

प्रतिमा की केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड़, नई दिल्ली में स्थापना का पहले ही निर्णय ले लिया गया है। प्रतिमा की स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए एक संकल्पना समिति गठित की जा रही है।

उपर्युक्त के अलावा, अखिल भारतीय रावत महासभा ने मानसिंह रोड़ और पृथ्वीराज के चौराहे पर, बगीची उद्यान में सरकारी खर्च पर घोड़े पर सवार पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित करने का अनुरोध किया था। किन्तु वह स्थल, व्यस्त ट्रैफिक राउंडअबाउट के पास होने से उपयुक्त नहीं समझा गया है। महासभा ने वैकल्पिक स्थल के लिए संपर्क किया है जिस पर कार्रवाई चल रही है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न संगठनों से उनके निजी खर्च पर प्रतिमाओं की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल के आबंटन के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं और उन पर कार्रवाई विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ख) चूंकि दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रस्तावों पर अंतिम फैसले में विभिन्न संगठनों अर्थात् दिल्ली नगर कला आयोग, के०लो०नि० विभाग, स्थानीय निकाय और दिल्ली पुलिस से सहमति तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है, इसलिए प्रस्तावों का अनुमोदन करने के बारे में निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजधानी में स्थापित प्रतिमाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) सरकार ने ऐसी कोई योजनाएं नहीं बनायी हैं तथा प्रतिमाओं की स्थापना के लिए किसी स्थल का निर्धारण नहीं किया गया है।

विवरण

1997-2000 के दौरान दिल्ली में स्थापित प्रतिमाएं

	प्रतिमा	स्थान
1.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	संसद भवन परिसर
2.	श्री बिरसा मुन्डा	संसद भवन परिसर
3.	प्रो० एन०जी० रंगा	संसद भवन परिसर
4.	श्री टी० प्रकाशम पोन्दुलु	संसद भवन परिसर
5.	सरदार वल्लभ भाई पटेल	संसद भवन परिसर
6.	श्री राजीव गांधी	संसद भवन परिसर (स्थापित की जा रही है)
7.	शहीद भगत सिंह	बंगला साहिब रोड़

ग्रामीण उत्थान

4674. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता के पश्चात् से ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हेतु कई उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य और केन्द्र दोनों स्तर पर नई पहल की कोई कमी नहीं रही है लेकिन यह वास्तविक के निकट नहीं आ सकी है और इसे व्यावहारिक रूप देने की आवश्यकता है;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने ग्रामीण रोजगार, बुनियादी विकास विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक अधिकारिता के रूप में चार अवलम्ब वाले माडल सुझाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ग्रामीण उत्थान हेतु इन चार सूत्रों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यक्रम शुरू किए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल देने के लिए स्वतंत्रता के बाद अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करने और गरीबी का उपशमन करने की दृष्टि से कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से एक है।

विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत लाभ देने संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय आधारित स्व-सहायता समूहों और अन्य उपयोगकर्त्ता समूहों के जरिए लोगों में सामाजिक जागरूता लाने और उन्हें अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रमों को भी 1.4.1999 से पुनर्गठित किया गया है।

[हिन्दी]

पालिका बाजार को पालिका पार्किंग से जोड़ना

4675. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैदल यात्रियों की आवाजाही की सुविधा हेतु "सब वे" के द्वारा पालिका बाजार को पालिका पार्किंग के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो दोनों स्थानों को कब तक "सब वे" द्वारा जोड़े जाने की संभावना है;

(ग) क्या मैट्रो परिवहन प्रणाली के अंतर्गत उक्त कार्य हेतु अनुमति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य को कब आरंभ तथा पूर्ण किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों में पंचायत चुनाव

4676. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री राजेन गोहेन :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायत चुनाव नहीं कराने के कारण कुछ राज्यों को केन्द्रीय सहायता रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों का इस घाटे को किस तरीके से पूरा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन राज्यों में पंचायत चुनाव कब तक कराये जायेंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के लागू हो जाने के बाद असम और बिहार राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी ने अभी तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराए हैं। आंध्र प्रदेश के अनुसूची 5 क्षेत्रों में चुनाव नहीं हुए हैं।

2. दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदानों को रिलीज किए जाने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक स्थानीय निकाय के अनुदान केवल उन्हीं राज्यों को रिलीज किये जा सकते हैं जहां निर्वाचित स्थानीय निकाय अस्तित्व में हैं। दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदानों को इस कारण से रोके जाने का विवरण संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

दिनांक 1.4.1999 से लागू, सुनिश्चित रोजगार योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत निधि को प्रोत्साहन के रूप में तभी रिलीज किया जाएगा जब संबंधित राज्यों में निर्वाचित और अधिकार प्राप्त पंचायती राज संस्थाएं हों।

3. वर्ष 1996-2000 की अवधि समाप्त होने पर 31 मार्च, 2000 को दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान कालातीत

(लेप्स) हो गए हैं। केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों पर शीघ्र पंचायत चुनाव कराने के लिए जोर दे रही है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य	कुल 1996-2000	
		सिफारिश की गई निधि	रिलीज की गई निधि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश*	35,100.00	33,594.21
2.	असम	13,336.00	4,167.50
3.	बिहार	50,719.00	12,680.00
4.	मध्य प्रदेश**	34,869.00	34,285.57
	कुल	134,024.00	84,727.28

* आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं।

** राज्य में 28 जनवरी और 4 फरवरी, 2000 को पंचायत के चुनाव कराए गए थे लेकिन कुछ पंचायतों में चुनाव नहीं हो सके इसलिए पंचायती राज संस्थानों के अनुदान में से 5% का समायोजन किया गया।

ब्रिटिश शासकों की प्रतिमाएं

4677. **श्री चन्द्र विजय सिंह** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश शासकों और "प्रो कोन्सल्स" की अति कलात्मक मूल्य की संगमरमर की प्रतिमायें दिल्ली में लावारिस पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन्हें जन-दर्शनार्थ किसी अधिक संरक्षित स्थल पर स्थानांतरित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। ब्रिटिश सम्राटों की आठ संगमरमर मूर्तियां कोरोनेशन पार्क, दिल्ली में खुले में लगाई गई हैं। इसमें कम्पाउंड दीवार और गेट भी लगाया गया है। इन मूर्तियों की देखभाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उचित ढंग से की जा रही है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

"नाबार्ड" से योजना हेतु सहायता

4678. **श्री नागमणि** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1998 में वनांचल के कोडरमा, चतरा, गिरिडीह और हजारीबाग के पिछड़े जिलों में "नाबार्ड" और विश्व बैंक की सहायता से 23 नदियों पर पुल के निर्माण हेतु किसी योजना को मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) से (ग) जैसे ही राज्य सरकार से पात्र परियोजनाएं प्राप्त होती हैं नाबार्ड ग्रामीण ढांचागत विकास निधि से ग्रामीण ढांचागत विकास संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकृति दे देता है। वर्ष 1998 के दौरान बिहार सरकार ने ऐसी कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की थी। वर्ष 1998 में विश्व बैंक की सहायता के अन्तर्गत ऐसी कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की गयी है।

[अनुवाद]

सुनिश्चित रोजगार योजना, जे०जी०एस०वाई०

4679. **श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह** :
श्री राजो सिंह :
श्री रामजी मांझी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास विभाग ने सभी राज्यों को सुनिश्चित रोजगार योजना (सी०ई०ए०एस०) और "जे०जी०एस०वाई०" के कार्यान्वयन संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश प्रेषित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय संबंधित जिले के संसद सदस्य से परामर्श किया जा रहा है;

(घ) इन योजनाओं के तहत कौन-कौन सी विकास गतिविधियां शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या बिहार में इन योजनाओं के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों को उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) सुनिश्चित रोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कार्यक्रमों के संशोधित दिशा-निर्देश सभी राज्यों तथा संघ शासित राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं। इन दोनों के दिशा-निर्देश तारीख 1 अप्रैल, 1999 से लागू हैं। इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, वार्षिक कार्रवाई योजना को तैयार करते समय, जिला परिषद जिले के सांसदों के साथ विचार-विमर्श करेंगी। किन्तु जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) केवल ऐसे निर्माण कार्य जिन्हें दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत योजना में से निकाल दिया गया हो, को छोड़कर ऐसे सभी निर्माण कार्य जिनसे स्थायी उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता हो, उन्हें लोगों की आवश्यकता के अनुसार शुरू किया जा सकता है।

(ङ) और (च) बिहार समेत सभी राज्यों में कार्यक्रम के सही तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सुनिश्चित रोजगार योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों में विशिष्ट प्रावधान किए हैं। राज्य/जिला/ब्लाक स्तर पर सतर्कता तथा निगरानी समितियों के गठन के अनुदेश इन कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में किए गए हैं। किन्तु यदि कोई शिकायत हो, तो संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे मामले की जांच करें तथा आवश्यक कार्रवाई करें।

विवरण

सुनिश्चित रोजगार योजना तथा जवाहर रोजगार ग्राम समृद्धि योजना की मुख्य विशेषताएं

सुनिश्चित रोजगार योजना

- सुनिश्चित रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरी रोजगार की अत्यधिक कमी की अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण गरीबों के लिए हाथ से किए जाने वाले कार्य के जरिये मजदूरी रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना है।
- योजना के मांग आधारित स्वरूप में परिवर्तन किया गया है तथा अब यह आबंटन आधारित योजना बन गयी है।
- सुनिश्चित रोजगार योजना ऐसे सभी ग्रामीणों के लिए है जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है। रोजगार देते समय, अनु०जाति/जनजातियों तथा खतरनाक व्यवसायों से मुक्त कराए गए ऐसे बाल श्रमिकों के माता-पिता जो गरीबी रेखा के नीचे हो, को वरीयता दी जाती है।
- गरीबी दर के आधार पर राज्यों/संघ शासित राज्यों को निधि आबंटित की जाती है।
- प्रत्येक जिले के लिए आबंटित निधि का 70 प्रतिशत पंचायत समितियों को जारी किया जाता है। निधि का 30 प्रतिशत हिस्सा जिला स्तर पर आरक्षित रखा जाता है तथा उसका ऐसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा जो क्षेत्रविशेष के श्रमिकों के पलायन/दुर्गति क्षेत्रों से पीड़ित हो।
- जिला परिषद के कार्यान्वयन प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

- कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करने से बदलकर ग्रामीण बुनियादी ढांचे का सृजन करना है।
- ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यक्रम लागू किया जाता है।
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए वैयक्तिक लाभार्थी योजनाओं हेतु निधि का 22.5 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित करके समुदाय के कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा देने की व्यवस्था की गयी है।
- विकलांग लोगों के लिए बाधा मुक्त ढांचे के सृजन के लिए वार्षिक आबंटन का 3 प्रतिशत हिस्सा उपयोग किया जाएगा।
- रोजगार अवसरों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।
- पंचायतों के पास ग्राम सभा की अनुमति से 50,000 रुपये तक निर्माण कार्य/योजनाओं के निष्पादन करने की शक्ति है। कोई भी तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

प्रबंधन संस्थान

4680. श्री सी०पी० राधाकृष्णन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम०बी०ए के समकक्ष लिखे जाने योग्य स्नातकोत्तर व्यापार प्रबन्धन डिप्लोमा (पी०जी०डी०बी०एम०) पाठ्यक्रम हेतु ए०आई० सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त राज्य-वार कितने संस्थान हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों से ए०आई० सी०टी०ई० मानदंडों के उल्लंघन की सूचना मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) व्यापार

प्रबन्ध कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी) द्वारा, जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर, बिहार तथा प्रबन्ध प्रौद्योगिकी संस्थान, गाजियाबाद, उ०प्र० नामक दो प्रबन्ध संस्थान मान्यता प्राप्त हैं। इन संस्थानों द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा को भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने एम बी ए के समकक्ष माना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिविल और विद्युत कार्यपालक अभियंता

4681. श्री अनन्त नायक : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा जे०एन० गोयल और अन्य-बनाम-भारत सरकार के मामले में दिए गए निर्णय का पालन करते हुए महानिदेशक (निर्माण) ने कितने सिविल और विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को पदोन्नति/नियमितीकरण किया;

(ख) कार्यपालक अभियंताओं की पदोन्नति/नियमितीकरण हेतु महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या मापदंड अपनाए गए;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की पदोन्नति में कोई छूट/रियायत दी गई;

(घ) सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवार पदोन्नति/नियमित किए गए और इनका प्रतिशत क्या है;

(ङ) क्या चालीस सूत्री रोस्टर प्रणाली को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने आरक्षण संबंधी समुचित आदेशों का पालन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) सिविल – 317, वैद्युत – 83

(ख) संघ लोक सेवा आयोग में हुई विभागीय प्रौन्नति समिति में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी टी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश अपनाए गए।

(ग) दिनांक 10.4.89 के का०ज्ञा० के प्रावधानों को डी ओ पी टी का०ज्ञा० संख्या 36012/23/96-स्था० (रैस) दिनांक 22.7.97 तथा 36028/15/99-स्था० (रैस) दिनांक 27.7.99 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अहर्कता अंक/मूल्यांकन मानकों/निर्धारित बैंच मार्क के संबंध में रियायत वापस ले ली गई है। नवंबर, 99 में प्रोन्नति करने के लिए यथासंशोधित ज्ञापन का पालन किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। 2 जुलाई 1997 को या उसके बाद की गई भर्ती/प्रोन्नति पद आधारित (200 प्वाइंट) रोस्टर के आधार पर होनी है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इमारती लकड़ी की तस्करी

4682. श्री समर चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की इमारती लकड़ी का माफिया सरकारी कर्मचारियों और अलगाववादी संगठनों के साथ मिलीभगत से दिल्ली में नियमित रूप से इमारती लकड़ियों की बड़ी मात्रा में तस्करी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई; और

(घ) ऐसी मिलीभगत को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चरवाहों का अन्यत्र चले जाना

4683. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में चरवाहे, जिन्हें स्थानीय रूप से बकरवाल कहा जाता हैं, अपने घरों से अपनी भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ियों के पार चराने के लिए ले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित उग्रवादी बहुधा 'बकरवालों' के भेष में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारतीय क्षेत्र में आने में सफल हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन घुसपैठियों का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्। यह सही है कि चरवाहे और बकरवाल, गर्मी के मौसम के दौरान अपनी भेड़ों और बकरियों के साथ अपने घरों से निकल कर अपने क्षेत्र में ऊंचे चारागाहों पर चले जाते हैं।

(ख) और (ग) ऐसे दृष्टान्त हैं जबकि उग्रवादी चरवाहों और बकरवालों के पास शरण लेते हैं। कुछ आसूचना के अनुसार ऊंचे स्थानों/जंगलों में सक्रिय उग्रवादी उनसे शरण/भोजन लेते हैं और हमारी सीमा में बकरवालों के भेष में घुषपैठ करते हैं।

इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों में सम्मिलित है :-

(1) सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा गहन गश्त।

(2) सुभेद्य स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा पिकटों की स्थापना।

(3) इन चारागाहों की अनियत नाकाबंदी और आकस्मिक जांच।

(4) चरवाहों/बकरवालों को, उपयुक्त शिनाख्त के लिए पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

टाइप-I आवासों में अतिरिक्त सुविधाएं

4684. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली/दिल्ली में टाइप-I आवासों में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो मदवार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में विशेषकर नानकपुरा तथा आर०के० पुरम में टाइप-II आवासों में भी ऐसी ही अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं के कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोक्ता प्रभार की अदायगी पर नई दिल्ली/दिल्ली में टाइप-I आवासों में आबंटियों के अनुरोध पर अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जहां ये मौजूदा मानदंडों के अनुरूप नहीं है।

(ख) सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये सविधाएं नई दिल्ली/दिल्ली में सभी सरकारी कालोनियों में टाइप-I आवासों में आबंटियों के अनुरोध पर उक्त विषय पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके द्वारा सामान्य प्रभार की अदायगी पर मुहैया कराई जा रही है।

(ग) से (ङ) संलग्न विवरण में यथा उल्लिखित सुविधाएं, नानकपुरा और आर०के० पुरम सहित सभी सरकारी कालोनियों में आबंटियों के अनुरोध पर, उक्त विषय पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके द्वारा सामान्य प्रभार के भुगतान पर व धनराशि की उपलब्धता के आधार पर, उपयुक्त समय में पहले ही मुहैया कराई जा रही है जहां यह मौजूदा मानदंडों के अनुरूप नहीं है।

विवरण

टाईप-I और टाइप-II सरकारी आवासों में मुहैया कराई जाने वाली सुविधाएं

क्र.सं.	मदें
1.	चिमनी तोड़ना
2.	कुकिंग स्लैब पर कोल स्टोन
3.	किचन सिंक और ड्रेनेज बोर्ड
4.	वाश बेसिन
5.	लुकिंग मिरर
6.	ग्लास शैल्फ
7.	लॉफ्ट टैंक
8.	शौचालय में ग्लेजड टाइल्स और रसोई में कुकिंग स्लैब से ऊपर ग्लेजड टाइल्स
9.	प्रवेश द्वार पर वायर गौज शटर
10.	रसोई की खिड़की में वायर गौज
11.	फेंसिग
12.	लोहे का गेट
13.	इंडियन डब्लू सी ओ यूरोपियन डब्लू सी में बदलना या इसके विपरीत
14.	कर्टेन राड
15.	सी सी पेवमेंट/स्केवर मी०
16.	पावर प्वाइंट
17.	लाइट प्वाइंट
18.	पंखा और पंखा प्वाइंट
19.	कॉल बेल
20.	फ्लूरोसेंट ट्यूब फिटिंग (ट्यूब और स्टार्टर को छोड़कर)

[हिन्दी]

भारतीय जेलों में बंद विदेशी

4685. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों के नागरिक विभिन्न अपराधों के दोषी पाए जाने के कारण भारतीय जेलों में बंद पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश-वार ऐसे कितने अपराधी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) देश में जेलों में दोष सिद्ध विदेशी व्यक्तियों और विचारणाधीन कैदियों की देश-वार सूचना का विवरण संलग्न है।

विवरण

31.12.99 को विदेशी कैदियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	विदेशी कैदियों की संख्या	देश का नाम, जिससे वे संबंधित हैं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	07	बंगलादेश-02, नाईजीरिया-01, इराक-01, जोर्डन-01, पाकिस्तान-02
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	
3.	असम	13	बंगलादेश-11, नेपाल-02
4.	बिहार	01	अफगानिस्तान-01
5.	गोवा**	23	फ्रांस-03, जर्मनी-03, तंजानियां-04, ब्रिटेन-07, इसराईल-01, अपरीमा-01, स्विटजरलैंड-01, जापान-01, अस्ट्रिया-01, नेपाल-01
6.	गुजरात	125	पाकिस्तान-120, पोलैंड-01, ब्रिटेन-01, स्विटजरलैंड-01, ल्यूसिया केराबीयन आइलैंड (वेस्ट इंडीज)-01, बंगलादेश-01
7.	हरियाणा	12	केन्या-05, ग्रीक-01, ईरान-01, पाकिस्तान-04, वेस्ट इंडीज-01
8.	हिमाचल प्रदेश	15	जापान-02, इंगलैंड-02, इसराईल-05, जर्मनी-01, जांबिया-01, फ्रांस-01, लेबनान-01, तिब्बत-01, इटली-01
9.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	
10.	कर्नाटक**	10	बंगलादेश-01, श्रीलंका-03, तिब्बत-04, नेपाल-02
11.	केरल	उपलब्ध नहीं	
12.	मध्यप्रदेश	04	तंजानिया-01, सेंटबोरूसिया-01, आस्ट्रेलिया 01, कीनिया 01
13.	महाराष्ट्र	177	अफगानिस्तान-01, अस्टेया-01, अस्ट्रेलिया-01, असंट्रेया 01, बारबोडस 01, बेलजियम-01, ब्रिटेन-03 ब्रुरूंडी-01, कनाडा-01, कांगो-01, सेन्ट्रल अफ्रीका-01, फ्रांस-02, घाना-01, ईरान-05, ईराक-01, इटली-01, कीनिया 09, लेबनान-01, माले-03, मॉरीसस-03, नीदरलैंड-01, नाइजीरिया 66, नार्थ घाना-02, पाकिस्तान-07, सिंगापुर-01, सोमालिया-02, साउथ अफ्रीका 25, श्रीलंका-09, तंजानिया-22, युगांडा-01, जांबिया-01, जिम्बाबे-01

1	2	3	4
14.	मणिपुर	04	म्यांमार-04
15.	मेघालय**	30	बंगलादेश और म्यांमार (ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं)
16.	मिजोरम	14	म्यांमार-04
17.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं	
18.	उड़ीसा	08	स्वाईलेंडियन-01, श्रीलंका-06, थाईलैंड-01
19.	पंजाब	154	पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, जर्मनी, म्यांमार, ईरान, माले और युगांडा (ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं)
20.	राजस्थान	51	पाकिस्तान-38, अफगानिस्तान-02, म्यांमार-01, चीन-01, कीनिया-02, जोर्डन-01, नेपाल-03, साउथ अफ्रीका-01, सैंट्रल अमरीका-02
21.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	
22.	तमिलनाडु	101	श्रीलंका-94, मलेशिया-01, नाइजीरिया-05, सोमालिया-01
23.	त्रिपुरा	10	बंगलादेश-09, म्यांमार-01
24.	उत्तर प्रदेश	17	पाकिस्तान-04, बंगलादेश-12, ब्रिटेन-01
25.	पश्चिम बंगाल	694	नाइजीरिया, म्यांमार, श्रीलंका, ब्रिटेन, लोतीविया, पश्चिम अफ्रीका, सउदी अरब और बंगलादेश (ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं)
26.	अ० और न० द्वीपसमूह	203	इंडोनेशिया-02, म्यांमार-197, श्रीलंका-04
27.	चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं	
28.	दादरा ओर नगर हवेली	0	
29.	दमन ओर दीव	0	
30.	दिल्ली	69	अफगानिस्तान-19, आस्ट्रेलिया-03, बंगलादेश-14, ब्रिटेन-05, कनाडा-02, कैमरून-01, चीन-03, फिनलैंड-03, फ्रांस-2, जर्मनी-03, ग्रीक-01, जार्जिया-01, घाना-01, हांगकांग-01, हालैंड-01, ईरान-01, इसराईल-02, इटली-02, जापान-01, कीबिया-01, लीबीया-01, माले-01

नोट:- **30.6.1999 तक

[अनुवाद]

अनापत्तिपत्र जारी किया जाना

4686. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान ओखला एन्कलेव के निर्माण के लिए निर्माताओं को डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस विभाग के पास आज की तिथि के अनुसार ऐसे प्रमाणपत्रों के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) अपेक्षित प्रमाणपत्रों को जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) "अनापत्ति प्रमाणपत्र" के लिए सभी आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) चूंकि ओखला एन्कलेव फरीदाबाद जिले में एक निजी विकासक द्वारा विकसित किया जा रहा है इसलिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया जाना है, केन्द्र सरकार द्वारा नहीं, क्योंकि भारत के संविधान की राज्य सूचि की प्रविष्टि-5 के अनुसार "स्थानीय शासन" राज्य का विषय है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् बी०एड० डिग्री अथवा उसके समकक्ष डिग्री प्रदान करने वाले किसी पाठ्यक्रम के लिए पत्राचार शिक्षा अथवा ओपन दूरस्थ शिक्षा सहित दूरस्थ शिक्षा अथवा आमने-सामने शिक्षण को छोड़कर किसी अन्य रीति के माध्यम से शिक्षा देने वाले अथवा ऐसे शिक्षा देने का विचार कर रहे संस्थानों के लिए मान्यता तथा कोई अन्य नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए अनुमति की शर्तों का अवधारण (संशोधन) विनियम, 1998 जो 20 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 28-9/96 एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एज्युकेशन बी०एल०एड० की मान्यता हेतु मानक और शर्तें) विनियम, 1998 जो 20 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 28-4-/98-99/एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय शिक्षक परिषद् (शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम—सी०पी० एड०, बी०पी० एड० और एम०पी० एड० की मान्यता हेतु मानक और शर्तें) विनियम, 1998 जो 20 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 28-3/98-99/एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (संस्थानों की मान्यता और प्रशिक्षण का नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति के लिए मान्यता हेतु आवेदन, जमा कराने की विधि, शर्तों का अवधारण) (संशोधन) विनियम, 1998 जो 27 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-11/95-एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2272/2000]

(2) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2273/2000]

(4) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, कानपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, कानपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2274/2000]

(5) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट

ऑफ टैक्नोलोजी, कानपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (4) और (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2275/2000]

(7) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2276/2000]

(9) (एक) नेशलन काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशलन काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशलन काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) नेशलन काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2277/2000]

(11) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी 2278/2000]

(13) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2279/2000]

(15) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित् पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2280/2000]

(18) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2281/2000]

(20) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2282/2000]

(22) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2283/2000]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी की ओर से कम्प्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन लिमिटेड और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2284/2000]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

दसवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 39 छठा सत्र, 193

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2285/2000]

(दो) विवरण संख्या 25 बारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2286/2000]

(तीन) विवरण संख्या 16 सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2287/2000]

ग्यारहवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 18 दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2288/2000]

(दो) विवरण संख्या 16 तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2289/2000]

(तीन) विवरण संख्या 16 चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2290/2000]

(चार) विवरण संख्या 14 पांचवां सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2291/2000]

बारहवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 12 दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2292/2000]

(दो) विवरण संख्या 9 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2293/2000]

(तीन) विवरण संख्या 8 चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2294/2000]

तेरहवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 5 दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2295/2000]

(दो) विवरण संख्या 4 तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2296/2000]

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2000 जो 22 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 473(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका शुद्धि-पत्र 4 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 584(अ) में केवल हिन्दी में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पासपोर्ट (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 22 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 485(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका शुद्धि-पत्र 29 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 632(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पासपोर्ट (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 22 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 529(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पासपोर्ट (दूसरा संशोधन) नियम, 1999 जो 29 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 827(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2297/2000]

(2) अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 472(अ) जो 22 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 5 के अंतर्गत जारी हुई थी और जो केन्द्रीय पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों के लिए फीस के भुगतान में छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2298/2000]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सेन्टर फार डी०एन०ए० फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायोग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार डी०एन०ए० फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायोग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2299/2000]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति परिलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पेंशन (संशोधन) नियम, 2000 जो 11 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 661(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2300/2000]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2301/2000]

(3) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2302/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

"(1) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 21 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित समपहरण (निरसन) विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

(2) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 21 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

(3) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 21 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गये सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(4) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 21 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 11 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 21 अगस्त, 2000 को यथा-पारित समपहरण (निरसन) विधेयक, 2000 तथा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन विधेयक, 2000 को भी सभा पटल पर रखता हूं।"

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारत के महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी पहले प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(2) पाईर्राट्स फास्फेट्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड–देहरादून यूनिट के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.03½ बजे

रेल अभिसमय समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगी विषयों और उनसे संबंधित कार्यवाही सारांशों के बारे में रेल अभिसमय समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

याचिका समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति (तेरहवीं लोक सभा) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04¾ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा० बी०बी० रमैया (एलूरू): महोदय, मैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय–संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में दिशानिर्देशों में संशोधन के प्रस्तावों के संबंध में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पांचवा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा संबंधी (बारहवीं लोक सभा) के "सैन्य छावनियां" संबंधी पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी समिति (1999-2000) का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05¼ बजे

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं "एअर इंडिया का विनिवेश" के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक के संबंध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के संबंध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र-2000 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक और आगे बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के संबंध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र-2000 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक और आगे बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा, अब 'शून्य काल' लेगी।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही नोटिस दिया है। सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री हन्नान मोल्लाह बोलेंगे।

श्री हन्नान मौल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं सभा के समक्ष एक गम्भीर मामला रखना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय एक ऐसे अधिकारी का संरक्षण और बचाव करने की कोशिश कर रही है जिसने राजकोष को कम से कम 1000 करोड़ रुपयों का घाटा पहुंचाया है। यह बहुत बड़ा कांड है। महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश में शुल्क में छूट की योजना है जिससे आयात निर्यात में शुल्क की छूट मिलती है। इस योजना के अर्न्तगत लोग कुछ वस्तुओं का आयात करते हैं और उनमें कुछ परिशोधन करने के बाद उनका निर्यात कर देते हैं। लेकिन कतिपय समूह इन वस्तुओं का आयात तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें देश ही में बेच रहे हैं और अपना निर्यात दायित्व नहीं निभा रहे हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों से सांठगांठ करके वे निर्यात दायित्व के सम्पन्न होने का फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। सरकार को कम से कम 100 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है। एक कम्पनी समूह इस कार्य में पिछले सात या आठ सालों से संलिप्त है कलकत्ता पत्तन में एक सीमा शुल्क अधिकारी 14 साल तक रहा जबकि उसे वहां मात्र छः वर्ष की कार्यावधि तक रहना था वह इन्हीं कार्यों में लिप्त रहा है। जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो को 1996 में इसकी सूचना मिली तो मामले को दबाने का प्रयास किया गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो 1997 में मामले को दायर करने में सफल हो सका।

तत्पश्चात्, क्या हुआ कि कलकत्ता सीमा शुल्क विभाग के डी०ई०सी० अनुभाग में आग लग गई *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बात को समझिए कि आज 'शून्य काल' में मामले उठाने के लिए 52 नोटिस है। कृपया, अपनी बात समाप्त करें।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का समय दें।

महोदय, मैं सभा में सभी प्रपत्रों और जमाओं को प्रमाणित करूंगा। महोदय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा लिखा गया पत्र मेरे पास है। कलकत्ता सीमा शुल्क विभाग के इस विशेष अनुभाग में आग लग गई और प्रपत्र जल गए। जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन कम्पनियों को नोटिस जारी किए तब उनमें से विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तो उनका उत्तर था कि उनके सभी लेखा-पुस्तकें गुम हो गई हैं। अन्ततः केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उस विशेष अधिकारी के विरुद्ध मामला दायर करने की अनुमति मांगते हुए 3 मार्च को अपर वित्त सचिव को पत्र लिखा। इसके बाद क्या हुआ कि *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद का समय नहीं है। यह शून्य काल है। आप संक्षिप्त में उन बातों का उल्लेख करें जिन्हें आप कहना चाहते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, वित्त मंत्रालय ने इस बात की अनुमति नहीं दी। उस अधिकारी का नाम पदोन्नति की सूची में 37वें क्रम में है और अगले सप्ताह उसको पदोन्नति दी जा सकती है। उसकी पदोन्नति के बाद, इस अधिकारी के विरुद्ध मामला दायर करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा और सामान्यतः उसके अभियोजन के लिए वित्त मंत्रालय अनुमति नहीं दे सकेगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री सी०पी० राधाकृष्णन।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, यह उस अधिकारी जिसने राजकोष को 100 करोड़ रुपयों का घाटा पहुंचाया, को संरक्षण देने और मामले को दबाने का प्रयास है और उस अधिकारी को अतिरिक्त सीमा शुल्क समाहर्ता के बतौर बंगलौर भेज दिया गया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों को 'शून्य काल' में अपने मामले उठाने नहीं दे रहे हो।

श्री हन्नान मोल्लाह : वह अपने राजनीतिक स्वामी की सहायता कर रहा है। अब वह धनराशि के संग्रहण में उनकी सहायता कर रहा है। भ्रष्टाचार का यह गम्भीर आरोप है। सरकार, का वित्त मंत्रालय उस अधिकारी को पदोन्नति दिए जाने में मदद कर रहा है *(व्यवधान)* केन्द्रीय जांच ब्यूरो का पत्र मेरे पास है। मैं मांग करता हूं कि सरकार को उस अधिकारी के अभियोजन की अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ कहना है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, आप अन्य सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। क्या सरकार को इस बारे में कुछ कहना है?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मान्यवर, माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह जी ने जो विवरण दिया है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में उसे लाऊंगा और जो भी उचित होगा वह करेंगे।

श्री सी०पी० राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से इस 'शून्य काल' में सभा के ध्यानाकर्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

महोदय, यह मामला मात्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसका संबंध देश में प्याज की खेती करने वाले पूरे कृषक समुदाय से है। जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि पिछले एक वर्ष से प्याज की कीमतें न्यूनतम रही हैं और अब नए प्याज की पैदावार बाजार में आनी आरम्भ हो गई है। मेरे क्षेत्र में प्याज की बाजार दरें 1.75 रुपये प्रति किलो है जबकि इसके उत्पादक किसानों को प्रतिकिलो प्याज की कीमतें 1 रुपये से लेकर 1.25 रुपये के बीच मिल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सत्र के ये अंतिम दिन चल रहे हैं। कृपया, अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें, तत्पश्चात् ही मैं कई सदस्यों को मौका दे सकता हूं। कृपया, मेरे लिए भी बाधा उत्पन्न न करें।

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : मेरे क्षेत्र में पैदा होने वाली प्याज की किस्म को लोकप्रिय रूप से लाल बड़ा बिलेरी प्याज के रूप में जाना जाता है। यह बहुत अच्छी प्याज की किस्म है लेकिन यह शीघ्र ही सड़ जाती है। लगातार मौसमी बारिस ने प्याज उत्पादक इन किसानों का जीवन और अधिक दूभर कर दिया है। इस प्याज को ऐसी नमी की हालत में संरक्षित करके रखना किसानों के लिए अत्यधिक कठिन है। मेरे क्षेत्र में पहले ही दस लाख टन प्याज की पैदावार हुई है और आगामी महीने में दस लाख टन की और पैदावार होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप इसे 'शून्य काल' में नहीं पढ़ सकते हैं। आप कैसे पढ़ सकते हैं?

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : मैं दो मिनट और लूंगा।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस कृषक समुदाय और घिमाड़ी मजदूरों को बचाने के लिए प्याज के निर्यात से पूरा प्रतिबंध उठा दें। इवस मामले में त्वरित कार्रवाई के रूप में, नैफेड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे क्षेत्रों पोंलालौर पोलादाम, पोलाची, उडुमलाई पेट, कुन्डाडाम, और टेंकासी से कम से कम पांच लाख टन प्याज की खरीद का कार्य आरम्भ करना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं, सफाई कर्मचारियों से संबंधित उस राष्ट्रीय आयोग को भंग किए जाने से संबंधित भारत सरकार की एक ऐसी निन्दात्मक हेकड़ी की कार्रवाई आपके ध्यान में लाता हूं जिसे कि 1993 में संसद ने अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया था। आपने भी इसे समर्थन दिया था। इस अधिनियम ने सरकार को देश के सभी शहरों और गांवों में घटिया स्तरीय और अमानवीय जीवन यापन कर रहे सफाई कर्मचारियों के लिए एक आयोग की स्थापना किए जाने का निर्देश दिया था। दुर्भाग्ययवश, इस आयोग का कार्यकाल जहां का तहां है, इसने वर्ष 2002 तक जारी रहना था। भारत सरकार को दिनांक 17 जून 1997 की अधिसूचना यह कहती है और मैं इसे पढ़ता हूं। कल्याण मंत्रालय की यह अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3 में प्रकाशित हुआ और उसका मतलब यह है कि सफाई कर्मचारियों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1993 को मार्च 2002 तक बढ़ा दिया गया है।

लेकिन इस विशेष मंत्री* ने इस संसद में आए बिना ही इस आयोग को भंग कर दिया। उन्होंने एक साक्षात्कार दिया। इस साक्षात्कार का एक अजीब सा अंश इस प्रकार है *(व्यवधान)*। यह संबंधित मंत्री श्रीमती मेनका गांधी हैं जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। उन्होंने 'द ऑवजर्बर' को एक साक्षात्कार दिया है। मैं उनके साक्षात्कार की मात्र दो पंक्तियों ही उद्धृत करता हूं। आप उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को देखें। उनका कहना है कि इसकी अवधि स्वयं ही समाप्त हो गई और वह इस आयोग का पुनर्गठन नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहां तक कि आपने इसका नोटिस नहीं दिया फिर भी मैंने आपको बोलने की अनुमति दी क्योंकि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : यह उदण्डता और उनकी शक्ति के दुरुपयोग का कार्य है *(व्यवधान)* मैं सरकार से, और विशेषत: माननीय संसदीय कार्य मंत्री से पूछता हूं। क्या वे संसदीय प्रणाली के मानक का उल्लंघन कर सकते हैं? *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : संसद ने आयोग गठित किया है। वे इसे कैसे भंग कर सकते हैं? *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : यह सभा की कार्यवाही का भाग बन रहा है। इन्हें नोटिस देने की परवाह भी नहीं है। अब, इन्हें बोलने की अनुमति भी मिल गई है *(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : यह 2002 तक रहेगा *(व्यवधान)* यह संसद का अधिनियम है *(व्यवधान)* यह कैसे भंग किया जा सकता है? *(व्यवधान)* वह आयोग को भंग कैसे कर सकती हैं?

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : आपने नोटिस नहीं दिया है। आपके पास नोटिस देने का टाइम नहीं है और आप बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : हमने नोटिस दिया है। नोटिस आपको नहीं, स्पीकर को देना होता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। कृपया यह समझिए।

फिर भी, मैंने इन्हें अनुमति दी है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बूटा सिंह जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी बात कहने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। यदि वे ऐसा कोई विषय उठाना चाहते हैं, तो उन्हें इस बारे में पहले लिखकर देना चाहिए था। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, उसे मैं संबंधित मंत्री महोदय के संज्ञान में लाऊंगा, लेकिन जैसा वे कह रहे हैं, वैसा नहीं है। यह सरकार दलित और पिछड़े वर्गों के लिए बहुत चिन्तित है। हमारी सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो इन वर्गों के विरुद्ध जाता हो और जैसा वे कह रहे हैं वैसा कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुद्दागाड़ा पद्मानाभम्।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, हम इस मुद्दे पर न्याय चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया, हम आज भी अनुसूचित जाति/जनजाति संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। उस समय भी आप यह मुद्दा उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : यह संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में नहीं है। यह एक अलग मामला है *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : यह संसद के अधिकारों का उल्लंघन है। संसद ने एक समिति गठित की है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे चुके हैं। मंत्री जी, क्या आप सरकार की ओर से कुछ और कहना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि जो माननीय सदस्य ने कहा है, उसे मैं संबंधित मंत्री महोदय के संज्ञान में लाऊंगा और यदि कोई बात होगी, तो वे इस बारे में बताएंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या है? आपने मामला उठाया है और संसदीय कार्य मंत्री जवाब भी दे चुके हैं। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री मुद्रागाड़ा पद्मानाभम् (काकीनाड़ा) : मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान, आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी पर चल रही इच्छमपल्ली और पोलवरम् सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति पर दिलाना चाहता हूं, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन से ही लंबित पड़ी हैं। इसे लगभग 50 वर्ष हो चले हैं। हालाकि ये नाम आंध्र प्रदेश में सब की जुबान पर है, किंतु इस कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया था कि इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में कार्यान्वित किया जाए किंतु सरकार ने इस संबंध में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करी। ये परियोजनाएं एक महान ब्रिटिश इंजीनियर, सर आर्थर कॉटन ने प्रस्तावित की थीं।

यदि इच्छमपल्ली परियोजना पूरी हो जाती है तो इससे तीन लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी तथा 1100 मे०वा० बिजली का उत्पादन हो सकेगा। इसकी भंडारण क्षमता 285 टी०एम०सी० फिट होगी।

पोलावरम् परियोजना तो मूलत: सर आर्थर कॉटन द्वारा शुरू की गई थी, किंतु तद्पुरांत इसे पंडित जवाहर लाल नेहरू के मंत्रीमण्डल में केन्द्रीय मंत्री और जाने-माने इंजीनीयर डॉ० के०एल०राव० ने जारी रखा। यदि उनके सपने साकार हो जाएं तो इससे चार तटीय जिलों की 7.5 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और 750 मे०वॉ० बिजली पैदा की जा सकेगी।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि आजीविका सम्पन्न इन परियोजनाओं को तुरंत राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में प्रारंभ किया जाए। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उन लोगों के पुर्नवास पर भी कोई ध्यान दिया है जहां से परियोजनाएं चलाई जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, शहरी विकास मंत्री श्री जगमोहन जी ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला रखा है। उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण रुके नहीं हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। जगमोहन जी ने जो अवैध निर्माणों को रोकने की मुहिम छेड़ी हुई है उसमें मैं इनका साथ देता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अवैध निर्माण के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है, उसके बावजूद रिहायशी क्षेत्रों में आज भी बड़े पैमाने पर अवैध मार्केट निर्माण पर कोई रोक नहीं लगी है बल्कि अवैध मार्केट निर्माण बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली हाइकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें कहा गया है कि बहुमंजिले भवनों (अपार्टमेंट्स) को गिरा दिया जाए, लेकिन उसका भी कोई विशेष असर देखने में नहीं आ रहा है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि क्या ऐसे अवैध निर्माणों के लिए जिम्मेदार अफसरों, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ए.ई. या जे. ई. जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी?

अध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार एरिया के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इन अवैध मार्केट निर्माणों के लिए उत्तरदायी ठहरा कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूं कि अवैध निर्माण दिल्ली में नहीं रुकेंगे। जब तक संबंधित अधिकारियों और क्षेत्रीय ए०ई० और जे०ई० के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक यदि सरकार यह उम्मीद करे कि ये अवैध निर्माण रुक जाएंगे, तो वह संभव नहीं है।

पिछले दिनों आपने देखा होगा, पूर्व आयुक्त पकड़े गए, एक इंजीनियर-इन-चीफ भारी रिश्वत के मामले में पकड़ा गया। बड़े-बड़े ब्यूरोक्रैट्स के बच्चे फौरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं। सरकार को इन सारे मामलों की जांच करनी चाहिए। जब तक संलग्न अफसरों, चाहे वे डी०डी०ए० के हों चाहे कार्पोरेशन के हों, पर जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी, तब तक ये रुकेंगे नहीं और दिल्ली साफ नहीं होगी।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में पूर्वांचल की समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्त्ता ने कल प्रदर्शन किया। लेकिन उस प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पांच सौ से अधिक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हुए। युवक कांग्रेस के ऑल इंडिया अध्यक्ष श्री सुरजेवाला सहित सैंकड़ों कार्यकर्त्ता अभी भी अस्पताल में हैं। इसके बाद उन लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए। वहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं पर लाठी चार्ज चला। जो लोग उनसे मिलने गए, उनके बारे में जांच करने गए, पुलिस ने उनको भी अंदर कर दिया। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस नहीं दिया।

श्री रमेश चेन्नितला : मैंने सुबह नौ बजे नोटिस दिया है। *(व्यवधान)* यह इतना बड़ा ईशू है। पूर्वांचल की समस्या को लेकर *(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : युवक कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को पुलिस ने मारा है। *(व्यवधान)* यह साधारण घटना नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : इस घटना पर सरकार को स्टेटमैंट जरूर देना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नितला : उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह सब किया है। सरकार की तरफ से स्टेटमैंट की जरूरत है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने सदस्य को ही बोलने नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें टोक रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। वे रेज कर रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इतनी बड़ी घटना को वे अकेले रेज करेंगे। *(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : मेरा निवेदन है कि सरकार को इसके ऊपर एक स्टेटमेंट देना चाहिए। सैंकड़ों कार्यकर्त्ता अभी भी अस्पताल में हैं। *(व्यवधान)* यह क्या डैमोक्रेसी है। शांति से अपनी समस्याओं को उठाने वालों पर लाठी चार्ज कैसे होगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ० रंजीत कुमार पांजा (बारासाट) : महोदय, मैं आपका ध्यान आज के स्टेट्समैन के एक समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि भारत में चिकित्सा शिक्षा का भविष्य अंधकारमय है। वे जानते हैं कि मूल कारण चिकित्सा शिक्षा है जिसे बजाय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होना चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की चिकित्सा शिक्षा में नाममात्र रुचि भी नहीं है और वह केवल मरीजों की चिकित्सा और देखभाल तक ही सीमित है। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि लगभग 30 सालों तक चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा होने के कारण मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि यह वक्तव्य सही नहीं है।

महोदय, इसके साथ-साथ, इस स्टेटमेंट में एक और लेख है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ के छात्रवृत्ति कांड की वजह से शैक्षिक संस्थानों के आठ प्राचार्यों को निलंबित कर दिया गया है।

महोदय, मैं इस तथ्य पर बल देना चाहूंगा कि ये रिपोर्टें इस ओर इशारा करती हैं कि मंत्रालय या विभाग बदल जाने से सामान्य या व्यावसायिक शिक्षा के स्तर और मनोबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कांती सिंह। महोदया, आज हम रेलवे के अनुदानों की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आज रेलवे की सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर चर्चा है, उस समय आप यह मामला रेज कर सकती हैं।

[अनुवाद]

डॉ० रंजीत कुमार पांजा : महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, आप शून्य काल के दौरान आप यह सारा नहीं पढ़ सकते। आप जो कहना चाहते हैं, संक्षेप में कह सकते हैं।

डॉ० रंजीत कुमार पांजा : महोदय, क्या मैं अपनी बात समाप्त करूं?

अध्यक्ष महोदय : बहुत संक्षेप में।

डॉ० रंजीत कुमार पांजा : मैं, बहुत संक्षेप में कहूंगा, महोदय।

महोदय, आज, चिकित्सा शिक्षा के अंदर स्नातकों और स्नातकोत्तरों, उसकी व्यवस्था, अध्यापकों और अध्यापकों व विद्यार्थियों के चयन में बहुत सावधानी व उनके मूल्यनिर्धारण की आवश्यकता है। हमारी जाति बुद्धिमान है। केवल बुद्धि प्रयोग की कमी तथा शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ रही रणनीति ही इसका कारण है।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैंने अभी सफर किया है, इसलिए मैं यह मसला उठा रही हूं। पुरुषोत्तम एक्सप्रैस नई दिल्ली से चलकर कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय, सासाराम, देहरी, औरंगाबाद और गया होती हुई जमशेदपुर से पुरी तक जाती है। पुरुषोत्तम एक्सप्रैस टाटा के लिए खास तौर पर सबसे अच्छी ट्रेन है, लेकिन इसमें ए०सी० फर्स्ट क्लास का डिब्बा नहीं है, ए०सी० टू टियर की एक बोगी है और ए०सी० थ्री टियर की भी एक बोगी है। इतनी लम्बी दूरी तय करने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रैस में बहुत सारे

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोग सफर करते हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि उसमें ए०सी० फर्स्ट क्लास का डिब्बा लगाया जाये और ए०सी० टू टियर और ए०सी० थ्री टियर की बोगी बढ़ायी जाये।

इसके साथ ही उसके शौचालयों और डिब्बों की सफाई वगैरह भी ठीक से नहीं होती है। जो बैडरोल दिया जाता है, इसका जो आर०के० वाला बहुत बड़ा कांट्रेक्टर कांट्रैक्ट लेता है, उसकी बैडरोल की स्थिति भी बहुत दयनीय हो चुकी है। जब हम लोगों के साथ इस तरह की बातें होती हैं तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। उसमें भी सुधार लाने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? मैं सभी को बुला रहा हूं। श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी आप प्रश्न काल के दौरान भी व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे और अब शून्य काल के दौरान भी आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने मुझे जवाब देने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : किसके बारे में?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : खजुराहो के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट के बारे में मैंने जीरो ऑवर में मामला उठाया था, उन्होंने कहा था कि सोमवार को इसका जवाब देंगे *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम पूछेंगे। श्री आठवले, सभा में आपका व्यवहार मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे यह कितनी बार कहना पड़ेगा? आप इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेते? यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको अध्यक्षपीठ से अनुमति लेनी होगी। बिना अध्यक्षपीठ की अनुमति के आप हमेशा कैसे बोल सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खीरी में बिजली आपूर्ति की कमी से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिचाई नहीं हो पा रही है, सुरक्षा की समस्या है तथा नागरिक क्षेत्रों में रोजगार की तथा उत्पादन की समस्या है। इस क्षेत्र में कई चीनी मिलें हैं, जिनके पास अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हो रहा है। सरकार को निजी विद्युत उत्पादकों से बात करके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे विकास के अवसर बढ़ सकें। प्राथमिक स्तर पर कुछ प्रयास किये गये हैं, परन्तु लालफीताशाही के कारण अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। सरकार से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में तत्काल व्यवस्था करे। *(व्यवधान)*

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान हिमाचल प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के लुहारों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, जबकि तरखान जाति, जो उसी परिवार का अंग है, उनको अनुसूचित जाति नहीं माना जाता है। इसी प्रकार पुराने हिमाचल के क्षेत्रों में गद्दी और गूजर समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना जाता है, लेकिन राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में जो नये क्षेत्र शामिल किये गये, उनमें बसने वाले गद्दी और गूजरों को अनुसूचित जनजाति नहीं माना जाता है, यह घोर विसंगति है। जब हम इस बारे में प्रश्न करते हैं तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार कहते हैं कि हमने इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया हुआ है, जबकि इसमें समिति के गठन का प्रश्न न होकर केवल विसंगति को दूर करने का मामला है।

प्रदेश के पुराने हिस्से में गद्दी और गुज्जरों को अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं प्राप्त हैं और नए क्षेत्र में रह रहे गद्दी और गुज्जरों को इससे वंचित रखा गया है। हिमाचल प्रदेश, 1996 में राज्य पुनर्गठन, में शामिल हुए नए क्षेत्रों में गद्दी और गुज्जर लोगों को अनुसूचित जनजाति की सुविधा दी जाए और तरखान जाति को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। इसी के साथ मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि लवाना जाति को भी अनुसूचित जाति माना जाए और यह विसंगति जल्दी से जल्दी दूर की जाए।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आप को एसोसिएट करते हुए एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने नोटिस दिया है?

श्री महेश्वर सिंह : दिया है। जैसा अभी सदन के माननीय सदस्य ने कहा, इन गद्दी और गुज्जरों की संस्कृति और भाषा वही है जो पुराने हिमाचल में इन लोगों की है। इसलिए इसमें कोई समिति या उसकी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं, केवल मंत्री जी को प्रशासनिक आदेश देना है। अगर यहां से आदेश चला जाए तो यह विसंगति दूर हो सकती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप खुद को माननीय सदस्य श्री सुरेश चंदेल के साथ मिला सकते हैं। अब श्री के० फ्रांसिस जार्ज बोलेंगे।

श्री के० फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, भारत सरकार ने महानिदेशक, विदेश व्यापार के मार्फत एडवांसड अनुज्ञप्तिसुदा उद्योगपतियों को प्राकृतिक रबड़ लेटैक्स के आयात की अनुमति दी है। यह पूरी तरह अनुचित कदम है क्योंकि पिछले दो महीनों के दौरान प्राकृतिक

[श्री के० फ्रांसिस जार्ज]

रबड़ लैटेक्स की कीमतें स्थिर हैं और असल में, यह कम भी हो रही हैं। इस ऑर्डर से छोटे किसानों और सार्वजनिक क्षेत्र और नीति क्षेत्र के लैटेक्स उत्पादन करने वाले कारखानों का पूरा लॉट ही बर्बाद हो जाएगा। यह देश के साधारण छोटे और मध्यम रबड़ उत्पादकों के जीने-मरने का मामला है। विशेषत: केरल के छोटे व मध्यम रबड़ उत्पादकों का बुरा हाल हो जाएगा क्योंकि 95 प्रतिशत रबड़ केरल के साधारण किसानों द्वारा ही उत्पादित किया जा रहा है।

इसलिए, मैं सरकार से, यह आदेश वापिस लेने का अनुरोध करूंगा जो प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स के आयात के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार के माध्यम से जारी किया गया है। बस यही है, धन्यवाद *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, इसी विषय पर श्री कोडीकुनील सुरेश और श्री पी०सी० थॉमस ने भी नोटिस दिया है। वे स्वयं को श्री फ्रांसिस जार्ज के साथ रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री कोडीकुनील सुरेश (अड्डूर) : महोदय, सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और प्राकृतिक रबड़ और लैटेक्स का आयात बंद कर किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री पी०सी० थॉमस (मुवत्तुपुजा) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : आप भी स्वयं को एसोसिएट कर सकते हैं।

श्री पी०सी० थॉमस : महोदय, एक पहलू और है। रबड़ का यह आयात असल में रोक दिया गया था। अब, जैसी की नीति है, आयात नहीं किया जा रहा है। मगर अब, इसी खास आदेश से, रबड़ लैटेक्स आयात किया जा रहा है। यह एक ही बात है। इसलिए, इसके उद्देश्य से यह नीति ही बेकार हो जाएगी। तो, कुछ कदम तुरंत उठाए जाने चाहिए *(व्यवधान)* महोदय, यह एक गंभीर मसला है जिस पर हमें सरकार की प्रतिक्रिया चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, इससे केरल के हजारों किसान प्रभावित होंगे। यह वापिस लिया जाना चाहिए। इस विषय पर मैं, श्री फ्रांसिस जार्ज के साथ हूं *(व्यवधान)*

श्री पी०सी० थॉमस : महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मसला है।

श्री के०फ्रांसिस जार्ज : महोदय, हमारे देश में ही काफी उत्पादन हो रहा है *(व्यवधान)*

श्री पी०सी० थॉमस : महोदय, माननीय मंत्री, श्री प्रमोद महाजन यहां उपस्थित हैं।

श्री के० फ्रांसिस जार्ज : महोदय, हमें सरकार से जवाब चाहिए।

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : महोदय, सरकार को जवाब देना चाहिए। यह एक गंभीर मसला है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, यह रबड़ के मूल्य में कमी के बारे में है। क्या सरकार की ओर से कोई जवाब है?

श्री पी०सी० थॉमस : यह नीति से बाहर है और नीति से भिन्न है। *(व्यवधान)* आपको कुछ करना चाहिए। यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं सरकार से उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं संबंधित मंत्री के साथ इस संबंध में बात करूंगा। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। मैं संबंधित मंत्री से बात करूंगा। *(व्यवधान)*

श्री राम नायडू दग्गुबाटि (बापतला) : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के बाद से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का जीवन स्तर सुधारने के लिए केन्द्र और राज्य के बजट में प्रत्येक वर्ष कई सौ करोड़ रुपये आबंटित किए जा रहे हैं। परन्तु यह नहीं पता कि क्या इस राशि को उसी काम के लिए खर्च किया जा रहा है जिसके लिए यह दिया गया था या किसी अन्य काम में लगाया जा रहा है। परन्तु इसके साथ ही, यह नहीं कहा जा सकता कि इन लोगों के जीवन स्तर में कोई पर्याप्त सुधार हुआ है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि समाज के इन वर्गों में फैले संदेहों को दूर करने के लिए अ०जा०, अ०ज०जा० और अ०पि०व० के लोगों को लेकर एक समिति गठित की जाए जो इस बात की जांच करे तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि वार्षिक बजट में दिखाई गई राशि वास्तव में खर्च की गई है या नहीं और यदि हां तो क्या वह जरूरतमंद लोगों तक पहुंची है या नहीं या ऊपर बैठे लोगों के साथ मिलकर इसका दुरुप्रयोग तो नहीं किया गया है।

डॉ० विक्रम सरकार (पंसकुरा) : महोदय, मैं इस विषय पर माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष, महोदय, पश्चिम बंगाल की अधिकांश जनसंख्या आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र में रहती है। वर्ष 1980 से एक स्कीम के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आर्सेनिक और ऐसी ही अन्य समस्याओं को केन्द्र सरकार ने शत प्रतिशत वित्त पोषित करके निपटाया था। परन्तु जब पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना तथा मालदा और अन्य आठ जिलों की आर्सेनिक की समस्या का समाधान करने का प्रस्ताव भेजा *(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैं उसी जिलें से हूं। कृपया मुझे भी इस विषय पर कुछ कहने की अनुमति दें। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, एक स्कीम शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत 75 प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार देगी और शेष 25 प्रतिशत सहायता राज्य सरकार को वहन करनी होगी। इस स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा था। अचानक ही सरकार ने बिना संसद को सूचित किए और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति में चर्चा किए बिना ही इस स्कीम को वापस ले लिया। भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार से आर्सेनिक की इस समस्या को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निपटाने के लिए कह रही है। अगर यह काम इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है तो उन जिलों में जल की आपूर्ति, जो आर्सेनिक से प्रभावित नहीं हैं, काफी प्रभावित होगी। हरेक को पेयजल देने का कार्यक्रम काफी प्रभावित होगा। पश्चिम बंगाल सरकार इस समस्या का समाधान करने में असमर्थ है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती ने भी सूचना दी है। आप भी उनके साथ ही चर्चा कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, चूंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है इसलिए मैं इस पर कार्रवाई की मांग करता हूं। केन्द्र सरकार ने स्कीम वापस ले ली है। उन्हें इसे फिर से लागू करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्री येरननायडू ने इसको स्वीकृति दे दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जब श्री येरननायडू मंत्री थे तब उन्होंने इसको मंजूरी दी थी।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : जी हां, मैंने इसे मंजूरी दी थी।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानता हूं कि जब वे संयुक्त मोर्चा सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे तब उन्होंने इस परियोजना को मंजूरी दी थी।

अध्यक्ष महोदय : अब क्या आप केवल उन्हें ही पूछ रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वे उस सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिसने इसे वापस ले लिया था। मेरी मांग है कि भारत सरकार ने जिस स्कीम को वापस ले लिया था उसे फिर से कायम किया जाए और केन्द्र सरकार को आगे आकर आर्सेनिक की समस्या सुलझाने में पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता करनी चाहिए। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री को राज्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर आर्सेनिक की इस समस्या पर चर्चा करके इसका समाधान करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, माननीय मंत्री पश्चिम बंगाल से हैं तथा हमने माननीय श्री सुन्दर लाल पटवा के साथ बैठक की थी। उन्होंने भी श्री येरननायडू की तरह आश्वासन दिया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री तरित बरण तोपदार, आप कृपया बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। लोग बिना किसी गलती के जमीन के पानी में आर्सेनिक से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए एक व्यापक स्कीम शुरू की गई है। परन्तु केन्द्र सरकार ने इसे अचानक वापस ले लिया। राज्य सरकारों का क्या होगा? मैं नहीं जानता कि इस समय इसका समर्थन करने के लिए श्री येरननायडू खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है।

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं। यह पार्टी का मामला नहीं है। आपके लोग भी अगर उन क्षेत्रों में होते तो वे भी प्रभावित होते। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री जी को उत्तर देना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, आप श्री बसुदेव आचार्य का समर्थन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, जिस समस्या का उन्होंने उल्लेख किया है वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक जिले में है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री के० येरननायडू।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हर बात को उलझा रहे हैं, यहां तक कि छोटी बातों को भी।

(व्यवधान)

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : इससे पहले यह स्कीम केन्द्र सरकार से संबंधित थी। भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह स्कीम राज्यों को स्थानांतरित कर दी गई थी। अब, 75 प्रतिशत धन केन्द्र सरकार देती है और 25 प्रतिशत निधि राज्य सरकार देती है। स्कीम काफी अच्छी चल रही थी। परन्तु इसे राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने से, विशेषकर आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र में बड़ी स्कीमों को लेने के लिए, राज्य सरकारों के लिए इसे जारी रखना कठिन हो गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यथा स्थिति कायम रखी जाए फिर सभी स्कीमें सही चलेंगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार ने पेयजल की इस समस्या के बारे में कोई उत्तर दिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है और मैं इसे ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष उठाऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस समय वह आई०सी०यू० में हैं। परन्तु मैं निश्चय ही इस बारे में उनसे बात करूंगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह इस मामले को ग्रामीण विकास मंत्री के साथ उठाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को ग्रामीण विकास मंत्री के साथ उठाएंगे।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती : मेरा जिला प्रभावित हुआ है। मैंने नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे एक और घोषणा करनी है।

पिछली अनुसूची के अनुसार, 1 बजे तक ''शून्य काल'' होगा *और 1 से 1.30 बजे तक मध्याह्न भोजन अवकाश होगा। अगर यह* सभा सहमत हो तो हम मध्याह्न भोजन अवकाश को छोड़कर नियम 184 के अधीन प्रस्ताव पर गृह मंत्री के उत्तर को ले सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, हम चाहते हैं कि ''शून्य काल'' जारी रहे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम 'शून्य काल' को 1 बजे तक जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : हम कई मामले उठाना चाहते थे। सभा की कार्रवाई अगले दो दिनों में खत्म हो जाएगी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मूर्ति, मैं एक एक करके सदस्यों को बुला रहा हूं।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : महादेय, आपको हम सभी को बलाना होगा। हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र वापस जाकर यह बताना होगा कि हमने वे मुद्दे उठाए हैं या नहीं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पी०आर० खुंटे (सारंगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं सूखे की गम्भीर समस्या की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के अनेक जिले विशेषकर सारंगढ़ संसदीय क्षेत्र सूखे की चपेट में आ गया है। भादो माह चल रहा है और छत्तीसगढ़ जिसको भांड़ का कटोरा कहा गया है, वहां के किसान सूखे का सामना कर रहे हैं। पानी के अभाव में कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश शासन इस विषय पर चिन्तित नहीं है। वहां पर खेतिहर मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। हजारों की संख्या में वहां से पलायन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश शासन को वहां बड़े पैमाने पर राहत कार्य खोलने चाहिए, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में किसी भी प्रकार की पहल नहीं की है, जिससे वहां के चिंतित और दुखी किसानों को राहत मिल सके। वहां बिजली का भी संकट व्याप्त है, जिसके चलते विद्युत पम्प बन्द पड़े हुए हैं और किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है।

इसलिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है कि वहां बड़े पैमाने पर राहत कार्य खोले जायें, अधूरा सिंचाई की योजनाओं को पूरा किया जाए। इसके साथ छत्तीसगढ़ जिले को अकाल क्षेत्र घोषित कर अकाल संहिता लागू की जाए।

श्रीमती सुशीला सरोज (मिसरिख) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिनांक 18 अगस्त, 2000 के दैनिक निष्पक्ष प्रतिदिन समाचार की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं।*

मान्यवर* *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री बी० वेंकटेस्वरलु (वारंगल) : महोदय, मुझे यह मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले की जंगल की लगभग 53 हैक्टेयर भूमि को श्रीराम सागर परियोजना नहर, डी बी एम 48 में खुदाई कार्य करने के लिए दिए जाने का

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।
**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आंध्र प्रदेश सरकार का एक प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति हेतु भेजा गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय के सुझावों के अनुरूप वन क्षेत्र की आवश्यकता को अब नहर की चौड़ाई को कम करके 53 हैक्टेयर से घटाकर 39.322 हैक्टेयर कर दिया है। नहर के पुनर्निर्धारण की संभावना की जांच भी की गई है और यह पाया गया है कि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है और 10.06.2000 को हमारे मुख्य मंत्री ने तद्नुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय को सूचित किया गया है।

उक्त परियोजनाओं के तहत, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आंध्र पदेश के उग्रवाद प्रभावित एवं पिछड़े वारंगल जिले में 80000 हैक्टेयर वाली इस सम्भाव्य नियोजित सिंचाई योजना के निर्माण के लिए यथाशीघ्र 39.322 हैक्टेयर वन भूमि के विपणन की अनुमति प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री अरूण कुमार (जहानाबाद) : महोदय, अभी 19 तारीख को बिहार के इमामगंज में जिस तरह समानांतर सरकार चल रही है और नक्सली संगठनों ने वहां के विद्यार्थियों को जन-अदालत में सजा दी, इस कारण से स्कूल के विद्यार्थियों ने रोड जाम किया और प्रशासन को इसकी ओर इंगित कराने का काम किया। इसी बीच पटना जिले की पुलिस ने स्कूली छात्रों पर जिस तरह गोली और लाठी का प्रयोग किया, उससे आठ-13 और एक 18 वर्ष का बच्चा पुलिस की लाठी का शिकार हुआ। उन्हें नदी में पानी में डाल दिया गया। पुलिस की क्रूरता इस हद तक हुई है कि जब पूरे इलाके के लोग लाश तलाशने में पानी में जाना चाहते थे तो पुलिस ने बेरहमी से वहां के लोगों को मारा-पीटा। तीन दिन के बाद जब पूरे इलाके को घेर लिया तब लाश बरामद हुई। अब स्कूली छात्रों को भी वहां की बर्बर पुलिस सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि वहां जो समानांतर सरकारें चल रही हैं और जिस तरह पुलिस बेलगाम हो गई है, उस पर यहां कमेटी बनाई जाए। जिस तरह वहां दलित महिलाओं और छात्रों के साथ पुलिस बेरहमी के साथ कार्यवाही कर रही है, निरंकुशता चला रही है *(व्यवधान)* महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए संसदीय कमेटी बना कर पूरे मामले की जांच कराई जाए। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : महोदय, मैं भी इससे अपने को संबद्ध करती हूं। मेरा नाम है, मैंने नोटिस भी दिया है। वहां इतना ही नहीं हुआ है बल्कि जो औरत लाश को लेकर वहां घेराव करने के लिए गई थी, उसे भी पीटा गया।

अध्यक्ष महोदय : आप भी इसमें एसोशिएट कर सकती हैं।

श्रीमती रेनु कुमारी : क्या उस महिला को इतना भी अधिकार नहीं है कि वह अपने मरे हुए बच्चे के साथ लिपट कर रोए। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए। चाहे इसके लिए वहां की सरकार दोषी हो, या पुलिस पदाधिकारी दोषी हों या कोई और हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में इससे बढ़ कर दूसरा कोई अन्याय नहीं है। जिस तरह बिहार में जुल्म हो रहे हैं, उसे देखते हुए वहां की सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उनकी सरकार को समर्थन देने वाले भी उतने ही दोषी हैं। यदि केन्द्र सरकार संवेदनशील है तो एक जांच कमेटी नियुक्त करें और न्याय दिलवाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर कोड़ीवाग और करवार के बीच काली पुल को 1984 में यातायात के लिए खोला गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग तब से ही इस पुल पर गुजरने वाले वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स वसूल कर रहा है। इस पुल पर कुल निर्माण 391.22 लाख रुपये आई थी और अब तक इस टोल टैक्स के माध्यम से पुल की पूर्ण निर्माण लागत और निवेश से भी अधिक धनराशि वसूल कर ली गई है।

महोदय, स्थानीय लोग इस टोल टैक्स की वसूली को समाप्त करने के लिए बार-बार आग्रह करते रहे हैं क्योंकि यहां पथकर भी वसूल किया जा रहा है और इस पुल के अनुरक्षण का कार्य बिना पथकर के भी किया जा सकता है। वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से मैं विभाग से अपील करती हूं कि इस बावत यथाशीघ्र निर्णय किया जाए कि क्या इस पुल की निर्माण लागत की वसूली कर ली गई है और स्थानीय लोगों की सहायता करने के लिए इस टोल टैक्स को समाप्त किया जाए।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, समाचार पत्रों और समाचार अभिकरणों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन वृद्धि के संबंध में एक वेतन बोर्ड की नियुक्ति की गई थी। राष्ट्रीय पत्रकार संघ और पत्रकारों के अनेक प्रतिनिधि संघों ने इस बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं। इस वेतन बोर्ड की सिफारिशों को 10 वर्ष पूर्व ही घोषित किया जाना था लेकिन उसने अपने प्रतिवेदन को साढ़े पांच वर्ष बाद सरकार को सौंपा। इस प्रतिवेदन में अनेक विसंगतियां हैं।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे की सुनवाई करें और राष्ट्रीय पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों से उनकी समस्या के समाधान के लिए वार्तालाप आरम्भ किया जाए।

अपराह्न 12.53 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*]

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। बिहार राज्य में भोजपुर,

[श्री राम प्रसाद सिंह]

रोहतास, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद और जहानाबाद आदि उद्योग विहीन जिले हैं। बिहार राज्य से झारखंड निकालने के बाद इन जिलों की आबादी करीब एक करोड़ है। यहां के पढ़े-लिखे नौजवान किसान के बेटे हैं। यह कृषि आधारित इलाका है, यहां के युवकों को कोई योजगार मुहैय्या नहीं होता है। वे भूख से मारे-मारे फिरते हैं। इससे वे गलत रास्ते की ओर चले जाते हैं। इस इलाके में उग्रवाद और एम०सी०सी० का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। किसानों को खेती के लिए समुचित पानी नहीं मिलता। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वहां छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए, जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, उनको रोजगार दिया जाए और सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था की जाए ताकि एम०सी०सी० और उग्रवाद के प्रभाव से इस जिले को मुक्त किया जा सके।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों के वेतनमानों में 1.1.1996 से संशोधन करके 1998 में अपनी स्वीकृति राज्य सरकारों को दे दी थी। केन्द्र सरकार के आदेशानुसार 12.5.1999 को राजस्थान के विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिये अपनी स्वीकृति दे दी थी। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान सरकार को शिक्षकों के एरियर्स के रूप में 75 करोड़ रुपये दिये लेकिन विश्वविद्यालय के शिक्षकों को एरियर न मिलने पर वे धरने और हड़ताल पर बैठे हुये हैं।

सभापति महोदया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिए ग. . करोड़ रुपये पिछले दो साल से पड़े हुए हैं और शिक्षकों को न. दिए गए है। शिक्षकों के धरने और हड़ताल पर जाने से विद्यार्थियों की शिक्षा पर कुप्रभाव पड़ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय राजस्थान सरकार को निर्देश प्रदान करे कि शिक्षकों का बकाया एरियर जल्दी से जल्दी दिया जाए।

[अनुवाद]

डॉ० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस बुरी स्थिति की ओर आकर्षित करता हूं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उच्च पदों की रिक्तियों को न भरे जाने से संबंधित है। इन रिक्तियों की संख्या समाचार पत्रों के अनुसार निर्धारित समय तक 40 है। पिछली 31 जुलाई को एन०टी०पी०सी० के अध्यक्ष सेवानिवृत्त हुए। सरकार को दो साल पहले से यह मालूम था कि वह अमुक तारीख को सेवानिवृत्त होंगे? इसके बावजूद भी, उनका पद खाली क्यों पड़ा है? यह बहुत पुराना नियम है। व्यवहारिक रूप से इस नियम को 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इस नियम के अनुसार ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए मंत्रीमंडल का अनुमोदन आवश्यक है। इसका अर्थ है कि मंत्री वहां सर्वोच्च प्राधिकारी नहीं है। सार्वजनिक सेवा चयन बोर्ड पैनल तैयार करता है और उसके बाद यह मंत्रालय को भेजा जाता है, वहां से स्वीकृति मिलने के बाद यह गृह मंत्रालय जाता है। कश्मीर और ऐसे अन्य मुद्दों पर गृहमंत्री की पूर्व व्यस्तता के कारण यह भी उनके कार्यालय में लम्बित पड़ी फाइलों से जुड़ जाता है। उसके बाद यह प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाता है। इस अव्यवहारी, अप्रचलित पुरानी प्रक्रिमा को बदला जाना चाहिए। इस बारे में अंतिम प्राधिकार संबंधित मंत्रालय के प्रभारी मंत्री को दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। मैने जनपद एटा के डी०एम० एवं एस०एस०पी० द्वारा विशेषाधिकार हनन के मामले की सूचना दी थी, उसके बारे में कल कहा गया था कि निर्णय सदन के उठने से पहले लिया जाएगा। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं कि क्या हुआ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमने मामले के तथ्यों के लिए कहा है, इसी बीच, संसदीय दलों के नेताओं की बैठक में कल यह सहमति हुई थी कि मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाए। अध्यक्ष महोदय के कार्यालय द्वारा विशेषाधिकार समिति को भेजने की फाइल प्रकाशित की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : सभापति महोदय, क्या वह विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है।

सभापति महोदय : हां, वह भेज दिया है।

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, फिजी में भारतीय मूल के लोगों पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। उनको तबाह किया जा रहा है। उनके पास सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं है। उन पर मनमाने ढंग से शर्तें थोपी जा रही हैं। उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं और उनके होटलों में आग लगाई जा रही है। यह हर्ष का विषय है कि वहां के अपदस्थ प्रधानमंत्री आजकल भारत आये हुये हैं जिनको राजकीय सम्मान प्रदान किया गया है।

सभापति महोदय, जिन जिन देशों में भारतवंशी रहते हैं और जब-जब उन लोगों पर कोई मुसीबत आती है तो वे हमारे देश की ओर देखते हैं क्योंकि उन लोगों को यहां से एकमात्र सहारा मिलता है। भारत हमेशा पीड़ितों का पक्ष लेता रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि फिजी में जो भारतमूल के लोग रहते हैं, वर्तमान शासक उन लोगों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, उससे एक प्रकार से उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है।

अपराह्न 1.00 बजे

1869 में जब हिन्दुस्तान में अंग्रेजों का शासन था, तब फीजी में भी अंग्रेजों का शासन था। तब भारतवासियों को एक प्रकार से गुलाम बनाकर फीजी में ले जाया गया था। लेकिन उन लोगों ने वहां जाकर अपने स्वाभिमान और पुरुषार्थ के बल पर इतनी अधिक मेहनत करके फीजी को एक उन्नतिशील राष्ट्र का स्थान प्रदान किया और वहां अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया और फीजी की कायापलट कर दी। आज वहां चालीस प्रतिशत से ज्यादा आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। अत: मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि इस समय वहां की निरंकुश सरकार भारतीय मूल के लोगों की उपेक्षा कर रही है, इसलिए सरकार उन जुल्मों को समाप्त करके वहां लोकतंत्र बहाली में सहयोग प्रदान करके श्री महेन्द्र चौधरी को फिर से प्रधान मंत्री नियुक्त कराये, यही मेरी प्रार्थना है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को अवसर दे रही हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, बिहार राज्य के नालंदा शहर में नव नालंदा बिहार एक संस्था है, जो भारत सरकार के कल्चर डिपार्टमैंट द्वारा चलाई जाती है। यह एक आटोनोमस आर्गेनाइजेशन है। यहां डा० विष्णु सत्यपाल जी, डा० रविन्द्र कुमार पंत जी और डा० विमलेन्दु कुमार जी इन तीनों का निदेशक पद के लिए इंटरव्यू हुआ था। इनमें श्री विष्णु सत्यपाल जी बुद्धिस्ट थे, उसके बावजूद भी निदेशक पद पर उनकी नियुक्ति न करते हुए वहां डा० रविन्द्र कुमार पंत जी की नियुक्ति कर दी गई। मेरी सरकार से मांग है कि डा० विष्णु सत्यपाल जी इसमें सीनियर थे और वहां उनका अपाइंटमैंट होना चाहिए था। मगर जानबूझकर उन्हें अवॉइड करते हुए डा० रविन्द्र कुमार पंत जी का अपांइटमैंट कर दिया गया। मेरी मांग है कि उन्हें बर्खास्त करके वहां डा० विष्णु सत्यपाल जी का अपाइंटमैंट किया जाए। मैं इस बारे में सरकार से जानना चाहता हूं, पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कहां हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं।

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, हमें सरकार से रिप्लाई दिलवाइये।

सभापति महोदय : जीरो ऑवर में रिप्लाई नहीं मिलता है। आप बैठ जाइये।

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, सरकार को रिस्पांड तो करना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश राज्य की कोरबा-बीना-कटनी विद्युत लाइन परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। इस पर नौ सौ करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस नौ सौ करोड़ रुपये में से तीन सौ करोड़ रुपये नये छत्तीसगढ़ राज्य को देने पड़ेंगे, जबकि नये छत्तीसगढ़ राज्य को उस बिजली परियोजना की एक यूनिट बिजली का भी लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि कोरबा-बीना-कटनी विद्युत लाइन परियोजना के पास होने के बाद बिना कारण तीन सौ करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ छत्तीसगढ़ राज्य पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही 22 हजार करोड़ रुपये के कर्ज में दबी हुई है तथा इसके कारण नये छत्तीसगढ़ राज्य को भी भार उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस परियोजना के कारण नये छत्तीसगढ़ राज्य पर जो आर्थिक बोझ लादा जा रहा है, उससे इस राज्य को बचाया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा इस पर रोक लगाई जाए और नये छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जैसा कि पहले निर्णय किया जा चुका है कि माननीय मंत्रीजी का उत्तर देने का समय 1 बजे होगा, और वह समय हो गया है। इसलिए, प्रतीक्षारत सदस्य जिन्हें 'शून्य काल' में मामले उठाने के लिए अवसर दिया जाना था समयाभाव के कारण मैं उन्हें यह अवसर नहीं दे सकती।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदया, मैं सभा में उस समय नहीं था। मेरे उप नेता ने मुझे बताया कि कल संसदीय दल के नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि माननीय गृह मंत्री अपराह्न 1.30 बजे चर्चा में हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए, तदनुसार हमने अपने सदस्यों को सलाह दी कि वे अपराह्न 1.30 बजे उपस्थिति रहें। बाद में मुझे पता चला कि समय को आगे बढ़ाने के लिए सभा में प्रस्ताव रखा गया है।

मैं समझता हूं कि संसदीय कार्यमंत्री और सत्तापक्ष सभा के कार्य में सहयोग इसी तरह से चाहते हैं तो विपक्ष के लिए हर बार ऐसा कर पाना कठिन हो जाएगा।

मैं जानता हूं कि सभा सर्वोच्य है और सभा के विचार भी लिए जाएं। यदि कल यह निर्णय लिया गया होता कि सभा की बात मानी जाए तो अध्यक्ष के चैम्बर में नेताओं को बुलाकर यह चर्चा करने और निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता कि हम इसे इस तरीके से करेंगे। यह नहीं होना चाहिए कि किसी की सुविधा के लिए समंजन किया जाए बल्कि यह होना चाहिए कि पूरे विपक्ष की सुविधा के लिए समंजन किया जाए। हमें कहा गया था कि माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और अपराह्न 1.30 बजे हस्तक्षेप करेंगे लेकिन अब एक बजे ही यह किया जा रहा है। यह कैसे किया जा सकता है? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह घोषणा माननीय अध्यक्ष महोदय ने की थी।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : तब तो मैं पूर्ण सम्मान सहित कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय को अपने चैम्बर में बैठकें नहीं करनी चाहिए *(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : श्री प्रियरंजन दासमुंशी का कहना सही है कि कल अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में पार्टियों के नेताओं के साथ यह निर्णय हुआ था कि 1 बजे आधे घंटे के लिए दोपहर के भोजन के लिए अवसान होगा और अपराह्न 1.30 तक मैं चर्चा में भाग लेने आऊंगा और उसके बाद श्री प्रियरंजन दासमुंशी उत्तर देगें, लेकिन मात्र दस या प्रन्द्रह मिनट पूर्व मुझे संदेश मिला कि मैं सभा में अवश्य आऊं क्योंकि समय के बारे में फिर से विचार किया गया और माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि यह कार्य एक बजे किया जाएगा। इसलिए, मैं आया हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि इसे अपराह्न 1.30 बजे लिया जाए *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदया, कार्यसूची में भी यही बात है कि ''नियम 377 के अधीन मामलों'' के बाद ही इसे लिया जाएगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ऐसा कई बार हुआ है कि कार्य पड़ने पर सभा ने निर्णय लिया कि वह दोपहर के भोजन के लिए अवकाश नहीं लेगी।

अपराह्न 1.08 बजे

[अध्यक्ष महोदय, *पीठासीन हुए*]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, हमने ह्विप जारी किया है कि माननीय गृह मंत्री वाद-विवाद में अपराह्न 1.30 बजे भाग लेंगे और हमारे सभी माननीय सदस्य उस समय उपस्थिति रहें क्योंकि मत-विभाजन की संभावना है। यदि इसी बीच, ऐसा आधे घंटे पूर्व किए जाने का निर्णय लिया गया है तो मैं इस बारे में दयनीय स्थिति में हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने सभा की राय भी ली है। 'शून्य काल' से संबंधित बचे अन्य मामले कल भी जारी रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके प्रति पूरा सम्मान है और मैं इस मामले को एक बजे लेने के आपके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, लेकिन कहना चाहता हूं कि आपने अपने चैम्बर में सभी नेताओं की सहमति लेकर निर्णय किया कि हम इस प्रस्ताव पर अपराह्न 1.30 बजे तक चर्चा जारी रखेंगे और उसके बाद उत्तर और मतदान होगा, तदनुसार हमने ह्विप भी जारी किया। मैने ऑर्डर पेपर में देखा था कि 'शून्य काल' के पश्चात् 'नियम 377 के अधीन मामलों' को लिया जाएगा किंतु अब आपने सभा की सहमति लेकर, निर्णय ही बदल डाला। मेरी आपसे यह अपील है कि आपको चैम्बर में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए और हमेशा सभा में ही सहमति प्राप्त *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि मैंने ही आपसे निवेदन किया था। यह बात सही है कि डेढ़ बजे का समय तय हुआ था। उसके बाद मैंने किसी वहज से संसदीय कार्य मंत्री जी से और आपसे निवदेन किया। मुझसे यह भूल हुई कि मैं माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी को विश्वास में नहीं ले पाया और इसलिए यह शुरूआत एक बजे से हो रही है। मैंने कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण यह प्रार्थना की थी जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता। श्री दासमुंशी जी का विश्वास मैं नहीं ले पाया इसकी वजह से कनफ्यूजन नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : यदि प्रस्ताव, प्रमुख विपक्षी दल द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उलझन होगी और आप इसे पहले ही उठाना चाहते हैं। हमें अंधेरे में रखा गया है। आप सभा में आए और अचानक ही यह हो गया। क्या यह सही है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके विनिर्णय को संदेह की दृष्टि से नहीं देख रहा हूं किंतु विपक्ष से हमेशा सहयोग की आशा रखने का यह कोई तरीका नहीं है। हमने अपने नेता के साथ-साथ सभी माननीय सदस्यों को विशेष ह्विप जारी किया था कि माननीय गृह मंत्री 1.30 बजे बोलेंगे और वे सभी 1.30 बजे उपस्थित रहें। यदि इसे आधा घण्टा पहले प्रस्तुत करने से किसी को सुविधा भी रही है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि निर्णय ही बदल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम उत्तर 1.30 बजे तक जारी रखेंगे। कृपया इसे मुद्दा ना बनाएं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय मंत्री 1.30 बजे बोलने के लिए तैयार हैं। क्या वे जल्दी में नहीं हैं। आप, 'शून्य काल' को हटा सकते हैं *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, क्या स्वतंत्रता सेनानियों का मुद्दा भी उठा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : हम सभा में पहले ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यह मुद्दा भी उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली में भीकाज़ी कामा प्लेस स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की धांधली के बारे में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले के बारे में आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, दिल्ली की दिलशाद कालोनी के एक छात्र श्री कुणाल कपूर ने पासपोर्ट के लिए आवेदन भी नहीं किया, लेकिन उसका पासपोर्ट उसके पते पर घर पहुंचा दिया गया। इसी प्रकार का एक और हादसा

हुआ जिसमें दाऊद इब्राहिम की मां श्रीमती अमीना का भी पासपोर्ट श्री रमेश शर्मा नाम के आदमी ने बनवाया था और उनके घर पहुंचा दिया गया। ये दोनों फाइलें दिल्ली पासपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय से गायब हैं। पुलिस और संबंधित अधिकारी इनकी जांच कर रहे हैं, लेकिन वे दोनों फाइलें अभी तक नहीं मिली हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पासपोर्ट कार्यालय में धांधली चल रही है और बार-बार फाइलें गायब कर दी जाती हैं। इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का पूरे देश में आतंकवाद फैलाने का इरादा है। इसलिए यह मामला और भी सीरियस हो जाता है। सरकार इसकी खोज करे कि दिल्ली स्थित भीकाजी कामा प्लेस के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से ये फाइलें क्यों गायब हो जाती हैं, वहां इतनी गैर-जिम्मेदारी से क्यों काम चल रहा है? इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का मैं सरकार से निवेदन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र विशाखापत्तनम से जुड़ा यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यहां के पूर्वी घाटों, पूर्वी गोदावरी, विजाग और विजिआनाग्राम जिलों में बॉक्साइड के प्रचुर भंडार हैं। हाल ही में कई सर्वेक्षण भी किए गए हैं। मिडिल-ईस्ट की कुछ पार्टियां बोदावरा के श्रीगांवरापुकोटा में एल्यूमीनियम प्लांट लगाने के लिए आगे आई हैं। यदि भारत सरकार, थोड़ी सी रुचि ले तो हम यह प्लांट लगा सकते हैं। हमें इसके लिए रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। मिडिल-ईस्ट की कंपनियां इसमें पैसा लगाने को तैयार हैं। हम बॉक्साइड और एल्यूमीनियम का उत्पादन कर उन्हें निर्यात कर सकते हैं। इससे हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। इसके अलावा पूर्वी गोदावरी, विजाग और विजियानाग्राम के पिछड़े जिलों में हम रोजगार के असीम अवसर भी जुटा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से सदन में उठाना चाहता हूं। हमारे जितने भी महान् पुरुष हुए हैं उनके कुछ न कुछ ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी विदेशों में हैं। जैसे भारत का प्राचीन कोहेनूर का हीरा, ब्रिटेन के कब्जे में है। इसी प्रकार से महाराजा पृथ्वीराज चौहान की समाधि कंधार में है, लेकिन ज्ञात हुआ है कि उनकी समाधि को प्रतिदिन वहां अपमानित किया जाता है। महाराजा पृथ्वीराज चौहान संपूर्ण देश के महान् योद्धा एवं सम्माननीय पुरुष थे जिनका नाम युगों-युगों तक याद किया जाता रहेगा। ऐसे महान् पुरुष की समाधि को कंधार में यदि अपमानित और लज्जित किया जाएगा, तो देशवासियों को दुख होना स्वाभाविक है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान की समाधि को कंधार से भारत लाया जाए और यहां बाकायदा विधि-विधान के अनुसार उनकी अन्त्येष्टि की जाए। इसी प्रकार महाराजा रणजीत सिंह के विदेशों में रखे अवशेषों को भारत लाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, बाबर भी एक आक्रामक राजा था। उसने इस देश को लूटा, यहां लोगों की हत्याएं कीं, लेकिन यदि उनकी समाधि को जूते लगाए जाएंगे, तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी। वही स्थिति आज इस देश के हिन्दुओं की हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि कंधार में बनी महाराजा पृथ्वीराज चौहान की समाधि को यदि अपमानित किया जाएगा, तो उससे भारतीयों की भावनाओं को ठेस लगनी स्वाभाविक है। इसलिए मेरी पुन: आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील है कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान की समाधि को वहां से उठवाकर यहां लाया जाए और यहां विधि-विधान के अनुसार उनकी अन्त्येष्टि की जाए, मुझे यही कहना है।

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने फूलपुर संसदीय क्षेत्र के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद इलाहाबाद की तहसील हंडिया के ऋषिपुर गांव के स्वतंत्रता सेनानी भुवर जी यादव जिनका जन्म 14 अगस्त, 1893 में एक किसान परिवार में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भू०पू० विधायक स्व० बाबू भुवर जी स्वतंत्रता संग्राम के एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहे और 1915 में राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बद्ध हो गए। स्वर्गीय भुवरजी 1915 से 1922 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्पर्क में साबरमती आश्रम के सदस्य रहे। 1930 से नमक सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया और छ: मास कैद की सजा पाई। जिस समय श्री भुवरजी जेल गए तो भारत कोकिला भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने तिलक लगा कर विदा किया। 1931 में फिर छ: मास के लिए कैद किए गए। 1932 से 1933 में राजद्रोह के आरोप में पकड़े गए और अठारह माह की कैद की सजा पाई। 1934 में छोड़े गए। 1940 में व्यक्तिगत आन्दोलन में भाग लिया। फिर अठारह माह की सजा पाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और भुवरजी को नजरबंद किया गया। 1952 से प्रथम विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गए। इस तरह उनका समूचा जीवन राजनैतिक आन्दोलन और राष्ट्र को समर्पित था। 1952 में भारत के प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू उनके घर गए और गांव ऋषिपुर, तहसील हंडिया, जनपद इलाहाबाद में पहुंच कर आपका आतिथ्य स्वीकार किया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे महान् स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भुवरजी की स्मृति में उनके गांव में स्मारक बनाया जाए और हंडिया रेलवे स्टेशन को भुवरजी रेलवे स्टेशन का नाम दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं केरल से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की ओर सभा और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। केरल में भीषण मानसून के कारण तटीय क्षेत्र कट गए हैं। केरल राज्य में समुद्री कटाव एक बड़ा संकट है। केरल का तटीय क्षेत्र करीब 6000 किलोमीटर लम्बा है। हालांकि तट पर दीवार बनाने का कार्य कई सालों से चल रहा है मगर सरकार यह काम पूरा नहीं करा पाई है।

इस संबंध में, यह काम पूरा करने के लिए, केरल राज्य केन्द्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध कर चुका है। चूंकि यह एक प्राकृतिक आपदा है, इसलिए

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

यही सही रहेगा कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की सहायता करे। हर साल ऐसा ही होता है। हर मानसून में तटीय कटाव होता है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतर मछुआरे बेघर हो जाते हैं। हर साल मानसून में उनके घर और झोंपड़े बह जाते हैं जिससे वे बेघर हो जाते हैं। इसलिए सरकार को हर साल नए घरों के लिए निधियां देनी पड़ती हैं। इसलिए, मेरे विचार से, इस प्राकृतिक आपदा को देखते हुए केन्द्र सरकार केरल में उत्तर-दक्षिण तट पर समुद्री तटीय दीवार के निर्माण के लिए अवश्य ही सहायता देगी।

मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर केरल सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी *(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं श्री वरकला राधाकृष्णन का समर्थन करता हूं *(व्यवधान)*

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा उठाया गया मुद्दा काफी गंभीर है। इससे केरल राज्य ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश भी प्रभावित है। आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों की मूल्यवान भूमि का भी कटाव हो गया है। सैंकड़ों एकड़ भूमि के कटाव के कारण लोग बेघर हो रहे हैं। यह काफी गंभीर समस्या है। समुद्रविज्ञान केन्द्र का विषय है। जहां भी भूमि कटाव हो रहा है, केन्द्रीय सरकार को वहां दीवार बनानी चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर तुरंत कार्यवाही की जाए *(व्यवधान)*

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा उठाए गए मुद्दे पर हम भी अपना समर्थन देते हैं।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : महोदय, इस मामले पर हम भी अपना समर्थन देते हैं *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मंत्री जी को ही जवाब देने दीजिए क्योंकि यह कई राज्यों का साझा मसला है।

श्री पोन राधाकृष्णन (नागरकोइल) : महोदय, कन्याकुमारी जिले की भी कुछ समस्याएं हैं। इस मसले पर मैं भी अपना समर्थन *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के बारे में आप क्या कहते हैं?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मैं यह समस्या संबंधित मंत्री की जानकारी में लाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में यातायात की समस्या का समाधान करने के लिए रेलवे विभाग के सहयोग से चार पुल बनाये जा रहे हैं, लेकिन अभी तक चारों पुलों का काम बहुत धीमा है और केवल एक पुल, जो झोटवाड़ा का पुल कहलाता है, जिसके दूसरी ओर बस्ती में लगभग आठ लाख व्यक्ति रहते हैं, निवास करते हैं, का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। उस पुल का उद्घाटन न होने के कारण, वह पुल तो बन गया, लेकिन पुल चालू नहीं हुआ, इस कारण से जयपुर के लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई हो रही है। मेरा निवेदन है कि झोटवाड़ा का पुल शीघ्र प्रारम्भ किया जाये और जो शेष पुल अधूरे रह गये हैं, उनको भी पूरा किया जाये। जयपूर शहर में जहां-कहीं भी यातायात की समस्या को हल करने के लिए और पुलों को बनाने की आवश्यकता है, वहां पर भी शीघ्र पुल बनाये जायें। यह मेरा आपके द्वारा निवेदन है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, स्वंतत्रता सेनानियों की स्थिति बहुत खराब है। यहां उपस्थित, माननीय गृह मंत्री के ध्यान में मैं यह लाना चाहूंगा कि पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों की हालत बहुत खराब है। वे ज्ञापन दे रहे हैं, राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को मिल रहे हैं। महोदय, स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्र सरकार से मिलने वाली पेंशन के अलावा राज्य सरकारें भी उन्हें कुछ राशि दे रही हैं। असम–1300 रु० प्रतिमाह, बिहार–750 रु० प्रतिमाह, हरियाणा–1600 रु० प्रतिमाह, केरल–2200 रु० प्रतिमाह, पंजाब–750 रु० प्रतिमाह, उत्तर प्रदेश–2,250 रु० प्रतिमाह, उड़ीसा–1000 रु० प्रतिमाह और त्रिपुरा राज्य–300 रु० प्रतिमाह की दर से उन्हें राशि दे रहे हैं?

किंतु महोदय, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यहां की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हाल ही में, अपनी इस शिकायत को लेकर वे माननीय राज्यपाल से भी मिले हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में एक नीति बनाई जाए ताकि सभी राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्र से मिलने वाली सहायता के अलावा भी संबंधित राज्यों से कुछ राशि प्राप्त हो सके। पश्चिम बंगाल सरकार से भी उन स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ राशि देने का आग्रह किया जाए जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े हैं *(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : सभी राज्य यह सहायता नहीं दे रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मैंने करीब ऐसे 14 राज्यों का जिक्र किया था *(व्यवधान)* उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। इसलिए, उन्हें इसका पता ही नहीं है *(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, ये तथ्यों को नष्ट कर रहे हैं। ये इतिहास को नष्ट कर रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है कि पहले एक मामला उठाया जाए और फिर उसे एक मुद्दा बना दिया जाए, श्री येरननायडू।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मैंने अपने वक्तव्य को प्रमाणित किया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा में यह उचित नहीं है कि सदस्य आपस में बात करें। उन्हें अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यावाही-वत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, कृपया अपना स्थान गृहण कीजिए।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, सभा में व्यवस्था नहीं है *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना, माननीय प्रधानमंत्री के लिए भी मायने रखती है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग बड़े शहरों से होकर निकलते हैं। इसलिए यदि हमें चार लेन बनानी पड़े, तो हमें सभी शहरों का अधिग्रहण करना पड़ेगा। यह महंगा काम है। इसलिए, बजाए इन शहरों को अधिग्रहण करने के यह आवश्यक है कि बाइ-पास सड़कों का निर्माण किया जाए। सर्वेक्षण का काम प्रारंभ हो चुका है और लोगों को डर है कि उनके घरों को न हटा दिया जाए। इसलिए, बाइ-पास सड़कों का निर्माण करना ही उचित है। भूमि अधिग्रहण और घरों को हटाने में हजारों-करोड़ों रु० की लागत आएगी।

इसलिए, केन्द्रीय सरकार से मेरी यह विनम्र अपील है कि बड़े शहरों से होकर जाने वाली चार लेनों के निर्माण के बजाए, बाइ-पास सड़कों का निर्माण किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेडिकल विभाग के परीक्षाफल में हो रही धांधली के विषय में आकर्षित करना चाहती हूं। मेडिकल की परीक्षा लेने वाले चाहे बी०एच०यू० हो, सी०बी०एस०ई० हो या एम्स हो, इन सबमें पेंसिल से परीक्षा ली जाती है। इससे सेंटर में परीक्षा के बाद उत्तर और रोल नम्बर मिटाने की सम्भावना बनी रहती है। मेरे क्षेत्र का एक विद्यार्थी हरिशंकर चौरसिया, पुत्र श्री जयप्रकाश चौरसिया, ग्राम और पो० बैसा, थाना परवत्ता, जिला खगड़िया, इन तीनों इंस्टीट्यूट्स में परीक्षा देने गया। बाद में वह मेरे पास रोते-कलपते हुए आया और उसने बताया कि बहुत अच्छे पेपर होने के बावजूद उसे फेल कर दिया गया। बी०एच०यू० में उसका रोल नम्बर 12263 है, सी०बी०एस०ई० में 1318637 है और एम्स में 802153 है। मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री जोशी जी, जो यहां उपस्थिति हैं, से अनुरोध करना चाहती हूं कि अगर इस तरह से धांधली हो और पैसा लेकर परिणाम निकाला जाए तो यह उचित बात नहीं है। उक्त विद्यार्थी का चैलेंज है कि चाहें तो उत्तर पुस्तिकाएं निकाल कर उसकी दुबारा जांच कर ली जाए। मैं आग्रह करना चाहती हूं कि इस तरह से प्रतिभा का हनन न हो, ब्रेन ड्रेन न हो इसलिए मंत्री जी वहां एक जांच कमेटी बिठाएं जो इसकी जांच करे, ताकि रोते-कलपते जो विद्यार्थी मेरे पास आया है, उसको न्याय मिल सके।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं यहां उपस्थित बुद्धिमान लोगों का ध्यान पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा की ओर दिलाना चाहता हूं *

महोदय, वो भूमि, जो अपने समृद्ध साहित्य, संस्कृति और कला के लिए देश-विदेश में विख्यात थी उसने ऐसी संस्कृति का विकास किया है जिससे या तो भा०का०पा० (मा०) नष्ट हो जाए और या फिर **(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि हम आज की संशोधित कार्य-सूची के मद सं० 19 पर चर्चा करें, उससे पहले आज के 'नियम 377 के अधीन मामले' सभा पटल पर रखे गए माने जाएंगे।

अपराह्न 1.30 बजे

नियम 377 के अधीन मामले#

(एक) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धानेरा, थारा, और दयोदर में टी०वी० ट्रांसमीटर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : मैं सरकार का ध्यान पाकिस्तान सीमा से जुड़े अपने संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के टी०वी० ट्रांसमीटरों

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।
**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
#सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री हरिभाई चौधरी]

के अभाव की तरफ दिलाना चाहता हूं कि धानेरा, थरा और दयोदर में टी०वी० ट्रांसमीटर नहीं हैं, जिसके कारण यहां पर पाकिस्तान के कार्यक्रम देखे जाते हैं। इन स्थानों पर टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने की सारी सुविधायें उपलब्ध हैं और राष्ट्रीय हित में है, जिससे हम पाकिस्तान के कुप्रचार के शिकार नहीं हो सकें।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि धानेरा, थरा और दयोदर में टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित किये जायें और बनासकांठा में एक रेडियो स्टेशन शीघ्र स्थापित किया जाये।

(दो) गुजरात के बालसाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी (बलसाड़) : वैसे तो समस्त देश में रहने वाले देशवासियों के समक्ष अनेक समस्यायें हैं, किंतु यातायात की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली हो या देश का कोई अन्य हिस्सा, यातायात की समस्या से सभी परेशान हैं। गुजरात राज्य में स्थित मेरा संसदीय क्षेत्र बलसाड़ भी इस समस्या से अछूता नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 140 कि०मी० लम्बी रेल लाइन है और उस पर स्थित वापी सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर अमलसाड, बिल्लीमारान, बलसाड आदि स्थानों से लोग काम करने के लिए आते और जाते हैं। किंतु वहां पर आने जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रेल व्यवस्था न होने के कारण वहां के लोगों में काफी असंतोष व्याप्त हो रहा है। क्योंकि बसों में आने जाने में जहां अनेक कठिनाइयां होती हैं, वहीं उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा किराये में ही निकल जाता है। गुजरात राज्य में होने वाली वर्षा का अधिकांश भाग मेरे ही क्षेत्र में होता है लेकिन रेलवे स्टेशनों पर शेड का कोई प्रबंध न होने के कारण लोगों को वर्षा के पानी से भीगना पड़ता है, जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त स्टेशनों पर आने जाने वाली सभी गाड़ियों को रोकने, स्टेशनों पर शेड का प्रबंध करने तथा कुछ स्थानीय रेलगाड़ियों को चलाने की व्यवस्था अविलम्ब करने की कृपा करें ताकि वहां के लोगों की परेशानियां दूर हो सकें और उनमें व्याप्त असंतोष समाप्त हो सके।

(तीन) मध्य प्रदेश में बिलासपुर से विमान सेवा पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, निवेदन है कि मध्य प्रदेश के नये छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर चकरभाट्ठा हवाई अड्डा की वायुदूत सेवा को बिना कारण बंद कर दिया गया है। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। उक्त क्षेत्र में कोरबा ताप विद्युत परियोजना है तथा बिलासपुर में एचसीसीएल मुख्यालय (कोल माइन्स) बिलासपुर रेलवे जोन मुख्यालय, रेल महाप्रबंधक ऑफिस, बिलासपुर सम्भाग, रायगढ़, सरगुजा एवं बिलासपुर के कमिश्नर ऑफिस मुख्यालय, दगोरी में स्पंज (आयरन) कारखाना, अकलतरा में सीमेंट के कारखाने व बिलासपुर में कागज बनाने के कारखाने हैं तथा औद्योगिक व व्यापारिक केन्द्र हैं। उक्त में हवाई सेवा न होने से तथा ट्रेन में अधिक समय लगने से आने जाने में कठिनाई हो रही है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एयर लाइन्स के विमान चलाने हेतु एवं वायुदूत सेवा के लिए जांच कर पुन: वायुदूत प्रारम्भ किया जाये, जिससे आम लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके तथा बिलासपुर जिले के चकरभाट्ठा हवाई पट्टी को चौड़ीकरण करने हेतु सर्वे कराकर राशि स्वीकृत की जाये, जिससे छत्तीसगढ़ के नये राज्य निर्माण में हवाई सेवा की प्रगति हो।

(चार) राजस्थान में अजमेर में हवाई अड्डे का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : अजमेर ऐतिहासिक, शैक्षिक, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्रता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। इस अजमेर नगरी में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकीदत के फूल चढ़ाने के लिए देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष अजमेर आते हैं इसी प्रकार अजमेर के पास ही स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थस्थली पुष्कर, जो तीर्थगुरू के नाम से विख्यात है, में भी प्रतिवर्ष देश विदेश के लाखों यात्री आते हैं। अजमेर रेल और सड़क मार्ग से तो देश के प्रमुख स्थलों से जुड़ा हुआ है परन्तु वायु सेवाओं से नहीं जुड़ा होने के कारण आने वाले पर्यटक यात्रियों को पहले दिल्ली और फिर वायुयान से जयपुर उतर कर सड़क मार्ग से अजमेर आना पड़ता है। बार-बार उतरने चढ़ने की परेशानी के कारण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 8 पर वाहनों की अत्यधिक भीड़ और दुर्घटनाग्रस्तता के कारण कई पर्यटक आने से कतराते हैं।

अजमेर में आने वाले अनेक महामहिम राष्ट्रपतियों एवं प्रधानमंत्रियों ने भी अजमेर में हवाई अड्डे की आवश्यकता अनुभव करते हुए अजमेर में हवाई अड्डा बनाने एवं वायुसेवा से जोड़ने का अनेक बार आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आवश्यक सर्वेक्षण करवाकर इसके लिए निर्धारित स्थान का चयन भी कर लिया है। परंतु अजमेर में हवाई अड्डा निर्माण की योजना पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। राजस्थान की वर्तमान तथा पूर्ववर्ति सरकारों ने भी भारत सरकार से अजमेर में हवाई अड्डे की स्थापना और इसे वायु सेवाओं से जोड़ने का आग्रह किया है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर में हवाई अड्डे की स्थापना को योजना में सम्मिलित कर शीघ्र ही हवाई अड्डे का निर्माण कराया जाये तथा इसे देश के हवाई मानचित्र पर अंकित करने के लिए वायु सेवाओं से जोड़ा जाये।

(पांच) हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड को अर्थक्षम बनाए जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कार्पो० लि० भारत सरकार का एक उपक्रम है जोकि फजलगंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस कम्पनी की अन्य शाखाएं जैसे मुम्बई, कलकत्ता, बंगलौर, मद्रास, दिल्ली आदि यूनिट आज भी व्यापार करके लाभ कमा रहे हैं एवं समय से वेतन इत्यादि ले रहे हैं। मात्र कानपुर एकक एवं अमृतसर एकक को बंद करके वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस कम्पनी में कोई मशीनरी इत्यादि खराब नहीं है। बिल्कुल चलने लायक है। इस यूनिट में बिना कोई आधुनिकीकरण किए पैकिंग का कार्य तुरंत शुरू किया जा सकता है। जैसा कि वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया पामोलीन पैकिंग का कार्य किया गया था। 12 जुलाई, 1995 से उत्पादन अचानक बंद हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई वनस्पति यूनिटों को प्रोत्साहन देते हुए करमुक्त किया जाना और एच०वी०ओ०सी० को व्यापार कर उत्पादन कर से जोड़े रखना ही इस कम्पनी का उत्पादन बंद करने से गहरा असर पड़ा है। इस कम्पनी को पुन: चलाने से पहले कम्पनी को व्यापार कर मुक्त किया जाये एवं इसमें बनने वाले वनस्पति घी एवं रिफाईन्ड रक्षा विभाग में ही दिया जाये एवं सरकार द्वारा संचालित रेलवे कैन्टीन में वितरण किया जाये। मजदूरों को समय से वेतन एवं अन्य सुविधायें दी जायें।

(छह) शाहजहांपुर में कोलाघाट पर बाहगुल-रामगंगा नदी पर पुल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : शाहजहांपुर में बहगुल-रामगंगा नदी पर कोलाघाट के स्थान पर एक पुल बनाने की मांग लगभग 2-3 दशकों से की जाती रही है और कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर एक पुल बनाने की परियोजना को स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। यह परियोजना कई विकास खंड एवं जनपद बदायूं, फरूखाबाद तथा अन्य कई जिलों को जोड़ती है जिससे कई हजार गांवों में लाखों जनता को लाभ पहुंचेगा। उदाहरण के लिए इस पुल के निर्माण से इस प्रदेश के मुख्य उत्पाद, आलू, शकरकंद को मण्डियों तक लाने में 100-200 किलोमीटर दूरी कम हो जायेगी। प्रतिवर्ष बाढ़ आने पर सैंकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित होता है। उस समय आवागमन, कृषि उत्पाद का परिवहन प्राय: बिल्कुल ठप्प हो जाता है इस पुल के बन जाने से आवागमन पूरे वर्ष निर्बाध रूप से हो सकेगा, जिससे लाखों जनता को लाभ पहुंचेगा।

कई वर्ष पूर्व एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री इस परियोजना का शिलान्यास भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 1998 तक इस पुल को बन जाने की घोषणा भी कर चुकी है किंतु, अब तक आश्वासनों के अलावा कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है और उक्त परियोजना भू-तल परिवहन मंत्रालय में स्वीकृति हेतु लम्बित है।

मेरा सरकार, विशेष रूप से भूतल परिवहन मंत्रालय से, अनुरोध है कि यह प्रकरण जो कई वर्षों से लंबित है तथा जिसके पूरा न किये जाने के कारण आसपास के अनेक जनपदों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, को प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब पूरा किया जाये, जिससे इस प्रदेश का तीव्रगति से विकास हो सके।

[अनुवाद]

(सात) उत्तरी बंगाल के राजवंशी समुदाय के उत्थान के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उत्तर बंगाल में रहने वाला राजवंशी समुदाय अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। पिछले कुछ दशकों से वे अपनी भाषा की सुरक्षा, अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शांतिप्रिय राजवंशी समुदाय ने कभी भी हथियार नहीं उठाया जबकि उत्तर बंगाल के विभिन्न भागों में उन विस्थापितों के साथ निवास कर रहे जो कि पूर्वी बंगाल से आए हैं; के साथ इन्होंने भी भारत के विभाजन का दर्द झेला है।

कृषि उनकी आजीविका है। यद्यपि इस समुदाय से अनेक डाक्टर, स्नातक हुए हैं फिर भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्थान संबंधी प्रगति के पहलू पर अभी भी ध्यान दिया जाना है। इसलिए भारत सरकार को पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ मिलकर उत्तर बंगाल के आर्थिक विकास और सम्मानजनक तरीके से राजवंशी समुदाय की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए उनका सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक विकास करने हेतु त्वरित योजनापरक उपाय करने चाहिए। यूनिवर्सिटी आफ वेस्ट बंगाल को चाहिए कि शेष भारत की मानव-जातीय संस्कृतियों के साथ राजवंशीय समुदाय की बोली, संस्कृति और लोक जीवन के अध्ययन के लिए एक अध्ययन केंद्र खोले।

पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर उप-खंड में उर्दू को दूसरी भाषा बनाए जाने के साथ-साथ सूरजपुरी बोली और संस्कृति की भी रक्षा की जानी चाहिए। दौर क्षेत्र में उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिन्दी की शिक्षा के लिए अवसर सुलभ नहीं हैं जिससे चाय बगानों में लगी हुई जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग वंचित हो रहा है। वे बंगाली पढ़ने को बाध्य हैं जो कि देश में भाषा की समरसता के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर शीघ्र ध्यान दे।

(आठ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता

श्री टी० गोविन्दन (कासरगौड़) : माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री जी का ध्यान मैं उस संकट की तरफ आकर्षित करना

[श्री टी० गोविन्दन]

चाहता हूं जिनका सामना भारतीय खाद्य निगम कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दिए जा रहे खाद्य प्रदार्थों की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी से सम्पूर्ण व्यवस्था और भारतीय खाद्य निगम गंभीर संकट में फंस गए हैं। जनसंख्या का 75% हिस्सा जो कि गरीबी रेखा के ऊपर है, छूट के लाभ से वंचित किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य प्रदार्थों की कीमत में 68% की बढ़ोत्तरी की गई है। मूल्य वृद्धि के मुद्दे कारण भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की निकासी कम हुई है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में विशेषकर खुले में रखे जाने के कारण करोड़ों रुपए का खाद्य भंडार नष्ट हो गया और बर्बाद हो गया। भारत सरकार 1100 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान लगाती है। लेकिन खुले में रखे जाने के कारण खाद्यानों की क्षति से सरकार 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाती है। देश की आबादी 100 करोड़ से अधिक हो गई है। हमें अधिक लोगों को भोजन की व्यवस्था करनी है। पिछले 40 वर्षों में भारतीय खाद्य निगम की त्वरित कार्यप्रणाली के कारण हमारे राष्ट्र ने खाद्यान्नों की दृष्टि से सुरक्षा प्राप्त की है। भारतीय खाद्य निगम को बंद करने की नीति और-भारतीय व्यक्तियों तथा विदेशी एकाधिकार को खाद्य क्षेत्र में अनुमति प्रदान करने से राष्ट्र को खाद्य सुरक्षा बर्बाद हो जाएगी।

इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं, कि निम्न बातों पर विचार करे:-

खाद्य/खाद पर दी जाने वाली छूट में की गई कटौती वापस लिया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटे जा रहे खाद्यान्नों में की गई मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए।

निजीकरण और खाद्य क्षेत्र में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर पूरी रोक लगाई जाए।

खाद्यान्न का वितरण राजसहायता प्राप्त दर पर सभी तबके के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति पर विचार किए बगैर किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने तथा उसका स्तर बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए।

भारतीय खाद्य निगम के क्रियाकलाप में कमी न की जाए बल्कि भारतीय खाद्य निगम को सुदृढ़ किए जाने की गतिविधियां शुरू की जाए।

(नौ) आन्ध्र प्रदेश में तेनाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : आन्ध्र प्रदेश के तेनाली संसदीय क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं हैं। मुख्यत: बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती इलाके और कृष्णा नदी के दोनों तरफ के अनेक गांवों को केबल और दूरभाष से जोड़ा जाना है।

जिन गांवों को दूरभाष से पहले ही जोड़ दिया गया उन गांवों में दूरभाष ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। दूरभाष-केंद्र कार्य नहीं कर रहे हैं। दूरभाष-केंद्रो के लिए जगह उपलब्ध है फिर भी भवन नहीं बनाए जा रहे हैं। यद्यपि अनेक गांवों में प्रतीक्षा-सूची काफी लंबी है फिर भी नए दूरभाष केंद्र नहीं बनाए जा रहे हैं। उपभोक्ता अधीर हो रहे हैं। अनेक गांवों में एस०टी०डी० की सुविधा का विस्तार नहीं हो रहा है। जिन गांवों में एस०टी०डी० की सुविधा है, उपभोक्ताओं को काल नहीं मिलती है। चक्रवात की चेतावनी देने वाले सेट कार्य नहीं कर रहे हैं।। मुख्यत: दीवीसीमा और कोल्लुर के गांवों और भाट्टीप्रौलु लंका के गांवों में स्थिति बदतर है। संक्षेप में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दूरसंचार की यही स्थिति है।

इसलिए, मैं सरकार से अपील करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तेनाली जो आंध्र प्रदेश के चक्रवात पवन समुद्रतटीय क्षेत्र गुंटुर और कृष्णा जिला में स्थित है, की दूरसंचार सेवाओं में संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टि से सुधार करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए।

[हिन्दी]

(दस) उत्तर प्रदेश में आगरा जिले की बाह तहसील में भारी उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद की तहसील बाह अत्यधिक पिछड़ी तहसील है। इसी तहसील से सटी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमाएं हैं। यह दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। यहां बेरोजगारी की भयंकर समस्या है। इसी वजह से वहा के नौजवान, बंदूक से रिश्ता कायम कर लेते हैं, जो उनकी मजबूरी है। आजादी के बाद इस क्षेत्र में रोजगार सृंजन का कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं हुआ है। जिससे काफी लोग यहां से पलायन भी कर गए हैं। यह अत्यधिक गंभीर समस्या है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आगरा जनपद की बाह तहसील में एक बड़ा कारखाना लगाया जाये, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके।

[अनुवाद]

(ग्यारह) रासीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को जोड़ने वाले तिरूवनगोड-सलेम-चिन्नामुदलीपट्टी सड़क मार्ग को चार लेनों वाला सड़क मार्ग बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

डा० वी० सरोजा (रासीपुरम) : मेरा निर्वाचन क्षेत्र रासीपुरम एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। नामाक्कल एक प्रमुख कस्बा है। यह एक विकसित होता हुआ वाणिज्यिक केंद्र है। यहां पर लारी के बाडी बनाने के अनेक उद्योग हैं। यह देश के सबसे अधिक अण्डा उत्पादक केंद्रों

में से एक है। शहर के भीतर और उसके चारों तरफ यातायात बहुत अधिक रहता है। प्रत्येक वर्ष अनेक भीषण दुर्घटनाएं घटती हैं। पिछले वर्ष बहुत अधिक यातायात और भीड़-भाड़ के कारण 230 बड़ी दुर्घटनाएं घटीं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि नामाक्कल कस्बे से नगर निगम की 3.5 कि०मी० सीमा के अन्दर थिरूचांगोडे रोड-सेलम रोड जंक्शन से चिन्नामुडालीपट्टी तक की सड़क को चार लेन की बनाया जाए। इससे न केवल यातायात की भीड़-भाड़ कम होगी बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। चूंकि यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर पड़ता है इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित मात्रा में निधि का आबंटन करे।

(बारह) कोल्हापुर में "पन्हाला" के चहुंमुखी विकास के लिए उपाए किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, 'पन्हाला' कोल्हापुर जिले का ऐतिहासिक किला है जो संपूर्ण पहाड़ी की संपूर्ण समतल भूमि को घेरता है। इसकी ऊंचाई के कारण इसे पर्वतीय स्थल का दर्जा प्राप्त है। कोल्हापुर जिले का यह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और इसकी आबादी लगभग 10,000 है जिसमें से पांच लाख से अधिक की प्रति वर्ष आबादी अस्थाई लोगों की है। 'पन्हाला' के तीव्र विकास के लिए इसे जिले का ताल्लुक क्षेत्र बनाया है और इस पठारी क्षेत्र पर आवश्यक राज्य सरकार के कार्यालय हैं। पठार पर केवल एक टी०वी० स्टेशन अपने टावर के साथ और एक माइक्रोवेव टावर है जो वहां की सीमित जनसंख्या को सेवा प्रदान कर रही है।

नियमों के अनुसार, पुरातत्व विभाग इस ऐतिहासिक शहर की बाहरी दीवार के 300 मीटर के अंदर कोई निर्माण कार्य करने की आज्ञा नहीं देता और यही बात 'पन्हाला' के विकास में बाधक है। पन्हाला का आकार ऐसा है कि बाहरी दिवार की 300 मीटर के सीमा के बाहर मुश्किल से ही कोई जगह बचती है। कोल्हापुर महाराष्ट्र राज्य का एक मुख्य और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व का स्थान होने के साथ उन ताल्लुकाओं में से एक है जो अब, उद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। इसकी एक समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए, आधुनिक दूरसंचार की सुविधाएं समय की मांग है जिससे पन्हाला की जनसंख्या लाभांवित हो सके।

शहर के और विकास के लिए, आधुनिक सुख सुविधाएं की आवश्यकता है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि 'पन्हाला' पहले पुरातत्व-विभाग के सर्वेक्षण की सूची में नहीं था। इस स्थान को बहुत समय बाद में सम्मिलित किया गया। कामले समिति द्वारा की गई सिफारिशों ने 'पन्हाला' के संर्वांगीण विकास के लिए द्वार खोल दिए।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि 300 मिटर के प्रतिबंध को उठा लें ताकि पन्हाला के संर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो सके।

अपराह्न 1.31 बजे

जम्मू-कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या की घटना पर रोष और गहरी संवेदना व्यक्त करना तथा इस मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग की नियुक्ति की मांग किए जाने के बारे में प्रस्ताव—*जारी*

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, कल प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो प्रस्ताव सदन में विचारार्थ रखा। वह है:

[अनुवाद]

> "कि यह सभा जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों सहित निर्दोष लोगों की हत्या की घटनाओं पर अपना रोष और गहरी संवेदना व्यक्त करती है तथा सरकार से आग्रह करती है कि वह सुरक्षा चूक, यदि कोई हो, के पहलू के विशेष संदर्भ में इस मामले की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त करे और इस आयोग की नियुक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दे।"

[हिन्दी]

अब इस प्रस्ताव के तीन हिस्से हैं जिनमें से मैं समझता हूं कि दो हिस्सों के बारे में पूरा सदन एकमत है, किसी के विचारों में कोई भी अंतर नहीं है। पहला हिस्सा यह है कि जो घटनाएं इस अगस्त महीने के आरम्भ में जम्मू-कश्मीर में हुई, विशेषकर जिनमें अमरनाथ यात्री आहत हुए, हताहत हुए, उनके बारे में वेदना, व्यथा व्यक्त करना, उसके बारे में सारा सदन एकमत है। मैं मानता हूं कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या इस घटना के होने में कहीं कोई सुरक्षा में कमी रही? यह एक कारण रहा, सरकार इसकी जांच करे। इस दूसरे पहलू के बारे में भी सारा सदन एकमत है। जितने लोग बोले हैं, उन सबने इस बात का जिक्र किया और एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जिसके तीन सदस्य हैं तथा उनके जिम्मे किया गया है तथा जो तीन महीने की अवधि इस प्रस्ताव में रखी गई है, वही तीन महीने की अवधि वहां की सरकार ने भी निश्चित की है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर सरकार के सुरक्षा सलाहकार, लैफ्टे० जन०जे०आर० मुखर्जी, जम्मू और कश्मीर सरकार के गृह विभाग के मुख्य सचिव, श्री सी० पुनसोल और अनंतनाग के जिला मेजिस्ट्रेट, श्री जी०ए० पीर।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

[हिन्दी]

जहां पर यह पहलगांव का कैम्प था, श्री जी०ए०पीर, तीसरे सदस्य हैं। इनको कहा गया है कि आप तीन महीने के अंदर-अंदर इस बात की जांच करके बताएं।

[अनुवाद]

1. क्या सरकार के किसी विभाग की ओर से कोई सुरक्षा खामी या कर्त्तव्य का पालन नहीं किया जिसे आंतकवादियों को सुविधा मिली हो या किसी तरह की सहायता प्राप्त हुई हो।

2. सुरक्षा खामियों के पता लगने पर, क्या उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया जा सके और संबंधित सरकारी अधिकारियों के मध्य आबंटित किया जा सके और इस संबंध में सिफारिशें की जाये।

3. क्या हताहतों की संख्या को तम्बूओं में रहने वालों पर पहली गोलीबारी के बाद कम किया जा सकता था।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी, नहीं। मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

इस समिति के गठन के बाद इस सदन में जब चर्चा हुई तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा कि इस जांच के बाद अगर कोई बात ऐसी लगेगी, जिसके कारण सरकार को लगेगा कि अदालती जांच भी आवश्यक है, क्योंकि जैसा यहां पर लोगों ने कहा कि कभी-कभी इस प्रकार की एग्जिक्यूटिव जांच के सामने अगर कोई बड़े लोग अपराधी हों, मान लो कि मेरी सरकार का कोई दोष हो, राज्य सरकार में प्रमुख लोगों का कोई दोष हो, तो वह बात उसमें नहीं आएगी। इसलिए उस रिपोर्ट में ऐसा कोई भाव होगा कि जुडिशियल एन्क्वायरी होना जरूरी है, तो प्रधान मंत्री जी ने संसद में कहा हुआ है कि हम उस समय उस पर जरूर विचार करेंगे, लेकिन आज जो स्थिति है, उस स्थिति में हमें आज किस बात पर विचार करना है? प्रियरंजन दासमुंशी जी ने सही कहा, जो साधारण सावधानी बरतनी चाहिए थी, वह बरती गई है या नहीं बरती गई है। आपने कहा कि कमीशन आफ एन्क्वायरी में हाई कोर्ट का सिटिंग जज होना चाहिए। जब मैं सदन में चर्चा सुन रहा था, इन दोनों विषयों पर पूरा सदन एकमत है, लेकिन हाई कोर्ट के जज द्वारा जुडिशियल एन्क्वायरी होनी चाहिए, इसके बारे में प्रमुख दल भी प्रमुख दल से सहमत नहीं है। इस तरफ बैठे हुए अनेक लोग, उन्होंने कहा हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि इसमें जुडिशियल एन्क्वायरी होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए और जांच में कोई दोषी निकले, तो उसको दंडित करना चाहिए। इस बात का किसी ने जिक्र नहीं किया कि सरकार की जो अपनी प्रतिक्रिया जुडिशियल एन्क्वायरी के खिलाफ हुई, तो उसका प्रमुख कारण था। मैं इस सदन के सामने बताना चाहूंगा कि करगिल युद्ध के बाद से लेकर प्राक्सी-वार तेज हो गई है। करगिल युद्ध में पराजित होने के बाद पाकिस्तान ने प्राक्सी-वार को तेज किया है। जब-जब घटनायें होती हैं, तो मैंने देखा है कि मिलिट्री इन्स्टालेशन पर हमला करके दो आदमियों को मार जाते हैं या कोई बम विस्फोट होता है, जिसके कारण कुछ लोग मारे जाते हैं। ऐसी चीजों पर पाकिस्तान कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब इस प्रकार के कोल्ड ब्लडेड मसैकर होते हैं, जब भी हुए हैं, जैसे छत्तीसिंह पुरा में हुआ, जिसमें पाकिस्तान द्वारा भेजे गए मिलिटैंट थे, उन्होंने एके-47 लेकर लोगों को मार दिया। जिस प्रकार से अभी हुआ। यह पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किया गया निर्लज्जतापूर्ण नरसंहार था। उसके बाद मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने भी निन्दा की है। यह आश्चर्य की बात है। यह कोई साधारण बात नहीं है।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : आप विश्वास कर रहे हैं?

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : क्या आप उनका विश्वास करते हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले दिनों 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त के मैंने पाकिस्तान टीवी, पाकिस्तान रेडियो या पाकिस्तान रेडियो कहीं पर रिपोर्ट हुआ हैं, उसके एक्सैप्ट्स देखे हैं। मैंने देखा है–

[अनुवाद]

2 अगस्त को, वायस ऑफ अमरीका ने यह रिपोर्ट दी:-

"कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, श्री रियाज मोहम्मद खान, ने कहा, उनका देश कश्मीर में मारे जाने वाले आम लोगों की निंदा करता है।"

1 और 2 अगस्त की घटना पर, वे कहते है:-

"इस घटना में भारतीय सैनिकों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।" इस पर ही यह समाप्त नहीं होता 2 अगस्त की 6:30 बजे के अंग्रेजी समाचार में यह भी कहा गया:-

भारतीय सैनिकों और उनके एजेंटों ने अधिकृत कश्मीर में 86 लोगों की विभिन्न स्थानों पर आक्रमण करके मार डाला।

कश्मीर मीडिया सर्विस ने यह रिपोर्ट दी कि भारतीय सशस्त्र ऐजेंटों ने डोडा जिले के बनिहाल क्षेत्र में कंडाल गांव पर घात लगाकर 12 लोगों को मार डाला। केवल तीर्थ यात्री ही नहीं मारे गये। वहां पर जो लोग मारे गए हैं, वे इंडियन ट्रुप्स में मारे गए हैं। प्राथमिक रिपोर्ट में भारतीय सैनिकों की गोलियों से हुई मौतों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सका। 3 अगस्त को, पाकिस्तान टी०वी० की अपराह्न 2.30 बजे की उर्दू समाचार में कहा गया:

"कठपुतली मुख्य मंत्री ने-ध्यान रहे - इस नरसंहार को हिजबुल्ल मुजाहिदीन के इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए भारतीय प्रशासन के साथ वार्ता करने के प्रस्ताव को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया।"

मैं इसकी पुष्टि करने में असमर्थ हूं। मैं इसे जी०टी०वी० के द्वारा पुष्टि करना चाहता हूं। मुझे इसमें आशंका है क्योंकि मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद को जानता हूं।

[हिन्दी]

मुफ्ती मोहम्मद जी के बारे में भी पाकिस्तान टी०वी० ने कहा। उन्होंने कहा कि यह फारूख अब्दुल्ला जी ने करवाया है। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा उन्होंने कहा होगा। परन्तु पाकिस्तान टी०वी० वाले इस हद तक जा सकते हैं। मैं और भी कई बातें बता सकता हूं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। जब चार-पांच तारीख को चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई थी तब बहुत स्ट्रोंगली कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से एक कांस्टेंट प्रोपेगेंडा चला है कि जितने फर्स्ट और सैकंड को मेस्सेकर हुए हैं, वे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने नहीं किए हैं, वे इंडियन ट्रुप्स से करवाए गए हैं और तब से लेकर सामान्यत: ज्यूडिशियल इंकावायरी को बात कई बार कही जाती है, उसकी मांग की जाती है। हम भी पहले यह मांग करते रहे हैं। हमारी प्रतिक्रिया वैसी नहीं होती, जैसी इस बार हुई। उसका कारण यह है– जहां, हम एक छद्म युद्ध की स्थिति का सामना कर रहे है। किसी ने यह भी नहीं कहा कि यह कमी हो गई। मैं अगर डिटेल में जाऊं तो बता सकता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : इसलिए न्यायिक जांच की आवश्यकता है *(व्यवधान)* दुनिया में सबसे अधिक सेना का जमाव कश्मीर में है। सैनिकों और आतंकवादियों के मध्य मौतों का अनुपात क्या है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं दबाव में आने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि मैं स्वीकार किए गये प्रस्ताव की भावना से सहमत हूं।

[हिन्दी]

मैं जो बात कह रहा हूं उसका भाव है कि यह बहुत बड़ा कांड हुआ है, इसके लिए वेदना ही नहीं है, बल्कि पूरे सदन की इच्छा है कि जांच होनी चाहिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रही। मैं आज पूरे तथ्य रखूं और यह प्रमाणित करने की कोशिश करूं कि कोई कमी नहीं रही, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जो फेक्ट्स मेरे हाथ में हैं, वे ऐसे हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जितनी सामान्य सावधानी बरतनी चाहिए थी, उतनी की। हमारे देश के प्रधान मंत्री की अपने घर में हत्या हो गई तो क्या किसी ने सिक्युरिटी लेप्स की बात कही। मैं नहीं मानता हूं, होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया और होने के बाद अगर उसके आधार पर सिक्युरिटी लेप्स हो गई, वहां जो लोग सिक्युरिटी पर थे उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, अगर यह करेंगे तो क्या हम न्याय करेंगे। हम जिस प्रकार की प्रोक्सी वार लड़ रहे हैं और जिसके कारण कुल मिलाकर पिछले 10-15 सालों में लोग इधर-उधर फैल गए हैं, हम कितने लोगों को फुलप्रूफ सिक्युरिटी दे पाए हैं, कितनी लोग मारे गए हैं, मैं उनकी गिनती नहीं करवाता। हमें बहुत दुख और अफसोस होता है लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए या इस प्रकार का नृशंस हत्याकांड हो जाए तो सिक्युरिटी लेप्स ही होगी, यह निष्कर्ष निकालने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। हो सकता है कि सिक्युरिटी लेप्स हुई हो। जैसे आपने कहा कि आइडेंटिटी कार्ड दिए गए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, बहुत हो गया। वे दबाव में नहीं आएंगे। आप क्यों उन्हें टोक रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : मुझे लगता है माननीय मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मौत का हवाला दे रहे थे। सम्पूर्ण एस०पी०जी० की स्थापना ही उसके बाद हुई। आपके इस कथन का क्या तात्पर्य है : "कि हम इसकी जांच नहीं करेंगे?" *(व्यवधान)* हमने एक निश्चित निर्णय लिया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उनका उत्तर पूरा करने दीजिए। यह क्या है? यदि कोई स्पष्टीकरण भी है तो, उसकी मांग उनके उत्तर के पश्चात् कर सकते हैं अभी नहीं।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : वे जो कुछ कह रहे हैं वह गलत है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मणिशंकर अय्यर जी स्पेसिफिक केसेज का हवाला देते हुए कहते हैं कि नीतीश सेन गुप्ता की रिपोर्ट ने कहा था कि अमरनाथ यात्रा का रूट एलओसी के निकट नहीं होना चाहिए, फिर भी आपने कैम्प एलओसी के बिलकुल पास बनाया *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। इस सदन में ही नीतीश सेन गुप्ता ने आपसे दो सवाल किए थे, जो आर्मी डिप्लायमेंट पूरे रूट में होना चाहिए, वह हुआ या नहीं। दूसरा सुझाव था कि कैम्प एलओसी के निकट नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा था कि यह सही है या नही। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मणिशंकर जी, आप नक्शा उठा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा रूट एलओसी से दूर है। पहलगाम का कैंप सौ किलोमीटर से ज्यादा दूर है। निकट से निकट कोई स्थान है तो जम्मू है, आर०एस० पुरा भी निकट है। सारे का सारा अमरनाथ यात्रा का रूट उससे दूर है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आज निष्कर्ष निकालते हैं कि सावधानी नहीं बरती गई। नीतिश सेन गुप्ता जी बैठे हैं। मेरे पास इनकी पूरी रिपोर्ट है। न टर्म्स ऑफ रैफ्रेंस और न रिकमंडेशन में यह लिखा है कि :

[अनुवाद]

सुरक्षा यहां विचारार्थ विषय था और न ही जो 25 सिफारिशों उन्होंने की थी का सुरक्षा से कोई संबंध है। वे तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था को देख रहे थे क्योंकि वे दैविक आपदाओं के संदर्भ में था। यह उस संदर्भ में था। यह मेरे पास है। जितने सिक्योरिटी के रैफ्रेंस हैं। वे पूर्व यात्राओं के संदर्भ में है।

[हिन्दी]

उन अर्लियर यात्रा में जितनी सिक्योरिटी की व्यवस्था थी, मेरे पास उसके पूरे प्रमाण हैं। वह इस बार पहले से ज्यादा थी। वहां आर्मी ज्यादा थी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज ज्यादा थी। इसके बावजूद यह हुआ। मैं यह कह रहा हूं मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं। मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि समिति इसकी जांच कर रही है। परन्तु मैं आज इतना ही कह सकता हूं, कि यात्रा से पहले जितनी सावधानी प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार को लेनी चाहिए, ली गई। उसके बाद किसी से गलती हुई तो उसकी पूरी जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो आवश्यक होगा, हम कदम उठाएंगे।

दासमुंशी जी ने अपने भाषण के प्रारम्भ में कहा कि *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ''यदि जम्मू और कश्मीर में कुछ गलत होता है तो, मुझे यह नहीं समझ में आता कि जनसंख्या का एक वर्ग क्यों दबी ज़बान में बोलता है या कम बोलता है या चुप रहता है।''

[हिन्दी]

वे इसका हवाला दे रहे थे, जब जम्मू-कश्मीर पर चर्चा होती है तो हम हश-हश करते हैं कि इसकी बात मत करो, उसकी बात मत करो। मैं सरकार की तरफ से कह सकता हूं कि यदि किसी विषय पर संसद और संसद के बाहर सबसे अधिक चर्चा हुई है तो जम्मू कश्मीर पर हुई है। इसी सत्र में मैं नहीं जानता कि कितनी बार जम्मू-कश्मीर पर चर्चा हुई होगी? यदि कोई गिनती करें तो पिछले पांच हफ्तों में कोई शब्द इस सदन में सबसे अधिक बोला गया तो शायद जम्मू-कश्मीर ही होगा, मिलिटैंसी होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। फिर भी कोई कहे हम उसे दबाने का प्रयास कर रहे है; हम दबी ज़बान में बात कर रहे हैं; और हम प्रत्येक मामले में सुरक्षा व्यवस्था को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं हम नहीं कर रहे। हम स्पष्टवादी रहे हैं। ऑटोनॉमी के इशू पर दो दिन चर्चा हुई। वहां जितनी भी कोई घटना घटी जिन का जवाब दे पाए, दिया। मैं इस बात को मानता हूं कि मैं मणि शंकर जी जितना अनुभव नहीं है। हम अभी-अभी आए हैं वह इस बात को बार-बार कहते हैं। यद्यपि मुझे आश्चर्य होता है एक समझदार व्यक्ति एक साथ आरोप लगाते हैं तो कहते हैं कि आप अपरिपक्व हैं; दूसरे वाक्य में कहेंगे आप छल-कपट की नीति अपना रहे हैं। हम दोनों नहीं बन सकते। दोनों चीजें मेल नहीं खाती हैं। मणि शंकर जी बहुत कुशल हैं, संसदीय पटु हैं। मैं उनके साथ काम कर चुका हूं। हम साथ-साथ कहीं गए थे। उनका भाषा पर जैसा अधिकार है, वह जितनी बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, मैं नहीं बोल सकता। *(व्यवधान)* मैं ऐसा समझता हूं कि थोड़ी विनम्रता नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं कोट नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जो भाषा प्रधान मंत्री के लिए प्रयोग की वह सर्वथा आपत्तिजनक है। वह कम से कम उनकी संसदीय पटुता को चार चांद नहीं लगाती। मैं कोट नहीं कर रहा हूं। मेरे सामने आपका भाषण है, जिसे मैं बाद में पढ़ूंगा।

चाहे वह चीन की यात्रा हो या कहीं और की यात्रा हो लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 1947 से लेकर आज तक के इतिहास की जब चर्चा करते हैं तो कहना पड़ेगा कि दशाब्दियों के दोषों का बोझ लेकर यह सरकार चल रही है जिसे हम केवल दो साल में ठीक नहीं कर सकते। हां, जो इश्यूज हमारे सामने हैं, वे लिमिटेड हैं। इसलिये मैं जानता हूं कि लाहौर यात्रा करना उचित था या नहीं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

था। मैं समझता हूं कि लाहौर यात्रा के कारण इस देश की साख बनी है और हमारे प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी के अलावा यह साख कोई और नहीं बना सकता था। उसके बाद दुनियाभर के देशों में, भारत-पाकिस्तान के संबंधों या भारत-पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हैं, उसके संदर्भ में उनका रवैया बदल गया है। लाहौर यात्रा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लाहौर यात्रा के बाद पाकिस्तान ने विश्वासघात करके कारगिल में जो किया, उस के लिये प्रधानमंत्री जी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। चाहे कारगिल युद्ध हो या लाहौर यात्रा हो या किसी और ने कुछ कहा हो, हम सीज़ फायर करके बातचीत करने के लिये तैयार हैं, यह सरकार ने घोषित नीति के अनुसार कहा कि हम बात करेंगे लेकिन यह सोचना कि हमने सैनिकों से कहा कि आप सावधानी छोड़ दें, यह सरासर गलत है।

एक बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया था। यहां निर्देश निम्नलिखित है। सरकार के 28 जुलाई के दिए गये युद्ध-विराम के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने के बाद। उस समय के यू०एस०क्यू दल के मुखिया ने 31 जुलाई को और दूसरे पखवाड़े में श्रीनगर में बैठक का आयोजन किया था।

नतीजा यह हुआ कि दूसरे फोर्टनाइट में, जुलाई के महीने में, जब सीज़ फायर हुआ तो कुल मिलाकर 799 मिलिटैंट्स मारे गये। सचमुच में जुलाई के महीने में हिज्ब से बात होने वाली थी जो नहीं हुई लेकिन कुल मिलाकर 799 मिलिटैंट्स मारे गये। पिछले कई सालों में किसी भी महीने में हुई यह सर्वाधिक मौते हैं। उससे पूर्व के आंकड़े भी मैं दे सकता हूं लेकिन यह धारणा सरासर गलत है *(व्यवधान)* हिज्ब की ऑफर के बाद हमने सावधानी छोड़ दी और उसके कारण यह घटना हुई, यह भी सरासर गलत है। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से और जो यूनाइटेड कमांडर बना हुआ है, उसकी तरफ से यह निर्देश था। उसके बावजूद भी अगर यह घटना हुई तो प्रदेश सरकार ने उचित काम किया और एक हाई लैवल इंक्वायरी बैठा दी। वह इस बात की जांच कर रही है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? प्रधानमंत्री जी संसद में आश्वासन दे चुके हैं कि अगर रिपोर्ट आने के बाद आवश्यकता हुई तो हम अदालती जांच कराने में नहीं हिचकिचायेंगे। आज कहा गया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसलिये श्री दासमुंशी जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, श्री दासमुंशी इस मोशन के इनिशिएटर हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप मेरी मजबूरी जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बा नहीं कहूंगा। इसमें दो बातों का जवाब नहीं दिया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुलायम सिंह जी, मेरा कर्तव्य बनता है क्योंकि मैंने बीच में जिक्र किया था कि पाकिस्तान रेडियो ने कहा कि ज़ी टी०वी० पर श्री मुफ्ती मोहम्मद ने ऐसा कहा लेकिन मैंने अपने अधिकारियों से पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा। जब ज़ी टी०वी० से जानकारी ली गई तो मालूम हुआ कि श्री मुफ्ती मोहम्मद ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने इतना ही कहा:

"पहलगाम की मौतों के पीछे निश्चित ही एक मंशा है।" यह ठीक है। मैं इसे समझ सकता हूं। परंतु उन्होंने दोषी माना है। कि फारूख साहब ने जानबूझकर, करवाया, वह सरासर गलत था। यह प्रचार पाकिस्तान लगातार कर रहा था। इसलिये हमें लगता था कि इसकी ज्युडिशियल इंक्वायरी कराने में हमें संदेह होता था कि पाकिस्तान ने करवाया है या हमारी ट्रुप्स ने करवाया है।

यह फारुख साहब ने जानबूझकर करवाया है, वह सरासर गलत था और पाकिस्तान लगातार यह प्रचार कर रहा था, इसलिए हमें लगता था कि इस स्थिति में ज्यूडिशियल इंक्वायरी कराना, हमें भी संदेह होता है कि यह पाकिस्तान ने कराया है या हमारे ट्रुप्स ने किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न थे, जिनका माननीय गृह मंत्री जी आपने कोई जिक्र नहीं किया। मेरा पहला प्रश्न था कि आतंकवादियों को कुचलने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। जिसकी वजह से पहलगांव में तीर्थ यात्रियों की हत्यायें हुई और अमरनाथ यात्रा बाधित हो गई। जिसकी वजह से पूरा देश चिंतित है और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में दहशत है। क्या आपने हिन्दुस्तान को मुसलमानों को विश्वास में लेने का प्रयास किया है और हिंदुस्तान में अगर आतंकवादियों को खत्म करना है,तो मुसलमानों को विश्वास एवं साथ में लिये बिना हिंदुस्तान से कभी भी आतंकवादियों का खात्मा नहीं किया जा सकता है। हमें इन दोनों प्रश्न के जवाब नहीं मिले हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी आज इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 1.56 बजे

तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय गृह मंत्री जी के जवाब को बड़े ही ध्यान और तन्मयता के साथ सुना है। मुझ पर और पूरे कांग्रेस दल पर, जिन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया है, पर कल सत्तारूढ़ गठबंधन के विभिन्न घटकों और एक हद तक विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा भी कई आरोप लगाए गए थे।

मैं यहां आरोप और प्रत्यारोप लगाने नहीं आया हूं। मैंने संवैधानिक रूप से चुनी गई केंद्र सरकार के गृह मंत्री का जवाब सुना है। मैंने

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है पर केन्द्रीय गृह मंत्री जितना नहीं पढ़ा है। शरारत, संदेह और अविश्वास तथा महा झूठ के आक्रामक अभियान के बावजूद स्टालिन हिलाया नहीं जा सका था। परन्तु, आज मैं पाता हूं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा शुरू किए गए अभियान ने भारत संघ के गृह मंत्री को हिलाकर रख दिया है और मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि वे इस चुनौती का सामना नहीं करने वाले।

कई मंत्रियों ने कुछ बातें कही थी। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मंत्री महोदय ने अभी जो कुछ भी कहा था, वह दूसरे दिन अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में हो रही चर्चा का जवाब देने के दौरान उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के बिल्कुल ही विपरीत है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने अभी कहा था कि वे पहले के दुर्व्यव्हार, कुप्रबंधन और बेवकूफी को ठीक नहीं कर सकते हैं। पिछले दो माह से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इसे दोहराते रहें हैं। लाहौर में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ वार्ता का आधार श्रीमती गांधी द्वारा किया गया शिमला समझौता था। क्या यह भूल है? यदि ऐसा है तो इसे कहिए। ये वही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वायत्तता संकल्प के संदर्भ में कहा : हम 1953 से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं जा सकते हैं। हम इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्लाह करार के बारे में न तो प्रश्न उठा सकते हैं और न ही लौट सकते हैं।'' क्या यह एक बेवकूफी थी? यदि ऐसा है, तो विश्वास, हिम्मत, साहस और दृढ़ विश्वास से ऐसा कहिए। ये वही गृह मंत्री हैं जिन्होंने दो दिन पहले सभा में कहा है कि पाकिस्तान द्वारा धर्म के आधार पर किया गया भारत का बंटवारा गलत हो सकता है। परन्तु श्रीमती गांधी ने जो किया, वह उस समय के हिसाब से पूरी तरह सही था। क्या यह मूर्खता है? आप 48 घंटों के अंदर ही दो मिजाजों में क्यों बोल रहे हैं? इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप परिपूर्ण हैं परन्तु भारतीय संविधान के अन्तर्गत एक केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में आप संभ्रित हैं और आपकी अयोग्यता और अक्षमता के कारण ऐसी स्थिति आई है।

अपराह्न 2.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, आप कांग्रेस को किसी भी बात के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। हो सकता है, पिछले पचास वर्षों में हमने कुछ भी नहीं किया हो। यदि आप साम्प्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं तो आप महात्मा गांधी पर पुष्प अर्पण करने से ज्यादा क्या कर सकते हैं? यदि आप देश की अखंडता, 'पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा' गीत गाने और 'पंजाब, सिंध गुजरात, मराठा' गीत गाने और घंटी बजाने की बात करते हैं तो आप श्रीमती गांधी को पुष्पअर्पण करने के अलावा क्या कर सकते हैं? राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए आप श्रीपेरूमबेटूर में राजीव गांधी को पुष्पार्पण करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? जब आप शांति वन जाते हैं,

[हिन्दी]

जब आप राजघाट पर जाते हैं तो गूंजता हुआ गान आपको सुनाया जाता है कि सारे भारत को एक बनाकर रखो। जब शक्ति स्थल पर जाते हैं तो सुनते हैं कि भारत के साथ पंजाब का रिश्ता बनाकर रखो। जब आप वीरभूमि जाते हैं तो सुनते हैं कि तमिलों से पूरे हिन्दुस्तान का रिश्ता हम बनाए रखें। वह राजीव गांधी की वीर भूमि है। क्या कर सकता हूं मैं?

[अनुवाद]

ये सिर्फ बात या भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ये इतिहास की वास्तविकताएं हैं। यदि आप इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं परन्तु कश्मीर की स्थिति के संदर्भ में देश को गुमराह करने का प्रयत्न न करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से दोहराना चाहूंगा कि कश्मीर में शांति लाने और समाधान ढूंढने में सभी चीजों को दांव पर लगाकर हम सरकार के साथ चलने और सरकार का साथ देने में किसी से भी पीछे नहीं हैं। परन्तु सरकार को पारदर्शी होना होगा और यह भी समझाना होगा कि वह इसे कैसे हाथ में लेंगे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सदस्यों के हृदयों को टटोलना होगा कि वे किस बारे में बोल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा ने कल मुझ पर आरोप लगाया कि सरकार का विभाजन करने और सरकार को गिराने के विचार से मैं नियम 184 के अधीन प्रस्ताव लाया हूं। नहीं, हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं। जब, इस देश के वरिष्ठ नेता, सम्मानित प्रधानमंत्री और इस देश के सर्वाधिक ओजस्वी और सम्मानित संसद-विज्ञ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अमरनाथ नरसंहार, राष्ट्रीय आपदा पर स्थगन प्रस्ताव लाए थे तो क्या इसका उद्देश्य सरकार को गिराया जाना था? वह सरकार भी बहुत शक्तिशाली सरकार नहीं थी। उन्होंने सरकार की निष्ठुरता की ओर भी इंगित किया। उन्होंने कहा कि, ''विपक्ष में रहते हुए लोगों की चिंता को व्यक्त करने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं?'' इतने बड़े नरसंहार के बारे में क्या कहना है?

महोदय, हम पचास वर्षों में एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में उभर कर आए हैं। लोगों के द्वारा एक के बाद एक कई प्रधानमंत्री बदले गए। संसद ने भी वर्ष दर वर्ष अलग आयाम प्राप्त किए और आज भी यहां की जनता कहती है 'लोकतंत्र की जय हो, भारत की जय हो'। अब, हम बचाव ढूंढते हैं कि, 'हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान टी०वी कह रहा है।' माननीय मंत्री जी ने अभी माना कि स्पष्टत: वे महसूस करते हैं कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। यदि वे स्पष्ट रूप से यह महसूस करते हैं कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी, तो न्यायिक जांच को स्वीकार करने में उन्हें क्या परेशानी होती है?

न्यायिक जांच को, जब श्रीमती गांधी की कटघरे में खड़ा करने के लिए शाह आयोग की बात आती है, तब यह उचित ठहराया गया था। यह लोगों की मांग थी। कांग्रेस सरकार इससे कभी भयभीत नहीं रही। पंडित नेहरू ने पंजाब में प्रताप सिंह कैरों के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए एक न्यायिक जांच समिति नियुक्त किया था।

[हिन्दी]

विजय कुमार मल्होत्रा जी कहते हैं कि कमीशन से फायदा क्या होता है। सबसे बड़ा फायदा आपको हुआ मैं बता रहा हूं।

[अनुवाद]

यह वही सरकार है जिसने, उड़ीसा में ग्राहम स्टैंस एवं उनके दो पुत्रों के हत्याकांड में, सत्ता संभालने के बाद जनवरी में एक न्यायिक जांच समिति नियुक्त किया। कौन कहता है 'न्यायिक जांच में काफी समय लगता है?' यदि सरकार मजबूत है, समय सीमा प्रदान की जाती है और जांच समिति के साथ सहयोग करती है, तो वह प्रतिवेदन को अवश्य ही सामने लाती है। क्या वाधवा आयोग ने तीन माह में प्रतिवेदन नहीं दिया था? क्या यह एक तथ्य नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र कहते हैं कि वाधवा आयोग ने उन्हें लोगों के समक्ष जाने और यह कहने की शक्ति प्रदान की कि उन्हें उनकी पार्टी पर दोष नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वे इसमें शामिल नहीं थे। वाधवा आयोग ने ऐसा किया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? वाधवा आयोग से पहले, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक ने—रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है—उनकी पार्टी और उस मामले में दारा सिंह के शामिल होने का आरोप लगाया। तत्काल ही, आयोग के अध्यक्ष ने कहा, "मैं अपना काम अभी बंद करता हूं क्योंकि भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, श्री डी०पी० वाधवा की अध्यक्षता में मनोहर पुर कांड की जांच करने का आदेश दिया है—प्रतिवेदन को रोका जाता है।"

श्री डी०पी० वाधवा ने सामने आकर कहा, 'सरकार को यह सब करना है और मैंने पाया है कि दारा सिंह का संबंध इस संगठन से नहीं था।' यह सच्चाई उनकी सहायता करती है। परन्तु मैं जिस सच्चाई को कश्मीर के संदर्भ में रखना चाहता हूं, वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सिपाहियों पर दोष नहीं लगाती, बल्कि गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय के बीच, आर०एम०ओ० और मुख्यमंत्री के बीच संचार की चरम असफलता को प्रदर्शित करता है। इससे राष्ट्र को बचाया जा सकेगा। इससे लोगों के मनोबल को बचाया जा सकेगा और प्रधानमंत्री के हाथ ही मजबूत होंगे। वे यह महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। यह एक चूक थी। मैंने सोचा कि माननीय गृह मंत्री जी जो अक्सर सभा में सरदार पटेल के विरासत की बात करते हैं, आएंगे और कहेंगे, 'देखिए, ये कमियां हैं। मैंने इस को हिरासत में लिया है।' वे ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंक इसका इशारा उनकी ओर जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, तीर्थयात्रियों के साथ हुई दुर्घटना की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती परन्तु लोगों को कम से कम सच्चाई का पता तो लगना ही चाहिए। मैं कल से चर्चा को सुन रहा हूं और पूरी संसद, जिसने जांच आयोग अधिनियम, 1952 को पारित किया, जिसने राज्य सरकारों की न्यायिक जांच के प्रति विभिन्न क्षमताओं में अनुक्रिया दिखाई, और जो इस विधेयक का कर्णधार है, वह अपने ही विधेयक का सामना करने से डर रही है। किसलिए ? ऐसा इसलिए, क्योंकि पाकिस्तान ने मुहिम चला रखी है। हमारा लोकतंत्र पचास वर्ष से परिपक्व प्रजातंत्र रहा है। मान लीजिए आप मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं होते, पर क्या आप मीडिया को लिखने से रोक सकते हैं और क्या आप इलेक्ट्रानिक मीडिया को अभियान चलाने से रोक सकते हैं। हम पाकिस्तान के मंसूबों को जानते हैं। हम उनके दुष्प्रचार को जानते हैं कि कब कुछ ठीक चलता है और कब गलत होता है। हमें पता है, जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थीं तो श्रीमती भुट्टो क्या कहा करती थीं। हमें पता है, जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो पाकिस्तान क्या कहा करता था। 'दशहरे' के दौरान जब हत्याएं हुई थीं तो उनके दूरदर्शन ने कहा था कि, 'हमारे लोगों ने हमारे लोगों की हत्याएं की।'

अब, भारत के गृह मंत्री केवल एक ही दलील दे रहे हैं। आज वे केवल इसी बात पर बहस कर रहे हैं कि फलां-फलां लोगों ने टेलीविजन से सब बातें कही। भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं गृह मंत्री जी से एक चीज़ की मांग करता हूं। यदि मैं तीर्थ यात्री परिवार का सदस्य होता तो मुझे यह परवाह नहीं होगी कि पाकिस्तान टी०वी० क्या कह रहा है। मेरा संबंध उस बात से अधिक है जो, भारत के गृह मंत्री भारतीय नागरिक होने के नाते, मुझे सुरक्षा खामियों के बारे में बता रहे हैं।

आप यह कहना चाहते हैं कि तीर्थयात्री जो भारत के नागरिक हैं और अमरनाथ यात्रा, हिन्दू धर्म की एक रीति है इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया विस्तारपूर्वक बाद में की जाएगी। मगर मैं आपको यह सच नहीं बता सकता हूं कि तीर्थयात्री क्यों मारे गए। सज्जनों, कृपया सुनें कि मंदिर और मस्जिद क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान टी०वी० कह रहा है कि, 'पाकिस्तान के मुकाबले इस व्यस्क प्रजातंत्र का क्या यही जवाब है? जबकि पाकिस्तान का प्रजातंत्र सेना की बंदूक से नियंत्रित है। हमारा प्रजातंत्र लोगों की इच्छा से नियंत्रित है। इसीलिए, श्रीमती इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, वी०पी० सिंह और मोरारजी प्रधान मंत्री बने और आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं। आप कहते हैं कि, 'हम केवल इसलिए यह नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान टी०वी० ऐसा कर रहा है।' इससे तो आप स्वयं ही अपने सुरक्षा बलों का अपमान कर रहे हैं। इससे तो लोगों को यही संदेश मिलता है, 'मैं जानता हूं कि आप मिले हुए हैं, आपका कुछ हिस्सा तो इसमें शामिल है ही। मैं आपको बुक नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान प्रचार कर रहा है।' यहां आप कहते हैं कि, 'सुरक्षा में कोई कमी

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

नहीं है।' यदि सुरक्षा में कोई कमी नहीं है तो आप न्यायिक आयोग की नियुक्ति क्यों नहीं करते? आप स्वयं ही उलझन में हैं, माननीय गृह मंत्री *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए अच्छा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित हैं। आज वाद-विवाद का विषय यह नहीं है कि इसके पीछे हिजबुल है या नहीं, हुर्रियत है या नहीं। आज श्री आडवाणी जी ने मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने कहा है कि अमरनाथ यात्रा के दिन की जानकारी सरकार को थी। आवेशपूर्ण वातावरण में हर दिन ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा है। हुर्रियत को छेड़ना, श्री फारूख अब्दुल्ला की निराशा, हुर्रियत से वार्ता-प्रक्रिया, हिजुबुल का संदेश और लश्करे-तोएबा का क्रोध वगैरह। क्या जम्मू-कश्मीर सरकार, अर्द्ध-सैनिक बलों और सेना के साथ आपने हमले की योजना बनाई थी? अब आप कह रहे हैं कि ले० ज०जे० मुखर्जी समिति के संयोजक हैं, अनंतनाग के डी०एम०ओ० के साथ यह है, वह है।

अनंतनाग में नरसंहार हुआ। डी०एम० को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह पता लगाए कि उक्त हत्याकांड कैसे हुआ *(व्यवधान)* केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में क्या इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी? क्या इससे आपको सम्मान मिलेगा और क्या ऐसे गंभीर मामलों में आपको जनता का विश्वास मिलेगा? मुझे हैरानी है कि आप जवाब दे कैसे रहे हैं? आपने उस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया। मैंने आपसे एक, दूसरा प्रश्न पूछा। क्या आपके इस पूरे मार्ग पर हमले की आशंका की इंटैलिजैंस रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। क्या आपने सभी लंगरों की सुरक्षा सुनिश्चित की थी? आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने इस प्रश्न का जवाब भी नहीं दिया। आपका कॉम्यूनिकेशन चैनल क्या था? क्योंकि पहले दिन ही आपने सभा में जवाब दिया था।

[हिन्दी]

अभी तक मुझे पता नहीं है कि आर्मी वहां थी कि नहीं। आपको अगर पता नहीं है तो क्या हमको पता रहेगा, गांव के लोगों को पता रहेगा। आपको जब पता ही नहीं है, आप खुद जब बे-पता हो गए हैं तो सदन के सामने आरोप लाने में हमारा क्या दोष है। मैंने तो रैजिगनेशन की मांग नहीं की।

[अनुवाद]

यदि कांग्रेस यह मांग करती कि जब तक श्री आडवाणी त्यागपत्र नहीं देते तब तक हम सभा को चलने नहीं देंगे तो आप कहते कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ उठा रही है। हमने ऐसा नहीं किया। हमें अपने दायित्व की जानकारी है, हमें पता है कि कितना कठिन समय है और काश्मीर में कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।

हम केवल सच जानना चाहते हैं। भले ही इसमें छः महीने लग जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही सच्चाई सामने आने में नौ महीने लग जाएं। मैंने कल भी यह कहा था। सच्चाई छुपी ही रहने दीजिए। भावी सरकार, भावी अधिकारियों, भावी गृह मंत्री, भावी प्रधान मंत्री या वर्तमान प्रधानमंत्री को तो यह जानने दिया जाए कि मूल कमियां कहां हुई थीं। आप सोचते हैं कि यह अनावश्यक है क्योंकि इससे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरेगा। मैं कहता हूं—नहीं गिरेगा। सुरक्षा बलों को यह पता चलेगा कि इस न्यायिक जांच में यदि किसी का मनोबल गिरेगा, तो माननीय गृह मंत्री, आपका ही गिरेगा। कश्मीर और अमरनाथ की गंभीर समस्या को समझने में आपकी अकुशलता, असमर्थता, बोध की कमी, दूरदर्शिता की कमी और सिद्धांतों की कमी को आप प्रकट करना नहीं चाहते। इसीलिए, आप यह तर्क लेना चाह रहे हैं कि इससे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरेगा। पाकिस्तान टी०वी० के प्रचार को देखकर ही जब एक कमांडर का मनोबल गिर जाता है तो गृह मंत्री के रूप में आप सुरक्षा बलों के मनोबल में नया उत्साह कहां से भर पाएंगे? मुझे यह समझ में नहीं आता।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग के पीछे राजनीतिक लाभ उठाने की इच्छा नहीं है। मगर इस देश के कानून और परंपरा के अनुसार इस बड़ी घटना की न्यायिक जांच होनी ही चाहिए। मैं यह समझ सकता हूं कि ग्राहम स्टेन हत्याकांड और काश्मीर का हत्याकांड दो जुदा मसले हैं। इनमें एक फर्क यह है कि जहां उड़ीसा की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती, वहीं जम्मू-कश्मीर, पाकिस्तान से लगा हुआ है। आज के आपके भाषण से जनता को सह संदेश मिलेगा कि यदि सुरक्षा बल, कश्मीर पुलिस, काश्मीर पुलिस का सिपाही कोई गलत काम करे या फिर कोई महिला ही उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करे और यदि कोई न्यायिक जांच की मांग करे तो आप कहेंगे कि आप ऐसा ना करें, पाकिस्तान टी०वी० दूसरे ढंग से प्रचार कर लेगा। हमारा प्रजातंत्र इतना कमजोर है कि हम पाकिस्तानी प्रचार को भी फेल नहीं कर सकते। कितने खेद की बात है? इस संसद में, मुझे आज गृह मंत्री पर दया आ रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए समूचे विपक्ष ने कहा कि सुरक्षा में कमियां तो थीं। समूचा विपक्ष इस बात पर एकमत है कि सरकार अक्षम और अकुशल है। यह ठीक है कि यहां बोध की भिन्नता तो है। भा०का०पा०(मा०) ने कहा कि न्यायिक जांच में देरी हो रही है। यह उनकी राय है। मगर श्री सोमनाथ चटर्जी आप यह बेहतर जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में हमारे सत्ता से बाहर होने पर आपने तीन जांच आयोगों के माध्यम से हमारी गल्तियों का पता लगाना चाहा था। आपने तीन आयोग—चक्रवर्ती आयोग, शर्मा आयोग और बसु आयोग की नियुक्ति की थी। वे सच्चाई प्रकट नहीं कर सके भले ही वह सही था या गलत।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ये ध्यान बंटा रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जी नहीं, आप इसे ध्यान बंटाना क्यों कह रहे हैं? उनके विचारों का उत्तर देना मेरा अधिकार है। आप

सोचते होंगे कि इसमें काफी वक्त लगेगा और यह लंबित हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। इसमें देर नहीं हुई है। यदि एक समय-सीमा के भीतर सरकार सच्चाई उजागर करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है तो यह किया जा सकता है। जैसे कि-वधवा आयोग क्या उन्होंने समय लिया? यदि आप यह महसूस करते हैं कि न्यायिक जांच का कोई अर्थ नहीं है तो लिब्राहन आयोग को भी समेट दीजिए जो बाबरी मस्जिद गिराने के कारणों की जांच कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय खत्म हो गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं दो मिनट और लूंगा। लिब्राहन आयोग का प्वाइंट क्या है? समेट दीजिए इसे। आइए, एक संकल्प करें कि कोई सच्चाई उजागर नहीं होगी और उसमें देरी होती रहेगी। इसलिए चलिए, इसे भी समेट दीजिए। जांच आयोगों की रिपोर्टें मददगार साबित क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि कई बार सरकार में ही विश्वास, साहस और भरोसे की कमी होती है। आप श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट को ही ले लीजिए। यह श्रीकृष्ण आयोग की गलती नहीं है। उन्होंने सच्चाई को उजागर किया। यह उस वक्त की सरकार का दोष था यह हमारे दल या आपके दल की ही कमियां हैं कि हम उनकी सिफारिशों के अनुसार काम नहीं कर सकते। हम कमजोर हैं। जनता कमजोर नहीं है। हम खुद से ही चालाकी और बेईमानी करते हैं और आयोग की रिपोर्ट को दोष देते हैं।

इसलिए, मेरे विचार से न्यायिक जांच की मांग सही है। हम विपक्ष का मूड और दिमाग को किसी और तरफ लगाकर कोई परिस्थिति पैदा करना नहीं चाहते किंतु मेरे ख्याल से इस बात पर तो समूचा विपक्ष एकमत है कि सरकार में बोध की कमी है।

यदि किसी ने भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के श्री सुदीप बंद्योपाध्याय का भाषण सुना है तो सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि सुरक्षा में कहीं न कहीं कुछ कमी तो थी *(व्यवधान)*

कृपया चिल्लाइए मत। भाषण का आदर करने का प्रयत्न करें। आप ऐसे चिल्ला सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? चिल्लाने में, मैं आपका मुकाबला तो कर नहीं सकता।

मैं जो भी जार्ज फर्नान्डीज ने कहा उसे उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यह 'द इन्डियन एक्सप्रेस' में छपा था।

[हिन्दी]

अगर यह जगह ठीक से मेनटेन होती, यह जगह खाली नहीं होती तो वे लोग नहीं आ सकते थे।

[अनुवाद]

उन्होंने एक स्थान का जिक्र किया था, आपने उन सभी चीजों की चर्चा की थी। श्री मदन लाल खुराना ने भी बाहर अपने विचार व्यक्त किए थे।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा चिंतित हैं। उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें तोड़ने नहीं जा रहे। यदि वे अपने हित में अपनी पार्टी से त्यागपत्र देते हैं तो यह हमारी त्रुटि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आप ऐसा पहले भी कह चुके है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसलिए, मैं गृह मंत्री से आग्रह करता हूं, न कि श्री आडवाणी से, कि इन गलतियों का हल राजनीतिक तौर पर न लिया जाए, यह न तो कांग्रेस करे, या न तो सी०पी० आई० (एम) या कोई अन्य दल करे। इसकी वस्तुनिष्ठ जांच हो, न्यायिक जांच हो।

मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभारी होता यदि वे हमारे प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना सदन में आते और हमसे कहते "कश्मीर के मामले में हम काफी मजबूत हैं, जब पूरी संसद एकजुट है तो हमें न्यायिक जांच बिठाने में कोई आपत्ति नहीं है; हम न्यायिक जांच बिठा रहे हैं।" इससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाती। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। क्यों? मैं समझता हूं।

इसलिए, मैं इस बात के लिए जोर नहीं देता कि हमें मतविभाजन की मांग करनी चाहिए क्योंकि मैं इस प्रस्ताव पर विपक्ष का बंटवारा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन, मैं समय व्यतीत होने तक सरकार से कार्रवाई चाहता हूं। इस प्रस्ताव के उत्तर में, आज के हित में ही नहीं बल्कि भविष्य के मद्देनजर भी न्यायिक जांच हो और जिस राष्ट्रीय शासन (नेशनल गवर्नेंस) का आपने दावा किया उसके अनुसार देश में शासन चलाएं। कांग्रेस पार्टी पर इस बात का आरोप न लगाएं और दुगलेपन की बात न करें।

अध्यक्ष महोदय : कुमारी मायावती कुछ स्पष्टीकरण चाहती है *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : दिल्ली में तीन हजार सिख मरे हैं, उनका क्या हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, कृपया शांत रहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : दिल्ली में तीन हजार लोग मरे हैं, उसमें आपने आज तक एक आदमी को भी सजा नहीं दिलवाई। *(व्यवधान)* उसमें क्या हुआ, उसकी आपने जांच कराई? तीन हजार लोगों को दिल्ली में जिंदा जलवा दिया गया था और पुलिस को वापस बुला लिया गया था। बूटा सिंह जी, आप उस समय होम

[श्री मदन लाल खुराना]

मिनिस्टर थे। *(व्यवधान)* उसमें एक भी आदमी को सजा नहीं दी गई, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैडम, कृपया बात को समझिए कि स्पष्टीकरण मांगने का यह समय नहीं है, क्योंकि आपने इससे पूर्व चर्चा में भाग लिया था।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह, कुछ मुद्दों के बारे में मात्र पूछताछ करना चाहती हैं। यह महत्वपूर्ण मामला है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने कल भी अपने मुद्दे उठाए थे।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से केवल एक रिक्वैस्ट करना चाहती हूं, एक मिनट में।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुमारी मायावती, कृपया बात को समझिए।

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से केवल एक रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहां रहते हैं, हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट। जम्मू-कश्मीर में भी इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ सख्ती करने के लिए कदम उठायें। क्योंकि जम्मू-कश्मीर में प्रेसीडेंट रूल नहीं है, वहां पर लोकप्रिय सरकार है और जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री कोई हिन्दू नहीं है, मुस्लिम समाज का बेटा डा० फारूख अब्दुल्ला है। जब आप कश्मीर की समस्या का कोई हल निकालें, आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन लें तो आप वहां के मुख्य मंत्री, डा० फारूक अब्दुल्ला को गुड फेथ में लेकर लें ताकि पूरे मुल्क में यह मैसेज जाए कि आपने मुस्लिमों को फेथ में लेकर डिसीजन लिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा पेश प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं:

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों सहित निर्दोष लोगों की हत्या की घटनाओं पर अपना रोष और गहरी संवेदना व्यक्त करती है तथा सरकार से आग्रह करती है कि वह सुरक्षा चूक, यदि कोई हो, के पहलू के विशेष संदर्भ में इस मामले की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त करे और इस आयोग की नियुक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दे।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.21 बजे

संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 335 का संशोधन)

[अनुवाद]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाये।"

राज्य सभा द्वारा 17 अगस्त, 2000 को यथापारित संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक, 2000 के अनुच्छेद 335 में यह उपबंध करता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सेवाओं में प्रोन्नति अथवा केन्द्र या राज्य सरकारों के अधीन पदों पर नियुक्ति में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त करने वाले आवश्यक अंक और उनके आंकलन के मानदंडों में छूट दी जाए।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने से पूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को यह छूट दी जाती रही है। यह छूट उक्त तिथि से उच्चतम न्यायालय के द्वारा श्री विनोद कुमार बनाम भारत संघ के मामले में दिये गये अधिनिर्णय के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी गयी थी। इस अधिनिर्णय में उच्चतम न्यायलय ने यह निर्णय दिया कि प्रोन्नति के मामले में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंक और उनके आकलन के मानदंडों में छूट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधानों

के मद्देनजर, संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुमत्य नहीं है यह अनुच्छेद निदेशित करता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के दावों पर विचार इस तरह से किया जाए ताकि प्रशासन की कार्यकुशलता अक्षुण्य बनी रहे।

अनुच्छेद 335 में प्रस्तावित परंतुक के अंत:स्थापन से, सरकार प्रोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को वह छूट दे सकेगी, जो कि दिनांक 22.7.97 के कार्यालय ज्ञापन से पूर्व उपलब्ध थी। इससे इन वर्गों के लोगों के लिए सेवाओं और सरकार के अधीन पदों में प्रोन्नति के अवसरों में सुधार हो सकेगा।

महोदय, मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से भी सलाह ली गई और उसने भी प्रस्तावित संशोधन का स्वागत किया है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय संबंधी विभागीय स्थायी संसदीय समिति ने 28 जुलाई, 2000 को लोक सभा पटल पर रखे अपने छ्यासठवें प्रतिवेदन में इस विधेयक के प्रावधानों पर सहमति व्यक्त की है और विधेयक को इसके वर्तमान स्वरूप में पारित किए जाने की सिफारिश की है। चूंकि समिति ने ये सिफारिशें इस विधेयक की गहन जांच के उपरान्त दी हैं, अत: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा के विचार के लिए रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस पर चर्चा के लिए आबंटित समय ढाई घंटे का है, चूंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर मतदान भी अपेक्षित है। हम अपराह्न 5.00 बजे या 5.30 बजे इस पर मतदान करेंगे। श्री बूटा सिंह।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय मंत्री महोदया ने संविधान का 88वां संशोधन बिल सदन के सामने रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। मुझे याद है आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पांच दिसम्बर को एक भाषण दिया था जो कि बहुत से पार्लियामेंट के मेम्बर्स को इकट्ठा करके यह प्रयास किया गया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने पांच सरकारी अर्ध पत्र जारी करके आरक्षण नीति की जड़ें काट दी गई हैं, उनको किस तरह से बहाल किया जाये, मैं प्रधान मंत्री जी के वाक्य को कोट करना चाहूंगा जो उन्होंने पांच दिसम्बर को दिया। उसमें प्रधान मंत्री जी ने कहा था:

[अनुवाद]

मैं प्रधानमंत्री के भाषण से उद्धृत करता हूं:

"सरकारी सेवाओं में आरक्षण के संबंध में कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी प्रक्रियात्मक मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में असंतोष से मैं अवगत हूं। उच्चतम न्यायालय के कतिपय विनिर्णयों के बाद इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को तत्कालीन सरकार ने जारी किया था।"

[हिन्दी]

उसी भाषण में आगे चलकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह भी वादा किया था कि इन पांच अर्ध सरकारी पत्रों के असर को खत्म करने के लिए जरूरत पड़ी तो हम पार्लियामेंट के अंदर संविधान में संशोधन लाकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नलिफाइ करेंगे और जो आरक्षण नीति इन सरकारी अर्ध पत्रों से पूर्व लागू थी, उसे बहाल करेंगे। यह स्पीच प्रधान मंत्री जी की 5 दिसम्बर 1999 की है। उसके बाद सरकार ने जो प्रयास किये हैं, सरकार की तरफ से वे बिल्कुल गैर-संजीदगी से किये गये हैं। यदि प्रधान मंत्री जी के भाषण को इंटरप्रेट करने के लिए सरकार समर्थन लाती तो उसका मतलब यह होता कि सदन में सभी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के मेम्बर्स ने प्रधान मंत्री जी को लिखित रूप में मैमोरेंडम एक बार नहीं, दो-तीन बार दिये हैं। आरक्षण नीति का संचालन करने के लिए पार्लियामेंट्री एक्ट पास किया जाये और उस एक्ट के माध्यम से आरक्षण नीति को निर्धारित किया जाये, उस एक्ट को शैडयूल्ड लाइन में रखा जाये ताकि उसके साथ कोई भी न्यायपालिका खिलवाड़ न कर सके, उसे मुक्त किया जाये। यह कमेटी गठित हुई जिसका गठन प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और उस समिति में सभी दलितों के नेता थे। उन दलित नेताओं ने जो सिफारिशों की हैं, सबसे पहली सिफारिश जिसे प्रधान मंत्री जी की हाजिरी में माना गया, मैंने चिट्ठी भी लिखी थी और मुझे दुख इस बात का है कि जो आदरणीय मंत्री महोदया यहां उपस्थित हैं, उनका विषय ही यह नहीं है। इन्होंने तो आरक्षण नीति की जड़ काटी हैं। जो मंत्री महोदया आरक्षण नीति के लिए अपॉइन्ट की गई हैं, वह इस सदन में हाजिर नहीं हैं। सोशल जस्टिस ऑफ एमपॉवरमेंट मिनिस्ट्री इसकी इंचार्ज है, वह यहां हाजिर नहीं है। इनका दलितों से कोई सरोकार नहीं है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप यदि खुद नहीं समझ सकती तो कम से कम नौकरशाही से दिये गये सलाह-मशविरा से गुमराह मत होइए क्योंकि प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति में यह रिकमेंडेशंस ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जो आपने बनाई थी जिसे प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार किया था, उसकी पहली सिफारिश मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"वर्तमान में, आरक्षण की नीति को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी अनुदेशों के द्वारा चलाया जाता है। चूंकि यह प्रबंध प्रभावी साबित नहीं हुआ इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि इस नीति को वैधानिक आधार देने और उन व्यक्तियों/प्राधिकारियों को जो कि इसके गैर-कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए कानून

[सरदार बूटा सिंह]

अधिनियमित किया जाना चाहिए। इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसुची में रखा जाना चाहिए।''

[हिन्दी]

उसके ऊपर राम विलास पासवान जी, कड़िया मुडा जी, मायावती जी, अमर राय प्रधान जी और बड़े-बड़े नेताओं के हस्ताक्षर हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह भी घोषणा की थी कि इसकी सिफारिश को लागू करेंगे। बजाए लागू करने के जो विधेयक आप लेकर आये हैं, उसमें बुनियादी कमी यह है कि इसका स्टेटमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। खाली छोटी सी लाइन लिखकर कह दी है:

[अनुवाद]

''बशर्ते कि इस अनुच्छेद में उल्लिखित कोई भी बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में कोई भी प्रावधान बनाने में बाधा नहीं डालेगी।''

[हिन्दी]

आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीप कोर्ट का जजमेंट जिसमें यह रिलेक्सेशन खत्म की गई है, वह जजमेंट बहुत विस्तृत बहुत व्यापक है। उसमें एक नहीं, अनेकों पहलुओं के ऊपर प्रहार किया है। जब तक उस जजमेंट का अक्षर-अक्षर खत्म नहीं होगा, उवसका असर खत्म होने वाला नहीं है। पहले भी अमेंडमेंट किया था। उस अमेंडमेंट को केवल लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफाइ किया है। डी०ओ०पी०टी० ने उसे नोटिफाइ नहीं किया। हम क्या मानें? यह अमेंडमेंट पास कर दिया है तो क्या उसको चुनौती नहीं दी जाएगी?

क्या उसे लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा? उसके लिए क्या प्रावधान किया है। सुप्रीप कोर्ट के जजमेंट को अगर आप पढ़ें तो तीन बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जिसे इंदिरा साहनी केस के जरिये माना जाता है, उस जजमेंट में बड़े-बड़े संस्थानों में जो प्रवेश है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश को बंद कर दिया है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। उसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा इसमें केवल प्रमोशन का है, डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट में लागू नहीं होगा। कुछ नहीं किया है। इसमें चार बड़े कंसेशंस मिलते थे, उनमें क्या-क्या प्रावधान होते थे। उनके लिए उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें रिलेक्सेशन ऑफ एज के बारे में कुछ नहीं है। उसमें बैंच मार्क्स के रिलेक्सेशन के बारे में भी कोई प्रावधान नहीं है। बैटर कैटेगोराइजेशन के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। केवल एक अक्षर लिखकर रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन में रिलेक्सेशन दिया जाएगा, किस बात का रिलेक्सेशन दिया जाएगा, वह भी नहीं लिखा है। इसलिए यह केवल गुमराह करने के लिए आंखों में धूल डाल दी गई है कि यह अमेंडमेंट लाए हैं। हम इसका विरोध नहीं करते हैं लेकिन मैं यकीन से कहना चाहता हूं कि चूंकि सरकार का आज तक का अनुभव यह है कि हम यहां पर कानून पास कर देते हैं लेकिन देश का कोई एम्पलॉइ सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा देगा तो आपका यह कानून भी उसी तरह से रद्द कर दिया जाएगा जैसे उससे पहले किया गया था। आपका उसके बारे में क्या कहना है? मैं आपसे चाहूंगा कि आप कम से कम इतना आश्वासन तो जरूर दे दें कि जो अमेंडमेंट लाई हैं, उसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी जो ओरिजिनल बात है:

[अनुवाद]

''प्रोन्नति देने के उद्देश्य से दलित कर्मचारियों के आकलन और मानदंडों में छूट दी जाएगी क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है या कानून की पुष्टि के लिए इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनसे प्रशासन में निपुणता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।''

[हिन्दी]

सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का दूसरा दुष्कर परिणाम यह है कि:

[अनुवाद]

''यद्यपि संविधान में प्रोन्नति में आरक्षण का उपबंध है लेकिन उच्चतम न्यायालय का कहना है कि दलितों और जनजाति के लोगों को प्रोन्नति का मौलिक अधिकार नहीं है जबकि सामान्य वर्ग को यह अधिकार है और दलितों को प्रोन्नति देने का दायित्व राज्य का नहीं है।''

[हिन्दी]

यह ऑरग्यूमेंट तब क्या कोई नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से वह जजमेंट नहीं दे देगी? जबकि जो स्पेशल रिपोर्ट कमीशन ने दी है। इन पांच अध्यादेशों को लेकर कमीशन ऑफ शैडयूल्ड कास्ट्स शैडयूल्ड ट्राइब्स ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसके चेयरमैन श्री हनुमनथप्पा जी थे। वह स्पेशल रिपोर्ट 22.01.1998 को पेश हुई थी जिसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हुई थी।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अधिनिर्णय देश का कानून बन जाता है।

[हिन्दी]

इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि इस अमेंडमेंट को चुनौती हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट का केस, उसी तरह से अंडर आर्टिकल 141 फैसला आ गया, फिर आकर इस सदन को कहेंगे यह लॉ ऑफ दि लैंड है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कृपया ऐसा मजाक करने से बाज आएं। मैं प्रार्थना करता

हूं कि यह अमेंडमेंट बिल्कुल शॉर्ट एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है। जो आपने सर्वदलीय कांफ्रेस में प्रधान मंत्री जी ने स्वयं भाषण में कहा था।

आप जब तक एक काम्प्रिहैन्सिव बिल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नहीं लाते हैं और उसको 9वें शैड्युल में नहीं रखते हैं, तब तक यह सब बेमानी है। इसका मतलब है–

तसल्ली दे गए उनको, जिन्हें दुश्वार था जीना,
अर्ज यह थी कि मरना उन्हें भी दुश्वार हो जाए।

आदरणीय वाजपेयीजी जी, हम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं। आपकी संजीदगी और आप द्वारा दिए गए भाषणों में आपने दलित लोगों के प्रति और अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति भावना व्यक्त की है। उस भावना को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस अधूरे संशोधन को वापिस करें और एक काम्प्रिहैंसिव बिल लेकर सदन में आयें। पहले रामविलास पासवान जी के वक्त में भी हुआ था, अब आपकी सरकार आई है, उसी को लागू कर दें। इसी प्रकार आपोजीशन की तरफ से तीन बिल आदरणीय स्पीकर साहब की अनुमति से प्राइवेट मैम्बर बिल के रूप में एडमिट हो चुके हैं, जो सभी वर्गों और सभी दलों के बिल्स हैं। हमारे दल के श्री राष्ट्रपाल जी का बिल एडमिट हो चुका है, एजेंडे में आ चुका है। इस बिल को सत्ता पक्ष, विपक्ष और सभी दलों के सदस्यों ने देखा है, फोरम में रखकर डिसकस करके सदन में पेश किया है। इसी प्रकार श्री सुशील कुमार शिन्दे जी के नाम से भी बिल सदन में आया है और अन्य माननीय सदस्यों के नाम से भी बिल आया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वे बिल जो प्राइवेट मैम्बर्स के नाम से प्रस्तुत हुए हैं, जिनको अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति प्रदान की है, सभी दलों के सदस्यों ने पढ़ लिए हैं, रामविलास पासवान जी ने भी पढ़ लिया है, उन बिल्स को प्राइवेट मैम्बर्स बिल न रखकर सरकार की तरफ से लाए जायें। हम सभी उस बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन आपका यह संशोधन हमारे खिलाफ जाएगा। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जड़ काट देगा। प्रधान मंत्री जी, 1997 में ओफिशियल डीओ लैटर्स इशू किए गए थे, अब सन् 2000 चल रहा है, इन तीन सालों में सभी राज्यों में, भारत सरकार में, पब्लिक सैक्टर्स में, नेशनलाइज्ड बैंक्स में, हजारों-लाखों नियुक्तियां हो चुकी हैं। उन पांच चिट्ठियों की वजह से सबके सब लोग वंचित हो गए। दलित-आदिवासियों को नौकरियों में नहीं जाने दिया गया क्योंकि सुप्रीप कोर्ट के आदेश के मुताबिक वे प्रवेश नहीं कर सकते थे और आज का संशोधन भी उनको प्रवेश करने की इजाजत नहीं देगा।

[अनुवाद]

मैं इस बिल का विरोध केवल बाह्य रूप से नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रेस में यह कह दिया है वे इसको पुन: लागू करने जा रहे हैं। यद्यपि यह बात उन्होंने संसद के अपने संक्षिप्त अभिभाषण में भी नहीं कही है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि वे पहले की आरक्षण नीति को पुन: लागू करेंगे जो कि उनके विभाग द्वारा जारी उन पांच सरकारी पत्रों के जारी होने के पहले चल रही थी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्हें कम से कम यह कहना चाहिए कि वे उस आरक्षण नीति को पुन: लागू करने जा रहे हैं जो कि पिछले 50 वर्षों से जारी थी। कम से कम वह आश्वासन इस सभा के रिकार्ड में आना चाहिए। मैं पुन: यह बात दोहरा रहा हूं,

[हिन्दी]

जो बिल सभी माननीय सदस्यों की मंजूरी से, प्राइवेट मैम्बर्स के नाम से, सदन में पेश हुए हैं, उनको सरकार लेकर आए। इस संशोधन की जरूरत नहीं है। यदि आप अपनी तसल्ली के लिए, लोगों को गुमराह करके इस बिल को पास करना चाहे, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, मगर हमारी मांग वही रहेगी। यह विधेयक हाफ-हार्टेड मेजर्स लिए हुए है, इससे आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन संसद सदस्य, चाहे आपकी पार्टी के हों या हमारी पार्टी के हों, वे सब जानते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है।

अध्यक्ष, महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में ध्यान में और भी फैक्ट्स रखना चाहता हूं कि इससे आज तक क्या क्या नुकसान हुआ है। खासकर, चार रिलैक्सेशन में से एक को रिस्टोर करने का प्रयास किया है और यह भी अधूरा है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, यदि आप सही मायनों में दलितों की मदद करना चाहते हैं, तो एक एक्ट बनाकर उसको 9वें शैड्युल में रखिए, ताकि दलितों की बिगड़ी हुई हालत में सुधार किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा 88वां संविधान जो प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सब को मालूम है कि वर्ष 1997 में तत्कालीन सरकार के समय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में कुछ निर्देश दिए गए थे, कुछ जजमेंट हुए थे और कुछ आदेश दिए थे। उसके परिपालन में सरकार की ओर से पांच कार्यालयीन आदेश जारी हुए थे और उन आदेशों के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में नौकरियों और पदोन्नतियों में उन्हें जो सुविधाएं मिलती थीं, उन पर रोक लगाई गई थी। 30.1.1997 को आदेश जारी हुए और उसके बाद 2.7.1997 तथा 22.7.1997 को जारी हुए। उसके बाद 13.8.1997 और 19.8.1997 को आदेश जारी हुए। इनमें से पिछले सत्र में 29.8.1997 के संबंध में जो आदेश जारी हुआ था, उसे विदड्रा करने के लिए अटल जी की सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था और इस सदन ने उसे सर्वानुमति से पारित कर दिया। पिछले आदेशों के कारण या अन्यान्य कारणों से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति में अवसर नहीं मिल पाए थे। ऐसे रिक्त स्थानों की संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गई थी। भारत के संविधान में यह व्यवस्था है और पहले भी थी कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उस प्रतिबंध को हटाने के लिए वह विधेयक पास किया गया था और उसके कारण अब 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

की भरी जा सकेंगी। वह एक लाभ इस सरकार ने उन्हें पहुंचाने का सराहनीय काम किया। पिछले सत्र में 22 दिसम्बर को प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में घोषणा की थी कि हम पदोन्नति और सेवाओं में जो अंकों में छूट दी जाती रही है और पिछली सरकारों ने समयावधि में जो कार्यालयीन आदेश जारी हुए, उसके कारण उसमें रुकावट आ गई थी, उसे भी वापस करने के लिए, हटाने के लिए और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को भर्ती और पदोन्नति में जो अंकों की छूट दी जाती है वह देने की व्यवस्था फिर से बहाल करेंगे। आज का यह विधेयक उसी तारतम्य में प्रस्तुत किया गया है।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, अटल जी ने जो वायदा किया था, उसे निभाने के लिए मैं अटल जी का और उनकी सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसे बूटा सिंह जी ने आशंकाएं व्यक्त की हैं, इस तरह की कुछ आशंकाएं निश्चित रूप से लगती हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स अर्थ का अनर्थ लेकर इस संविधान की धाराओं के अनुच्छेद की व्याख्या करते समय अपने-अपने ढंग से निष्कर्ष निकालते हैं। मेरे पास भारत का संविधान है और उसमें जो पहले व्यवस्था थी और आज जो व्यवस्था की जा रही है, उसमें जो इबारत, परिभाषा या शब्दावली है, मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 335 के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

> "परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, संघ के या किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी वर्ग या वर्गों की सेवाओं में या पदों पर प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा में अर्हर अंकों में शिथिलीकरण या मूल्यांकन के मानक घटाने का कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

यह संशोधन हमें इस प्रकार का अधिकार देगा कि अंकों में छूट देने के लिए कोई कानून, नियम बनेगा तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा।

इसमें पदोन्नति शब्द स्पष्ट लिखा है लेकिन सेवाओं में भर्ती का कहीं उल्लेख नहीं है। यदि भर्ती करते समय अंकों की छूट देने की बात आएगी और किसी ने आपत्ति की तो कोर्ट उसके आधार पर रोक लगा सकता है। कोर्ट अपने ढंग से व्याख्या करके कहीं न कहीं बाधा पहुंचा सकता है। इस संशोधन के पूर्व संविधान के अनुच्छेद विशेषकर 16 (4) और 16 (4) (क) में स्पष्ट उल्लेख था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही थी, अंकों में छूट, पदोन्नति में कुछ रियायतें, कोर्ट ने उन छूटों की अपने ढंग से व्याख्या करके प्रतिबंधित कर दिया। मैं उसे कोट करके सदन का समय खराब नहीं करना चाहता हूं। अनुच्छेद 335 में जो शब्दावली थी, उसके कारण कोर्ट ने फैसला दे दिया। वह शब्दावली थी "सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनूसूचित जन जातियों के दावे संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जाति और अनूसूचित जन जातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा" दक्षता बनाए रखने की जो बात लिखी थी उसका कोर्ट ने इस्तेमाल किया और 16 (4) और उसके "क" भाग में जो लिखा, उसे निरर्थक और शून्य कर दिया। संविधान के इस अनुच्छेद को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। विश्लेषण करके इससे जो वस्तु स्थिति सामने आनी चाहिए, वह नहीं आई। अनूसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, उसका फैसला करने का अधिकार कोर्ट को न मिले, इसकी शब्दावली में और संशोधन करने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि कोर्ट अपने-अपने ढंग से इसकी व्याख्या करके समय-समय पर निर्णय करता है और सरकार को मानना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 31 (ख) में ऐसा प्रावधान है जो नौवीं अनुसूची के अन्तर्गत जो सूची बनती है, उससे संबंधित कोई भी मामले का उसमें उल्लेख किया गया है और इससे संबंधित जो विषय हैं, कहीं न कहीं किसी प्रकार उसकी शब्दावली के कानूनी स्वरूप में खामी है तो उसे नजरअन्दाज किया जाएगा। अगर कोर्ट फैसला करेगा, राज्य शासन या कोई सरकार निर्णय देगी तो वह फैसला तब तक लागू नहीं होगा जब तक संबंधित संस्था अर्थात् विधान मंडल या संसद में फिर से विचार करके उसे स्वीकार नहीं किया जाता। यदि नौवीं अनुसूची में यह सम्मिलित होता तो कोर्ट का फैसला सीधे लागू नहीं होता और सरकार को यह आदेश जारी करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता।

संविधान के अनुच्छेद 31 (ख) के अन्तर्गत नौवीं अनूसूची बनी है। अनुसूचित जाति और जन जाति से संबंधित जितनी आरक्षण सुविधाएं हैं उन सब को नौवीं अनूसूची में सम्मिलित कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार से इन वर्गों के विपरीत कोई निर्णय न हो जाए और संसद तथा सरकार जब तक न चाहे, वह लागू न हो।

तीन साल पहले आदेश जारी हुआ। इन तीन सालों में जो सुविधाएं संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को मिलती थीं वे रुक गई, निरस्त हो गईं। इस कारण इन तीन-साढ़े तीन सालों में सारे देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हजारों लोगों को नुकसान हुआ। उनकी पदोन्नति रुक गई। अर्हता की पूर्ति न होने के कारण उनको जो लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिला। उनको लाभ दिलाने के लिए इस संशोधन विधेयक के अंतर्गत जो कानून बनने वाला है, वह पिछली तारीख से लागू कर दिया जाए और विशेष अभियान चला कर उन्हें जो हानि हुई, उसकी पूर्ति के लिए व्यवस्था करने की कृपा करें तो अति उत्तम होगा। मैं इस संशोधन विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि

मैं इस सरकार में विश्वास करता हूं कि भविष्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये जो पांच एम.ओज. जारी हुये हैं, दो के बारे में तो हम व्यस्था कर रहे हैं परन्तु जो तीन अभी बाकी हैं, उनके संबंध में शीघ्रताशीघ्र निर्णय करेंगे कि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा दलित वर्ग का शोषण न हो। इस

देश में वे लोग भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करते रहे। इस देश में अमन-चैन का वातावरण बना रहे और उन लोगों में देशभक्ति की भावना ओत-प्रोत रहे।

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों से हमारी जनसंख्या के 24% लोग इन सुविधाओं से वंचित हैं। यह सुविधा कुछ व्यक्तियों द्वारा याचिका दायर करने से हटा ली गई थी। इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 335 और 16-क के अंतर्गत इन प्रावधानों में संशोधन किए बिना यह सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती हैं। मैं यह नहीं जानता कि इन तीन सालों में कितने पद भरे नहीं गए हैं और कितने बकाया पड़े पदों का सृजन किया गया है।

यह सुविधा न केवल केन्द्र सरकार में उपलब्ध थी बल्कि राज्य सरकारों में भी उपलब्ध थी। उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात् सभी राज्य सरकारों ने यह सुविधा देना बंद कर दिया। यह सुविधा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को भी उपलब्ध थी। गत तीन वर्षों में करोड़ों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी इस सुविधा से वंचित रहे हैं। अत: यह सरकार इस विधेयक को अच्छी भावना से इस सभा के समक्ष लाई है।

जो भी हो, मुझे इस बात की आशंका है कि क्या यह विधेयक इन वर्गों के व्यक्तियों को वह सब सुविधाएं प्राप्त करा सकेगा जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले उपलब्ध थीं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभा के समक्ष एक विस्तृत विधेयक लाया जाये ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को वे सभी सुविधाएं मिल सकें जो भारत सरकार द्वारा जारी इन पांच कार्यालय ज्ञापनों के पहले उपलब्ध थीं।

अध्यक्ष महोदय : सभा इस मुद्दे पर एकमत है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : महोदय, आज सुबह, मैंने इसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया है। वह अभी तक परिचालित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह बाद में आएगा, अभी नहीं।

श्री बाजू बन रियान : महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार 1.1.65 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 13.17% था और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 2.25% था। यह अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित 15% कोटे और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% कोटे से कम है।

1.1.1991 की स्थिति के अनुसार, इनके प्रतिनिधित्व में थोड़ा सा बदलाव आया है। प्रतिनिधित्व के लिए कोटा अनुसूचित जाति का 17.19% और अनुसूचित जनजाति का 5.44% था। मेरे पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार 1.1.1997 को अनुसूचित जाति का कोटा 17.60% और अनुसूचित जनजाति का 6.14% था। लेकिन फिर भी यह थोड़ा कम है। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि राज्य सरकारों में और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थिति क्या है।

महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आजकल पूरे देश में इस वर्ग के लोग उग्रवादी का कार्य कर रहे हैं। वे उग्रवादियों के साथ जाने को मजबूर हैं। विशेषकर, पूर्वोत्तर में अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। उन्होंने हथियार उठा लिया हैं, और वे जान देने से भी नहीं डर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा उस क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ापन और बेरोजगारी की समस्या के कारण है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 50 वर्षों बाद भी पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पिछड़ गई है। इसका मुख्य कारण है कि पूर्वोत्तर राज्यों में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। शिक्षित लोग भी कोई रोजगार नहीं पा रहे हैं। वहां लाखों युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के कारण, कुछ अनुसूचित जनजातियों ने हथियार उठा लिए हैं। लेकिन मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हथियार उठा लेने से अनुसूचित जनजाति और कमजोर तबके के व्यक्तियों की समस्याएं हल नहीं होंगी। मुझे ज्ञात है कि यह एक गलत तरीका है। लेकिन सरकार की निष्क्रियता के कारण कुछ लोग इस रास्ते पर जाने को मजबूर हैं।

अत: इस समय, मैं इस सरकार से यह आशा करता हूं कि वह उनकी सहायता के लिए आगे आएगी और उनको वे सभी सुविधाएं देगी जो कि पूर्व में दी जा रही थी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यह अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा तेलगुदेशम पार्टी की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय से उत्पन्न स्थिति को दूर करने के लिए है जिसमें कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित छूट संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार देय नहीं है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम के लिए उनका आभारी हूं। जब भी अनुसूचित जाति और जनजाति के संसदीय फोरम ने उनसे मुलाकात की और सभा में भी जब यह मामला उनके ध्यान में लाया गया तो उन्होंने इस पर पूरे मन से ध्यान दिया और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उन पांच कार्यालय ज्ञापनों से उत्पन्न स्थिति को समाप्त करने का वक्तव्य दिया।

[डा० मन्दा जगन्नाथ]

लेकिन महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बारहवीं लोक सभा और तेरहवीं लोक सभा में भी यह आश्वासन दिए। यह आश्वासन उन्होंने विधि मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय की देख-रेख में भारत सरकार द्वारा आयोजित सेमिनार में भी दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के आरक्षण पर बहस की जाएगी तथा एक योजना बनाई जाएगी। तब से अब तक ० माह बीत गए हैं लेकिन इस मामले में जिस गति से कार्य हो रहा है इससे पूरे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के मन में संदेह पैदा हो रहा है।

अपराह्न 3.00 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

अनेक राजनीतिक दलों और एक के बाद एक आई सरकारों के द्वारा अनेक बातें कही गई। जब भी अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के विरुद्ध कोई निर्णय दिया गया तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उसको कुछ ज्यादा ही उत्साह से लागू किया। लेकिन जब भी अनुसूचित जाति के लोगों के हित में कोई निर्णय दिया गया या संविधान संशोधन लाया गया तो इस पर कम ध्यान दिया गया, जैसे सत्तहत्तरवां संविधान संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 16(4)(क) लाकर 16(4) को संशोधित किया गया जिससे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति के अधिकतम अवसर दिया जा सके। अनेक वर्ष बीत गए हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया पांच कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिये गए। यदि उनको लागू कर दिया जाता है तो अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के सारे कार्यक्रमों और उनको दी गई सांविधिक सुरक्षा के उपायों पर एक अत्याचार होगा।

सभा के हित के लिए तथा पूरे देश के हित के लिए मैं संक्षेप में इन कार्यालय ज्ञापनों को पढ़ रहा हूं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.1.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/1/96-स्था० (डी०) कहता है कि यदि अनुसुचित जाति का कोई व्यक्ति छूट का लाभ प्राप्त कर पदोन्नति प्राप्त करता है तथा सामान्य श्रेणी का कोई दूसरा व्यक्ति भी पदोन्नति प्राप्त करता है तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति सामान्य श्रेणी के व्यक्ति से कनिष्ठ माना जाता है। इस आदेश का क्या अर्थ है? मैं नहीं जानता हूं। इसका अर्थ है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो कि पहले पदोन्नति प्राप्त करता है बाद में पदोन्नति प्राप्त करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति से कनिष्ठ हो जाता है। इसका क्या अर्थ है?

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012-स्था०(रिस०) रोस्टर पद्धति से संबंधित है। यहां पर रोस्टर रखने की पद्धति थी। लेकिन यह पद पर आधारित पद्धति बना दी गई है जिसमें किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को रिक्ति तभी उपलब्ध हो पाती है जब कि कोई सेवानिवृत्त होता है या मरता है। अत:, ये लोग कैसे उन्नति कर सकते हैं?

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तीसरा कार्यालय ज्ञापन वह है जिसे वर्तमान में प्रस्तुत यह विधेयक हटाने के लिए है। अत: मैं इसका स्वागत करता हूं।

चौथा कार्यालय ज्ञापन सभी वर्गों और श्रेणियों के लिए आरक्षण पर प्रतिबंध लगाता है। यद्यपि संविधान (सत्तहत्तरवां) संशोधन विधेयक में इसका प्रावधान किया गया था लेकिन इस कार्यालय ज्ञापन के कारण यह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का पांचवा कार्यालय ज्ञापन बकाया पड़ी रिक्तियों से संबंधित है जिसे हमने गत माह संशोधित किया है। बकाया पड़ी रिक्तियों का क्या अर्थ है? हमें इसे क्यों 50% तक सीमित करना चाहिए? बकाया रिक्तियां वे रिक्तियां हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से न भरे जाने के कारण बकाया रखा गया। यदि नई भर्ती की जाती है तो इन रिक्तियों को उनमें जोड़ देना चाहिए। ऐसा करने के बजाए वे इन रिक्तियों को 50% तक ही सीमित कर रहे हैं जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस प्रकार, वे अपना उचित अंश नहीं प्राप्त करते हैं।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पर हम लोगों को बहुत विश्वास है। हमारे संविधान के संस्थापक सदस्यों की अभिलाषा थी कि कम सुविधा प्राप्त और समाज के कमजोर तबके समाज की मुख्य धारा के बराबर लाये जाएं। उनकी अभिलाषाएं अधूरी नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

एक बार पुन: इस टिप्पणी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि एक ज्ञापन या पूरे पांचों ज्ञापनों के संशोधन मात्र से ही यह कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। जब तक एक व्यापक विधेयक नहीं लाया जाता और इसे नौवीं सूची में नहीं रखा जाता तब तक इसका समुचित क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय सभापति जी, आज सरकार ने भारतीय संविधान में 88वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। इस एमेंडमेंट को लाने की क्यों जरूरत पड़ी है, इसके बारे में सरकार भी जानती है और शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के मैम्बर पार्लियामेंट भी जानते हैं। जब इस देश में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी तो उस दौरान सरकारी सेवाओं में प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर, 1996 के आदेश के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देश पर यूनाइटिड फ्रण्ट की सरकार ने समाप्त कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार पर यह फैसला लिया था, जिसके कारण शैडयूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के एम्पलाइज काफी दुखी थे। पार्लियामेंट के अन्दर भी इस प्राब्लम को लेकर कई बार आवाज उठाई गई और पार्लियामेंट के बाहर भी शैडयूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स से सम्बन्धित एजुकेटिड एम्पलाइज ने विभिन्न आर्गेनाइजेशंस के माध्यम से धरने और प्रदर्शन किये। इस बात को

हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट के अन्दर भी और बाहर भी कई बार उठाया। मुझे याद है कि पिछले साल पांच दिसम्बर से लेकर सात दिसम्बर तक तीन दिन अधिवेशन पार्लियामेंट अनेक्सी में बुलाया गया था, जिसका विषय शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के डवलपमेंट के लिए शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के मैम्बर पार्लियामेंट की राय जानना था। पांच दिसम्बर को अधिवेशन के पहले दिन अधिवेशन के अध्यक्ष या चीफ गैस्ट के रूप में माननीय प्रधान मंत्री जी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा था कि प्रमोशन में ३ ण की प्राब्लम को हमारी सरकार जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेगी। उसके बाद शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट ने काफी दबाव डाला। उस दबाव में आने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह बात अपनी केबिनेट में रखी होगी और केबिनेट ने जो डिसीजन लिया, मैं उस डिसीजन के बारे में बताना चाहती हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 22 दिसम्बर को इसी हाउस में यह घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल ने यह डिसीजन लिया है, हमारी सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि प्रमोशन में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जायेगा और इससे सम्बन्धित कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल जल्दी से जल्दी लाया जायेगा। प्रधान मंत्री जी चले गये हैं, वे होते तो मैं उनसे पूछती कि 22 दिसम्बर, 1999 को पिछले साल उन्होंने इसी हाउस के अन्दर यह कहा था कि हमारी केबिनेट ने इसको पास कर दिया और हम इससे सम्बन्धित एमेंडमेंट बिल जल्दी से जल्दी लाएंगे। इस बात को पूरे आठ महीने हो गये हैं, आठ महीने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी को प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में सुध आई।

सरकार को सुध आई आठ महीने के बाद कि इस विधेयक को लाना चाहिए। यह जो विधेयक लाया गया है यह आठ महीने के बाद लाया गया है, जबकि इसकी घोषणा आठ महीने पहले कर दी थी। जब आरक्षण के मामले में सरकार का इस किस्म का रवैया है तो इसको इम्प्लीमेंट करने में किस तरह का रवैया होगा, यह सोचने वाली बात है। जब 22 दिसम्बर को घोषणा की और आज इस पर बहस हो रही है तो आरक्षण को लागू कराने के लिए सरकार की कितनी दिलचस्पी हो सकती है, इससे समझा जा सकता है। यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। यह जो 88वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, इसका मैंने अध्ययन किया है। इसमें काफी कमियां हैं। उनका फायदा आरक्षण विरोधी लोग उठा सकते हैं। इससे वे सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालतों में जाकर प्रमोशन में आरक्षण से सम्बन्धित जो 88वां संशोधन विधेयक यहां लाया गया है, ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह की भाषा इसमें लिखी है, उससे कनफ्यूजन पैदा होता है और इसका आरक्षण विरोधियों को लाभ मिलेगा और इसका फायदा ज्यूडिशरी भी उठा सकती है। मेरा अनुरोध है कि इस पर पुन: सोच-विचार करें। हम इसके हक में हैं कि यह पास होना चाहिए इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन प्रमोशन में आरक्षण की जो पुरानी व्यवस्था थी, उसको यथावत इसमें रखा जो, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। इसलिए इस पर आप सोच-विचार कर लें। जो ब्यूरोक्रेसी ने अपने हिसाब से भाषा फिक्स कर दी है, यह हमारे समाज के लिए आगे चल कर बड़ी खतरनाक होगी। इसलिए प्रमोशन में आरक्षण की जो पुरानी व्यवस्था है, उसी को यथावत इस विधेयक में रखा जाए, ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे।

सभापति महोदय, मैंने कई बार संसद में कहा है कि आरक्षण को लेकर कभी तो राज्य सरकारें छेड़छाड़ करती हैं, उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए, कभी अदालतें छेड़छाड़ करती हैं। यदि सरकार की नीयत साफ है तो इसका कोई स्थाई हल निकालना चाहिए, जिससे कोर्ट इसमें दखल न दे सके और कोई भी सरकार इसमें मनमानी न कर सके। इसके लिए भारतीय संविधान में जो नौवीं अनुसूची है, उसमें आरक्षण को रखना चाहिए। यह कब रखना चाहिए, रिजर्वेशन से सम्बन्धित अब तक जो भी छेड़छाड़ हुई है, उस पर पुनर्विचार करके आरक्षण नीति की जो पुरानी व्यवस्था थी, उसको एज इट इज करके, उसमें जो तब्दीली की जरूरत है, वह करके, पुरानी व्यवस्था को भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में रखना चाहिए, ताकि कोर्ट इसमें दखल न दे सकें।

आप प्रमोशन से जो यह संशोधन विधेयक लाए हैं, इससे आपकी मंशा साफ नजर आ गई है कि आठ महीने के बाद आज इसको यहां पेश किया गया है। इसका मतलब आप दिल पर पत्थर रख कर इस विधेयक को लाए हैं। इससे ऐसा लगता है कि प्रमोशन में आरक्षण से सम्बन्धित जो विधेयक जो हम पास करने जा रहे हैं, इसको लागू कराने में सरकार की कितनी दिलचस्पी होगी, यह हमें नजर आ रहा है। प्रमोशन में आरक्षण को लागू कराने के लिए आपको कोई कानून बनाना चाहिए। जब तक कोई कानून नहीं बनाएंगे, उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि लागू कराने के मामले में हमारी सरकार उदासीन रहती है। मुझे शक है कि आप इसको बराबर लागू नहीं करा पाएंगे। इसको लागू कराने के लिए जिस तरह से आठ महीने के बाद आज इसको यहां लाया गया है, इसको लागू कराने के लिए आपको कोई एक्ट बनाना होगा।

कोई कानून बनेगा तब जाकर प्रमोशन का लाभ मिलेगा। प्रमोशन में आरक्षण का तो हम समर्थन करते हैं लेकिन इसके साथ-साथ और भी पहलुओं के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जैसे राज्य सभा में आरक्षण नहीं है, विधान सभा में आरक्षण नहीं है विधान सभा में आरक्षण नहीं है और ज्यूडिशिअरी में आरक्षण नहीं है, प्राइवेट सैक्टर में नहीं है। इन पहलुओं के बारे में भी सरकार जरूर सोचे। जिन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था एस०सी०एस०टी०, के लोगों के लिए नहीं है, उसमें भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगी क्योंकि यह आरक्षण से संबंधित मामला है। जो एस०सी०एस०टी० के लोगों पर अत्याचार होते हैं तो अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पास करके स्टेट की सरकार को भेजा है लेकिन जो प्रदेश की सरकारें हैं, वे उनको बराबर इम्पलीमेंट नहीं कर रही हैं जिसके कारण हर सूबे के अंदर एस०एस०टी० के लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं। यू०पी० इतना बड़ा प्रदेश है। वहां परसों ही एक एस०सी० के

[कुमारी मायावती]

बेटे को मार दिया गया, मैं जौनपुर जिले की बात कर रही हूं। दो-तीन दिन पहले सीतापुर जिले में एक एस०सी० लेखपाल को कलैक्टर ने मुर्गा बनाकर पिटाई की और अपने घर भेज दिया तथा बाहर पुलिस लगा दी ताकि वह किसी को बयान न दे सके। इसका मतलब यह है कि जो एस०सी०एस०टी० अन्याय अत्याचार निवारण अधिनियम है, उसे वहां लागू नहीं किया जा रहा है।

प्रमोशन में आरक्षण के साथ-साथ भारत सरकार ने एस०सी० एस०टी० के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो अधिनियम पास किया, उसे सख्ती से प्रदेशों में लागू करना चाहिए क्योंकि आज यू०पी० में ही नहीं पूरे देश के अंदर एस०सी०एस०टी० के लोगों पर अन्याय हो रहा है, उन्हें लोग अपने अत्याचार का शिकार बना रहे हैं। इसलिए आरक्षण के साथ-साथ और पहलुओं के ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। हम इस व्यवस्था का समर्थन करते हैं लेकिन यही रिक्वेस्ट है कि जो विधेयक है, इसकी भाषा में कोई तब्दीली न करें, प्रमोशन में आरक्षण की जो पुरानी व्यवस्था थी, उसे एज इट इज इस अमेंडमेंट बिल में लेकर आये। आपने समय दिया, धन्यवाद देती हूं।

डा० (श्रीमती) अनिता आर्य (करोल बाग) : महोदय, आजादी के पचास वर्ष पश्चात् भी संविधान में किये गये विशेषाधिकारों का लाभ एस०सी०एस०टी० के लोगों को नहीं मिल पाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना अधूरा रहा। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 88वां संशोधन विधेयक पेश किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं और सरकार को हार्दिक बधाई देती हूं। मेरा अनुरोध है कि आरक्षण संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था को संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित किया जाये। वर्ष 1997 में पांच आदेश तत्कालीन सरकार द्वारा जारी किये गये थे जिससे एस०सी०एस०टी० पर जो काफी अन्याय हुआ था, 22 दिसम्बर में लोक सभा में माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि 335 अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा। 23 दिसम्बर को राज्य सभा में यह बिल प्रस्तुत किया गया और चर्चा के बाद यह बिल पास हुआ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एस०सी०एस०टी० के लोगों के लिए प्रमोशन में जो आरक्षण दिया है, उससे एस०सी०एस०टी० के लोग उन्हें बधाई देना चाहते हैं। मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करती हूं, साथ ही सरकार से मांग करती हूं कि इस बिल का पारित करते हुए नौवीं सूची में रखा जाये ताकि न्यायालय की परिधि से यह बाहर हो जाये और लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों से ही समाज के दलित वर्ग के लोगों का सामाजिक उत्थान करना और उन्हें न्याय दिलाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक चिन्ता का मुख्य विषय और लक्ष्य था। महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था कि सामाजिक न्याय केवल तभी सम्भव है जबकि झोपड़ी में रहने वाले अन्तिम व्यक्ति को न्याय मिल जाए।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छानुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डा० अम्बेडकर और अन्य महान प्रबुद्ध व्यक्तियों को संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपने का निर्णय लिया था। डा० अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। तदनुसार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों, राज्य नीति के निदेशक तत्वों और हमारे समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अधिकारिता के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए उद्देशिका के अन्तर्गत उपयुक्त प्रावधान जोड़े गए थे।

जैसा कि सभा को ज्ञात है, पिछले 45 वर्षों के दौरान एक के बाद दूसरी सरकारों और न्यायालयों ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान करने संबंधी इन राष्ट्रीय लक्ष्यों का ईमानदारी से अनुपालन किया। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछले सात-आठ वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इस तरह के निर्णय दिए गए हैं जो संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित संवैधानिक मूल भावना तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं।

इन्दिरा साहनी, वीर-पालसिंह चौहान, आर०के० सबरवाल, विनोद कुमार और अजित सिंह के मामलों में दिए गए निर्णय न्यायपालिका के अनुचित तथा अनावश्यक हस्तक्षेप के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो समाज के दलितों आदिवासियों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को शक्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के लिए दिए गए हैं।

यह जानकर और भी दुख होता है कि विधि मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने सरकार की ओर से न्यायालयों में इन मामलों के बचाव पक्ष में समय पर कार्यवाही नहीं की। इसके अतिरिक्त, यह जानकर धक्का लगा कि झूठे शपथ-पत्र दायर किए गए थे जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों के विरुद्ध थे। यह एक गंभीर मामला है और उसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

इन निर्णयों के आते ही, अधिकारियों ने इन्हें कार्यान्वित करने और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षोपायों को समाप्त करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। मुझे खुशी है कि अनुच्छेद 335 में यह संशोधन करके, प्रोन्नति के मामलों में प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षोपायों को समाप्त करने से हुए अन्याय को दूर किया गया है। महोदय, तीन अन्य ज्ञापन भी हैं। अत: एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यहां तक कि श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, श्री बूटा सिंह और मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसे

संविधान की नौवीं अनुसूची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना चाहिए ताकि प्रत्येक समस्या हल हो जाए।

महोदय, मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक वर्ष के भीतर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी थी। उस समय अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला था। तत्पश्चात्, किसी भी सरकार द्वारा कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए। उसके बाद, दो-तीन प्रधानमंत्री आए लेकिन किसी ने इस संबंध में रुचि नहीं ली। इस देश की 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत जनता के लिए यही चिन्ता है। प्रधानमंत्री ने स्वयं इस सभा में दो अवसरों पर तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संसद सदस्यों के सम्मेलन में यह आश्वासन दिया है कि वे इसे कार्यान्वित करेंगे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इमे खंडों में कार्यान्वित करने की बजाय, एक व्यापक विधेयक पेश किया जाना चाहिए।

श्री आनन्द मोहन विश्वास (नवद्वीप) : माननीय सभापति महोदय, संविधान (अठासीवाँ संशोधन) विधेयक का सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वचन के अनुसरण में पेश किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने सभा के समक्ष भी वचन दिया था कि सरकार विनोद कुमार के मामले में दिए गए कठोर निर्णय की पुनरीक्षा करेगी।

आप अच्छी तरह जानते हैं कि संविधान सभा के माननीय सदस्य और हमारे संविधान निर्माता डा० वी०आर० अम्बेडकर ने संविधान में कुछ प्रावधान किए थे जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सम्पूर्ण विकास हेतु और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ अधिकार तथा विशेषाधिकार दिए थे। संविधान की स्थापना के बाद अनेक अनुच्छेद जोड़े गए जिनमें अनुच्छेद 16(4)(क) के अन्तर्गत सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है और अनुच्छेद 17 में उन्हें अत्याचारों से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है, और अनुच्छेद 64 और 335 एक दूसरे से संबद्ध हैं।

यह संशोधन विनोद कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द करने के लिए जरूरी है। अनुच्छेद 335 में यह कहा गया है कि प्रशासन के कुशल कार्य संचालन के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए और उन्हें प्रोन्नति के मामले में न्यूनतम निर्धारित अंकों और मूल्यांकन के स्तर में कुछ छूट मिलनी चाहिए। लेकिन, दुर्भाग्यवश उच्चमतम न्यायालय ने श्री विनोद कुमार के मामले में 1.10.1996 को उक्त छूटों की सभी रियायतों और सुविधाओं को समाप्त करते हुए एक निर्णय सुना दिया। हमारे पास इस संविधान संशोधन द्वारा इस निर्णय को रद्द करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। अत:, संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया। हमें खुशी है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय निष्प्रभावी होने जा रहा है। उसके अनुसरण में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र का प्रभाव इस विधेयक के पारित होने के बाद समाप्त हो जाएगा। यह परिपत्र इसी समय से निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो जाएगा।

मैं अपने अनुभव से यह कहना चाहता हूं कि इस सम्माननीय सभा में वर्ष 1995 में एक अन्य संशोधन किया गया था। वह संशोधन मंडल आयोग के निर्णय से संबंधित सत्तहत्तरवां संशोधन था। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने 16.12.92 को एक बड़ी न्यायपीठ में यह निर्णय दिया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा और यह निर्णय सुनाए जाने की तारीख से पांच वर्ष बाद लागू होगा। तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1995 में संविधान में संशोधन किया जिसे सत्तहत्तरवां संशोधन कहा जाता है। यह आरक्षण का अधिकार सत्तहत्तरवें संशोधन द्वारा पुन: लागू किया गया।

लेकिन इन संशोधनों का क्या लाभ है यदि वे उपयोगी और प्रभावी नहीं है। हमें कोई लाभ नहीं मिला। यह कुछ नहीं बल्कि नुकसान की भरपाई करने जैसा था। मैं सरकार से आशा करता हूं यह अठासीवां संशोधन नुकसान की भरपाई करने जैसा कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। केवल संवैधानिक प्रावधान वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफी नहीं है। हमें इस बात का अनुभव है कि लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपनी राज्य संबंधी सेवाओं के संबंध में अनुच्छेद 64 और 335 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार आरक्षण नीति संबंधी अधिनियम बनाए हैं। जहां तक राज्य की सेवाओं में आरक्षण का संबंध है पहली बार आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जहां तक कि मुझे याद है:—वर्ष 1973 में संविधान के अनुसार इस अधिकार को लागू करते हुए ऐसा अधिनियम पारित किया था। तत्पश्चात् उड़ीसा ने भी वही रास्ता अपनाया। उस समय मैं पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का प्रभारी मंत्री था और मैंने वर्ष 1976 में इस संबंध में विधेयक पेश किया था जिसे पारित किया गया था और जो आज भी प्रभावी है।

उस अधिनियम में कार्यान्वयन प्राधिकरण की जिम्मेवारी निर्धारित करने के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान निहित हैं। उस अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करने अथवा जानबूझकर उसका उल्लंघन करने की स्थिति में दंडात्मक उपाय भी हैं और बिहार, उत्तर-प्रदेश और त्रिपुरा सहित लगभग सभी राज्यों के अपने अधिनियम हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, केन्द्र में ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। अत:, अनुच्छेद 335 और 16(4)(क) के अनुसरण में एक व्यापक केन्द्रीय अधिनियम बनाया जाना चाहिए और उस अधिनियम में इसे कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारी निर्धारित करने संबंधी कुछ विशेष प्रावधान निहित होने चाहिए। उसमें दंडात्मक प्रावधान भी होने चाहिएं। इस संबंध में एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक भी है। उसको पढ़ने के बाद मैंने उस पर विचार किया था। लगभग सभी लोगों ने एक बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था। लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह संवैधानिक नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति

[श्री आनन्द मोहन विश्वास]

आयोग नाम से अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया गया हैं, जिसे न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। वह अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं और वह निष्कर्ष निर्णय के समान ही माने जायेंगे। लेकिन, दुर्भाग्यवश, माननीय न्यायमूर्ति अहमदी ने इण्डियन ओवरसीज़ कर्मचारी संघ बनाम भारत सरकार के मामले में अपने महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय आयोग के निष्कर्षों पर कोई बंधन नहीं है और उन्हें केवल वार्षिक प्रतिवेदनों के उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह मेरा विनम्र निवेदन है। मैं सेवाओं में आरक्षण संबंधी अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक व्यापक अधिनियम पेश करने के लिए सरकार से अनुरोध करते हुए विधेयक का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 3.31 बजे

[श्री श्रीनिवास पाटील *पीठासीन हुए*]

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एक व्यापक विधान बनाये जिसमें उन प्रावधानों को कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति की जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने वाले प्रावधान शामिल हों। इसमे दंडात्मक प्रावधान भी होने चाहिएं। इस विधान अथवा अधिनियम के प्रशासक के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां होनी चाहिएं, दंड प्रक्रिया संहिता के समान ही प्रक्रिया अपनानी चाहिए और सक्षम क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट को ही इस मामले को निपटाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है। जब तक कि अनुच्छेद 335 और 64 के अनुसरण में एक विशेष अधिनियम नहीं बनाया जाएगा, यह बेकार होगा। केवल संवैधानिक प्रावधान हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते।

मैं बहुत आशा और उम्मीदों के साथ पुन: विधेयक का समर्थन करता हूं कि सरकार इन बातों का ध्यान रखेगी और हम उम्मीद करते हैं कि, अगले सत्र में हमारे संविधान में दिए गए सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों को क़ार्यान्वित करने के लिए एक विशिष्ट विधान प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, मैं 88वें संविधान विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे पूर्वजों और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुर्बानियां दी और संविधान निर्माण किया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सहूलियतें दी गईं। कोर्ट का फैसला हुआ। इस कारण 22.7.97 को आदेश निकला। इससे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अफसरों, कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति में बाधा पड़ी। दो दिनों तक हाउस में यह सवाल उठा और सदन की कार्रवाई बाधित हुई। सदन के लाग इस मामले में मुस्तैद थे लेकिन यह सरकार टाल-मटोल करने लगी। यह सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ है। सदन और सदन के बाहर इसे लेकर भारी आन्दोलन हुआ। एम्पलाइज ने आन्दोलन किया। जब कोई उपाय नहीं निकला तो इन्हें यह लेकर आना पड़ा। यह अपने मन से इसे लेकर नहीं आए। इनका इससे कल्याण होने वाला नहीं है। मैं इस बारे में उदाहरण देना चाहता हूं। इससे संबंधित पांच आदेश निकलने थे लेकिन एक आदेश ही निकाला गया। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी चार आदेश क्यों रोक कर रखे गए हैं? यह लाचार होकर इसे लाए हैं।

सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट का विनोद कुमार और इन्दिरा सौहनी के मामले में फैसला हुआ और सरकार दोनों मामलों को जोड़कर 22.7.1997 वाला कानून लेकर आ गई। इसमें कहा गया है कि प्रोमोशन में आरक्षण नहीं होगा। इसमें ऐसा क्यों होता है? संविधान के होशियार लोगों ने लिख दिया और कोर्ट के फैसले ने आरक्षण और प्रोमोशन को बाधित कर दिया।

सभापति महोदय, मेरे पास अनुसूचित जाति एवं, अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन है जिसके अध्यक्ष श्री कड़िया मुण्डा हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है:

> "100 वर्ष पूर्व अमरीका के राष्ट्रपति श्री रूज़वेल्ट ने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर न्यायालयों के निर्णय, उनके आर्थिक और सामाजिक तत्वज्ञान पर निर्भर करते हैं। अमरीका में डैमोक्रेसी भारत से पहले आई। एक न्यायाधीश का दिमाग कोई यंत्रचलित विधि कला मशीन नहीं हैं। उसके निर्णय में कहा गया है कि अनजाने और उनकी रुचि और अरुचि और पूर्वाग्रहों तथा समस्त जीवन-दर्शन को प्रभावित करता है।"

फिर अपने यहां न्यायमूर्ति चिनप्पा रेड्डी के शब्दों में:

> "न्यायाधीश एक वर्ग से सीमित होता है।"

हमने शुरू में कहा कि एक वर्ग चेतना होती है। यह सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ है और इन पर इतना भारी दबाव पड़ा है। जब इनके पास इसका उपाय नहीं था तो यह अधिनियम लेकर आ गये। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है:

> "चूंकि न्यायाधीश सम्पूर्ण वकील वर्ग से लिये जाते हैं, वे अनजाने में कतिपय पूर्वाग्रह पैदा करते हैं।"

यह सब समिति की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। हम लोग न्यायाधीश की बात करते हैं। सरकार ने यह मामला दबाकर रखा हुआ था। इस समाज के गरीब वर्ग, लांछित, वांछित और उपेक्षित लोगों को सम्मान मिलने वाला है, यह सरकार उनके खिलाफ हैं। इसलिये ये सारी किताबें दबाकर रखती है।

सभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री देसाई ने ठीक ही कहा है:

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

"हमारी न्यायपालिका अपनी आंखों पर परम्पराओं की पट्टी धारण किये हुये है जिससे उसने अनुभव की गई वास्तविकताओं को अनदेखा किया है।"

यदि हम लोग न्यायपालिका के खिलाफ बोलें तो नियम विरुद्ध हो जायेगा लेकिन न्यायमूर्ति लोग यह कह रहे हैं कि कितना न्याय हुआ है। इसलिये मैं कहता हूं कि सामाजिक न्याय की जरूरत है। यह इसलिये है कि उन लोगों के प्रति अन्याय किया गया है। इस समाज को बढ़े-चढ़े लोगों ने उनका शोषण किया है। इसलिये उन लोगों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिये। आगे कहा गया है:

"ऐसा विश्वास करना मूर्खता होगी कि समाज में वर्तमान परिस्थितियों में उन लोगों को न्याय मिल सकेगा जो शासक दल से बाहर हैं।"

सभापति महोदय, यह सब बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। मैं नहीं जानता कि इस रिपोर्ट को सरकार ने पढ़ा है या नहीं? हम तो इस रिपोर्ट का पता लगाकर ले आये हैं। इस देश में सभी अवसर विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि और समूहों से आये न्यायाधीशों की आवश्यकता है। न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में संविधान की मूल भावना का पालन किया जाना चाहिये। फिर कुछ क्षेत्रों में आरक्षण पर पूर्णतया रोक लगाना बिलकुल अविवेकपूर्ण है। जैसा कि रक्षा सेवाओं या न्यायपालिका में अब तक किया गया है। सरकार द्वारा किये गये ऐसे कार्यों का समर्थन करने या ऐसी नीति का सुझाव देने हेतु न्यायपालिका को स्वीकृति देने के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, इसीलिए ये सारे सुधार करने की जरूरत है। अन्त में समिति क्या कहती है। समिति का कहना है कि "साधारण व्यावहारिक रूप से आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के संबंध में कथनी कुछ और करनी कुछ की नीति सरकार ने अपनाई है।" यह समिति कहती है जिसके अध्यक्ष कड़िया मुंडा हैं। वे कहते हैं कि सरकार गलत कर रही है। सरकार की करनी और कथनी में कोई मेल नहीं है। सरकार को इस रूप में बदलाव लाना ही होगा। समिति कहती है कि सरकार अपनी आदत में सुधार करे, बदलाव लाए। उसे सुधार करना पड़ेगा और बदलाव लाना ही पड़ेगा। इसलिए समिति कहती है कि न्यायिक सेवाओं को विशेष रूप से राज्य की न्यायिक सेवाओं को न्यायिक खंड की परिधि में लाने के लिए व्यवस्था करे।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : लगता है यह बिहार सरकार की रिपोर्ट है। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, बिहार सरकार ने तो पहले ही इनके कलेजे पर खूंटा गाड़ दिया है। यह बिहार सरकार की रिपोर्ट नहीं है। यह भारत सरकार की रिपोर्ट है। बिहार में जो हरिजन और आदिवासी हैं। उनकी प्रतिष्ठा लौटी है और जो दबे-कुचले लोग हैं, उनको ऊपर उठने का अवसर मिला है। डॉ० लोहिया के जमाने में हम लोग लड़ते थे और कहते थे कि जब दबे-कुचलों को सम्मान मिलेगा तथी असली समाजवाद आएगा। यही कारण है कि बिहार में हमारी सरकार बनने के बाद हरिजन आदिवासी की प्रतिष्ठा लौटी है। वे कहते हैं कि हमें सम्मान मिला है। इसीलिए तो आप छटपटाते हैं और आप सब लोग एक हो गए, फिर भी बिहार सरकार का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बिहार सरकार अपनी जगह पर कायम है, टस से मस नहीं हुई। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी सब कोशिशें बेकार साबित हुई। यही कारण है कि आपको दर्द होता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप अपने सुझाव दीजिए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, वही तो मैं दे रहा हूं। समिति की रिपोर्ट है। इसमें समिति सिफारिश करती है कि न्यायिक सेवाओं को, विशेष रूप से राज्य की न्यायिक सेवाओं को आरक्षण की परिधि में लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124 और 127 में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ न्यायपालिका विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उचित कार्यकरण के साथ ही सिद्धान्तों की व्याख्या करने हेतु एक न्यायिक अधिनियम अधिनियमित किया जाना चाहिए। हम लोग लाख संशोधन करें, लेकिन कुछ नहीं होगा। यह समिति की सिफारिश है कि जब तक सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट में लोगों का आरक्षण नहीं होगा और बहाली की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वर्तमान में जजों की बहाली हेतु पैरवी की जो प्रक्रिया चल रही है, यदि इसको नहीं बदला जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, भले ही आप संविधान में कितना ही संशोधन कर दीजिए।

सभापति महोदय, यहां कहते हैं कि आरक्षण को संविधान के नौवें शेड्यूल में रखने से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण संविधान सम्मत हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। मेरा कहना है कि उससे भी कुछ नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट में जजों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये लोग उलट-पलट कर कुछ ऐसी दलीलें पेश कर देंगे और जज साहब उसके अनुसार अपना फैसला सुना देंगे और पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय, समिति की सिफारिश है और वह कहती है कि "समिति नोट करती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा एक दशक पूर्व एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे भारतीय विधि आयोग ने अपनी 121वें प्रतिवेदन में दोहराया है" यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने एक दशक पूर्व यह सिफारिश की थी कि एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए जिसे भारतीय विधि आयोग ने अपनी 121वीं रिपोर्ट में दोहराया है, लेकिन समिति कहती है कि खेद

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

है अभी तक मामला सरकार के विचाराधीन है। कितने समय तक विचाराधीन रहेगा। समिति आगे कहती है कि "समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और तैनाती के लिए यथाशीघ्र एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित किया जाए जिसमें अनुसूचित जाति का एक और अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य शामिल किया जाए। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन भी इसके साथ-साथ किया जाना चाहिए।" इस संशोधन विधेयक हेतु बार-बार दो-तिहाई बहुमत से पास कराने के लिए यहां आना पड़ता है, यह कठिनाई दूर हो जाएगी, लेकिन यह सब तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट में इन जातियों के लोगों को न्यायाधीश के रूप में बहाली की प्रक्रिया सरल बना दी जाएगी और उन्हें आरक्षण प्राप्त होगा।

सभापति महोदय, यह तो न्यायालय के दिनांक 22.07.1997 के फैसले के लिए संशोधन आया है। बाकी जो चार आदेश और हैं उनका क्या होगा। उनको निरस्त करने के लिए संशोधन क्यों नहीं लाते, उनके ऊपर क्यों चुप हैं, इसका जवाब दीजिए? इसीलिए यहां जो माननीय सदस्य बोले उनमें से कुछ ने जो कांप्रिहैंसिव बिल लाने की मांग की है वह ठीक है। आपको कांप्रिहैंसिव बिल लाना चाहिए और उसके जरिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि संविधान के अनुसार जो आरक्षण दिया गया है, वह मिलता रहे। उसमें कोई गड़बड़ी न हो और इस संबंध में जो आदेश पहले निकाले गए हैं, वे निरस्त हो सकें। इसके इम्पलीमेंटेशन के लिए बात बहिन मायावती ने कही है कि उस पर निगरानी और मानिटरिंग करनी चाहिए, वह की जाए।

लिखे हुए कानून को उलट-पलट कर देते हैं तो उसे लागू करने में कितनी गड़बड़ी होती होगी। जब दुनिया के मुल्कों में यहां के करोड़ों शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड, माईनौरिटीज के लोग सम्मानित होंगे और उन्हें सामाजिक न्याय मिलेगा तब यह देश नम्बर वन की तुलना में रहेगा अन्यथा हिन्दुस्तान पिछली कुर्सी में बैठेगा। यह हमारा दृढ़ मत है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि रिपोर्ट और सुझावों को मिला कर एक कम्प्रीहैनसिव रिपोर्ट लाएं अन्यथा यह आदिवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ है, सब लोग इसे जान जाएंगे और आपको वापिस हटाया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन का समर्थन करता हूं।

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति महोदय, 88वां संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और आपने ठीक कहा कि इसमें जो भी संशोधन और सुझाव दिये हैं, किसी चीज पर चर्चा होती है तो निश्चित रूप से उसमें सुझाव आने चाहिए और माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, लेकिन इसकी अहमियत को कम नहीं आंकना चाहिए। यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इसके लिए हर पक्ष के लोगों का समर्थन ही नहीं मिलना चाहिए बल्कि सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए। हमारे साथी श्री जयपाल रेड्डी बैठे हुए हैं। हमको इस सदन में कितनी पीड़ा हुई, जब किसी सरकार पर लांछन लगता है तो उस सरकार के साथ मंत्रिमंडल के लोगों पर भी लांछन लगता है। जब 1977 की बात आती है, उस मंत्रिमंडल में हम भी थे, श्री जयपाल रेड्डी भी थे। मुझे मालूम नहीं रघुवंश बाबू थे या नहीं। जब 1977 में 5 गवर्नमैंट आर्डर का मामला आया, तब हमारी नॉलेज में 30 अक्टूबर को वैल्फेयर मिनिस्टर द्वारा यह मामला लाया गया था, 3 नवम्बर को उसी समय हमने बहुत कड़ा पत्र तत्कालीन प्रधान मंत्री को लिखा था। पत्र ही नहीं लिखा था बल्कि कैबिनेट में भी जितनी जोर से हो सकता था, हमने उस मामले को उठाया था। हमारे अंडर एक कमेटी भी बनी थी। कमेटी की रिपोर्ट, ऐसा पहली बार हुआ होगा, सात दिन में पेश कर दी गई। लेकिन जब उसे लागू करने का मामला आया, तब यह कहा गया कि अभी पार्लियामैंट के चुनाव की घोषणा हो गई है और यह मेजर पॉलिसी का सवाल है इसलिए इसे नहीं किया जा सकता। जो अभी हमारे साथी मांग कर रहे हैं, वही उस समय हम भी मांग कर रहे थे। यह सही है कि जुलाई के महीने में यह डी०ओ०एम० में आ गया था। डिपार्टमैंट ऑफ परसोनेल के स्टेट मिनिस्टर हमेशा रहते हैं लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर हमेशा प्रधान मंत्री हुआ करता है। इसलिए मैंने कहा कि भाषण देना या जितनी जांच-पड़ताल चलती है, तबला पर उतना नहीं चल पाता। हम सब लोग सरकार में रहे हैं। जब सरकार में जाते हैं तो सरकार की मजबूरियां सामने होती हैं। यह प्रस्ताव जो आज सदन के सामने आया है, हम सब उस समय प्रधान मंत्री जी से मिले थे। 1998 में हम मंत्री नहीं थे। हमें ख्याल है कि तत्कालीन स्पीकर श्री बालयोगी साहब की अध्यक्षता में हम प्रधान मंत्री जी से मिले थे। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे। उन्होंने लॉ डिपार्टमैंट से लेकर अटार्नी जनरल तक सबको बुलाया था।

यह राय चल रही थी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश है, इसलिए इसको हाई कोर्ट में रेफरेंस के लिए भेजा जाये और उस समय हम लोगों ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वहां आप रेफरेंस के लिए भेजेंगे तो उनके सामने भी दुविधा उत्पन्न होगी। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और जो बात मायावती जी ने कही, उन्होंने ठीक कहा, जब हम लोग चार, पांच और छः दिसम्बर को मिले थे, उस समय मैं चाह रहा था कि लीडर ऑफ दि अपोजीशन वहां रहतीं और कांग्रेस के सभी सदस्य वहां रहते तो वहां नजारा और होता, लेकिन दुर्भाग्य से *(व्यवधान)*

मैं कह रहा हूं न, आप थे, संतोष जी थीं, दो-तीन लोग थे, लेकिन उस समय हमें याद है, उस समय का सीन कि आप लोग भी इसी उम्मीद में पहुंच गये थे कि कांग्रेस के सदस्य आएंगे, लेकिन जब आप लोगों को मालूम हुआ कि कांग्रेस ने बायकाट किया है तो फिर आप लोग भी इधर-उधर देख रहे थे।

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : यह बिल्कुल गलत बात है, मैंने तो वहां प्रीजाइड किया है।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : कृपया उन मामलों को बीच में मत लाइए।

श्री राम विलास पासवान : मैं उन मामलों को नहीं लाना चाहता हूं *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : तैयार की गई रिपोर्ट का क्या हुआ? *(व्यवधान)* मैं उस समिति का सदस्य था। आप भी सदस्य थे *(व्यवधान)* उस समिति के प्रतिवेदन का क्या हुआ *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सुशील कुमार शिन्दे, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको भी मौका दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : हम वहां पूरे तीन दिन रहे और सबसे पहले वहां आये हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : हाउस को गलत बात नहीं बतानी चाहिए, जो सत्य है, वही बताना चाहिए। हम लोग वहां प्रेजेण्ट थे। वहां जब ड्राफ्ट बनाया गया, तब भी प्रेजेण्ट थे, जो बूटा सिंह जी ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने भाषण किया *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैं फैक्ट्स सदन के सामने रख रहा हूं। सब के सिग्नेचर्स हैं, कांग्रेस के दो-तीन मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट गये थे, आपको याद है, 106 मैम्बर पार्लियामेंट प्रेसीडेंट के यहां गये थे, जब चंडूर की घटना घटी थी, उसमें तब पार्टी पोलिटिक्स नहीं आई और उसका एक रिजल्ट भी आया, जो दलित राष्ट्रपति की बात हम लोग करते हैं, यदि दलित राष्ट्रपति का कहीं से मुद्दा आया था तो सारे दल के लोगों ने और सारे मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, खासकर दलित मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, आदिवासी मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एक साथ एकजुट होकर काम किया, जब इस तरह की बात हो तो एक कॉज को सपोर्ट करने की बात होनी चाहिए, मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे साथी बूटा सिंह जी कह रहे थे, इसमें उन्होंने एक मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।

सभापति महोदय : आप थोड़ा संक्षिप्त कीजिए, 4.30 बजे मंत्री जी जवाब देने वाले हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं खत्म कर रहा हूं। इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के लिए तो जा सकता है, लेकिन पिछली बार भी आप देखेंगे, शिंदे साहब, कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, 16 नवम्बर को मंडल कमीशन के तहत जो जजमेंट आया, तब कांग्रेस की सरकार थी, आपने संविधान संशोधन किया और प्रमोशन में फिर से रिजर्वेशन लागू करने का काम किया और संविधान की धारा 16(4) में (ए) जोड़ने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट के सामने जब तीन जजों की बैंच के सामने मामला चला तो 16(4)(ए) का जो संशोधन किया गया, उस संशोधन की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की नोलिज में नहीं लाया गया। यही कारण हुआ कि संविधान संशोधन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला खत्म करने का काम किया। अन्यथा यदि आप देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का मंडल कमीशन के समय में जजमेंट था, 16 नवम्बर का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह रिजर्वेशन पांच साल तक चलेगा और पांच साल के बीच में सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है। मतलब 16 नवम्बर, 1992 से 16 नवम्बर, 1997 के बीच में कहीं इंटरफियरेंस का सवाल नहीं आता था, लेकिन उसी बीच में एक दूसरा मामला कोर्ट में गया, जिसमें नौ सदस्यों की बैंच ने जजमेंट दिया, लेकिन तीन सदस्यों की बैंच में जब मामला आया तो उसमें इस मामले को नहीं लाया गया कि आलरेडी संविधान में संशोधन हो चुका है। नतीजा है कि उसके कारण दूसरा जजमेंट आया और उस जजमेंट के कारण यह सारा का सारा मामला पीछे चला गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार ने दो काम किये हैं, एक काम किया है कि यह प्रमोशन में रिजर्वेशन जो खत्म कर दिया गया था, वह लाई है। बहन मायावती जी ने कहा कि यह देर से आया है। इसमें प्रोसीजर का मामला है, चूंकि 22 तारीख को प्रधान मंत्री जी ने यहां घोषणा की थी, 23 दिसम्बर को प्रधानमंत्री की घोषणा के एक दिन बाद राज्य सभा में संविधान में संशोधन पेश कर दिया गया।

वहां से स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। उसने 23.7.2000 को भेजा। उसके बाद राज्य सभा में 17.8.2000 को पास किया गया। आप देखेंगे कि प्रधान मंत्री जी ने 22 दिसम्बर, 1999 को घोषणा की, राज्य सभा में दूसरे दिन पेश हो गया, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। वहां हर पार्टी के लोग हैं, किसी पर किसी का बस नहीं चलता। उसके बाद 23.7.2000 को उन्होंने दिया

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : स्टैंडिंग कमेटी में गया नहीं था, उसको जानबूझ कर भेजा गया था ताकि इसे डिले किया जा सके।

श्री राम विलास पासवान : जो भी हो। 17 अगस्त को वहां से पास हुआ और आज 22 तारीख को हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि विलम्ब हुआ है। लेकिन उसमें भी प्रोसीजर का मामला है। यदि संसद से कोई कार्रवाई होती है तो सरकार के पक्ष में ही दोषारोपण नहीं हो सकता, अगर डिले हुआ है तो सभी पक्ष के लोग भी उसमें शामिल हैं।

[श्री राम विलास पासवान]

जहां तक नौवीं अनुसूची में इसे शामिल करने का सवाल है, आपने ठीक कहा कि उसमें शामिल किया जाना चाहिए। संविधान का जो यह संशोधन है वह तभी नौवीं अनुसूची में आ सकता है जब उसके लिए एक्ट बनाया जाए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद से जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण का मामला है या बैकवर्ड क्लासेज का मुद्दा है, वह जी०ओ० है, गवर्नमेंट आर्डर से है, उसमें पियूनिटिव क्लाज नहीं होती, उसमें दंड का विधान नहीं होता। दंड का विधान तभी होता है जब वह एक्ट बनाया जाता है। मैं समझता हूं यह संविधान संशोधन एक अलग मुद्दा है। जो रिजर्वेशन की पालिसी है, उसको जी०ओ० से एक्ट के रूप में लाया जाए, उसके बाद नौवीं अनुसूची में रखा जाए।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : अब तक क्यों नहीं लाए?

श्री राम विलास पासवान : मैंने पहले भी कहा कि यह कोई आसान काम नहीं है। जब सरकार इस पर विचार करेगी तो इतना आसान नहीं है कि सब लोग इस पर मुहर लगाने का काम करेंगे। जैसे महिलाओं के आरक्षण का सवाल है। हम सदन के नेता थे, देवेगौड़ा जी बैठे हुए थे, कहा गया कि एक मिनट में पास होना चाहिए, अचानक वोटिंग मशीन खराब हो गई, हाउस एडजोर्न हो गया और मामला पलट गया, आज तक वह पास नहीं हुआ। इसलिए एक्ट, फैक्ट और टैक्ट, तीनों तरीके से चलना पड़ता है। मुझे खुशी है कि आजादी के 53 वर्ष बाद और गणतंत्र के 50 वर्ष बाद जब भी इस मामले में एस०सी०, एस०टी० और वीकर सेक्शन का सवाल जब यहां आता है तो सारा हाउस एक हो जाता है। हाउस में संशोधन दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, देने भी चाहिए। सरकार को उन पर विचार करना चाहिए।

आज जो मुद्दा आया है उसके महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। इस सरकार की दो उपलब्धियां हैं। एक तो जो सीलिंग 50 परसेंट की थी, उसको खत्म कर दिया, स्पेशल ड्राइव का पुनः चालू करने का निर्णय किया और दूसरा जो यह प्रमोशन में आरक्षण का मामला खत्म हो गया था, इसे पुनः चालू करने के लिए संशोधन विधेयक आया है। मैं समझता हूं पूरा सदन इसे पास करेगा।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। हम पहले भी 90वां संशोधन विधेयक 2000 में पारित कर चुके हैं। मेरे ख्याल से वह अभी तक लागू भी नहीं हुआ। उसके बाद सरकार की ओर से यह 88वां संशोधन विधेयक लाया गया है, उसका मैं और मेरी पार्टी समर्थन करेगी।

अपराह्न 4.00 बजे

यह संविधान संशोधन विधेयक चार-पांच लाइन का संशोधन विधेयक है। यह विस्तार में होना चाहिए था, ऐसा हमारा कहना है। 19 अगस्त 1997 को जो उच्चतम न्यायालय ने बहुत बड़ा जजमेंट दिया, उसमें एस०सी०एस०टी० के प्रमोशन में रिजर्वेशन पर रोक लगाई। यह जजमेंट, हमारी सरकार अगर पूरा अभ्यास करके विस्तृत बिल लाती तो फिर से इसमें कोई भी मुद्दा और कोई भी आदमी उच्चतम न्यायालय में जाने के बाद भी उसका कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन संविधान अधूरा है, इसलिए कोई भी आदमी यह संविधान संशोधन के विरोध में उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसीलिए मैं सरकार को, मंत्री महोदया से नम्र निवेदन करूंगा कि पूरे विस्तार से यह बिल लाना चाहिए। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। डा० रघुवंश बाबू ने हमारी एस.सी.एस.टी. समिति रिपोर्ट को पढ़ा और मुझे भी समिति में काम करने के लिए पार्टी ने मुझे भी मौका दिया है। यह समिति की रिपोर्ट उन्होंने जो पढ़ी है, वह सही है। हमें दुख है कि जहां नौकरियों के लिए परीक्षा होती है, जो एस०सी०एस०टी० के लोग हैं, उनको कुछ अंकों की छूट दी जाती है लेकिन जो परीक्षा लेने वाले अधिकारी हैं, उनको कोई कानून, नियम मालूम नहीं होता। वास्तविकता यह है कि एस०सी०एस०टी०, का कोई भी उम्मीदवार अगर मैरिट में आता है तो उसे जनरल में ट्रीट करना चाहिए लेकिन वह नहीं होता। इसीलिए मंत्री महोदया से यह भी विनती करना चाहता हूं कि जो संविधान संशोधन विधेयक पास होने के बाद भी सरकार भारत सरकार के विभागों को जो पत्र देगी, उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी परीक्षा में एस०सी०एस०टी० के लोगों के अंक के बारे में छूट होती है और अगर कोई उम्मीदवार मैरिट में आता है तो रिजर्वेशन नहीं होता हो तो जनरल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यह भी होना चाहिए। प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए जो चालीस प्वाइंट का रोस्टर था, उसे सरकार ने 200 प्वाइंट का बढ़ा दिया है, यानि उसमें एस०सी०एस०टी० के लोगों को न्याय मिलेगा, यह मेरा मत नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आज 5-6 मिनट का समय ले चुके हैं। अभी बोलने के लिए लगभग छः लोग और हैं और 4.30 बजे मन्त्री महोदय जवाब देंगे। अतः हमें समय को ध्यान में रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

दूसरी बात, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार के विभागों में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे बहुत उदासीन हैं, नाराज हैं और आदेशों का पालन नहीं करते हैं। हमने अनुसूचित जाति जनजाति समिति के माध्यम से अनेक राज्य सरकारों और अनेक विभागों का दौरा किया है। रिजर्वेशन और प्रमोशन के बारे में बहुत से विभागों में उल्लेख नहीं है। आजादी के 50 सालों के बाद भी हमें बहुत दुःख है कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को रिजर्वेशन के बारे में मालूम नहीं है। इससे बड़ा दुःख हमारे मन में और क्या हो सकता है।

अपराह्न 4.06 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए]

भारत सरकार की बहुत सी अंडरटेकिंग्स में हमने विजिट किया है। वहां के अधिकारियों को रिजर्वेशन के बारे में मालूम नहीं है। इन कंपनियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिजर्वेशन के मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस बारे में भी मंत्री महोदय को देखना चाहिए। यह बात मैंने पहले भी कही थी और अब भी कह रहा हूं, इस संविधान संशोधन में बहुत सी खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी यह है कि इसको 9वें शैड्यूल में रखा जाए।

सभापति महोदय, जब तक यह कानून पूरी तरह से लागू नहीं होगा, तब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश में, खासकर महाराष्ट्र में, बोगस अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है, जब इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो बोगस जनजाति के लोग जो इस सूची में आना चाहते हैं, उनको मेरा निवेदन है कि इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : माननीय सभापति जी, आज मंत्री महोदया ने जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पदोन्नति संबंधी (88वां संशोधन) यहां पेश किया है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करती हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जायज हक उन्हें दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्होंने पहले 9 मई, 2000 को बिल पेश किया था और आज उसका दूसरा भाग संसद में पेश करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी भाईयों को यह विश्वास दिला दिया है कि हमारी सरकार और पार्टी उन्हें उनके हक दिलाने के लिए बहुत आगे है। आरक्षण व्यवस्था संविधान की प्रस्तावना में दी गई हे। सर्वप्रथम जो सामाजिक न्याय का अधिकार है, यह उसके सिद्धांत पर आधारित है। जिस तरह मां अपने कमजोर बच्चे की, स्वस्थ बच्चे की बजाए, अच्छी तरह देखभाल करती है, ताकि उसकी कमजोरी निकल जाए और वह भी स्वस्थ बच्चे के बराबर खेलता-कूदता हुआ आगे बढ़े। उसी प्रकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। उनका उद्देश्य यही है कि समाज में ये सभी जातियां आगे बढ़ें। अपनी सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति में सब के बराबर और सभी तबकों से अपनी बराबरी कर सकें। लेकिन 50 वर्षों में हमें केवल विषमताएं ही हाथ लगी थीं। उसका परिणाम है कि जनवरी, 1997 से लेकर 29 अगस्त, 1997 तक पांच ऐसे काले आदेश प्रसारित हुए, जिनकी वजह से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी, अधिकारी वर्गों को पीछे धक्का लगा। पंजाब प्रांत में तो ऐसा भी हुआ कि उन्हें पदावन्नत ही नहीं किया गया, बल्कि साथ में उन्हें जो राशि दी गई थी, उसकी वसूली का दंड भी उन्हें भोगना पड़ रहा है। राजस्थान में भी लगभग सैंकड़ों अधिकारी एवं कर्मचारी इन काले आदेशों के तहत प्रभावित हुए हैं। इंदिरा साहनी निर्णय के पैरा 831 में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 335 में अन्तर्विष्ट समादेश को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 16(4) के अधीन ऐसे शिथलीकरण अनुज्ञेय नहीं हैं। यही वे शब्द हैं जिनकी वजह से माननीय न्यायालय द्वारा आरक्षण नीति लागू नहीं हो रही है।

महोदय, अनुच्छेद 335 की धारा 16(4) में यह शब्द अंकित किए हुए हैं, जिनका दंड हम भोग रहे हैं। न्याय विभाग में पदासीन अधिकारी उनका अर्थ लगाते समय अपने मन से इसका अर्थ लगा लेते हैं। बिहारी के दोहे की तरह इनका अर्थ निकलता है। इन शब्दों में जो जैसा चाहता है वही अर्थ निकाल लेता है, जिस तरह बिहारी के दोहों के सात-सात, आठ-आठ अर्थ निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) के शब्दों से प्रभावित होने की वजह से यह स्थिति हम लोगों की बन पाई है। उस दयनीय स्थिति से उबारने के लिए, प्रधानमंत्री जी ने आज इस बिल को पेश करके सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी, अधिकारियों की आशाएं जगा दी हैं।

मैं कहना चाहूंगी कि अब इस तरह से व्यवस्था की जाए कि यह एक्ट बने और उसके साथ-साथ आरक्षण संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए। इसमें कोई ऐसी खामी न रह जाए, जिसकी वजह से हम फिर कहीं अंधेरे में भटक जाएं। इसमें चार व्यवस्थाएं हैं। आयु में छूट दी गई है, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नौकरी में प्रवेश के समय आयु में, अंकों के प्रतिशत में और अनुभव में छूट दी जाती है। उनकी जो (एसीआर) भरी जाती है, उनमें भी ग्रेडिंग होता है, उसमें उन्हें एक ग्रेड की छूट दी जाती है। ये सारी व्यवस्थाएं इस बिल के तहत सुनिश्चित की जाएं और उसके पश्चात् इसे नौवें शैड्यूल में शामिल करते हुए इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए ताकि न्याय विभाग द्वारा किसी भी प्रकार से बाधित न हो सके।

हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री इस ओर पूरा ध्यान देकर आरक्षण संबंधी नियमों को सुरक्षित और सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ० वी० सरोजा (रासीपुरम) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर कुछ तथ्यों का वर्णन करने का मौका दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

"पूना पैक्ट" के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार है। यह दान नहीं है बल्कि यह तो संवैधानिक अधिकार है।

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के 53 वर्षों के पश्चात् यदि हम उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए इस सम्माननीय सभा में विचार-विमर्श करते हैं और वाद-विवाद करते हैं तो यह उचित नहीं है। मैं सभा

[डॉ० वी० सरोजा]

के समक्ष मात्र एक अनुरोध करूंगी। क्या मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र की पुन: मांग कर सकती हूं। यदि इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति है तभी हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल इस देश की बल्कि पूरे विश्व की टिप्पणी है यह उत्पीड़ित और दलित समुदाय वह लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है जो इस प्रकार से देय है।

महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध संसद सदस्यों के सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान माननीय प्रधान मंत्री ने आश्वस्त किया था कि सभी कार्यालय ज्ञापनों को क्रियान्वित किया जाएगा। मैं उनके भाषण की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करती हूं:

> ''मेरी सरकार वरिष्ठता सिद्धान्त को बहाल करने के लिए संवैधानिक संशोधन लाने के बारे में विचार करती है जो इन निर्णयों से पूर्व विद्यमान था।''

माननीय प्रधान मंत्री ने इस सम्मानीय सभा में भी आश्वासन दिया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न केवल रियायतें बल्कि संवैधानिक अधिकार भी दिये जाएंगे। यह इस सरकार से देय है।

अब मुझे लगता है कि इसमें अनुचित विलम्ब है। उन्होंने हर चीज के लिए समिति का गठन किया और विधेयक को समिति के पास भेजा। समिति ने रिपोर्ट तैयार की लेकिन दुर्भाग्य से कई वर्ष बीत गए लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ।

महोदय, जहां तक बकाया रिक्तियों का सम्बन्ध है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनगणना को अद्यतन नहीं बनाया गया है। बकाया रिक्तियों का आप किस प्रकार हिसाब लगा सकते हैं। इस समय सरकार के पास प्रभावशाली और व्यापक उपाय क्या है? क्या बकाया पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है। जनगणना 2001 तक पूरी की जानी चाहिए। क्या मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर सकती हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक मतदाता सूची बनाई जाए?

दूसरा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान की जाए और जनसंख्या के अनुसार बजट आबंटन किया जाए। योजना लोगों की आवश्यकता के अनुसार तैयार की जानी चाहिए न कि पेपर में बताई गई अथवा विधेयक में बताई गई आवश्यकता के अनुसार हो। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि सभी संवैधानिक अधिकार जो वर्षों से विद्यमान है वह अभी तक मात्र संवैधानिक ही है।

महोदय सभी नियम और सभी अधिनियम मात्र अधिनियम ही है। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ स्वयं को सम्बद्ध करती हूं कि आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय न्यायिक आयोग होना चाहिए क्योंकि जहां तक भूमि सुधारों का सम्बन्ध है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ग्रुप हाउस के लिए भी भूमि मालिक न्यायालय में चले जाते हैं। समय सीमा के बिना मामला लम्बा चलता रहता है। अंतत: वह योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

जहां तक निगरानी व्यवस्था का सम्बन्ध है तो निगरानी व्यवस्था कहा है? क्या यह पंचायत स्तर पर है अथवा ताल्लुक स्तर पर है अथवा जिला स्तर पर है अथवा राज्य स्तर पर है अथवा राष्ट्रीय स्तर पर है? क्या मैं सरकार से अनुरोध कर सकती हूं कि वह श्वेत पत्र रखे कि कम से कम नौवीं पंचवर्षीय योजना में हमने कहां तक कार्य किया है और वे रियायतें क्या हैं जो उन लोगों को प्राप्त हुई हैं?

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, संविधान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा मूलभूत अधिकार है। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का शैक्षिक स्तर क्या है जिसे हमने अभी तक प्राप्त किया है? यह 30 प्रतिशत से भी कम है। यदि 50 वर्षों के बाद भी प्राथमिक शिक्षा मात्र 30% है तो यह सरकार किसलिए है? इस सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि कार्यों को तेजी से करे। सरकार से जो देय है वह निर्धारित समय के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए।

इस सम्मेलन के दौरान जो 5 से 7 दिसम्बर, 1999 को हुआ था हमने तीन दिन चर्चा की और अन्त में प्रारूप समिति ने संकल्प तैयार किया। श्री राम विलास पासवान उस समिति के सभापति थे लेकिन वे समिति के संकल्प के बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं। इससे पूर्व श्री बूटा सिंह ने संकल्प तैयार किया था और वह भी धूल चाट रहा है। मैं सभी राजनीतिक नेताओं से अपील करती हूं कि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस सम्बन्ध में निगरानी कराने के लिए आम सहमति बनाए और प्रत्येक संसद पर जिम्मेदारी और देयता निर्धारित करे ताकि वह इस सभा में आकर अपने-अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताएं।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : सभापति महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह संविधान (संशोधन) विधेयक अत्यन्त असाधारण अवसर है जब माननीय प्रधान मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने आधे अधूरे मन से विधेयक तैयार किया है। महोदय यदि आप विधेयक का अध्ययन करें तो आपको मालूम होगा कि इस विधेयक में कोई उद्देश्य और कारण नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री ने विगत दिसम्बर में सदन के अन्दर आश्वासन दिया था कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय को देखते हुए पांच संशोधन आने चाहिए लेकिन केवल एक ही लाया गया है। बाकी चार का क्या हुआ? दूसरा इसे नौवीं अनुसूची में रखने के लिए कोई गुंजाइश क्यों नहीं है मैं नहीं जानता लेकिन शंका है कि यह विधेयक अधिवक्ताओं द्वारा

इस प्रकार तैयार किया गया है कि अंततः यह उच्चतम न्यायालय में ही जाएगा। इसकी पूरी सम्भावना है। उस स्थिति में कहना चाहूंगा—श्री राम विलास पासवान यहां नहीं बैठे हैं—कि इसमें तीन बातें हैं : कार्यवाही, तथ्य और कौशल। कार्यवाही और तथ्य तो ठीक है लेकिन मैं जो यहां कहना चाहूंगा वह कौशल है। बहुत ही व्यवहार कुशलता में वे यह विधेयक लाये हैं लेकिन फिर भी मैं इस छोटे संशोधन के लिए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, आपको मालूम है लोक सभा में यह मेरा आठवां कार्यकाल है मैं अनेक वर्षों से पूरा प्रयास करता रहा हूं कि इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लाया जाए।

यह आवश्यक है लेकिन उस व्यापक विधेयक के दूर तक दर्शन नहीं होते। इस विधेयक में थोड़ा संशोधन करते हैं अथवा कुछ पंक्तियां जोड़ देते हैं अथवा व्याकरण सम्बन्धी तबदीली ही की जाती है।

क्या आपको आरक्षण के सम्बन्ध में स्थिति का पता है? समय का अभाव है और इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। केवल गोवा, सिक्किम और अंडमान और निकोबार ने कोटा पूरा किया है और किसी भी दूसरे राज्य ने पिछले 53 वर्षों से इसे नहीं किया है। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण किए जाने का प्रावधान किया गया है। परन्तु, किसी भी राज्य ने इसे पूरी तरह लागू नहीं किया है।

मैं पदोन्नतियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप सूचियों को देखें। आप पाएंगे कि केवल समूह 'घ' में ही कोटा पूरा किया गया है और समूह 'ग' में थोड़ा बहुत किया गया है। *(व्यवधान)* यह केवल पश्चिम बंगाल का ही मामला नहीं है। यह पूरे भारत की बात है। जहां तक समूह 'क' और 'ख' का संबंध है, केवल तीन या चार लोगों की ही पदोन्नति की जाती है। आप यह यहां देख सकते हैं।

यह अन्य पक्ष है। हम इस व्यापक विधेयक की बात क्यों कर रहे हैं? असम के मेरे कुछ मित्र यहां हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित संविधान (संशोधन) विधेयक, 1996 के लिए इस सभा की प्रवर समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया है? संविधान संशोधन संबंधी प्रवर समिति ने रिपोर्ट तैयार की है और मैंने इसे 14 अगस्त, 1997 को सभा में प्रस्तुत किया है। उसके बाद, कई वर्ष बीत गए हैं परन्तु उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा क्यों है? यह प्रश्न नहीं है कि उस समय किसकी सरकार थी या अब किसकी सरकार है।

हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में कई बातें कहते हैं। जब नेता या मंत्री मंच पर जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, जो सफाई का काम करते हैं और अन्य समुदायों से संबंधित हैं वे हमारे भाई-बहन हैं तथा हमारे सगे संबंधी हैं। परन्तु सच यह है कि हमने इन लोगों की उपेक्षा की है।

आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाइए। वहां चाय बगान में काम करने वाले लोग हैं। वहां भूमीच, बदिया, बैगिया, कोल, खरिया, कोया, लोधा, मालपकरिया, नगासिया, मुंडा, संथाल, ओराओं, कोच, राजबंगशी, घाटोवार और बंजारा जैसे समुदाय हैं। इनकी संख्या सत्तर है। देश के अन्य भागों में इन्हें अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। मेरे मित्र श्री पवन सिंह घाटोवार यहां उपस्थित नहीं हैं। इन समुदायों के लोगों को असम में अनुसूचित जनजाति नहीं समझा जाता क्योंकि जब आप उनकी गिनती करते हैं तो उनकी संख्या काफी होगी। और वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों ही हैं। इसीलिए आपने उन्हें पिछले 53 सालों से अनदेखा किया है—चाहे सरकार में कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

महोदया, आप विपक्ष की नेता हैं और आपकी सरकार पिछले कई सालों से सत्ता में रही है। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। अब ये लोग भी उन्हें अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। *(व्यवधान)* हां, हम अपने लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। नेता केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में यही बोलते हैं कि हम उन्हें बचा रहे हैं परंतु वास्तव में वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मार रहे हैं। हमारे देश की यही त्रासदी है।

कृपया यह मत भूलिए कि वे हमारे राष्ट्र का हिस्सा हैं। अगर आप उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो आखिर में आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं माननीय प्रधान मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया। परंतु इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि वे यहां पर इस व्यापक विधेयक के संबंध में यह वचन दें कि यह विधेयक किस तारीख को या किस साल चर्चा के लिए आयेगा या क्या यह अगली सदी में ही आ जाएगा या नहीं। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

फिर भी मैं इस छोटे संशोधन का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : जनाबे चेयरमैन साहब, मैं इस बिल की भरपूर ताईद करता हूं। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रही है। अदालते आलिया सुप्रीप कोर्ट ने तो दस्तूरे हिन्द की दफात और उसके अल्फाज की रोशनी में अपना फैसला दे दिया। लेकिन समाजी हालात मुखतलिफ थे और इन मुखतलिफ समाजी हालात की वजह से नाइंसाफी की एक सिचुएशन पैदा हो रही थी। अदालते आलिया ने तो सिर्फ अल्फाज को देख कर, कवानीन के अल्फाज को देख कर यह फैसला दे दिया कि उनकी रोशनी के अंदर शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए प्रमोशन्स में रिजर्वेशन हासिल नहीं रहती। जैसा मैंने कहा, समाजी हालात मुखतलिफ थे, लिहाजा पार्लियामैंट के अंदर और पार्लियामैंट के बाहर मुतालबात होने लगे कि प्रमोशन्स में रिजर्वेशन्स को बहाल किया जाए और इस मकसद की खातिर हुकूमत सामने आई। हम हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करते हैं।

[श्री जी०एम० बनातवाला]

जनाब चेयरमैन साहब, रिजर्वेशन के ताल्लुक से बहुतेरे मुतालबात हैं। वक्त की तंगी की खातिर मैं उनमें नहीं जाना चाहता लेकिन कम से कम दो मुतालबात पर हुकूमत की तवज्जह तो दिला दूं ताकि हुकमत उस पर भी तवज्जह करे और रिजर्वेशन के ताल्लुक से मुखतलिफ मुतालबात जो आते रहे हैं, उनके सिलसिले में भी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे। एक मुतालबात जो हमने बारहा यहां पर किया है, वह यह है कि जब एक शैड्यूल्ड कास्ट का फरद एक इसाई मजहब या इस्लाम को कबूल करता है तो उसकी रिजर्वेशन को जारी रहना चाहिए। अब मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बारह हमने वजनी दलाइल इस सिलसिले में पेश की हैं। इस पर भी तवज्जह दी जाए। इस सिलसिले में भी जो जरूरी कार्यवाही आईन के तरमीम की, कवानीन के तरमीम की, ऐग्ज़ीक्यूटिव एहकामात की तरमीम की है, उस पर भी तवज्जह होनी चाहिए।

एक और मुतालबात जो हमने शिद्दत के साथ हमेशा सामने रखा है कि वह यह है कि मुसलमान और हर अकलियत को सर्विसेस में रिजर्वेशन होना चाहिए। यह जरूरी है कि हमारी रंगा-रंग सोसाइटी, मल्टीपल सोसाइटी की भरपूर तौर पर झलक हमारी सर्विसेस के अंदर भी हो, हमारी सर्विसेस सही मायने में सैकुलर और कौसमोपोलीटन कहलाए और साथ ही साथ मुल्क के अंदर बसने वाले तमाम लोगों के साथ इन्साफ किया जाए।

मुल्क के अंदर मुखतलिफ फिरके, मुखतलिफ सैक्शन्स हैं। हर सैक्शन मुल्क के लिए ताकत का बाईस है। मुल्क का कोई एक सैक्शन अगर पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है तो मुल्क पर बोझ हो जाता है और हम उसे बोझ से देखना गवारा नहीं कर सकते। लिहाज़ा इन सबको नैशनल मेनस्ट्रीम में लाना जरूरी है ताकि मुल्क के मुखतलिफ तबकात के साथ भरपूर इन्साफ हो। इस सिलसिले में मुसलमान और अकलियतों की पोजीशन को उठा कर देखें। आपके सामने खुद आदादो शुमार मौजूद हैं। मेरे अदादो शुमार नहीं। डा० गोपाल सिंह हाई पावर पैनल आन माईनौरिटीज़ की रिपोर्ट आई। अगर उसके आदादो शुमार को देखते हैं कि अकलियतों की ओर खास तौर पर मुसलमानों की क्या हालत है तो रौंगटे खड़े हो जाते हैं। आदादो शुमार की रोशनी में तो ऐसे मालूम होता है कि खसूसी तौर पर मुसलमान तो शैड्यूल्ड कास्ट्स से भी कितने मामलों में पिछड़ गया है और पीछे रह गया है।

इंसाफ का तकाजा है कि इस पर भी तवज्जह दी जाये और जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुपात में आबादी के तनासुब से इन पिछड़े हुए तबकों को भी, मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाये। अब मुझे यह न कहा जाये कि मजहब की बुनियादों पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। अगर एक शैड्यूल्ड कास्ट्स का शख्स क्रिश्चियन धर्म अख्तियार करता है, इस्लाम मजहब अख्तियार करता है तो आप तो मजहब की बुनियाद पर उसके तमाम रिजर्वेशन को खत्म कर देते हैं, लेकिन वह बात अलग रही। हम यह नहीं कह सकते कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। जब हम किसी रिलीजियस ग्रुप के लोगों की बात करते हैं, धार्मिक समूह को एक पहचान के रूप में ही प्रयोग किया जाता है एक बैकवर्ड ग्रुप को आइडेंटीफाई किया जाता है, जिस तरह कास्ट के जरिये बैकवर्ड ग्रुप को आईडेंटीफाई किया जाता है और अदालत ने भी इस बात को माना है कि यह इस तरह से आइडेंटीफिकेशन किया जा सकता है कि वह उस रिलीजियन की वजह से मसमांदा है, यह बात नहीं, वह उस मजहब की वजह से पिछड़ा हुआ है, यह बात नहीं, बल्कि खारजी तौर ऐसे हालात हैं। ऐसे हालात के अन्दर वे डाल दिये गये, जिनकी वजह से ऐसे हालात उनके लिए बरपा किये गये, जिनकी वजह से वे लोग पिछड़ रहे हैं। *(व्यवधान)* मैं दो-चार जुमलों में ही बात को खत्म कर दूंगा। आप मेरे साथ केरल आइये। केरल में रिजर्वेशन की एक स्कीम है, एवं पैटर्न है, उसमें माइनोरिटीज, मुसलमानों, क्रिश्चियंस, सब के साथ इंसाफ किया हुआ है। केरल भी सैकुलर हिन्दुस्तान का ही एक हिस्सा है, एक अंग है। यह कांस्टीट्यूशन जितना दीगर तमाम रियासतों और मरकज के ऊपर हावी है, इसी तरह यह दस्तूर केरल पर भी हावी है। वहां पर मुसलमानों को, दीगर अक्लियतों को रिजर्वेशन हासिल है और यह जरूरी है, इंसाफ का तकाजा है कि यह रिजर्वेशन मुल्क भर में दिया जाये।

वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं और मतालबात को आपके सामने रखूं, और मवाके आते रहेंगे और उनसे हुकूमत भी वाकिफ है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए समाजी इंसाफ की खातिर आगे बढ़े। इस बिल का ताल्लुक शैड्यूल्ड कास्ट्स से है, शैड्यूल्ड ट्राइब्स से है। इस बिल का ताल्लुक तो इतना है कि प्रमोशंस के अन्दर भी उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यह एक जायज चीज है, इसकी हम भरपूर ताईद करते हैं।

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): جناب چیئرمین صاحب، میں اس بل کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ حکومت اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہی ہے۔ عدالتِ عالیہ سپریم کورٹ نے تو دستورِ ہند کی دفعات اور اسکے الفاظ کی روشنی میں اپنا فیصلہ دے دیا۔ لیکن سماجی حالات مختلف تھے اور ان مختلف سماجی حالات کی وجہ سے ناانصافی کی ایک سچویشن پیدا ہو رہی تھی۔ عدالتِ عالیہ نے تو صرف الفاظ

کو دیکھ کر قوانین کے الفاظ کو دیکھ کر یہ فیصلہ دے دیا کہ انکی روشنی کے اندر شیڈول کاسٹ کے لوگوں کی پروموشنس میں ریزرویشن حاصل نہیں رہتی۔ جیسا میں نے کہا، سماجی حالات مختلف تھے، لہذا پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر مطالبات ہونے لگے کہ پروموشن میں ریزرویشنس کو بحال کیا جائے اور اس مقصد کی خاطر حکومت سامنے آئی۔ ہم حکومت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔

جناب چیئرمین صاحب، ریزرویشن کے تعلق سے بہتر ے مطالبات ہیں۔ وقت کی تنگی کی خاطر میں ان میں نہیں جانا چاہتا لیکن کم سے کم دو مطالبات پر حکومت کی توجہ تو دلادوں تاکہ حکومت اس پر بھی توجہ کرے اور ریزرویشن کے تعلق سے مختلف مطالبات جو آتے رہے ہیں، انکے سلسلے میں بھی اپنی ذمہ داری کو انجام دے سکے۔ ایک مطالبہ جو ہم نے بارہا یہاں پر کہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک شیڈول کاسٹ کا فرد ایک عیسائی مذہب یا اسلام مذہب قبول کرتا ہے تو اسکی ریزرویشن کو جاری رہنا چاہیئے۔ اب میں اس پر زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ بارہا ہم نے وزنی دلائل اس سلسلے میں پیش کی ہیں۔ اس پر بھی توجہ دی جائے۔ اس سلسلے میں بھی، جو ضروری کاروائی آئین کی ترمیم کے، قوانین کی ترمیم کے، ایگزیکیوٹیو کی ترمیم کے ہے، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیئے۔

ایک اور مطالبہ جو ہم نے شدت کے ساتھ ہمیشہ سامنے رکھا ہے کہ مسلمان اور ہر اقلیت کو سروسیز میں ریزرویشن ہونا چاہیئے۔ یہ ضروری ہے کہ ہماری رنگارنگ سوسائٹی، ملٹیپل سوسائٹی، بھرپور طور پر اسکے جھلک ہماری سروسیز کے اندر بھی ہو، ہماری سروسیز صحیح معنی میں سیکولر اور کوسموپولیٹن کہلائے اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔

ملک کے اندر مختلف فرقے مختلف سیکشن ہیں۔ ہر سیکشن ملک کے لئے طاقت کا باعث ہے۔ ملک کا سیکشن اگر پچھڑ جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے تو ملک پر بوجھ ہوتا ہے۔ ہم ایک حصہ کو بوجھ بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ لہذا ان سب کو نیشنل مین اسٹریم میں لائیں، ضروری ہے کہ ملک کے مختلف طبقات کے ساتھ بھرپور انصاف ہو۔ اس سلسلے میں مسلمان اور اقلیتوں کی پوزیشن کو اٹھا کر دیکھیں۔ آپ کے سامنے خود اعداد و شمار موجود ہیں۔ میرے اعداد و شمار نہیں۔ ڈاکٹر گوپال سنگھ ہائی پاور پینل آن مائینارٹیز کی رپورٹ آئی۔ اگر اس کے اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی کیا حالت ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اعداد و شمار کی روشنی میں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خصوصی طور پر مسلمان تو شیڈول کاسٹس سے بھی کتنے معاملوں میں پچھڑ گیا ہے اور پیچھے رہ گیا ہے۔ انصاف کا تقاضہ ہے کہ اس پر بھی توجہ دی جائے اور in accordanc with the population, in proportion to the population, آبادی کے تناسب سے ان پچھڑے ہوئے طبقوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی ریزرویشن دیا جائے۔ اب مجھے یہ نہ کہا جائے کہ مذہب کی بنیادوں پر ریزرویشن نہیں دیا جائے۔ اگر ایک شیڈول کاسٹس کا شخص عیسائی مذہب اختیار کرتا ہے، اسلام مذہب اختیار کرتا ہے تو آپ تو مذہب کی بنیاد پر اس کے تمام ریزرویشن کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن وہ بات الگ رہی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا۔ جب ہم کسی ریلیجیس گروپ کے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ The religious group is just used as an identification. ایک بیکورڈ گروپ کو آڈینٹی فائی کیا جاتا ہے اور عدالت نے بھی اس بات کو مانا

है। यह बात नहीं बल्कि उस मजहब की वजह से पिछड़ा हुआ है। यह बात नहीं, बल्कि खारजी तौर पर ऐसे हालात हैं। ऐसे हालात के अंदर वह डाल दिये गये, जिसकी वजह से ऐसे हालात उन के लिये बरपा किये गये, जिसकी वजह से वह लोग पिछड़ रहे हैं।... (व्यवधान) मैं दो चार जुमलों में ही अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आप मेरे साथ केरल आइये। केरल में रिजरवेशन की एक स्कीम है, एक पैटर्न है। उस में नायर, ईजर, मुसलमानों, ईसाइयों, सब के साथ इंसाफ किया हुआ है। केरल भी सेकुलर हिन्दुस्तान का ही एक हिस्सा है, एक अंग है। यह कांस्टीट्यूशन चाहे दीगर तमाम रियासतों या मरकज के ऊपर हावी है, इसी तरह यह दस्तूर केरल पर भी हावी है। वहां मुसलमानों को, दीगर अकलियतों को रिजरवेशन हासिल है और यह जरूरी है, इंसाफ का तकाजा है कि यह रिजरवेशन मुल्क भर में दिया जाये।

वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं और मिसालात को आप के सामने रखूं लेकिन मौका आता रहेगा और इन से हुकूमत भी वाकिफ है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देते हुये समाजी इंसाफ की खातिर आगे बढ़े। इस बिल का तअल्लुक शैड्यूल कास्ट्स से है। इस बिल का तअल्लुक तो इतना है कि प्रोमोशन के अंदर भी इक्वल रिजरवेशन मिलना चाहिये। यह एक जायज चीज है, इसकी हम भरपूर ताईद करते हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : सभापति महोदय, धन्यवाद!

डी ओ पी टी के पांचों अपमानजनक परिपत्रों पर विस्तार से चर्चा किए बिना आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस विधेयक की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसे पुर:स्थापित किया जा रहा है। इस विधेयक को 23 दिसम्बर, 1999 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रति मेरे पास है। अब हमें यह सूचित किया गया है कि राज्य सभा ने 17 अगस्त को यह विधेयक पारित कर दिया था जिसका अर्थ है आठ महीने बाद हमें यह भी बताया गया है कि राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए इस विधेयक को गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था।

अब अगर आप 23 दिसम्बर, 1999 को राज्य सभा में पुर:स्थापित मूल विधेयक की तुलना 17 अगस्त, 2000 को राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक से करते हैं तो पायेंगे कि इसमें कोई कॉमा या पूर्ण विराम तक नहीं बदला गया है या किसी शब्द का परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि गृह मामलों संबंधी स्थाई समिति ने क्या किया था। उन्होंने क्या-क्या संशोधन किये हैं?

महोदय, यह विलंब क्यों हुआ? मेरे पास दोनों ही प्रतियां हैं। उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। फिर इसे लागू करने में विलंब करने की यह गल्ती क्यों की गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

महोदय, एक अन्य बात इस विधेयक में मेरे संशोधनों के संबंध में है। मैंने इस विधेयक से संबंधित अपने संशोधन आज सभा की कार्रवाई आरंभ होने से पहले अर्थात्, पूर्वाह्न 11 बजे से पहले दे दिए थे। परंतु मुझे सचिवालय ने बताया कि इस विधेयक से संबंधित संशोधन मुझे कल देने चाहिए थे। आज 11 बजे से पहले अपने संशोधन देने का अर्थ है कि मैंने अपने संशोधन आज सभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले दे दिए। यह विधेयक आज सभा में सायं 4 बजे चर्चा के लिए लिया गया है। माननीय मंत्रीजी को मेरे संशोधन स्वीकार करने चाहिए थे क्योंकि ये मूलभूत प्रकृति के हैं।

तथापि, महोदय अब मैं इस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित कुछ बातें कहना चाहूंगा। आज इस सभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने 1991 की जनगणना के अनुसार इस देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़े दिए हैं। उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि, 1991 की जनगणना के अनुसार इस देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.48 प्रतिशत है। उनके उत्तर के अनुसार इस देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 8.08 प्रतिशत है। इसलिए इस देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 24.56 प्रतिशत थी। आज, इन दोनों समुदायों की संयुक्त जनसंख्या 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

महोदया, जब आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित कर रहे हैं तो आप इस देश में कुछेक लाख लोगों के भविष्य और कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं। इनकी जनसंख्या करोड़ों में है। यही सरकार एक सप्ताह के अंदर ही तीन नए राज्यों के गठन के लिए तीन विधेयक पुर:स्थापित कर चुकी है। अब, इन तीन नवगठित राज्यों की जनसंख्या क्या होगी ? मैं इस तीन नए राज्यों के गठन का समर्थन करता हूं। इनकी जनसंख्या पांच लाख हो सकती है। आप इन तीन राज्यों की लगभग 5 लाख की जनसंख्या के बारे में चिंतित हैं परंतु इस देश के 25 करोड़ लोगों के बारे में चिंतित नहीं हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप फिगर्स दीजिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : पांच से दस लाख लोग तो मेरी कांस्टीट्यूएंसी में हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : ठीक है, इनकी जनसंख्या 5 करोड़ हो सकती है *(व्यवधान)* महोदय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 25 करोड़ लोग आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वे पांचों डी ओ पी टी के परिपत्र वापिस लिए जाने चाहिए।

महोदय, माननीय मंत्री, श्रीमती राजे ने मई के महीने में लोक सभा में एक विधेयक पुर:स्थापित किया था जो 50 प्रतिशत बकाया रिक्तियों की सीमा को हटाने से संबंधित था। यह विधेयक पारित हो गया था। इस सम्माननीय सदन के 407 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया था। परंतु तब से क्या हुआ? इस विधेयक को लागू करने से संबंधित परिपत्रों को 20 जुलाई, 2000 को ही जारी किया गया। मैंने उस परिपत्र की प्रति के लिए माननीय मंत्री को एक पत्र लिखा था। परंतु उस परिपत्र की प्रति कहां है?

सभापति महोदय, मैं अध्यक्षपीठ से यह निर्णय चाहता हूं कि जब कभी इस सभा में किसी विषय से संबंधित कोई संविधान संशोधन विधेयक विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और पारित हो जाता है और जब उस आधार पर अनुदेश जारी किये जाते हैं तो कम से कम संसद सदस्यों को संबंधित परिपत्र की प्रति दी जानी चाहिए ताकि वे जान सकें कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है।

महोदय, अब मैं 22 दिसंबर, 1999 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निम्नलिखित आश्वासन की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं–

> "एक अन्य संविधान संशोधन लाने का प्रस्ताव विचार के अंतिम चरण पर है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में विशेष भर्ती द्वारा बकाया रिक्तियों को भरने में मदद करेगा।"

उन्होंने इसी अभियान से संबंधित एक अन्य सभा में भी ऐसा ही एक आश्वासन दिया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि संशोधन विधेयक को पारित करने के बाद, जिसे पूरी संसद ने समर्थन दिया था, क्या सरकार ने किसी विशेष अभियान द्वारा बकाया रिक्तियों को भरने के लिए कोई अनुदेश जारी किए थे।

महोदय, मैं गुजरात राज्य का हूं। गुजरात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित 28,000 बकाया रिक्तियां हैं। वहां अठाइस हजार पद खाली पड़े हैं। मेरे पास असम से संबंधित जानकारी भी है। मुझे यह सूचना इसलिए मिली कि मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कल्याण समिति का सदस्य हूं। असम जैसे छोटे राज्य में यथा 1 अप्रैल, 1996 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 15,000 बकाया रिक्त पद थे। जैसा कि समिति ने पूछा था वे 1 अप्रैल, 2000 तक के आंकड़े नहीं दे सके थे।

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : कब से बाकी है, कितने साल से बैकलॉग है, पता चले कि किसकी सरकार से बंद हुआ है?

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : 1997 के बाद भरनी बंद हो गई। दिलीप भाई किसी सरकार को दोष न दें।

अभी आप संविधान संशोधन किस बात पर लाए हैं।

[अनुवाद]

हम संविधान में संशोधन किसलिए कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को एक विशेष अभियान चलाना चाहिए। मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संशोधन का कोई उपयोग नहीं है। यदि आप मुझे प्रोन्नति देते हैं लेकिन मेरी वरीयता को सुरक्षा प्रदान नहीं करते, तो उसका क्या उपयोग है? एक अन्य न्यायालय ने उपेक्षित को न्याय दिलाने (कैचिंग अप) के नियम के आधार पर एक विनिर्णय दिया है। न्यायालय ने 'कैच अप' मुहावरे का उपयोग किया है। उन्होंने क्या मुहावरा उपयोग किया है! एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पदोन्नति मिल रही है; उसे स्तर एक से स्तर दो पर पदोन्नति दी जा रही है; उसे सम्भवत: स्तर-दो से स्तर-तीन पर पदोन्नति दी जाएगी अत: उन्हें स्तर दो के बाद ही पदोन्नति नहीं दी जाए और उन्हें वरीयता प्रदान नहीं की जाए—यह विचार है। उस विनिर्णय के अनुसार स्तर दो से स्तर तीन में पदोन्नति के लिए स्तर एक की वरीयता को गिना जाएगा। यह अन्याय है और यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं भारतीय संविधान से अनेक प्रावधान उद्धृत कर सकता हूं।

भारत सरकार को इस न्यायालय अथवा उस न्यायालय द्वारा पारित गलत विनिर्णयों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए तथा उनको अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 पढ़े। उसमें कहा गया है:

> "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थसंबंधी हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, बढ़ावा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।"

आप को संविधान से इस प्रकार के निर्देश मिले हैं। यह सम्माननीय सभा संविधान का ही सृजन है। भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का ही सृजन है। भारत सरकार इस संविधान का सृजन है। सृजन अपने सृजक का विरोध नहीं कर सकता है। यहां सृजक संविधान है। इस न्यायालय, इस सरकार और यहां तक कि इस सभा के पास भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विरोध करने की शक्ति नहीं है। जब अनुच्छेद 16(चार)(क) एक मौलिक अधिकार है, न्यायालय यह कैसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 16(चार)(ख) एक मौलिक

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय का अर्थ तो यह है कि मेरा बांया हाथ मेरे शरीर का अंग है लेकिन मेरा दांया हाथ मेरे शरीर का अंग नहीं है।

सरकार उच्चतम न्यायालय को यह लिख सकती है कि वह इन वर्गों के आर्थिक हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान से निर्देशित होते हैं। आर्थिक हितों को संरक्षण किस प्रकार प्रदान किया जाएगा? क्या हमारे पास भूमि है; क्या हमारे पास उद्योग है; अथवा क्या हमारे व्यापार है? हमारे कोई उद्योग तथा कोई व्यापार नहीं चल रहे हैं। हमारे पास केवल नौकरी हैं। इसलिए अनुच्छेद 335 में 'नियुक्ति' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नियुक्ति चपरासी अथवा राजदूत किसी भी पद पर हो सकती है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : यह बहुत अहम सवाल है। कभी-कभी और सवालों पर घंटों तक बहस होती है। यह 25 करोड़ लोगों का सवाल है।

[अनुवाद]

एक चपरासी की भी नियुक्ति हो सकती है और एक अवर सचिव की भी नियुक्ति हो सकती है। नियुक्ति सीधे भर्ती द्वारा भी हो सकती है; नियुक्ति चयन द्वारा भी हो सकती है; और नियुक्ति पदोन्नति द्वारा भी हो सकती है। आपके पास बहुत ही स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान हैं।

मैं एक बार फिर मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विधेयक के मूल उद्देश्यों में इंदिरा साहनी मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख क्यों किया गया था। माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम होना चाहिए कि इंदिरा साहनी सरकारी कर्मचारी नहीं थी। उसके पास कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं था। उसने उच्चतम न्यायालय में अन्य पिछड़े हुए वर्गों के आरक्षण के विरुद्ध मामला दायर किया था न कि अनु०जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध। भारत सरकार को इंदिरा साहनी के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला नहीं देना चाहिए था क्योंकि यह एक वकील, जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं था द्वारा दायर किया गया जनहित का मुकदमा था और निर्णय का संबंध अन्य पिछड़े वर्गों से था न कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित था। मैं भारत सरकार द्वारा इंदिरा साहनी मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करने और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए कड़ी आपत्ति करता हूं।

मैं चाहता था कि श्री राम विलास पासवान यहां उपस्थित रहते। वह पांच वर्ष की सीमा के संबंध में भी नहीं जानते हैं। पदोन्नति में पांच वर्ष की सीमा केवल अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) के लिए थी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई सीमा नहीं है।

वह पुन: गलती कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं इस संबंध में एक अधिनियम बनाने की मांग की थी। अब, वह अधिनियम, तथ्य और युक्ति के संबंध में बात कर रहे हैं। जब वह इस तरफ बैठते थे, वह कुछ अन्य भाषा बोलते थे और अब जबकि वह वहां बैठे हैं, वह कुछ अन्य भाषा बोल रहे हैं। वास्तव में, उन्होंने यहां उपस्थित मंत्री जी का बचाव किया था। उनका बचाव करने के बाद, वह चले गए। मैं चाहता था कि वह यहां उपस्थित रहते और हम जो उत्तर देने जा रहे हैं, वह उन्हें सुनते।

किसी भी स्थिति में, मैं यह अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी द्वारा सुझाए गए संशोधनों के अलावा यह दो पैराग्राफ भी जोड़े जायें। मुझे विश्वास है कि विपक्ष तथा सत्तापक्ष के सभी संसद सदस्य मुझे समर्थन देंगे।

मेरे प्रथम पैरा में कहा गया है :

"आरक्षित पदों पर नियुक्त या प्रौन्नत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ऐसी नियुक्ति या प्रौन्नति या उन्नयन की तारीख से वरिष्ठता के हकदार होंगे और संबंधित स्थापना में बनाए गए रोस्टर के अनुसार नियुक्ति या प्रौन्नति या उन्नयन के प्रत्येक प्रक्रम में यथास्थिति, आसन्न निम्न संवर्ग/पद में प्राप्त रोस्टर स्थान का विचार किए बिना, सेवा में समायोजित किया जाएगा और यह रोस्टर सामान्य तथा आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए वरिष्ठता समझी जाएगी।"

महोदय, मैं एक अन्य पैरा भी जोड़ना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:

"गुणागुण के आधार पर चयनित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को बाद के किसी प्रक्रम में आरक्षित पद के लिए विचार किए जाने हेतु मूल्यांकन या रियायत का लाभ उठाने से वंचित नहीं किया जाएगा।"

और मेरे अंतिम पैरा में कहा गया है:

"सीधी भर्ती या प्रौन्नति या उन्नयन या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति में गुणागुण के आधीर पर चयनित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की ऐसे पदों में परस्पर वरिष्ठता सामान्य अभ्यर्थियों के साथ होगी और वह भविष्य में आरक्षित पदों पर विचार किए जाने का पात्र होगा।"

महोदया, आपको यह मालूम होना चाहिए कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वरीयता के नियम एक समान हैं। अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न वरीयता नियम नहीं हो सकते हैं। अनुसूचित जाति

के कर्मचारी सरकारी सेवाओं में प्रवेश और पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों के हैं। लेकिन जहां तक कि वरीयता नियमों का संबंध है, ऐसा नहीं हो सकता है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आचरण नियम समान हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई पृथक आचरण नियम नहीं हैं। यदि मैं 5,000 रुपए की रिश्वत लेता हूं और एक अन्य व्यक्ति 2,000 रु० की रिश्वत लेता है, तो मुझे आचरण नियमों में कोई छूट नहीं मिलती है। इसी प्रकार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न वरीयता नियम नहीं हो सकते।

न्यायालय द्वारा "आरक्षित श्रेणी" शब्दों का इस्तेमाल करना भी आपत्तिजनक है। मान लीजिए, मैं एक विशेष पद पर कार्य-भार ग्रहण करता हूं। मेरे द्वारा कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख अथवा आदेश की तारीख ही वरीयता तारीख है। आप मुझे पदोन्नति देते हैं और मेरी वरीयता को सुरक्षित नहीं रखते हैं, तो आप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वरीयता को संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। अत: यह संशोधन कोई प्रयोजन हल नहीं करेगा।

एक बार फिर मैं यहां उपस्थित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी संसद सदस्यों की ओर से यह अनुरोध करूंगा कि सरकार को छूट और पदोन्नति देने के लिए, विशेरू रूप से शैक्षिक कोर्स जैसे एम०बी०बी०एस० आदि के मामले में, एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये।

माननीय सभापति, महोदया, जब उड़ीसा सरकार और केरल सरकार ने आरक्षण अधिनियम बनाये हैं तो भारत सरकार आरक्षण अधिनियम क्यों नहीं बना रही है? मैं यह अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी मदों, सभी विशेषाधिकारों, सभी लाभों को एक ही अधिनियम के अंतर्गत रखा जाना चाहिए और इसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आरक्षण अधिनियम के रूप में घोषित कर देना चाहिए। उस अधिनियम को नौवीं अनुसूची में जोड़ा जाना चाहिए। तभी इस देश में लोग, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग यह विश्वास करेंगे कि भारत सरकार द्वारा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाती है।

मैं इस आंशिक संशोधन का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं पुन: यह अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा सुझाए गए संशोधनों को विधेयक में जोड़ा जाए।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री जी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिन्दे (शोलापुर) : सभापति महोदय, इस सभाग्रह में दो बजे से भाषण हो रहे हैं। यह बिल शैड्युल्ड कास्ट्स और शैड्युल्ड ट्राइब्स लोग जो समाज में वंचित हुए हैं, उनसे संबंधित है। इस सभाग्रह में जितने भी भाषण हुए हैं, उनमें शैड्युल्ड कास्ट्स और शैड्युल्ड ट्राइब्स के सदस्य ही बोले हैं। मैं चाहता था कि इस बिल पर उच्च जाति के लोग भी सपोर्ट करते और देश को विश्वास देते कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं।

यह दुख की बात है। स्वतंत्रता हासिल करने के 53 वर्ष बाद भी हमें दर्द होता है। *(व्यवधान)* इस देश में ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे समर्थन कर सकेंगे। *(व्यवधान)* आज हमने भाषण नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि दूसरे लोग इस बिल का समर्थन करें। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शिंदे साहब, आप पुराने सदस्य हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। डिसकशन होते हुए ढाई घंटे हो गए हैं। कार्य मंत्रणा समिति में दो घंटे का समय अलाट हुआ था और ढाई घंटे का समय दिया गया है। काफी माननीय सदस्यों के विचार आए हैं। इसलिए अब सरकार का जवाब सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, आप क्यों खड़े हैं और किस की अनुमति से खड़े हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, हमारा कहना इतना ही है कि यह जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, मैंने मंत्री जी का नाम पुकार दिया है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : माननीय सभापति महोदय, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात प्रोसिडिंग में आ गई है, अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती वसुंधरा राजे : माननीय सभापति, महोदय, मैं इस माननीय सभा के सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहती हूं कि उन्होंने

[श्रीमती वसुंधरा राजे]

संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक जो कि संविधान के अनुच्छेद 335 में संशोधन करने के लिए है को अपना उत्साहपूर्ण समर्थन दिया।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : हमारा कहना है कि एससी, एसटी को उनके हक मिलने चाहिए। *(व्यवधान)* हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। *(व्यवधान)* हमें तुम्हारा काम चाहिए। हमें आपस में युद्ध नहीं चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ऐसे नहीं चलेगा, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपकी बात आ गई है।

श्री रामदास आठवले : हम तो आसन ग्रहण करेंगे, लेकिन जब तक हमें हक नहीं मिलता है तब तक हम आसन ग्रहण नहीं करेंगे। *(व्यवधान)* हम देश के लोगों की आवाज यहां उठाने के लिए आए हैं और इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का हमें अधिकार है। इसलिए हमें आपका संरक्षण चाहिए। अगर आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो बीजेपी वाले देने वाले नहीं हैं। *(व्यवधान)* हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं। *(व्यवधान)* आप बंगारू लक्ष्मण जी को इसका अध्यक्ष बना रहे हैं, यह अच्छी बात है। मगर आप यह जो बिल ला रहे हैं इससे आपको दलितों के वोट मिलने वाले नहीं हैं। *(व्यवधान)* आप जब तक अपनी नीति नहीं बदलते हैं तब तक आपको दलितों का वोट मिलने वाला नहीं है। *(व्यवधान)*

अपराह्न 4.58 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले हमारी बात सुनें। क्या आपको चेयर से परमिशन मिल गई है?

श्री रामदास आठवले : दिया है।

अध्यक्ष महोदय : दिया है तो बोलो।

(व्यवधान)

अपराह्न 5.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी परमिशन दे रहा हूं।

श्री रामदास आठवले : कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के खिलाफ जो निर्णय दिया, उसके कारण सरकार को यह बिल लाना पड़ा। सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करता हूं। यह बहुत अच्छा बिल है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं आल इंडिया अन्ना डी०एम०के० पार्टी की ओर से संविधान के (अठासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस विधेयक को प्रधान मंत्री ने संचालित किया है और इसे यहां राज्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है। यह विधेयक उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभावों को निष्फल करने के लिए लाया गया है।

"न्याय को वैसे अंधा माना जाता है, परंतु इसका झुकाव कमजोर पक्ष की ओर होता है"– ये शब्द बेन्थम महोदय के हैं। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति के लोगों को निराश किया है और इसीलिए, इस सभा द्वारा इस विधेयक को लाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 335 इस प्रकार है:

> "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान दिया जाएगा।"

महोदय, ये शब्द 'प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार' चौंकाने वाले हैं। इस विधेयक को उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी चुनौती देनी चाहिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही यह निर्णय दिया था कि योग्यता ही प्रवेश और पदोन्नति मानदण्ड होगी; और संविधान द्वारा दिए गये आश्वासन पर कार्य नहीं की जा सकती।

जब तमिलनाडु विधानसभा ने यह प्रावधान समाविष्ट करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था कि आरक्षण का प्रावधान संविधान की नौवीं अनुसूचि में सम्मिलित किया जाए, उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका दाखिल कर ली और सशर्त आदेश जारी किया था। इसलिए, यदि इसे नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कर भी लिया जाए, तो न्यायिक पुनरावलोकन के बहाने, उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त हैं कि वे आरक्षण के इस मामले को देखें। इस तरह, आरक्षण का मामला, सभा द्वारा पारित करने के बाद भी, समाप्त नहीं होना चाहिए।

यह सरकार महान्यायवादी के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में कार्रवाई करने और निवेदन करने के अपने कर्त्तव्य में विफल रही है। अनुच्छेद 335 के कानूनी प्रावधान को अवगत कराते हुए, इसे उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए था। इसे उच्चतम न्यायालय में जाकर यह कहना चाहिए था कि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष सहुलियतों की आवश्यकता है और वे दलित वर्ग के हैं। चूंकि सरकार उच्चतम न्यायालय को विधायी प्रावधानों से अवगत करने के अपने फर्ज में विफल रही है, जिससे वह मुकदमा हार गई, अत: इस विधान को पारित किया जा रहा है।

मैं अपने कुछ साथियों को सुन रहा था। भाषण देते समय, वह कह रहे थे कि इस वर्ग का कुछ उत्थान किए जाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के 53 वर्ष के बाद भी, इस वर्ग के लोगों के ऊंचे

संवैधानिक पद पर आसीन होने के बाद भी, यह वर्ग सवर्ण वर्ग के बराबर या यहां तक की पिछड़े वर्ग की बराबरी तक नहीं आ सका है।

उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में, न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी ने कहा कि आरक्षण के नाम पर प्रशासन की कार्यकुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

इसलिए, उनके बाद जब कोई उसके निर्णय को चुनौती देगा उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे का इस्तेमाल करेगा। इंदिरा साहनी मामले में, उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के समय इस सिद्धांत का पालन किया, जिससे पदोन्नति का अधिकार नहीं मिल सका। जहां तक पदोन्नति में बकाया पदों का सवाल है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ पदों को भरा जाना बाकी है क्योंकि ये पहले से ही भरी हुई हो सकती है। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद, क्या भविष्य में बकाया पद बचेंगे? यह पहले ही भर चुके होंगे, चाहे वह रोस्टर या किसी अन्य स्थान पर हों। मेरा माननीय प्रधानमंत्री से यह निवेदन है कि वे इस माननीय सभा को आश्वस्त करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा की जाएगी। संविधान आरक्षण की गारंटी देता है। परंतु राज्यपालों और उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के मामले में आरक्षण कहां है?

महोदय, यह मामले को और आगे घसीटने हेतु किया गया है। इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इससे अनु० जातियों अनु० जनजातियों को कोई लाभ नहीं होगा। यह संविधान (संशोधन) विधेयक राजनैतिक स्वार्थपूर्ति के लिए लाया गया है। इससे शोषित वर्गों का भला नहीं होगा। यह कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं उच्चतम न्यायालय में पुनः, महान्यायवादी के माध्यम से उस पुराने मामले में निवेदन प्रस्तुत करें जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पदोन्नति के अधिकारों से वंचित रखा है, जिससे उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले दिये गये निर्णय को रोका जा सके। उच्चतम न्यायालय में कई बार अपने निर्णय को बदला है। मार्च में, उन्होंने एक निर्णय दिया और अप्रैल में, उसी मामले में अपने निर्णय को बदल दिया। उच्चतम न्यायलय इस निर्णय को स्वयं बदले। इस विधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के कारण उच्चतम न्यायालय इस निर्णय को बदल देगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे पुनः उच्चतम न्यायालय में निवेदन प्रस्तुत करें। ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक विधान पर, न्यायालय ने कई विधायी पुनरीक्षा याचिकाओं पर विचार किया है। अतः, सरकार को इस मामले में न्यायालय में जाना चाहिए।

चूंकि यह विधेयक स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ग को पूर्णतः भुला दिया है। हालांकि हम उन्हें, नौकरियों में, गृह-निर्माण सोसायटियों में आरक्षण देते हैं और अन्य सुविधाएं देते हैं, फिर भी विभिन्न राजनैतिक दल उनका शोषण करते हैं। कई सांप्रदायिक नेता पैदा हो गए हैं, जो इन मासूम लोगों का शोषण करते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस वर्ग का उत्थान करें। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आभारी हूं।

कांटो से मत निकल ऐ चमन के बागबां,
हम भी खुले में खिले हैं बहार में।

अध्यक्ष महोदय, आज सरकार संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 लेकर आई है, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। जब सारे हिन्दुस्तान में यह आवाज आग की तरह एक आंदोलन के रूप में फैल गई कि भारत अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है, उस आजादी में गरीब, शोषित समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उनको क्या ईनाम मिला है। जब आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं तो उसमें उनकी हिस्सेदारी कोई नहीं है और वे बाहर निकल गये।

इसी आंदोलन की वजह से आज सरकार को मजबूरी में यह अमेंडमेंट लाना पड़ा है। इस आंदोलन के प्रति सड़कों पर, सदन के अंदर और सदन के बाहर हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने बहुत चिंता दिखाई। वह प्रधान मंत्री जी से मिलीं, आन्दोलन में हिस्सा लिया और यह बात कही गई कि कांग्रेस पार्टी ही है जिसने 45 वर्ष तक इस देश में राज किया है और अनुसूचित जाति, जनजाति और शोषित समाज को गले लगाकर इस लायक बना दिया है कि आज वे लोग पढ़-लिख कर आंदोलन करने के लिए खड़े हो गये हैं और उनमें जागरूकता आ गई है।

अभी कुछ माननीय सदस्य सरकार की तरफ से बार-बार प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे थे। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यह अमेंडमेंट लाये। लेकिन इसे लाने के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर आप इसे लाना चाहते थे तो दो साल से आपकी सरकार चल रही है, पहले आप इसे क्यों लेकर नहीं आये। आज चूंकि हिंदुस्तान में इतनी आग भड़क गई थी, जिसकी वजह से मजबूर होकर हमें यह लाना पड़ा है। मैं आपसे केवल यही अनुरोध करती हूं कि हमारे बहुत से कांग्रेस के सदस्यों ने और दूसरी पार्टियों के सदस्यों ने यह बात कही कि आपको काम्प्रीहेन्सिव अमेंडमेंट लाना चाहिए, इसे काम्प्रीहेन्सिव बनाना चाहिए, मैं भी इस बात को जानती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि पंजाब सर्विस कमीशन में मुझे 12 वर्ष तक सदस्य और चेयरमैन के रूप में कार्य करने का मौका मिला है। अभी राष्ट्रपाल जी ने जो अमेंडमेंट रखा था, वह बिल्कुल सही है। क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के शोषित समाज के साथ इस तरीके से सब हो सकेगा। उन्हें सरकार में पदोन्नति तथा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ सरकार ने तथा संविधान ने चीजें दी थीं, उन्हें वापिस ले लिया जायेगा। मैं खास तौर से कहना चाहती हूं कि आज पंजाब में क्या हो रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वरडिक्ट दी है, तब से बहुत से अफसरों को पदोन्नति में पीछे कर

[श्रीमती संतोष चौधरी]

दिया गया है और ऐसा रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से किया गया है। जबकि जजमैंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वे लोग जिन्हें इस जजमैंट से नुकसान हुआ है, चाहे वे लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हों, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। यह बिल का नौवां शैड्यूल है। पासवान जी ने यह कहा था कि इसे एक्ट बनाना पड़ेगा, तभी नौवां शैड्यूल हो सकता है। पासवान जी मैं आपसे कहना चाहती हूं, यहां प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, क्या इसे एक्ट बनाने के लिए हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा, क्या हम किसी से भीख मांगेंगे? एक्ट बनाने के लिए सब यहां बैठे हैं। यदि आप इसे एक्ट बनाना चाहते हैं तो सब कुछ हो सकता है, उसके लिए सिर्फ मानसिकता की जरूरत है और उस मानसिकता के अभाव में आज गरीब वर्ग को बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार जो यह बिल लेकर आई है, मैं उसका बहुत भारी मन से समर्थन करना चाहती हूं। लेकिन जो इस वर्ग को चाहिए, वह इस अमेंडमेंट से नहीं मिलेगा। इसलिए इसे काम्प्रीहेन्सिव बनाना चाहिए। यदि इसके लिए एक्ट की जरूरत है तो जल्दी से जल्दी एक्ट लाइये, एक्ट में उन्हें तब्दील कीजिए, ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। धन्यवाद।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बार का स्वातंत्र्य दिन मैंने ग्राम विभाग में मनाया। बाबासाहेब, जिन्होंने आर्थिक मदद की, कैलाशवासी सहजराव गायकवाड़ और साहू महाराज जी ने मदद की। उन्होंने देखा कि बुद्धि में तो यह विषमता नहीं है, लेकिन विषमता संधि की है। इन दो आदमियों ने बाबासाहेब को आर्थिक मदद करके संधि दी।

अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया। संविधान में आदिम जाति और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण था, लेकिन न्यायालय के एक आदेश से उस आरक्षण में कुछ कमी आई है। इसके ऊपर हमारे प्रधान मंत्री महोदय और उनके साथियों ने विचार किया और यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। मेरी यही विनती है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या इस देश में आबादी के हिसाब से 25 प्रतिशत है। इसलिए शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। मेरी इतनी ही मांग है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : माननीय अध्यक्ष, महोदय, इस सभा के सभी माननीय सदस्यों को, सरकार द्वारा प्रस्तुत इस संविधान संशोधन प्रस्ताव में बहुत उत्साह से भाग लेने के लिए, धन्यवाद देती हूं।

जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने 18 मार्च, 1999, को लोक सभा में कहा था कि जनवरी और अगस्त, 1997 के मध्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी पांच कार्यालय ज्ञापनों के पुनरावलोकन के लिए पहल की है। ऐसे कई माननीय सदस्य हैं जिन्होंने इन विशेष कार्यालय ज्ञापनों के बारे में पूछा था। जैसा कि यह सभा जानती है, सरकार ने पिछले संसद के सत्र में इस संविधान संशोधन को प्रस्तुत किया था ताकि वह अगस्त 29, 1997 के कार्यालय ज्ञापन के प्रभाव को कम कर सके जिससे प्रधान मंत्री द्वारा दिए गये वचन को पूरा किया जा सके। इस सभा और दूसरी सभा के समर्थन से संविधान के अनुच्छेद 16(4)(ख) को संविधान (इक्यासीवां) संशोधन विधेयक, 2000 के द्वारा संशोधित किया गया। सदस्यों को जानकर खुशी है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन में अगस्त, 1997 में नियत की गई आरक्षण की 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा को बकाया पदों पर लागू न करने के बारे में 20 जुलाई, 2000 को पहले ही आदेश दे दिया है।

महोदय, वर्तमान विधेयक सरकार द्वारा उस वचन की पूर्ति के लिए उठाये जाने वाला एक अन्य कदम है जो माननीय प्रधान मंत्री ने 22 जुलाई, 1997 को उस कार्यालय ज्ञापन के संबंध में दिया था जो उच्चतम न्यायालय के एस० विनोद कुमार बनाम भारत संघ के मामले में दिए गये निर्णय को लागू करने के लिए जारी किए गये थे।

महोदय, यह विधेयक सरकार का दृढ़ संकल्प दर्शाता है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदमों को उठाएगी। इस सभा में मिले स्पष्ट समर्थन, से हमारी धारणा काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि 31.1.1997 और 13.8.1997 को जारी किए गये संबंधित कार्यालय ज्ञापन पर अंतिम निर्णय को उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े कुछ याचिकाओं के निर्णय के लिए रुकना पड़ेगा। इसके अलावा, 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन पर पुनरावलोकन अपने अंतिम चरण में है।

महोदय, मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति माननीय सदस्यों की चिंता की प्रशंसा करती हूं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहां बोलना चाहती हूं।

प्रथमत: श्री बूटा सिंह ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। वे सभा में उपस्थित नहीं हैं। श्री बूटा सिंह ने संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा जनवरी 1997 और अगस्त 1997 के बीच जारी किये गये पांच कार्यालय ज्ञापन के बारे में कहा है। ये सभी कार्यालय ज्ञापन उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसरण में जारी किए गये थे जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत कानून बन गये। जैसा कि मैंने अभी कहा, कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के आधार पर, इन कार्यालय ज्ञापनों की समीक्षा की गई। रिक्त पदों को 50 प्रतिशत के आरक्षण से अधिक भरने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को पिछले सत्र में पारित किया गया था।

22.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन जो उत्तीर्ण अंकों में छूट देने से संबंधित है इत्यादि, के लिए वर्तमान संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। अन्य दो कार्यालय ज्ञापन से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और तीसरे कार्यालय ज्ञापन पुनरावलोकन अंतिम चरण में है।

पुन: श्री बूटा सिंह और श्री प्रभार राय प्रधान ने लोक सभा में वितरित की गई विधेयक की प्रति में सम्मिलित आपत्ति और कारणों के वक्तव्य बारे में पूछा है। कुछ अन्य सदस्यों ने भी यही कहा था। आपत्ति और कारण संबंधी वक्तव्य विधेयक के अंग थे जिसे 23 दिसम्बर, 1999 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसे सभा द्वारा 17 अगस्त, 2000 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था और वर्तमान विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित स्वरूप में है।

जहां तक सीधी भर्ती के मामले में छूट दिए जाने का संबंध है, श्री बूटा सिंह ने इस बारे में एक प्रश्न पूछा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी मामले में दिए गए दो आदेशों के विशेष आलोक में सीधी भर्ती के मामले में छूट दिया जाना स्वीकार्य है। इसलिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सीधी भर्ती के मामले में छूट देने के लिए अभी किसी संविधान संशोधन को नहीं लाया जाता है।

बूटा सिंह जी ने पुन: यह मुद्दा उठाया है कि क्या छूट को फिर से लागू किया जाएगा। मैं कहना चाहती हूं कि श्री विनोद कुमार बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी गयी छूट को वर्तमान संविधान (संशोधन) विधेयक के पारित होने के पश्चात् लागू किया जाएगा।

कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि आरक्षण के संबंध में एक विधान बनाया जाए और उसे नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। बूटा सिंह जी, कुमारी मायावती जी, अमर राय प्रधान जी, डा० अनिता आर्य और कुछ अन्य सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। यहां मैं यही कहना चाहूंगी कि संविधान (संशोधन) विधेयक के द्वारा यह उपबंध संविधान का अंग बन जाएगा। इसलिए इसे नौवीं अनुसूची में रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह एक साधारण सा विधान जो नौवीं अनुसूची में सम्मिलित है और संविधान संशोधन नहीं है।

तत्पश्चात्, मैं कुछ अन्य उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करूंगी। यह संविधान (संशोधन) विधेयक दिनांक 22.7.1997 के कार्यालय ज्ञापनों के सभी प्रभावों को शामिल करेगा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि इस संविधान (संशोधन) विधेयक के पारित होने के बाद सभी छूटों को बहाल किया जाएगा। यह संविधान संशोधन संविधान का एक अंग बन जाएगा और इस अधिनियम को नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। पांच कार्यालय ज्ञापनों को अधिनियम में सम्मिलित करने के संबंध में कई लोगों द्वारा बार-बार दोहराया गया है और मैं इस संबंध में जवाब दे चुकी हूं।

श्री थावरचन्द गहलोत ने विधेयक का समर्थन किया है और मैं उनको धन्यवाद देती हूं। उन्होंने पूछा कि सीधी भर्ती के स्तर पर अंकों में कोई छूट क्यों नहीं दी जाती है। सीधी भर्ती के स्तर पर अर्हता अंकों में छूट पहले से उपलब्ध है तथा उच्चतम न्यायालय ने भी सीधी भर्ती में छूट को उचित ठहराया है। श्री बाजूबेन रियान ने भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा उठाए जा रहे छूट-लाभ के बारे में पूछा है। मैं उन्हें तथा कुमारी मायावती को पुन: आश्वासन देती हूं कि समाप्त कर दी गई सभी छूटों को बहाल किया जाएगा।

तेलुगूदेशम पार्टी के डा० मंदा जगन्नाथ ने पांच कार्यालय ज्ञापनों के संबंध में मुद्दा उठाया। मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि दो कार्यालय ज्ञापनों की स्थिति क्या है। शेष तीन कार्यालय ज्ञापनों की स्थिति को भी अभी-अभी मैंने स्पष्ट किया है कि दो कार्यालय ज्ञापन न्यायाधीन हैं और एक अभिसंधान के चरम स्तर पर है।

कुमारी मायावती ने दूसरा मुद्दा उठाया कि इस विधेयक को सभा में लाए जाने में इतना अधिक समय क्यों लगा। श्री रामविलास पासवान पहले ही इसका जवाब दे चुके हैं। मैं सभा के हित में इसको दोहराना चाहती हूं कि इस संविधान संशोधन विधेयक को राज्य सभा में 23.11.1999 को पुर:स्थापित किया गया था। राज्य सभा ने इसे विभागीय स्थायी समिति को भेजा था। समिति का प्रतिवेदन सभा में 23.7.2000 को ही रखा जा सका था और तत्पश्चात् विधेयक को राज्य सभा में विचारार्थ भेज दिया गया था। इसे राज्य सभा द्वारा 17.8.2000 को पारित किया गया था। दिनांक 22.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा समाप्त कर दी गई सभी छूटों को बहाल किया जाएगा और सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में किसी प्रकार का संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा।

श्री के०एच० मुनियप्पा ने इस विधेयक का स्वागत किया है और मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देती हूं। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब दिया जा चुका है। श्री आनन्द मोहन विश्वास को भी मैं इस विधेयक का स्वागत करने के लिए धन्यवाद देती हूं। उन्होंने दो बातें कहीं। उनमें से एक उल्लंघन के लिए दंड के बारे में है। इस संविधान संशोधन के अनुसरण में जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन को लागू किया जाएगा और जहां तक इसके उल्लंघन का संबंध है, सरकार यह देखेगी कि सरकारी सेवकों को आचार नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरक्षण और न्यायपालिका के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए हैं। मैं कहना चाहती हूं कि यह सिफारिश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सांसदों के राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा की गई थी। न्याय विभाग से भी सलाह ली गई थी। जहां तक संविधान के अनुच्छेद 233, 234 और 235 का संबंध है, व्यक्तियों की जिलों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, प्रोन्नति और तैनाती संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन है।

[श्रीमती वसुन्धरा राजे]

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान में किसी वर्ग या श्रेणी अथवा व्यक्तियों के संबंध में आरक्षण का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है।

श्री रामविलास पासवान जी, मैं आपको वर्तमान संविधान संशोधन विधेयक को लाए जाने हेतु जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा पृष्ठभूमि के बारे में सम्पूर्ण विवरण देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं आपको समर्थन देने के लिए भी धन्यवाद देती हूं।

श्री माणिकराव गावित ने बकाया रिक्तियों सहित संविधान संशोधन का मुद्दा उठाया है। इस संबंध में, बकाया रिक्तियों को भरने और सरकारी उपक्रमों में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किये गए हैं। उन्होंने रोस्टर के बारे में भी कहा है जिसे द्विशतांक रोस्टर, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था, के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के सभरवाल मामले में दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप आरक्षण पदों के हिसाब से तय किया जाना है, रिक्तियों के हिसाब से नहीं। इसलिए, पद-आधारित रोस्टर का संबंध उन पदों से होना चाहिए जिनके लिए आरक्षण दिया जाना है।

मैं श्रीमती जसकौर मीणा को विधेयक को समर्थन देने के लिए धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कई मूल्यावान सुझाव दिए और मैं उन्हें उनके सुझावों के लिए धन्यवाद देती हूं। डॉ० सरोजा ने बकाया रिक्तियों और उनको भरने में लगने वाले समय के बारे में कहा। मैं यही कहना चाहती हूं कि कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 20.7.2000 का ध्यान रखा जाएगा। श्री अमर राय प्रधान द्वारा उठाए गए ज्यादातर मुद्दों का जवाब मैंने दे दिया है। मेरे विचार से उन्होंने वास्तविकता के बजाय राम विलास जी के मुद्दे को ही उठाया है। मैं कहना चाहती हूं कि यह विधयेक सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए किए जा रहे गंभीर प्रयासों को प्रदर्शित करता है।

जहां तक श्री बनातवाला का संबंध है, मैं वाद-विवाद के दौरान उनके द्वारा विशुद्ध उर्दू दिए गए मूल्यवान सुझावों के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं उन्हें विधेयक का समर्थन देने के लिए धन्यवाद देती हूं। पांडियन जी ने जो कुछ कहा है, उस संबंध में राष्ट्रपति के संदर्भ के द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा जा सकता है। परन्तु, इससे विधेयक के पुर:स्थापन में विलंब हो जाता। मैं उन्हें विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देती हूं। श्री राष्ट्रपाल जी ने जो कहा, उस संबंध में मुझे कहना है कि विधेयक में किए जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी मामलें में, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये वर्तमान संविधान (संशोधन) विधेयक से संबद्ध नहीं हैं। मैं एक बहुत ही सीमित मुद्दे पर थी।

वरिष्ठता के सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित ठहराया गया है। तथापि, विधेयक का विषय-क्षेत्र वरिष्ठता के सिद्धांत को सम्मिलित नहीं करता है। इसका विषय-क्षेत्र उन अर्हता अंकों में छूट को बहाल करना है जिन्हें उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप समाप्त कर दिया गया था। अब, स्थायी समिति ने आठ माह का समय क्यों लिया और विधेयक को उसी स्वरूप में क्यों पेश किया गया? राज्य सभा द्वारा विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया था; उन्होंने व्यापक रूप से इस पर विचार-विमर्श किया और उसके बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

मेरे विचार से मैंने विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब दिया है। मैं श्री रामदास आठवले और श्रीमती संतोष चौधरी सहित सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूं। *(व्यवधान)*

महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि सदस्यगण इस तथ्य को समझेंगे कि विधेयक का उद्देश्य, अर्हता अंकों और प्रोन्नति के मामले में मूल्यांकन के मानक में छूट देने तक सीमित है। इसलिए, मैं सरकार से प्रस्तावित संविधान संशोधन को समर्थन देने का अनुरोध करती हूं जिससे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को छूट देने के लाभ को, जो 22 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पहले तक उपलब्ध थे, बहाल किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक को सभा में पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करती हूं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां भारत सरकार के मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, उनकी बहुत सी चेयर्स खाली पड़ी हैं, यह इतने बड़े महत्व का संविधान संशोधन है, इसमें उन लोगों को यहां रहना चाहिए।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी, जो यहां मौजूद हैं, से यह जानना चाहती हूं कि 22 दिसम्बर, 1999 को आपने प्रमोशन में आरक्षण से सम्बन्धित पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी, केबिनेट ने ऐसा निर्णय लिया है और उससे सम्बन्धित संविधान में संशोधन विधेयक आएगा, यह घोषणा सदन में की थी। आज 22 अगस्त है, आठ महीने के बाद यह विधेयक राज्य सभा से पास होने के बाद यहां आया है। इस सम्बन्ध में दो मंत्रियों ने बताया कि राज्य सभा में जब गया तो वहां से स्टैंडिंग कमेटी को चला गया इसलिए डिले हो गया। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं जिस प्रकार बैकलॉग से सम्बन्धित विधेयक आया था, इससे सम्बन्धित जो सर्कुलर जारी होना चाहिए था, वह संसद सदस्यों को जारी नहीं हुआ। जब प्रमोशन में रिजर्वेशन से सम्बन्धित संविधान में संशोधन विधेयक पास हो जाएगा, उसके बाद सर्कुलर तैयार किया जाएगा इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो सर्कुलर तैयार करने के

हमने क्या-क्या निर्णय लिए हैं, उस सर्कुलर को कब तक जारी कर देंगे? ऐसा न हो, आठ महीने इसको लाने में लगे और उसको जारी करने में कहीं 16 महीने लग जाएं। इसलिए कब तक सर्कुलर तैयार होकर इम्प्लीमेंट होने के लिए चला जाएगा। ऐसा न हो कि ये फिर बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है इसलिए प्रधान मंत्री जी आश्वासन दें कि महीने में या डेढ़ महीने में, कब तक उसे लाएंगे?

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : आठ महीने का विलम्ब क्यों हुआ, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। देर करने की हमारी मंशा नहीं थी, मगर संसद की प्रक्रिया में से जाना पड़ता है। अगर कोई सदन तय करे कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजना है तो उसके लिए भेजा जाना बहुत आवश्यक है। न भेजें तब भी आलोचना होती है। लेकिन हमने उसमें जल्दी निर्णय करने का फैसला किया, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब आगे देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो देर लगने की शिकायत की जा रही है वह भी वास्तव में शिकायत नहीं है। हम सब तत्काल इसके बारे में इंस्ट्रेक्शन जारी करेंगे और इसको ठीक तरह से लागू किया जाए, इसकी चिंता करेंगे। हम आपका सहयोग इसके लिए मांगते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन आरंभ होने से पहले, सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करेंगे और यंत्र को उसी सीट से संचालित करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सदस्य अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं।

विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं—अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले, राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

अपराह्न 5.40 बजे

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या 1

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए०पी०

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री दाऊद

*आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आर्य, डॉ० (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डॉ० सुशील कुमार

उराम, श्री जुएल

*उस्मानी, श्री ए०एफ० गुलाम

ए० नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, बी०

एम० मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी०डी०

ओला, श्री शीश राम

कटारिया, श्री रतन लाल

*कथीरिया, डॉ० वल्लभभाई

*कन्नप्पन, श्री एम०

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

किन्डिया, श्री पी०आर०

कुप्पुसामी, श्री सी०

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री अरूण

कुमार, श्री वी० धनंजय

कुरूप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डॉ० रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णन, डॉ० सी०

कृष्णमराजु, श्री

कृष्णास्वामी, श्री० ए०

कौर, श्रीमती प्रेनीत

*कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

*खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसन

*खां, श्री मनसूर अली

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

*खूंटे, श्री पी०आर०

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी०एस०

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

*गामलिन, श्री जारबोम

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

गुप्त, प्रो० चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री तरूण

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी०

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

*चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर)

चिन्नासामी, श्री एम०

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

*चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

*चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री समर

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रेणूका

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

*चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा० मन्दा

जगमोहन, श्री

जहेदी, श्री महबूब

जायसवाल, डा० मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

*जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

*जावीया, श्री जी०जे०

जैन० श्री पुष्प

*जोशी, डा० मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए०सी०

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन, बी०

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डूडी, श्री रामेश्वर

*ढिकले, श्री उत्तमराव

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोमर, डा० रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

थामस, श्री पी०सी०

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

*दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री नेपाल चन्द

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

देलकर, श्री मोहन एस०

*देव, श्री विक्रम केशरी

*नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

*पटनायक श्रीमती कुमुदिनी

पटेल, डा० अशोक

पटेल, श्री चन्देश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पद्मानाभम, श्री मुदागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस०एस०

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा० रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी०एच०

पाटसाणी, डा० प्रसन्न कुमार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटिल, श्री आर० एस०

पाटिल, श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम० के०

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री शिवराज वी०

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पार्थसारथी, श्री बी०के०

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

*पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पासी, श्री सुरेश

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई०

प्रधान, डा० देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रसाद, श्री जितेन्द्र

*प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो० ए०के०

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम०ओ०एच०

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बघदा, श्री बची सिंह रावत

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी०एम०

बन्शीवाल, श्री श्याम लाल

बब्बन राजभर, श्री

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बसवनागौड़, श्री कोलुर

बराड़, श्री बे०एस०

बलिराम, डा०

*बसवराज, श्री जी०एस०

*बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी०आर०

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

विश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैदा, श्री रामचन्द्र

बैठ, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

*बैस, श्री रमेश

*बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए०

भगत, प्रो० दुआ

*भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री समत कुमार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्होत्रा, डा० विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

मह्मले, श्री हरीभाऊ शंकर

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

*माने, श्री शिवाजी

मायावती, कुमारी

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मीणा, श्री भैरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस० बी०

मुण्डा, श्री कडिया

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के०एच०

मुरलीधरन, श्री के०

मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर

*मूर्ति, श्री एम०वी०वी०एस०

मेहता, श्रीमती जयश्रीबेन

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी०

मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

मोहोल, श्री अशोक ना०

यादव, डा० (श्रीमती) सुधा

यादव, डा० जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के०

रमण, डा०

*रमैया, डा० बी०बी०

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए०

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी०

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी०पी०

*राधाकृष्णन, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामशकल, श्री

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

रायप्रधान, श्री अमर

*राव, श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, श्री सीएच० विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रावत, प्रो० रासासिंह

रावले, श्री मोहन

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री ए०पी० जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन० जनार्दन

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

रेडड्डी, श्री गुथा० सुकेन्दर

रेड्डी, श्री वाई०एस० विवेकानन्द

रेनु कुमारी, श्रीमती

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन०

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो० रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री राजेश

वसावा, श्री मनसुखभाई डी०

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाडियार, श्री एस०डी०एन०आर०

*विजयन, श्री ए०के०एस०

विजया कुमारी, श्रीमती डी०एम०

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा० राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वरलु, प्रो० उम्मारेड्डी

वेंकटस्वामी, डा० एन०

वेणुगोपाल, डा० एस०

वेणुगोपाल, श्री डी०

वैको, श्री

व्यास, डा० गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त

शांडिल्य कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी०एस०

*शुक्ल, श्री श्यामा चरण

श्रीकांतप्पा, श्री डी०सी०

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन०टी०

सेखवार, श्री प्यारे लाल

संघाणी, श्री दिलीप

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो० आई०जी०

*सर, श्री निखिलानन्द

*सरकार, डा० विक्रम

सरोजा, डा० वी०

सांगतम, श्री के०ए०

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

*साहू, श्री ताराचंद

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह देव श्रीमती संगीता कुमारी

*सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा० रामलखन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

*सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री जयभद्र

*सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

*सिंह, श्री टीएच० चाओबा

*सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, डा० रघुवंश प्रसाद

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सिंह देव, श्री के०पी०

सी० सुगुणा कुमारी, डा० (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई०एम०

सुधीरन, श्री वी०एम०

सुब्बा, श्री एम०के०

सुमन, श्री रामजी लाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा० नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी०एम०

सोमैया, श्री किरीट

*सोराके, विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हमीद, श्री अब्दुल

*हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम** इस प्रकार है:-

पक्ष में : 318

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया—

**पक्ष में : 318+सर्वश्री रमाकांत आंग्ले, रमेश बैस, जी०एम० बसवराज, ताराचन्द भगोरा, सत्यनारायण बोचा, सुरेश चन्देल, मणिभाई रामजी भाई चौधरी, बालकृष्ण चौहान, निखिल कुमार चौधरी, बंडारू दत्तात्रेय, विक्रम केशरी देव, उत्तमराव ढिकले, जारबोम गामलिन, मोइनुल हसन, श्रीप्रकाश जायसवाल, जी०जे० जावीया, मुरली मनोहर जोशी, एम०कन्नप्पन, डा० वल्लभभाई कथीरिया, सर्वश्री रघुवीर सिंह कौशल, मनसूर अली खां, विनोद खन्ना, पी०आर० खूंटे, शिवाजी माने, एम०वी०जी०एस० मूर्ति, श्रीमती रानी नरह, सर्व श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी, सुकदेव पासवान, श्रीमती कुमुदिनी पटनायक, सर्वश्री वी० श्रीनिवास प्रसाद, पोन राधाकृष्णन, श्री बी०बी० रमैया, सर्वश्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव, वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी, ताराचन्द साहू, निखिलानन्द सर, डा० बिक्रम सरकार, सर्वश्री श्यामाचरण शुक्ल, कुंवर अखिलेश सिंह, सर्वश्री चन्द्र विजय सिंह, दिग्विजय सिंह, टीएच० चाओबा सिंह, तिलकधारी प्रसाद सिंह, विनय कुमार सोराके, ए०के०एस० विजयन = 363 (318 + 45 = 363)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं। अब मैं खंड 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

अपराह्न 5.45 बजे

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या 2

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए०पी०

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

*आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आर्य, डा० (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डा० सुशील कुमार

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए०एफ० गुलाम

ए० नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, बी०

एम० मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी०डी०

ओला, श्री शीश राम

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा० वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम०

कश्यप, श्री बली राम

*कस्वां, श्री राम सिंह

किन्डिया, श्री पी०आर०

कुप्पुसामी, श्री सी०

*कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी० धनंजय

कुरूप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा० रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णन, डा० सी०

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णास्वामी, श्री ए०

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

*खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

*खां, श्री मनसूर अली

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

*खूंटे, श्री पी०आर०

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी०एस०

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

*गामलिन, श्री जारबोम

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढे, श्री अनंत

गुप्त, प्रो० चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री तरूण

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी०

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम०

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री समर

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

*चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा० मन्दा

जगमोहन, श्री

जहेदी, श्री महबूब

जायसवाल, डा० मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावीया, श्री जी०जे०

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा० मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

*जोस, श्री ए०सी०

*झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन, बी०

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ढूडी, श्री रामेश्वर

ढिकले, श्री उत्तमराव

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित बरण

तोमर, डा० रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

*थामस, श्री पी०सी०

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

*दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे श्री नामदेव हरबाजी

देलकर, श्री मोहन एस०

देव, श्री विक्रम केशरी

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

*पटनायक श्रीमती कुमुदिनी

पटेल, डा० अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस०एस०

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा० रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी० एच०

पाटसाणी, डा० प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री आर० एस०

पाटिल, श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम० के०

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री शिवराज वी०

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पार्थसारथी, श्री बी०के०

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

*पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पासी, श्री सुरेश

पुगलिया, श्री नरेश

*पोटाई, श्री सोहन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पोन्नुस्वामी, श्री ई०

प्रधान, डा० देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रसाद, श्री जितेन्द्र

प्रसाद, श्री वां० श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो० ए०के०

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

*फारूक, श्री एम० ओ०एच०

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बचदा, श्री बची सिंह रावत

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी०एम०

बन्शीवाल, श्री श्याम लाल

बब्बन राजभर, श्री

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

*बलिराम, डा०

बसवनागौड़, श्री कौलूर

*बसवराज, श्री जी०एस०

बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी०आर०

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

विश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैदा, श्री रामचन्द्र

*बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए०

भगत, प्रो० दुखा

*भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

*मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्होत्रा, डा० विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

*महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

*माने, श्री शिवाजी

मायावती, कुमारी

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस०बी०

मुण्डा, श्री कडिया

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के०एच०

मुरलीधरन, श्री के०

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर

मूर्ति, श्री एम०वी०वी०एस०

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहले, श्री पुन्नू लाल

यादव, डा० (श्रीमती) सुधा

यादव, डा० जसवंतसिंह

*यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

*यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के०

रमण, डा०

*रमैया, डा० बी०बी०

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए०

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी०

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी०पी०

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामशकल, श्री

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, श्री सीएच० विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो० रासासिंह

रावले, श्री मोहन

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन

*रेड्डी श्री ए०पी० जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन० जनार्दन

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

रेडड्डी, श्री गुथा० सुकेन्दर

रेड्डी, श्री वाई०एस० विवेकानन्द

रेनु कुमारी, श्रीमती

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन०

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो० रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री राजेश

वसावा, श्री मनसुखभाई डी०

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाडियार, श्री एस०डी०एन०आर०

विजयन, श्री ए०के०एस०

विजया कुमारी, श्रीमती डी०एम०

*वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा० राजेश्वरम्मा

*वेंकटस्वरलु, प्रो० उम्मारेड्डी

वेंकटस्वामी, डा० एन०

वेणुगोपाल, डा० एस०

वेणुगोपाल, श्री डी०

वैको, श्री

व्यास, डा० गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त

शांडिल्य कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी०एस०

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

श्रीकांतप्पा, श्री डी०सी०

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन०टी०

संघाणी, श्री दिलीप

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो० आई०जी०

*सर, श्री निखिलानन्द

*सरकार, डा० विक्रम

सरोजा, डा० वी०

सांगतम, श्री के०ए०

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचंद

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

*सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा० रामलखन

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री जयभद्र

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री टीएच० चाओबा

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

*सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, डॉ० रघुवंश प्रसाद

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

*सिंह देव, श्री के०पी०

सी० सुगुना कुमारी, डा० (श्रीमती)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई०एम०

सुधीरन, श्री वी०एम०

सुब्बा, श्री एम०के०

सुमन, श्री रामजी लाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा० नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी०एम०

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज़

विपक्ष में

कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार रहा :-

निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया :

* पक्ष में : 327 + सर्वश्री रामदास आठवले, महेन्द्र बैठा, डा० बलिराम, सर्वश्री जी०एस० बसवराज, ताराचन्द भगोरा, श्री राम चौहान, रामनायडू दग्गुबाटि, किशनलाल दिलेर, एम०ओ०एच० फारूक, रघुनाथ झा, ए०सी० जोस, राम सिंह कस्वां, विनोद खन्ना, अरुण कुमार, बीर सिंह महतो, ब्रह्मानन्द मंडल, शिवाजी माने, सुकदेव पासवान, श्रीमती कुमुदिनी पटनायक, श्री सोहन पोटाई, डा० बी०बी० रमैया, सर्वश्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी, निखिलानन्द सर, डा० बिक्रम सरकार, श्री के०पी० सिंह देव, कुंवर अखिलेश सिंह, सर्वश्री रामानन्द सिंह, पी०सी० थामस, रामचन्द्र वीरप्पा, प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, सर्वश्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, जगदम्बी प्रसाद यादव 359 (327 + 32 = 359)

विपक्ष में : 1—श्री के०पी० सिंह देव (गलती से विपक्ष में मतदान किया और बाद में पर्ची के माध्यम से पक्ष में मतदान किया=0 (1-1=0.)

पक्ष में : 327

विपक्ष में : 1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें पहले ही खली कर दी गई हैं। अब मैं यह प्रस्तावित करूंगा कि विधेयक को सभा में पारित करने के लिए रखा जाए।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

अपराह्न 5.48 बजे

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या 3

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए०पी०

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आर्य, डा० (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डा० सुशील कुमार

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए०एफ० गुलाम

ए० नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, बी०

एम० मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी०डी०

ओला, श्री शीश राम

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा० वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम०

कश्यप, श्री बली राम

*कस्वां, श्री राम सिंह

किन्डिया, श्री पी०आर०

कुप्पुसामी, श्री सी०

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी० धनंजय

कुरूप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा० रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णन, डा० सी०

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णास्वामी, श्री० ए०

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कौर, श्रीमती प्रेनीत

*कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री मनसूर अली

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी०आर०

खैरे, श्री चन्द्रकांत

*गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी०एस०

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

गामलिन, श्री जारबोम

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढे, श्री अनंत

गुप्त, प्रो० चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री तरुण

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी०

गौतम, श्रीमती शीला

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम०

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री समर

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा० मन्दा

जगमोहन, श्री

जहेदी, श्री महबूब

जायसवाल, डा० मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावीया, श्री जी०जे०

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा० मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

*जोस, श्री ए०सी०

*झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन, बी०

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डिकले, श्री उत्तमराव

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोमर, डा० रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

थामस, श्री पी०सी०

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे श्री नामदेव हरबाजी

देलकर, श्री मोहन एस०

देव, श्री विक्रम केशरी

नरह, श्रीमती रानी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

*पटनायक श्रीमती कुमुदिनी

पटेल, डा० अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस०एस०

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा० रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी० एच०

पाटसाणी, डा० प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री आर० एस०

पाटिल, श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम० के०

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री शिवराज वी०

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पार्थसारथी, श्री बी०के०

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पासी, श्री सुरेश

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई०

प्रधान, डा० देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रसाद, श्री जितेन्द्र

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो० ए०के०

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम०ओ०एच०

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बचदा, श्री बची सिंह रावत

बनर्जी, कुमारी ममता

*बनातवाला, श्री जी०एम०

बन्शीवाल, श्री श्याम लाल

बब्बन राजभर, श्री

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बराड़, श्री जे०एस०

*बलिराम, डा०

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*बसवराज, श्री जी०एस०

बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी०आर०

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

विश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैदा, श्री रामचन्द्र

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए०

भगत, प्रो० दुखा

भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्होत्रा, डा० विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

माने, श्री शिवाजी

*मायावती, कुमारी

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस०बी०

मुण्डा, श्री कडिया

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के०एच०

मुरलीधरन, श्री के०

मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर

मूर्ति, श्री एम०वी०वी०एस०

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी०

मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

मोहोल, श्री अशोक ना०

यादव, डा० (श्रीमती) सुधा

यादव, डा० जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

*यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

*येरननायडू, श्री के०

रमण, डा०

रमैया, डा० बी०बी०

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजा, श्री ए०

*राजूखेडी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी०

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री सी०पी०

राधाकृष्णन, श्री पोन

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन०

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामशकल, श्री

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

रायप्रधान, श्री अमर

*राव, श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, श्री सीएच० विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो० रासासिंह

रावले, श्री मोहन

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी श्री ए०पी० जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन० जनार्दन

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

रेडड्डी, श्री गुथा० सुकेन्दर

रेड्डी, श्री वाई०एस० विवेकानन्द

रेनु कुमारी, श्रीमती

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो० रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री राजेश

वसावा, श्री मनसुखभाई डी०

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाडियार, श्री एस०डी०एन०आर०

विजयन, श्री ए०के०एस०

विजया कुमारी, श्रीमती डी०एम०

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा० राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वरलु, प्रो० उम्मारेड्डी

वेंकटस्वामी, डा० एन०

वेणुगोपाल, डा० एस०

वेणुगोपाल, श्री डी०

वैको, श्री

व्यास, डा० गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त

शांडिल्य कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी०एस०

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

श्रीकांतप्पा, श्री डी०सी०

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन०टी०

संखवार, श्री प्यारे लाल

संघाणी, श्री दिलीप

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो० आई०जी०

*सर, श्री निखिलानन्द

*सरकार, डा० बिक्रम

सरोजा, डा० वी०

सांगतम, श्री के०ए०

*सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचंद

सिकदर, श्री तपन

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा० रामलखन

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री जयभद्र

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री टीएच० चाओबा

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री दिग्विजय

*सिंह श्री, प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राधा मोहन

*सिंह, श्री रामजीवन

*सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, डॉ० रघुवंश प्रसाद

सिन्हा, श्री मनोज

सिंह देव, श्री के०पी०

सी० सुगुणा कुमारी, डा० (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई०एम०

सुधीरन. श्री वी०एम०

सुब्बा, श्री एम०के०

सुमन, श्री रामजी लाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा० नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी०एम०

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

ह्रान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है:

पक्ष में : 340

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.49 बजे

संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 243 ड का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा मद सं० 21 पर चर्चा करेगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले, राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए।"

निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया:

*पक्ष में : 340+डा० बलिराम, सर्वश्री जी०एम० बनातवाला, जी०एस० वसवराज, सन्तोष कुमार गंगवार, रघुनाथ झा, ए०सी० जोस, राम सिंह कस्वां, रघुवीर सिंह कौशल, कुमारी मायावती, श्रीमती कुमुदिनी पटनायक, सर्वश्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी, एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव, किशन सिंह सांगवान, निखिलानन्द सर, डा० बिक्रम सरकार, सर्वश्री प्रभुनाथ सिंह, रामजीवन सिंह, रामपाल सिंह, कालवा श्रीनिवासुलु, देवेन्द्र प्रसाद यादव, के० येरननायडू = 361 (340 + 21= 361)

इस विधेयक का उद्देश्य है, अरुणाचल प्रदेश को प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की आवश्यकता से छूट प्रदान करना।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व, मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें पहले ही खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले, राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

अपराह्न 5.50 बजे

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या 4

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए०पी०

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आर्य, डा० (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डा० सुशील कुमार

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए०एफ० गुलाम

ए० नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन श्री डेन्जिल, बी०

एम० मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी०डी०

ओला, श्री शीश राम

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा० वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम०

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

किन्डिया, श्री पी०आर०

कुप्पुसामी, श्री सी०

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी० धनंजय

कुरूप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा० रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णन, डा० सी०

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णास्वामी, श्री ए०

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री मनसूर अली

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी०आर०

*खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी०एस०

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

गामलिन, श्री जारबोम

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढे, श्री अनंत

गुप्त, प्रो० चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री तरुण

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी०

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम०

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री समर

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा० मन्दा

जगमोहन, श्री

जहेदी, श्री महबूब

जायसवाल, डा० मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावीया, श्री जी०जे०

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा० मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए०सी०

*झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी०

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डूडी, श्री रामेश्वर

ढिकले, श्री उत्तमराव

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोमर, डा० रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

थामस, श्री पी०सी०

*दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे श्री नामदेव हरबाजी

देलकर, श्री मोहन एस०

देव, श्री विक्रम केशरी

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

*पटनायक श्रीमती कुमुदिनी

पटेल, डा० अशोक

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्री चन्देश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस०एस०

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा० रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी०एच०

पाटसाणी, डा० प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री आर०एस०

पाटिल, श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम०के०

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री शिवराज वी०

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पार्थसारथी, श्री बी०के०

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पासी, श्री सुरेश

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई०

प्रधान, डा० देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रसाद, श्री जितेन्द्र

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो० ए०के०

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम०ओ०एच०

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बघदा, श्री बची सिंह रावत

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी०एम०

बन्शीवाल, श्री श्याम लाल

बब्बन राजभर, श्री

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बराड़, श्री जे०एस०

बलिराम, डा०

बसवनागौड़, श्री कोलूर

*बसवराज, श्री जी०एस०

बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी०आर०

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

विश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैदा, श्री रामचन्द्र

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए०

भगत, प्रो० दुखा

भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्होत्रा, डा० विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

माने, श्री शिवाजी

मायावती, कुमारी

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस०बी०

मुण्डा, श्री कडिया

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के०एच०

मुरलीधरन, श्री के०

मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर

मूर्ति, श्री एम०वी०वी०एस०

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी०

मोहले श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

मोहोल, श्री अशोक ना०

यादव, डा० (श्रीमती) सुधा

यादव, डा० जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडु, श्री के०

रमण, डा०

रमैया, डा० बी०बी०

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए०

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी०

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी०पी०

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामशकल, श्री

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, श्री सीएच० विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो० रासासिंह

रावले, श्री मोहन

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री ए०पी० जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन० जनार्दन

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा० सुकेन्दर

रेड्डी, श्री वाई०एस० विवेकानन्द

रेनु कुमारी, श्रीमती

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन०

वंग्वा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो० रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री राजेश

वसावा, श्री मनसुखभाई डी०

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाडियार, श्री एस०डी०एन०आर०

विजयन, श्री ए०के०एस०

विजया कुमारी, श्रीमती डी०एम०

*वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा० राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वरलु, प्रो० उम्मारेड्डी

वेंकटस्वामी, डा० एन०

वेणुगोपाल, डा० एस०

वेणुगोपाल, श्री डी०

वैको, श्री

व्यास, डा० गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त

शांडिल्य कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी०एस०

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

श्रीकांतप्पा, श्री डी०सी०

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन०टी०

संघाणी, श्री दिलीप

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो० आई०जी०

सर, श्री निखिलानन्द

*सरकार, डा० विक्रम

सरोजा, डा० वी०

सांगतम, श्री के०ए०

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

*साहू, श्री ताराचंद

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा० रामलखन

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री जयभद्र

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री टीएच० चाओबा

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, डा० रघुवंश प्रसाद

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सिंह देव, श्री के०पी०

सी० सुगुणा कुमारी, डा० (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई०एम०

सुधीरन, श्री वी०एम०

सुब्बा, श्री एम०के०

सुमन, श्री रामजी लाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा० नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी०एम०

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है:

निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया:

*पक्ष में : 354+ सर्वश्री जी०एस० बसवराज, रामनायडू दग्गुबाटि, रघुनाथ झा, चन्द्रकांत खैरे, श्रीमती कुमुदिनी पटनायक, श्री ताराचन्द साहू, डा० बिक्रम सरकार, श्री रामचन्द्र वीरप्पा = 362 (354+8=362)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पक्ष में : 354

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक खंड-वार पर विचार आरंभ करेगी। दीर्घायें खाली कर दी गई हैं। अब मैं खण्ड-2 मत-विभाजन के लिए सभा में प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

अपराह्न 5.53 बजे

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या 5

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए०पी०

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आर्य, डा० (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा डा० सुशील कुमार

उराम, श्री जुएल

उम्मानी, श्री ए०एफ० गुलाम

ए० नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, बी०

एम० मास्टर मथान, श्री

*एलानगोवन, श्री पी०डी०

ओला, श्री शीश राम

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा० वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम०

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

किन्डिया, श्री पी०आर०

कुप्पुसामी, श्री सी०

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी० धनंजय

कुरूप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा० रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णन, डा० सी०

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णास्वामी, श्री ए०

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री मनसूर अली

खांदोकर, श्री अकबर अली

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी०आर०

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी०एस०

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

गामलिन, श्री जारबोम

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुडे, श्री अनंत

गुप्त, प्रो० चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री तरुण

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी०

गौड़ा, श्री जी० पुट्टास्वामी

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम०

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री समर

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा० मन्दा

जगमोहन, श्री

जहेदी, श्री महबूब

जायसवाल, डा० मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावीया, श्री जी०जे०

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा० मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए०सी०

*झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन, बी०

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डूडी, श्री रामेश्वर

ढिकले, श्री उत्तमराव

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोमर, डा० रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

थामस, श्री पी०सी०

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे श्री नामदेव हरबाजी

देलकर, श्री मोहन एस०

देव, श्री बिक्रम केशरी

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

*पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी

पटेल, डा० अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस०एस०

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा० रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी०एच०

पाटसाणी, डा० प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री आर०एस०

पाटिल, श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम०के०

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री शिवराज वी०

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पार्थसारथी, श्री बी०के०

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासी, श्री सुरेश

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई०

प्रधान, डा० देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रसाद, श्री जितेन्द्र

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो० ए०के०

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम०ओ०एच०

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बचदा, श्री बची सिंह रावत

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी०एम०

बन्सीवाल, श्री श्याम लाल

बब्बन राजभर, श्री

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बराड़, श्री जे०एस०

बलिराम, डा०

*बसवनागौड़, श्री कौलूर

*बसवराज, श्री जी०एस०

बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी०आर०

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

विश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैदा, श्री रामचन्द्र

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए०

भगत, प्रो० दुखा

भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मरांडी, श्री बाबू लाल

मल्होत्रा, डा० विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

माने, श्री शिवाजी

मायावती, कुमारी

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस०बी०

मुण्डा, श्री कडिया

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा लाल, श्री के०एच०

मुरलीधरन, श्री के०

मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर

*मूर्ति, श्री एम०वी०वी०एस०

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी०

*मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

यादव, डा० (श्रीमती) सुधा

यादव, डा० जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के०

रमण, डा०

रमैया, डा० बो०बी०

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए०

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी०

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी०पी०

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामशकल, श्री

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री एस०वी०पी०वी०के० सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, श्री सीएच० विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो० रासासिंह

रावले, श्री मोहन

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी श्री ए०पी० जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन० जनार्दन

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

रेडड्डी, श्री गुथा० सुकेन्दर

रेड्डी, श्री वाई०एस० विवेकानन्द

रेनु कुमारी, श्रीमती

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन०

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो० रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री राजेश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वसावा, श्री मनसुखभाई डी०

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाडियार, श्री एस०डी०एन०आर०

विजयन, श्री ए०के०एस०

विजया कुमारी, श्रीमती डी०एम०

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा० राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वरलु, प्रो० उम्मारेड्डी

वेंकटस्वामी, डा० एन०

वेणुगोपाल, डा० एस०

वेणुगोपाल, श्री डी०

वैको, श्री

व्यास, डा० गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त

शांडिल्य कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी०एस०

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

श्रीकांतप्पा, श्री डी०सी०

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन०टी०

संखवार, श्री प्यारे लाल

संघाणी, श्री दिलीप

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो० आई०जी०

सर, श्री निखिलानन्द

*सरकार, डा० विक्रम

सरोजा, डा० वी०

सांगतम, श्री के०ए०

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचंद

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा० रामलखन

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री जयभद्र

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री टीएच० चाओबा

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्रीमती कान्ति

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, डा० रघुवंश प्रसाद

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सिंह देव, श्री के०पी०

सी० सुगुणा कुमारी, डा० (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई०एम०

सुधीरन, श्री वी०एम०

सुब्बा, श्री एम०के०

सुमन, श्री रामजी लाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा० नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी०एम०

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज़

विपक्ष में

कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय : वृद्धि के अध्यद्धीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है:

निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया:

* पक्ष में: 357+ सर्वश्री जी०एस० बसवराज, पी०डी० एलानगोवन, रघुनाथ झा, पुन्नु लाल मोहले, श्रीमती कुमदिनी पटनायक, डा० बिक्रम मरकाम = 363 (357 + 6 = 363)

पक्ष में : 357

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत पारित हुआ।

प्रस्तावित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम, विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ए० राजा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी गई हैं। अब मैं प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

अपराह्न 5.55 बजे

पक्ष में

मत-विभाजन सं० 6

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए०पी०

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आर्य, डा० (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डा० सुशील कुमार

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए०एफ० गुलाम

ए० नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, बी०

एम० मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी०डी०

ओला, श्री शीश राम

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा० वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम०

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

किन्डिया, श्री पी०आर०

कुप्पुसामी, श्री सी०

कुमार, श्री अरूण

कुमार, श्री वी० धनंजय

कुरूप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा० रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णन, डा० सी०

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णास्वामी, श्री ए०

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री मनसूर अली

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी०आर०

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी०एस०

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

गामलिन, श्री जारबोम

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुडे, श्री अनंत

गुप्त, प्रो० चमन लाल

*गेहलोत, श्री धावरचन्द

गोगोई, श्री तरूण

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी०

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम०

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री समर

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री बालकृष्ण

*चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा० मन्दा

जगमोहन, श्री

जहेदी, श्री महबूब

जायसवाल, डा० मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावीया, श्री जी०जे०

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा० मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए०सी०

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी०

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डूडी, श्री रामेश्वर

ढिकले, श्री उत्तमराव

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोमर, डा० रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

थामस, श्री पी०सी०

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

*दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे श्री नामदेव हरबाजी

देलकर, श्री मोहन एस०

देव, श्री बिक्रम केशरी

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

*पटनायक श्रीमती कुमुदिनी

पटेल, डा० अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस०एस०

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा० रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी०एच०

पाटसाणी, डा० प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री आर०एस०

पाटिल, श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम०के०

पाटिल, श्री उतमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री शिवराज वि०

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पार्थसारथी, श्री बी०के०

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पासी, श्री सुरेश

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई०

प्रधान, डा० देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रसाद, श्री जितेन्द्र

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो० ए०के०

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम०ओ०एच०

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बचदा, श्री बची सिंह रावत

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी०एम०

बन्शीवाल, श्री श्याम लाल

बब्बन राजभर, श्री

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बराड़, श्री जे०एस०

बलिराम, डा०

बसवनागौड़, श्री कोलूर

बसवराज, श्री जी०एस०

बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी०आर०

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैदा, श्री रामचन्द्र

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए०

भगत, प्रो० दुखा

भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मरांडी, श्री बाबू लाल

मल्होत्रा, डा० विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्रीमती आभा

*महरिया, श्री सुभाष

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

माने, श्री शिवाजी

मायावती, कुमारी

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस०बी०

मुण्डा, श्री कडिया

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के०एच०

मुरलीधरन, श्री के०

मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर

मूर्ति, श्री एम०वी०वी०एस०

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी०

मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

मोहोल, श्री अशोक ना०

यादव, डा० (श्रीमती) सुधा

यादव, डा० जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के०

रमण, डा०

रमैया, डा० बी०बी०

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

*राजा, श्री ए०

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजेन्द्रन, श्री पी०

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

*राधाकृष्णन, श्री सी०पी०

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामशकल, श्री

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, श्री सीएच० विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

*रावत, प्रो० रासासिंह

रावले, श्री मोहन

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री ए०पी० जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन० जनार्दन

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

रेडड्डी, श्री गुथा० सुकेन्दर

रेड्डी, श्री वाई०एस० विवेकानन्द

रेनु कुमारी, श्रीमती

*रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन०

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वर्मा, प्रो० रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री राजेश

वसावा, श्री मनसुखभाई डी०

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाडियार, श्री एस०डी०एन०आर०

विजयन, श्री ए०के०एस०

विजया कुमारी, श्रीमती डी०एम०

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा० राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वरलु, प्रो० उम्मारेड्डी

वेंकटस्वामी, डा० एन०

वेणुगोपाल, डा० एस०

वेणुगोपाल, श्री डी०

*वैको, श्री

व्यास, डा० गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त

शांडिल्य कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी०एस०

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

श्रीकांतप्पा, श्री डी०सी०

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन०टी०

संखवार, श्री प्यारे लाल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

संघाणी, श्री दिलीप

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो० आई०जी०

सर, श्री निखिलानन्द

*सरकार, डा० बिक्रम

सरोजा, डा० वी०

सांगतम, श्री के०ए०

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचंद

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा० रामलखन

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री जयभद्र

*सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री टीएच० चाओबा

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, डा० रघुवंश प्रसाद

सिन्हा, श्री मनोज

सिंह देव, श्री के०पी०

सी० सुगुणा कुमारी, डा० (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई०एम०

सुधीरन, श्री वी०एम०

सुब्बा, श्री एम०के०

*सुमन, श्री रामजी लाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा० नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी०एम०

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोहनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

विपक्ष में

कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है:

पक्ष में : 347

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहोई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.58 बजे

**अतिरिक्त अनुदानों की मांगें - (रेल), 1997-98

और

**अनुपूरक अनुदानों की मांगें - (रेल), 2000-2001

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 22 और 23 दोनों, वर्ष 1997-98 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें तथा वर्ष 2000-2001 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें पर विचार करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये :-

मांग सं० 8, 10, 14, और 16"

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ में दिखाई गई निम्नलिखित मांग के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं,

मांग संख्या 16"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1997-98 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि (रुपए)
1	2	3
8	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	38,64,23,759
10	परिचालन व्यय-ईंधन	38,58,80,429
14	निधियों में विनियोग	65,22,70,549
16	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	रेलवे निधियां	17,14,12,292
	जोड़	1,59,59,87,029

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2000-01 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
16	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	5,000
	रेलवे निधियां	15,000
	जोड़	20,000

निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया:

* पक्ष में: 347 + सर्वश्री शिवराज सिंह, किशन लाल दिलेर, थावर चन्द गेहलोत, सुभाष महरिया, श्रीमती कुमुदिनी पटनायक, सर्वश्री सी०पी० राधाकृष्णन, ए० राजा, गिनगी एन० रामचन्द्रन, प्रो० रासासिंह रावत, डा० बिक्रम सरकार, सर्वश्री तिलकधारी प्रसाद सिंह, रामजी लाल सुमन, वैको = 360 (347 + 13 = 360)

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम, अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा कर रहे हैं।

हमारे देश में भारतीय रेलवे सबसे बड़ा जन सेवा माध्यम है। समय-समय पर भारतीय रेलवे की कार्यकुशलता पर चर्चा करते रहते हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सत्ता पक्ष में काफी भीड़-सी हो गई है, माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं।

सायं 6.00 बजे

श्री रमेश चेन्नितला : हम हर बार भारतीय रेलवे की कार्यकुशलता पर चर्चा करते हैं और सदस्यगण रेलवे की कार्यकुशलता को लेकर कई तरह के मामले उठाते हैं।

हालांकि यह अनुदानों की अनुपूरक मांगें हैं और व्यय सीमित उद्देश्य के लिए है, मेरे विचार से हमें यह देखना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् रेलवे की उपलब्धियां क्या रही हैं। हमारी भारतीय रेल व्यवस्था का विस्तार आश्चर्यजनक रूप से हुआ है। इसकी कमियों और अकुशलताओं में अपरिमित वृद्धि हुई है जो जान-माल की क्षति में हुई भारी वृद्धि में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। मेरे विचार से, सबसे महत्वपूर्ण मसला है रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करना। भारतीय रेलवे देश के हर कोने में पहुंच चुकी है। भारतीय रेल लाइनों की लम्बाई 66,000 किलोमीटर है।

सायं 6.01 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

भारतीय-रेलवे में लगभग 16 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। यह विशाल कार्य बल रेल-व्यवस्था में जुड़ा हुआ है। भारतीय रेलवे का वार्षिक बजट 28,000 करोड़ रुपए है। प्रतिदिन, भारतीय-रेलवे की 1,300 रेलगाड़ियां करीब एक करोड़ तीन लाख लोगों को ले जाती हैं और करीब 12 लाख टन का सामान ढोती हैं। सुरक्षा पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

हाल ही में हुए अध्ययनों से यह पता चलता है कि भारतीय रेलवे दुर्घटनाओं को कम करने पर ध्यान नहीं दे रही है। रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हम इसके सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले पांच सालों में, 165 टक्कर हुईं, पटरी से उतरने के 1,600 हादसे हुए, लेवल क्रॉसिंग की 318 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें करीब 728 लोगों की मृत्यु हुई ये रिपोर्टें अत्यंत चिन्ताजनक हैं। दुर्घटना जांच आयोगों की रिपोर्टों को शायद ही कभी सार्वजनिक किया जाता है। जब भी कोई दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले रेल मंत्री वहां पहुंचते हैं, रेलवे बोर्ड के अधिकारी वहां पहुंचते हैं, और जांच आयोग गठित कर दिया जाता है। जांच के बाद, हमें उसकी रिपोर्टों का पता ही नहीं चलता है। हम इन जांच रिपोर्टों को इतना गोपनीय क्यों रखते हैं? सूचना अधिकार विधेयक पहले ही सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है।

मेरे ख्याल से, केरल के क्विलोन जिले में एक रेल दुर्घटना हुई थी। कुछ समय बाद हमें यह पता चला कि वह मानव भूल के कारण नहीं हुई थी *(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : सुरक्षा रिपोर्ट आपके पास है और यह सभा-पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

श्री रमेश चेन्नितला : जी नहीं, मैं इसके बारे में कह रहा हूं। जब भी दुर्घटना होगी तो हम दुर्घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक आयोग गठित कर देंगे किंतु उसके बाद वह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाएगी या वह किसी को भी उपलब्ध नहीं होगी। वह आपके रेलवे बोर्ड तक ही सीमित रहेगी।

श्री दिग्विजय सिंह : फिर, यह आपकी संपत्ति है।

श्री रमेश चेन्नितला : मुद्दा यह है कि हमने दुर्घटना जांच आयोग की सिफारिशों को ठीक तरह से लागू नहीं किया है। मेरे विचार से, प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सर्वोच्च महत्ता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, पटरी और रोलिंग स्टॉक के रखरखाव पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार की जान-माल की हानि और राजस्व के कुल नुकसान को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। इसके लिए, मैं समझता हूं कि हमें सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा उपायों को सर्वोच्च महत्ता देनी चाहिए।

जैसा कि रेल मंत्री ने अभी-अभी कहा कि लगभग 22,000 रेलवे क्रासिंगों पर रेल विभाग का कोई आदमी मौजूद नहीं है और लगभग 1000 लेबल क्रासिंगों पर संचार की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हम रेल तंत्र से किस प्रकार सुरक्षा प्रणाली की आशा कर सकते हैं। अत: मेरे विचार में भारतीय रेल में सुरक्षा के विषय पर हमें और अधिक ध्यान देना चाहिए।

रेलवे बोर्ड के कार्यकरण की भी जांच किये जाने की आवश्यकता है। एक प्रस्ताव यह था कि सरकार के भीतर से और बाहर से भी एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाए और उसे तीन माह के अंदर अपनी संस्तुतियां सौंपनी चाहिए और एक वर्ष में उन्हें लागू कर दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि भारतीय रेलवे के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए इस सुझाव पर अविलम्ब अमल किया जाए।

हम देख रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकीकरण हो रहा है। भारतीय रेल का आधुनिकीकरण किया जाना है। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां आ रही हैं। प्रत्येक देश इस पहलू पर ध्यान दे रहा है। अत: हमें आधुनिकीकरण के पहलू पर ध्यान देना है और अविलम्ब भारतीय रेल प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है।

मुझे ज्ञात है कि धन का अभाव है। वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है और बजट से मिलने वाली सहायता कम हो रही है। पहले अधिक वित्तीय सहायता मिलती थी। अब तो जो आन्तरिक राजस्व की प्राप्ति होती है वही रेलवे का सहारा है। मेरा विचार है कि भारत सरकार और वित्त मंत्री का कर्त्तव्य है कि वह रेलवे को हर संभव वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जिससे कि वह सुचारू रूप से कार्य कर सके।

हाल ही में मैंने राजस्व की कमी से संबंधित रेल मंत्री का विवरण पढ़ा है। यह इतना विशाल तंत्र है। यह देश में जनता के उपयोग में आने वाली सबसे बड़ी सेवा है। इसे और अधिक निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। सरकार को इसे वित्तीय सहायता देनी चाहिए। तभी वह प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकेगी।

निजीकरण इसका समाधान नहीं है। दूसरे देशों में भी, जैसे कि इंग्लैंड में, निजीकरण के परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं। अत: निजीकरण इसका समाधान नहीं है। हमें अपनी प्रणाली को मजबूत बनाना है। हमें कमियों को दूर करना है। अत: मेरा सुझाव है कि एक समिति गठित की जानी चाहिए जिसमें रेल मंत्रालय के एवं उससे बाहर के भी विशेषज्ञ हों। उन्हें चाहिए कि वे विस्तार से भारतीय रेलवे के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करें ताकि वे कुछ संस्तुतियां दे सकें जिन्हें रेलवे प्रणाली के समुचित कार्यकरण के लिए लागू किया जा सके।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सामान्य बजट पर चर्चा के समय हमने पहले ही यह बात कह दी है। मैं अपने राज्य से संबंधित कुछ विशेष पहलुओं पर अपनी बात केंद्रित करना चाहता हूं। जब रेल मंत्री ने रेल बजट प्रस्तुत किया तो केरल के सदस्य उत्तेजित हो उठे। हमने कुछ परियोजनाओं पर कुछ आपत्तियां उठायीं और रेल मंत्री की सहृदयता है कि उन्होंने हमें बुलाया और हमने उनसे विचार-विमर्श किया।

अंतत:, उत्तर देते समय, उन्होंने कुछ मांगों को मान लिया और उनकी घोषणा भी की। लेकिन दुर्भाग्य से वे वादे पूरे नहीं किए गए। मैं कुमारी ममता बनर्जी को दशकों से जानता हूं। मैंने समझा कि वह अपने वादों और उन कार्यक्रमों को लागू कर रहीं होंगी।

सायं 6.09 बजे

[श्रीमती मार्गेट आल्वा पीठासीन हुईं]

मुझे यह मालूम नहीं है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर सांसदों से किए गए वे वादे क्यों लागू नहीं किए गए। मैं उन्हें उन वादों की याद दिलाना चाहता हूं जो कि उन्होंने सभा के समक्ष किए थे। मैं समझता हूं कि अपने उत्तर में वह अपने वादे निभायेंगी तथा उन्हें लागू करेंगी। मुझे यह मालूम नहीं है कि सभा के समक्ष किए गए उन वादों को लागू न करने के क्या कारण हैं?

पहला वादा केरल में रेलवे आवासीय आयुक्त का कार्यालय बनाने का था। माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि त्रिवेन्द्रम में आयुक्त कार्यालय बनाया जायेगा जिससे कि रेलवे राज्य सरकार के साथ रेलवे के लिए जमीन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समन्वय स्थापित कर सके। अब तक, जैसा कि माननीय रेल मंत्री द्वारा वादा किया गया था, केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में आवासीय आयुक्त कार्यालय शुरू नहीं हुआ है।

दूसरे, वह वादा किया गया है कि नई सहस्राब्दि एक्सप्रेस को कोयम्बटूर से त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाया जाएगा लेकिन इस पर भी अमल नहीं हुआ है।

महोदया, नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तक एक नई ट्रेन चलाने का वादा किया गया था। लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया।

मुख्य अभियंता कार्यालय की स्थापना केरलवासियों की बहुत पुरानी मांग है अधिकांश कार्य केरल में किया जाता है। हमें प्रत्येक कार्य के लिए चेन्नई भागना पड़ता है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। हमें जोन से वंचित रखा गया है। माननीय मंत्री जी को पता है कि बंगलौर में जोन है। दक्षिण रेलवे में बैठे हुए अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि केरल के लोगों को प्रत्येक छोटे कार्य के लिए चेन्नई जाना पड़े। अत: यह एक पुरानी मांग है कि एर्णाकुलम में मुख्य अभियंता का कार्यालय बनाया जाए। पहले, इसकी मंजूरी दे दी गई थी। तथापि, दो सप्ताह के अंदर वह आदेश वापस ले लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि उस आदेश का क्या हुआ। यह क्यों वापस ले लिया गया। अत: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मुख्य अभियंता कार्यालय की स्थापना केरल राज्य में की जाए।

महोदया, इन मांगों में ही 22 आदर्श स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव है। केरल का केवल एक स्टेशन, एलवाए, उसमें सम्मिलित किया गया है। साबरीमला तीर्थयात्रियों की एक मांग थी कि चेंगानेर को एक आदर्श स्टेशन बनाया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि इसे इस सूची में क्यों शामिल नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि चेंगानेर रेलवे स्टेशन को भी आदर्श रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल किया जाए।

अब, मैं विद्युतीकरण के विषय पर आ रहा हूं। हमारी यह मांग थी कि अलेप्पी और कोट्टायम से होते हुए एर्णाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक के ट्रैक का विद्युतीकरण किया जाए। यह मामला योजना आयोग के पास लंबित पड़ा हुआ है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं इस विषय पर योजना आयोग से बात करें ताकि इस कार्य को त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाया जा सके।

रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का कार्य पूरा होने को है। इसमें एक कायमकुलम से त्रिवेन्द्रम तक का है। यह लगभग पूरा हो गया है। मांगलोर-शोरनपुर पर कार्य चल रहा है। लेकिन एर्णाकुलम और

[श्री रमेश चेन्नितला]

कायमकुलम के बीच ट्रेक का दोहरीकरण शीघ्र किया जाना है। इस भाग का दोहरीकरण वरीयता के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि यही भाग रेल यातायात में कठिनाई पैदा करता है। आज, कोट्टायम के रास्ते किसी ट्रेन को त्रिवेन्द्रम तक नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इस मार्ग पर जगह ही नहीं है। लाइनों का भरा होना सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को कोट्टायम और एल्लेपी संभाग के रास्ते एर्णाकुलम से कायमकुलम तक के मार्ग का दोहरीकरण करके दूर किया जा सकता है। चूंकि कोट्टायम संभाग सबसे पुराना है इसलिए कायमकुलम बरास्ता कोट्टायम के स्थान पर एर्णाकुलम को प्रमुखता दी जानी चाहिए। मुझे ज्ञात है कि माननीय मंत्री जी ने इस विषय पर योजना आयोग से बात की है क्योंकि इस पर बहुत अधिक खर्चा होगा। अत: मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय को आगामी बजट में सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस मार्गावरोध से बचा जा सके और इस संभाग में नई ट्रेनों को चलने की अनुमति दी जा सके।

महोदया, इन अनुपूरक मांगों में, त्रिवेन्द्रम-नागरकोइल संभाग को सम्मिलित कर लिया गया है। दक्षिण रेलवे में भूमि प्राप्त करने की समस्या है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। यदि वर्षा होती है तो भूमि कटाव और अन्य समस्याओं के कारण ट्रेनों को चलाना बहुत कठिन हो जाता है।

कोंकण रेलवे की भी यही समस्या है। यदि मंगलोर संभाग में वर्षा हो जाती है तो अनेक बार ट्रेनों को निरस्त करना पड़ता है। अत: मेरे विचार में यह सुविधा कोंकण रेलवे को भी दी जानी चाहिए ताकि मानसून के समय ट्रेनों के बार-बार निरस्तीकरण को रोका जा सके।

मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार पुन: मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि वे इस सभा में किए गए वादों को लागू करें क्योंकि हमने उनकी तरफ से ये वादे जनता से भी कर रखे हैं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने रेल के विनियोग विधेयक पर मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। रेल ने इस वर्ष कई क्षेत्रों में जन-सामान्य की विश्वसनीयता प्राप्त की है। कुछ दिनों पहले रेल की स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि आए दिन दुर्घटनाएं होती थीं, डीरेलमैंट होता था और इससे लोगों के अंदर एक भय जैसा पैदा हो गया था। लेकिन पिछले एक साल में उसमें भारी कमी आई है। रेलों में सुधार की दृष्टि से बड़े रचनात्मक कदम उठाए गए हैं और मुझे इस बात की पुष्टि इससे होती दिखाई पड़ती है कि जब हमारे मित्र श्री रमेश चेन्नितला अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो कई बिन्दुओं पर उनकी सहमति थी, कई बिन्दुओं पर उनका समर्थन था और उनके कई सुझाव बड़े रचनात्मक थे। उन सुझावों और सहमतियों को देखते हुए लगता है कि हमारी माननीय रेल मंत्री, बहन ममता जी और उनके सहयोगी अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं और रेलों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है। लेकिन उसके साथ जो एक नई दिक्कत नजर आ रही है, उस ओर गौर करना आवश्यक है जिसकी चिन्ता रेल बजट में माननीय मंत्री जी ने की थी – वह है रेल की सुरक्षा का प्रश्न। अभी दो दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी घटित हुई – एक फैजाबाद और दूसरी कानपुर में। जिस तरह आज देश में अतिवादी, उग्रवादी लोग सक्रिय हुए हैं, उनकी सक्रियता को देखते हुए रेल उनके लिए प्रथम लक्ष्य हो सकता है, पहला टारगैट हो सकता है, जहां वे क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए रेलवे सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है और वह आवश्यकता पिछले बजट में मंत्री महोदया ने भी महसूस की थी। आज स्थिति यह है कि रेलवे के पास सुरक्षा की दृष्टि से अपनी कोई फोर्स नहीं है। अच्छा होता कि इस पर सदन विचार करता, सरकार इसकी व्यवस्था करती और जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनको देखते हुए रेलवे सुरक्षा को सुनिश्चित कराने की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि एक अलग बल का गठन किया जाए जो रेल की आन्तरिक सुरक्षा की व्यवस्था देखे, सामान की सुरक्षा की व्यवस्था देखे। आज माल भाड़े में बिना वृद्धि किए आमदनी में वृद्धि होनी चाहिए और जिस तरह माल भाड़े की ढुलाई रेलवे द्वारा होनी चाहिए, उसमें जो नैगेटिव प्वाइंट आता है, वह यही आता है कि अक्सर माल की चोरी होती है जिसकी वजह से लोग डरते हैं और अपना माल नहीं भेजते। यह भी सुरक्षा की कमी के कारण है। अगर अतिरिक्त बल की व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूं कि व्यापारी अपना माल रेल से भेजना चाहेंगे और उसकी ढुलाई का लाभ रेलवे को अतिरिक्त आमदनी के रूप में मिलेगा।

यह सच है कि रेल एक ऐसी व्यवस्था है जिससे इस देश का जन-सामान्य जुड़ा हुआ है, हमारी मान्यताएं, आस्थाएं, तीर्थ, संस्कृति के केन्द्र, आपसी रिश्ते, भाई-चारा, विभिन्न रीतियां, बोली, भाषाओं का देश, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न मान्यताओं, रीति-रिवाजों का देश यदि कहीं जुड़ता है और उसे जोड़ने के लिए यदि कोई प्रभावी तन्तु है, तो वह है रेल। रेल सबको जोड़ती है और जो सबको जोड़ती है, उसे मजबूत करने की दृष्टि से हमें सोचना चाहिए।

मंत्री जी ने इस बार 900 करोड़ रुपये आंतरिक संसाधनों से बढ़ाने की चेष्टा की है। कई नई योजनाएं शामिल की हैं। उन योजनाओं पर अमल भी शुरू हुआ है। मैं समझता हूं कि चाहे ओ०एस०डी० की लाइनें हों चाहे रेलवे की बेकार पड़ी हुई जमीन हो, चाहे रेलवे का विज्ञापन की दृष्टि से उपयोग हो–ये सब ऐसे माध्यम हैं, जिनके द्वारा आमदनी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह काम तभी हो सकता है, जब रेल के प्रति लोगों की विश्वसनीयता जो निरन्तर बढ़ रही है, वह और बढ़े। सामान्य यात्री आज रेलवे से यात्रा करते समय 2-3 अपेक्षाएं करता है। वह यह अपेक्षा करता है कि रेल सुरक्षित पहुंचेगी,

समय से पहुंचेगी और हमें रेल यात्रा में कोई असुविधा नहीं होगी। यह सही है कि शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों में हमने सुविधाओं का विस्तार किया है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदया धन्यवाद की पात्र हैं, लेकिन यह बात सामान्य रेलों में भी देखी जानी चाहिए, जिस पर मजदूर चलता है और गरीब आदमी चलता है। जब बिहार के तमाम लोग उस गाड़ी में बैठकर पंजाब की ओर फसल की तैयारी के लिए निकलते हैं, तब उनको क्या-क्या दिक्कतें आती हैं यह भी हमें महसूस करनी चाहिए। उनको भी पीने का पानी मिले, उन्हें भी प्रसाधन स्वच्छ और साफ मिलें और कम से कम प्लेटफार्म पर जो सोने की प्रवृति है, लोग वहां खुले में सोये पड़े रहते हैं, उनकी राहत की व्यवस्था हो। कुछ स्टेशनों के उन्नतिकरण की बात इसमें आई है जिन कुछ स्टेशनों की व्यवस्था सुधारी जा रही है, ऐसे 22 स्टेशन हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में उसमें से केवल दो ही स्टेशन बलिया और टूंडला लिए गये हैं। मैं चाह रहा था कि इतने बड़े प्रदेश में कुछ और स्टेशन लिये जाते। अच्छा होता कि प्रयाग में अगला कुम्भ होने वाला है, सारे विश्व के लोग वहां आने वाले हैं और उसमें करोड़ों की संख्या में जब लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था के लिए कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। अभी से अगर माननीय मंत्री जी मन बनाएंगी, अगर ये लोग सोचेंगे तो निश्चित ही आने वाले यात्रियों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था हो पाएगी, क्योंकि पूरे भारत के हर कोने से ग्रामीण और गरीब लोग उसमें आते हैं। उनके आने की व्यवस्था उसमें हो पाये, इसको ध्यान में रखेंगे।

मैं बात को लम्बी न करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जहां सुरक्षा, सुव्यवस्था और समय से पहुंचने की प्रतिबद्धता रेलवे में दिखाई पड़ती है, वहीं रेल में एक बात और जो बड़ी है कि रेल में खर्च कम और आमदनी ज्यादा, यह शायद मंत्री जी की सादगी का प्रभाव रेलवे पर पड़ता हुए दिखाई पड़ता है। वह उनकी सरलता और सादगी के कारण ऐसा दिख रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से पुराने तमाम वायदे पड़े हुए हैं, उनमें नये काम कर पाना कुछ मुश्किल लग रहा है, फिर भी वे तमाम वायदों को पूरा करती हुई दिखाई पड़ती हैं, चाहे नई रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, चाहे नई लाइनों का विद्युतीकरण हो, चाहे नई लाइनें डलवानी हों। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी को डिस्टर्ब न करें।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : महोदया, माननीय सदस्य श्री सन्तोष मोहन देव माननीय मंत्री जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कृपया उन्हें माननीय सदस्य की बात सुनने दें।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : नहीं, वह मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं। मैं सुन रही हूं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : रमेश जी, आप सुझाव दे रहे थे और मैं उन सुझावों के प्रति समर्थन दे रहा हूं। अगर इस पर आपको आपत्ति है तो मैं आपके सुझावों का समर्थन नहीं करूंगा।

सभापति महोदय : नहीं, स्वामी जी, उन्होंने कहा कि वे उधर जाकर मंत्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी बात सुनने नहीं दे रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : वे आपकी बात सुनने नहीं दे रहे हैं, मैं यही बोल रहा था।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : इसके लिए धन्यवाद। लोग भी मौके का फायदा उठाते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि इस समय बात कर लें, पता नहीं ममता जी दोबारा काफी दिन बाद मिलें।

मैं निवेदन कर रहा था कि हमें स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। यह चिन्ता की बात है, जैसा हमारे मित्र ने कहा कि हम चाहते हैं कि रेल से उतरने वाले लोगों को पीने का पानी मिले, रेल से उतरने वाले लोगों को छाया मिले, रेल से उतरने वाले लोगों को कहीं रात्रि विश्राम की जगह मिले। ये चीजें रेल की प्राथमिकताओं में आनी चाहिए। आज जब हम इन्फोटेक की बात कर रहे हैं, आज हम हर गांव को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर स्टेशन पर, जहां से दूर तक की गाड़ियां जाती हैं, वहां आरक्षण के लिए कम्प्यूटर की आवश्यकता लोगों ने अनुभव करनी शुरू की है और यह एक ऐसी उपलब्धि है, जिसके प्रति सबका आकर्षण बढ़ा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जौनपुर संसदीय क्षेत्र के जौनपुर नगर में चार स्टेशन हैं। वह ऐसा क्षेत्र है, मैं गिनाता हूं, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर, ये जनपद ऐसे हैं, जहां पिछड़ेपन के कारण, गरीबी के कारण लोग सैंकड़ों की संख्या में प्रतिदिन मुम्बई जाते हैं और मुम्बई से आते हैं। उनको न तो सीधी ट्रेन मिलती है, न उन क्षेत्रों में कम्प्यूटर से आरक्षण की व्यवस्था है। कम से कम मेरे संसदीय क्षेत्र में, मेरे जनपद में एक भी स्टेशन ऐसा नहीं है, जो कम्प्यूटर से जोड़ दिया गया हो। मैंने पिछली बार भी आग्रह किया था। मैं दूसरा आग्रह यह करूंगा कि जहां बड़े-बड़े नगरों को, बड़े-बड़े कस्बों को, बड़े-बड़े शहरों को जोड़ा जा रहा है, वहीं जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनको रेलवे से जोड़ने की जरूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, जिन जनपदों का मैंने उल्लेख किया है।

इन जनपदों के प्रायः हर घर के लोग मुम्बई, कलकत्ता रहते हैं। लेकिन बरसों से मांग की जा रही है कि एक ऐसी ट्रेन चले जो देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर के लोगों को लेकर सीधे मुम्बई तक पहुंचे। अब लाइन की भी दिक्कत नहीं है। पहले कुछ जगह छोटी लाइन थी, लेकिन अब मंत्री जी ने बड़ी लाइन करा दी है। गोरखपुर या बलिया से कोई ट्रेन शुरू की जाए जो जौनपुर होकर सीधे सीधे मुम्बई तक जाए, इससे वहां के लोगों को सुविधा

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

मिलेगी। जौनपुर से जाफराबाद और चंघई तक जहां स्टेशन हैं, स्टेशन मास्टर हैं, रेलवे कर्मी हैं, लेकिन उस ट्रैक पर केवल एक ही पैसेंजर गाड़ी आती-जाती है। अगर इस रेल ट्रेक को मजबूत कर दिया जाए तो बनारस जाने की जरूरत नहीं होगी। आजमगढ़ से चलने वाली, शाहगंज, मऊ से चलने वाली ट्रेन, जाफराबाद से चंघई होते हुए सीधे मुम्बई तक जा सकती है। इसलिए इस ट्रैक को सुदृढ़ किया जा सकता है।

सभापति महोदय : जल्दी खत्म करना है, कृपया समाप्त करें।

स्वामी चिन्मयानन्द : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वहां छोटे-छोटे व्यापारी हैं, जो फूलों का, सब्जी का व्यापार करते हैं। उनको 24 घंटे के अंदर कहीं एक बाजार मिल जाए तो उनको लाभ मिल सकता है। जिन क्षेत्रों का मैंने उल्लेख किया, ये फल और फूल पैदा करने वाले क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में कालीन का भी उद्योग शुरू हो गया है। ट्रैक होते हुए भी सीधी ट्रेन न होने के कारण वे अपना माल सही जगह पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं।

सभापति महोदया, तीन नए राज्य बनने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। छत्तीसगढ़ में रेल की क्या स्थिति है और झारखंड में क्या स्थिति है, यह मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक उत्तरांचल का प्रश्न है, वहां अभी बड़े स्टेशन के नाम पर दो-तीन स्टेशन हैं। मैं चाहूंगा देहरादून, हरिद्वार, काठगोदाम और कोटद्वार के स्टेशनों को अच्छा बनाया जाए, जिससे उत्तरांचल के लोगों के मन में यह विश्वास पैदा हो कि इस राज्य के साथ रेल विभाग न्याय कर रहा है।

हरिद्वार एक तीर्थ है, वहां से इलाहाबाद तक कोई सीधी ट्रेन हो जाए तो वहां के लोगों की दिक्कत दूर हो सकती है, क्योंकि अभी तक इलाहाबाद के लिए लिंक ट्रेन चलती है, सीधी ट्रेन कोई नहीं चलती।

मैं इन्हीं आकांक्षाओं, शुभकामनाओं और भावनाओं के साथ इस विनियोग विधेयक को पास करने का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे हमारे इन सुझावों और आकांक्षाओं पर जरूर गौर करेंगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

ये मात्र अनुपूरक मांगें हैं यह रेलवे का पूरा बजट नहीं है इसलिए यदि आप स्वयं को समय सीमा में रखते हैं तो अधिक माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, बजट संबंधी कार्य अर्थहीन बन गया है। यदि आप अतिरिक्त मांग को देखते हैं जो इस सभा में रखी गई हैं तो आपको पता चलेगा कि सभी मदों के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय कैसे किया गया है।

महोदया, मांग संख्या 3 में अतिरिक्त व्यय का प्रतिशत 12.64 है। मांग संख्या 4 में रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण व्यय का अतिरिक्त प्रतिशत 85.66 है। मांग संख्या 8 परिचालन व्यय चल स्टाक और उपस्कर में अतिरिक्त व्यय का प्रतिशत 2.01 है।

महोदया, अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने कई अवसरों पर गम्भीर टिप्पणी की है। लोक लेखा समिति की टिप्पणियों के बावजूद रेलवे बोर्ड हर वर्ष अतिरिक्त परिव्यय कर रहा है। महोदया, मैं यहां रखी गई अतिरिक्त मांगों की आवश्यकता को समझने में असमर्थ हूं। कितना स्वीकृत किया गया? 11 कार्यों के लिए मात्र 20,000 रुपए और प्रत्येक मद के लिए 1,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

महोदया, यहां एक लाइन जो जोड़ी गई है वह टिकापुर से संतरागाची तक की चौथी लाइन है। कितनी धनराशी स्वीकृत की गई है। इस कार्य पर आने वाली कुल लागत 2,250 लाख रुपए होगी जबकि मात्र 1,000 स्वीकृत किये गए हैं। दक्षिण पूर्वी रेलवे पिछले पांच वर्षों से हावड़ा से पंसकुरा तक चौथी लाइन और पंसकुरा से खड़गपुर तक अतिरिक्त लाइन बिछाने की स्वीकृति देने की मांग कर रहा है। यह आवश्यक है क्योंकि उस खंड की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा चुका है। क्षमता को बढ़ाने के लिए लाइन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है और इसीलिए अतिरिक्त लाइन की आवश्यकता है लेकिन उसे स्वीकृति नहीं दी गई है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि 1000 रुपए क्यों स्वीकृत किए गए। रेल मंत्रालय इसका क्या करना चाहता है? रेल मंत्री भूल गए कि 1995 में एक लाखी - वलूरघाट के लिए 1,000 रुपए स्वीकृत किए गए थे।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : वह बजटीय प्रावधान नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : एक हजार रुपए तो भूतपूर्व रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ द्वारा स्वीकृत किए गए थे।

कुमारी ममता बनर्जी : वह बजटीय प्रावधान नहीं है। यह अनुपूरक अनुदानों की मांगों के लिए मात्र तकनीकी प्रविष्टि है। आपको मालूम होगा इस बार उस परियोजना हेतु 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।

श्री बसुदेव आचार्य : केवल 1,000 रुपए क्यों दिए गए हैं?

कुमारी ममता बनर्जी : आपको मालूम होना चाहिए कि यह तकनीकी प्रविष्टि है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या यह चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है? जब बिहार में एक सदस्य, श्री नवल किशोर राय, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार की उपेक्षा के बारे में बोल रहे थे तो श्री सुदीप बंद्योपाध्याय

कह रहे थे "बंगाल का चुनाव हो जाने के बाद बिहार के बारे में सोचा जाएगा।" क्या चुनाव को ध्यान में रखकर रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है?

सभापति महोदय : श्री आचार्य, कृपया अनुदानों को राजनीतिक रंग मत दीजिए। कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : मेरा नाम मेंशन हुआ है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं *(व्यवधान)* हमने जीरो आँवर में रेज किया था। कहीं भी सुदीप बंद्योपाध्याय जी ने कोई चर्चा नहीं की थी *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी छोड़ दीजिए। इसके ऊपर डिबेट मत करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : श्री आचार्य आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आपको इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल में कई रेलगाड़ियां बन्द कर दी गई हैं। बर्दवान कटवा छोटी लाइन यात्री रेलगाड़ी और बर्दवान अजीमगंज अहमदपुर कटवा अदरा खड़कपुर रेलगाड़ियां क्यों बन्द कर दी गई हैं? ये रेलगाड़ियां पश्चिम बंगाल के लोगों और बर्दवान, वीरभूम और पुरूलिया के लोगों की आवश्यकताओं को क्यों पूरा नहीं कर रही हैं *(व्यवधान)* मैं नहीं सुन रहा हूं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : मेरे लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती, कि आप सुन रहे हैं अथवा नहीं सुन रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं इनका भाषण समाप्त होने के बाद आपको अवसर दूंगा। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय कृपया बैठ जाइए। इनका भाषण समाप्त होने के बाद आप जवाब दे सकते हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : इन्होंने जो टिप्पणी की है वह इन्हें वापस लेनी होगी अन्यथा वह आज बोल नहीं सकते।

सभापति महोदय : कृपया ऐसा मत कहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं नहीं सुन रहा हूं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : इन्होंने मेरा नाम लिया है।

सभापति महोदय : आप इन्हें बोलने से नहीं रोक सकते हैं। मैं आपको अवसर दूंगा। कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : इन्होंने मेरा नाम लिया है।

सभापति महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, इनका भाषण समाप्त होने के बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

जब यह अपना भाषण समाप्त कर ले तो आप इन्हें जवाब दीजिएगा। कृपया इनके भाषण में बाधा मत डालिए। वह सुन नहीं रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री आचार्य, अब आप समाप्त कीजिए। कृपया राजनीतिक भाषण मत दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं कोई राजनैतिक भाषण नहीं दे रहा हूं।

सभापति महोदय : अन्यथा आपको समस्या हो जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, मैं केवल वस्तुस्थिति बता रहा हूं जो हो रहा है, इन ट्रेनों को क्यों बंद कर दिया गया है?

महोदया, रेलवे बोर्ड से यह निर्देश है कि रेल कर्मचारियों की संख्या को 6 प्रतिशत कम किया जाएगा। यह रेलवे की आवश्यक सेवाओं पर भी लागू होगा। अब रेलगाड़ियां चालक और गार्ड के बिना चल रही हैं।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, रेलगाड़ियां बिना चालक के कैसे चल सकती हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, मैं गार्ड की बात कर रहा हूं। रेलवे की आवश्यक सेवा में लगे कर्मचारियों को कम किए जाने का प्रस्ताव है।

महोदया, रेलवे में अनियमित भर्ती की जा रही है। मेरे पास इसकी सूची है। सैंतालीस उम्मीदवारों को बिना साक्षात्कार के ही नियुक्तियां दे दी गईं। इन पदों के लिए कोई विज्ञापन और अधिसूचना नहीं दी गई। बिना विज्ञापन, अधिसूचना और साक्षात्कार के किस प्रकार नियुक्ति हो सकती है? ऐसे उम्मीदवारों की सूची अदरा रेलवे मंडल, खड़गपुर रेलवे मंडल और चक्रधरपुर रेलवे मंडल के मैनेजर के पास है। यह सूची कहां से आई? मैं मांग करता हूं कि इस बात की जांच की जाए कि रेलवे के विभिन्न मंडलों में इस प्रकार की अनियमित भर्तियां क्यों हो रही हैं। गैंगमेन के पद के लिए हजारों वैध आवेदन-पत्र रेलवे के विभिन्न मंडलों में पड़े हुए हैं। परंतु इस पद के लिए अभी तक कोई साक्षात्कार नहीं लिया गया।

महोदया, रेलवे के वित्त के संबंध में गंभीर स्थिति है। दक्षिण-पूर्व रेलवे, जो रेलवे के राजस्व का 35 प्रतिशत प्रदान करता है, बुरी अवस्था में है। आज दक्षिण-पूर्व रेलवे की क्या स्थिति है? इस क्षेत्र का कार्य-निष्पादन वर्ष के पहली तिमाही में अच्छा था। इसने पिछले वर्ष के मुकाबले पांच मिलियन टन का अधिक सामान ढोया था। परंतु

[श्री बसुदेव आचार्य]

जुलाई के बाद से दक्षिण-पूर्व रेलवे की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। कोयले की कम ढुलाई हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि लगभग सभी ताप-विद्युत-केन्द्रों का कोयला भंडार भरा हुआ है। इन्हें लेने वाला कोई नहीं है। अब कोयले के आयात होने से, दक्षिण-पूर्व रेलवे में कोयले की ढुलाई कम हो रही है। इससे रेलवे की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

महोदया, इस कारण से, पूर्व में, मैंने कई सुझाव दिए कि किस प्रकार रेलवे द्वारा माल ढुलाई को बढ़ाया जाए। कोयले की ढुलाई बहुतायत से होती है। कोयले के अतिरिक्त, हम उर्वरकों की भी ढुलाई करते हैं। पेट्रोलियम की भी ढुलाई कम हुई है। माल यातायात में वृद्धि करने के लिए समुचित योजना बनाई जानी चाहिए। इसके द्वारा राजस्व में वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है।

महोदया, कल से लेखा सेवा के हजारों कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। आज मैंने उन्हें सम्बोधित किया। उनकी क्या मांगें हैं और उन्हें क्या तकलीफ है? उनकी तकलीफ यह है कि केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के साथ उनके वेतन में कोई समानता नहीं है।

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद, लेखा कर्मचारियों, टी टी ई, गार्डों और सहायक ड्राइवरों के वेतन-मानों में अनियमितताएं पैदा हो गईं। जब रेल मंत्री रेल संबंधी स्थाई समिति की अध्यक्ष थीं, तो उन्होंने लेखा कर्मचारियों के वेतन को केन्द्रीय सचिवालय के वेतनमानों के बराबर करने की सिफारिश की थी। यह मुद्दा अभी भी उनके रेल मंत्री बनने के बाद सुलझा नहीं है।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरी मांग है कि लेखा कर्मचारियों, गार्डों, टी टी ई और सहायक ड्राइवरों के वेतन मानों से अनियमितताओं को तुरन्त दूर किया जाना चाहिए।

पटरी से उतरने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अभी पिछले दिन मेरे क्षेत्र में अदरा स्टेशन के निकट पटरी से उतरने की एक घटना हुई थी। तीन दिनों के अंदर ही पार्क सर्कस के निकट पटरी से उतरने की दो दुर्घटनाएं हुई हैं। पटरी से उतरने की ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसका कारण है कि हमारी पटरियों का सही रखरखाव नहीं होता, हमारे रोलिंग स्टॉक का सही रखरखाव नहीं होता, और न ही हमारे कोचों और हमारे लोको मोटिवों का ही सही रखरखाव होता है।

सभापति महोदय : श्री आचार्य जी, आप पहले ही 20 मिनट बोल चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अब आप अपनी बात समाप्त करें। मैं आपको और समय नहीं दे सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : इस वर्ष रेलवे के पास 100 लोकोमोटिव कम होंगे। पिछले वर्ष सी एल डब्ल्यू ने 167 लोकोमोटिव का निर्माण किया था। परंतु इस वर्ष यह आर्डर केवल 97 लोकोमोटिव के लिए ही है।

सभापति महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें। यह बहस केवल रेलवे पर ही नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, मेरा सुझाव है कि सुरक्षा, लाइनों और रोलिंग स्टाक के सही रखरखाव और संकेत प्रणाली के आधुनिकीकरण पर अधिक धन खर्च किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री बंद्योपाध्याय, कृपया एक वाक्य से अधिक में स्पष्ट न करें। आपके मंत्री सभी बातों पर बोलने में सक्षम हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदया, श्री बसुदेव आचार्य ने मेरे नाम का उल्लेख किया है। मैं इस आरोप का पूरी तरह खंडन करता हूं। यह बिल्कुल सच नहीं है। इसलिए, श्री बसुदेव आचार्य जैसे वरिष्ठ सांसद को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और ऐसी टिप्पणी करने के लिए अध्यक्षपीठ से माफी मांगनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकता।

सभापति महोदय : श्री बंद्योपाध्याय, यह बात कार्रवाई वृत्तांत में शामिल की गई है कि आपने इसका खंडन कर दिया है। यह तो हद हो गई है।

***श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी** (नालगोंडा) : सभापति महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई रेल संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। महोदया, भारतीय रेल का 147 वर्ष पुराना एक गौरवपूर्ण इतिहास है। यह एक बहुत बड़ा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जिसमें 17 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। यह स्वाभाविक ही है कि इतने बड़े संगठन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मैं उनमें से कुछ की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, स्वतंत्रता के बाद गत 53 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र तेलंगाना में केवल एक ही रेललाइन बिछाई गई है और यह है बीबीनगर - नाड़िकुड़ी रेलवे लाइन। मेरा अनुरोध है कि इस रेललाइन को दोहरा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि हैदराबाद और मिरियालगुड़ा के बीच एक शटल सेवा शुरू की जानी चाहिए। महोदया, आंध्रप्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है। इस राज्य में कई नई लाइनें बिछाए जाने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि रेल मंत्रालय राज्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए नई रेललाइनों को बिछाने का काम शुरू करे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर भारी यातायात को कम करने के लिए यह आवश्यक

*मूलत: तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

है कि काचीगुड़ा और चितियाला के बीच एक नई लाइन बिछाई जाए। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस लाइन के सर्वेक्षण का काम तुरंत आरंभ करने का आदेश करें। सर्वेक्षण के पूरा होने के तुरंत बाद इस रेल लाइन को बिछाने का काम शुरू किया जाना चाहिए। मचेरला और रायचूर के बीच एक नई लाइन बिछाने का प्रस्ताव भी है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव पर विचार करके इस लाइन को मंजूरी दें। इसी प्रकार, महोदया, नालगोंडा और मचेरला के बीच एक नई लाइन बिछाने का प्रस्ताव है। इस लाइन के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इस लाइन के काम को पूरा करने के लिए आवश्यक धन जल्दी से जल्दी प्रदान किया जाए। महोदया, अनुदानों की मांगों में यह प्रस्ताव किया गया था कि देश में 22 मॉडल स्टेशनों का निर्माण किया जाए। दुर्भाग्यवश, आंध्र प्रदेश के केवल एक स्टेशन का नाम ही सूची में शामिल किया गया है। राज्य में कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जिन्हें माडल स्टेशन में बदला जा सकता है। नालगोंडा एक जिला मुख्यालय है। इसी प्रकार, महबूबनगर और निजामाबाद भी जिला मुख्यालय हैं। ये सभी तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान हैं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि नालगोंडा को भी प्रस्तावित माडल स्टेशनों की सूची में शामिल किया जाए। महोदया, पालनाड़ एक्सप्रेस नालगोंडा होकर गुजरती है। इस मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों पर प्रभार लगाया जा रहा है। नालगोंडा पहुंचने से पहले यह गाड़ी आठ स्टेशनों पर रुकती है। मासिक टिकट की दर केवल 250 रुपए है जबकि इस पर लगभग 600 रु० प्रभार लगाया जाता है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि प्रभार को तुरंत समाप्त करें। आज देश में वरिष्ठ नागरिकों का बहुत सम्मान होता है। उन्हें 50% की दर से रेलवे पास दिए जाने चाहिए। आंध्र प्रदेश में गड्वाल-रायचूर लाइन पर सर्वेक्षण का काम हो रहा है। इस लाइन के लिए आवश्यक जमीन अभी ली जानी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने काकीनाड़ा-कोथापल्ली लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए अपनी स्वीकृति की सहमति दे दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लाइन को भी अविलम्ब स्वीकृति दी जानी चाहिए।

हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां नगरों में रेलवे की महानगरीय सेवा की मांग काफी समय से चल रही है। भारतीय रेलवे, आंध्र प्रदेश सरकार के आर एंड बी प्रभाग और हैदराबाद के नगर पालिका प्रशासन ने मंत्रालय से इस परियोजना को स्वीकृति देने और इस पर कार्य करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। मेरा इस माननीय सभा के माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस परियोजना पर तुरंत कार्य किया जाए। कोथापल्ली-नरसापुर लाइन, जिस पर लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, परंतु वर्ष 2000-01 के लिए केवल एक करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यह बहुत कम है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लाइन के लिए आबंटन राशि को बढ़ाया जाए। पेड्डापल्ली-करीमगंज- निजामाबाद लाइन के निर्माण का काम इस समय चल रहा है। यह काम काफी धीमा चल रहा है क्योंकि अपेक्षित निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। मेरा अनुरोध है कि इस लाइन के काम को जल्दी पूरा करने के लिए कृपया पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं। बेलमपल्ली में और उसके आसपास रहने वाले लोग पेड्डापल्ली में जीटी एक्सप्रेस को रोकने की मांग कर रहे हैं।

यह मामला माननीय रेल मंत्री और रेल मंत्रालय को भेजा गया है फिर भी इस अनुरोध को अभी तक माना नहीं गया है। मैं माननीय रेल मंत्री से अपील करता हूं कि वे जी०टी० एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बेल्लमपल्ली पर ठहरने का तुरन्त आदेश दें और मैं माननीय रेल मंत्री से यह भी अपील करता हूं कि बेल्लमपल्ली-कोलान्याला-अलेर, कागज नगर-आदिलाबाद रेलवे स्टेशनों के निकट नालगोंडा में सड़क उपरिपुलों का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। नागपुर और आदिलाबाद के बीच भी नई रेलगाड़ी चलायी जाए। यह अत्यन्त आवश्यक है। मैं आपसे यह भी अपील करता हूं कि आप मदीकर और आदिलाबाद के बीच मीटर गेज लाइन को तुरन्त बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए कदम उठाएं। इस कार्य के लिए आवश्यक धनराशि भी प्रदान की जानी चाहिए। दक्षिण मध्य रेलवे के रेलवे न्यायाधिकरण में 1998 में एक न्यायिक सदस्य की रिक्ति है आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि इस रिक्त पद को शीघ्र भरा जाए। मैं नौ महीने पहले ही इस सम्माननीय सभा में चुनकर आया हूं। मैंने माननीय रेल मत्रा जी से अपील की थी कि वह फलकनुमा एक्सप्रेस गाड़ी को नालगोंडा में रुकने का प्रावधान करें। वह अत्यन्त दयालु हैं अतएवं उन्होंने मेरा अनुरोध मान लिया था। मैं उनकी कृपा दृष्टि के लिए तहेदिल से शुक्रगुजार हूं। मैं इस अवसर पर चैन्नई - दादर सुपर फास्ट एक्सप्रेस को कोडूर रेलवे स्टेशन पर रुकने का अनुरोध भी करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। इसी प्रकार चार मीनार जी०टी० एक्सप्रेस के चिराला पर रुकने के लिए आवश्यक निदेश दे दिये जाने चाहिए। बीवीनगर मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। मैं नागार्जुन एक्सप्रेस के बीवीनगर में रुकने का प्रावधान करने के लिए अनुरोध करता हूं। इस सम्यन्ध में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की चिरकालिक मांग है।

जबसे माननीय ममता जी ने रेल मंत्रालय का पदभार सम्भाला है उन्होंने राष्ट्र के लिए अत्यन्त आवश्यक सेवा–रेल में पुनर्जीवन संचार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनके किये कार्यों के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। पश्चिम बंगाल के लोग उत्सुकता से उस दिन का इन्तजार कर रहे हैं जब वह उस राज्य की मुख्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगी। सी पी एम भी यही चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब वह राज्य में भारी बहुमत से अगले चुनाव जीतेंगी।

आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं जयहिन्द, जय जन्म भूमि।

सायं 6.52 बजे

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, आज सदन में रेल की अनुपूरक मांगों पर चर्चा चल रही है और आपने मुझे इन मांगों पर बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

रेलवे हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। मैं आपके माध्यम से ममता जी और अन्यन्य मित्रों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर रेलवे थोड़ा सा भी ध्यान दे तो रेलवे की तमाम सम्पत्तियों से अधिक आय हो सकती है। इस समय समूचे हिन्दुस्तान में 125-150 ऐसे रेलमार्ग हैं जिनसे रेलवे को कोई आय नहीं होती और मुझे लगता है कि इन अलाभकारी रेल मार्गों से 200-225 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष नुकसान रेलवे को होता है। इन मार्गों को लाभकारी बनाये जाने की आवश्यकता है। इन मार्गों का विस्तार करने से इन्हें लाभकारी बनाया जा सकता है। जैसे यदि मथुरा-वृन्दावन रेल मार्ग को अलीगढ़ से जोड़ दिया जाये तो यह लाभकारी मार्ग हो सकता है।

सभापति महोदय, रेल मार्गों के दोनों ओर काफी मात्रा में रेलवे की जमीन पड़ी हुई है। किसी जमाने में इस जमीन का कृषि का पट्टा होता था। स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में यह भूमि कृषकों को पट्टे पर दी जाती थी। यदि यह जमीन कृषकों को पट्टे पर दे दी जाये तो काफी लाभ हो सकता है। आज भी कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन्स हैं जिनके पास यह जमीन पड़ी हुई है।

सभापति महोदय, रेलवे के जितने खान-पान केन्द्र या होटल्स हैं, उनसे रेलवे को काफी मुनाफा हो सकता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि रेलवे लाइन के पास तमाम स्क्रैप पड़ा हुआ है जिनमें पुराने डिब्बे और वैगन्स हैं। वहां अरबों रुपये की सम्पत्ति का बिना वजह पड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस सम्पत्ति को बेच दिया जाये तो इससे एक फ़ायदा यह होगा कि रेलवे को भारी आमदनी होगी, दूसरे जगह की सफाई भी हो जायेगी।

सभापति महोदय, बौद्ध धर्म हमारे देश हिन्दुस्तान में पैदा हुआ और दुनियाभर में हम लोगों की प्रेरणा पाकर लोग बुद्ध बन गये। वे बौद्ध प्रतिवर्ष हमारे देश में आते हैं। अगर रेल विभाग उन ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थलों को रेल मार्ग से जोड़कर एक बौद्ध सर्किट बना दे तो इससे इस विभाग को काफी आय हो सकती है।

बोध-गया से राजगीर, राजगीर से वैशाली, वैशाली से सारनाथ और सारनाथ से कुशीनगर, इन सब लाइनों के बारे में दिग्विजय सिंह जी जानते हैं। ब्रिटिश काल से जिन छोटी लाइनों का प्रयोग होता था, अब उनका प्रयोग खत्म हो गया है। संभवत: रेलवे ने कोई पालिसी बनाई थी कि हम इसे टेक ओवर करके छोटी लाइनों के प्रयोग के लिए बनायेंगे। मैं नहीं समझता उस पर जितनी तेजी से काम होना चाहिए था, उतनी तेजी से काम हो रहा है। यदि हम सब यह काम नहीं करेंगे तो सड़कों पर भार पड़ेगा। जनसंख्या का दबाव उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है। इसलिए संचार के माध्यमों की भी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन वे उपलब्ध नहीं है, इसका परिणाम यह होता है कि किसान जो गेहूं, फल, सब्जी आदि पैदा करता है, उसके माल की रेल से ढुलाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण उसे वह माल मजबूरी में स्थानीय मंडी में बेचना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ए०एच० व्हीलर जो किताबें बेचता है, इसकी पूरे हिंदुस्तान में मोनोपोली है। अंग्रेजों के जमाने से यह एकमात्र संस्था है, जो किताबें बेचने का काम कर रही है और यह रेलवे को केवल तीन फीसदी रॉयल्टी देती है। जबकि जो खान-पान वाले लोग हैं वे 12 से 15 परसेन्ट तक रॉयल्टी देते हैं।

सभापति महोदय : सुमन जी, हम सप्लीमेन्टरी डिमांड्स डिस्कस कर रहे हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, यह मेरी मजबूरी है, बसुदेव आचार्य जी पर तो यह फार्मूला नहीं चला, उन्होंने 20 मिनट से ज्यादा समय ले लिया।

सभापति महोदय : आप बसुदेव आचार्य जी का अनुसरण मत कीजिए, आप चेयर को सहयोग करिये।

श्री रामजीलाल सुमन : मैं कह रहा था कि ए०एच० व्हीलर की मोनोपोली है। यह काम अगर शिक्षित बेरोजगारों को मिल जाए, कोऑपरेटिव्स को मिल जाए, एस०सी०, एस०टी० को मिल जाए, विकलांगों को मिल जाए तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत लाभ होगा। आज हालत यह है कि रेल मंत्रालय समुचित मात्रा में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक-एक रुपये में एक गिलास पीने का पानी मिलता है। यात्रियों की सुविधा के लिए कोई कमेटी वगैरह बनी है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे यदि सार्थक प्रयास कर सकती है तो वह सार्थक प्रयास रेलवे को जरूर करना चाहिए।

सभापति महोदय, रेलवे के फाटकों पर अत्यधिक अव्यवस्था होती है और कभी-कभी यह होता है कि जब रेलगाड़ी आने वाली होती है तो गेटमैन फाटक खोल देता है। अभी 30 मई को टूंडला-कानपुर मार्ग पर विजयपुरा गांव है, वहां गेटमैन ने गाड़ी को आने दिया, वहां से सरगवां गांव के लोग ट्रैक्टर से जा रहे थे। जिनमें से छ: लोग मारे गये और सात लोग घायल हो गये। वहां मृतकों को सिर्फ छ: हजार रुपये और घायलों को ढाई हजार रुपये देने का काम रेलवे ने किया है। राज्य सरकार ने मृतकों को दस हजार रुपये दिये हैं जो नहीं के बराबर हैं। उन्हें और मुआवजा मिलना चाहिए।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : कानून और व्यवस्था उन्हीं का विषय है। रेल पटरी पर चल रही है, कोई आकर

टकरा जायेगा तो क्या होगा। गेटमैन कोई गेट नहीं खोलता है, आप लोग मारकर चले जायेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा।

श्री रामजीलाल सुमन : यह कानून और व्यवस्था का सवाल नहीं है। आपके गेटमैन की जिम्मेदारी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत बात कह रहे हैं। वहां आपके गेटमैन की गलती थी। जब रेल के आने की सूचना थी तो उसने गेट क्यों खोला? महोदय, मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, बड़ी व्यावहारिक दिक्कत है, हमने इस सदन में कई बार कहा है कि आसफाबाद और फिरोजाबाद के निकट शिकोहाबाद है और मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैया एक जगह है। वहां घंटों जाम हो जाता है। इसलिए इन तीनों स्थानों पर पुल बनाने की आवश्यकता है। लेकिन व्यावहारिक संकट यह है श्री दिग्विजय सिंह जी ने बताया था कि 50 फीसदी रुपया रेलवे देती है और 50 फीसदी रुपये राज्य सरकारों से मिलता है। राज्य सरकारों का कोई सकारात्मक रोल नहीं है। राज्य सरकारें ढिलाई बरतती हैं। इसलिए जिन स्थानों पर पुलों की आवश्यकता है, वहां व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से पुल नहीं बन पाते हैं। इन स्थानों पर पुल बनने चाहिए।

सायं 7.00 बजे

डॉ० गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, कुछ विशेष कारणों से आज मैं रेलवे की सप्लीमेंटरी ग्रांट्स पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। उसमें एक कारण आप भी हैं क्योंकि आपके और मेरे इलाके का थोड़ा सा भाग अभी भी ब्रॉडगेज से वंचित है और उसकी तरफ ही मैं ममता जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहती हूं।

इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं निश्चित तौर पर राष्ट्रपति जी की उस बात को दोहराना चाहूंगी कि जब तेरहवीं लोक सभा के प्रति संबोधन में उन्होंने कहा था कि रेलवे रिफार्म्स कमीशन का शीघ्र ही गठन किया जाएगा और उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि 147 वर्ष पुराना घोड़ा 21वीं सदी में अच्छी तरह से दौड़े, इसके लिए जरूरी है कि रेलवे रिफॉर्म्स कमीशन बने। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि उस रेलवे रिफार्म्स कमीशन की क्या स्थिति है और क्या उद्देश्य हैं और क्या उसको बनाने का सरकार का इरादा है अथवा वह अभिभाषण की पंक्तियों में कहीं खो गया है? माननीया मंत्री महोदया ने 19 फरवरी को कलकत्ता में रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी के संबंध में उद्घोषणा करके रेलवे जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की बात कही, उसके लिए हम मंत्री महोदया के बहुत आभारी हैं कि स्वतंत्र रूप से टैलीकॉम रैगुलेटरी अथॉरिटी की तरह रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कार्य करेगी। ऐसा लगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और ममता जी के बजट भाषण के उत्तर में जो 'विल टु सर्व' की बात थी, वह इससे उद्घोषित होती है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहूंगी कि रेल रैगुलेटरी अथॉरिटी का न सिर्फ अच्छी तरह से गठन करें बल्कि उसके कार्य की शुरूआत भी जल्दी से करें तो बहुत सारे प्रश्न जो अछूते हैं, वह सार्थक हो जाएंगे। मैं स्टैण्डिंग कमेटी की इस बात से भी अपने आपको संबद्ध करती हूं कि रेलवे एक संस्कृति है और 150 साल से एक नयी और अलग संस्कृति और अपनी पहचान को, सर्व धर्म समभाव को एक इलाके से दूसरे इलाके में भ्रातृत्व भाव फैलाने का काम ही नहीं कर रही, बल्कि जैसे स्टैण्डिंग कमेटी ऑन रेलवे ने कहा कि:

[अनुवाद]

"रेलवे पांच छ गुणा अधिक ऊर्जा कुशल है भूमि उपयोग में चार गुणा अधिक कुशल है और पर्यावरणीय प्रभाव और सुरक्षा में काफी उत्कृष्ट है।"

[हिन्दी]

इन सब बातों के लिए जरूरी है कि जिन दो बातों की घोषणा हुई है, उस पर अच्छी तरह से अमल हो। इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का परिवर्तन भी रेलवे में आना चाहिए। अभी तक क्वांटिटेटिवली लोगों की मांगों की पूर्ति तो रेलवे करती रही लेकिन क्वालिटेटिव चेन्जेज की बहुत आवश्यकता है और वह इसलिए है कि अगर हम देखें तो पिछले एक दशक में जहां 25 प्रतिशत पैसेन्जर्स बढ़े हैं, 70 प्रतिशत माल ढोने की क्षमता बढ़ी है, वहीं पर स्टाफ केवल 10 प्रतिशत बढ़ा है और उसी के साथ साथ जो क्वालिटेटिव चेन्ज आना चाहिए, वह अब तक नहीं आया, फिर भी ममता जी की संवेदना के साथ वह आएगा, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन एक वर्ष होने को आया और उसमें अधिक परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए भी मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। वित्त मंत्रालय को चाहिए कि रेलवे मंत्रालय को अधिक से अधिक पैसा दिया जाए। स्टैण्डिंग कमेटी को मैं क्वोट करना चाहूंगी :

[अनुवाद]

"समिति चाहती है कि रेल मंत्रालय की बजट में सही तस्वीर बतानी चाहिए कि उन्हें वर्ष 2000-2001 में 323.69 करोड़ रुपये की हानि होगी और यह 1500 करोड़ रुपये पर डिविडेन्ट की अदायगी स्थगित करने के पश्चात् ही, उन्होंने 1176.31 करोड़ रुपये अधिक दर्शाएं हैं।"

[हिन्दी]

इस तरह का जो जिक्र उसमें आया और कमेटी ने यह माना कि :

[अनुवाद]

"समिति चाहती है कि रेल हेतु वित्तीय आवश्यकता और बजटीय आवंटन उसकी पूरी क्षमता, उपयोगिता और वित्तीय ढांचे हेतु उसे

[डॉ० गिरिजा व्यास]

उचित अंश के प्रादुर्भाव के सदृश होने चाहिए जो न केवल अर्थव्यवस्था के पोषक होंगे बल्कि उसको भावी विकास की ओर ले जाने वाले होंगे।

[हिन्दी]

इस दृष्टि से कुछ सुझाव अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने दिये। मैं ममता जी को दो-तीन और सुझाव देना चाहूंगी कि जहां रेलवे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का और आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, अब वहीं 21वीं सदी में इसे टूरिज्म ओरियेन्टेड बनाना होगा तथा उसमें डोमेस्टिक तथा फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए इसे दो भागों में बांटकर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेन्ज करने होंगे।

अब मैं अपने क्षेत्र की बात पर आती हूं। ममता जी संभवत: भूल गई होंगी कि जब हमारी अपनी कांग्रेस की सरकार थी और ममता जी कांग्रेस में थीं तो मैं और वह दोनों यहां पर आकर धरने पर बैठी थीं।

सभापति महोदय, उस धरने पर बैठने का परिणाम ममता जी को दो-तीन दिन भुगतना पड़ा। मैं भी अपने इलाके को नैगलैक्ट करने के कारण पहली बार धरने पर बैठी थी। आज उसी परिदृष्य को फिर याद दिलाने के लिए कुछ क्षणों के लिए मुझे यहां बोलना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, आप उस इलाके से हैं, आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली से उदयपुर तक की दूरी केवल 700 किलोमीटर है, लेकिन जो कहावत है कि नो ही, नो वरी और नो करी, वहां वह चरितार्थ होती है। इन तीनों के दिग्दर्शन हमें दिल्ली से उदयपुर जाने में हो जाते हैं। खानपान का कोई साधन व स्थान नहीं है। ममता जी कभी आप मेरे साथ चलें, तो आपको पता चलेगा कि 700 किलोमीटर की यात्रा 24 घंटे में पूरी की जाती है और उसमें भी यदि हमें लौटते समय कनैक्टेड ट्रेन नहीं मिले, तो फिर आगे के 24 घंटे हमारे कैसे गुजरते हैं, उसकी आप परिकल्पना कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त जब हम धरने पर बैठे थे, तो ब्राडगेज लाइन अजमेर से उदयपुर तक बनाना मंजूर हुआ, लेकिन उस पर केवल 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। हमारे अजमेर के माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वे भी अपने भाषण में इस बात को कहेंगे कि इतने धन से कुछ होने वाला नहीं है और इस आबंटन को बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, उदयपुर से अजमेर को चार खंडों में डाइवर्ट किया गया है—उदयपुर-मावली, मावली-चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा और भीलवाड़ा-अजमेर। मैं मंत्री महोदया से कहूंगी कि वे जिस दुख को भोग चुकी हैं उसे मुझे भी भोगने के लिए विवश न करें। वे तो मंत्री बन गई हैं, उन्होंने तो अपने दुख का निवारण कर लिया है, लेकिन आज भी हमारे इलाके की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, हमारा इलाका न केवल टूरिज्म की दृष्टि से बल्कि माइन्स और मिनरल्स की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण एवं विश्व में अपना स्थान रखता है वहां से मारबल और ग्रेनाइट न केवल देश में बल्कि विश्व में जाता है और आप स्वयं अनुमान लगा सकती हैं जब 700 किलोमीटर की यात्रा 24 घंटे में पूरी होती है, तो वहां से इन चीजों को दिल्ली और मुम्बई पहुंचने में कितना समय लग जाता होगा और कितनी परेशानी होती होगी। इसीलिए मैं उस परिदृष्य को याद दिलाने के लिए यहां पर उपस्थित हुई हूं। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगी कि आप कम से कम अपने मंत्री महोदय को सलाह दें क्योंकि वे वहां जाकर यह ऐलान कर आए कि उदयपुर ब्राडगेज लाइन बन ही नहीं सकती, ऐसी घोषणाएं न करें। इससे वहां के लोगों में गलतफहमी पैदा हो गई है और लोग रोष में हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ वहां चलें और उनके इस ऐलान को निर्मूल सिद्ध करें। संभवत: उनकी घोषणा इस अर्थ में रही होगी कि यदि 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का आबंटन होता रहा, तो उदयपुर ब्राडगेज से नहीं जुड़ पायेगा। मेरा मंत्री महोदया से निवेदन है कि वे अपने मंत्री महोदय को सलाह दें कि कोई भी घोषणा सोच समझ कर करनी चाहिए क्योंकि क्षेत्र के लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। मेरा यह निवेदन भी है कि जब भी कोई मंत्री किसी सांसद के क्षेत्र में जाएं, तो संबंधित सांसद को इत्तला देकर और स्टडी कर के जाएं कि वे किस क्षेत्र में जा रहे हैं और किस उद्देश्य से जा रहे हैं।

सभापति महोदय, जब मैं अपनी पार्टी के निर्देश के विरुद्ध यहां पर धरने पर बैठी थी, तो अब मैं अपनी बहिन, मंत्री महोदया से अपेक्षा रखती हूं कि वे कम से कम 50 करोड़ रुपए अजमेर-उदयपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण के लिए प्रति वर्ष दिया जाना सुनिश्चित करें। मेरे लिए यह चुनौती तो नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता का प्रश्न अवश्य है कि भले ही मुझे अपनी पार्टी के निर्देश के विरुद्ध धरने पर बैठना पड़े, यदि ऐसा नहीं किया गया, तो मुझे धरने पर बैठना पड़ सकता है।

सभापति महोदय, अब मैं उदयपुर से दूसरे इलाकों की तरफ जाना चाहती हूं। उदयपुर से अहमदाबाद केवल 250 किलोमीटर का रास्ता है और 12 घंटे का समय लगता है। फिर वही कहावत चरितार्थ होती है कि नो हरी, नो वरी और नो कही। कहीं बीच में चाय का भी इंतजाम नहीं है। उदयपुर से भोपाल और उदयपुर से इन्दौर जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर हमारी 30-32 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। सभापति महोदय, यह बात आपसे छिपी नहीं है, लेकिन वहां से उदयपुर के लिए कोई ट्रेन नहीं है। मऊ वाली ट्रेन चित्तौड़गढ़ आकर रुक जाती है। मऊ से चित्तौड़ आकर रुक जाती है। मेरा आग्रह है कि उसे उदयपुर तक बढ़ाया जाए। उदयपुर से आगरा के लिए डायरैक्ट कोई ट्रेन नहीं है। छ: घंटे मारवाड़ जंक्शन पर रुक कर जब पहुंचा जाता है, तो केवल 250 किलोमीटर की यात्रा में 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। इससे आप परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारा क्या हश्र होता होगा। इन सब बातों के साथ-साथ जो राजस्थान में रेलवे में अव्यवस्थाएं हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

सभापति महोदय, मेरे पास मेरे माननीय नागौर के सांसद बैठे हैं। उनकी कुछ समस्याएं हैं। नागौर जिले का गच्छीपुरा रेलवे स्टेशन पर जोधपुर-जयपुर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बनने से पहले हर मेल ट्रेन रुकती

थी, लेकिन अब नहीं रुकती हैं। मेरा निवेदन है कि जोधपुर-मरूधर एक्सप्रैस और इंटरसिटी एक्सप्रैस को गच्छीपुरा रेलवे स्टेशन पर रोका जाए। इसी तरह से जोधपुर-जयपुर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर डेगाना एक बड़ा स्टेशन है। इस लाइन का डेगाना बड़ा मुख्य स्टेशन है और यह स्थान व्यापारिक केन्द्र होने के कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्टेशन पर रेलों के ठहराव की नितान्त आवश्यकता है और विशेषरूप से हावड़ा मेल का ठहराव आवश्यक है। इसी के साथ बीकानेर और दूरदराज के जो इलाके जहां से रेल हमें नहीं मिलती है जैसे बीकानेर से चेन्नै और बीकानेर से असम, जहां ज्यादातर लोग हैं, वहां के लिए ट्रेनें दी जाए। मैं उस संवेदना और परिवेदना को याद दिलाते हुए माननीय मंत्री महोदया से अपेक्षा करूंगी कि जो मैंने बातें कही हैं, उनके ऊपर वे गंभीरता से विचार करे और जो मैंने कहा है उस पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए वैसी व्यवस्था करें।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करूंगी कि वे सब चीजों के परिप्रेक्ष्य में हमारी ब्रॉडगेज एक या डेढ़ साल में पूरी कराएं तथा अन्य जिन गाड़ियों का मैंने जिक्र किया है, उनकी शुरूआत करें और कम से कम एक संवेदना के रूप में उदयपुर-दिल्ली फास्ट ट्रेन चलाएं क्योंकि पिंक सिटी आपके डिपार्टमैंट की ब्यूरोक्रेटिक ऐप्रोच के कारण बंद हो चुकी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी काम करने और सेवा करने की इच्छा को ऐप्रीशिएट करते हुए, इसे कामयाबी के रूप में अमल में लाएं, इसकी अपेक्षा करती हूं। जय हिन्द।

सभापति महोदय : श्री नवल किशोर जी, मुझे सदन से निवेदन करना है कि काफी माननीय सदस्य इसमें भाग लेने वाले हैं। यदि समय सीमा का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हम इसे जल्दी पूरा कर पाएंगे अन्यथा देर रात तक बैठना पड़ सकता है।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।

रेलवे के विनियोग विधेयक की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं रेल मंत्री ममता जी, रेल राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह को चर्चा में बताना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है, मैं उत्तर बिहार के इलाके से आता हूं, हमारा इलाका अभी भी बाढ़ से डूबा हुआ है। लेकिन मैं रेलवे की प्रशंसा करना चाहता हूं कि आज की स्थिति में एकमात्र रेलवे ही हमारा सहारा है। मैं सीतामढ़ी से आता हूं। सीतामढ़ी-दरभंगा के बीच कोई भी आ और जा सकता है। पहले जब भयंकर बाढ़ आती थी तो एक-दो दिन रेलवे का यातायात भी रुक जाता था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि रेलवे ने उसे ठीक कराया, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। यदि बिना हवाई सर्वेक्षण के बाढ़ देखना चाहें तो आप रेल के द्वारा ही वहां जा पाएंगे। इसलिए हम रेलवे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और अनुदान मांगों का समर्थन भी करते हैं। चूंकि वक्त कम है, कई साथी बोलने वाले हैं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी की वह रिपोर्ट, जिसे माननीय गिरिजा जी ने पढ़ कर सुनाया है, उसका हवाला देते हुए हम सदन से अपील करते हैं और सदन के माध्यम से भारत सरकार, खास कर वित्त मंत्रालय से कहना चाहते हैं कि रेलवे द्वारा काफी लोक कल्याणकारी काम किया जा रहा है लेकिन बजटरी सपोर्ट नहीं के बराबर है। बजट में उसे पैसा नहीं दिया जाता। पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे की जो सेवा है, उसे हम और बढ़ाने की मांग करते रहते हैं। भारत सरकार की तरफ से कई लोक कल्याणकारी योजनाओं में राशि दी जा रही है लेकिन रेलवे के विकास के लिए पैसा नहीं दिया जाता। यह चिन्ता का विषय है। सदन में इस पर सहमति है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय को भरपूर बजटरी सपोर्ट दिया जाए ताकि जो लोक कल्याणकारी सेवा हो रही है, उसे और बढ़ाया जाए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि यह प्रश्न काल नहीं है इसलिए आप हाथ ऊंचा न करें। आपके नाम दल की तरफ से दिए गए हैं और अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने नाम दिए हैं। आसन भी उस पर विचार करेगा। कृपया बीच-बीच में हाथ उठा कर आसन की तरफ संकेत न करें। क्षमा करें, मैंने जो बात कही है, सदन उसका ध्यान रखेगा।

श्री नवल किशोर राय : मैं बजटरी सपोर्ट बढ़ाने की मांग करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय में जो ऐस्टैबलिशमैंट पर खर्च है, उसमें यथासंभव कटौती की जाए और रेलवे की आय को बढ़ाया जाए।

रेलवे की जो खाली जमीन पड़ी है, जो खेती योग्य जमीन है उसे खेती में पट्टे पर बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाए और लोगों की नॉलेज में लाया जाए जिससे ज्यादा आय हो। सभी स्टेशनों पर जो खाली जमीन है, उन जमीनों का व्यावसायिक उपयोग करके आय बढ़ाई जाएगी।

इसमें तीन तरह से आमदनी बढ़ाई जाये और जरूरत हो तो बांड जारी करके राशि बढ़ाकर दूर गांव के क्षेत्रों में जो उपेक्षित लोग हैं, उनकी पीड़ा को संवारने वाला यही मंत्रालय है। वर्षों से रेल की सेवा आफत में, विपत्ति में और प्राकृतिक आपदा में और आम दिनों में भी काफी सहयोग रहा है, यह इस विषय में मेरी राय है। अब मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान बिहार की ओर खींचना चाहता हूं। बिहार में जिन योजनाओं को लिया गया है, उन योजनाओं को पूरा कराने की मंशा रेलवे की नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपके सामने रखकर देना चाहता हूं। मैं सीतामढ़ी से आता हूं। बिहार में सीतामढ़ी जगत जननी जानकी सीता की जन्म-स्थली के रूप में प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। प्रतिदिन हजारों पर्यटक वहां आते हैं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आप सीतामढ़ी से बस से आते हैं या रेल से आते हैं?

श्री नवल किशोर राय : वही तो मैं बोल रहा हूं कि सीतामढ़ी पर्यटक स्थल है। हजारों लोग प्रतिदिन वहां आते हैं। वहां देश विदेश के लोग भी आते हैं, प्रदेश और बगल के नेपाल से सैंकड़ों बसें प्रतिदिन आती हैं। वहां कहीं से भी हम रेल से नहीं आ पाते हैं। एक रेलवे लाइन बीच में दरभंगा से नरकटियागंज के बीच में बिछी हुई है, रक्सौल से दरभंगा, उसके बीच में एक-दो गाड़ियां दिन में दो चार बार आती जाती हैं। इस प्रकार से उस पर्यटनस्थल को उपेक्षित कर दिया गया है। दरभंगा से समस्तीपुर बड़ी रेल लाइन हो गई, रकसोल से नरकटियागंज बड़ी रेल लाइन हो गई, रकसोल से मुजफ्फरपुर बड़ी रेल लाइन हो गई, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर बचवाड़ा होते हुए बड़ी रेल लाइन हो गई, बीच में एक उपेक्षित उपनिवेश के रूप में सीता की धरती, जो पर्यटकस्थल है, उसकी उपेक्षा की गई। हम लोगों ने वर्षों उसके लिए आन्दोलन किया। रघुवंश बाबू अभी खड़े होकर बोल रहे थे, वे वहां के एम.एल.ए. हुआ करते थे। इनके नेतृत्व में हमने आन्दोलन किया। हम लोग पचासों बार जेल गये, गिरफ्तारी दीं, आन्दोलन किया तो उसके बाद दो योजनाएं उस पर्यटकस्थल को आगे लाने के लिए स्वीकृत की गईं। एक योजना जयनगर दरभंगा नरकटियागंज वाया सीतामढ़ी आमान परिवर्तन की स्वीकृत की गई है। अभी गिरिजा जी बता रही थीं कि दस करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दिये जा रहे हैं, उसमे 1997 में आमान परिवर्तन की योजना स्वीकृत की गई। केवल आठ करोड़ रुपये चार वित्तीय वर्षों में अभी तक दिया गया। उसमें भी दरभंगा जयनगर एक अलग सैक्शन खोल दिया गया और उसी पर सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। बाकी में एक पैसे का खर्च नहीं हुआ, जबकि चार साल हो गये। *(व्यवधान)* दूसरी योजना नई रेलवे लाइन सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर को जोड़ देने से सीधे दिल्ली से वह पर्यटकस्थल जुड़ता है। केवल 60 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। 1997-98 के वित्तीय वर्ष में सारी प्रक्रियाएं पूरी करके बजट में इसको शामिल कर दिया गया। यह एक सौ करोड़ रुपये की योजना है। आप आश्चर्य करेंगे, हम सदन का ध्यान इस तरफ खींचना चाहते हैं कि उस पर्यटकस्थल के बारे में माननीय मंत्री जी इस विषय में 1997-98 में एक लाख रुपया, 1998-99 में फिर एक लाख रुपया, 1999-2000 में फिर एक लाख रुपया और 2000-2001 में फिर एक लाख रुपये के हिसाब से प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। अभी तक जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हुआ है। रेलवे के मजदूरों के द्वारा तीन किलोमीटर में मिट्टी का काम हुआ है। अब तक चार लाख रुपये चार वर्षों में आबंटित किये गये हैं, जबकि 100 करोड़ रुपये की योजना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने वर्षों में यह कार्य पूरा होगा। मैं चिन्ता व्यक्त करता हूं, आपका भी संरक्षण चाहता हूं, आपका भी सहयोग चाहता हूं। माननीय बहन ममता जी से चाहता हूं कि हमारी जो उपेक्षा हो रही है, सीता की धरती जो पर्यटकस्थल है, वहां सीता सर्किट डवलप करने की बात है, उसकी उपेक्षा को समाप्त करने की कृपा करें और कम से कम 50 करोड़ रुपया आबंटित करके वहां चलने की कृपा करें और उस सीता की धरती को पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने की कृपा करें।

इसी प्रकार से सीतामढ़ी के विकास के लिए सीतामढ़ी से सोनवर्षा, ठमगांव होते हुए जयनगर 115 किलोमीटर, सीमामढ़ी शिवान मोतिहारी 50 किलोमीटर और जनकपुर रोड से जयनगर मधुबनी 50 किलोमीटर के सर्वेक्षण के पैसे दिये गये थे। इनका सर्वे होकर पड़ा हुआ है। उस सब की बात तो दूर है, कम से कम दो योजनाओं को पूरा कराना है। हाजीपुर में जोन की स्थापना की गई थी, एडीशनल जोनल आफिसर की पोस्टिंग वहां हो गई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वह जोन अब नहीं चल पाएगा। इसके लिए वहां आन्दोलन चल रहा है।

मैं बिहार की योजनाओं के बारे में चिंता प्रकट कर रहा हूं। बिहार का अब पुनर्गठन हो रहा है और झारखंड बन जाने के बाद शेष बिहार में राष्ट्रीय औसत रेल का क्या होगा, यह भी देखा जाए। आपने जिन योजनाओं को हाथ में लिया है, उनको पूरा करने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की जाए, उसमें मैं आपका और पूरे सदन का सहयोग और समर्थन चाहता हूं।

सभापति महोदय : अधिकाधिक सदस्य भाग लें, यह अपेक्षा है। जिन्होंने नाम दिया है, वे सब बोल पाएं इसलिए सबसे आग्रह है कि समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मंत्री महोदया ममता जी ने जो डिमांड पेश की हैं, उनका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। जो गए 50 साल में काम नहीं हुए, वे सारे काम नौ महीने में पूरे हो जाएं, नई लाइनें बिछ जाएं या नई गाड़ियां चलने लगें, ऐसा मैं नहीं समझता। लेकिन यह बात जरूर है कि पिछले 50 साल के समय से लेकर अभी तक जो नहीं हुआ, ममता जी ने जब से इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला है, रेलवे में एक नई प्रोम्प्टनेस आई है, ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब हम पिछड़ी जाति के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण रखते हैं तो फिर पिछड़े क्षेत्रों के लिए, उनके विकास के लिए आरक्षण और ज्यादा निधि क्यों नहीं देते, वह देनी चाहिए।

मैं चिमूर लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। भंडारा, चन्द्रपुर, गोंदिया और गढ़चिरोठी, ये चार जिले मिलकर एक संसदीय क्षेत्र बनता है, इसमें 2222 गांव आते हैं और छः विधान सभा क्षेत्र हैं। लेकिन वहां ब्राडगेज और नैरोगेज बहुत थोड़ी सी जगह पर है। अभी यहां कई साथियों ने चर्चा करते हुए कहा कि उनके क्षेत्रों में ब्राडगेज थोड़ी सी बाकी है, लेकिन हमारे यहां तो ब्राडगेज है ही नहीं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चार जिले वाले एरिया में और 2222 गांवों वाले एरिया में जो मैं कहता हूं वह लाइन डाली जाए तो वहां के लोगों को काफी सुविधा होगी। हम पिछड़े क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं देते इसीलिए वहां के लोग आंदोलन छेड़ते हैं और बाद में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड जैसी बात सामने आती है। मेरे भी क्षेत्र में ऐसी ही हालत है। महाराष्ट्र का यह क्षेत्र विदर्भ का क्षेत्र है। यहां चिमूर लोक सभा क्षेत्र है, जहां सिर्फ एक नैरोगेज थोड़ी सी जगह से जाती है और ब्राडगेज भी थोड़ी सी जगह से जाती है। मेरी विनती है कि

राजनांदगांव से कुरखेठा और वहां से चंद्रपुर वाया अर्जुनीमुरूगांव और लखुंदर से पवनी भंडारा जिले तक रेल लाइन नहीं है। वह बनाई जाए भंडारा रोड से भंडारा और वहां से पवनी और चिमूर ऐसा क्षेत्र है, जहां वन्दनीय तुकोजी महाराज जी ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव डाली थी। अगर वह नींव न डाली गई होती तो न हम सांसद होते और न यह संसद भवन होता। अगस्त का महीना है इसलिए तुकोजी महाराज का एक वाक्य जो उन्होंने बोला था, उसको बताना चाहता हूं -

अब काहे को धूम मचाते हो, दुखवाकर न हो भारत सारे
आते हैं नाथ हमारे। झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे
भक्त बनेगी सेना, पत्थर सारे बाण बनेंगे
तब नाव लगेगी किनारे।

जब यह भजन चिमूर में गूंजा तब स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी और 16 अगस्त, 1942 का आंदोलन छिड़ा और बालाजी रायपुरकर जैसे युवक शहीद हुए तब 15 अगस्त का दिन आया। इतने महत्व का चिमूर होते हुए भी स्वतंत्रता संग्राम की नींव डालने वाले चिमूर से कोई लाइन नहीं गुजरती। इसलिए मेरा आग्रह है कि उमरेड से चिमूर से चंद्रपुर का तुरंत सर्वे कराया जाए और जो वहां समस्या है, उसको मिटाया जाए।

इसमें कुल साठ कोटि इकतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ 33 रुपये की मांगें दी गई है। 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रेलों पर केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए निधि भार विनियोग और लोक सभा द्वारा किये गये अनुदानों से अधिक किये गये व्यय को चुकाने के लिए आवश्यक है। इसलिए मेरा यह कहना है कि जब मांगों में नहीं भी है तो भी उन मांगों पर विचार किया जाये और उमरेठ-चिमूर तथा चिमूर से चन्द्रपुर इसका तुरंत सर्वे कराकर जिस शहर, जिस गांव ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव डाली, उसे रेलवे लाइन से जोड़ा जाये, ऐसा मेरा सुझाव है।

मेरा दूसरा सुझाव है कि जो रेलवे स्टेशन के पास खाली जगह पड़ी है, उसे अगर लीज पर दिया गया तो उत्पादन बढ़ सकता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में बरसाकर गांव है। उसके पास कई जगह ऐसी पड़ी है कि पटरी वाले और दुकानदार मांग रहे हैं। अगर सर्वे कराकर पट्टे के तौर पर लीज पर वे दे दी जायें तो उनका उत्पादन बढ़ सकता है और सुविधा हो सकती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गोनमुरी एक बड़ा रेलवे स्टेशन था, उसे हटा दिया गया और वहां एजेंट टिकट देता है मुझे समझ में नहीं आता कि वहां लोक संख्या बढ़ी है और वहां तेंदुपत्ता, चटाई, लकड़ी और सारा व्यवहार होकर भी वहां का व्यवहार बढ़ने के बाद भी गोंडउमरी जैसे रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया और एजेंट के जरिये टिकट दी जाती है। उसी तरह नागबीड से नागपुर नैरोगेज है, उसे ब्रॉडगेज किया जाये। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

सायं 7.27 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

1. (i) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 21 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 अगस्त, 2000 को पारित किए गए राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(ii) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम के III उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 22 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(iii) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 22 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित माल बहुविध परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 22 अगस्त, 2000 को यथापारित कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2000 और माल बहुविध परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2000 सभा पटल पर रखता हूं।

सायं 7.28 बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे—(रेल), 1997-98
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगे—(रेल), 2000-2001—*जारी*

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : सभापति महोदय, अनुदान की पूरक मांगों पर बोलने का आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। शुरू से कटिहार-जोगबनी हिन्दुस्तान नेपाल सीमा

[श्री सुकदेव पासवान]

पर अवस्थित मात्र 104 कि०मी०, जो अभी मीटर गेज है, उसे ब्रॉडगेज में बदलने के लिए मैं शुरू से ही, नौवीं लोक सभा से आज तक मैं प्रयास करता रहा हूं लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। माननीय रेल मंत्री जी यहां हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी की सी०सी०ए० कमेटी में कटिहार-जोगबनी ब्रॉडगेज लम्बित है, हम आशा करते हैं और आग्रह करते हैं कि यह लोक सभा सत्र के बाद प्रधान मंत्री सी०सी०ए० कमेटी के पास जो कटिहार-जोगबनी ब्रॉडगेज है, उसे स्वीकृत करवाकर अविलम्ब शिलान्यास करें। जिस वक्त चन्द्रशेखर जी भारत के प्रधान मंत्री जी थे, उस समय नेपाल के प्रधान मंत्री ने कई बार आग्रह किया कि कम से कम कटिहार-जोगबनी ब्रॉडगेज जो अति महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, उसको अगर परिवर्तित कर दिया गया तो सही मायने में एक बड़ी उपलब्धि उस सीमावर्ती इलाके के लिए होगी। फारबिसगंज-नरपतगंज ग्राम-सुपौल और सहरसा-मानसी तक तत्कालीन रेल मंत्री उसे मीटर गेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तन किया गया है और काम हो रहा है लेकिन मानसी से सहरसा बहुत ही धीमी गति से काम हो रहा है।

पिछले तीन साल में जिस गति से काम चल रहा है, उससे लगता है कि कम से कम 10-15 साल लगेंगे। उसके बावजूद भी सहरसा का काम पूरा नहीं होगा। दूसरे फेज में सहरसा से फारबिसगंज, नरपतगंज, ललितग्राम को लेना था। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस ओर ध्यान दें। काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, रानीगंज, अररिया - नई रेल लाइन का सर्वे का काम चल रहा है। तीसरे फेज में मधेपुरा से शंकरपुर, त्रिवेणीगंज, कोरियापट्टी, छातापुर, नरपतगंज जोगबनी लाइन के सर्वे का काम चल रहा है। पता नहीं, यह सर्वे का काम कब पूरा हो पाया है या नहीं। इस ओर मंत्री जी ध्यान दें। पांचवें फेस में, अररिया, सिमराहा डोरिया, पुरनदाहा, खवास्पुर, कुशीकारा, बहादुरगंज, ठाकुरगंज होते हुए न्युजलपाईगुड़ी तक रेल लाइन के लिए जब देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे, उस समय यह काम दूर तक निकल चुका था। सर्वे का काम हो चुका है, लेकिन इस विषय में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि मंत्री जी इन लाइनों के विकास की ओर ध्यान दें।

महोदय, अभी की स्थिति के अनुसार ट्रेन में सफर करना यात्री बहुत ही मुश्किल समझते हैं। दुर्घटनायें होती हैं, इन दुर्घटनाओं को न होने देने के लिए रेल विभाग को कोई ठोस उपाय निकालना होगा, ताकि दुर्घटनायें न हों। इसी के साथ ट्रेन में खाने-पीने की व्यवस्था भी 10-15 सालों से एक ही ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से की जा रही हैं। खाने में भी कोई सुधार नहीं हो रहा है और कोई विशेष ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि इस दिशा में सुधार होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से मजदूरी करने के लिए लोग दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता आदि शहरों में जाते हैं। टीटी तथा रेल कर्मचारियों द्वारा इन लोगों का शोषण किया जाता है। वैसे तो इनको ट्रेन में जाने के लिए टिकट नहीं मिलता है और अगर टिकट मिलता भी है, तो गांव का आदमी समझ कर उनका शोषण किया जाता है, उनसे टिकट छीन लिया जाता है। टिकट लेने के बाद कहा जाता है कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है। टिकट नहीं लोगे, तो ट्रेन से उतार दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर आदमी है, मुंह में बोल नहीं है, इस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को इस बारे में जानकारी होगी। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस समस्या को देखें, ताकि इन गरीब मजदूर लोगों का शोषण न हो। इसके साथ ही प्रत्येक एक्सप्रेस ट्रेन में एक बोगी रहती है और इस बोगी में उनको सामान की तरह से भर दिया जाता है। इसलिए इस ट्रेन में दो-तीन बोगी निश्चित रूप से बढ़ाई जाए, ताकि इन मजदूर लोगों को सुविधा हो सके। इसके साथ ही उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद) : महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। समय के अभाव के कारण मैं कुछ ही महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बिहार की पटना और गया लाइन बहुत दिनों से दोहरीकरण के लिए लम्बित है। जिस मंद गति से उस पर कार्य हो रहा है, उससे हमें लगता है कि लम्बे दिनों तक भी यह योजना पूरी नहीं हो पाएगी।

आप जानते हैं कि बौद्ध-गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और माननीय सुमन जी ने भी कहा कि राजगीर, बौद्ध, गया, सारनाथ, वैशाली आदि स्थानों को इंटरनेट से व्यवस्थित किया जाए तो उसमें रेलवे का बहुत बड़ा योगदान होगा। इस देश में रेल ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा सैक्टर है। इस संदर्भ में भी हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। हाजीपुर में जोनल आफिस का शिलान्यास हुआ, उसमें कुछ पैसा भी लगा, लेकिन अभी तक उसका कोई स्वरूप नहीं आ रहा है, जो बहुत आवश्यक है। गंगा पर पटना के सामने रेलवे पुल की बहुत आवश्यकता है, जो उत्तर-बिहार को मध्य बिहार से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण रेलपथ होगा।

मंत्री जी के निर्देशन में जो बजट पेश हुआ था, उससे ये आम यात्रियों को काफी सुविधा मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर से एक बेहतर व्यवस्था की जाएगी और सेफ्टी प्वाइंट को और इम्प्रूव कराया जाएगा। हम कुछ अन्य बिन्दुओं की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहते हैं, जिन्हें बहुत आवश्यक रूप से लागू करना चाहिए। जैसे सुरक्षा की दृष्टि से इनके यहां आरपीएफ और राज्य पुलिस की जीआरपी हुआ करती है, खास कर बिहार में जो जीआरपी की स्थिति है, वह पैसेंजर्स के टारगेट्स का सबसे बड़ा कारण है। बक्सर और

पुनपुन में एक बोनाफाइड पैसेंजर की हत्या हुई। अभी मधुपुर में आरपीएफ और जीआरपी के बीच में गोली चली और हत्या हुई। इसी तरह यात्रियों के लूटने का यह एक बहुत बड़ा सैक्टर है। इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, यह मेरी राय है।

महोदय, एक बड़ी कंट्राडिक्टरी स्थिति बनी हुई है कि पब्लिक सैक्टर को खत्म किया जा रहा है, डिसइनवेस्टमेंट हो रहा है, रेलवे में पब्लिक सैक्टर को बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ आईटीडीसी जैसे आर्गनाइज्ड सैक्टर को डिसइनवेस्टमेंट में डाला जा रहा है और दूसरी तरफ रेलवे केटरिंग और टेलीकॉम कार्पोरेशन का निर्माण हो रहा है। मैं नहीं कहता कि इसका निर्माण न हो, लेकिन उस पर पैनी दृष्टि रखनी होगी, अन्यथा कंटेनर कार्पोरेशन, जो पब्लिक सैक्टर है, जिसके बारे में हमने कई पत्र भी मंत्री जी को लिखे उनके पदाधिकारियों की ऐसी साजिश होती है कि फैक्ट्स दबा दिए जाते हैं।

जैसे कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया में ग्राउंड ड्यूटी को माफ करने का जो नैक्सस बना है, वह रेवेन्यू को लूट रहा है। 1998-99 की कंटेनर कारपोरेशन की स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट में लिखा है:

[अनुवाद]

> "भिन्न-भिन्न कम्पनियों के टर्मिनल सेवा प्रभार माफ कर दिए गए हैं लेकिन उन्हें लाभ-हानि लेखाओं में नहीं बताया गया है जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची छः, भाग-2 कि आवश्यकता के अनुरूप है। उपलब्ध जानकारी के अभाव में हम माफ की गई राशि बताने में असमर्थ हैं।"

[हिन्दी]

दूसरी तरफ पदाधिकारियों द्वारा जो लिस्ट एक प्रश्न के जवाब में हाउस में पेश की गई, उसके अनुसार ढाई वर्ष में 26 करोड़ रुपए वेव किए गए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने सभी माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि समय सीमा का ध्यान रखा जाए।

श्री अरुण कुमार : यह बड़ा सीरियस मैटर है। इस नैक्सस का मंत्री महोदय पता लगाएं कि ऐसी कौन सी टीम है? कंटेनर कारपोरेशन का एक कार्यालय आई०टी०डी०सी० के होटल में चल रहा है। प्रक्रिया पूरी किए बिना मैरिडियन जो फाइव स्टार होटल है, वहां 20 लाख रुपए मासिक में जगह ली गई जबकि कैबिनेट का यह डिसिजन है कि कारपोरेशन के कार्यालय दिल्ली से बाहर होंगे। बड़ी राशि लगा कर इसके लिए जमीन भी खरीदी गई।

सभापति महोदय : यह मामला ऐक्सस ग्रान्ट और सप्लीमैंट्री डिमांड की किस ग्रान्ट से संबंधित है?

श्री अरुण कुमार : कई माननीय सदस्यों ने ऐसे सवालों को यहां उठाने का काम किया।

सभापति महोदय : ऐसे कई सवाल उठाए जा सकते हैं लेकिन उनको डिमांड में लेना चाहिए।

श्री अरुण कुमार : यहां कई ऐसे सवाल उठाए गए जो किसी डिमांड में नहीं आते।

सभापति महोदय : यह काम देखना एथॉरिटी का काम है। आप जल्दी पूरी कीजिए।

श्री अरुण कुमार : मुझे और नहीं बोलना है।

[अनुवाद]

प्रो० ठम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, कृपया उन्हें समाप्त होने दीजिए *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने उनसे कहा कि जल्दी पूरा कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलना चाहता। इसमें मैं क्या कर सकता हूं?

श्री अरुण कुमार : मैं सप्लीमैंट्री डिमांड्स के समर्थन में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) : सभापति महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे रेलवे की सप्लीमैंट्री डिमांड्स पर बोलने का मौका दिया। झुंझुनूं, सीकर जो छोटी लाइन है, उसे बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। 1997 के बजट भाषण में उस समय के रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान ने यह कहा था कि सर्वे का कार्य हो रहा है। वह कार्य पूरा होते ही रिवाड़ी, फुलेरा, लोहारू छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी से निवेदन किया गया। उन्होंने 18.2.99 को अपने पत्र में लिखा :

> "मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि रिवाड़ी, लोहारू, सादुलपुर के आमान कार्य को 1997-98 के बजट में शामिल कर लिया गया है।
>
> अपेक्षित क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद इस कार्य को शुरू किया जायेगा। इस संबंध में कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है। जयपुर-रींगस-सीकर-नवलगढ़-झुंझुनूं-चिरावां-फूलधर-लोहारू के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।"

सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूर्व के जिन दो रेलमंत्रियों ने अपने बजट भाषण के आदेश थे, वे

[श्री शीशराम ओला]

पढ़कर सुना दिये हैं। झुंझुनूं-सीकर ऐसी जगह स्थित है जो राजस्थान के दो जिला मुख्यालय हैं जहां से एक तरफ दिल्ली ब्रॉडगेज और दूसरी तरफ जयपुर ब्राडगेज है और इन दोनों ब्राडगेज के बीच में ये दोनों स्थित हैं। इसी प्रकार हरियाणा में रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और भिवानी जिले हैं जहां इस लाइन के जाने से लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, झुंझुनूं, सीकर और चुरू तीनों पिछड़े जिले हैं। झुंझुनूं, दिल्ली से करीब 110 मील दूर पड़ता है। यहां के व्यापारी लोग दिल्ली ब्याह-शादी के लिये सामान खरीदने जाते हैं। इन लोगों को बड़ी लाइन से छोटी लाइन पर जाना पड़ता है। इन रेलों में जाने के लिये उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है जिसे वे वहन करने में असमर्थ हैं। झुंझुनूं जिला देश का सबसे बड़ा जिला है जो देश की सुरक्षा हेतु जवान देता है जो सीमा पर तैनात होते हैं। इसी प्रकार से देश-विदेश में झुंझुनूं के व्यापारी और उद्योगपति कार्यरत हैं। असम, बंगाल, और विशेषकर कलकत्ता और गुवाहटी के लोग झुंझुनूं और सीकर में रहते हैं। यहां तक कि 2-3 लाख लोग झुंझुनूं जिले में आये हुये हैं। वे लोग आते-जाते रहते हैं। उन लोगों को बड़ी लाइन से होकर छोटी लाइन से आना पड़ता है। इस हेतु इन लोगों को सराय रोहिल्ला से आने के लिये 100-150 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार फौजी लोग छुट्टियों में अपने गांव आते हैं। उन्हें भी आने में काफी कठिनाई होती है। यहां के लोग खाड़ी के देशों में भी कार्यरत हैं। इनमें कारपेंटर, मजदूर, इंजीनियर, डाक्टर आदि लोग हैं। ये लोग भारी मात्रा में देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। इसके अलावा खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे जिले को बड़ी लाइन से न जोड़ना न्यायसंगत बात नहीं होगी।

मैं माननीय रेलमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है जिसे दो साल हो गये हैं आपसे पूर्व के रेलमंत्रियों ने लिखकर दिया हुआ है और उस समय के बजट भाषण में इसकी घोषणा भी हो चुकी है। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि आने वाले रेल बजट में इस कार्य को हाथ में लेकर शुरू कराने की कृपा करें ताकि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा सके।

रेवाड़ी, लोहारू, सीकर, झुंझुनूं, रींगस और जयपुर को जोड़ा जा सके। जिससे इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो और आपके वोटर भी आपको राजी होकर आगे वोट देते रहें। यह निवेदन करते हुए अंत में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। फुलेरा, रींगस, नारनौल, रेवाड़ी छोटी लाइने हैं। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त से फुलेरा, बांदीकुई, रेवाड़ी, माउंट आबू और अजमेर ये पांच छोटी रेलवे लाइन के बड़े हैडक्वार्टर होते थे। यदि आप उन्हें बड़ी लाइन में परिवर्तित कर सकें तो वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। आज छोटी लाइनों की कोई अहमियत नहीं है, सब जगह बड़ी लाइने हो गई हैं और बीच में छोटा सा क्षेत्र छोटी लाइन का बचा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस कार्य को आने वाले बजट में अपने हाथ में लेकर शुरू कराने की कृपा करें। हम सभी और पूरे क्षेत्र के लोग आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सर, आज सदन की कार्रवाई देर तक चलेगी। इसलिए सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोजन की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सदस्यों के अलावा बाकी सबके लिए भी उपलब्ध रहेगी। सवा आठ बजे से यह व्यवस्था की गई है।

श्रीमती जसकौर मीणा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं रेलवे की प्रस्तावित मांगों को स्वीकृत करने का पुरजोर समर्थन करती हूं और साथ ही रेल मंत्री जी, उनके सहयोगियों और रेलवे बोर्ड के सभी सहयोगियों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने राजस्थान में अकाल के समय में रेलवे के माध्यम से चारा-पानी पहुंचा कर जो सुविधा विस्तार की, उसके लिए सम्पूर्ण मंत्रालय बधाई का पात्र है। जब से ममता जी और उनके दोनों मंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, रेलवे में दुर्घटनाएं भी अपेक्षाकृत कम हुई हैं। ऐसी स्थिति में दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए उन्हें बधाई देते हुए रेलवे की प्रस्तावित मांगों की स्वीकृति के लिए मैं पुरजोर समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय, अब मैं राजस्थान क्षेत्र की कुछ समस्याओं के संदर्भ में, जो रेलवे से जुड़ी हुई हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का प्रथम दर्जे का राज्य है। लेकिन रेलवे की सुविधाओं में यह बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने, जो राजस्थान के निवासी हैं, उन्होंने अपनी बातें यहां रखी हैं। मैं भी उनकी मांगों के साथ अपनी मांगों को सम्बद्ध करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि जयपुर में जी०एम० ऑफिस खोलने की आपने जो घोषणा की थी, अभी तक उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ है और जो उसमें बजट दिया गया है वह भी अनावश्यक ही महसूस होता है। राजस्थान में बहुत सी मीटर गेज लाइने हैं, जिनकी वजह से हम ब्रोड गेज की लाइनों से नहीं जुड़े हुए हैं। उसकी ओर आपका ध्यान मेरे कुछ सदस्य साथियों ने दिलाया है। मैं माननीय सभापति जी के माध्यम से कहना चाहती हूं कि रेवाड़ी से रींगस, बांदीकुई से आगरा फोर्ट, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और अजमेर से पुष्कर लाइन की स्वीकृति हुई है। मैं इन सभी लाइनों को ब्रोड गेज में परिवर्तन करने की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

सभापति महोदय, रेलवे की प्रस्तावित मांगों को सदन निश्चित रूप से मंजूर करेगा, लेकिन इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि रेलवे अपने परिसम्पत्तियों का समुचित उपयोग करे। जहां-जहां भी रेलवे की परिसम्पत्तियां पड़ी हुई हैं और जिनका दुरुपयोग हो रहा है, यदि उनका

सही ढंग से उपयोग किया जाए, वाणिज्यिक उपयोग किया जाए तो निसंदेह रेलवे को कण-कण से मनों राशि मिल सकती है। और उस राशि से आज जो इन मांगों के दौरान आपने परिचालन या यातायात पर लगभग 1480 प्रतिशत राशि अधिक खर्च करने की बात कही है, रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा अनुसरण में भी लगभग 86 प्रतिशत राशि बजट मांगों से या प्रस्तावित बजट से अधिक खर्च करने की बात कही है, और उन्हें यहां मंजूरी के लिए पेश किया है, मेरा निवेदन है कि अपनी परिसंपत्तियों से भी रेलवे धनोपार्जन कर सकता है, वाणिज्यिक उपयोग करके रेलवे को धन की प्राप्ति कराई जा सकती है। इस तरह की परिसंपत्तियां मेरे संसदीय क्षेत्र गंगापुर में अरबों की पड़ी हुई है। गंगापुर में पहले लोकोशेड था जिसे परिवर्तित करके तुगलकाबाद इलेक्ट्रिक लोको शेड बनाया है। उसके यहां बनाने की वजह से उस स्थान की अरबों रुपये की संपत्ति वहां बेकार हो गई है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को सुझाव है कि उस संपत्ति का सही उपयोग करने के लिए आपको कम से कम पश्चिमी रेलवे की संपूर्ण गाड़ियों की देखभाल, सुरक्षा और व्यवस्था तथा मरम्मत का कार्य वहां कराया जाना चाहिए क्योंकि तुगलकाबाद में उत्तर की रेलगाड़ियां सारी आती हैं और वर्तमान में उत्तर और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों की रेलगाड़ियां यहीं आकर मरम्मत के लिए खड़ी होती हैं। यदि इनमें से कुछ गाड़ियों की मरम्मत का कार्य हमारे यहां कर दिया जाए तो निस्संदेह वहां की परिसंपत्तियों का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी अरबों रुपये की संपत्ति का जो अतिक्रमण और दुरुपयोग हो रहा है, वह भी रुकेगा।

एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कुछ गाड़ियां 24 घंटों में मात्र चार घंटे का सफर ही तय करती हैं और उसमें भी 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करती। जैसे जयपुर से सवाई माधोपुर की दूरी तक एक गाड़ी आती है जो वहीं दिन भर खड़ी रहती है और शाम को वही गाड़ी जयपुर तक की दूरी तय करती है। यदि इस गाड़ी का विस्तार बयाना तक कर दिया जाए और मेरे संसदीय क्षेत्र होते हुए गंगापुर, इंडौन और बयाना तक आए वहां इसकी मरम्मत का कार्य भी आसानी से कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह गाड़ी वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध होगी और अभी तक 24 घंटे में मात्र जयपुर से सवाई माधोपुर की दूरी तय करके जितना धन देती है, उसका दोगुना-तिगुना धनोपार्जन इस गाड़ी से हो सकता है। हो सकता है कि इस तरह की रेलगाड़ियां हिन्दुस्तान में कहीं और जगह भी खड़ी रहती हों। इसके बारे में सर्वे करके हम वाणिज्यिक दृष्टि से रेलवे में और अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि राजस्थान वैसे ही रंगीला प्रदेश है और इस प्रदेश की कला और संस्कृति से प्रभावित होकर देश विदेश के पर्यटक रेगिस्तान के धोरों में, सवाई माधोपुर के जंगलों में और करोली की डांग में आते हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं कि यदि इन कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों को आदर्श स्टेशन मानकर उन जगहों पर यात्री सुविधाओं का विस्तान कर दिया जाए तो निस्संदेह रेलवे को धन प्राप्त होगा और रेलवे की शान भी बढ़ेगी।

एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगी कि भारत गरीबों का देश है। भारत की 70 प्रतिशत जनता अभी भी गावों में है और इन सुविधाओं से दूर है। इस 70 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत वे लोग हैं जो आपके इन महानगरों में आकर मजदूरी करते हैं चाहे वह मैसन का काम करते हैं चाहे चिनाई का काम करते हैं चाहे किसी तरह की मजदूरी संबंधी काम करते हैं, सफेदपोश लोगों की गंदगी उठाने का काम करते हैं। उन लोगों के लिए गाड़ियों में सामान्य श्रेणी के डिब्बे भी बढ़ाए जाएं। कुछ गाड़ियों में इस तरह की सुविधा दी जाए कि उन डिब्बों में मूलभूत सुविधाएं यात्रियों के लिए तो हों ताकि वे 40 प्रतिशत लोग, जो उच्च आय वर्ग के लोगों का मैला ढोते हैं, उन लोगों को भी रेलवे की सुविधा मिल सके। मेरा एक और सुझाव है। लंबी दूरी की गाड़ियों में चाहे वह दिल्ली से कलकत्ता जाती हों, दिल्ली से मुम्बई जाती हों, दिल्ली से जम्मू जाती हों, इन गाड़ियों के अंदर सामान्य श्रेणी के डिब्बे बढ़ाए जाएं ताकि गरीब लोग ज्यादा से ज्यादा रेल सुविधा ले सकें और बदले में आपको वाणिज्यिक सुविधा दे सकें।

मैं चाहूंगी कि यदि रेलवे के निजी संसाधन जो आज जगह-जगह पड़े हुए हैं, यदि एक कील रेलवे की उठाई जाती है तो असंख्य कीलें उठाई जा सकती हैं जो ट्रैक के आजू-बाजू होती हैं। ट्रैक के आजू-बाजू भी जो क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है, यदि उसमें वृक्षारोपण हो जाए तो अरबों रुपये की स्थाई संपत्ति रेलवे को मिल सकती है और उसके माध्यम से घास-फूस तिनका बेचकर भी रेलवे कमाई कर सकती है।

रात्रि 8.00 बजे

सभापति महोदय, ये मेरे छोटे-छोटे सुझाव हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। रेल मंत्री महोदय, जमीन से जुड़ी हुई हैं इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरी इन बातें पर गौर करेंगी और रेलों की सुविधाओं को बढ़ाएगी। मैं रेल मंत्रालय की अनुपूरक अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

[अनुवाद]

श्री के० मलयसामी (रामनाथपुरम) : माननीय सभापति महोदय एक बृहत संगठन - रेल, जिसका नेटवर्क पूरे विश्व में सबसे बड़ा है जिसका कार्यकाल लगभग 150 वर्ष है, पर बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भारतीय रेल प्रणाली अपनी परम्परा, कार्यकाल और सेवाओं से वर्षों से बरकरार है और सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। यही नहीं, यह नोट करना प्रासंगिक है कि यह परिवहन के अन्य साधनों जैसे सड़क, जल तथा वायु परिवहन से कई गुणा बेहतर है। मैं थोड़ा और विस्तार पूर्वक कह सकता हूं कि मुझे यह पता चला है कि लम्बी दूरी की यात्रा और भारी मात्रा में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में यह परिवहन का आदर्श माध्यम है। दूसरी बात यह है कि मुझे यह बताया गया है कि इसमें परिवहन के अन्य साधनों

[श्री के० मलयसामी]

की तुलना में चार-पांच गुना ऊर्जा की बचत होती है। यही नहीं, जहां तक भूमि के उपयोग का संबंध है यह अधिक सक्षम है और इसमें भीड़भाड़ अपेक्षाकृत कम होती है। इन सब लाभों और विशेषताओं के होते हुए भी प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या वे लोगों की मांग और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। मेरा उत्तर है "नहीं"।

रात्रि 8.02 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए]

वास्तव में, हम यह देख रहे हैं कि जो बुराइयां अन्य संगठनों में थीं, वह रेल प्रणाली में भी आ गई हैं। यह प्रणाली अब अकुशल हो गई है और अब इसमें भ्रष्टाचार तथा अनेक अन्य कमियां प्रवेश कर गई हैं।

इन परिस्थितियों में जब कुमारी ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला तब हम सब को यह सोचकर काफी खुशी हुई थी कि कुछ ठोस कार्य करने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव हुआ है और वह प्रबंधन में कार्यकुशलता, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा कर्मचारियों और अधिकारियों के विचारों में परिवर्तन को सुनिश्चित करेंगी।

जब उन्होंने संसद में यह कहा था कि "मैं सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं" हम यह सुनकर प्रसन्न हुए थे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह वचनबद्धता कुछ समय के लिए थी क्योंकि क्या उनमें उस इच्छा को पूरा करने की योग्यता है, यह प्रमुख प्रश्न है जो कि हमें पूछना है।

इन अनुपूरक बजट अनुदानों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने वर्ष 1997-98 के लिए 160.33 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय तथा वर्ष 2000-2001 के लिए नयी सेवाओं हेतु 2,566.66 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय की मांग की है। मुझे यह देख कर आश्चर्य है कि हमारे राज्य तमिलनाडु के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री के० मलयसामी : मैंने अपना भाषण अभी आरम्भ किया है।

श्री पी०एच० पाण्डियन (तिरूनेलवेली) : वह हमारे दल से बोलने वाले अकेले सदस्य हैं।

श्री के० मलयसामी : ए०डी०एम०के० दल की ओर से केवल मैं ही बोलूंगा।

सभापति महोदय : केवल दो अथवा तीन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

श्री के० मलयसामी : अत:, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इसमें तमिलनाडु के लिए कुछ भी आबंटित नहीं किया गया है। सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि वह क्षेत्रों के बीच असंतुलन को सही कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि देश के विभिन्न भागों में 90 प्रतिशत रेल लाइनें बड़ी लाइन में परिवर्तित हो चुकी हैं जबकि तमिलनाडु में 50 प्रतिशत छोटी लाइनों को भी बड़ी लाइनों में परिवर्तित नहीं किया गया है। इसका क्या अर्थ है? क्षेत्रीय असंतुलन को कहां सही किया गया है?

माननीय रेल मंत्री यह उदाहरण सुन सकती हैं। मान लीजिए एक परिवार में एक मां के तीन या चार बच्चे हैं। जब एक बच्चा कमजोर दिखाई देता है, तो वह इस स्थिति में उस बच्चे को अतिरिक्त पौष्टिक आहार देती है और उसका अतिरिक्त ध्यान रखती है। सामान्यत: जब एक राज्य में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य कम हुआ है और 40 से 50 प्रतिशत लाइने अभी परिवर्तित होना शेष हैं, तो क्या असंतुलन को दूर नहीं किया जा सकता है? इस स्थिति में, मैं तमिलनाडु में रेल लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के मुद्दे को उठाता हूं। तमिलनाडु में, विशेष रूप से दक्षिणी रेलवे के अन्तर्गत उन्होंने तीन योजनाओं को मंजूरी दी है, मदुरै से रामेश्वरम् वाया मानामदुरै, इसके लिए 230 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। दूसरी योजना है त्रिची से मानामदुरै और विरुदूनगर से क्विलॉन वाया तेनकासी। हमें यही तीन परियोजनाएं इन तीन वर्षों में आबंटित की गई हैं।

महोदय, मैं आपको बता दूं कि भारत में संपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 8,969 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि दस वर्षों की अवधि के भीतर परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 900 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यह मानदंड है और वह यह मानक बना रहे हैं। भारत में छोटी रेल लाइनों का बड़ी लाइन में बदलने का संपूर्ण कार्य दस वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। इस स्थिति में, यदि मदुरै और रामेश्वरम् परियोजना को दस वर्ष में पूरा करने के लिए 230 करोड़ रु० की आवश्यकता है तो हमें प्रति वर्ष 23 करोड़ रु० अलग से रखने होंगे। इसका अर्थ है, दो वर्षों में 46 करोड़ रुपये आबंटित किए जाने चाहियें, लेकिन केवल 10 करोड़ रुपये ही आबंटित किए गये हैं। कहां 46 करोड़ रुपये और कहां 10 करोड़ रुपये?

त्रिची से मानामदुरै परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। अत: प्रतिवर्ष 15 करोड़ रु० के स्थान पर केवल 7 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। विरुदुनगर से क्विलॉन वाया तेनकासी परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपये के आबंटन में से प्रति वर्ष 35 करोड़ रुपये आबंटित किए जाने चाहिये थे और दो वर्षों में 70 करोड़ रुपये आबंटित किए जाने चाहिए थे। अब, इन वर्षों में केवल 15 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। अत: आंकड़ों की तुलना कीजिए: 70 करोड़ रुपए की तुलना में 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 46 करोड़ रुपये की तुलना में केवल 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस तरह से असंतुलन किया गया है।

महोदय, मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मदुरै महत्वपूर्ण क्यों है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रामेश्वरम् क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति तीर्थ यात्रा करना चाहता है और रामेश्वरम् दक्षिण का वाराणसी कहा जाता है। लोग काशी से कन्याकुमारी और कुर्जाराम से कोहिमा तक की यात्रा करते हैं। भारत में अधिकतर लोग रामेश्वरम् की यात्रा करना चाहते हैं। मुदरै एक वाणिज्यिक शहर है और तमिलनाडु का दूसरा बड़ा शहर है। इन सभी नगरों को जोड़ा जाना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदया यह कह सकती हैं कि उनके पास वित्त की कमी है। निसन्देह वित्त की आवश्यक्ता है। यह सरकार के लिए जीवनदायक खून की तरह है। यह सरकार रूपी इंजन के लिए ईंधन के समान है। हमें धन की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले जब माननीय वित्त मंत्री उत्तर देते हुए एक वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने कहो था कि अर्थव्यवस्था पुनरुजीवित हो रही है। हम संकट से उबर रहे हैं और फसल भी अच्छी हो रही है। उद्योगों में सुधार हो रहा है, निर्यात अच्छा हो रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति अच्छी है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा था। ऐसी स्थिति में, देश की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है। यदि यह स्थिति है, तो रेल मंत्री ने अधिक आबंटन के लिए क्यों नहीं कहा? उन्होंने अधिक वित्तीय सहायता की मांग क्यों नहीं की? केवल यही नहीं, उन्हें आन्तरिक संसाधनों का सृजन भी करना चाहिए, वित्तीय संसाधनों का पता लगाना उन पर निर्भर करता है। रेलवे के एक योग्य मंत्री के रूप में उन्हें वित्तीय संसाधनों का पता लगाना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिये कि परियोजना पूरी हुई है अथवा नहीं।

अत: ऐसी स्थिति में, मैं ममता बनर्जी महोदया से यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि सर्वप्रथम जहां तक कि रेल लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का संबंध है, तमिलनाडु को एक पृथक पहचान मिलनी चाहिए। अधिक वित्तीय आबंटन और अधिक परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए यदि शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करना अथवा चिल्लाकर मांग करने और प्रदर्शन करने की आवश्यकता है तो तमिलनाडु राज्य के संसद सदस्यों को अपना काम निकलवाने के लिए दलगत नीति से परे एक साथ मिलकर अपनी ताकत दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। अत: इस बात की जांच करिए कि तमिलनाडु में क्षेत्रीय असंतुलन इतना अधिक कैसे है।

जहां तक कि वित्त सृजन का संबंध है, मैं ऐसे अनेक क्षेत्रों को गिना सकता हूं। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां से वित्त सृजन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप प्रमुख क्षेत्रों तक सीमित रह सकते हैं, जैसे यात्रियों की आवाजाही तथा भारी मात्रा में सामानों की आवाजाही। आप इन क्षेत्रों तक सीमित रहिए, खान-पान के प्रबंध इत्यादि को छोड़िए और अन्य सभी गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़ दीजिए।

एक अन्य बात है कि लोग रेल परिवहन से सड़क परिवहन की ओर जा रहे हैं। आपको इस बात की जांच करनी है कि ऐसा क्यों है। वह प्रोत्साहन क्यों नहीं देते हैं? वह जोरदार प्रचार करने के बारे में क्यों नहीं सोचते?

आपके पास रेलवे की काफी भूमि उपलब्ध है। आप धन सृजित करने के लिए इस भूमि का बेहतर उपयोग करने के बारे में सोच सकते है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब खत्म करिये, अब कोई पाइंट नहीं है। रामेश्वरम् मदुरै सब डिस्कस हो गया है।

[अनुवाद]

आप अपने सुझाव लिखित रूप में दे सकते हैं।

श्री के० मलयसामी : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब खत्म कीजिए, अपने सारे सुझाव लिखित में दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पाण्डियन : महोदय, उन्हें एक मिनट का समय दीजिए। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हो गया, अब समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री के० मलयसामी : महोदय, मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करिए।

[हिन्दी]

क्षेत्र आदि का जो पाइंट रेल से सम्बन्धित है, वह संक्षेप में कहना चाहिए। भूमिका बनाने में अनावश्यक समय नष्ट होता है।

[अनुवाद]

श्री के० मलयसामी : महोदय, मैंने जब एक बार एक मिनट का समय मांगा है, तो मैं अपने शब्दों पर दृढ़ रहूंगा। मैं केवल एक मिनट लूंगा। लेकिन, महोदय, यदि आप व्यवधान डालेंगे तो मैं दो मिनट लूंगा।

महोदय, जहां तक कि कम्प्यूटरीकरण का संबंध है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में परमाक्कुडि एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण का काउन्टर बनाया जाना चाहिए।

[श्री के० मलयसामी]

मानामदुरै से तुतीकोरिन के संबंध में पहले ही एक सर्वेक्षण किया जा चुका है। बरास्ता कमूथी एक नई रेल लाइन से संबंधित कार्य का भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

जहां तक कि हमारे नेता, श्री पाण्डियन का संबंध है, वह तुतीकोरिन पर ज़ोर दे रहे थे। तुतीकोरिन एक वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्र है जहां एक उपरिपुल बनाए जाने तथा स्टेशन का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इन बातों पर भी विचार किया जा सकता है।

विल्लुपुरम से कटपड़ी तथा विल्लुपुरम से त्रिची (वी०एफ०ए०) मुख्य लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के निर्माण के कार्य को भी आरम्भ किया जाना चाहिये।

हमारे सचेतक सलेम से कुड्डालोर लाइन के संबंध में बहुत चिन्तित हैं। इस पर भी विचार किया जाना चाहिये।

ममता बनर्जी महोदया को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिये। मैं उन व्यक्तियों में हूं जो कि यह चाहता है कि इन सब बातों का प्रभावपूर्ण अनुपालन हो। कृपया मेरी बात पर गौर कीजिए कि इन बातों पर गंभीरता-पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और तमिलनाडु के लिए अधिक वित्तीय आबंटन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, हमारे दल के 15 सांसद हैं और मैं पहला सांसद बोल रहा हूं। रेल मंत्रालय की तरफ से जो अनुदान की पूरक मांगें रखी गई हैं, मैं शिव सेना और मेरी तरफ से उनका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : यह तो अंडरस्टुड है, सब समझते हैं।

श्री सुरेश रामराव जाधव : भारतीय रेल 150 वर्ष पुरानी है।

यह दुनिया में सबसे बड़ी रेल है। यातायात का सबसे बड़ा साधन रेल है और माल ढुलाई का भी सबसे बड़ा साधन रेल है। रेल के ऊपर सबसे बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन है, आखिर रेल का मकसद क्या है।

सभापति महोदय : सब लोग जानते हैं, असली बात कहिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव : अभी तो मैं बोलने के लिए खड़ा ही हुआ हूं। हमारी पार्टी शिव सेना की तरफ से मैं पहला वक्ता हूं। रेल यात्रियों को अच्छी सेवा प्रदान करना, यात्रियों की और रेल की सुरक्षा की देखभाल करना, रेलवे स्टेशनों का सही रखरखाव करना, नई लाइनें बिछाना, लाइनों का दोहरीकरण करना तथा गेज कन्वर्शन, ये सब काम रेलवे द्वारा किए जाते हैं। इन सब कामों के लिए आय की जरूरत है, संसाधन जुटाने की जरूरत है। इस पर भी रेल मंत्रालय को ध्यान देना होगा।

आजकल रेल दुर्घटनाओं में कुछ कमी हुई है। जब से ममता जी रेल मंत्री बनी हैं तब से कुछ कमी आई है।

रात्रि 8.16 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जो रेल दुर्घटनाएं घटती हैं, उनको कम करने के लिए रेल मंत्रालय को ध्यान देना होगा। साथ-साथ जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की मदद से रेलें चलती हैं, उनके हित का भी ध्यान रखना चाहिए। रेल यात्रियों को पीने का पानी स्टेशनों पर मिले, वहां जेनरेटर्स की व्यवस्था होनी चाहिए।

मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी में बहुत सारे बिना आदमी के फाटक हैं, जिसकी वजह से काफी एक्सीडेंट होते हैं। वहां पर फाटकों पर आदमियों को तैनात किया जाए। स्टेशनों पर सफाई, खानपान की अच्छी सुविधा का प्रबंध करना भी रेल मंत्रालय का काम है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और चोरियां होती हैं, उसे भी रोकने की जरूरत है।

मैं इस सम्बन्ध में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम रेल में सफर करते हैं तो जो टी०टी० बगैर टिकट दिए पैसा लेकर लोगों को यात्रा कराता है। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप कारगर उपाय करें। मेरा मराठवाड़ा का इलाका है, कभी वह हैदराबाद निजाम के तहत था।

अध्यक्ष महोदय : जाधव जी, यह नया बजट नहीं है, सप्लीमेंट बजट है, आप इतनी लम्बी बात न करें।

श्री सुरेश रामराव जाधव : मैं खाली मांग रख रहा हूं। मराठवाड़ा में, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि आजादी के 53 साल बीत जाने पर भी वहां एक फीट नई लाइन नहीं बिछाई गई। जबकि वहां की आबादी दो करोड़ है। वहां से आठ सांसद आते हैं और 48 विधायक आते हैं तथा सात जिले हैं। इतना घोर अन्याय, इतना जुल्म हुआ है और मराठवाड़ा को रेलवे का कोई फायदा नहीं मिला। इस कारण मराठवाड़ा इलाके में रेलवे के प्रति लोगों में बहुत असंतोष है। इसको लेकर वहां 25 जून को तीव्र आंदोलन भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मण बंगारू जी, जो रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने मराठवाड़ा के सांसदों और विधायकों को दिल्ली बुला कर मीटिंग की।

छोटी-छोटी मांगें थीं, उन्हें पूरी करने के लिए कमिटमेंट दे दिया गया था लेकिन अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला। बगैर पैसे की जो मांग हैं, जैसे स्टॉपिज देने की मांग है, सवारी डिब्बे जोड़ने की मांग है, इन्हें पूरा करने के लिए मुझे आश्वासन मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि मराठवाड़ा के ऊपर खासकर परभनी जिले में रेलवे के विकास का कार्य नहीं

हुआ है। मैं कहना चाहता हूं दोबारा मराठवाड़ा के पूरे सांसद, पूरे विधायक और पार्टी के लोगों को बुलाकर एक मीटिंग की जाये। रेल अखंड भारत का प्रतीक है। अभी तक मराठवाड़ा इलाके के साथ अन्याय हुआ है। एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह अंकोला-पर्णा का गेज परिवर्तन का काम है इसकी लागत 228 करोड़ की है और 2000-2001 में दस करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया गया है, इस तरह काम कैसे पूरा होगा। कब तक होगा? वहीं स्थिति मिराज-लातूर की है, वहीं स्थिति मुखेड़ आदिलाबाद की है।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंट्री डिमांड हैं, इतना बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : उसमें अहमदनगर-बीड़-परभनी-बैजनाथ मराठवाड़ा का 353 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है लेकिन अभी तक 45 लाख रुपये का खर्च हुआ है और 2000-2001 में तीन करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। यह काम आप कैसे पूरा करेंगे? मराठवाड़ा में एक इंच लाइन का काम नहीं हुआ है और छोटी-छोटी मांगों के संबंध में 15-20 पत्र मैं मंत्री जी को लिख चुका हूं। समय की कमी है। मेरे क्षेत्र की मांग है कि देवगिरी एक्सप्रैस में और डिब्बे जोड़े जाएं और तपोवन गाड़ी को सेलू और परतूर स्टेशनों पर स्टॉप दिया जाएं, यह पत्र दे दिया है। मेरे रेल की गति और रेल मंत्रालय की गति साथ-साथ चले और मराठवाड़ा के साथ जो अन्याय हुआ है, रेल मंत्रालय उसे दूर करेगा, ऐसी आशा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं मुझे रेल अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं अपने रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यह मामला उठाया और पिछले वर्ष की अपेक्षा रेलवे के लिए इस वर्ष केन्द्रीय राजकोष से 40 प्रतिशत अधिक धन प्राप्त करने में सफल रही।

तमिलनाडु में, डा० कल्यीगनार करूणानिधि के नेतृत्व में सरकार ने बारहवीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पास देने की घोषणा की है। यही नीति रेलवे ने भी अपनाई है। मैं रेलवे मंत्री का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने विद्यार्थियों के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधाएं दी है। साथ ही, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से सीजन टिकट के रूप में 15 रुपये लिए जा रहे हैं।

रेल बजट में त्रिची-नागौर-कराईकल परियोजना के लिए केवल 3 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराए गये हैं। पूरी परियोजना की लागत लगभग 138 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए दी गई राशि केवल 3 करोड़ रुपये है जो बहुत कम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस धन को बढ़ाया जाना चाहिए।

विरुदनगर-तेनकासी-क्यूलोन-तिरूनेलवेल्ली-तिरूचेन्दूर को बड़ी लाइन में बदलने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। कुड्डालोर-पॉडी-टिंडीवनम और थिरूकोईलूर-ऋषिवंथियम-कलाकुरीचि-चिन्नासलेम में नई लाइन बिछाने की परियोजना भी लंबे समय से लंबित पड़ी मांग है। अब, हमें पता चला है कि ये तीनों परियोजनाएं स्थगित कर दी गई हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि इन तीनों परियोजनाओं को स्वीकृति दें।

मेरा निवदेन है कि पॉडि-विल्लुपुरम, जिसकी दूरी 38 कि०मी० है कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अधिक धन आबंटित किया जाए। संपूर्ण परियोजना की लागत 30 करोड़ रुपये है, परंतु इस परियोजना के लिए केवल एक करोड़ रुपये ही दिए गये हैं।

मदुरई-रामेश्वरम छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु दी गई राशि बहुत कम है। संपूर्ण परियोजना की लागत 240 करोड़ रुपये है, परंतु केवल 5 करोड़ रुपये ही आबंटित किए गये हैं। कृपया इस राशि को बढ़ाइए। इसी प्रकार, विल्लुपुरम-तंजावुर की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना की कुल लागत 223 करोड़ रुपये हैं, परंतु इस वर्ष केवल 10 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। कुड्डालोर-सेलम के छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने वाली परियोजना के लिए, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि अधिक धन आबंटित कराएं।

जहां तक करूर-सेलम में नई लाइन बिछाने का सवाल है, संपूर्ण परियोजना की लागत 225 करोड़ रुपये है। अभी तक 35 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, और इस वर्ष केवल 10 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया इन सभी परियोजनाओं के लिए राशि बढ़ाएं।

इसी प्रकार इंटिग्रल कोच फैक्ट्री (आई०सी०एफ०) को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आई०सी०एफ० रेलवे की शान है। यदि इसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है तो, परिणामत: कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित होगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से निवदेन करता हूं कि वे देखें कि आई०सी०एफ० में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का सही उपयोग हो। आई०सी०एफ० को मिलने वाला आर्डर उत्साहवर्धक नहीं है। सहायक पुर्जों की आपूर्ति का ठेका बिना-सोचे समझे दिया जा रहा है। लंबे समय में, प्रबंधकों का यह रवैया और नीति हजारों को बेरोजगार करेगी। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस प्रतिष्ठित कोच फैक्टरी को बचाएं, जो विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है और बड़े आर्डर प्राप्त कर रही है।

पत्राबिरम से अरकोनम और तिरूवल्लूर से अरकोनम के मध्य चौथी लाइन, जो 27 किलोमीटर है, का निर्माण एक लंबित पड़ी परियोजना है। मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि इस वर्ष इस परियोजना को पूरा करें।

मैं माननीय मंत्री को तिरूथुराईपोंडी से अगस्थियनपल्ली जो नागापट्टीनम चुनाव क्षेत्र में आता है, में नई रेल बस शुरू करने के लिए धन्यवाद

[श्री आदि शंकर]

देता हूं। मैं माननीय मंत्री से निवदेन करता हूं कि नई परियोजनाओं की घोषणा करने से पहले, पहले से घोषित, स्वीकृत और लंबित परियोजनाओं को पहले पूरा करें।

महोदय, हमारे क्षेत्र में, अंबूर वनियामपाड़ी और तिरूपपुर जैसे शहरों में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग हैं। यहां से सामान कई देशों में जाता है। मेरे क्षेत्र की इन चमड़ा प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, माननीय मंत्री तिरूपपुर रेलवे स्टेशन को अधिक महत्व दें ताकि महत्वपूर्ण रेल वहां रुक सकें।

थंडाराई रेलवे स्टेशन और नल्लीकुपम रेलवे स्टेशन के पास रहने वाली ग्रामीण जनता को अपना व्यवसाय करने और अपने खेतों पर काम पर जाने में कठिनाई आती है। रेल फाटकों का भी उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है।

तमिलनाडु की सरकार महान नेता डा० कलिंगनार के नेतृत्व में, रेलवे परियोजनाओं को बढ़ाने, जहां पर भी यह पूर्ण होने के कगार पर है, की लागत में हिस्सेदारी करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं।

मैं पूरजोर मांग करता हूं कि यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों और चलती ट्रेनों दोनों में उचित सुरक्षा प्रबंध किए जाएं। इस पहलू को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं यहां तीन मुद्दे उठाना चाहता हूं। और मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

8,640 कि०मी० की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की लागत 11,000 करोड़ रुपये है। माननीय मंत्री बहुत सक्षम महिला हैं। वे अमान परिवर्तन पर बल दे रही हैं, और सुरक्षा को बेहतर बनाने और अन्य बातों जैसे भोजन व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न कर रही हैं। उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया, और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन आर्थिक कठिनाई के फलस्वरूप वह इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। केवल 623 कि०मी० का ही अमान परिवर्तन हो पाया, जो अमान परिवर्तन पूरी लंबाई का 6 से 7 प्रतिशत ही है।

महोदय, इसीलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कम से कम 10,000 करोड़ रुपये इस परियोजनाओं के पूर्ण करने के लिए आबंटित करें। इस देश की एकमात्र सबसे आवश्यक सेवा—रेलवे, को यह निधि अवश्य मिलनी चाहिए। यदि यह निधि मिल भी जाए तो, फिर भी इस परियोजना को पूर्ण होने में 15 वर्ष लग जाएंगे। अमान परिवर्तन के लिए स्वीकृत 19,000 कि०मी० लाइन में से, 8,640 कि०मी० का कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ। यदि यह राशि, दे भी दी जाए, तब भी इस परियोजना को पूर्ण होने में 15 वर्ष लग जाएंगे।

महोदया, कर्नाटक राज्य की लंम्बित पड़ी रेल परियोजनाओं को भी पूरा किए जाने की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, सबसे महत्वपूर्ण रेलवे विभाग, बंगारपेट से येलाहंका रेल लाइन है। इसका 50 प्रतिशत कार्य 50 करोड़ रुपये की लागत लगाकर पूरा किया गया। चिकबालपुर से येलाहंका के बीच 40 कि०मी० का कार्य भी पूरा हो चुका है। कोलार से येलाहंका के बीच 18 किलोमीटर का कार्य भी पूरा हो चुका है। परंतु यदि चिकबालापुर से कोलार तक के 70 कि०मी० तक का कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो इस लाइन पर अब तक का किया गया 50 करोड़ रुपये का संपूर्ण निवेश व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना को पूरा करें।

महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा मैसर्स भारत अर्थ मुवर्स लिमी० (बी०ई०एम०एस०) से संबंधित है। इस कंपनी को 1947 से रेल कोच निर्माण के आर्डर प्राप्त हो रहे हैं। परंतु अब इस सरकारी उपक्रम को रेलवे से आर्डर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस उपक्रम को रेलवे मंत्रालय के निर्देशानुसार, इस उपक्रम ने अपने कार्य संचालन में परिवर्तन लाया है। वे अब कोच निर्माण का कार्य करने के लिए तैयार हैं। परंतु उन्हें एक भी कोच का आर्डर नहीं दिया गया है। यह उपक्रम रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला और इंटिग्रेटेड कोच फैक्ट्री, चेन्नई की तरह केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कोच निर्माण के आर्डर इन तीनों कंपनियों के मध्य बांटने पड़ते हैं। उन्हें 250 कोचों के निर्माण के ही आर्डर का निवेदन प्राप्त हुआ है। अन्यथा, न केवल इस कंपनी के 4000 कर्मचारियों का भविष्य कठिनाई में पड़ जाता, बल्कि कंपनी को भी सालाना 70 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाता।

महोदय, इस पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपके पार्टी के एक सदस्य केवल उनसे ही बात कर रहे हैं।

श्री के०एच० मुनियप्पा : महोदय, माननीय रेल मंत्री ने इस सभा में चिकबलपुर और कोलार के मध्य 70 कि०मी० की लाइन के अमान परिवर्तन का वादा किया था। जब मैं श्री जालप्पा के साथ माननीय मंत्री से मिला तो, उन्होंने कहा कि इसे यहां शामिल नहीं किया गया है। मैं उनसे इस परियोजना को पूर्ण करने का निवेदन करता हूं।

महोदय, अंतत: मैं यहां मैसर्स बी०ई०एम०एल को कोच के निर्माण का आर्डर देने की बात का पुन: उल्लेख करना चाहता हूं। उनकी पूर्णत: अवहेलना की गई है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि कृपया इस कंपनी को कोचों के निर्माण का आर्डर देने पर विचार करें। रेलवे रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला और इंटिग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई को आर्डर देने आई है। मैं यह निवेदन करता हूं कि मैसर्स बी०ई०एम०एल को भी आर्डर देने पर विचार किया जाए।

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, मैं रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगें का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं माननीय रेल मंत्री जी को उनके उस कथन की याद दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने 2000 के रेलवे बजट पर चर्चा के जवाब में कहा था और आज तक उस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। बल्कि इस थोड़े से समय में स्थिति में गिरावट ही आई है।

महोदय, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब एक प्रतिनिधि-मंडल के रूप में उनसे उनके रेलभवन स्थित कार्यालय में मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उड़ीसा राज्य में रेलवे की उपेक्षा में उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान करने की दिशा में ध्यान देंगी। तपस्विनी एक्सप्रेस के तालचर रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू किए जाने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया है।

महोदय, जब 1996 में पूर्व तटीय रेलवे क्षेत्र अस्तित्व में आया, तब उड़ीसा के लोगों को यह जानकर हर्ष हुआ था कि अब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चूंकि 1996 से लेकर अब तक हमारी आशाओं को न केवल झूठा साबित किया गया बल्कि इसने यात्री गाड़ी की मंथर चाल को भी प्राप्त नहीं किया है, वास्तव में इसकी उल्टी दिशा ही रही है। 1996 में इस परियोजना के लिए 32 करोड़ रुपया आबंटन किया गया था जो अब घटकर 30 लाख रुपए रह गया है। हमें अप्रैल, 1999 में माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस परियोजना के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना को चार माह के अन्दर अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसे अधिसूचित किया जाएगा।

1996 में घोषित किए गए सात रेलवे जोनों में से दो कार्य करने लगे हैं। दक्षिण-पूर्व रेलवे का 35 प्रतिशत रेलवे किलोमीटर मार्ग उड़ीसा के अन्तर्गत आता है।

श्री बसुदेव आचार्य ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि रेलवे को 35 प्रतिशत राजस्व दक्षिण-पूर्व रेलवे से प्राप्त होता है। पिछले कई वर्षों से राजस्व अर्जित करने में दक्षिण-पूर्व रेलवे सबसे आगे रहा है। इस साल ही वह दूसरे स्थान पर आया है जब उत्तर रेलवे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका मुख्य कारण अक्तूबर माह में उड़ीसा में आया तूफान है जिसके कारण तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे दो माह तक संचालन नहीं कर पाई। जिसके कारण भारतीय रेलवे का गौरव—दक्षिण पूर्व रेलवे इस वर्ष कम राजस्व अर्जित कर पाई जो न्यायसंगत है। उस राजस्व अर्जन में उड़ीसा का योगदान सबसे अधिक है। तथापि, अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य की काफी उपेक्षा की जा रही है। मेरे पास इस पर रोष प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है। शायद हमारी उपेक्षा इसलिए की जा रही है क्योंकि हम लोग शांतिप्रिय हैं और हमने कभी भी रेलवे पटरी के लिए ट्रेनों को जलाए जाने की नीति को नहीं अपनाया है। संभवत: भारतीय रेलवे ऐसी ही भाषा समझती है। मुझे आशा है कि माननीय रेलमंत्री जी के रहते हुए इस तरह की बातें नहीं होंगी।

मैं सभा को बजट अनुदानों और अनुपूरक अनुदानों में अंतर की याद दिलाऊंगा। वर्ष 1996 से यहां दो निमार्णाधीन नई रेल लाइनें हैं जिनके लिए बजट आबंटन निरंतर किया जाता रहा है। पिछले बजट में यह बताया गया था कि भूमि अधिग्रहण की समस्याओं की वजह से परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। पहले की राज्य सरकार ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वर्तमान राज्य सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने हेतु अब जबकि भूमि का आबंटन किया है तो इनके लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया। कोई इस परियोजना को शुरू कैसे कर सकता है? मंत्री जी ने वायदा किया था कि वे पूरक बजट में धन उपलब्ध कराएंगी परन्तु मैं देखता हूं कि उसमें कुछ भी नहीं है।

22 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में घोषित किया गया है। मैं किसी राज्य विशेष का संदर्भ नहीं दे रहा हूं। मैं माननीया मंत्री से यह देखने का अनुरोध करता हूं कि वे स्टेशनों के नामों और वे किन राज्यों के अन्तर्गत आते हैं, पर गौर करें। उड़ीसा राज्य में केवल एक आदर्श स्टेशन की घोषणा की गई है। हमें आदर्श स्टेशनों के लिए भी विचार क्यों नहीं किया जा सकता?

वर्ष 1996 से ही कटक-विरूपा पुल के लिए बजटीय आबंटन का प्रावधान था। वर्ष 1999 में शिलान्यास होने के बावजूद आज तक इस परियोजना पर कार्य शुरू नहीं किया गया है। यहां तक कि निविदा-कार्य भी नहीं किया जा सका है। मैं नहीं जानता कि उस खाते में धन मौजूद है या फिर इसे किसी अन्य परियोजना में लगा दिया गया है। रूपसा-बांगीरिपोसी-नौपारा-गुनुपुर-रायागढ़ आमान परिवर्तन का कार्य भी विगत पांच सालों से लम्बित पड़ा है। बजटीय आबंटनों के होने के बावजूद कार्य में प्रगति नहीं है। हमें एक के बाद एक यह आश्वासन दिया गया है कि इस कार्य को किया जाएगा। मैं सबसे प्रसन्न व्यक्ति होऊंगा यदि मुझे यह सुराग मिलता है कि इन कार्यों को अगर पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक भी किस प्रकार किया जाएगा।

यहां पर मैं भुवनेश्वर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस का जिक्र करना चाहता हूं। यह गाड़ी दिल्ली से चलकर हावड़ा जाती है और फिर भुवनेश्वर की ओर लौटती है। इस विपणन के फलस्वरूप इसे दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच 360 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। हमने सुझाव दिया है कि इसे हावड़ा ले जाने के बजाय इसे आसनसोल से खड़गपुर होते हुए फिर भुवनेश्वर तक चलाना चाहिए। इससे दूरी कम होगी। हावड़ा होकर चलाने से न तो हमें दिल्ली से भुवनेश्वर और न ही भुवनेश्वर से दिल्ली तक का ही आरक्षण मिल पा रहा है। हावड़ा के यात्रियों को ही सारा आरक्षण दिया जा रहा है। यदि यही मामला है, तो मुझे नहीं पता किन प्रयोजनों से यह गाड़ी भुवनेश्वर तक चलाई जा रही है। संसद सदस्यों को भी भुवनेश्वर जाने के लिए इस राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है।

यही हमारी दशा है। मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान एक बार फिर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे इसका ध्यान रखें कि स्थिति इतनी विषम नहीं होनी चाहिए कि जहां उड़ीसा के लोग ...

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : क्या आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे?

श्री प्रभात सामन्तराय : जरूर, महोदया।

कुमारी ममता बनर्जी : यदि संसद सदस्यों को भुवेनश्वर से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझसे क्यों नहीं मिले और इन चीजों के बारे में मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं इन तथ्यों से अवगत नहीं हूं जिनका अभी आप बयान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे सभी बातों को सभा में ही उठाना चाहते हैं।

श्री प्रभात सामन्तराय : महोदया, यह एक व्यक्ति विशेष का मामला है। मैंने उन्हें भी याद दिलाया है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैंने उन्हें पत्र लिखा था और उन्होंने मुझे इसका जवाब भी भेजा था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे माननीया मंत्री से भी मिल सकते हैं।

श्री प्रभात सामन्तराय : अध्यक्ष महोदय, कुमारी ममता बनर्जी जी ने रेल मंत्री के रूप में अपना पद भार संभालने के बाद सभी सांसदों को बिना चौकीदारों के समपारों के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से कुछ धन उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा था। इसी प्रकार केन्द्रपाड़ा में खुर्दा रोड डिवीजन के अन्तर्गत सर्पेश्वर रेलवे फाटक हेतु वर्ष 1998 में 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दस लाख रुपए दिए गए थे। परंतु मुझे माननीया मंत्री महोदया को यह बताते हुए खेद हो रहा है कि आज तक वहां कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है।

इसी तरह, मैं माननीया मंत्री जी की सूचना के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा कलकत्ता में सांसदों की परामर्शदात्री समिति में केन्द्रपाड़ा में एक टिकिट बिक्री केन्द्र खोले जाने हेतु निर्णय लिया गया था। परंतु अब तक कुछ नहीं किया गया, जबकि मैं विगत चार वर्षों से संबंधित अधिकारियों को बार-बार पत्र लिखता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, आप माननीय मंत्री जी से मिलकर इन सब बातों को कह सकते हैं।

श्री प्रभात सामन्तराय : इसलिए, महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से इन सब बातों पर नए दृष्टिकोण से विचार करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि उड़ीसा के लोगों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16, जो अतिरिक्त अनुदान की मांगों के संबंध में है तथा मांग संख्या 16, जो अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में है, उनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसी तरह मांग संख्या 10 की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें बिजली के खर्चे में बढ़ोत्तरी की बात की गई है। मांग संख्या 16 में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर, कर्मचारियों और यात्रियों के लिये सुविधायें एवं रेल उपयोगकर्त्ता को अन्य सुविधायें दिये जाने पर अधिक खर्च की बात कही गई है। मैं समयाभाव के कारण केवल पश्चिम रेलवे के कुछ खण्डों के बारे में बात करूंगा।

यह बात सही है कि पिछले दिनों रेल यातायात में काफी सुविधायें दी गई हैं और रेल यातायात बढ़ा भी है। कुछ नई रेलगाड़ियां चली हैं और कई नई रेलगाड़ियां चलाने का विचार है। इन सब को देखते हुये जिस प्रकार यात्री सुविधायें स्थान स्थान पर उपलब्ध होनी चाहिये, वे उपलब्ध नहीं हो रही है। हम इन मांगों का समर्थन करने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हाल ही में उन्होंने सीमावर्ती इलाकों, विशेषकर जम्मू कश्मीर और असम में पायलट गाड़ियां चलाई हैं, जिससे यात्रियों को संरक्षण देने का काम किया है। इसके बावजूद अभी कई यात्रियों को सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। यह सही है कि यात्रियों को सुविधायें देने के लिये किसी किसी गाड़ी में 22-23-24 या 25 बोगियां लगा दी गई हैं लेकिन प्लेटफार्म पर 16-17 बोगियां ही आ सकती हैं और शेष बोगियां पीछे रह जाती हैं जिससे यात्रियों को उतरने और चढ़ने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे कई यात्रियों को सांघातिक चोटें भी लग जाती हैं। मैं चाहूंगा कि इन सुविधाओं में वृद्धि की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन किया था कि पश्चिम रेलवे के रतलाम-अजमेर खंड पर नीमच-रतलाम का जो भाग आता है, उसका आमान परिवर्तन किया जाये। इसके लिये रेल विभाग ने स्वीकृति भी प्रदान की थी। इस परियोजना पर 16-17 करोड़ रुपये खर्च भी हो चुके हैं। कई पुलियां भी बन गई हैं लेकिन काम की गति धीमी है। मैं चाहता हूं कि यदि यह खंड बन जाता है तो सीधे मुम्बई से लेकर रतलाम-चित्तौड़गढ़ और कोटा तथा फिर दिल्ली से सीधा वैकल्पिक मार्ग तैयार हो जायेगा। इससे दूरी भी कम हो जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्य के लिये 50 करोड़ रुपया दिया जाये ताकि इस रेल खंड का कार्य शीघ्र पूरा हो सके। यदि यह खंड तैयार हो जाता है तो उदयपुर से जोड़े जाने में आसानी होगी और पूरा राजस्थान जोड़ा जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस पुस्तिका में एक बात और कही गई है कि कुछ स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में परिवर्तित करने या उन्नत करने का विचार है।

यद्यपि पश्चिमी रेलवे के उज्जैन को इसमें सम्मिलित किया गया है, जयपुर को इसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जहां हम इनके उन्नयन के लिए स्वीकृति दे रहे हैं, वहीं पर इसी पश्चिमी रेलवे के अंदर रतलाम, नीमच, और मंदसौर को भी अगर आप स्वीकृति प्रदान करें तो इन स्टेशनों का भी विकास हो सकेगा और यात्रियों को भी उसी दृष्टि से सुविधा प्राप्त होगी।

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जहां आवासीय क्वार्टर बनाने की बात कही गई है, ये आवासीय क्वार्टर पश्चिमी रेलवे के खंडवा से लेकर अजमेर तक के खंड में बहुत थोड़े हैं, जिसके कारण कर्मचारियों और अधिकारियों को कठिनाई होती है। मैंने नीमच, रतलाम और अजमेर में स्वयं जाकर देखा है, जहां बहुत कठिनाई है। इन आवासीय क्वार्टर्स पर यदि और धनराशि की आवश्यकता हो तो मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि सदन उसकी स्वीकृति देगा और उन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सुविधा प्रदान होगी, जिनसे हम काम लेते हैं। इसके साथ ही जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, वहां उनका भी अभाव है। माननीय मंत्री महोदय उसकी तरफ भी ध्यान देने का प्रयत्न करेंगी।

अध्यक्ष महोदय, जो आमान परिवर्तन हो रहा है उस दृष्टि से एक बात रेलवे ने निश्चय कर ली है कि जो मीटर गेज की गाड़ियां दौड़ रही हैं, उनमें किसी प्रकार से नये डिब्बे न लगाये जाएं। यहा तक कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे भी ऐसे लगाये जाते हैं जो बेकार होते हैं। इसलिए जब तक मीटर गेज गाड़ियां चल रही हैं, तब तक उनमें ठीक कोचिज लगें, अन्यथा ब्रोड गेज का काम जल्दी पूरा किया जाए ताकि मीटर गेज के डिब्बे हटा लिये जाएं और यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं ज्यादा मिल सकें।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि पश्चिमी रेलवे का महत्वपूर्ण डिवीजन रतलाम है। उस डिवीजन में पुड्स लोडिंग की दृष्टि से रेलवे को राजस्व की आय होगी। रतलाम में गुड्स की फुल रैकिंग लोड की सुविधा नहीं है। फुल रैक लोडिंग की सुविधा न होने से राजस्व को होने वाली आय नहीं हो रही है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रतलाम और इंदौर स्टेशनों पर रिजर्वेशन काऊंटर्स बहुत कम हैं, जिसके कारण वहां भारी भीड़ होती है। उन काऊंटर्स को बढ़ाने के साथ-साथ मंदसौर और नीमच में भी आप कंम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन यदि आप प्रारम्भ करेंगी तो ज्यादा सुविधा होगी। इसी प्रकार से राजधानी एक्सप्रैस जो मुम्बई से दिल्ली तक आती है, यदि उसके समय में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो वह एक घंटा पहले पहुंच सकती है और इसे सप्ताह में प्रतिदिन किया जाए।

इसके साथ ही रतलाम, नीमच और जावरा में ओवरब्रिजेज की आवश्यकता है। उसके बारे में राज्य शासन द्वारा भी लिखा गया है। यदि वहां ओवरब्रिजेज बन जाते हैं तो काफी सहूलियत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करते हुए पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि जहां मैंने कहा है कि इस आमान परिवर्तन से और उस खंड पर काम को पूरा किये जाने से रेलवे के राजस्व में भारी वृद्धि होगी, यातायाम में सुविधा होगी और साथ ही साथ एक नया वैकल्पिक रेल मार्ग भी जुड़ जायेगा, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इन मांगों को भी स्वीकार करेंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

रात्रि 8.48 बजे

[श्री वसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद) : इसमें कोई शक नहीं है कि कुमारी ममता बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय रेल विलक्षण कार्यों को अंजाम दे रही है परन्तु यदा-कदा प्रतीत होता है कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल की उपेक्षा की जा रही है।

जैसा कि आप जानते हैं, मुरादाबाद की बदौलत देश को प्रतिवर्ष कीमती विदेशी मुद्रा के रूप में 1800 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। दिल्ली के नजदीक होते हुए भी दैनिक यात्रियों के लिए यहां से दिल्ली के लिए कोई सुविधाजनक रेलगाड़ी नहीं है जससे कि यहां के यात्री प्रतिदिन दिल्ली जाकर वहां से शाम को लौट सकें। यह बड़ी ही अच्छी बात होती अगर माननीया मंत्री महोदया इस तरह की रेल सेवा मुरादाबाद में आरंभ करने पर विचार करतीं। शुरू में ऐसी रेल सेवा थी—एक इंटरसिटी एक्सप्रैस रेलगाड़ी थी। कुछ वर्ष पहले एक प्रभावी सांसद के आदेशों पर इसका विस्तार किया गया था और आगे भी विस्तार किया गया था। अब मुझे कहा गया है कि यह रेलगाड़ी रक्सौल तक जाती है और वास्तव में मुरादाबाद के दैनिक यात्रियों को उससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा ।

दूसरे, उत्तर रेलवे के अधीन मुरादाबाद मंडल के अन्तर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंडी—चंदौसी है।

दुर्भाग्य से, काफी अनुरोधों के बावजूद भी आज तक यहां पर कम्प्यूटर आरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। मंत्री महोदया कृपया इसकी व्यवस्था कर दें तो अच्छी बात होगी।

इसके अलावा, जैसा कि आप सब जानते होंगे, एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेशन है—संभल। इसे रेल मार्ग से राजा-का-साहसपुर से जोड़ा गया था। इस बीच कभी पता चला कि यह रेल सम्पर्क अर्थक्षम नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि उस मार्ग पर उन्होंने केवल एक गाड़ी चलाई है, जो कि रेलवे के हिसाब से एक मूल्यवान संपत्ति है। राजा-का-साहसपुर और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर—संभल के बीच चलने वाली इस रेल सेवा का उपयोग दूध वालों के द्वारा दूध लाने-ले जाने के लिए किया जाता है।

जहां कहीं भी यात्रियों को इसकी जरूरत पड़ती है वे बस की तरह इसे रुकवा लेते हैं और इसके कारण यह कई घंटों का समय ले लेती है।

वर्तमान यातायात और जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह इस क्षेत्र के लिए अच्छी बात होगी यदि इस वरास्ते उचित रेल सेवा चलाने पर विचार किया जाए क्योंकि इस वरास्ते में रेल लाइनें, रेल अवसंरचना आदि पहले से ही उपलब्ध है।

[श्री चन्द्र विजय सिंह]

इसके अलावा, जैसा कि मैंने बताया है कि मुरादाबाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और उत्तर रेल का मंडलीय मुख्यालय भी है। यहां पर प्लेटफार्म न० पांच रेलवे स्टेशन से लगभग तीन चौथाई किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदया जो कि गरीबों की हमदर्द हैं इस कठिनाई को समझेंगी कि इस छत रहित प्लेटफार्म से मुख्य स्टेशन तक आने में वृद्ध व्यक्तियों और रोगियों को कितनी कठिनाइयां होती होंगी। इससे वृद्ध व्यक्तियों, गरीब लोगों और रोगियों को भारी असुविधा होती है। इसलिए, यदि इस प्लेटफार्म को पार्किंग एरिया में बदल दिया जाए या इसे मुख्य प्लेटफार्म से जोड़ा जाए तो इसके लिए मैं आभारी रहूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़) : मैं कुछ बातों पर माननीया रेल मंत्री का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं, जैसे कि हम प्राय: कहते हैं कि रेलवे जीवनरेखा है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह सच है क्योंकि भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए केवल एकमात्र सड़क और एक ही रेल लाइन है।

हम हर बात में रेलवे पर निर्भर हैं। देश के इस भाग में रेलवे को मजबूत करना होगा। हम उस क्षेत्र में अलगाववादी आन्दोलन से वाकिफ़ हैं। असम के लोग माननीय रेल मंत्री के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं और मुझे भी विश्वास है कि वह निश्चित रूप से उस क्षेत्र की समस्याओं की जांच करेंगी। मैं पूर्वोत्तर-क्षेत्र के लिए कुछ परियोजनाओं का जिक्र ही करूंगा।

महोदय, असम के लोग इस क्षेत्र में पुल बनाने और आमान परिवर्तन के लिए आन्दोलन कर रहे थे। हर चीज के लिए उन्हें आन्दोलन करना पड़ा। वर्ष 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बोगीबिल पुल की आधारशिला रखी थी। आज तक उसका सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए उपरी असम के लोगों को इस कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे आन्दोलन का सहारा लेना पड़ा। मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं। गत् ढाई वर्षों में भारत सरकार सर्वेक्षण कार्य पूरा करने में असफल रही है। बोगीबिल कार्यस्थल में एक ईंट भी नहीं रखी गई है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदया से आग्रह करूंगा कि इसकी ओर, कृपया व्यक्तिगत ध्यान दें, क्योंकि इसके लिए जहां 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है वहां केवल 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यदि कार्य को इसी तरह से लिया जाएगा तो इसके सम्पन्न होने में 100 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। मैं जानता हूं कि सरकार को पैसे की जरूरत है, इसके लिए प्रधानमंत्री को अ-व्यपगमनीय निधि उपलब्ध है और प्रत्येक मंत्रालय से 10 प्रतिशत की धनराशि उपलब्ध है। इसलिए, मैं समझता हूं कि सरकार को प्राथमिकता के आधार पर बोगीबिल पुल का निर्माण कार्य करना चाहिए।

असम में रेलवे लाइन बहुत पुरानी है, इसे अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सम्पदा के दोहन हेतु बनाया था। बाद में, हमने डिब्रुगढ़ तक आमान परिवर्तन किया लेकिन एक किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण नहीं किया। मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं कि गुवाहाटी से डिब्रुगढ़ तक की लाइन को विद्युतकृत करने के लिए अगले बजट में प्रावधान करने के लिए कुछ पहल की जाए।

वर्कशाप का दर्जा बढ़ाने का एक प्रस्ताव भी सरकार के पास है। यह कार्य बड़ी धीमी गति से हो रहा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। पहले इन कार्यों के लिए निविदाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र से ही आमंत्रित की जाती थी लेकिन हाल ही में कुछ निविदाएं बाहर से भी आमंत्रित की गई। हमने माननीय मंत्री जी से सम्पर्क किया और उन्होंने तुरन्त कार्रवाई द्वारा पूर्व की स्थिति बहाल कर दी। इसका कारण था कि यदि युवकों को इससे कुछ कार्य या नौकरियां मिलती हैं तो इससे कुछ सीमा तक बेरोजगारी की समस्या का हल होगा। इसके अतिरिक्त रेलवे ही ऐसा क्षेत्र है जो कि वहां रोजगार दे सकता है क्योंकि राज्य सरकारों के पास इस कार्य के लिए संशाधन नहीं है। सही मामलों में रेलवे अखण्डता का मुख्य स्रोत है। यदि पूर्वोत्तर के युविकों को रेलवे में रोजगार मिल जाता है तो यह निश्चितरूप से राष्ट्रीय अखण्डता के लिए सहायक सिद्ध होगा।

मैं 'इंटरसिटी एक्सप्रेस' के बारे में भी दो शब्द कहूंगा, रेलवे लाइन डिब्रुगढ़ से आरम्भ होती है और यह गुवाहाटी तक जाती है। इस बारे में फायदा किया गया था कि इसे तिनसुकिया तक बढ़ाया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मोरान-डिब्रुगढ़ लाइन के विस्तार करने की मांग भी उठ रही है। यह दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। इससे रेलवे की दूरी 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।

महोदय, यात्रियों की सुरक्षा पूर्वोत्तर क्षेत्र की मुख्य समस्या है। मैं जानता हूं कि यह करना रेलवे के लिए कठिन है। मंत्री महोदया से मेरा अनुरोध है कि रेलवे में आधारभूत ढांचे का विकास करने और सुरक्षोपायों में सुधार करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाएं।

मैं समझता हूं कि यह कुछ बातें हैं जिनकी तरफ मुझे माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन मांगों को पूरा करने के लिए वह आवश्यक कदम उठाएगी।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान मांगों और अतिरेक अनुदान मांगों पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं अत्यधिक आभारी हूं। मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले पक्ष-विपक्ष के सदस्यों को धैर्यपूर्वक सुन रहा था। इन भाषणों से कुल मिलाकर यह निकलता है कि रेलवे वित्त की स्थिति डांवाडोल है। एक अन्य दिन माननीय रेल मंत्री कह रही थी कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी और आशाजनक आदि-आदि है।

रात्रि 09.00 बजे

मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे को और अधिक बजटीय समर्थन क्यों नहीं दिया जा सकता। जब मैंने सुना कि रेलवे मंत्री ने किए कई वायदे पूरे नहीं किए तो मुझे उस कहानी की याद आ गई जिसमें एक राजा अपनी प्रजा को वस्त्र देने का वायदा करता है। जब दर्जी ने राजा से कपड़े मांगे तो उसने कहा मुझे वस्त्र या कपड़ों के लिए परेशान न करें। आप नागरिकों को कुछ या कोई उपहार दे दें। इसके परिणामस्वरूप किसी को कॉलर मिला, किसी को बाजू मिला तो किसी को पट्टी, इसी तरह से रेलवे भी अपने वायदों को पूरा कर रही है।

जहां तक मेरे राज्य केरल का प्रश्न है चाहे यह भूतल परिवहन मंत्रालय हो, रेलवे या ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। बजट का उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी ने हमसे कतिपय वायदे किए थे। इस बारे में हमें कुछ भी नहीं मिल पाया है। हमने पार्टी हितों से परे विरोध जताया और इसके परिणामस्वरूप माननीय रेल मंत्री ने केरल राज्य के सभी सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी। उन्होंने कुछ वायदे किए थे और उस समय हम बहुत खुश थे लेकिन अब मैं उस पुराने राजा की प्रजा की तरह अपने आप को भी समझ रहा हूं। हमें भी छोटे-छोटे उपहार दिए गए हैं।

एक वायदा यह था कि केरल सरकार तथा दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय के बीच समन्वय रखने के लिए त्रिवेन्द्रम में मुख्य आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। लेकिन मुझे पता चला है कि दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक का कार्यालय चेन्नई में ही रखने का प्रस्ताव है। मैं नहीं जानता कि इस वायदे को पूरा करने का कारण यही रहा हो। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी को अपना वायदा याद रहेगा।

एक अन्य वायदा यह भी था कि मिलेनियम एक्सप्रेस कोयम्बटूर से त्रिवेन्द्रम तक चलाई जाऐगी। उनका यह वायदा भी हवा में समा गया।

एक अन्य वायदा दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तक एक नई रेल चलाई जाएगी। मुझे पूर्ण आशा है कि अगले बजट सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के लिए एक नई गाड़ी चलने लगेगी।

अन्य महत्वपूर्ण वायदा जो उन्होंने किया वह हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों को दिए जा रहे उपहार से संबंधित था। यद्यपि यह वायदा पूरा किया गया लेकिन इसमें भी इन स्वतन्त्रता सेनानियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। कल ही हमारे राज्य का एक मामला था और उस मामले को मंत्री जी के ध्यान में लाया गया है। यह दिल्ली की बात है। इस उपहार में मुफ्त राजधानी में यात्रा करवाने का वायदा है। जब स्वतन्त्रता सेनानी टिकट के लिए जाते हैं तो उन्हें त्रिवेन्द्रम से चेक पास लाने के लिए कहा जाता है, मुझे आशा है कि सभी लोग जानते होंगे कि ये स्वतन्त्रता सेनानी पिचत्तर वर्ष से अधिक उम्र के होंगे। उनसे मण्डल कार्यालय जाकर चेक-पास प्राप्त करने की आशा की जाती है। सरकार को स्वतन्त्रता सेनानियों को दिया जा रहा यह उपहार यदि वापस ले लिया जाए तो अच्छा ही होगा। मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं। ऐसे मामलों में तकनीकी पर अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए और उन्हें नजदीकी रेलवे स्टेशन के मुख्यालय में जाने को कहा जाना चाहिए और इस उपहार को उन्हें साधारण प्रक्रिया से ही दिया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र बडागरा में तेलचरी से माल यार्ड को अंतरित करने के मुद्दे पर मैंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेल मंत्री को लिखा था। यह माल यार्ड सौ वर्ष तक अस्तित्व में रहा है। तेलचरी एक पुराना स्टेशन है और इसे भारतीय इतिहास में रेल के शुरूआत के समय में आरम्भ किया गया था। इस यार्ड को बिना किसी वजह के अन्यत्र अंतरित किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या अत्यधिक भरे मालयार्डों को अन्य स्थानों में अंतरित करना रेलवे की नीति का भाग तो नहीं है। वहां के श्रमिकों के पुर्नवास हेतु कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सरकार के इस प्रस्ताव से, इस मामले में लगभग 60 परिवार भूख से मर जाएंगे। इस बारे में मैंने माननीय मंत्री और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को भी लिखा, किंतु अभी तक मुझे कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला है।

औपचारिक जवाब यह दिया गया कि मामले की जांच की जाएगी और हमें सूचित कर दिया जाएगा, मगर अभी तक हमें सूचित नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह परिवर्तन पहली बार में ही क्यूं कर दिया गया है। यदि यह नीति का ही एक भाग है तो सांसद होने के नाते हम यह जानना चाहेंगे कि यह नीतिगत निर्णय कब लिया गया।

आदर्श रेलवे स्टेशनों के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में दो बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे-स्टेशन हैं जिनके नाम हैं—तेल्लीचेरी और बड़ागरा। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि एक आदर्श रेलवे-स्टेशन के रूप में इनमें से एक को तो चुन लिया ही जाए। इसके अलावा शोरानूर-मैंगलौर लाइन की दोहरीकरण का काम भी बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। अधिक पुलों का निर्माण किया ही नहीं गया है। मेरे चुनाव क्षेत्र में ही मुराद ब्रिज नाम का एक पुल है जो शुरू ही नहीं किया गया। यदि दूसरी लाइन पर इन पुलों का निर्माण नहीं किया गया तो मेरे ख्याल से, अगले दो दशकों तक हमें कोंकण रेलवे लाइन का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा शोरानूर-मैंगलोर लाइन के विद्युतीकरण के बारे में है। ममता बनर्जी जी और दूसरे माननीय मंत्री सभी सांसदों से यह अनुरोध कर चुके हैं कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से निधियां दी जाएं। जब हम निधियां देते हैं, वे लेते नहीं हैं। मैं खुद अपना उदाहरण दूंगा। तेल्लीचेरी में मैंने फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 30 लाख रु० निर्धारित किए थे। नियंत्रक ने रेलवे प्राधिकारियों

[प्रो० ए०के० प्रेमाजम]

से संपर्क किया। हमे यह जवाब मिला कि हमें इसके लिए रेलवे को पूरी 30 लाख रु० की रकम देनी पड़ेगी। और तो और, हमें रेलवे को शुल्क भी देना पड़ेगा।

योजना आयोग यह दो शर्तें नहीं मान रहा है। इन दो शर्तों को पूरा करने में नियंत्रक काफी मुश्किल में हैं। इस बारे में मैंने माननीय मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक को भी पत्र लिखे हैं। मगर अब तक मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया गया है।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। महोदय, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा।

महोदय, सच्चाई यही है कि रेलवे के बजट आबंटन में असाधारण वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के लिए आवश्यकताओं और मांगों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। रेलवे के बजट में जो भी वृद्धि हुई है वह अधिकतर पटरी परिवर्तन पर ही खर्च हो रहा है जैसे लाइनों का दोहरीकरण, नई पटरियां बिछाना, विद्युतीकरण इत्यादि। मेरे ख्याल से इसकी तुलना में रेलवे अपने डिब्बों के रखरखाव पर बहुत ही कम राशि खर्च कर रहा है और संभवत: इसी कारण दक्षिण-मध्य रेलवे में ही अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले दो सालों में, दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीज़न में कई रेल दुर्घटनाएं हुई। जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है, वही नपा-तुला जवाब दिया जाता है कि इसके पीछे तकनीकी खराबी थी या इसमें कुछ उपद्रवी तत्त्वों का हाथ था। ऐसे ही कुछ कारण गिनाए जाते हैं। भले ही इनके पीछे कोई कारण हों मगर इन दुर्घटनाओं में अमूल्य मानव क्षति तो होती ही है। कई लोग मारे गए हैं। यहां तक कि हाल ही में हुई एक रेल-दुर्घटना में आंध्र-प्रदेश के हमारे एक मंत्री भी मारे गए। महोदय, इस खास पहलू पर गौर करने की बहुत जरूरत है। हमें यह देखना होगा कि दक्षिण-मध्य रेलवे के खास तौर पर विजयवाड़ा डिवीज़न की पटरियां ज्यों की त्यों हैं या नहीं। हमें यह भी पता लगाना चाहिए कि इसी क्षेत्र में बार-बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं के पीछे कौन से कारण हैं ?

महोदय, दूसरी बात यह है कि रेलवे-स्टेशनों पर शौचालयों के रखरखाव पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। यह किसी एक स्टेशन की बात नहीं है, आप कहीं भी जाइए, आप यह पाएंगे कि रेलवे-स्टेशनों के शौचालयों की हालत बहुत दयनीय है। यह गंभीर मामला है।

तीसरा पहलू, जिस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा—वह है, सैकेण्ड ए०सी० में इस्तेमाल होने वाली चादरें और तकिए। ये चादरें और तकिए बहुत ही गंदे और बदबूदार होते हैं। प्रश्न यही नहीं है कि इनका इस्तेमाल होता है या नहीं। किराए में इनकी लागत भी शामिल होती है। मेरे ख्याल से यही चादरें और तकिए पिछले 8-10 सालों से लगातार प्रयोग में लाए जा रहे हैं।

ये काफी बदबूदार होते हैं और इस मसले पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

दो साल पहले गूंटूर रेलवे डिवीज़न खोला गया था मगर वहां कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं किया गया। तत्कालीन रेल मंत्री श्री रामविलास पासवान गुंटूर आये थे और यह रेल-डिवीज़न खोल कर चले गए मगर दो साल बीत जाने पर भी यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बड़ी ही हैरानी की बात है कि रेल-डिवीज़न अभी तक काम कैसे नहीं कर रहा है और वहां कर्मचारियों की तैनाती क्यों नहीं की गई है?

मैं, अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित दो-तीन मुद्दे उठाना चाहूंगा। गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। वहां केवल एक ही जंक्शन है जिसका नाम है तेनाली जंक्शन जो मेरे चुनाव क्षेत्र के मुख्यालयों के मुख्य रेलवे ग्रांट ट्रंक रूट पर है। पूरे गुंटूर जिले में दिल्ली की एक भी रेल नहीं रुकती है। चेन्नई और दिल्ली को जाने वाली के०के० एक्सप्रैस और जी०टी० एक्सप्रैस गाड़ियों के तेनाली पर रोकने के लिए हमने कई बार प्रतिवेदन भी दिए हैं।

पालनाडू एक्सप्रैस, हैदराबाद-सिकंदराबाद और गुंटूर के बीच चलाई जा रही है। मुख्य ग्रांट ट्रंक रूट को जाने के लिए गुंटूर और तेनाली के बीच एक छोटा रास्ता है और वहां की लाइनों को डबल नहीं किया गया है। गुंटूर और तेनाली की पटरियों की डब्लिंग और उनके विद्युतीकरण की आवश्यकता है ताकि रेलगाड़ियां मेन लाइन तक सीधे ही पहुंच सकें। तेनाली रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है और इसे आधुनिक रेलवे स्टेशनों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ ही, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री रवि प्रकाश वर्मा। संक्षेप में अपनी बात कहें। दस बजे मंत्री जी को जवाब देना है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री महोदया ने जो अनुपूरक मांगें रखी हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विनियोग विधेयक में पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यालय में रेल नैट का विस्तार प्रपोज किया है। उसकी मांग हमारे क्षेत्र लखीमपुर खीरी, जो पूर्वोत्तर रेलवे का महत्वपूर्ण स्टेशन है, बहुत दिनों से प्रस्तावित थी। मुझे अवगत कराया गया था कि उसका कार्य निष्पादन शीघ्र हो जाएगा। लेकिन अभी वह अधूरा है, काम

चालू नहीं है इसलिए आपसे अनुरोध है कि उसको शीघ्र चालू कराने की मेहरबानी करें। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ से बरेली के बीच का जो क्षेत्र है, उसको ब्राडगेज में बदलने की आवश्यकता है। यह प्रकरण बहुत दिनों से लम्बित है। मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगी। फरूखाबाद से शाहजहांपुर होते हुए गोला के लिए एक सर्वे कराया गया था, उसकी प्रासंगिकता बहुत आवश्यक है। मुझे आशा है कि इसको भारत-नेपाल सीमा तक एक महत्वपूर्ण कस्बे तिकोनिया तक आगे बढ़ाने की मेहरबानी करेंगी। हमारे क्षेत्र में शारदा नदी की बाढ़ से रेल की पटरी को बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। इस सम्बन्ध में मैंने आपको अलग से पत्र भी लिखा है। मुझे आशा है कि इस महत्वपूर्ण रेल लिंक को बचाने के लिए आप तुरंत कदम उठाने का प्रयास करेंगी।

हमारे यहां लखीमपुर मुख्यालय है, उसमें रेल की पटरी शहर के बीच से गुजरती है। रेल फाटक करीब दिन भर में छ घंटे बंद रहता है, उससे आवागमन में दिक्कत होती है। इसलिए फ्लाई ओवर बनाने की आवश्यकता है। मेरा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हो। वहां एक दुदवा नेशनल पार्क है, उसमें पर्यटकों को दिक्कत होती है, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी पलिया में रेल यात्री निवास बनाएंगी। मैं पत्र भी लिख चुका हूं। आपने रेल सलाहकार समितियां बनाई हैं लेकिन उनकी बैठकें नहीं हो सकी हैं। ये बैठकें समय पर कराने का प्रयास करें। रेल के अंदर जो डिपार्टमेंटल विजिलेंस है, उसकी स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। मैं अलग से पत्र लिखूंगा। विभाग के अंदर जो भ्रष्ट अफसर हैं, उनहोंने लॉबिंग बना ली है और इससे रेलवे की सर्विस की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन पर भी गौर करने की कृपा करें। रेल हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था की बैक-बोन यानि रीढ़ की हड्डी है और हिन्दुस्तान को जोड़ने का माध्यम है लेकिन रेलों के आसपास जो स्टेशन है, उसके आसपास अपराधी और पुलिस की मिलीभगत से अपराधियों के अड्डे बनते जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में पचासों किस्से सामने आये हैं जहां पर निर्दोष यात्रियों को चोरी-छुपे ज़हर खिला दिया गया और उन्हें लूट लिया गया। उन यात्रियों में से कुछ बच गये और कुछ नहीं बचे। इस पर भी गहराई से गौर करने की जरूरत है। ये किस टाइप के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है।

सभापति महोदय : पांच मिनट खत्म हो गये। आप लिखकर दे दीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : अलग से दे दूंगा। माल ढुलाई में चोरी होती है, इससे रेल को नुकसान बहुत होता है। रेल मंत्री जी पूरी ईमानदारी के साथ रेल की छवि सुधारने के लिए प्रयासरत हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : हम सिर्फ अपने क्षेत्र का नहीं, उत्तर बिहार में दो-तीन समस्याओं की तरफ आपके माध्यम से ममता जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। पहले भी मिलकर बता चुके हैं। कुछ काम पैसा वाला है और कुछ बिना पैसे वाला है। पहले से बजट में छपरा से कप्तानगंज बड़ी लाइन में विस्तार के लिए आ चुका है जिस समय नीतिश जी रेल मंत्री जी थे। लेकिन उसका सी०सी०ए० नही हो सका। मैंने ममता जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अनुरोध किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है लेकिन हम पुरजोर निवेदन करेंगे कि इसे करा दीजिए क्योंकि भारी संख्या में लोग इससे लाभान्वित होंगे। यू०पी० और बिहार को जोड़ने का एक छोटा सा खंड है, बहुत बड़ी लाइन नहीं है। इसी तरह से मसरख रेलवे स्टेशन है जहां पैसा पहले से गया हुआ है लेकिन काम में प्रगति नहीं है, इसका क्या कारण है कि मसरख के सौन्दर्यीकरण का पैसा गया हुआ था कि वहां पार्क बनेगा, प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा और वी०आई०पी० गेस्ट रूम बनेगा। काम छ महीने से शुरू है लेकिन प्रगति नहीं है। संबंधित अधिकारी को आप निर्देश दे दें। पैसा दे रखा है तो काम सही ढंग से होना चाहिए। पटना में रेल पुल का मामला बहुत दिनों से लम्बित है। रघुवंश बाबू जी इस पर विस्तार से बोलेंगे। जब भी बोलते हैं तो यह मामला छूटता नहीं है। कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधान मंत्री जी देव गौड़ा जी कर आये थे। वह शिलान्यास किस चीज का किया था, हमें मालूम नहीं है। ममता जी से कहेंगे कि उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, मध्य बिहार सबको जोड़ने का यह अति महत्वपूर्ण पुल है।

उस पुल को प्राथमिकता के आधार पर, चाहे देश के किसी अन्य हिस्से के काम को थोड़ा विलम्ब से कर दें, लेकिन इस पुल को बनवा दें।

अंत में, एक काम बिना पैसे के खर्च का मैं निवेदन करना चाहता हूं। ममता जी से मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर चुका हूं। नीतिश जी जब रेल मंत्री थे, वे छपरा गए थे, उन्होंने वहां राजधानी के ठहराव की घोषणा की थी। ट्रेन वहां रूकती है, लेकिन टैक्नीकल कारण से लोग उतर तो जाते हैं, लेकिन चढ़ नहीं पाते हैं। इस काम में कोई खर्च नहीं होना है, समय जो वहां दिया जाता है, उसको अधिकृत रूप से कर दें, ताकि वहां की जनता को लाभ हो सके।

इन शब्दों के साथ, आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अड्डूर) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सम्मानीय सभा में हम एक बार फिर, वर्ष 2000-2001 के लिए रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। केरल में रेल-विकास और यात्री-सुविधाओं के बारे में, मेरे सहयोगी श्री रमेश चेन्नितला पहले ही कई मुद्दों का उल्लेख कर चुके हैं।

मैं, बड़े ही खेद के साथ यह कह रहा हूं कि दक्षिण रेलवे क्षेत्र में अधिकतर गाड़ियां देर से चलती हैं और उनका अनुशासन खराब है। कई बड़ी ही महत्वपूर्ण गाड़ियां भी देर से चल रही हैं। इसलिए,

[श्री कोडीकुनील सुरेश]

मैं माननीय मंत्री जी से यह अपील करता हूं कि गाड़ियों के समय पर चलने और देरी को टालने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

यहां, मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा और वह है रेलवे के अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को परेशान करना। इस समुदाय का एक सांसद होने के नाते हमें इन समुदायों के कर्मचारियों की कई शिकायतें मिल रही हैं। इनकी मांगों के समर्थन में कई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ आंदोलन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का स्थानांतरण और पदोन्नती ठीक से नहीं की जा रही है। डिवीज़नल या ज़ोनल स्तर पर इन कर्मचारियों को उच्चाधिकारी, अधिकार नहीं दे रहे हैं। रेलवे में, इन समुदायों के लोगों की भर्ती को जानबूझकर टाला जा रहा है। माननीय मंत्री जी को इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए।

कोंकण रेल में यात्रा के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि मानसून के दौरान इसमें यात्रा करना बड़ा ही कठिन है। मानसून के दौरान, सभी रेलगाड़ियों को कोंकण रेल मार्ग पर चलाया जाता है। मिट्टी खिसकने या दूसरे तकनीकी कारणों से कुछ गाड़ियों को चलाया नहीं जाता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि कोंकण रेल मार्ग की रेल यात्रा में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

मैं, माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहूंगा और वह है—केरल के रेल विभाग की लापरवाही। माननीय सदस्य, श्री रमेश चेन्नितला इसका उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। इस मुद्दे पर मैं भी उनके साथ हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही रेल मंत्री, केरल राज्य के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अभी तक वहां कोई बड़ी परियोजना नहीं है। केरल में कोई जोनल ऑफिस भी नहीं है। हमारे पास चीफ इंजीनियर का कार्यालय नहीं है और कोई वैसा व्यवसायिक कार्यालय भी नहीं है। माननीय मंत्री ने अपने बजट भाषण में केरल में रेल विकास के समन्वय के लिए आवासीय आयुक्त की नियुक्ति का आश्वासन दिया था।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए, मांगों पर बोलने का प्रयत्न करें।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, बस समाप्त ही कर रहा हूं, बस दो-तीन मिनट और लूंगा।

जैसा कि मैंने पहले कहा था कि माननीय मंत्री ने केरल में रेल विकास के समन्वय के लिए त्रिवेन्द्रम में एक आवासीय आयुक्त की नियुक्ति का आश्वासन दिया था किंतु उस चयन को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसलिए, मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री, त्रिवेन्द्रम में एक रेजीडेंट कमिश्नर को नियुक्त करेंगे। केरल से हमने कई रेलगाड़ियों की मांग की है।

सभापति महोदय : अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कोडीकुनील सुरेश : हम, दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तक गाड़ी चलाने का अनुरोध भी करते हैं।

सभापति महोदय : एक मिनट में आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री कोडीकुनील सुरेश : मैं समाप्त कर रहा हूं हम रोजाना हावड़ा से त्रिवेन्द्रम और जयपुर से त्रिवेन्द्रम गाड़ी चलाने और क्विलोन से रामेश्वरम् तक की नई यात्री गाड़ी चलाने का अनुरोध भी करते हैं।

हमें खुशी है कि इरोड से इरनाकुलम तक विद्युतीकरण का पहला चरण प्रारंभ कर दिया गया है। हम यह अनुरोध करेंगे कि इसके दूसरे चरण, इरनाकुलम-त्रिवेन्द्रम को भी इस वर्ष प्रारंभ किया जाए। हम वाया कोट्टायम, इरनाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाइन का दोहरीकरण करने की मांग भी करते हैं। यह बहुत ही आवश्यक लाइन है और इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि इसे बहुत जल्दी प्रारंभ किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह आपका अंतिम मुद्दा है।

श्री कोडीकुनील सुरेश : एक और मुद्दा है जो मेरे चुनाव क्षेत्र से संबंधित है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि अंगामाली-साबरी रेलवे लाइन का विस्तार किया जाए। पिछले बजट भाषण में भी मैंने इसका ज़िक्र किया था और माननीय मंत्री जी से इस बारे में अनुरोध भी किया था। माननीय मंत्री जी ने यह वचन दिया है कि प्रस्तावित अंगामाली-साबरी रेलवे लाइन का विस्तार, मेरे चुनाव क्षेत्र पुन्नालूर तक कर दिया जाएगा। इस पर भी विचार किया जाए।

सभापति महोदय : ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कोडीकुनील सुरेश : विरुद्धुनगर-क्विलीन में गेज परिवर्तन के बारे में मेरे सहयोगी उल्लेख कर चुके हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, बस समाप्त कर रहा हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में विरुद्धुनगर-क्विलीन की गेज परिवर्तन परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस गेज परिवर्तन के लिए इस वर्ष के बजट में अधिक राशि आबंटित की जाए।

[हिन्दी]

श्री पुन्नु लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, मध्य प्रदेश राज्य का जो नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया है, वहां बिलासपुर में रेलवे जोन खुला है, उसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। दो वर्ष पहले प्रधान मंत्री जी उस रेलवे जोन का उद्घाटन करने के लिए बिलासपुर गए थे। रेलवे जोन का उद्घाटन करने के बाद मात्र 20 लाख रुपए ही रेलवे जोन को दिए गए हैं। यह राशि अपर्याप्त है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम दस करोड़ रुपए की राशि दी जाए, जिससे रेलवे जोन उन्नति की ओर बढ़े। बिलासपुर-मुंगेली-मंडला

रेलवे लाइन का सर्वे 1999 में होना था, उसे 2001 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि 2000 में ही वह सर्वे कराकर प्लानिंग कमीशन को स्वीकृति हेतु भेजा जाए। आपके प्रशासनिक अधिकारी का मुख्यालय बिलासपुर में था और वह अच्छे ढंग से चल रहा था। उसे बिना कारण वहां से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे वहां के निर्माण कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। बिलासपुर से सरगुजा रेलवे लाइन, चिरमिरी तथा जांजगीर चापा का निर्माण कार्य प्रभावित हो गया है। बिलासपुर में प्रशासनिक अधिकारी के मुख्यालय को पुन: बहाल किया जाए।

महोदय, मैं कुछ मांगें करना चाहूंगा, हमारी पुरानी मांग है कि बिलासपुर के पैंड्रा रोड में हीराकुंड एक्सप्रेस का स्टापेज दिया जाए और बिलहा स्टेशन पर सारनाथ एक्सप्रेस का स्टापेज किया जाए। बिलासपुर चुहचूहिया पारा में ओवर ब्रिज की पुरानी स्वीकृति है, वह अभी तक राशि के अभाव में शुरू नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिलासपुर चुहचूहिया मार्ग पर ओवर ब्रिज के लिए राशि की स्वीकृत अविलम्ब करें। बिलासपुर में नया छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वहां रेलवे भर्ती बोर्ड का गठन किया जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी श्रेणियों के रिक्त पदों की पूर्ति अभी तक नहीं हो रही है, उनके लिए विशेष भर्ती अभियान योजना चलाई जाए। डीआरएम आफिस में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती रोक दी गई है, उसे पुन: प्रारम्भ किया जाए। बिलासपुर मुंगेली मंडला रेलवे लाइन का सर्वे तत्काल कराया जाए। सभी एक्सप्रेस तथा लोकल गाड़ियों में प्रत्येक स्टेशन पर एसी की चार बर्थ आरक्षित की जाएं तथा लोकल गाड़ियों में छ: सीटें आरक्षित की जाएं। एक्सप्रेस गाड़ियों में अधिकतर एसी डिब्बे रहते हैं, इससे यात्रियों को आने-जाने में कठिनाई रहती है। इसलिए प्रत्येक गाड़ी में लोकल बोगी जोड़ी जाए, यह मेरी मांग है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन मांगों की पूर्ति करें। *(व्यवधान)* सभी मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, 3600 करोड़ रुपए का रेल बजटीय सपोर्ट मिला लेकिन बिहार को 40-41 करोड़ रुपए मिले हैं। मैंने सब जोड़ कर देखा है। हिन्दुस्तान का दसवां हिस्सा बिहार में है। रेलवे के जानकारों के अनुसार 3600 करोड़ रुपए में से एक साल में 360 करोड़ रुपए बिहार को मिलने चाहिए, लेकिन 40 करोड़ रुपए मिले हैं जबकि उसे दसवां हिस्सा मिलना चाहिए। जितना मिलना चाहिए, उसका दसवां हिस्सा मिला है। इताना भारी अन्याय, अत्याचार पृथ्वी पर सहन नहीं किया जा सकता। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री महोदय क्या चाहती हैं? बिहार में पहले भी आन्दोलन हुए। बिहार आन्दोलन करके लड़ना जानता है। बिहार दिल्ली को हिलाना ही नहीं, चकनाचूर करना भी जानता है। 3600 करोड़ रुपए में से उसका हिस्सा क्यों मारा गया? इस बारे में 36 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर करके पत्र लिखा। वह पत्र प्रधान मंत्री जी को भी दिया और कहा कि बिहार की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। 18 तारीख को माननीय सभाध्यक्ष को भी पत्र दिया। इसे लेकर धरना भी हुआ। माननीय मंत्री जी क्या कर रही हैं, मैं नहीं जानता?

बिहार में कोई नई परियोजना शुरू नहीं की गई। आपने बिहार को क्यों खत्म कर दिया? प्रभुनाथ जी मधुर सवाल उठा कर चले गए। बिहार के 12 सांसद मंत्रिपरिषद में हैं। वे मंत्री जानते हैं कि उसका हिस्सा मारा जा रहा है।* *(व्यवधान)*

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, * यह ठीक भाषा नहीं है।

सभापति महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक या असंसदीय बात होगी तो देख लेंगे।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : रेलवे की एक पिंक बुक होती है। उसमें 15 करोड़ रुपए मंजूर हुए लेकिन अभी जांच हो रही है। इतना बड़ा छल बिहार के साथ हुआ? गंगा और मुंगेर के पुल मंजूर हुए। आप अभी दो लाख और पांच लाख रुपए की योजनाएं ही बना रहे हैं। बार-बार सरकार ने वचन दिया कि वैशाली में बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जाएगा लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया। हमें मालूम नहीं रेलवे का क्या हाल होने जा रहा है? हाजीपुर, वैशाली और सुबोली का सर्वेक्षण हुआ जहां की भी इच्छा हुई, वहां रेल गई, जहां इच्छा नहीं हुई, वहां केवल सर्वेक्षण हुए। केवल सर्वे की ही बात होती है। मैंने इस बारे में पत्र लिखा। मंत्री जी ने जवाब दिया कि दो ही सर्वे हो रहे हैं। अभी खोजी सर्वे हो रहा है या होम सर्वे हो रहा है या बजट वाला सर्वे हो रहा है? इसमें से कौन सा सर्वे हो रहा है? जहां जनतंत्र ने जन्म लिया, जो भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है, जो भगवान महावीर का जन्म स्थान है और आप जानते हैं कि भगवान महावीर की देश भर में 26वीं जयन्ती सुन्दर ढंग से मनाई जा रही है, जहां से विश्व शांति का उद्घोष हुआ।

उस क्षेत्र की उपेक्षा करके यह सरकार टिक नहीं सकती। मैं इस सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि इतने बड़े भारी अन्याय का जस्टिफिकेशन क्या है? मैं बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले हाजीपुर को जोनल रेल हैडक्वार्टर बनाने के लिये शिलान्यास किया गया था। इसी प्रकार देशभर में अन्य जगहों पर हुआ। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस जोनल हैडक्वार्टर का क्या हुआ। लोग हमसे पूछते हैं। मैं दावे के साथ कहूंगा कि इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस तरह से अन्याय की मार बर्दाश्त नहीं की जायेगी। हम लड़ना जानते हैं और सरकार को चकनाचूर करना चाहते हैं।

श्री महेश्वर सिंह (मण्डी) : सभापति महोदय, रेल संबंधी अतिरिक्त अनुदान मांगों और अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर इस सदन में चर्चा हो रही है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ।

सभापति महोदय, इन मांगों में 22 नये रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में अपग्रेड करने की बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि पिछले सत्र में जब मैंने हिमाचल

*सभाध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री महेश्वर सिंह]

प्रदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया था क्योंकि हमेशा इसकी उपेक्षा की जाती रही है तो मंत्री महोदया ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश सुन्दर है और रेल की दृष्टि से इसे सुन्दर बनाया जायेगा। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि शिमला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, उस ओर ध्यान दिया जाये और इसे आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाये। अभी वर्तमान में यह एक्सटेंडिड रेलवे स्टेशन है और एक गोदाम में चल रहा है। पहले रेल वर्तमान स्थान से एक किलोमीटर तक पीछे तक जाती थी लेकिन जब मैंने राज्य सभा में इस बात को उठाया था तो उस रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड करके बस स्टैंड के नीचे तक ले गये हैं। अब ट्रेन तो नई जगह से औरिजिनेट करती है लेकिन टर्मिनेट अभी तक पुराने स्टेशन पर करती है। फलस्वरूप पर्यटकों को अपना सामान शहर तक ले जाना पड़ता है और कुली को एक सौ रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस बात आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें कोई खर्च भी नहीं होगा से रेल औरजिनेट करती है, वहीं टर्मिनेट होनी चाहिये ताकि पर्यटकों को सुविधा मिल सके। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगी और उचित निर्देश प्रदान करेंगी।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान कुल्लू-मनाली में कम्प्यूटर बुकिंग सैंटर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसे सैंक्शन हुये दो वर्ष हो गये हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भवन भी दे दिया है लेकिन कम्प्यूटर बुकिंग सैंटर अभी चालू नहीं हुआ है। फलस्वरूप पर्यटकों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। मुझे आशा है कि इस ओर ध्यान दिया जायेगा।

सभापति महोदय, कांगड़ा क्वीन ट्रेन हिमालय क्वीन की तर्ज पर पठानकोट से पालमपुर तक चलती है। इस गाड़ी को एक्टैंड करने के लिये जब मैंने आग्रह किया था तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि इसे अभी ट्रायल बेसिस पर चलाया गया है जिसे बाद में जोगेन्द्र नगर तक किया जायेगा। यह ट्रेन घाटे में चलती है। इसके लिये मैंने सुझाव दिया था कि इस गाड़ी में ए०सी० चेयरकार है, यदि सैंकिंड क्लास की बोगी भी हिमालयन क्वीन की तर्ज पर इसमें लगा दी जाये तो सरकार को काफी लाभ होगा। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान देंगी।

अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि परवाणु रेलवे स्टेशन का शिलान्यास दो वर्ष पहले किया गया था। यह हिमाचल प्रदेश में है और कालका से मात्र डेढ़-दो किलोमीटर दूर है जहां तक रेल लाइन बिछानी है। मुझे आशा है कि इस अनुपूरक बजट में उसके लिये टोकन मनी का प्रावधान किया जायेगा। इसके साथ ही जहां तक भानुपली से सलापड़ की ओर रेल लाइन ले जाने की बात है, जून के महीने में रेलवे बोर्ड और हिमाचल सरकार के बीच में बैठक हुई थी, उसके लिये मैं रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

कोंकण रेलवे की तर्ज पर वहां रेलवे लाइन बिछाने की बात कही गई है। लेकिन आपकी तरफ से उसमें 25 प्रतिशत हिस्सा देने की बात कही गई, 75 प्रतिशत हिस्सा हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने साधनों से जोड़ना होगा। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अभी उतना साधन सम्पन्न नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पैसे को बढ़ाया जाए ताकि कम से कम 50 प्रतिशत आपका हिस्सा रहे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (नागौर) : सभापति, महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेल बजट में राजस्थान को कुछ नहीं मिला है। राजस्थान के बोलने वाले महानुभावों ने भी आपको बताया। लेकिन मैं उसमें न जाकर सीधे अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और जयपुर के बीच डेगाना जंक्शन एक मुख्य जंक्शन है। इस जंक्शन पर अजमेर, रतनगढ़, लाडनू, सुजानगढ़ आदि जगहों तथा भारत के अन्य भागों के व्यापारी लोगों का, वहां आना-जाना लगा रहता है। वहां से हावड़ा ट्रेन निकलती है, लेकिन वहां उसका ठहराव नहीं है। मैं जोधपुर में रेलवे अधिकारियों से मिला था। उन्होंने बताया कि आमदनी और आवश्यकता के हिसाब से वे सहमत हैं कि हावड़ा का ठहराव डेगाना में हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हावड़ा ट्रेन के डेगाना में दो मिनट के ठहराव की अनुमति दें। माननीय मंत्री महोदय श्री दिग्विजय सिंह जी कुछ दिन पहले डेगाना आये थे और वहां स्थानीय लोगों तथा सभी पार्टियों के लोगों ने उनसे मिलकर निवेदन किया था और वह भी मेरी बात से सहमत थे। अत: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर गौर करके वहां उस ट्रेन का ठहराव करें।

महोदय, इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि गच्छीपुरा एक अन्य रेलवे स्टेशन है। जब पूर्व में वहां मीटर गेज लाइन थी तो वहां सभी तरह की एक्सप्रैस और मालगाड़ियां ठहरती थीं, लेकिन ब्रोड गेज बनने के साथ ही सभी गाड़ियों का ठहराव बंद हो गया है। वहां पिछले दस दिनों से हड़ताल है। सारा कस्बा बंद है। आसपास के 40-50 गांवों का सारा कारोगार बंद है और लोग वहां विनती कर रहे हैं कि गच्छीपुरा में दो मिनट के लिए एक ट्रेन का ठहराव किया जाए। वहां से बहुत सी गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन सभी गाड़ियों के लिए वे लोग विनती नहीं कर रहे हैं, उनका निवेदन है कि इंटरसिटी जो बीकानेर से जयपुर जाती है, वह जयपुर जाकर ठहर जाती है और दिन भर वहां खड़ी रहती है और शाम को वही वापस चलकर बीकानेर जाती है। यदि उस गाड़ी को आप दो मिनट गच्छीपुरा रुकने की इजाजत दें तो आपका समय का भी नुकसान नहीं होगा। वहां से लगभग पांच सौ लोग रोजाना मकराना संगमरमर के कारोबार के लिए आते-जाते हैं, उन्हें भी सुविधा हो जायेगी और रेलवे को भी उससे आमदनी होगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि वहां लोग दस दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और बहुत शांति से आपसे निवेदन कर रहे हैं, रेलवे प्रशासन भी वहां बैठा है, ताकि वहां कोई गड़बड़ी न हो। हमने भी उनसे निवेदन

किया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से करें, कोई गड़बड़ी न करें। आपसे पुन: निवेदन है कि इस रेल को गच्छीपुरा में दो मिनट के लिए ठहराव की अनुमति प्रदान करें।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि वर्ष 1999-2000 में प्रावधान था कि मेड़ता सिटी से अजमेर को जोड़ा जायेगा और इसके सर्वे के लिए छ: करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। लेकिन इस वर्ष जो बजट आया है उसमें परिवर्तन करके आपने मेड़ता से ब्यावर के लिए सर्वे करने की बात लिखी है। अभी माननीय सदस्य ने बताया था कि जहां विल होती है, वहां रेल चली जाती है नहीं तो सर्वे होते रहते हैं। मैं भी यही सोचता हूं कि पूर्व में आपने सर्वे के लिए मेड़ता रोड से पुष्कर और अजमेर का दिया था और छ: करोड़ रुपये व्यय कर दिये। लेकिन इस बार उसमें परिवर्तन करके उसे मेड़ता सिटी को जोड़ते हुए ब्यावर कर दिया। महोदया, मेड़ता भक्त शिरोमणि मीरा का स्थान है, पुष्कर तीर्थों का महातीर्थ है और अजमेर ख्वाजा पीर की दरगाह है और बड़ा धार्मिक स्थल है। इसलिए इन स्थानों को जोड़ना जरूरी है। इससे बीकानेर, जोधपुर सीधे अजमेर से जुड़ जायेंगे और जो लम्बा चक्कर काटकर जाना पड़ता है, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि समय की कमी है, लेकिन हम लोग बहुत कम बोलते हैं, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ ध्यान देकर कुछ समय हमारे लिए भी बचाकर रखें। महोदय, मकराना संगमरमर का मुख्य व्यापार केन्द्र है तथा नागौर हमारे जिले का कार्यालय है। आपने वहां कंप्यूटरीकरण करने तथा बुकिंग मशीनें लगाने की बात की थी।

मेरे ख्याल से स्वीकृति हो चुकी है लेकिन लगी नहीं है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मकराना डेगाना और नागौर की मुख्यता को देखते हुए वहां पर कंप्यूटरीकृत बुकिंग करवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अतिरिक्त अनुदान की मांगों और अनुपूरक अनुदान की मांगों 2000-2001 का समर्थन करता हूं।

अनुपूरक मांगों पर बहस के दौरान मैं यह बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां तक रेलवे के कार्यकरण का संबंध है उससे संबंधित किए जाने वाले अति अनिवार्य कार्य अपने आप दिखाई दे रहे हैं। जबकि रूढ़िवादिता से ग्रस्त तथा धार्मिक रूप से कट्टर पड़ोसी देश हमारे देश के लिए समस्या पैदा कर रहा है तो ऐसी स्थिति में देश के वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य पर और अधिक बल देना अनिवार्य हो जाता है। वास्तव में सुरक्षा परिदृश्य बद से बदतर होता जा रहा है और रेलवे आसान निशाना बना गया है। देश में स्थापित की गई संचार व्यवस्था पाकिस्तान और उसके एजेन्टों द्वारा भंग की जा रही है। आज की प्रमुख जरूरत प्रहारक क्षमता, विशेषत: करना है, रेलवे के लिए और अधिक प्रहारक क्षमता प्राप्त करना है रेल सुरक्षा बल को उचित तरीके से हथियार से लैस करके रेलवे की प्रहारक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। रेल सुरक्षा बल को इस समय प्रहारक्षम बल बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसके पास किसी भी अप्रिय घटना, यह चाहे मानव बम हो या आई०ई०डी० या आर०डी०एक्स अथवा कुछ अन्य को रोकने के लिए स्वचालित बंदूकें, छोटे हथियार और अन्य सभी प्रकार के उपकरण होने आवश्यक हैं। मैं इनका विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूं।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की गहराई में जाएं ताकि रेल सुरक्षा बल और रेल की प्रहारक क्षमता में वृद्धि हो सके। सभी संबंधित अधिकारियों और मजदूरों को इस विषय पर कार्य करना चाहिए ताकि रेल से दिन-प्रतिदिन होने वाली हानि को किसी तरह कम किया जा सके। इस कार्य के लिए रेल सुरक्षा बल की खुफिया शाखा और स्वयं रेलवे को उपयुक्त तरीके से परिवर्धित किया जाए ताकि रेल सुरक्षा बल केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल या सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता के बिना अपने बल पर कार्य कर सके। एक बात यह है।

जहां तक अतिरिक्त अनुदान की मांग का प्रश्न है इसमें दिलचस्प बात यह है कि पृष्ठ 4 पर, 1479 प्रतिशत खर्चा में वृद्धि की बात कही गई है और यह वृद्धि मात्र डिगरी संबंधी भुगतान के लिए की गई है। यह सभी को ज्ञात है कि भुगतान से संबंधित डिगरी के निर्णय में रेल अधिकारियों, वकीलों, लाभग्राही और कुछ अंश तक निर्णायक अधिकारी की मिलीभगत होती है और इस प्रकार रेलवे से एक बहुत बड़ी धनराशि कानूनी तरीके से लूटी जा रही है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस मामले में विस्तार से जांच की जानी चाहिए। मैं दूसरी बातों पर नहीं जा रहा हूं। रेल मंत्री को चाहिए कि डिगरी से संबंधित भुगतान की विस्तार से जांच करें जो कि इस प्रकार बढ़कर एक बार में 1479 प्रतिशत हो गया। ऐसा केवल यातायात में है। जहां तक अन्य भुगतान प्राप्ति और निर्माण का संबंध है वह 17.14 करोड़ रुपए है। इस पर लीपापोती की जा सकती है। मैं उसकी छानबीन नहीं कर रहा हूं। जहां तक डिगरी से संबंधित भुगतान का संबंध है इस विषय में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस मामले पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। मेरे विचार में चूंकि यह एक प्रभारित धनराशि है, अत: इस पर अधिक बहस नहीं की जा रही है। यदि यह एक स्वीकृत धनराशि होती तो इस पर विस्तार से बात की जाती लेकिन लोक लेखा समिति ने इसकी विस्तार से छानबीन की है, और एक उचित तरीके से जवाबदेही निर्धारित की जानी है।

जहां तक अनुपूरक अनुदान का संबंध है यह ज्ञात नहीं है कि पहली अनुपूरक अनुदानों में 11 परियोजनाओं के लिए 1,25,00,000

[श्री अनादि साहू]

रुपए की बचत की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इस बजट में ली गई कुछ परियोजनाओं पर, कार्य धीमी गति से किया गया होता?

और इन 11 परियोजनाओं को ध्यान में रखा जाता ताकि अगले दूसरे अनुपूरक मांगों में या बाद में नए बजट में अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जा सकती और दूसरे चल रहे कार्यों की गति धीमी की जा सकती। इस गुप्त संदेह को स्वयं मंत्री जी द्वारा दूर किया जाना है। इन बातों के अलावा मैं केन्द्रपाड़ा के सदस्य माननीय श्री प्रभात सामन्तराय के विचारों और सुझावों का भी समर्थन करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं केवल चार और सुझाव दूंगा।

मेरा पहला सुझाव यह है। मैं रेल मंत्री जी से बार-बार आग्रह कर चुका हूं और लिखित रूप से भी कह चुका हूं कि एक ट्रेन चलाई जाए।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री अनादि साहू : मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। मुझे चार बातें कहनी हैं। मैंने सप्ताह में कम से कम एक बार खुरदा रोड से बरहामपुर-विजयनगरम-रायपुर-दिल्ली के लिए एक गाड़ी चलाए जाने का अनुरोध किया था। मेरे बार-बार के आग्रह को अनसुना कर दिया गया है।

दूसरे, मैंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से यह अनुरोध किया था कि पुरी-ओखा और पुरी-अहमदाबाद गाड़ियों में दो सामान्य बोगियां लगाई जानी चाहिए क्योंकि हमारे यहां से काफी कपड़ा मजदूर महाराष्ट्र और गुजरात जाते रहते हैं। वे लोग आरक्षित श्रेणी का टिकट नहीं खरीद सकते हैं। जब वे शयनयान में घुस जाते हैं तो उन्हें कानूनी और गैर-कानूनी रूप पैसा देना पड़ता है। मैं गैर-कानूनी रूप से पैसा देने के बाद विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैंने केवल दो सामान्य बोगियों का अनुरोध किया है लेकिन मेरी यह मांग भी मानी नहीं गई है।

तीसरी बात यह कि राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से भुवनेश्वर जाती है, को वाया टाटानगर अथवा आसनसोल से खड़गपुर होते हुए तदनन्तर भुवनेश्वर तक चलाया जाना चाहिए ताकि हम यात्रा के समय का कम से कम 3 घंटा बचा सकें। *(व्यवधान)* मैं चौथा सुझाव नहीं दे सका। यदि आप अनुमति देंगी तो मैं इसे कहूंगा अन्यथा मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : यह अन्तिम बात है।

श्री अनादि साहू : नौपाड़ा से गुण्टूर आमान परिवर्तन के लिए 5 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है लेकिन अभी तक उस लाइन पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। मेरे मन में दूसरा संदेह है। ऐसा हो सकता है कि उस धन को कहीं और लगा दिया जाए। माननीय रेल मंत्री महोदया से अनुरोध है कि वे इस कार्य को शुरू करवायें। मुझे बस यही कहना है।

श्री वी०एस० शिवकुमार (तिरूअनन्तपुरम) : मैं आपके अवलोकनार्थ तथा तुरंत ध्यान देने के लिए निम्न बात कहना चाहता हूं।

पिछले अनेक वर्षों से मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरूअनन्तपुरम जो कि केरल में है रेलवे के विकास की उपेक्षा की गई है। तिरूअनंतपुरम और नागरकोइल रेल सैक्टर जो कि दक्षिण रेलवे का एक व्यस्ततम मार्ग है, का सभी दृष्टियों से अविलम्ब विकास किया जाना आवश्यक है।

मैं मंत्री महोदय का मांग संख्या 6 सम्मिलित करने के लिए धन्यवाद देता हूं जो कि तिरूअनंतपुरम से नागरकोइल तक यात्रा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मांग संख्या 6 तिरूअनंतपुरम-नागरकोली दक्षिण रेलवे के खिसके हुए ट्रैक को सही करने के लिए भूमि प्राप्ति से संबंधित है। मानसून के समय ट्रैक पर खिसकने की घटना के कारण रेल यातायात असंभव हो जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य के लिए धनराशि बढ़ाई जाए ताकि इस कार्य को बिना देरी किए पूरा किया जा सके।

तिरूपति-नागरकोइल रेलगाड़ी को तिरूअनंतपुरम सेंट्रल तक किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने यह वायदा बजट सत्र में केरल के सांसदों के साथ अपनी बैठक के दौरान किया था। कृपया माननीय मंत्री जी इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और अपने किए गए वायदे को पूरा करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को अविलम्ब अनुदेश जारी करें।

नेमन रेलवे स्टेशन जो कि तिरूअनंतपुरम से नागरकोइल मार्ग पर तिरूअनंतपुरम सैंट्रल के सबसे नजदीक है; इस स्टेशन पर रख-रखाव परिसर हेतु एक नयी टर्मिनल सुविधा स्थापित करने के लिए रेलवे के पास पर्याप्त भूमि है। यदि यह कार्य किया जाता है तो इससे तिरूअनंतपुरम सैंट्रल स्टेशन पर रखरखाव का भारी बोझ और गाड़ियों की भीड़ कम हो जाएगी।

पारसला रेलवे स्टेशन तिरूअनंतपुरम और कन्याकुमारी के बीच एक बड़ा स्टेशन है तथा केरल राज्य का अन्तिम स्टेशन है। इसको क्रासिंग स्टेशन में बदले जाने की आवश्यकता है। यह ज्ञात है कि इस स्टेशन पर रेलवे के पास 90 एकड़ भूमि है इसलिए इस प्रकार के विकास संबंधी कार्य में कोई कठिनाई नहीं आएगी। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अधिकारी दीर्घा में न जाएं।

श्री वी०एस० शिवकुमार : तिरूअनंतपुरम पट्टा रेलवे स्टेशन के विकास से संबंधित कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा किए जाने की आवश्यकता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस पर कल बहस होगी।

श्री वी०एस० शिवकुमार : तिरूअनंतपुरम पाट्टहा एक बड़ा स्टेशन है जहां अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों सहित बड़ी संख्या में यात्री उतरते हैं और यहां से शहर के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों विधान सभा, सचिवालय, विधायक होस्टल, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।

इस स्टेशन के विकास से तिरूअनंतपुरम सैंट्रल रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ में कमी आएगी। इस स्टेशन पर प्लेटफार्म न०1 की ऊंचाई काफी कम है जिससे इस स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों से यात्रियों के उतरने या उनमें चढ़ने पर काफी कठिनाई होती है। इस प्लेटफार्म की ऊंचाई अविलम्ब बढ़ाई जानी चाहिए और समूचे प्लेटफार्म पर छत बनाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : ममता जी यहां बैठी हैं। मैं एक सलाह से अपनी बात शुरू करूंगा। विश्व का सबसे बड़ा लोक उपक्रम अगर विश्व में कहीं है तो वह भारतीय रेल है। *(व्यवधान)* मेरी बात अगर पहले खत्म नहीं होती तो मैं उतने में ही खत्म कर दूंगा क्योंकि जो सुझाव मैं दे रहा हूं, अगर वह जंच गया तो बाकी प्रस्ताव मैं मिल कर ठीक करवा लूंगा। इस विभाग में ऊपर से नीचे तक लाखों कर्मचारी हैं। इस पूरी व्यवस्था में नीचे गार्ड, रेल ट्रैक पर काम करने वाले लोगों से लेकर चेयरमैन, रेलवे बोर्ड तक ब्यूराक्रेट्स, टैक्नोक्रैट्स हैं। पूरी व्यवस्था में नियंत्रण करने के लिए एक मंत्री, सौभाग्य से इस बार हमारे पास दो और मंत्री हैं तो कुल मिला कर तीन मंत्री हैं। ममता जी, जिस दिन से आप कुर्सी पर बैठी हैं, अगर आप यह तय कर लें कि मुझे हर काम गलत करना है तब भी इस व्यवस्था में आप जो डैमेज कर सकती हैं, वह जीरो दशमलव कुछ प्रतिशत होगा क्योंकि इसका ढांचा इतना बड़ा है कि आप जितना भी करना चाहेंगी, नीचे तक उस काम को करना संभव नहीं होगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर किसी विभाग में सबसे ज्यादा रिग्रैट लैटर्स आते हैं तो वह रेलवे है। हमको लगता है कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में अगर चला जाए, पिछले पचास वर्षों में देखा जाए तो रिग्रैट लैटर्स विश्व में अगर किसी विभाग द्वारा दिए गए होंगे तो वह रेलवे है। मैं महोदया से निवेदन करूंगा कि इस विभाग में थोड़ा सा कुछ निर्णय लेने का प्रयास करें क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अच्छे निर्णय लेंगी। मैं आपके पास सदन में कभी भी परव्यू लेकर नहीं जाता। लेकिन मेरे जीवन में एक ख्वाहिश है और अगर यह ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं समझता हूं कि मेरा पूरा राजनैतिक जीवन सफल माना जाएगा। पटना के समक्ष पिछले पचास वर्षों में गंगा पर एक रेल पुल निर्माण करने की मांग चली आ रही है। प्रधान मंत्री श्री देव गौड्डा ने वहां जाकर धूम-धाम से शिलान्यास किया लेकिन आज तक उस रेल पुल का अता-पता नहीं है। श्री राम विलास पासवान रेल मंत्री थे। उन्होंने भी बड़ी धूम-धाम से उस कार्यक्रम को किया। मुझे पता चला है कि उसके सर्वे का कुछ काम चल रहा था। मेरा निवेदन है कि अगर इस बड़े काम को करेंगे, बिहार वैसे भी गरीब राज्य है, उसको जोड़ने वाली यह पटरी इस देश के लिए और उस भाग के विकास के लिए बहुत उपयोगी काम होगा खास कर नार्थ ईस्ट को कनैक्ट करने के लिए अगर इधर से रास्ता निकलता है तो रेलवे की एक बड़ी अच्छी भूमिका होगी और हमारे जैसे राजनैतिक व्यक्तियों के लिए जीवन का एक संकल्प पूरा होगा।

छोटी-मोटी बातें 4-5 शब्दों में कहना चाहता हूं। छपरा से सोनपुर के बीच डबलिंग का कार्य बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। पता नहीं इस देश में राजनीति में जोनल हैडक्वार्टर क्यों खुलते हैं। या तो तय करें कि जोनल हैडक्वार्टर न खोलें और अगर एक बार जन-आकांक्षाओं को बढ़ाते हैं तो उसे हटाने का कोई औचित्य नहीं दिखता। यह बात उसी समय तय करनी होगी।

आपके दिल में बड़ी ममता है। इस देश में प्रिविलेज्ड क्लास के लिए फास्ट ट्रेन है। आप इस टेन्योर में हैं। गरीबों के लिए एक ऐसी ट्रेन चलाइए जिसकी गति राजधानी की हो और उसमें सब लोग सिटिंग में जाएं। पटना अगर बारह घंटे में दुगने लोग पहुंच सकें तो एक ममता एक्सप्रैस चलाइए जहां इस देश के गरीब भी तेज गति से सिटिंग क्लास में बैठ कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें। दक्षिण, उत्तर, पश्चिम के लिए चलाइए और उस सबका नाम ममता एक्सप्रैस रख कर इस देश के गरीबों के लिए कुछ करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ० वी० सरोजा (रासीपुरम) : बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय। सर्वप्रथम मैं भारतीय इतिहास की पहल रेल मंत्री को बधाई देती हूं। मैं यहां इन मांगों के समर्थन में खड़ी हुई हूं।

सेलम से कोट्टालूर अमान परिवर्तन परियोजना की लागत 198.68 करोड़ रुपये है।

रात्रि 10.00 बजे

दिनांक 23.2.2000 को व्यक्तिगत अभ्यावेदन के उत्तर में माननीय मंत्री ने, आश्वासन दिया था कि सी०सी०ई०ए० को मान्यता मिल जाएगी और इस संबंध में राशि शीघ्र जारी कर दी जाएगी। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इस मामले में तत्परता बरती जाए और सेलम-कोट्टालूर अमान परिवर्तन के लिए अधिक राशि उपलब्ध कराई जाए।

अब, मैं यात्रियों को सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहती हूं।

पूरी यात्रा में छोटी-मोटी बीमारी के लिए भी कोई प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और, प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 500 रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कम से कम कुछ बुनियादी और महत्वपूर्ण दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए।

[डा० वी० सरोजा]

एक दवाई की दुकान, जिसमें प्रशिक्षित फर्मासिस्ट हो जो दवाइयों की पहचान कर सकें खोली जानी चाहिए ताकि कम दवाइयों में शीघ्र लाभ देने वाली उचित चिकित्सा की जा सके।

जहां तक सुरक्षित पेयजल का संबंध है, यह अधिकतर रेलगाड़ियों में उपलब्ध नहीं है। कृपया इस ओर ध्यान दें क्योंकि सफर के दौरान अधिकतर बीमारियां साफ पेयजल उपलब्ध न होने के कारण होती हैं। खानपान की सुविधा सभी ट्रेनों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, विशेषकर लम्बी दूरी ट्रेनों में, ताकि यात्रियों को उचित भोजन मिले। यात्रियों को काफी असुविधा होती है खासकर जब वे परिवार के साथ सफर करते हैं।

जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूं कि खन्ना समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन किया जाए ताकि रेल सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा सके।

जहां तक समय की पाबंदी का सवाल है, श्री मलयसामी ने इसका उल्लेख किया है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगी कि जहां भी अनुचित देरी हो, तो रेलवे को मुआवजा देना चाहिए। तभी, हम नियमितता को प्राप्त कर सकेंगे।

जहां तक वित्तीय कमी का संबंध है, क्या मैं एक सुझाव दे सकती हूं? वर्तमान में प्लेटफार्म टिकट की कीमत 3 रुपये है, इसे 5 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ये रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के साथ-साथ आपको कुछ धनराशि भी उपलब्ध कराएगा।

जहां तक बिना टिकट यात्रियों का संबंध है, उन पर जुर्माना राशि बढ़ाई जानी चाहिए। रेल बोर्ड को आकर्षित योजनाओं के साथ जारी किया जाना चाहिए जिससे उनके महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए धन प्राप्त हो सके।

महोदय, अंततः, दिल्ली और अन्य मुख्य रेलवे स्टेशनों पर जाली समय-सारणी उपलब्ध होती है। आज, मैं इसे यहां नहीं लाई हूं, परंतु कल, मैं इसे यहां दिखाऊंगी। सरकारी समय-सारणी आवश्यक सभी जानकारियों के साथ और अच्छे कागज पर 25 रुपये में उपलब्ध है। मुझे दिल्ली में ही एक जाली रेल समय-सारणी मिली, जिसमें कोई मानचित्र नहीं था और इसमें मानचित्र पढ़ने के निर्देश भी नहीं थे और केरल से आने वाली ट्रेन की आखरी की दो लाइन गायब थी और इसे केवल चेन्नई तक दर्शाया गया था दिल्ली तक नहीं। यह भाग नदारद था। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूं कि इस मामलें को देखें।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि मुझे आपने इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स का समर्थन करती हूं।

सर्वप्रथम मैं जबलपुर की जनता की तरफ से मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने राजकोट एक्सप्रैस को जबलपुर तक बढ़ाया। मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जबलपुर के लिए कम से कम कुछ सोचा। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूं कि जबलपुर भारत देश के केन्द्र में बसा हुआ है और देश के सभी महानगरों का इससे सम्बन्ध है। यहां पर रक्षा मंत्रालय का कार्यालय भी है, विश्वविद्यालय है, भेड़ाघाट तथा कान्हा पर्यटनस्थल है। निम्नलिखित सुविधाएं जो मैं बता रही हूं, उनकी ओर अगर ध्यान दिया जाये तो जबलपुर की काफी प्रगति हो सकती है।

मेरा आपसे एक निवेदन और भी है। 12 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने की जो आपने बात सोची है, उसमें मध्य प्रदेश के केवल उज्जैन स्टेशन को आपने लिया है, उसमें जबलपुर को भी जोड़ दिया जाये और पश्चिम मध्य जोन के विकास हेतु राशि बढ़ाई जाये।

रात्रि 10.05 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

गोंदिया नैनपुर जबलपुर तक गेज परिवर्तन हेतु राशि बढ़ाई जाए। यह परियोजना 1996-97 में शुरू की गई थी। इसके कार्य की गति अत्यंत धीमी है। 386.3 करोड़ रुपए की इस परियोजना में अभी तक मात्र 59.82 करोड़ रुपए ही आबंटित किए गए हैं और उसमें से मात्र 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना का ब्यौरावार अनुमानित राशियों की स्वीकृति नहीं की गई है तथा अभी तक कार्य समाप्ती का लक्ष्य तय नहीं किया गया है। इस योजना में गोंदिया-बालाघाट सेक्शन में प्रारम्भिक कार्य हो चुका है। किंतु यहां पर ब्राडगेज लाइन डालने के लिए इस नेरोगेज को बंद करना पड़ेगा इसलिए इस सेक्शन का कार्य रुका हुआ है। इसको तुरंत पूर्णतः की ओर ले जाया जाए। नैनपुर-जबलपुर की सर्वे रिपोर्ट नहीं आई है इसलिए उसको भी शीघ्र किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि इटारसी-जबलपुर-इलाहाबाद खंड का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण किया जाए। अमरकंटक एक्सप्रेस, भोपाल-दुर्ग वाया जबलपुर प्रतिदिन चलाई जाए। महाकौशल एक्सप्रेस जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन को तीन दिन जम्मू एवम् शेष दिन पठानकोट तक बढ़ाया जाए। शिप्रा एक्सप्रेस हावड़ा-उज्जैन चार दिन इटारसी-जबलपुर होकर चलाई जाए। कोची-हैदराबाद एक्सप्रेस बंगलौर तक बढ़ाई जाए। जबलपुर से भोपाल तक एक इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जो, क्योंकि भोपाल वहां की केपिटल है। जबलपुर से नागपुर तक भी एक इंटरसिटी चलाई जाए। इटारसी-जबलपुर फास्ट पैसेंजर को कटनी तक बढ़ाया जाए। पटना-मद्रास को त्रिवेन्द्रम या कन्याकुमारी तक बढ़ाया जाए। मदनमहल स्टेशन के प्लेटफार्म बढ़ाए जाएं। मदनमहल मालगोदाम को कछपुरा स्थानांतरित किया जाए। मदनमहल स्टेशन का सिटी साइड से विस्तार किया जाए, जिससे जबलपुर नगर के लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। जबलपुर लोको में वाशिंग पिट का विस्तार कराया जाए, स्टीम लोको शेड समाप्त के बाद पर्याप्त जगह उपलब्ध हो सकती है। जबलपुर इंडियन ऑयल

डिपो की भूमि का उपयोग किय जाए, क्योंकि इंडियन ऑयल का डिपो वर्तमान में भिटौनी में कार्यरत है। छोटी लाइन में गोरखपुर, जबलपुर के बीच जो है, वहां ओवरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता है। मानिकपुर लाइन में लूटपाट बहुत होती है, उसको रोका जाए और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। कुछ स्टेशनों को उन्नत करने के लिए आगे के कार्यक्रम में जोड़ा जाए।

यहां पर अकाउंट्स वाले धरना दे रहे हैं, स्टेशन मास्टरों की कुछ डिमांड्स हैं। मैं कहना चाहती हू कि आपने भी उन लोगों को आश्वासन दिया था इसलिए उस पर कुछ ध्यान दिया जाए।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अनंत गुढे (अमरावती) : अध्यक्ष जी, मुझे दो मिनट दे दें, मेरे क्षेत्र की महत्वपूर्ण डिमांड है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब दस बज गए हैं, आप बैठ जाएं, यह सप्लीमेंटरी डिमांड हैं, आपको मालूम नहीं है।

श्री अनंत गुढे : मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मंत्री जी जवाब देंगी।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे इस वक्त बोलने का मौका दिया। मैं सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई और हार्दिक धन्यवाद देती हूं जिन्होंने सुन्दर सुझाव दिए। मैं, विशेषकर उनके राज्यों में, उनके निर्वाचन क्षेत्रों में और उनके अपने जिलों में रेलवे के प्रति उनकी चिंता की प्रशंसा करती हूं।

महोदय, रेलवे दृष्टिगत है और देश की जीवन रेखा कहलाती है। इसीलिए, लोगों की आकांक्षाएं और जनप्रतिनिधियों की आकांक्षाएं बहुत ऊंची है, और मैं उनकी चिंता की प्रशंसा करती हूं। परंतु, साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगी, मेरे बजट भाषण के दौरान, मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि भारतीय रेलवे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे है जिसमें 62,800 कि०मी० का रेलमार्ग है, देश में प्रतिदिन 12,000 ट्रेनें चलती हैं, लगभग 7,000 रेलवे स्टेशन हैं और 16 लाख रेलवे कर्मचारी हैं, यह सबसे बड़ा और विस्तृत विभाग है।

महोदय, यह सच है कि मैंने पिछले दस महीनों के भीतर रेलवे को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने का समुचित प्रयत्न किया। मैं सभा को बताना चाहती हूं कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा। मुझे लगता है कि पुनर्गठन विशेषकर कार्य संचालन और प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। यह सबसे बड़ा संगठन है और एक ही व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि रेलवे के कार्य-संचालक और प्रशासन को देखे, 16 लाख कर्मचारियों की समस्याओं, अस्पतालों, आर०पी०एफ, होटलों और रेलवे के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों की समस्याओं पर ध्यान दें। नि:संदेह, श्री राकेश मोहन के नेतृत्व में सुधार समिति इस मामले को देख रही है। इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, मुझे लगता है सरकार को अवश्य इसकी जांच करनी चाहिए। नि:संदेह, यदि मैं यहां हूं तो, मैं जो कुछ कर सकती हूं करने का प्रयत्न करूंगी।

कभी-कभी मुझे ग्लानि होती है कि प्रयत्न करने के बाद भी मैं प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाती। यहां कम से कम 800 संसद सदस्य हैं। इस देश में विधान सभा सदस्यों की संख्या भी बहुत है। यहां कई मुख्य मंत्री भी हैं। यहां तक कि राजदूत भी हमारे पास आते थे। मुख्य मंत्री हमारे पास आते थे। संसद संदस्य, नि:संदेह, आएंगे। विधान-सभा सदस्य और सभी प्रतिनिधि मुझे लिखते हैं। प्रतिदिन मुझे 3000 से 4000 पत्र प्राप्त हो रहे हैं। यह बड़ी मुश्किल स्थिति है। मैं रेलवे के लिए दिन से रात तक काम करने का प्रयत्न करती हूं। मैंने यह सब देखा है। इसलिए, मैं समझती हूं कि रेलवे का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए, मैंने तीन चार बातों में पहल की है। पहले, सारी शक्तियां रेलवे बोर्ड और मंत्रालय के पास थी। इस वक्त मैंने रेलवे बोर्ड की 25 प्रतिशत शक्तियां स्थानिय जनरल मैनेजर और डिविजनल रेलवे मैनेजरों को दे दी हैं। मुझे यह बात सभा को बताने का मौका पहले नहीं मिला। जब कभी भी रेलवे पर चर्चा होती है, तो या तो वह रात में या आधी रात में होगी। मैं प्रचार के पीछे भागने वालों में से नहीं हूं। इसलिए मैंने यह बात पहले नहीं बतायी। चूंकि मैं आज रात्रि के 10.10 बजे उत्तर दे रही हूं, मैं आपको यह सूचना दे रही हूं।

अब मैं ज़मीन और परिसम्पत्ति के व्यावसायिक उपयोग पर आती हूं। रेल परियोजनाओं में देरी क्यों हो रही है? मैंनू इसे अपने व्यावहारिक अनुभव से जाना है। फरवरी महीने में हम बजट प्रस्तुत करते हैं। परंतु जब तक बजट पारित नहीं हो जाता, हम कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकते। फरवरी के आखरी हफ्ते में हम बजट प्रस्तुत करते हैं। मई के महीने में, बजट पारित होता है। इसके बाद आपको निविदाएं इत्यादि आमंत्रित करनी पड़ती हैं। जिसमें तीन महीने लग जाते हैं। यदि आप इसकी गणना करें तो एक साल में नौ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। इसीलिए मैं सभा से निवेदन करती हूं कि इस बारे में कुछ निर्णय लें कि ये नौ महीने बर्बाद न हों।

वित्त मंत्रालय के पास कोई निर्माण कार्य नहीं है। परंतु रेलवे के पास निर्माण कार्य होता है। यदि आप नौ महीने बजट प्राप्ति करने और अन्य बातों में लगाएंगे तो, फिर निर्माण कार्य किस प्रकार होगा? यह पहला ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं अपने विचार मुखरता से रखना चाहती हूं। मैं सभा से यह निवेदन करती हूं कि रेलवे निर्माण कार्य का मामला सुलझा लिया जाए ताकि हम सही समय पर पैसा खर्च कर सकें।

इस बार भी, मैंने प्रत्येक राज्य के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया। ये निगरानी समिति प्रत्येक राज्य में जा रही है और वे राज्य सरकार के अधिकारियों से बात कर रही है। हमने राज्य

[कुमारी ममता बनर्जी]

सरकारों और रेलवे से अधिकारी नियुक्त किए हैं जिससे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मध्य समन्वय स्थापित हो और वे मिल कर कार्य करें। मैंने यह भी किया है।

जहां तक सुरक्षा और संरक्षा का संबंध है, नि:संदेह इसके लिए सभी चिंतित हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम रात को इस डर से नहीं सो सकते कि पता नहीं कब कोई बम विस्फोट हो जाए या कब तोड़-फोड़ की घटना हो? आजकल हम ऐसी ही परिस्थितयों से गुजर रहे हैं। हम अब ऐसी ही भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि हम देख सकते हैं कि बम धमाका कब कहां होने वाला है?

मैंने यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो कार्यवाही की है, उसका खुलासा नहीं करना चाहती क्योंकि यदि इसका खुलासा कर दिया जाए, तो आतंकवादी उसका लाभ उठाकर देश को क्षति पहुंचा सकते हैं और ऐसे में उन्हें लाभ मिल जाएगा। इसीलिए मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहती।

माननीय सदस्य, डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने एक मुद्दे का उल्लेख किया है। क्या आप लोग जानते हैं कि हम यह कार्य कैसे कर रहे हैं? हम इसे चुपचाप कर रहे हैं ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। परन्तु यदि आंतकवादी रिमोट कंट्रोल उपकरण द्वारा कोई विस्फोट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? रेलवे में हमारे पास रेल सुरक्षा बल है। परंतु रेल सुरक्षा बल कानून और व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कर सकता और वह एक प्राथमिकी भी दर्ज नहीं कर सकते। रेल सुरक्षा बल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए हमने कृतिक बल समिति का भी गठन किया है। मैंने कृतिक बल समिति, डी०जी०पी०, मुख्य सचिव, रेल सुरक्षा बल, और जी०आर०पी०एफ० को मिलाकर गठित की है। श्री मनिष गुप्ता, जो भारतीय पुलिस सेवा के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं इस समिति के अध्यक्ष हैं।

वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं। मैंने उन्हें इस मामले को सुलझाने के लिए कहा है। रेल सुरक्षा बल रेलवे के अधीन तो है, परन्तु यह बहुत ही कमजोर बल है क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। या तो हमें इस बल को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, इस सभा को कानून में संशोधन करके इस बल को शक्ति देनी पड़ेगी या हमें जी०आर०पी०, सरकारी रेलवे पुलिस पर आश्रित रहना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करता है कि यह बल हमारा है, परंतु यह रेलवे के अधीन नहीं है। यह राज्य सरकार की रेलवे पुलिस है। राज्य सरकार इसे 50 प्रतिशत की निधि देती है और हम 50 प्रतिशत निधि देते हैं। परंतु मैं सोचती हूं, कि रेलवे को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है क्योंकि हमारे पास संभावित खतरे वाले क्षेत्र हैं, हमारी रेलगाड़ियां खतरे वाले क्षेत्रों से गुजरती हैं, हमारी रेलगाड़ियां अंदरूनी भागों में जाती हैं, पिछड़े इलाकों में चलती हैं और हमारी रेलगाड़ियां दूरवर्ती क्षेत्रों में जाती हैं। हम सीमा पर बाड़ भी नहीं लगा सकते हैं। 62,800 किलोमीटर लम्बे रेलमार्ग पर हम बाड़ कैसे लगा सकते हैं? इसकी क्या क्रियाविधि है और कैसी प्रणाली है? और फिर, हमें काफी धन भी लगाना होगा। वर्तमान वर्ष में हमारी बजटीय सहायता 75 प्रतिशत से घटकर 32 प्रतिशत रह गई है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई जादुई चिराग है और हम इन सारी आवश्यकताओं को बगैर धन के ही पूरा कर सकते हैं। आप धन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए, भूमि खाली स्थान और ओ एफ सी का वाणिज्यिक उपयोग करने के नवीन विचारों को अपनाना होगा।

महोदय, मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि मैं अपने वचन की पाबंद नहीं हूं। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा है क्योंकि वचनबद्धता ही मेरी विश्वसनीयता है। इसी लिए मैं सभा में यह उल्लेख करना चाहती हूं कि मैंने अपने बजट भाषण में 31 नई रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की थी। सभी मार्गों पर अधिकतम यातायात की स्थिति होने के बावजूद हमें अतिरिक्त क्षमता तैयार करनी है। रेलमार्गों पर भारी यातायात के कारण रेलगाड़ियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती हैं। इन सभी बाधाओं के बावजूद, घोषित 31 नई ट्रेनों में से अनुपूरक मांगों में यह पहले ही बताया गया है कि कुछ नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है। मैंने 22 नई ट्रेनों के लिए बजट में प्रावधान रखा था जिनमें से 17 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। विस्तार की जाने वाली 11 रेलगाड़ियों में से छह का विस्तार किया गया है। घोषित पांच ट्रेनों में से तीन रेलगाड़ियों की बारंबारता भी बढ़ा दी गई है। केवल पांच रेलगाड़ियां उद्घाटन न किये जाने जैसे विभिन्न कारणों से रह गई हैं। अन्यथा, 22 नई रेलगाड़ियों में से 17 रेलगाड़ियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।

महोदय, मैं जानती हूं कि माननीय सदस्यों को आदर्श स्टेशनों, नए स्टेशनों एवं ऐसी सभी बातों के बारे में कुछ ज्ञान है। मैं यह बताना चाहूंगी कि हमने अपने देश में 186 आदर्श स्टेशनों को शामिल किया है। इन अनुपूरक मांगों में भी 22 और मॉडल स्टेशनों को शामिल किया गया है जिससे आदर्श स्टेशनों की कुल संख्या 208 हो गई है। हमने भूति के वाणिज्यिक उपयोग के लिए 69 क्षेत्रों की पहचान भी की है।

महोदय, माननीय सदस्यों को याद होगा कि चालू वर्ष के बजट में 475 मिलियन टन भारवहन का लक्ष्य रखा गया था। मुझे सभा को यह सूचित करने में प्रसन्नता होती है कि जुलाई, 2000 के अंत तक रेलवे ने 154.66 मिलियन टन माल की ढुलाई की है जो पिछले वर्ष की गई ढुलाई से 8.94 मिलियन टन ज्यादा है। यह रेलवे की उपलब्धि है। मैं यहां बताना चाहती हूं कि पिछले वर्ष हमने माल ढुलाई के सभी रिकार्डों को पार कर लिया क्योंकि रेलवे कारोबार करने लगी है और बाजार में प्रतियोगी के रूप में भी प्रवेश करने वाली है।

महोदय, वित्तीय रूप से भी जुलाई, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि तक माल से होने वाली आय 7,683 करोड़ रुपए है जो उक्त अवधि तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से 23 करोड़ रुपए ज्यादा है

और पिछले वर्ष से 450 करोड़ रुपए ज्यादा है। हमने रेलगाड़ियों में यात्रा करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और कृषक मजदूरों के लिए भी 15 रुपया प्रति माह के टिकट की अनुमति दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने उनको अनुमति प्रदान की है और वे अधिकार सहित ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं। परन्तु जब आप मुझसे यह पूछेंगे कि क्या इनसे रेलवे की आय कम हुई है तो मैं इस सभा के समक्ष कहूंगी 'जी नहीं'। इस अवधि के दौरान यात्रियों से होने वाली आमदनी 3,344 करोड़ रुपए है जो कि लक्ष्य से 58 करोड़ रुपए ज्यादा है और विगत वर्ष से 256 करोड़ रुपए ज्यादा है। हम और क्या कर सकते हैं? हमने वरिष्ठ नागरिकों, कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं को सुविधा प्रदान की है और स्वतंत्रता सेनानियों को भी सहस्राब्दि उपहार के रूप में सुविधा प्रदान की है। महोदय, हम कोशिश करते हैं परन्तु हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इन सब बातों के बावजूद हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

नि:संदेह, माननीय सदस्यों ने मूल्यवान मुद्दे उठाए हैं और मैं इसकी प्रशंसा करती हूं। सबने अपने जिले, निर्वाचन क्षेत्र और अपने राज्य से संबंधित परियोजनाओं का उल्लेख किया। हालांकि, मैं अभी जवाब दे सकती हूं पर मेरे विचार से यह बेहतर होगा कि मैं बाद में लिखित रूप से उनको विस्तृत जवाब दूं।

[हिन्दी]

रघुवंश जी, आप लोग हमारे खिलाफ बहुत धरना दे रहे हैं। आप दीजिए, यह आपका डेमोक्रेटिक राइट है। मैं आपकी रिसपेक्ट करती हूं, लेकिन आप यह बताइए कि मैंने आपके लिए क्या बुरा काम किया। नीतीश जी के टाइम पर आपका जो बजट था, मैं चैलेंज करके कहती हूं कि उसमें से हमने एक पैसा भी नहीं घटाया, बल्कि बढ़ाया है। अगर आपका गंगा ब्रिज टाला है तो वह इसलिए हुआ है कि सीसीइए का क्लियरेंस नहीं हुआ। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

[अनुवाद]

जिन परियोजनाओं को इस बार हमने हाथ में लिया है, मैंने उनके संबंध में एक्सपेंडिड बोर्ड, योजना आयोग और सी सी इ ए से मंजूरी प्राप्त की है। यदि आपकी परियोजना को मंजूरी नहीं मिली तो इसका दोष मुझे मत दीजिए। यदि इसे सी सी ई ए के समक्ष रखा जाता है, तो नि:संदेह मैं आपके लिए लडूंगी क्योंकि बिहार मेरा पड़ोसी राज्य है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अभी तक सर्वे का काम ही पूरा नहीं हुआ। *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : बिहार मेरा पड़ौसी स्टेट है, इसलिए गलत सूचना नहीं जानी चाहिए। बिहार, बंगाल, यू०पी० और आंध्र प्रदेश सब मिलजुल कर रहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, चेयर को भी तकलीफ दे रहे हैं और आपको भी दे रहे हैं।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : 360 करोड़ रुपए में से केवल 40 करोड़ रुपए दिया। *(व्यवधान)* हमें उसका दसवां हिस्सा मिला। *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : रघुवंश जी, 40 करोड़ रुपए नहीं दिया, यह बात ठीक नहीं है। *(व्यवधान)* 255 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया है, आप ठीक से देखिए। अगर आपके पास हिसाब नहीं है तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : आप पुल वाले काम के बारे में बताइए। *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : पुल वाला काम हो रहा है, मैडम ने बताया है। *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने कहा है कि उसका क्लियरेंस नहीं हुआ और मैं बगैर क्लियरेंस के कैसे करूं। *(व्यवधान)* उसके बावजूद भी मैंने ठीक किया है। *(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : एक ही दिन में सर्वे नहीं हो जाता। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, 1997 में शिलान्यास हुआ था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : रूडी जी, आप अनावश्यक रूप से उनको उकसा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : रघुवंश जी, अगर इसे सीसीइए वाले क्लियर कर देंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूं। 1997-98 में केवल एक करोड़ रखा था, लेकिन मैंने तब भी क्लियरेंस न होने पर पांच करोड़ रखे ताकि आपका काम बंद न हो और हम अब भी कोशिश करेंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[कुमारी ममता बनर्जी]

अगर सीसीइए में आएगा तो केरल का भी जो प्रोजेक्ट है, जो यह बोलते हैं कि प्रोमिस किया हुआ है।

[अनुवाद]

यह वायदा नहीं है। परियोजना सीसीइए के समक्ष लंबित है। इस परियोजना को मंजूरी मिलने दीजिए। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो हम राज्य की सहायता करने की भरपूर कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

अभी यह दिक्कत है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट पैंडिंग पड़े हैं। मैंने सोचा कि प्लानिंग होने के पहले हम फाउंडेशन ले कर दें, इसमें थोड़ी एकाउंटेबिल्टी की जरूरत है। इसलिए किसी प्रोजेक्ट का कोई फाउंडेशन नहीं होना चाहिए, जब तक उसका क्लियरेंस न हो और ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हमने ठीक किया है। आज बहुत सारे प्रोजेक्ट पैंडिंग हैं, इसलिए बहुत सारी स्टैट गवर्नमेंट आगे आ रही हैं।

[अनुवाद]

वे कह रहे हैं कि वे संयुक्त उद्यम बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश की रेलवे परियोजनाओं के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि हम आंध्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी प्रकार कर्नाटक सरकार के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह, महाराष्ट्र की एम आर टी पी सी और तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्य सामने आए हैं। यदि कोई राज्य सामने आता है तो हम ऐसा करने के इच्छुक हैं क्योंकि हम एक वर्ष में सभी परियोजनाओं पर मात्र 500 करोड़ रुपए व्यय कर सकते हैं। इसलिए, यह बेहतर होगा कि कोई नई परियोजना सामने न आए। यदि कोई परियोजना वाणिज्यिक रूप से लाभकारी हो तो निजी क्षेत्र भी इस परियोजना में शामिल हो सकता है। तथापि, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि हम भारतीय रेल का निजीकरण नहीं करने वाले हैं। साथ ही, सौन्दर्यीकरण, भूमि के वाणिज्यिक उपयोग, पर्यटन स्थलों को जोड़ने, पत्तनों को जोड़ने के लिए हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि हम विभाग का धन खर्च करना नहीं चाहते हैं। हमारे पास धन की कमी है। इसीलिए, हम निजी क्षेत्र को संयुक्त उद्यमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ऐसा भारतीय रेलवे के विकास को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है किसी और कारण से नहीं। इसमें किसी तरह की कोई बाजीगरी नहीं है।

महोदय, जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगी कि हम सार्वजनिक् क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे और हम ऐसा भी करने वाले हैं। हम सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और उनकी उत्तरजीविता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की मदद करना चाहते हैं। मेरे विचार से मेरे मित्र श्री बालाचन्द्रन जी ने आई सी एफ का उल्लेख किया है। हम किसी भी संभव तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की मदद करना चाहते हैं।

महोदय, सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बंगलादेश संपर्क लाइन के लिए समझौता ज्ञापन पर बंगलादेश के साथ हस्ताक्षर किया गया है। बंगलादेश के अधिकारी बहुत जल्द ही उस तिथि के बारे में हमें बताएंगे कि वह माल ढुलाई कब आरंभ करेंगे। जैसे ही हमें हरी झंडी मिलेगी, माल की ढुलाई आरंभ की जाएगी।

महोदय, माननीय सदस्यों ने कई अच्छे सुझाव दिए हैं। मैंने उन सभी सुझावों पर गौर किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया है। मैंने इस संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। मैंने अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों एवं प्रतिकारात्मक आधार पर लोगों की नियुक्ति के संबंध में भी अनुदेश जारी किए हैं। हमने पहले से जारी खेलकूद की नीति को भी फिर से बहाल किया है जिससे कि बेरोजगार नवयुवकों जिन्होंने खेल-कूद में उत्कृष्टता हासिल की है, को रोजगार और प्रोन्नति मिल सके। ऐसा पहले नहीं था।

हमने बजट में ओ एफ सी हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मंत्रिमंडल द्वारा प्रकाशीय तंतु परियोजना को मंजूरी दी गई है। हमने इस प्रयोजन के लिए एक निगम भी गठित किया है। निगम का नाम रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। यह निगम जल्द ही अपना कार्य आरंभ करेगा। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह भारतीय रेल टेल निगम लिमिटेड रेलवे के लिए सोने की खान साबित होगी।

अब, भविष्य में यदि हम दिल्ली-मुम्बई, या दिल्ली-चेन्नई अथवा दिल्ली-कलकत्ता के लिए इस ओ एफ सी के माध्यम से ठेका देते हैं तो अंदरूनी क्षेत्रों, अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमने इसे एकसाथ करने का निर्णय लिया है जिससे कि मुम्बई, चेन्नई अथवा हैदराबाद का कोई भी व्यक्ति अवसर प्राप्त कर सकेगा। यह एक व्यापक पैकेज है। इस ओ एफ सी के माध्यम से हम भारतीय रेल प्रणाली का आधुनिकीकरण करने; सिग्नलिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण करने; इंटरनेट सुविधाओं के आधुनिकीकरण और स्टेशनों में सुधार करने का इरादा रखते हैं। इसमें सब कुछ शामिल किया जाएगा।

महोदय, अतिरिक्त अनुदान वर्ष 1997-98 के लिए है। लोक लेखा समिति इसको मंजूर कर चुकी है। उसके बाद ही हम इसके नियमन के लिए संसद में आए हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है।

महोदय, इन शब्दों के साथ, माननीय संसद सदस्य लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं सभा द्वारा पारित किए जाने वाले वर्ष 1997-98 के लिए अतिरिक्त अनुदानों एवं वर्ष 2000 के लिए अनुपूरक मांगों को सौंपती हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या-22—बजट (रेलवे) 1997-98 के संबंध में अतिरिक्त अनुदान मांगों को लेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 8, 10, 14 तथा 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 23—अनुपूरक अनुदान मागें (रेलवे) 2000-2001 को लेगी।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति का दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 10.29 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2000*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा, मद संख्या 24—विनियोग (रेलवे) संख्यांक 3 विधेयक, 2000 को लेगी।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक हैं, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.8.2000 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 25—मंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पर विचार किया जाए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव* करती हूं:

"कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।
अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 10.32 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2000*

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या-26—मंत्री जी, विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 27—मंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पर विचार किया जाए

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव** करती हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा गुरूवार, 24 अगस्त, 2000/2 भाद्रपद, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 10.34 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 24 अगस्त, 2000/ 2 भाद्रपद, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.8.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।